

HO/Finance/Share/36/2023-24

Date: 25.05.2023

**National Stock Exchange of India Ltd.**

“Exchange Plaza”

Plot no. C/1, G Block

Bandra-Kurla Complex, Bandra (E)

Mumbai – 400 051

**NSE Scrip Symbol: UCOBANK**

**BSE Limited**

Phiroze Jeejeebhoy Towers

Dalal Street, Fort,

Mumbai – 400 001

**BSE Scrip Code: 532505**

Madam/Dear Sir

**Annual Report of the Bank for the year 2022-23**

Pursuant to Regulation 34 of SEBI(LODR) Regulations, 2015, we enclose Annual Report of the Bank for the year 2022-23.

Copy of Annual Report is also made available on Bank's Website in the following link : <https://www.ucobank.com/English/annual-report.aspx>

This is for information and dissemination.

Yours faithfully,

**(N Purna Chandra Rao)**  
**Company Secretary**

Encl : as stated



# वार्षिक प्रतिवेदन Annual Report 2022-2023

Grow your money  
in 1000 days  
with

**UCO 1000**  
Term Deposit Scheme



**UCO Home Loan**



**UCO Udyog Bandhu**

**UCO Gold Loan**  
in 30 minutes!!!



**UCO Bank**  
Brings  
**Gold Loan**  
**Boutique**

Enjoy UCO Bank  
BHIM VOICE services  
any time  
any where!

Set  
UPI PIN

- Check Account Balance
- Send Money
- Recharge Mobile Number
- Book LPG & many more



Just Call : 080 45163777

Service Available in 5 Languages!  
Hindi | Assamese | Bangla  
Odiya | English



**PRAGATI-2023**

एक टीम, एक स्वप्न  
**ONE TEAM, ONE DREAM**



# यूको बैंक UCO BANK

प्रधान कार्यालय : 10, वि. त्रै. म. सरणी, कोलकाता - 700 001

Head Office : 10, B. T. M. Sarani, Kolkata - 700 001

## वार्षिक प्रतिवेदन - 2022-23 Annual Report - 2022-23

### विषय-सूची / CONTENTS

मद / Item	पृष्ठ सं. / Page No.	मद / Item	पृष्ठ सं. / Page No.
● सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षक Statutory Central Auditors	02	● सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट Secretarial Audit Report	154
● निदेशक मंडल Board of Directors	03	● तुलन-पत्र Balance Sheet	158
● वार्षिक आम बैठक हेतु सूचना एवं कार्यसूची Notice for AGM and Agenda	04	● लाभ-हानि लेखा Profit & Loss A/c	160
● प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी का संदेश Managing Director & CEO's Message	20	● लेखों से संबंधित अनुसूची Schedule to Accounts	162
● निदेशकों की रिपोर्ट एवं प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण Directors' Report & Management Discussion and Analysis	24	● स्वतंत्र लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट Independent Auditor's Report	234
● महत्वपूर्ण कार्यनिष्पादन संकेतक Key Performance Indicators	73	● नकदी प्रवाह विवरण Cash Flow Statement	246
● व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट Business Responsibility and Sustainability Report	74	● समेकित वित्तीय विवरण Consolidated Financial Statements	249
● कारपोरेट अभिशासन संबंधी रिपोर्ट Report on Corporate Governance	119	● लाभांश वितरण दिशानिर्देश Dividend Distribution Guidelines	339
● कारपोरेट अभिशासन का अनुलग्नक Annexures to Corporate Governance	148	● बासेल-III प्रकटीकरण Basel-III Disclosures	340
● सीवीओ एवं महाप्रबन्धकों का विवरण Details of CVO & General Managers	152		

## सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षक / STATUTORY CENTRAL AUDITORS

खंडेलवाल काकानी एंड कं.  
सनदी लेखाकार

**KHANDELWAL KAKANI & CO.**  
Chartered Accountants

आर गोपाल एंड एसोसिएट्स  
सनदी लेखाकार

**R GOPAL & ASSOCIATES**  
Chartered Accountants

एस के अग्रवाल एंड कं. चार्टर्ड एकाउंटेंट्स एलएलपी  
सनदी लेखाकार

**S K AGRAWAL AND CO CHARTERED ACCOUNTANTS LLP**  
Chartered Accountants

घोषाल एंड घोषाल  
सनदी लेखाकार

**GHOSHAL & GHOSAL**  
Chartered Accountants

## रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट / REGISTRAR & SHARE TRANSFER AGENT

मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड

(इकाई: यूको बैंक)

सेलेनियम टावर बी, प्लॉट नं. 31 एवं 32

गचीबाउली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा

हैदराबाद - 500032

फोन : 040-67162222, टोल फ्री नं. 1800 309 4001

फैक्स : 040 23420814

ई-मेल : einward.ris@kfintech.com

**M/s. KFin Technologies Limited**

(Unit : UCO Bank)

Selenium Tower B, Plot No. 31&32,

Gachibowli, Financial District, Nanakramguda,

Hyderabad - 500032

Phone: 040-67162222, Toll Free No. 1800 309 4001

Fax: 040 23420814

e-mail: einward.ris@kfintech.com

शेयरधारक आवश्यकतानुसार रजिस्ट्रार मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजी प्रा.लि. के निम्नलिखित कार्यालयों से सम्पर्क कर सकते हैं।  
The Shareholders may also contact the following offices of the Registrar, M/s KFin Technologies Pvt. Ltd.  
in case of need.

मुंबई	:	महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स लेन, फोर्ट, मुंबई - 400 023 फोन : 022-2286-2425/2427
At Mumbai	:	Maharashtra Chamber of Commerce Lane, Fort, Mumbai - 400 023 Phone 022-2286-2425 / 2427
चेन्नै	:	22, विजय राघवन रोड, टी. नगर, चेन्नै - 600 017 फोन : 044-2815-1034/3445
At Chennai	:	22, Vijaya Raghavan Rd. T. Nagar, Chennai - 600 017 Phone : 044-2815-1034 / 3445
नई दिल्ली	:	305, नई दिल्ली हाउस, 27 बारखंबा रोड, नई दिल्ली - 110001, फोन : 011-43681700
At New Delhi	:	305, New Delhi House, 27 Barakhamba Road, New Delhi-110001 Phone: 011-43681700
कोलकाता	:	एपीजे हाउस, 15 पार्क स्ट्रीट, सी ब्लॉक 3रा तल, कोलकाता - 700 016 फोन : 033-66285900
At Kolkata	:	Apeejay House, 15, Park Street, C Block, 3rd Floor, Kolkata - 700 016 Phone : 033-66285900



## निदेशक मंडल /BOARD OF DIRECTORS



श्री सोमा शंकर प्रसाद  
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी  
**SHRI SOMA SANKARA PRASAD**  
Managing Director & CEO



श्री राजेन्द्र कुमार साबू  
कार्यपालक निदेशक  
**SHRI RAJENDRA KUMAR SABOO**  
Executive Director



डॉ. संजय कुमार  
निदेशक  
**DR. SANJAY KUMAR**  
Director



श्री राजेश कुमार  
निदेशक  
**SHRI RAJESH KUMAR**  
Director



श्री रवि कुमार अग्रवाल  
निदेशक  
**SHRI RAVI KUMAR AGRAWAL**  
Director



श्री अंजन तालुकदार  
निदेशक  
**SHRI ANJAN TALUKDAR**  
Director



श्री सुभाष शंकर मलिक  
निदेशक  
**SHRI SUBHASH SHANKAR MALIK**  
Director



श्री के राजीवन नायर  
निदेशक  
**SHRI K. RAJIVAN NAIR**  
Director

### सूचना

एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि यूको बैंक के शेयरधारकों की 20वीं वार्षिक आम बैठक शनिवार, दिनांक 17 जून, 2023 को पूर्वाह्न 11.00 बजे वीडियो कंफरेंस (वीसी)/अन्य श्रव्य दृश्य माध्यम (ओएवीएम) माध्यम से निम्नलिखित कार्यों के लिए आयोजित की जाएगी:-

#### मद संख्या 1

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र, साथ ही लाभ-हानि लेखा एवं बैंक का नकदी प्रवाह, 31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए बैंक के कार्यों और गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा तुलन-पत्र एवं लाभ-हानि लेखा और नकदी प्रवाह पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श करना, उसे अनुमोदित करना एवं अपनाना।”

#### मद संख्या 2

#### ईक्विटी पूंजी जुटाने की योजना 2023-2024

निम्नांकित विशेष संकल्प पर विचार करना और यदि उसे ठीक माना जाता है तो संशोधन सहित या रहित विशेष संकल्प के रूप में पारित करना:

‘संकल्प किया जाता है कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 (अधिनियम), राष्ट्रीयकृत बैंक(प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970(योजना) और यूको बैंक (शेयर एवं बँठके) विनियम 2003 के प्रावधानों के अनुसरण में तथा किसी संशोधन या पुनरधिनियमन सहित लागू अन्य सभी अधिनियम/कानून तथा भारत सरकार (जी ओ आई), भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) या अन्य किसी संबंधित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय-समय पर यथालागू अन्य नियम/अधिसूचनाएं/परिपत्र/विनियम/दिशानिर्देश, यदि कोई हो तथा भारतीय रिजर्व बैंक (‘आरबीआई’), भारत सरकार (‘जीओआई’), भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (‘सेबी’) और/ या इस संबंध में अपेक्षित अन्य किसी प्राधिकरण के अनुमोदन, सहमति और मंजूरी के अधीन एवं ऐसे अनुमोदन प्रदान करने के लिए उनके द्वारा निर्धारित ऐसी शर्तों और उन पर संशोधनों के अधीन और जिनसे बैंक का निदेशक मंडल सहमत हो तथा भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी और प्रासंगिक अन्य सभी प्राधिकरणों द्वारा समय समय पर निर्धारित विनियमों अर्थात् सेबी (पूँजी निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2018 (आई सी डी आर विनियम), सेबी (सूचीकरण बाध्यता एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 (सेबी अल ओ डी आर विनियम), विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत के बाहर निवास करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण या निर्गम) विनियम 2000 तथा लिस्टिंग समझौते के अधीन स्टॉक एक्सचेंजों के साथ प्रवेश किया, जहां बैंक के ईक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, एतद्वारा बैंक के शेयरधारकों की सहमति, बैंक के निदेशक मंडल (जिसे यहाँ इसके बाद ‘निदेशक मंडल’ कहा जाएगा, जिस अभिव्यक्ति में, इस संकल्प द्वारा प्रदत्त अधिकारी सहित अपने अधिकारों का प्रयोग करने हेतु बोर्ड द्वारा गठित की गई या आगे की जानेवाली कोई समिति भी शामिल) को दी जाती है कि वह प्रत्येक ₹10/- के 200,00,00,000 तक

### Notice

NOTICE is hereby given that the 20<sup>th</sup> Annual General Meeting of the Shareholders of UCO Bank will be held through Video Conference(VC) /Other Audio Visual Means (OAVM)on Saturday, the 17<sup>th</sup> June, 2023 at 11.00 AM to transact the following business:-

#### Item no.1

To discuss, approve and adopt the Balance Sheet together with statement of Profit & Loss and cash flow of the Bank made upto 31.03.2023, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period ended 31.03.2023 and Auditors report on Balance sheet and statement of Profit & Loss and Cash flow.

#### Item no. 2

#### Equity Capital Raising Plan 2023-24

To consider and if thought fit, to pass with or without modifications the following **Special Resolution** :

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (Act), The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (Scheme) and the UCO Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 as amended from time to time and all other applicable Acts/laws, including any amendment thereto or re-enactment thereof and other Rules / Notifications / Circulars /Regulations / Guidelines, if any prescribed by the Government of India ("GOI"), Reserve Bank of India ("RBI"), Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), or any other relevant authority, from time to time, to the extent applicable and subject to the approvals, consents, permissions and sanctions, if any, of the RBI, GOI, SEBI and/or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the regulations viz., SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 (ICDR Regulations), SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (SEBI LODR Regulations), Foreign Exchange Management (Transfer or issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2000, and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "the Board" which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot upto 200,00,00,000 equity shares of Rs.10/- each (including with provision for reservation on firm allotment and/or

के ईक्विटी शेयरों का सृजन, प्रस्ताव, निर्गम एवं आबंटन करे (निर्गम के ऐसे हिस्से को पक्का और/या प्रतिस्पर्धा आधार पर और यथा अनुमत व्यक्तियों की श्रेणियों के लिए विधिसम्मत प्रकार से आरक्षित करने के प्रावधान सहित) प्रस्ताव के दस्तावेज/नियमावली, भले ही बाजार मूल्य या निर्गम मूल्य या फ्लोर मूल्य पर छूट या प्रीमियम पर हो अथवा ऐसे किसी अन्य दस्तावेज के जरिए जिसमें एक या अधिक सदस्यों, बैंक के कर्मचारियों, भारतीय नागरिकों, अनिवासी भारतीय ('एनआरआई') कंपनियों, निजी या सार्वजनिक, निवेश संस्थाओं, सोसाइटियों, न्यासों, अनुसंधान संगठनों, अर्हक संस्थागत खरीदारों ('क्यू आई बी') जैसे विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक, बैंक, वित्तीय संस्थाएं, भारतीय म्यूच्युअल फंड, वेंचर कैपिटल फंड, विदेशी वेंचर कैपिटल निवेशकों, राज्य औद्योगिक विकास निगमों, बीमा कंपनियों, भविष्य निधियों, पेंशन फंडों, विकास वित्तीय संस्थाओं, विदेशी संस्थागत निवेशकों ('एफआईआई') या अन्य इकाइयों, प्राधिकरणों अथवा मौजूदा विनियमों/दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के ईक्विटी शेयरों में निवेश करने के लिए प्राधिकृत किसी अन्य श्रेणी के निवेशकर्ताओं या बैंक द्वारा उचित समझे गए तरीके से इनमें से किसी का मिश्रण हो, जैसा कि बैंक द्वारा फॉलो ऑन पब्लिक इश्यू, निजी प्लेसमेंट/अर्हक संस्थागत प्लेसमेंट (क्यूआईपी) या भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित किसी अन्य रीति से अधि-आबंटन के विकल्प सहित या रहित ठीक हो।

"आगे संकल्प किया जाता है कि ऐसे इश्यू, प्रस्ताव या आबंटन, अतिरिक्त आबंटन के विकल्प सहित या रहित सार्वजनिक इश्यू, निजी प्लेसमेंट/अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यूआईपी) या भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित कोई अन्य तरीका के जरिए, अधिक-आबंटन या ग्रीन शू आप्शन के साथ या उसके बिना और ऐसा प्रस्ताव, इश्यू, प्लेसमेंट और आबंटन, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 के प्रावधानों, सेबी (पूँजी निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएं विनियमावली 2018 (आई सी डी आर विनियमावली) एवं भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी या अन्य किसी यथा-लागू प्राधिकरण द्वारा ऐसे समय पर और तरीके और ऐसी शर्तों पर किया जाए जो निदेशक मंडल अपने पूरे विवेकाधिकार के तहत उचित समझे।"

"आगे संकल्प किया जाता है कि जहां आवश्यक हो, लीड प्रबंधक और/या हामीदार और अन्य सलहकार से परामर्श करने के बाद या बोर्ड की ऐसी शर्तों व निबंधनों के अनुसार आईसीडीआर विनियमावली, अन्य नियमावली की शर्तों के अनुसार और अन्य सभी लागू नियम विनियमावली और दिशानिर्देश के अधीन ऐसे निवेशक जो बैंक के विद्यमान सदस्य हो या न हो, के लिए अपने संपूर्ण विवेक से मूल्य निर्धारित करने के बारे में निर्णय लेने का अधिकार बोर्ड या इस उद्देश्य के लिए गठित बोर्ड की समिति का होगा जो आईसीडीआर विनियमावली की संबद्ध प्रावधानों के अनुसार निर्धारित मूल्य से कम मूल्य न हो।"

"आगे संकल्प किया जाता है कि पात्र संस्थागत स्थान नियोजन के मामले में, आई सी डी आर विनियम के अध्याय VI के अनुसरण में

- पात्र संस्थागत खरीदारों को ही प्रतिभूतियों का आबंटन होगा जो आई सी डी आर विनियमावली के अध्याय VI के अर्थ के दायरे में होगा और इस प्रकार की प्रतिभूतियां पूर्णतः प्रदत्त होंगी और इस संकल्प की तिथि से 365 दिनों के भीतर या अन्य समय जिसकी अनुमति समय-समय पर आई सी डी आर विनियम में दी जा सकती है।"
- बैंक आई सी डी आर विनियमावली के विनियम 176(1) के प्रावधानों के अनुसार आधार मूल्य से कम मूल्य पर, जो पाँच प्रतिशत से कम न हों, पर शेयर आवंटित करने के लिए प्राधिकृत है।
- आई सी डी आर विनियमावली के अनुसार प्रतिभूतियों के न्यूनतम मूल्य निर्धारण की संबंधित तिथि होगी।

competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by the law then applicable) by way of an offer document/prospectus or such other document, in India or abroad, whether at a discount or premium to the market price or issue price or floor price, in one or more tranches, including to one or more of the members, employees of the Bank, Indian nationals, Non-Resident Indians ("NRIs"), Companies, private or public, investment institutions, Societies, Trusts, Research organisations, Qualified Institutional Buyers ("QIBs") like Foreign Institutional Investors ("FIIs"), Banks, Financial Institutions, Indian Mutual Funds, Venture Capital Funds, Foreign Venture Capital Investors, State Industrial Development Corporations, Insurance Companies, Provident Funds, Pension Funds, Development Financial Institutions or other entities, authorities or any other category of investors which are authorized to invest in equity shares of the Bank as per extant regulations/guidelines or any combination of the above as may be deemed appropriate by the Bank".

"RESOLVED FURTHER THAT such issue, offer or allotment of equity shares shall be by way of Follow on public issue, Private Placement/Qualified Institutional Placement (QIP) or any other mode approved by GOI/RBI, with or without over-allotment or Green Shoe option and that such offer, issue, placement and allotment be made as per the provisions of the Act, ICDR Regulations and all other guidelines issued by the RBI, SEBI and any other authority as applicable, and at such time or times in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, think fit".

"RESOLVED FURTHER THAT Board shall have the authority to decide, at such price or prices in such manner and where necessary, in consultation with the lead managers and/or underwriters and/or other advisors or otherwise on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of ICDR Regulations, other regulations and any and all other applicable laws, rules, regulations and guidelines, whether or not such investor(s) are existing members of the Bank, at a price not less than the price as determined in accordance with relevant provisions of ICDR Regulations."

"RESOLVED FURTHER THAT in case of qualified Institutional placement pursuant to Chapter VI of the ICDR Regulations

- the allotment of securities shall only be to Qualified Institutions Buyers within the meaning of Chapter VI of the ICDR Regulations, such Securities shall be fully paid up and the allotment of such securities shall be completed within 365 days from the date of passing of this resolution, or such other time as may be permitted under the ICDR Regulations from time to time.
- The Bank pursuant to provisions of Regulation 176(1) of ICDR Regulations authorized to offer at a discount not more than five percent on the floor price.
- the relevant date for determination of the floor price of securities shall be in accordance with the ICDR Regulations."

"आगे संकल्प किया जाता है कि अपना अनुमोदन,सहमति,अनुमति एवं मंजूरी प्रदान करते समय और निदेशक मंडल द्वारा सहमत हुए अनुसार, भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक/सेबी/स्टॉक एक्सचेंज जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं या अन्य समुचित प्राधिकरण द्वारा प्रस्ताव में अपेक्षित या लगाए गए किसी संशोधन को स्वीकार करने का निदेशक मंडल को प्राधिकार होगा।"

"आगे संकल्प किया जाता है कि अनिवासी भारतीयों / विदेशी निवेशक व्यक्तियों और या अन्य पात्र विदेशी निवेशक को नए इक्विटी शेयर / अधिमान्य शेयर/प्रतिभूतियों को जारी और आवंटित करना,यदि कोई हो,विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन के अधीन होगा जो अधिनियम के तहत निर्धारित समग्र सीमा के अंदर होगा।"

"आगे संकल्प किया जाता है कि जारी किये जानेवाले उक्त नए इक्विटी शेयर यथा संशोधित यूको बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियम 2003 के अधीन जारी किये जाएंगे और ये बैंक के मौजूदा शेयरों के साथ सभी दृष्टियों से समान होंगे और घोषणा के समय प्रचलित सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुसार घोषित किये जानेवाले किसी भी लाभांश के लिए पात्र होंगे।"

"आगे संकल्प किया जाता है कि बोर्ड को किसी भी वुक रनर्स, लीड प्रबंधकों, बैंकरों, हामीदारों, निक्षेपागारों, रजिस्ट्रारों, लेखापरीक्षकों एवं इस प्रकार की सभी एजेंसियों से जो इस प्रकार के इक्विटी, अधिमान शेयरों, प्रतिभूतियों के प्रस्ताव में शामिल या संबंधित हो, के साथ इस प्रकार के समझौते करने एवं एजेंसियों को कमीशन, दलाली, शुल्क या अन्य ऐसे द्वारा पारिश्रमिक देने तथा ऐसे एजेंसियों के साथ ऐसे सभी करार, ज्ञापन, दस्तावेज आदि निष्पादित करने के लिए एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है तथा उन स्टॉक एक्सचेंजों पर निर्गमित इक्विटी शेयरों का सूचीकरण करते हो, जहां बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध है।"

"आगे संकल्प किया जाता है कि उपर्युक्त को प्रभावी बनाने के लिए बोर्ड को किसी भी लीड प्रबंधकों, हामीदारों, परामर्शदाताओं और/या बैंक द्वारा यथा नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति को निवेशकों के वर्ग सहित ईश्यू की प्रकृति एवं शर्तों, प्रत्येक ट्रांच में आवंटित किए जाने वाले शेयरों की संख्या, जारी मूल्य (प्रीमियम सहित, यदि कोई हो), अंकित मूल्य के निर्धारण करने, रिकार्ड तारीख या लेखा-बंदी एवं अन्य संबंधित या अनुषंगी मामले निर्धारित करने, भारत और/या विदेश में एक या एक से अधिक स्टॉक एक्सचेंजों को सूचीबद्ध करने हेतु एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है, जैसा कि बोर्ड अपने विवेकाधिकार के अनुसार उचित समझे।"

"आगे संकल्प किया जाता है कि अभिदान न किए गए ऐसे शेयरों/ प्रतिभूतियों का, निदेशक मंडल द्वारा अपने संपूर्ण विवेकाधिकार के अधीन ऐसे तरीके से निपाटन किया जाएगा, जो वह उचित समझे और विधि द्वारा अनुमत है।"

"आगे संकल्प किया जाता है कि किसी निर्गम को प्रभावी बनाने के लिए या इक्विटी शेयर आवंटित करने के लिए सार्वजनिक प्रस्ताव, योग्य संस्थागत नियोजन की शर्त निर्धारित करने हेतु जिसमें निवेशकों का वर्ग जिन्हें प्रतिभूतियां आवंटित की जानी हैं, प्रत्येक शृंखला में आवंटित किए जाने वाले शेयर/प्रतिभूतियों, निर्गम मूल्य, निर्गम पर किस्त की राशि जिन्हें बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत उचित समझे एवं इस प्रकार के कार्य, मामले और किसी बात और ऐसे विलेख, दस्तावेज व करार निष्पादित करने हेतु वे अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत आवश्यक, उचित या वांछित समझे तथा सार्वजनिक प्रस्ताव, निर्गम, आबंटन और निर्गम में प्राप्त आय के उपयोग के संबंध में किसी प्रकार के सवाल, कठिनाई या संदेह जो उत्पन्न होता हो और ऐसे आशोधनों, बदलावों, भिन्नताओं, परिवर्तनों, उच्छेदन, संवर्धन, संबंधी शर्तों को प्रभावी बनाने के लिए जो कि वह अपने पूर्ण विवेकाधिकार के अधीन सर्वाधिक हित में उपयुक्त और समुचित समझे,

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI/RBI/SEBI/Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according/granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board."

"RESOLVED FURTHER THAT the issue and allotment of new equity shares to NRIs, FIIs and/or other eligible foreign investors be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 (including rules and regulations framed thereunder) as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act."

"RESOLVED FURTHER THAT the said new equity shares to be issued shall be subject to the UCO Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003, as amended, and shall rank in all respects pari passu with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements with any Book Runner(s), Lead Manager(s), Banker(s), Underwriter(s), Depository (ies), Registrar(s), Auditor(s) and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of equity shares and to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents etc., with such agencies and to seek the listing of such Equity Shares issued on the Stock Exchanges where the Equity Shares of the Bank are listed."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the above, the Board, in consultation with the Lead Managers, Underwriters, Advisors and/or other persons as appointed by the Bank, be and is hereby authorized to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the shares are to be allotted, number of shares to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, fixing of record date or book closure and related or incidental matter, listings on one or more stock exchanges in India and/or abroad, as the Board in its absolute discretion deems fit."

"RESOLVED FURTHER THAT such of these shares as are not subscribed may be disposed off by the Board in its absolute discretion in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to any issue or allotment of equity shares, the Board be and is hereby authorised to determine the terms of the public offer, Qualified Institutional Placement including the class of investors to whom the equity shares are to be allotted, the number of shares to be allotted in each tranche, issue price, premium amount on issue as the Board in its absolute discretion deems fit and do all such acts, deeds, matters and things and execute such deeds, documents and agreements, as they may, in its absolute discretion, deem necessary, proper or desirable, and to settle or give instructions or directions for settling any questions, difficulties or doubts that may arise in regard to the public offer, issue, allotment and utilization of the issue proceeds, and to accept and to give effect to such modifications, changes, variations, alternations, deletions, additions as regards the terms and conditions, as it may, in its absolute discretion, deem fit and proper



सदस्यों से आगे बिना अन्य किसी अनुमोदन की अपेक्षा के इस संकल्प द्वारा बैंक और बोर्ड को प्रदत्त सभी या किसी शक्ति का प्रयोग बोर्ड द्वारा किया जा सकता है।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि इस संकल्प को प्रभावी करने के लिए इसके द्वारा मंडल को प्राधिकृत किया जाता है कि वह ऐसी सभी कार्रवाइयों, कृत्यों, मामलों और बातों को क्रियान्वित करे जिन्हें वह अपने विवेक के अनुसार आवश्यक, उपयुक्त एवं वांछनीय समझे, ईविविटी शेरों के निर्गमन के संबंध में उठने वाले किसी भी प्रश्न, कठिनाई या शंका का निपटारा करे और ऐसी सभी कार्रवाइयों, कृत्यों, मामलों और बातों को, सभी दस्तावेजों और लेखों को अंतिम रूप दे और कार्यान्वित करे, जो आवश्यक, वांछनीय या समीचीन हो, उसके विवेकानुसार उपयुक्त, उचित या वांछनीय प्रतीत हो, जिसके लिए शेरधारकों की सम्मति या अनुमोदन प्राप्त करने की आगे कोई भी आवश्यकता न पड़े, अथवा इस उद्देश्य या प्रयोजन से प्राधिकृत किया जाता है कि शेरधारकों द्वारा इस संकल्प के प्राधिकार से, व्यक्त रूप से इस पर अपना अनुमोदन प्रदान कर दिया जाना मान लिया गया है।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि मंडल द्वारा स्वयं को प्रदत्त सभी या किन्हीं शक्तियों को बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या कार्यपालक निदेशकों में से किसी को, अथवा ऐसे किसी अधिकारी को प्रत्यायोजित करने के लिए इसके द्वारा प्राधिकृत किया जाता है जिसे वह उपर्युक्त संकल्प को प्रभावी करने के लिए उपयुक्त मानता है।"

#### मद संख्या. 3

##### श्री राजेन्द्र कुमार साबू, कार्यपालक निदेशक की नियुक्ति

निम्नलिखित पर विचार करना और यदि उचित समझा गया तो सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना :

"यह संकल्प किया जाता है कि समय समय पर संशोधित सेबी (सूचीकरण अनिवार्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015, के विनियम 17(1C) के अनुसरण में, भारत सरकार की अधिसूचना ईएफ.सं.4/6/2021-बीओ.आई दिनांक 21.11.2022 के अनुसार यूको बैंक के बोर्ड में कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री राजेन्द्र कुमार साबू की नियुक्ति पदभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए यानी 21.11.2022 या अगले आदेश तक जो भी पहले हो और एतद्वारा अनुमोदित हो।"

#### मद संख्या. 4

##### श्री सुभाष शंकर मलिक, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक की नियुक्ति

निम्नलिखित पर विचार करना और यदि उचित समझा गया तो विशेष संकल्प के रूप में पारित करना :

"यह संकल्प किया जाता है कि समय समय पर संशोधित सेबी (सूचीकरण अनिवार्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015, के विनियम 17(1C) के अनुसरण में, भारत सरकार की अधिसूचना एफ.सं.6/8/2022-बीओ.आई दिनांक 08.05.2023 के अनुसार यूको बैंक के बोर्ड में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में श्री सुभाष शंकर मलिक की नियुक्ति अधिसूचना की तारीख यानी दिनांक 08.05.2023 से तीन वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, और एतद्वारा अनुमोदित हो।"

निदेशक मंडल के आदेश से

ह/-

(सोमा शंकर प्रसाद)

स्थान: कोलकाता

दिनांक: 24.05.2023

प्रबंध निदेशक एवं  
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

in the best interest of the Bank, without requiring any further approval of the members and that all or any of the powers conferred on the Bank and the Board vide this resolution may be exercised by the Board."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deems necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper of desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent, that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of the Resolution."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred to the Chairman or to the Managing Director & CEO or to the Executive Director/(s) or to Committee of Directors or such other officer(s) to give effect to the aforesaid Resolutions."

#### Item no. 3

##### Appointment of Shri Rajendra Kumar Saboo, Executive Director

To consider and if thought fit, to pass the following as **Ordinary Resolution** :

" RESOLVED THAT pursuant to Regulation 17 (1C) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended from time to time, the appointment of Shri Rajendra Kumar Saboo as Executive Director on the Board of UCO Bank pursuant to GOI Notification eF.No.4/6/2021- BO.I dated 21.11.2022 for a period of three years from the date of assumption of office i.e. 21.11.2022 or until further orders, whichever is earlier, be and is hereby approved."

#### Item no. 4

##### Appointment of Shri Subhash Shankar Malik, Part time Non-Official Director

To consider and if thought fit, to pass the following as **Special Resolution** :

"RESOLVED THAT pursuant to Regulation 17 (1C) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended from time to time, the appointment of Shri Subhash Shankar Malik as part-time non-official director on the Board of UCO Bank pursuant to GOI Notification F.No.6/8/2022-BO.I dated 08.05.2023 for a period of three years from the date of notification i.e. 08.05.2023 or until further orders, whichever is earlier, be and is hereby approved."

By order of the Board of Directors

sd/-

(Soma Sankara Prasad)

Place: Kolkata

Date: 24.05.2023

Managing Director &  
Chief Executive Officer

## व्याख्यात्मक विवरण

### मद संख्या 2 - इक्विटी पूंजी जुटाने की योजना 2023-2024

31 मार्च, 2023 तक बैंक की पूंजी पर्याप्तता अनुपात 16.51% है। बैंक की मौजूदा प्राधिकृत पूंजी रु. 15000 करोड़ है। 31 मार्च, 2023 तक बैंक की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी रु. 11955.96 करोड़ है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए पूंजी जुटाने की योजना के एक भाग के रूप में, बैंक के बोर्ड ने सेबी (पूंजी निर्गमन और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2018 एवं यथासंशोधित अद्यतन और इस संबंध में सेबी/आरबीआई के अन्य लागू विनियम/दिशानिर्देश के अनुसार क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट/प्राइवेट प्लेसमेंट/ सार्वजनिक निर्गम का पालन कर या अन्य माध्यम या उसका संयोजन से रु.10/- के 200,00,00,000 इक्विटी शेयर तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (क्यूआईपी) के माध्यम से पूंजी जुटाने की स्थिति में, यह सेबी (पूंजी निर्गमन और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2018 के अध्याय VI के अनुसार होगा।

उपर्युक्त के अलावा, इक्विटी शेयर के माध्यम से पूंजी जुटाने से बैंक में पब्लिक हिस्सेदारी को बढ़ाने में मदद मिलेगी जो कि वर्तमान में प्रतिभूति करार (विनियम) नियम, 1957 में दिये गए नियम 19ए के अनुसार 25% की न्यूनतम आवश्यक पब्लिक हिस्सेदारी से कम है। वर्तमान में, बैंक की सार्वजनिक शेयरधारिता 4.61% है।

बैंक अपनी प्रदत्त पूंजी में वृद्धि करने के लिए बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3(2बी)(सी) के अनुसार भारत सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक से अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करेगा।

सेबी (दायित्व सूचीकरण एवं प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम, 2015 का विनियमन 41(4) प्रावधान करता है कि बैंक द्वारा जब भी कोई नया शेयर जारी किया जाता है या नई पेशकश की जाती है, तो मौजूदा शेयरधारकों को प्रो-रटा आधार पर उसी के साथ पेश किया जाना चाहिए जब तक कि सामान्य बैठक में शेयरधारक इसके अतिरिक्त तय न कर लें। यदि उक्त संकल्प पारित हो जाता है, तो बोर्ड को बैंक की तरफ से मौजूदा शेयरधारकों को प्रो-रटा आधार पर उसके अलावा कुछ प्रतिभूति जारी करने तथा आबंटित करने का अधिकार होगा।

ऑफर के लिए विस्तृत नियम और शर्तें सलाहकारों, अग्रणी प्रबंधकों और हामीदारों (अंडरराइटर्स) और ऐसे अन्य प्राधिकारी या प्राधिकरणों के परामर्श से, मौजूदा बाजार की स्थितियों और अन्य नियामक आवश्यकताओं को देखते हुए, जो आवश्यक हो, निर्धारित की जा सकती है।

वर्तमान संकल्प बैंक के निदेशक मंडल को उचित समय, माध्यम, प्रीमियम और अन्य शर्तों पर इक्विटी शेयर जारी करने में सक्षम बनाने के लिए प्रस्तावित है।

आबंटित किए जाने वाले इक्विटी शेयरों का दर्जा सभी मायनों में अन्य बातों के साथ-साथ बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के बराबर होंगे। इस प्रयोजन के लिए बैंक को एक विशेष संकल्प के माध्यम से शेयरधारकों की सहमति प्राप्त करना आवश्यक है। इसलिए उपर्युक्त संकल्प के लिए आपकी सहमति हेतु अनुरोध किया जाता है।

## EXPLANATORY STATEMENT

### Item No. 2 - Equity Capital Raising Plan 2023-2024

The Capital Adequacy Ratio of the Bank as on 31st March, 2023 is 16.51%. The Authorized Capital of the Bank is, at present, Rs.15000 crore. The Paid up Equity Share capital of the Bank as on 31st March, 2023 is Rs. 11955.96 crore.

As a part of capital raising plan for the FY 2023-24, the Board of the Bank approved the proposal to raise upto 200,00,00,000 equity shares of Rs.10/- by way of Qualified Institutional Placement (QIP)/ Private Placement/ Follow on Public Issue or any other mode(s) or combination(s) thereof, in accordance with SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 and as amended up to date and other applicable Regulations/Guidelines of SEBI/RBI in this regard. In the event of raising of capital undertaken through Qualified Institution Placement (QIP), the same will be in accordance with chapter VI of SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018.

Raising of capital through issue of equity shares would help in increasing the public shareholding in the Bank which is at present below the Minimum required Public Shareholding of 25% as stipulated in Rule 19A of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957. At present, public shareholding of the Bank is 4.61%.

The Bank will obtain the requisite approval of the Government of India and the Reserve Bank of India in terms of Section 3(2B)(c) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 for increasing the paid up capital of the Bank.

The Regulation 41(4) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 provides that whenever any further issue or offer is being made by the Bank, the existing shareholders should be offered with the same on pro rata basis unless the shareholders in the general meeting decide otherwise. The said resolution, if passed, shall have the effect of allowing the Board on behalf of the Bank to issue and allot the securities otherwise than on pro-rata basis to the existing shareholders.

The detailed terms and conditions for the offer will be determined in consultation with the Advisors, Lead Managers and Underwriters and such other authority or authorities as may be required, considering the prevailing market conditions and other regulatory requirements.

The Present resolution is proposed in order to enable the Board of Directors of the Bank to issue equity shares at an appropriate time, mode, premium and other terms.

The equity shares allotted, shall rank pari passu in all respects with the existing equity shares of the Bank. For this purpose the Bank is required to obtain the consent of the shareholders by means of a special resolution. Hence your consent is requested for the above proposal.

बैंक के निदेशकों में से किसी को भी अपने शेयर होल्डिंग, बैंक में यदि कोई है, की सीमा को छोड़कर उपर्युक्त संकल्पों में इच्छा या अपेक्षा नहीं है।

निदेशक मंडल प्रस्तावित विशेष संकल्पों को पारित करने की अनुशंसा करता है।

### **मद संख्या 3 - श्री राजेन्द्र कुमार साबू, कार्यपालक निदेशक की नियुक्ति**

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने अधिसूचना ईएफ.सं.4/6/ 2021- बीओ.आई दिनांक 21.11.2022 द्वारा श्री राजेन्द्र कुमार साबू, मुख्य महाप्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक को यूको बैंक में कार्यपालक निदेशक के रूप में तीन वर्ष की अवधि के लिए पदभार ग्रहण करने की तारीख से या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, नियुक्त किया है। श्री राजेन्द्र कुमार साबू ने दिनांक 21.11.2022 को यूको बैंक में कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।

श्री राजेन्द्र कुमार साबू वाणिज्य में स्नातकोत्तर हैं और व्यवसाय प्रशासन (बैंकिंग और वित्त) में स्नातकोत्तर उपाधि धारक हैं। वे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स (सीएआईआईबी) के सर्टिफाइड एसोसिएट हैं और उन्होंने एडवॉरस डिप्लोमा इन मैनेजमेंट भी किया है। श्री राजेन्द्र कुमार साबू ने वर्ष 1994 में तत्कालीन ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में एक परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में अपना कैरियर शुरू किया। उन्हें क्षेत्रीय और प्रशासनिक कार्यालयों में विभिन्न पदों पर बैंकिंग-कार्य का समृद्ध अनुभव है। यूको बैंक में शामिल होने से पहले श्री साबू पंजाब नेशनल बैंक में कार्यनीति प्रबंधन, आर्थिक सलाहकार, एमआईएस और डेटा एनालिटिक्स के मुख्य महाप्रबंधक थे। श्री राजेन्द्र कुमार साबू को कई बैंकिंग डोमेन जैसे शाखा बैंकिंग, ऋण, मानव संसाधन, ट्रेजरी आदि का भी अनुभव है।

सेबी के विनियम 17(1C) (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार, बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि अगली आम बैठक में निदेशक मंडल में किसी व्यक्ति की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति के लिए शेयरधारकों की स्वीकृति ली जाए।

उपर्युक्त विनियमों के अनुपालन हेतु बैंक के निदेशक मंडल ने अनुशंसा की है कि मद संख्या 3 पर श्री राजेन्द्र कुमार साबू, कार्यपालक निदेशक की नियुक्ति के प्रस्ताव को शेयरधारकों के समक्ष 20वीं वार्षिक आम बैठक में सामान्य संकल्प के माध्यम से उनकी स्वीकृति प्राप्त करने के लिए रखा जाए।

श्री राजेन्द्र कुमार साबू या उनके रिश्तेदार के अलावा कोई भी निदेशक या उनके रिश्तेदार और बैंक के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, बैंक में उनकी हिस्सेदारी की सीमा तक, यदि कोई हो, उक्त संकल्प से सम्बंधित या इच्छुक नहीं है।

### **मद संख्या 4 - श्री सुभाष शंकर मलिक, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक की नियुक्ति**

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (एच) और उप-धारा (3ए) के साथ पठित राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 के खंड 3 का उप-खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने अधिसूचना सं. एफ.सं.6/8/2022-बीओ.आई दिनांक

None of the Directors of the Bank is interested or concerned in the aforementioned Resolution(s), except to the extent of their shareholding, if any in the Bank.

The Board of Directors recommends passing of the proposed Special Resolutions.

### **Item No.3 - Appointment of Shri Rajendra Kumar Saboo, Executive Director**

In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (3) of section 9 of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Central Government vide its notification eF.No.4/6/2021- BO.I dated 21.11.2022 appointed Shri Rajendra Kumar Saboo, Chief General Manager, Punjab National Bank as Executive Director in UCO Bank for a period three years with effect from the date of the assumption of office or until further orders, whichever is earlier. Shri Rajendra Kumar Saboo assumed the office of Executive Director on 21.11.2022.

Shri Rajendra Kumar Saboo is a Post Graduate in Commerce and holds a Master Degree in Business Administration (Banking & Finance). He is a Certified Associate of Indian Institute of Bankers (CAIB) and holds a certificate for Advanced Diploma in Management. Shri Rajendra Kumar Saboo started his career as a Probationary Officer in erstwhile Oriental Bank of Commerce in the year 1994 and has a rich banking experience in various capacities at field and administrative offices. Before joining UCO Bank, Shri Saboo was the Chief General Manager in Punjab National Bank heading Strategic Management, Economic Advisory, MIS and Data Analytics. Shri Rajendra Kumar Saboo has experience across multiple banking domains viz. Branch Banking, Credit, HR, Treasury etc.

Pursuant to proviso to Regulation 17(1C) of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure requirements) Regulations, 2015, Bank shall ensure that the approval of the shareholders for appointment or re-appointment of a person on the Board of Directors is taken at the next general meeting.

To comply with above regulations, the Board of Directors of the Bank recommended that the proposal of appointment of Shri Rajendra Kumar Saboo, Executive Director at Item No. 3, be placed before the shareholders at the 20th Annual General Meeting for seeking their approval by way of ordinary resolution.

None of the Directors or their relatives and Key Managerial Personnel of the Bank other than Shri Rajendra Kumar Saboo, or his relatives to the extent of their shareholding in the Bank, if any, are interested or concerned in the said resolution.

### **Item No.4 - Appointment of Shri Subhash Shankar Malik, Part time non-Official Director**

In exercise of the powers conferred by clause (h) of sub-section (3) and sub-section (3A) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, read with sub-clause (1) of clause 3 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government vide its notification no. F.No.6/8/2022-BO.I

08.05.2023 ने श्री सुभाष शंकर मलिक (जन्म तिथि: 03.06.1968) को तीन वर्ष की अवधि के लिए यूको बैंक के बोर्ड में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में अधिसूचना की तारीख अर्थात् 08.05.2023 से या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो नामित किया है।

श्री सुभाष शंकर मलिक के पास कला स्नातक की डिग्री है और वे गोवा की कुछ सहकारी समितियों में वरिष्ठ पदों पर रहे हैं। वर्तमान में, वह आईपीबी, गोवा से जुड़े हुए हैं।

सेबी के विनियम 17(1C) (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार, बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि अगली आम बैठक में निदेशक मंडल में किसी व्यक्ति की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति के लिए शेरधारकों की स्वीकृति ली जाए।

उपर्युक्त विनियमों के अनुपालन हेतु बैंक के निदेशक मंडल ने अनुशंसा की है कि मद संख्या 4 पर श्री सुभाष शंकर मलिक, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक की नियुक्ति के प्रस्ताव को शेरधारकों के समक्ष 20वीं वार्षिक आम बैठक में विशेष संकल्प संकल्प के माध्यम से उनकी स्वीकृति प्राप्त करने के लिए रखा जाए।

श्री सुभाष शंकर मलिक या उनके रिश्तेदारों के अलावा कोई भी निदेशक या उनके रिश्तेदार और बैंक के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, बैंक में उनकी हिस्सेदारी की सीमा तक, यदि कोई हो, उक्त संकल्प से सम्बंधित या इच्छुक नहीं है।

dated 08.05.2023, nominated Shri Subhash Shankar Malik (DoB: 03.06.1968) as part-time non-official director on the Board of UCO Bank for a period of three years from the date of notification i.e. 08.05.2023 or until further orders, whichever is earlier.

Shri Subhash Shankar Malik possesses degree of Bachelor of Arts and held senior positions in few co-operative societies at Goa. Currently, he is associated with IPB, Goa.

Pursuant to proviso to Regulation 17(1C) of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure requirements) Regulations, 2015, Bank shall ensure that the approval of the shareholders for appointment or re-appointment of a person on the Board of Directors is taken at the next general meeting.

To comply with above regulations, the Board of Directors of the Bank recommended that the proposal of appointment of Shri Subhash Shankar Malik, Part time Non-Official Director at Item No. 4, be placed before the shareholders at the 20th Annual General Meeting for seeking their approval by way of special resolution.

None of the Directors or their relatives and Key Managerial Personnel of the Bank other than Shri Subhash Shankar Malik, or his relatives to the extent of their shareholding in the Bank, if any, are interested or concerned in the said resolution.

निदेशक मंडल के आदेश से

ह/-

(सोमा शंकर प्रसाद)

प्रबंध निदेशक एवं  
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान: कोलकाता  
दिनांक: 24.05.2023

By order of the Board of Directors

sd/-

(Soma Sankara Prasad)

Place: Kolkata  
Date: 24.05.2023

Managing Director &  
Chief Executive Officer

वीसी / ओएवीएम सुविधा के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में भाग लेने तथा रिमोट ई-वोटिंग सहित इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से पहुंच एवं वोटिंग करने के लिए सामान्य निर्देश

### 1. वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से वार्षिक आम बैठक आयोजित करने पर विनियामक निर्देश

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 05.05.2020, परिपत्र संख्या 02/2021 दिनांक 13.01.2021, परिपत्र संख्या 19/2021 दिनांक 08.12.2021 के बाद इस संबंध में जारी नवीनतम परिपत्र संख्या 10/2022 दिनांक 28.12.2022 (सामूहिक रूप से 'एमसीए परिपत्र' के रूप में संदर्भित) के अनुसार बैंक की वार्षिक आम बैठक आयोजित करने में एमसीए और सेबी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का विधिवत पालन करते हुए वार्षिक आम बैठक वीडियो कांफ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना एक सामान्य स्थान पर आयोजित की जाएगी।

वार्षिक आम बैठक को अब आगे से 'ई-एजीएम' कहा जाएगा। बैठक के लिए माना गया स्थान यूको बैंक, प्रधान कार्यालय, 10, वि.त्रै.म. सरणी, कोलकाता-700 001 होगा।

### 2. वीसी के माध्यम से बैठक में शामिल होना

बैंक ने वार्षिक आम बैठक के लिए वीडियो कांफ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध कराने तथा ई-एजीएम के संचालन के लिए उपस्थिति समर्थ करने हेतु मेसर्स केफिन टेक्नॉलोजिस लिमिटेड को रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट नियुक्त किया है।

सदस्य नोटिस में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करते हुए बैठक शुरू होने के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले और 30 मिनट बाद तक वीसी मोड में वार्षिक आम बैठक में शामिल हो सकते हैं।

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में भागीदारी की सुविधा पहले आए पहले पाएं के आधार पर कम से कम 1000 सदस्यों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। इस प्रतिबंध में बड़े शेयरधारक (2% या अधिक हिस्सेदारी वाले शेयरधारक), प्रोमोटर, संस्थागत निवेशक, निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, लेखा परीक्षा समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति तथा हितधारक संबंध समिति के अध्यक्ष, लेखा परीक्षक आदि शामिल नहीं होंगे जिन्हें पहले आए पहले पाएं के आधार पर प्रतिबंध के बिना वार्षिक आम बैठक में भाग लेने की अनुमति दी गई है।

### 3. उपस्थिति

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की उपस्थिति को कोरम की गणना के उद्देश्य से गिना जाएगा।

### 4. प्रॉक्सी और प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

चूंकि यह वार्षिक साधारण बैठक एमसीए परिपत्रों के अनुसरण में एमसीए वीसी/ओएवीएम के जरिए आयोजित की जा रही है, सदस्यों की प्रत्यक्ष उपस्थिति की व्यवस्था हटा दी गई है। तदनुसार, वार्षिक साधारण बैठक के लिए सदस्यों द्वारा प्रॉक्सियों की नियुक्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं रहेगी। अतः इस नोटिस के साथ प्रॉक्सी आवेदन पत्र और उपस्थिति पत्रक संलग्न नहीं किए गए हैं।

तथापि, निगमित निकाय वीसी के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में भाग लेने के लिए प्राधिकृत प्रतिनिधियों को नियुक्त करने और उसके बाद ई-वोटिंग के माध्यम से मत डालने के हकदार हैं। इस संबंध में, संबंधित बोर्ड संकल्प की स्कैन प्रति तथा मत करने के लिए प्राधिकृत

## GENERAL INSTRUCTIONS FOR ACCESSING AND PARTICIPATING IN THE ANNUAL GENERAL MEETING THROUGH VC/OAVM FACILITY AND VOTING THROUGH ELECTRONIC MEANS INCLUDING REMOTE E-VOTING

### 1. Regulatory Instructions on holding Annual General Meeting through Video Conference

Pursuant to circular no. 20/2020 dated 05.05.2020, circular no.02/2021 dated 13.01.2021, circular no.19/2021 dated 08.12.2021 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) followed by subsequent circular issued in this regard, the latest being 10/2022 dated 28.12.2022 (collectively referred to as "MCA Circulars"), the Annual General Meeting will be held through Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM) without the physical presence of the Members at a common venue duly following guidelines issued by MCA and SEBI in conducting Annual General Meeting of the Bank.

The Annual General Meeting hereinafter is called as "e-AGM". The deemed venue for the meeting shall be UCO Bank Head Office, 10, BTM Sarani, Kolkata-700001.

### 2. Joining of Meeting through VC

Bank has appointed M/s. KFin Technologies Limited, Registrar & Transfers Agents, to provide Video Conferencing facility for Annual General Meeting and the attendant enablers for conducting of e-AGM.

The Members can join the Annual General Meeting in the VC mode 15 minutes before and after the scheduled time of the commencement of the Meeting by following the procedure mentioned in the Notice.

The facility of participation at the Annual General Meeting through VC/OAVM will be made available for at least 1000 members on first come first served basis. This restriction will not include large Shareholders (Shareholders holding 2% or more shareholding), Promoters, Institutional Investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, Auditors etc. who are allowed to attend the Annual General Meeting without restriction on account of first come first served basis.

### 3. Attendance

The members attending the Annual General Meeting through VC/OAVM will be counted for the purpose of reckoning the quorum.

### 4. Appointment of Proxy and Authorised Representative

Since this AGM is being held pursuant to the MCA Circulars through VC / OAVM, physical attendance of Members has been dispensed with. Accordingly, the facility for appointment of proxies by the members will not be available for the AGM and hence the Proxy Form and Attendance Slip are not annexed to this Notice.

However, the Body Corporates are entitled to appoint authorised representatives to attend the Annual General Meeting through VC and participate thereat and cast their votes through e-voting. In this connection, scanned copy of relevant Board Resolution is



हस्ताक्षरकर्ता(ओं) के सत्यापित हस्ताक्षर संवीक्षक को ई-मेल से savitajyotiassociates05@gmail.com पर भेज दी जाये और इसकी प्रति evoting@kfintech.com और hosgr.calcutta@ucobank.co.in बैठक की तिथि से कम से कम चार दिन पहले अर्थात 12 जून, 2023, को सायं 5:00 बजे से पहले जमा करा दी जाये।

बैंक के किसी कर्मचारी या अधिकारी को यूको बैंक (शेयर और बैठक) विनियमन, 2003 के प्रावधानों के अनुसार प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

## 5. बही समापन

वार्षिक साधारण बैठक के प्रयोजन से, दिनांक 09 जून, 2023 (शुक्रवार) से 17 जून, 2023 (शनिवार) की अवधि तक, जिसमें दोनों उल्लिखित दिन शामिल हैं, बैंक सदस्यों के पंजीकरण तथा शेयर अंतरण/संचरण बहियों का काम बंद रहेगा।

## 6. वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ई-एजीएम में भाग लेने हेतु शेयरधारकों के लिए निर्देश

- मेसर्स केफिन टेकनॉलॉजिस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराए गए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से सदस्य को ई-एजीएम में भाग लेने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सदस्य <https://emeetings.kfintech.com> पर जाकर 'वीडियो कॉन्फ्रेंस' पर क्लिक कर दूरस्थ ई-वोटिंग पहचान का उपयोग करके शेयरधारकों/सदस्यों पर लॉग-इन कर सकते हैं।
  - ई-एजीएम के लिए लिंक दूरस्थ ई-वोटिंग पहचान का उपयोग करके शेयरधारक/ सदस्य लॉग-इन में उपलब्ध होगा। ई-एजीएम के लिए लिंक शेयरधारक/सदस्यों के लॉग-इन में उपलब्ध होगा, जहां ईवेंट और यूको बैंक को चुना जाना है।
  - कृपया ध्यान दें कि जिन सदस्यों के पास ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं हैं या उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, वे अंतिम मिनट की भीड़ से बचने के लिए नोटिस में उल्लिखित दूरस्थ ई-वोटिंग निर्देशों का पालन करके इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं।
  - सदस्य बेहतर अनुभव के लिए गूगल क्रोम के साथ लैपटॉप के माध्यम से बैठक में शामिल हो सकते हैं।
  - इसके अतिरिक्त, बैठक के दौरान किसी भी गड़बड़ी से बचने के लिए सदस्यों को एक अच्छी गति के साथ इंटरनेट का उपयोग करना आवश्यक होगा।
  - कृपया ध्यान दें कि मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से मोबाइल डिवाइस या टैबलेट या लैपटॉप से कनेक्ट होने वाले प्रतिभागियों को अपने नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण ऑडियो/वीडियो सुनाई या दिखाई नहीं देने का अनुभव हो सकता है। इसलिए किसी भी प्रकार की उक्त खामियों को कम करने के लिए स्थिर वाई-फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करने की सलाह दी जाती है।
- ## 7. ई-एजीएम से पहले वक्ता के पंजीकरण और प्रश्नों की रिकॉर्डिंग की सुविधा:

- जो शेयरधारक बैठक के दौरान अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं / प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे खुद को एक वक्ता के रूप में पंजीकृत कर सकते हैं और <https://emeetings.kfintech.com> पर लॉग इन कर सकते हैं और नाम, डी मैट खाता संख्या/फोलियो संख्या, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर का उल्लेख करके उपलब्ध कराई गई विंडो 'अपने प्रश्न पोस्ट करें' पर क्लिक करके अपने सवाल/विचार/प्रश्न पोस्ट कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर तभी दिया जाएगा, जब निर्दिष्ट तारीख को शेयरधारक के पास शेयर रहते हैं। प्रश्नों की पोस्टिंग

required to be sent along with attested signature of the Authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the scrutinizer by email to savitajyotiassociates05@gmail.com with a copy marked to evoting@kfintech.com and hosgr.calcutta@ucobank.co.in, not less than four days before the date of the meeting on or before 5:00 PM of 12th June 2023.

An employee or officer of the Bank cannot be appointed as authorized representative as per provisions of UCO Bank (Shares and Meetings) Regulation, 2003.

## 5. Book Closure

The Register of Members and Share Transfer/Transmission Books of the Bank shall remain closed from 09th June, 2023 (Friday) to 17th June, 2023 (Saturday) both days inclusive for the purpose of AGM.

## 6. Instructions for shareholders for attending e-AGM through Video conference

- Member will be provided with a facility to attend e-AGM through Video conferencing platform provided by M/s. KFin Technologies Limited. Members may access the same at <https://emeetings.kfintech.com> and click on the "Video Conference" and access the shareholders/members login by using the remote e-voting credentials.
- The link for e-AGM will be available in shareholder/member login by using the remote e-voting credentials. The link for e-AGM will be available in shareholder/members login where the EVENT and UCO Bank can be selected.
- Please note that the members who do not have the User ID and Password for e-Voting or have forgotten the User ID and Password may retrieve the same by following the remote e-Voting instructions mentioned in the notice to avoid last minute rush.
- Members are encouraged to join the Meeting through Laptops with Google Chrome for better experience.
- Further, Members will be required to use Internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting.
- Please note that participants connecting from Mobile Devices or Tablets or through Laptop connecting via Mobile Hotspot may experience Audio/Video loss due to fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use Stable Wi-Fi or LAN Connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.

## 7. Facility for Speaker registration & Recording of questions prior to e-AGM:

- Shareholders who would like to express their views/ask questions during the meeting may register themselves as a speaker and may log into <https://emeetings.kfintech.com> and click on "post your questions" to post their queries/views/questions in the window provided by mentioning the name, demat account number/folio number, email id, mobile number. Please note that members questions will be answered only, the shareholder continue to hold the shares as per the benpos as on cut off date. The posting of questions shall commence

दिनांक 14 जून, 2023 (10.00 बजे प्रातः) से शुरू होगी और दिनांक 16 जून, 2023 (5.00 बजे सायं) को बंद होगी।

- जिन शेयरधारकों ने खुद को एक वक्ता के रूप में पंजीकृत किया है, केवल उन्हीं वक्ताओं को अपने विचार व्यक्त करने/प्रश्न पूछने की अनुमति होगी। बैंक द्वारा प्रश्नों का उत्तर उपयुक्त रूप से दिया जाएगा।
- ई-एजीएम के दौरान, जो सदस्य पहले से पंजीकृत हैं, उन्हें कालानुक्रमिक क्रम में बोलने की अनुमति दी जाएगी और फिर ई-एजीएम के दौरान पंजीकरण करने वालों को बोलने का विकल्प दिया जाएगा।
- ई-एजीएम के दिन प्रश्न और उत्तर के दौरान वक्ताओं का पंजीकरण ट्रांसमिशन और तकनीकी समन्वय की बाधाओं के कारण समाप्त किया जा सकता है।

## 8. इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा मतदान

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम 2014 (यथासंशोधित) के नियम 20 के अनुसार पठित एवं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित सेबी (सूचीकरण और प्रकटीकरण की आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 (यथासंशोधित) के विनियमन 44 के प्रावधानों तथा एमसीए परिपत्रों के अनुसरण में बैंक वार्षिक आम बैठक में किए जाने वाले व्यवसाय के संबंध में अपने सदस्यों को दूरस्थ ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रहा है।

वे सदस्य जो सदस्यों के मत देने के अधिकार का निर्धारण करने के लिए निर्दिष्ट तारीख दिनांक 09 जून, 2023 को शेयर धारण कर रहे हैं, मेसर्स केफिन टेक्नॉलॉजिस लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराए गए ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से या ई-एजीएम में मतदान करने के हकदार होंगे। जो व्यक्ति निर्दिष्ट तारीख को सदस्य नहीं हैं वे केवल सूचना के उद्देश्य से इस नोटिस को समझें।

यूको बैंक (शेयर और बैठकें) विनियमन, 2003 के अनुसार संयुक्त धारकों के मामले में, जिस सदस्य का नाम कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर के अनुसार पहले प्रकट होगा, वह वार्षिक आम बैठक में मत देने का हकदार होगा, बशर्ते कि दूरस्थ ई-मतदान के जरिए मत पहले ही न डाल दिए गए हों।

## 9. डीमैट रूप में शेयर रखनेवाले वैयक्तिक शेयरधारकों के लिए डिपॉजिटरी (एनएसडीएल/सीडीएसएल) के जरिए दूरस्थ ई-मतदान हेतु अनुदेश

सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदत्त ई-मतदान सुविधा पर सेबी के परिपत्र सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/ सीआईआर/पी/2020/242 दिनांक 9 दिसंबर, 2020 के अनुसार, प्रतिभूतियों को डीमैट स्वरूप में रखनेवाले वैयक्तिक शेयरधारकों को, डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी सहभागियों द्वारा संचालित अपने डीमैट खातों के जरिए मतदान करने की अनुमति है। ई-मतदान सुविधा प्राप्त करने के लिए शेयरधारक अपने डीमैट खाते में अपना मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी अद्यतन करें।

उपर्युक्त सेबी परिपत्र के अनुसरण में, डीमैट स्वरूप में प्रतिभूतियाँ रखनेवाले वैयक्तिक शेयरधारकों द्वारा ई-मतदान और वर्चुअल बैठकों में शामिल होने की प्रवेश प्रक्रिया निम्नानुसार है:

on 14th June, 2023 (10.00 AM) and closed on 16th June, 2023 (5.00 PM) .

- Those shareholders who have registered themselves as a speaker will only be allowed to express their views/ask questions. The same will be replied by the Bank suitably.
- During e-AGM, the members who have already registered will be allowed to speak in the chronological order and then the option will be given for those who registered during the e-AGM.
- Speaker Registration during Question & Answers on the day of e-AGM may be dispensed with due to limitations of transmission and technical coordination.

## 8. VOTING THROUGH ELECTRONIC MEANS

Pursuant to Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations 2015 (as amended) read with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014, (as amended), and the MCA Circulars, the Bank is providing facility of remote e-voting to its Members in respect of the business to be transacted at the Annual General Meeting.

The members who are holding shares as on 09th June, 2023 being the cut off date fixed for determining voting rights of members, entitled to participate in the remote e-voting process, through the e-voting platform provided by KFin Technologies Limited or to vote at the e-AGM. Person who is not a member as on cut off date should treat this notice for information purpose only.

In terms of UCO Bank (Shares and Meetings) Regulation 2003, in case of joint holders, the Member whose name appears first as per the Register of Members of the Company will be entitled to vote at the Annual General Meeting provided the votes are not already cast through remote e-voting.

## 9. INSTRUCTION FOR REMOTE E-VOTING THROUGH DEPOSITORIES (NSDL/CDSL) FOR INDIVIDUAL SHAREHOLDERS HOLDING SHARES IN DEMAT FORM

In terms of SEBI circular SEBI/HO/CFD/CMD/ CIR/P/2020/242 dated December 9, 2020 on e-voting facility provided by Listed Companies, individual shareholders holding securities in Demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are advised to update their mobile number and email Id in their demat accounts in order to access e-voting facility.

Pursuant to abovesaid SEBI Circular, Login method for e-Voting and joining virtual meetings for Individual shareholders holding securities in Demat mode is given below:

एनएसडीएल/NSDL	सीडीएसएल/CDSL
<p><b>1. आईडीईएस सुविधा के लिए पूर्व पंजीकृत उपयोगकर्ता</b> <b>User already registered for IDeAS facility:</b></p> <p>I. यूआरएल/URL: <a href="https://eservices.nsdl.com">https://eservices.nsdl.com</a></p> <p>II. आईडीईएस' खंड के अंतर्गत "लाभार्जक मालिक बेनेफियल ओनर" आइकन पर क्लिक करें। Click on the "Beneficial Owner" icon under 'IDeAS' section.</p> <p>III. नए पेज पर उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड डालें। सफल प्रमाणीकरण के बाद 'ई-मतदान तक पहुँच(एक्सेस टू ई-वोटिंग)' पर क्लिक करें।  On the new page, enter User ID and Password. Post successful authentication, click on "Access to e-Voting"</p> <p>IV. कंपनी के नाम या ई-मतदान सेवाप्रदाता पर क्लिक करें और आपको ई-मतदान सेवाप्रदाता की वेबसाइट पर ले जाया जाएगा जहाँ पर आप दूरस्थ ई-मतदान अवधि के दौरान मत दे सकते हैं।  Click on company name or e-Voting service provider and you will be re-directed to e-Voting service provider website for casting the vote during the remote e-Voting period.</p>	<p><b>1. वर्तमान उपयोगकर्ता जिन्होंने ईएसआई/ ईएसआईईएसटी का विकल्प लिया है</b> <b>Existing user who have opted for Easi / Easiest</b></p> <p>I. यूआरएल : <a href="https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login">https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login</a> या यूआरएल : <a href="http://www.cdslindia.com">www.cdslindia.com</a>  URL: <a href="https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login">https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login</a> or URL: <a href="http://www.cdslindia.com">www.cdslindia.com</a></p> <p>II. न्यू सिस्टम मायइजी पर क्लिक करें। Click on New System Myeasi</p> <p>III. उपयोगकर्ता आईडी एवं पासवर्ड से प्रवेश करें। Login with user id and password.</p> <p>IV. आगे किसी और प्रमाणीकरण बिना ई-मतदान पेज तक पहुँचने के लिए विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा।  Option will be made available to reach e-Voting page without any further authentication.</p> <p>V. अपना मत देने के लिए ई-मतदान सेवाप्रदाता का नाम क्लिक करें। Click on e-Voting service provider name to cast your vote.</p>
<p><b>2. उपयोगकर्ता आईडीईएस ई-सेवाओं के लिए पंजीकृत नहीं है</b> <b>User not registered for IDeAS e-Services</b></p> <p>I. पंजीकरण के लिए यहाँ क्लिक करें: To register click on link : <a href="https://eservices.nsdl.com">https://eservices.nsdl.com</a></p> <p>II. 'रजिस्टर ऑनलाइन फॉर आईडीईएस' का चयन करें। Select "Register Online for IDeAS"</p> <p>III. आवश्यक फील्डों को पूरा करते हुए आगे बढ़ें। Proceed with completing the required fields. वैकल्पिक रूप से/Alternatively,</p> <p>I. पंजीकरण के लिए यहाँ क्लिक करें:<a href="https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp">https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp</a>  To register click on link : <a href="https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp">https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp</a></p> <p>II. आवश्यक फील्डों को पूरा करते हुए आगे बढ़ें। Proceed with completing the required fields.</p>	<p><b>2. उपयोगकर्ता ईएसआई/ईएसआईईएसटी के लिए पंजीकृत नहीं है</b> <b>User not registered for Easi/Easiest</b></p> <p>I. पंजीकरण का विकल्प यहाँ उपलब्ध है:<a href="https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration">https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration</a>  Option to register is available at <a href="https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration">https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration</a></p> <p>II. आवश्यक फील्डों को पूरा करते हुए आगे बढ़ें। Proceed with completing the required fields.</p>
<p><b>3. एनएसडीएल की ई-मतदान वेबसाइट पर जाकर</b> <b>By visiting the e-Voting website of NSDL</b></p> <p>I. यूआरएल/URL: <a href="https://www.evoting.nsdl.com/">https://www.evoting.nsdl.com/</a></p> <p>II. 'शेयरधारक/सदस्य' खंड के अंतर्गत उपलब्ध 'लॉग-इन' आइकन पर क्लिक करें।  Click on the icon "Login" which is available under 'Shareholder/Member' section.</p>	<p><b>3. सीडीएसएल की ई-मतदान वेबसाइट पर जाकर</b> <b>By visiting the e-Voting website of CDSL</b></p> <p>I. यूआरएल/URL: <a href="http://www.cdslindia.com">www.cdslindia.com</a></p> <p>II. डीमैट खाता संख्या और पैन नंबर प्रदान करें। Provide demat Account Number and PAN No.</p> <p>III. सिस्टम डीमैट खाते में दर्ज पंजीकृत मोबाइल एवं ई-मेल पर ओटीपी भेजकर उपयोगकर्ता का प्रमाणीकरण करेगा।  System will authenticate user by sending OTP on registered Mobile &amp; Email as recorded in the demat Account.</p>

<p>III. उपयोगकर्ता आईडी (यानी एनएसडीएल के पास स्थित 16-अंकीय डीमैट खाता), पासवर्ड/ओटीपी और स्क्रीन पर दिखाई देनेवाला एक सत्यापन कोड दर्ज करें।</p> <p>Enter User ID (i.e. 16-digit demat account number held with NSDL), Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen.</p> <p>IV. सफल प्रमाणीकरण के बाद आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर ले जाया जाएगा जहाँ आप ई-मतदान पेज देख सकते हैं।</p> <p>Post successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-Voting page.</p> <p>V. कंपनी या ई-मतदान सेवाप्रदाता के नाम पर क्लिक करें और आपको ई-मतदान सेवाप्रदाता की वेबसाइट पर ले जाया जाएगा जहाँ पर आप दूरस्थ ई-मतदान अवधि के दौरान मत दे सकते हैं।</p> <p>Click on company name or e-Voting service provider name and you will be redirected to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period.</p>	<p>IV. सफल प्रमाणीकरण के बाद उपयोगकर्ता को संबंधित ईएसपी के लिए लिंक प्रदान किए जाएंगे जहाँ ई-मतदान प्रक्रिया चल रही है।</p> <p>After successful authentication, user will be provided links for the respective ESP where the e- Voting is in progress.</p>
---	---

**10. डीमैट स्वरूप में शेयर रखनेवाले वैयक्तिक शेयरधारकों के लिए डिपॉजिटरी सहभागी के जरिए दूरस्थ ई-मतदान किए जाने हेतु अनुदेश**

वैयक्तिक सदस्य एनएसडीएल/सीडीएसएल के पास पंजीकृत अपने डिपॉजिटरी सहभागी के जरिए अपने डीमैट खाते के लॉग-इन ब्योरों का इस्तेमाल करके भी ई-मतदान सुविधा के लिए लॉग-इन कर सकते हैं। एक बार लॉग-इन करने पर सदस्य को ई-मतदान विकल्प दिखाई देने लगेगा। ई-मतदान विकल्प पर क्लिक करने पर सदस्य सफल प्रमाणीकरण के बाद एनएसडीएल/सीडीएसएल डिपॉजिटरी की साइट पर ले जाया जाएगा। कंपनी का नाम या ई-मतदान सेवा प्रदाता का नाम क्लिक करने पर सदस्य को ई-मतदान सेवा प्रदाता वेबसाइट पर ले जाया जाएगा, ताकि वह दूरस्थ ई-मतदान अवधि के दौरान अपना मत दे सके या वर्युअल बैठक में शामिल हो सके तथा बैठक के दौरान मतदान कर सके।

महत्वपूर्ण सूचना: जो सदस्य उपयोगकर्ता आईडी/पासवर्ड उपलब्ध नहीं कर पा रहे हैं वे उक्त वेबसाइट पर उपलब्ध उपयोगकर्ता आईडी भूल गए(फॉरगेट यूजर आईडी) और पासवर्ड भूल गए(फॉरगेट पासवर्ड) विकल्प का उपयोग करें।

डीमैट स्वरूप में शेयर रखनेवाले वैयक्तिक शेयरधारकों के लिए डिपॉजिटरी, यथा सीडीएसएल एवं एनएसडीएल के जरिए लॉग-इन करने से जुड़े किन्हीं तकनीकी मुद्दों के लिए हेल्पडेस्क

**10. INSTRUCTIONS FOR REMOTE E-VOTING THROUGH DEPOSITORY PARTICIPANT FOR INDIVIDUAL SHAREHOLDERS HOLDING SHARES IN DEMAT FORM**

Individual Member can also login using the login credentials of his/her demat account through his/her Depository Participant registered with NSDL/CDSL for e-Voting facility. Once login, the member will be able to see e-Voting option. Click on e-Voting option the member will be redirected to NSDL/CDSL Depository site after successful authentication. Click on company name or e-Voting service provider name and the member will be redirected to e-Voting service provider website for casting the vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.

Important note: Members who are unable to retrieve User ID/ Password are advised to use Forget User ID and Forget Password option available at abovementioned website.

Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e. CDSL and NSDL

<p>सदस्यों को पेश आ रहे किन्हीं तकनीकी मुद्दे - एनएसडीएल</p> <p><b>Members facing any technical issue - NSDL</b></p>	<p>सदस्यों को पेश आ रहे किन्हीं तकनीकी मुद्दे- सीडीएसएल</p> <p><b>Members facing any technical issue - CDSL</b></p>
<p>लॉग-इन में कोई तकनीकी समस्या आने पर सदस्य एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए <a href="mailto:evoting@nsdl.co.in">evoting@nsdl.co.in</a> पर अनुरोध भेज सकते हैं या टोल फ्री नं. 1800 1020 990 और 1800 22 44 30 पर कॉल कर सकते हैं।</p> <p>Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at <a href="mailto:evoting@nsdl.co.in">evoting@nsdl.co.in</a> or call at toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30</p>	<p>लॉग-इन में कोई तकनीकी समस्या आने पर सदस्य सीडीएसएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए <a href="mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com">helpdesk.evoting@cdslindia.com</a> पर अनुरोध भेज सकते हैं अथवा 022- 23058738 या 22-23058542-43 पर कॉल कर सकते हैं।</p> <p>Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at <a href="mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com">helpdesk.evoting@cdslindia.com</a> or contact at 022- 23058738 or 22-23058542-43.</p>

**11. भौतिक रूप में शेयर रखने वाले भौतिक शेयरधारकों और डीमैट फॉर्म में शेयर रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के अलावा अन्य शेयरधारकों के लिए रिमोट ई-वोटिंग के लिए निर्देश**

दूरस्थ ई-मतदान के लिए प्रक्रिया और तरीके का विवरण नीचे दिया गया है।

प्रारंभिक पासवर्ड ई-मेल में दिया गया है।

- i. रिमोट ई-वोटिंग के लिए <https://evoting.kfintech.com> पर लॉग-इन करें
- ii. बैंक के शेयरधारक अपना मत इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दर्ज करा सकते हैं, भले ही अंतिम तारीख अर्थात् 09 जून 2023 को वे मूर्त रूप में अथवा अमूर्त रूप में शेयर धारित किए हुए हों।
- iii. लॉगइन विवरण (यानी एजीएम की नोटिस में उल्लिखित आईडी एवं पासवर्ड) दर्ज करें। आपका फोलियो नं./डीपी आईडी एवं ग्राहक आईडी ही आपका यूजर आईडी होगा।
- iv. सही तरीके से विवरण भरने के पश्चात लॉगइन पर क्लिक करें।
- v. अब आप पासवर्ड बदलने वाले पेज पर पहुंच जाएंगे, जहां आपको अपना पासवर्ड अनिवार्य रूप से बदलना पड़ेगा। नए पासवर्ड में कम से कम 8 अक्षर होंगे जिनमें कम से कम एक अपर केस (A-Z), एक लोअर केस (a-z) अक्षर, एक संख्या (0-9) और एक विशेष चिह्न होगा। सिस्टम द्वारा पहली बार लॉग इन करने पर पासवर्ड बदलने तथा संपर्क-विवरण, जैसे मोबाइल नंबर, ई-मेल आदि को अपडेट करने के लिए कहा जाएगा। आप गुप्त प्रश्न में जाकर अपनी पसंद का उत्तर दर्ज कर सकते हैं जिससे यदि आप पासवर्ड भूल जाएं तो उसे पुनः प्राप्त कर सकें। आपको सचेत किया जाता है कि किसी अन्य व्यक्ति के साथ अपना पासवर्ड साझा न करें एवं उसे गोपनीय रखने हेतु पूरी सावधानी बरतें।
- vi. आपको नए विवरण के साथ फिर से लॉगइन करना होगा।
- vii. सफल लॉग-इन पर, सिस्टम आपको इवेंट, यूको बैंक का चयन करने के लिए संकेत देगा। मतदान पृष्ठ पर, आपके द्वारा निर्दिष्ट तारीख को धारित शेयरों की संख्या (जो वोटों की संख्या का प्रतिनिधित्व करती है) दिखाई देगी। यदि आप सभी मतों को संकल्प के पक्ष/विपक्ष में डालना चाहते हैं तो सभी शेयरों को दर्ज करें और 'पक्ष/विपक्ष', जैसी भी स्थिति हो, या आंशिक रूप से 'पक्ष' और आंशिक रूप से 'विपक्ष' पर क्लिक करें लेकिन 'पक्ष' और/या 'विपक्ष' की कुल संख्या निर्दिष्ट तारीख को आपकी कुल शेयरहोल्डिंग से अधिक नहीं होनी चाहिए। आप अनुपस्थित विकल्प का भी चयन कर सकते हैं लेकिन धारित शेयरों की गणना किसी भी पक्ष में नहीं की जाएगी।
- viii. एक उपयुक्त विकल्प चुनकर अपना मत डालें और 'समिit' पर क्लिक करें। एक पुष्टीकरण बॉक्स प्रदर्शित किया जाएगा।
- ix. कॉर्पोरेट/संस्थागत सदस्यों (अर्थात् व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई आदि को छोड़कर) को प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता(ओं) के अभिप्राणित नमूना हस्ताक्षर के साथ संबंधित बोर्ड संकल्प/प्राधिकार पत्र आदि की प्रमाणित प्रति की स्कैन की गई छवि (पीडीएफ/जेपीजी प्रारूप) को संवीक्षक को ईमेल पर [savitajyotiassociates05@gmail.com](mailto:savitajyotiassociates05@gmail.com) भेजना होगा तथा अपने लॉग-इन में ई-वोटिंग मॉड्यूल में भी अपलोड करना होगा। उपरोक्त दस्तावेजों की स्कैन की गई छवि का नामकरण प्रारूप 'यूको बैंक इवेंट सं.' होगा।
- x. निर्दिष्ट तारीख यानी 09 जून, 2023 को शेयर धारित करनेवाले शेयरधारक संकल्प के पक्ष या विपक्ष में अपना मत दे सकते हैं।

**11. INSTRUCTION FOR REMOTE E-VOTING FOR SHAREHOLDERS HOLDING SHARES IN PHYSICAL FORM AND SHAREHOLDERS OTHER THAN INDIVIDUAL SHAREHOLDERS HOLDING SHARES IN DEMAT FORM**

The details of the process and manner for remote e-voting are given below.

The initial pass word is provided in the body of the e-mail.

- i. Log-in-to for Remote e-voting portal at <https://evoting.kfintech.com>
- ii. Shareholders of the Bank holding shares as on the cut off date i.e. 09th June, 2023 may cast their vote electronically.
- iii. Enter the login credentials (i.e., user id and password mentioned in the notice of AGM). Your Folio No./DP ID & Client ID will be your user ID.
- iv. After entering the details appropriately, click on LOGIN.
- v. You will reach the Password change menu wherein you are required to mandatorily change your password. The new password shall comprise of minimum 8 characters with at least one upper case (A-Z), one lower case (e-z), one numeric value (0-9) and a special character. The system will prompt you to change your password and update any contact details like mobile, email etc. on first login. You may also enter the secret question and answer of your choice to retrieve your password in case you forget it. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.
- vi. You need to login again with the new credentials.
- vii. On successful login, the system will prompt you to select the EVENT i.e., UCO Bank. On the voting page, the number of shares (which represents the number of votes) held by you as on the cut-off date will appear. If you desire to cast all the votes assenting/dissenting to the resolution, enter all shares and click 'FOR'/'AGAINST' as the case may be or partially in 'FOR' and partially in 'AGAINST', but the total number in 'FOR' and/or 'AGAINST' taken together should not exceed your total shareholding as on the cut-off date. You may also choose the option 'ABSTAIN' and the shares held will not be counted under either head.
- viii. Cast your votes by selecting an appropriate option and click on 'SUBMIT'. A confirmation box will be displayed.
- ix. Corporate/institutional members (i.e. other than individuals, HUF, NRI, etc.) are required to send scanned image (PDF/ JPG format) of certified true copy of relevant board resolution/ authority letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorised signatory(ies) who is/are authorised to vote, to the Scrutinizer through email at [savitajyotiassociates05@gmail.com](mailto:savitajyotiassociates05@gmail.com) and may also upload the same in the e-voting module in their login. The scanned image of the above documents should be in the naming format 'UCO BANK\_EVENT No.'
- x. Those holding shares as on the Cut-off Date i.e. 09th June, 2023 can cast their vote in favour of or against the resolution.



- xi. पुष्टि के लिए 'OK' पर या संशोधन करने हेतु 'CANCEL' पर क्लिक करें। एक बार पुष्टि करने के बाद आपको अपने मत के पुनः संशोधन का मौका नहीं दिया जाएगा। मतदान अवधि के दौरान शेयरधारक कितनी भी बार लॉग इन कर सकते हैं, जब तक कि उन्होंने संकल्प पर मत न दे दिया हो।
- xii. कई फोलियो/डीमैट खाते वाले शेयरधारक प्रत्येक फोलियो/डीमैट खाते के लिए अलग से मतदान प्रक्रिया का चयन करेंगे।
- xiii. शेयरधारक द्वारा एक बार संकल्प पर अपना मत दे देने पर बाद में उसे पुनः संशोधित करने का मौका नहीं दिया जाएगा।
- xiv. वोटिंग के लिए पोर्टल 14 जून, 2023 को सुबह 9 बजे से 16 जून, 2023 को शाम 5 बजे तक खुला रहेगा।
- xv. इस संबंध में किसी भी जानकारी के लिए आप शेयरधारकों हेतु अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) तथा <https://evoting.kfintech.com> के डाउनलोड सेक्शन में शेयरधारकों के ई-वोटिंग यूजर मैनुअल का अवलोकन कर सकते हैं या केफिन टेक्नोलॉजिस प्राइवेट लिमिटेड को 1800 309 4001 (टोल फ्री) पर फोन कर सकते हैं।

## 12. ई-एजीएम के दौरान ई-वोटिंग हेतु सदस्यों के लिए निर्देश:

ई-एजीएम कार्यवाही के दौरान वीडियो स्क्रीन के बाएं कोने पर ई-वोटिंग 'थंब साइन' अध्यक्ष के निर्देश पर सक्रिय किया जाएगा। शेयरधारक उन्हें 'इंस्टापोल' पृष्ठ पर ले जाने के लिए उसी पर क्लिक करेंगे।

सदस्यों को संकल्प पृष्ठ पर पहुंचने के लिए 'इंस्टापोल' आइकन पर क्लिक करना है और संकल्प पर मतदान करने के लिए निर्देशों का पालन करना है।

केवल वे शेयरधारक, जो ई-एजीएम में उपस्थित हैं और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से संकल्प पर अपना मत नहीं डाला है और अन्यथा उन्हें ऐसा करने से वंचित नहीं किया गया है, वे ई-एजीएम के दौरान उपलब्ध ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मत डालने के लिए पात्र होंगे।

## 13. मतदान का परिणाम

बैंक ने मेसर्स सविता ज्योति, पेशेवर कंपनी सचिव को संवीक्षक के रूप से नियुक्त किया है जो अच्छे और पारदर्शी तरीके से दूरस्थ ई-मतदान तथा एजीएम में ई-मतदान प्रक्रिया के संचालन की देखरेख करेंगे।

संवीक्षक वार्षिक आम बैठक में मतदान के समापन के तुरंत बाद, वार्षिक आम बैठक के दौरान पहली बार डाले गए वोटों की गिनती करेगा तथा उसके बाद दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से डाले गए वोटों को अनब्लॉक करेगा तथा वार्षिक आम बैठक की समाप्ति के 48 घंटे के भीतर पक्ष या विपक्ष में डाले गए कुल मतों, यदि कोई हो, पर समेकित संवीक्षक रिपोर्ट अध्यक्ष या उसके द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत व्यक्ति को प्रस्तुत करेगा जो उसपर अपने प्रतिहस्ताक्षर करेंगे।

संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम को बैंक की वेबसाइट [www.ucobank.com](http://www.ucobank.com) पर तुरंत प्रदर्शित किया जाएगा। साथ ही साथ बैंक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड को परिणामों को अग्रेषित करेगा, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं।

## 14. अदत्त / अदावाकृत लाभांश

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10 ख के अनुसार यदि कोई राशि अदत्त लाभांश खाते में अंतरित की जाती है और ऐसे अंतरण की तारीख से सात वर्ष की अवधि तक अदत्त/

- xi. Click OK to confirm else CANCEL to modify. Once you confirm, you will not be allowed to modify your vote. During the voting period, shareholders can login any number of times till they have voted.
- xii. Shareholders holding multiple folios/demat account shall choose the voting process separately for each folios/demat account.
- xiii. Once the vote on the resolution is cast by the shareholder, he/she shall not be allowed to change it subsequently.
- xiv. The Portal will be open for voting from: 9 a.m. on 14th June, 2023 to 5 p.m. on 16th June, 2023.
- xv. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for shareholders and e-voting User Manual for shareholders available at the download section of <https://evoting.kfintech.com> or contact M/s KFin Technologies Ltd. on 1800 309 4001 (Toll free)

## 12. INSTRUCTIONS FOR MEMBERS FOR E-VOTING DURING THE E-AGM:

The e-voting "Thumb Sign" on the left hand corner of the video screen shall be activated upon instructions of the chairman during the e-AGM proceedings. Shareholders shall click on the same to take them to "instapoll" page.

The members to click on the "Instapoll" icon to reach the resolution page and follow the instructions to vote on the resolution.

Only those shareholders, who are present in the e-AGM and have not casted their vote on the Resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system available during the e-AGM.

## 13. VOTING RESULTS:

The Bank has appointed Ms. Savita Jyoti, Practising Company Secretary, as Scrutinizer who will oversee the conduct of the remote e-voting and e-voting at the AGM in a fair and transparent manner.

The Scrutinizer shall, immediately after the conclusion of voting at the Annual General Meeting, first count the votes cast during the Annual General Meeting, thereafter unblock the votes cast through remote e-voting and make, not later than 48 hours of conclusion of the Annual General Meeting, a consolidated Scrutinizer's Report of the total votes cast in favour or against, if any, to the Chairman or a person authorised by him in writing, who shall countersign the same.

The result declared along with the Scrutinizer's Report shall be placed on the Bank's website [www.ucobank.com](http://www.ucobank.com) under investor section immediately. The Bank shall simultaneously forward the results to National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited, where the shares of the Bank are listed.

## 14. Unpaid/Unclaimed Dividend

As per section 10B of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act 1970 any money which is transferred to unpaid dividend account and remains unpaid/unclaimed for a

अदावाकृत रहती है तो उसे कंपनी अधिनियम, 1956/2013 की धारा 205ग(1)/125 के तहत स्थापित "निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि" में अंतरित किया जाएगा।

बैंक ने अंतिम बार वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए लाभांश की घोषणा की है। बैंक ने पिछले वर्षों के सभी अदत्त/दावाकृत लाभांश को 'निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि' में स्थानांतरित कर दिया है।

### 15. शेयरों के हस्तांतरण के लिए अनिवार्य अमूर्तीकरण

अधिसूचना दिनांक 01.04.2019 के साथ पठित गजट अधिसूचना दिनांक 8 जून, 2018 द्वारा भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (विनियमन और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का सूचीकरण), विनियमन, 2015 के विनियमन 40 के संशोधन के अनुसरण में सभी शेयरों को दिनांक 1 अप्रैल, 2019 से ही अनिवार्य रूप से अमूर्तीकरण रूप में हस्तांतरित करना है।

तदनुसार, दिनांक 01.04.2019 से, कोई भी शेयर भौतिक रूप में हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। तथापि, उक्त प्रतिबंध प्रतिभूतियों के प्रसारण या हस्तांतरण के अनुरोधों पर लागू नहीं होता है।

उपरोक्त संशोधन के मद्देनजर, यूको बैंक के भौतिक शेयर रखने वाले बैंक के शेयरधारकों से एक बार फिर से अनुरोध किया जाता है कि वे अपने शेयरों को अमूर्तीकरणरूप में हस्तांतरित करें। शेयरधारक दोनों डिपॉजिटरी यथा नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड या सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड में किसी भी डिपॉजिटरी प्रतिभागी के माध्यम से डीमैट खाता खोल सकते हैं।

### 16. डाक पता/बैंक अधिदेश/अन्य विवरण में परिवर्तन

#### i. मूर्त रूप में धारित शेयर

सेबी के परिपत्र सं. सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/ एमआईआरएसडी-पीओडी-1/पी/सीआईआर/2023/37 दिनांक 16.03.2023 के अनुसार, भौतिक स्वरूप में शेयर रखनेवाले शेयरधारकों को अनिवार्य रूप से पैन, ई-मेल पता, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण और नामांकन विवरण बैंक/बैंक के शेयर अंतरण एजेंटों को प्रदान करना होगा।

उपर्युक्त सेबी परिपत्र को देखते हुए, भौतिक प्रतिभूतियाँ रखनेवाले शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे वैध पैन, ई-मेल पता, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण और नामांकन विवरण तुरंत निम्नांकित फार्मों में आरटीए को प्रदान करें।

period of seven years from the date of such transfer shall be transferred to "Investor Education and Protection Fund" established under section 205C(1)/125 of the Companies Act 1956/2013.

Bank has last declared dividend for the FY 2014-15. Bank has transferred all the unpaid/unclaimed dividend of previous years to "Investor Education and Protection Fund".

### 15. Mandatory Dematerialisation For Transfer of Shares

Pursuant to amendment to Regulation 40 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, vide gazette notification dated June 8, 2018 read with notification dated 01.04.2019, all the transfer of shares shall be mandatorily carried out in dematerialised form only w.e.f. April 1st, 2019

Accordingly, with effect from 01.04.2019, no shares can be transferred in physical form. However, above restriction do not apply for the requests for transmission or transposition of securities.

In view of the aforesaid amendment, the shareholders of the Bank, who are holding physical shares of UCO Bank, are once again requested to get their shares dematerialized. Shareholders can open a demat account in either of the two Depositories, viz. National Securities Depository Ltd., or Central Depository Services India Ltd through any of the depository participant.

### 16. CHANGE IN ADDRESS/BANK MANDATE/OTHER DETAILS

#### i. Holding of shares in Physical Form

As per SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD-1/P/CIR/2023/37 dated 16.03.2023, the shareholders holding shares in physical form shall mandatorily furnish PAN, e-mail address, mobile number, Bank account details and nomination details to the Bank/Share Transfer Agents of the Bank.

In view of the above SEBI circular, the shareholders holding physical securities are requested to furnish valid PAN, e-mail address, mobile number, Bank account details and nomination details immediately in the below mentioned forms to the RTA.

क्र.सं. S No.	फार्म Form	उद्देश्य Purpose
1.	फार्म आईएसआर-1 Form ISR-1	पैन/केवाईसी विवरण पंजीकरण/अद्यतन के लिए To register/update PAN, KYC details
2.	फार्म आईएसआर-2 Form ISR-2	बैंकर द्वारा प्रतिभूति धारक के हस्ताक्षर की पुष्टि के लिए To Confirm Signature of securities holder by the Banker
3.	फार्म आईएसआर-3 Form ISR-3	नामांकन का विकल्प छोड़ने का घोषणा पत्र Declaration Form for opting-out of Nomination
4.	फार्म एसएच-13 Form SH-13	नामांकन फार्म Nomination Form
5.	फार्म एसएच-14 Form SH-14	नामांकन का रद्द या बदलाव करना (यदि हो) Cancellation or Variation of Nomination (if any)

उपर्युक्त सभी फार्म बैंक की वेबसाइट [www.ucobank.com](http://www.ucobank.com) एवं आरटीए की वेबसाइट <https://www.kfintech.com> पर उपलब्ध हैं। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे विधिवत भरे गए अपने फार्म नीचे दिए गए पते पर भेजें:

All the above forms are available on the website of the Bank [www.ucobank.com](http://www.ucobank.com) and RTA website <https://www.kfintech.com>. Shareholders are requested to submit duly filled in forms to the address mentioned below:

<p>मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड (यूनिट यूको बैंक) सेलेनियम टावर बी, प्लॉट नं. 31 एवं 32 गचीबावली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद-500032. टोल फ्री: 1800-309-4001 ई-मेल: <a href="mailto:einward.ris@kfintech.com">einward.ris@kfintech.com</a></p>	<p><b>M/s. KFin Technologies Limited</b> (Unit UCO Bank) Selenium Tower B, Plot No. 31 &amp; 32 Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500032 Toll Free: 1800-309-4001 e-mail: <a href="mailto:einward.ris@kfintech.com">einward.ris@kfintech.com</a></p>
--	--

कृपया नोट करें कि जिन फोलियो में उपर्युक्त दस्तावेज/विवरण जैसे पैन, केवाईसी, नामांकन, बैंक खाता विवरण उपलब्ध/पंजीकृत नहीं हैं, उन्हें 1 अक्टूबर, 2023 के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

Please note that Folios wherein the above documents/details viz. PAN,KYC, Nomination, Bank A/c details are not available/registered, the same shall be frozen on or after 1st October 2023

## ii. शेयरों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारण करना

इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखनेवाले लाभार्जक मालिकों से अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी सहभागी के पास अपने पते, बैंक विवरण, यथा बैंक का नाम, शाखा का नाम, खाता संख्या, ईसीएस अधिदे, ई-मेल पते आदि अद्यतन करवा लें।

## ii. Holding of shares in Electronic Form

Beneficial owners holding shares in electronic form, are requested to update the address, Bank details i.e. Name of Bank, Name of Branch, Account Number, ECS Mandate, e-mail addresses etc. with their Depository Participant.

## 17. शेयर अंतरण एजेंटों के साथ पत्राचार

शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि अपने पंजीकृत पते या अन्य किसी प्रकार के विवरण में परिवर्तन से संबंधित सूचना, यदि कोई हो, डीमैट शेयरों के मामले में अपने निक्षेपागार सहभागी के माध्यम से एवं प्रत्यक्ष शेयरों के मामले में सीधे बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट को निम्नलिखित पते पर दें:

## 17. COMMUNICATION WITH SHARE TRANSFER AGENTS

Shareholders are requested to intimate changes, if any, in their registered address or any other particulars through their Depository Participant in case of DEMAT shares and directly in case of physical shares to the Registrar and Share Transfer Agent of the Bank at the following address :

मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजिस लिमिटेड,  
यूनिट: यूको बैंक,  
कार्बी सेलेनियम टावर बी, प्लॉट 31-32, गचीबावली,  
फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुडा, हैदराबाद - 500 032  
टोल फ्री नं. : 1800-309-4001

M/s KFin Technologies Limited,  
Unit : UCO BANK,  
Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli,  
Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500 032  
Toll Free No.1800-309-4001

ऑनलाइन पूछताछ/शिकायत के लिए बैंक के शेयरधारक मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजिस प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट [www.kfintech.com](http://www.kfintech.com) पर लॉग-इन करें और अपनी पूछताछ/शिकायत, यदि कोई हो, दर्ज कराने के लिए इन्वेस्टर सर्विसेस पृष्ठ पर क्लिक करें।

For on line queries/grievances, shareholders of the Bank may login on the website of M/s KFin Technologies Limited i.e., [www.kfintech.com](http://www.kfintech.com) and click on Investor Services page to register their queries/grievances, if any.

## 18. शेयर अनुभाग एवं निवेशक शिकायत कक्ष

शेयरधारकों को त्वरित एवं बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए बैंक ने अपने प्रधान कार्यालय, कोलकाता में निवेशक शिकायत कक्ष की स्थापना की है। शेयरधारक एवं किसी भी प्रकार की सहायता के लिए निम्नलिखित पते पर इस कक्ष से संपर्क कर सकते हैं:

## 18. SHARE SECTION & INVESTORS GRIEVANCE CELL

In order to facilitate quick and efficient service to the shareholders, the Bank has set up Investors Grievance Cell at its Head Office, Kolkata. Shareholders and investor may contact this Cell at the under mentioned address for any assistance :

श्री एन. पूर्ण चंद्र राव, कंपनी सचिव, शेयर अनुभाग एवं निवेशक शिकायत कक्ष, यूको बैंक, प्रधान कार्यालय: 2, इंडिया एक्सचेंज प्लेस (तीसरा तल), कोलकाता - 700 001 दूरभाष: 033-44557227

Shri N Purna Chandra Rao, Company Secretary, Share Section & Investors Grievance Cell, UCO Bank, Head Office : 2, India Exchange Place (3rd Floor), Kolkata - 700 001, Telephone : 033-44557227

निदेशक मंडल के आदेश से

By order of the Board of Directors

ह/-

sd/-

(सोमा शंकर प्रसाद)

(Soma Sankara Prasad)

प्रबंध निदेशक एवं

Managing Director &

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

Chief Executive Officer

स्थान: कोलकाता

Place: Kolkata

दिनांक: 24.05.2023

Date: 24.05.2023

## प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी का संदेश Managing Director & CEO's Message



### प्रिय शेयरधारको,

आपके बैंक द्वारा वर्ष 2022-23 के दौरान किए गए कार्यनिष्पादन और पहलों के मुख्य अंशों के साथ बैंक का वार्षिक प्रतिवेदन आपके सामने रखते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। बैंक ने वर्ष के दौरान 4,00,000 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार करके और अबतक का सबसे अधिक निवल लाभ दर्ज करते हुए अपनी गौरवशाली यात्रा के 80वें वर्ष का महोत्सव मनाया। महामारी से संबंधित वित्तीय सहायता उपायों को वापस लेने और मुद्रास्फीति पर लगाम लगाने के लिए नीतिगत दरों में बढ़ोतरी के बावजूद, बैंक ने अपना लचीलापन दिखाया और सभी तिमाहियों में लगातार लाभ कमाता रहा।

### आर्थिक अवलोकन:

वर्ष 2022-23 के दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था को महामारी और यूक्रेन में युद्ध के बाद के आर्थिक प्रभावों का सामना करना पड़ा। लगभग सभी देशों ने आसमान छूती मुद्रास्फीति देखी। केंद्रीय बैंकों ने मुद्रास्फीति पर लगाम लगाने के लिए मौद्रिक नीतियों की तेजी से सामान्यीकरण का सहारा लिया, जिससे कम विकास, कम निवेश वाले युग की शुरुआत हुई। उन्नत अर्थव्यवस्था में वैश्विक वित्तीय बाजार अत्यधिक अस्थिर बने हुए हैं। अधिकांश उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण पूंजी का बहिर्वाह होता रहा। आईएमएफ ने 2022 में वैश्विक विकास दर 3.4 प्रतिशत से कम होकर 2023 में 2.8 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है।

विकास में नरमी के कुछ संकेतों के बावजूद घरेलू अर्थव्यवस्था लगातार आघात सहनीय बनी हुई है। 2022-23 के दौरान वास्तविक जीडीपी में वृद्धि 2021-22 में 8.7% की तुलना में 7.00% अनुमानित है। सरकार के पूंजी व्यय बढ़ाने से हुई मजबूत निवेश गतिविधि और उच्छल निजी खपत ने विकास को आधार मिला।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान खुदरा महंगाई दर भारतीय रिजर्व बैंक की सहनशीलता सीमा को पार कर गई है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में मुद्रास्फीति लगभग 6.7 प्रतिशत के औसत से अधिक बनी रही, लेकिन सेवा निर्यात में मजबूत वृद्धि और वैश्विक कमोडिटी की कीमतों में कमी के कारण चालू-खाता घाटा तीसरी तिमाही में संकुचित हो गया। मूल्य स्थिरता के लिए एक गंभीर जोखिम को भांपते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर

### Dear Shareholders,

It is great pleasure for me to place before you the Annual Report of your Bank along with highlights of performance and initiatives taken up by the Bank during the year 2022-23. During the year, Bank has celebrated its 80th year of its glorious journey by clocking business over Rs.4,00,000 crores and registering all time high net profit. Despite withdrawal of pandemic-related fiscal support measures and hike in policy rates to rein in inflation, Bank showed its resilience and continued to post profits consistently in all the quarters.

### Economic Overview:

During the year 2022-23 global economies confronted with the economic aftereffects of pandemic and the war in Ukraine. Almost all the countries witnessed skyrocketing inflation. Central Banks resorted to rapid normalization of monetary policies to rein in inflation which has ushered into a low-growth, low-investment era. Global financial markets in advanced economies remain highly volatile. Most emerging market economies continued to witness significant capital outflows. IMF has projected Global growth to slow from 3.4 percent in 2022 and to 2.8 percent in 2023.

Domestic economy continues to be resilient despite some signs of moderation in growth. The growth in real GDP during 2022-23 is estimated at 7.00% as compared to 8.7% in 2021-22. Growth was underpinned by strong investment activity bolstered by the government's capex push and buoyant private consumption.

Retail inflation has crossed the upper limit of RBI's tolerance band during FY 2022-23. Inflation remained high, averaging around 6.7 percent in FY22-23 but the current-account deficit narrowed in Q3 on the back of strong growth in service exports and easing global commodity prices. Sensing a serious risk to price stability, RBI implemented the monetary tightening cycle

में समय-समय पर बढ़ोतरी के साथ मौद्रिक नियंत्रण सख्ती चक्र चलाया जिसके कारण उधार और जमा दरों में वृद्धि हुई।

जबकि वैश्विक सख्ती चक्र ने वैश्विक दृष्टिकोण को कम करने में योगदान दिया है, ऋण के लिए घरेलू वहन क्षमता में वृद्धि हुई है। अप्रैल 2022 से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) का गैर-खाद्य ऋण उठाव दो अंकों में बढ़ रहा है, यह वृद्धि व्यापक आधार की है।

### बैंक का कार्यनिष्पादन

बैंक का वैश्विक कारोबार 31.03.2022 के 3,53,850 करोड़ रुपये में 16.14% की वृद्धि दर्ज करते हुए 31.03.2023 को 4,10,967 करोड़ रुपये रहा, जो अच्छी तरह से कार्यान्वित लक्ष्य-केंद्रित कार्यनीति का परिणाम था।

बैंक की कुल जमा राशि 31.03.2022 के 2,24,073 करोड़ रुपये में 11.28% की वृद्धि दर्ज करते हुए बढ़कर 31.03.2023 को 2,49,338 करोड़ रुपये हो गई। बैंक का कासा (घरेलू) 31.03.2023 को बैंक की घरेलू जमा राशि का 37.82% है। बैंक की बचत जमा (घरेलू) 31.03.2022 को 77,037 करोड़ रुपये में 5.17% की वृद्धि दर्ज करते हुए बढ़कर 31.03.2023 को 81,017 करोड़ रुपये हो गई है। बैंक का कुल अग्रिम 31.03.2022 को 1,29,777 करोड़ रुपये की तुलना में 31.03.2023 को 1,61,629 करोड़ रुपये रहा, जिसमें 24.54% की वृद्धि दर्ज की गई।

बैंक ने 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के 930 करोड़ रुपये की तुलना में 100.30% की वृद्धि दर्ज करते हुए 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के दौरान 1862 करोड़ रुपये का निवल लाभ प्राप्त किया। बैंक का परिचालन लाभ 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए 4341 करोड़ रुपये रहा।

बैंक की निवल ब्याज आय 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के 6473 करोड़ रुपये में 13.44% की वृद्धि दर्ज करते हुए 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए बढ़कर 7343 करोड़ रुपये हो गई है।

बैंक का सकल एनपीए 31.03.2022 के 10,237 करोड़ रुपये (7.89%) से घटकर 31.03.2023 को 7726 करोड़ रुपये (4.78%) हो गया है। बैंक का निवल एनपीए 31.03.2022 के 3316 करोड़ रुपये (2.70%) से घटकर 31.03.2023 को 2018 करोड़ रुपये (1.29%) हो गया है। बैंक का प्रावधान कवरेज अनुपात 31.03.2022 के 91.44% से बढ़कर 31.03.2023 को 94.50% हो गया है।

बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 31.03.2023 को 16.51% और सीईटी-1 अनुपात 13.51% है, जबकि 31.03.2022 को पूंजी पर्याप्तता अनुपात 13.74% और सीईटी-1 अनुपात 10.97% था। बैंक ने पूंजी पर्याप्तता को मजबूत करने के लिए 17 मार्च, 2023 को कुल 500 करोड़ रुपये के एटी-1 बॉन्ड जुटाए।

### वित्तीय वर्ष 2022-23 में शुरु की गई पहल

#### डिजिटल क्षमता में वृद्धि

डिजिटल रूपांतरण के अंतर्गत बैंक ने ग्राहकों को अधिक सुविधाजनक और सहज बैंकिंग अनुभव के साथ डिजिटल सेवाओं का विस्तार करने के लिए कई सुविधाएँ उपलब्ध कराईं। मोबाइल बैंकिंग ऐप को यात्रा, ई-मार्केट प्लेस आदि के एकीकरण जैसी सुविधाओं से समृद्ध किया गया है, बैंक ने ग्राहकों की प्राथमिकताओं को देखते हुए अपने उत्पादों और प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने के लिए कई तकनीकी पहल की हैं।

फिनटेक कंपनियों के साथ जुड़ने से बैंक को नए ग्राहकों तक पहुंचने, लागत बचाने और डिजिटल क्षमताओं को बढ़ाकर रिटेल नेटवर्क को व्यापक बनाने में सुविधा हुई है। डिजिटल मर्चेन्ट ऑनबोर्डिंग, UPI123, ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस आदि जैसी पहलों को सुविधाजनक बनाने के लिए बैंक ने फिनटेक कंपनियों को अपने साथ लिया है। बैंक ग्राहक से प्रसंस्करण केंद्र तक संपूर्ण डिजिटल लीड प्रबंधन प्रणाली के विकास की प्रक्रिया में है।

with periodical hikes in repo rate which led to increase of lending and deposit rates.

While the global tightening cycle has contributed to a dampened global outlook, the domestic appetite for credit has been on an upswing. Non-food credit offtake by scheduled Commercial Banks (SCBs) has been growing in double digits since April 2022, with the increase being broad-based.

### Bank's Performance:

Global Business of the Bank has stood at Rs. 4,10,967 Crore as on 31.03.2023 against Rs. 3,53,850 Crore as on 31.03.2022 registering a growth of 16.14% as a result of well executed focussed strategy.

Total Deposits of the Bank increased to Rs.2,49,338 Crore as on 31.03.2023 from Rs. 2,24,073 Crore as on 31.03.2022 registering a growth of 11.28%. CASA of the Bank (Domestic) stood at 37.82% to domestic deposits of the Bank as on 31.03.2023. Savings Deposits (Domestic) of the Bank has increased to Rs.81,017 Crore as on 31.03.2023 from Rs.77,037 Crore as on 31.03.2022 registering a growth of 5.17%. Total Advances of the Bank stood at Rs 1,61,629 Crore as on 31.03.2023 as against Rs 1,29,777 Crore as on 31.03.2022 registering a growth of 24.54%.

Bank has made Net Profit of Rs.1862 Crore during the year ended 31.03.2023 as against Rs. 930 Crore for the year ended 31.03.2022 registering a growth of 100.30%. Operating Profit of the Bank for the year ended 31.03.2023 stood at Rs 4341 Crore.

Net Interest Income of the Bank for the year ended 31.03.2023 has increased to Rs.7343 Crore from Rs 6473 Crore for the year ended 31.03.2022 registering a growth of 13.44%.

Gross NPA of the Bank has reduced to Rs 7726 Crore (4.78 %) as on 31.03.2023 from Rs. 10,237 Crore (7.89%) as on 31.03.2022. Net NPA of the Bank has reduced to Rs 2018 Crore (1.29%) as on 31.03.2023 from Rs 3316 Crore (2.70%) as on 31.03.2022. Provision Coverage Ratio of the Bank has increased to 94.50% as on 31.03.2023 from 91.44% as on 31.03.2022.

Capital Adequacy Ratio of the Bank stood at 16.51 % and CET-I Ratio at 13.51% as on 31.03.2023 vis-à-vis Capital Adequacy Ratio of 13.74 % and CET-I Ratio of 10.97% as on 31.03.2022. Bank raised AT-1 Bonds aggregating to Rs.500 crores on 17th March, 2023 to strengthen capital adequacy.

### Initiatives taken up in FY 2022-23:

#### Enhancing Digital Capabilities:

As a part of Digital transformation, Bank added several features to extend digital services to the customers with more convenient and seamless banking experiences. Mobile banking app has been enriched with the features like integration of travels, E-market places etc., Bank has taken several technological initiatives to improve its products and processes to cope up with customer preferences.

Partnering with Fintech companies facilitates the Bank to tap new customers, saving on costs and broadens retail network through enhancing digital capabilities. Bank has on boarded Fintech companies to facilitate initiatives viz Digital Merchant Onboarding, UPI123, E-commerce market place, etc. Bank is in the process of development of End-to-End Digital Lead Management system from customer to processing center.



अब न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप से एक छोर से दूसरे छोर तक डिजिटल ऋणदान प्लेटफॉर्म स्थापित है जिसमें ऋण के लिए आवेदन, केवाईसी सत्यापन, योजना के दिशा-निर्देशों पर पात्रता-आधारित जांच, स्वीकृति, डिजिटल दस्तावेज़ निष्पादन (ई-स्टाम्पिंग और ई-हस्ताक्षर) और ऋण का संवितरण किया जा रहा है।

### रिटेल सेगमेंट को बढ़ावा देना

ग्राहकों की प्राथमिकताओं के अनुरूप रिटेल उत्पादों में नई विशेषताएं जोड़ी गईं। महत्वपूर्ण स्थानों पर रिटेल ऋण केन्द्रों को खोलना, शाखा प्रमुखों की संस्वीकृति शक्तियों में वृद्धि, ब्याज की दर को ग्राहकों की जोखिम प्रोफाइल से जोड़ना, विशेष अवसरों पर प्रसंस्करण प्रभार में छूट आदि रिटेल उत्पादों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए किए गए कुछ उपाय हैं।

बैंक ने रिटेल सेगमेंट के विस्तार के लिए मुथूट फिनकोर्प लिमिटेड, आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड और कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के साथ सह-ऋणदान समझौता किया है। बैंक ने स्वर्ण ऋण पोर्टफोलियो को बढ़ाने के लिए 35 शाखाओं को गोल्ड बुटीक के रूप में चिन्हित किया है। गोल्ड बुटीक में स्वर्ण ऋण प्राप्त करने के लिए ब्रांडिंग, सुरक्षा और बचाव, ग्राहकों के लिए बैठने की व्यवस्था और टर्न अराउंड टाइम पर विशेष ध्यान दिया गया है।

### राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को पूरा करना

बैंक राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के तहत विभिन्न लक्ष्यों को पूरा करने को अत्यंत महत्व देता है। कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम 63,803.53 करोड़ रुपये है, जो कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देने में 40% मानदंड की तुलना में समायोजित नेट बैंक क्रेडिट (एएनबीसी) का 51.35% है। बैंक का कुल कृषि ऋण 25,317 करोड़ रुपये है जो कृषि ऋण देने के 18% मानदंड की तुलना में एएनबीसी का 20.37% है। कमजोर वर्ग के लिए अग्रिम 31 मार्च 2023 तक 17730 करोड़ रुपये है, जो कमजोर वर्ग को ऋण देने में 12% मानदंड की तुलना में एएनबीसी का 14.27% है।

कृषि संबंधी अग्रिमों को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान आयोजित प्रमुख अभियान हैं: "कृषि कारोबार शिविर", "कृषि उत्सव" अभियान, "कृषि शक्ति 2.0", "मिशन लक्ष्य", "बेस्ट" अभियान।

### एमएसएमई को उधार

रोजगार सृजन और निर्यात वृद्धि का अनुसमर्थन करने की वजह से एमएसएमई ऋणदान एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र है। बैंक ने एमएसएमई की उभरती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान अनुकूलित नए एमएसएमई उत्पाद यूको जीएसटी मित्र, संशोधित पीएमईजीपी योजना, यूको एमएसएमई स्वर्ण ऋण, यूको कॉन्ट्रैक्टर योजना और एमएसएमई प्रॉपर्टी ऋण की शुरुआत की है। बैंक ने 50,000 रुपये तक के शिशु मुद्रा ऋण का लाभ उठाने के लिए संपूर्ण डिजिटलीकरण की शुरुआत करके प्रक्रियाओं को सरल बना दिया है, जिससे छोटे उधारकर्ताओं को शाखा में आए बिना बैंक से ऋण शीघ्र प्राप्त करने की सुविधा मिलती है। इक्कीस एमएसएमई योजनाओं को ऋण प्रसंस्करण प्रणाली (एलपीएस) में एकीकृत किया गया है, जिससे बेहतर ऋण हामीदारी अंकन (केडिट अंडरराइटिंग) तथा एमएसएमई ऋणों की तेजी से प्रसंस्करण को सक्षम किया गया है और 10.00 लाख रुपये तक के एमएसएमई नकदी ऋण खाते के स्वतः (ऑटो) नवीनीकरण प्रणाली को भी लागू किया गया है।

TReDS कारपोरेट खरीदारों से एमएसएमई के व्यापार प्राप्य राशि के चालान छूट के माध्यम से एमएसएमई के लिए नकदी प्रवाह में सुधार करने के लिए स्थापित एक संस्थागत तंत्र है। TReDS प्लेटफॉर्म पर बैंक का कारोबार 31.03.2022 के 50.61 करोड़ रुपये से कई गुना बढ़कर 31.03.2023 को 413.62 करोड़ रुपये हो गया। इसमें 717.26% की वृद्धि दर्ज की गई है।

### उपलब्धियाँ एवं पुरस्कार

बैंक ने इस वर्ष अपनी यात्रा के 80 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया। इसकी सभी शाखाओं में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। भारत की

End-to-End Digital Lending Platform, in which applying for loan, KYC validation, eligibility-based check on the scheme guidelines, sanction, digital document execution (e-stamping & e-signing) and disbursement of the loan happens with minimum manual intervention.

### Boosting Retail Segment

Features of retail products were enhanced to meet the customer preferences. Opening of Retail Loan hubs at strategic locations, increasing sanctioning powers for branch heads, linking rate of interest to risk profile of customers, waiver of processing charges on special occasions are few of the measures taken to make the retail products more competitive.

Bank has entered into co-lending tie ups with Muthoot Fincorp Ltd., Aadhar Housing Finance Ltd, IIFL Finance Ltd and Capri Global Housing Finance Ltd., for expanding retail segment. In order to augment gold loan portfolio, Bank had identified 35 branches as Gold Boutiques. Special focus was placed upon branding, safety & security, seating arrangement for customers and Turn Around Time for availing Gold Loans in Gold Boutiques.

### Accomplishing National Priorities

Bank accords utmost importance to meet various goals under national priorities. Total Priority Sector Advance is Rs.63,803.53 Crore which constitutes 51.35 % of Adjusted Net Bank Credit (ANBC) against 40% norm in lending to total priority. Total Agriculture Advances of the Bank is Rs.25,317 Cr which constitutes 20.37 % of ANBC against 18% norm in lending to agriculture. Advances to Weaker Section stood at Rs.17730 Cr as of 31st March 2023 consisting 14.27% of ANBC against 12 % norm in lending to weaker section.

"Agriculture Business Camp", "Agri Fest" Campaign, "Krishi Shakti 2.0", "Mission Lakshya", "BEST" Campaign are the major Campaigns held during FY 2022-23 to boost agricultural related advances.

### Lending to MSME

MSME Lending is another thrust area, as the sector supports employment generation and export growth. Bank has introduced customized new MSME Products namely UCO GST Mitra, Modified PMEGP Scheme, UCO MSME Gold Loan, UCO Contractor Scheme and MSME Property Loan during the FY 2022-23 to cater emerging requirements of MSMEs. Bank has simplified the processes by introduction of end-to-end digitalization for availing Shishu Mudra Loan up to Rs.50,000 which facilitates small borrowers to avail quick loans from bank without visiting Branch. Twenty-One MSME Schemes integrated in Loan Processing System (LPS) thereby enabling better credit underwriting and fast processing of MSME loans and also implemented auto renewal of MSME cash credit account up to Rs.10.00 Lacs.

TReDS is an institutional mechanism set up to improve cash flows for MSMEs through invoice discounting of trade receivables of MSMEs from corporate buyers. Bank business on TReDS platforms has increased manifold from Rs. 50.61 Crores as on 31.03.2022 to Rs. 413.62 Cr as on 31.03.2023 registering a Growth of 717.26%.

### Milestones & Awards

Bank has celebrated completion of 80 years of its journey during the year. Several programs has been organized at all of

माननीया राष्ट्रपति, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 28 मार्च, 2023 को कोलकाता में आयोजित समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर माननीया राष्ट्रपति ने बैंक की 50 नई शाखाओं का आभासी (वर्चुअल) उद्घाटन किया।

बैंक ने वर्ष 2021-22 में “राजभाषा कीर्ति पुरस्कार” - प्रथम पुरस्कार जीतने की यात्रा को जारी रखी है जो भारत सरकार द्वारा बैंक में राजभाषा नीति के सर्वोत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है।

यूको बैंक को 08 सितंबर, 2022 को ईआईआईएलएम-कोलकाता टाइम्स एसेट द्वारा आयोजित “ईस्टर्न इंडिया बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड्स 2022” से सम्मानित किया गया और श्री मनीष कुमार, महाप्रबंधक, मानव संसाधन प्रबंधन, प्रशिक्षण, कार्मिक सेवा एवं राजभाषा को “द ईस्टर्न इंडिया टॉप मोस्ट एचआर लीडर्स” पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

#### आगे का मार्ग

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान बैंक ने बेहतर कार्यनिष्पादन का क्रम जारी रखा है। बैंक ने 1862 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर को छूते हुए निवल लाभ में 100.30% की मजबूत वृद्धि दर्ज की है। आगे बढ़ते हुए, हमारा ध्यान चालू जमाओं पर विशेष ध्यान देने के साथ कम लागत वाली जमाशियों के संसाधनों को जुटाकर मार्जिन में सुधार करने पर रहेगा। ऋण देने के क्षेत्र में रैम और मिड कॉर्पोरेट सेगमेंट को ऋण देने पर जोर दिया जाएगा।

बैंक ने एमएसएमई की उभरती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चालू वर्ष के दौरान कई एमएसएमई उत्पादों की शुरुआत की है। बैंक अपने अधिकांश एमएसएमई और रिटेल उत्पादों के लिए संपूर्ण डिजिटलीकृत ऋण देने के लिए अपनी प्रक्रियाओं का उन्नयन कर रहा है। बैंक कृषि ऋण देने में प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए फिनटेक कंपनियों के साथ भागीदारी करने की प्रक्रिया में है।

हालांकि वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान आरिस्त गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ, लेकिन निगरानी और वसूली तंत्र को मजबूत के साथ वसूली के उपायों को तेज करने और सरलीकृत ओटीएस योजनाओं को लोकप्रिय बनाकर नए स्लिपेज को रोकने पर ध्यान देना जारी रखना होगा।

बैंक ने मानव संसाधन परिवर्तन पहलों के माध्यम से निरंतर लाभप्रदता के लिए कार्यनिष्पादन प्रबंधन प्रणाली और प्रतिभा प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 और उसके बाद भी डिजिटल तकनीक का लाभ उठाकर सभी व्यावसायिक क्षेत्रों में विकास की गति को बरकरार रखने के बारे में बैंक का प्रबंधन अत्यधिक आश्वस्त है।

#### आभार

मैं, बोर्ड के सभी सदस्यों को हमारे प्रयासों में प्रबंधन को दिए गए बहुमूल्य समर्थन और मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक को भी समय-समय पर दिए गए उनके समर्थन और मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं अपने निष्ठावान ग्राहकों, हमारे समर्पित कार्यबल, हमारे मूल्यवान हितधारकों के अक्षत विश्वास और बैंक के सभी प्रयासों में उनके समर्थन के लिए भी उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा।

शुभकामनाओं सहित,

(सोमा शंकर प्रसाद)

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

its branches. Hon'ble President of India, Smt. Draupadi Murmu graced the celebrations held at Kolkata on 28th March, 2023. On the occasion, Hon'ble President virtually inaugurated 50 new branches of the Bank.

UCO Bank has continued its Journey towards winning of "Rajbhasha Kirti Puraskar" - First Prize for the year 2021-22, which is the highest award given by Government of India in the field of official language for implementation of Official Language in the Bank.

UCO Bank was conferred "THE EASTERN INDIA BEST EMPLOYER BRAND AWARDS 2022" organized by EIIILM-Kolkata Times Ascent on 08th September, 2022 and Shri Manish Kumar, General Manager, HRM, Training, PSD & OL was awarded "The Eastern India Top Most HR Leaders"

#### Way forward

Bank has continued to show improvised performance during the FY 2022-23. Bank has recorded robust growth of 100.30% in net profit touching record level of Rs. 1862 Crore. Going forward, our focus will be to improve margins by garnering the resources of low-cost deposits with particular focus on current deposits. On lending front, thrust will be on increased lending to RAM & Mid corporate segment.

Bank has introduced several MSME products during the current year to cater emerging requirements of MSMEs. Bank is upgrading its processes for end-to-end digitalized lending of most of its MSME and Retail products. Bank is in the process to partnership with Fintech companies to leverage technology for Agri Lending.

Though asset quality showed significant improvement during the FY 2022-23, focus continued to remain to arrest fresh slippages by strengthening monitoring and collection mechanism along with intensifying recovery measures and popularizing simplified OTS schemes.

Bank has laid specific focus on performance management System and Talent Management for sustained profitability through HR transformation initiatives.

The Bank's management is highly confident about continuing growth momentum across all business segments by leveraging the digital technology in financial year 2023-24 and beyond.

#### Acknowledgments

I thank all members of the Board for their valuable support and guidance to the Management in our endeavors. I also thank the Department of Financial Services, Ministry of Finance and Reserve Bank of India for their support and guidance from time to time. I would also like to acknowledge the unstinted support of our loyal customers, our dedicated workforce, our valuable stakeholders for their continued confidence and support to the bank in all its endeavors.

With best wishes,

(Soma Sankara Prasad)

Managing Director & CEO

*Visit of Hon'ble President of India on the event of 80<sup>th</sup> Foundation day of UCO Bank at Kolkata.*





Vigilance Awareness Week (31<sup>st</sup> October to 6<sup>th</sup> November 2022)





## Awards received by the Bank

Thank You  
Customers & Stakeholders



UCO Bank wins **उत्कर्ष पुरस्कार**  
(Ministry of Electronics and Information  
Technology, Government of India)

**2nd Highest Percentage of Digital  
Payment Transactions**

In the category of Small & Micro Banks – Public Sector Bank

Thank You  
Customers & Stakeholders



UCO Bank wins **प्रतिष्ठा पुरस्कार**  
(Ministry of Electronics and Information  
Technology, Government of India)

**Achieving Target with Highest Percentage in  
BHIM-UPI Transactions – Public Sector Bank**

राजभाषा कीर्ति पुरस्कार 2021-22  
(राष्ट्रीयकृत बैंको/वित्तीय संस्थानों के लिए)  
**प्रथम पुरस्कार**  
**यूको बैंक**





## Inauguration of Executive Training Centre at New Town, Kolkata



कार्यपालक प्रशिक्षण केंद्र  
न्यू टाउन, कोलकाता  
का उद्घाटन  
श्री सोमा शंकर प्रसाद  
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य  
कार्यपालक अधिकारी  
दिनांक: 06 जनवरी, 2023  
गुरिग्रामपी उपस्थिति  
श्री इशराक अली खान  
कार्यपालक निदेशक  
श्री राजेंद्र कुमार साहू  
कार्यपालक निदेशक

Executive Training Centre  
New Town, Kolkata  
Inaugured by  
Sri Soma Sankara Prasad  
Managing Director & Chief  
Executive Officer  
on 6<sup>th</sup> January, 2023  
August Presence  
Sri Jehraq Ali Khan  
Executive Director  
Sri Rajendra Kumar Saboo  
Executive Director



# Snapshots of Credit Outreach/Awareness Programmes conducted by the Bank



# निदेशक मंडल की रिपोर्ट : 2022-23

## REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS : 2022-23

निदेशक मंडल द्वारा निदेशकों की रिपोर्ट 2022-23 के साथ 31 मार्च 2023 की अवधि के लिए तुलनपत्र तथा 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लाभ व हानि लेखा को सहर्ष प्रस्तुत की जा रही है।

### वित्तीय कार्यनिष्पादन

बैंक ने वर्ष के दौरान उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन किया है और 100.30% की वृद्धि दर्ज करते हुए 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के 929.76 करोड़ रुपये के निवल लाभ की तुलना में 31.03.2023 को समाप्त वर्ष में 1862.34 करोड़ रुपये का निवल लाभ कमाया है। परिचालन लाभ 31.03.2022 के 4,797.43 करोड़ रुपये की तुलना में 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए 4,340.67 करोड़ रुपये रहा। बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के अनुपालन में बैंक ने चालू वर्ष के लाभ का 25% रु. 465.58 करोड़ सांविधिक आरक्षित निधि में अंतरण किया है।

सकल एनपीए 31.03.2022 को 10,237.43 करोड़ रुपये (7.89%) से घटकर 31.03.2023 को 7,726.46 करोड़ रुपये (4.78%) हो गया है। कुल आय 31.03.2022 को समाप्त पिछले वर्ष की तुलना में 11.49% की वृद्धि दर्ज करते हुए 31.03.2023 को समाप्त वर्ष में 20,158.98 करोड़ रुपये हो गया है। बैंक का प्रावधान कवरेज अनुपात 31.03.2022 के 91.44% से बढ़कर 31.03.2023 को 94.50% हो गया है।

31.03.2023 को वित्तीय कार्यनिष्पादन संकेतकों की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:-

The Board of Directors have pleasure in presenting the Directors Report-2022-23 together with the Balance Sheet as on 31st March, 2023 and Profit & Loss Account for the financial year ended 31st March, 2023.

### FINANCIAL PERFORMANCE

Bank has shown excellent performance during the year and has made net profit of Rs.1862.34 crore during the year ended 31.03.2023 as against Net Profit of Rs.929.76 crore for the year ended 31.03.2022 registering growth of 100.30%. Operating Profit for the year ended 31.03.2023 stood at Rs. 4,340.67 Crore from Rs. 4,797.43 Crore as on 31.03.2022. Bank has transferred Rs. 465.58 crore, 25% of current year profit to statutory reserve fund in compliance with Banking Regulation Act 1949.

Gross NPA has reduced to Rs. 7,726.46 Crore (4.78 %) as on 31.03.2023 from Rs. 10,237.43 Crore (7.89 %) as on 31.03.2022. Total income stood at Rs. 20,158.98 Crore for the year ended 31.03.2023 registered a growth of 11.49% over the previous year ended 31.03.2022. Provision Coverage Ratio of the Bank has increased to 94.50 % as on 31.03.2023 from 91.44 % as on 31.03.2022.

Following are the highlights of financial performance indicators as on 31.03.2023.

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण/Particulars	31.3.2022 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2022	31.3.2023 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2023
जमा/ Deposits	2,24,072.90	2,49,337.74
उसमें से अंतरराष्ट्रीय जमा Of which International Deposits	6,353.21	8,597.03
घरेलू जमा/ Domestic Deposits	2,17,719.69	2,40,740.71
उसमें से चालू खाता जमा Of which - Current Account Deposits	10,624.33	10,628.21
बचत बैंक जमा/ Savings Bank Deposits	77,036.91	81,095.92
कासा जमा (घरेलू)/CASA Deposits (Domestic)	87,661.24	91,054.36
घरेलू कासा से घरेलू जमा (%) Domestic CASA to Domestic Deposits(%)	40.26	37.82
अग्रिम/Advances	1,29,777.34	1,61,629.45
उसमें से घरेलू अग्रिम Of which - Domestic Advances	115598.38	1,39,431.95

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण/Particulars	31.3.2022 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2022	31.3.2023 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2023
अंतरराष्ट्रीय अग्रिम/International Advances	14178.96	22,197.50
कुल आस्ति/Total Assets	2,67,784.02	3,00,862.99
निवल ब्याज आय (एनआईआई)/Net Interest Income (NII)	6,473.00	7,343.13
अन्य आय/Other Income	3,101.00	2,508.46
उसमें से व्यवसायिक लाभ/Of which - Trading gains	875.00	375.53
एनआईआई + अन्य आय/NII + Other Income	9,574.00	9,851.58
परिचालन लाभ/Operating Profit	4,797.00	4,340.67
कर के अतिरिक्त अन्य प्रावधान/Provisions other than tax	3,047.07	1,435.56
एनपीए और अशोध्य ऋणों को बड़े खाते में डालने हेतु प्रावधान Provision for NPAs and Bad debts written off	3,827.41	1,353.17
कर पूर्व लाभ/Profit before Tax	1,750.37	2,905.11
कर हेतु प्रावधान/Provision for Tax#	820.60	1,042.77
कुल लाभ/Net Profit	929.76	1,862.34
# उसमें से डीटीए/of which DTA	817.71	1,011.07

प्रमुख कार्यनिष्पादन संकेतक Key Performance Indicators	वित्तीय वर्ष 2022 FY 2022	वित्तीय वर्ष 2023 FY 2023
निधि की लागत/Cost of Funds	3.12%	3.43%
अग्रिम पर प्रतिफल/Yield on advances	7.03%	7.46%
निवल ब्याज मार्जिन/Net Interest Margin	2.81%	2.87%
लागत-आय अनुपात/Cost-Income Ratio	49.89%	55.94%

**पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर)/Capital Adequacy Ratio (CAR)**

विवरण/Particulars	As on 31.03.2022/तक	As on 31.03.2023/तक
पूंजी पर्याप्तता अनुपात-बेसल III/ Capital Adequacy Ratio- Basel III	13.74	16.51
सीईटी/CET-I	10.97	13.51
टियर/Tier I	10.97	13.96
टियर/Tier II	2.77	2.55

## प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण :

### वैश्विक अर्थव्यवस्था :

वर्ष 2022 की वैश्विक अर्थव्यवस्था के अनियमित प्रदर्शन में, आर्थिक अस्थिरताओं में हुई बढ़ोतरी ही उजागर हुई है। जारी रूस-यूकेन संघर्ष से उपजे विश्वव्यापी मुद्रास्फीतिक विस्तार का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा है। मुद्रास्फीति रोकने के लिए फेडरल रिज़र्व के नेतृत्व में अर्थव्यवस्थाओं के केंद्रीय बैंक (सेन्ट्रल बैंक) ने सिक्रोनाइज़्ड पॉलिसी दर वृद्धि का स्ख अख्तियार किया है।

वैश्विक अर्थव्यवस्था के क्रमशः वर्ष 2023 में 2.8% और वर्ष 2024 में 3.0% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। अग्रिम अर्थव्यवस्था में वर्ष 2023 में 1.3% और वर्ष 2024 में 1.4% दर से वृद्धि मानी जा रही है। उभरती हुई बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाएँ वर्ष 2022 में 4.0% की दर से बढ़ीं और क्रमशः 2023 एवं 2024 के दौरान 3.9% और 4.2% की दर से बढ़ने का अनुमान है। वर्ष 2023-24 के दौरान निम्न आयवाली विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 5.1% की दर से बढ़ना अपेक्षित है। वर्ष 2023 में वैश्विक मुद्रास्फीति 7.0% होने का पूर्वानुमान लगाया गया है। वैश्विक व्यापार की परिमाण वृद्धि में वर्ष 2022 के 5.1% की तुलना में वर्ष 2023 में 2.4% की कमी आने का अंदेश है। इसका कारण है वैश्विक मांग का मंदा पड़ना और महामारी विस्फोट, जिसे यूकेन युद्ध ने और भी तेजी से असर किया है। कई देशों में वास्तविक ब्याज दर की वृद्धि के चलते आनेवाले महीनों में वित्त क्षेत्र अत्यधिक असुरक्षित बना रहेगा।

वैश्विक वित्तीय स्थितियों में मध्य मार्च 2023 में कड़की हो गई। यूएस और जर्मनी के 2 वर्षों का लाभार्जन क्रमशः 2007 और 2008 के बाद, अब जाकर अपने उच्चतम स्तर पर पहुँचा। इक्विटी बाजार में यूएस-एस एंड पी 500, कम उग्र यूएस-प्रभावी कार्यकलाप के अनुमान पर आमतौर से संभला रहा। यूरोपियन स्टॉक बाजार ने मंदी की घटती चिंताओं के मद्देनजर यूएस बाजार पर बढ़त हासिल की। ईएमई इक्विटी ने विकसित बाजारों की ही भांति लाभ अर्जित किया। यूके और जर्मन 10 वर्षीय लाभार्जन ने यूएस बाजार से होड़ की। जापानी बॉन्ड की आमदनी एक दायरे में सिमटी रही। ईएमई में बॉन्ड के लाभार्जन में घट-बढ़ की प्रवृत्ति रही, जिसका कारण सख्त होते घरेलू मुद्रा तथा वैश्विक संकेतों के चलते कठोर होता पूर्वग्रह था। मुद्रा बाजार में वित्तीय स्थिरता के अंदेश से मार्च में यूएस डॉलर को कारोबारी घाटा लगा।

### घरेलू अर्थव्यवस्था:

एनएसओ ने अपने द्वितीय अग्रिम अनुमानों में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि के वर्ष 2022-23 में 7% तक बढ़ने की उम्मीद की है। कृषि, वानिकी और मत्स्यपालन में 3.3% की वृद्धि दर्ज हुई, वहीं वर्ष 2022-23 में खाद्यान्न उत्पादन में एक नया कीर्तिमान बना। विनिर्माण क्षेत्र में संकुचन के चलते औद्योगिक गतिविधियाँ मंद रहीं। सेवा क्षेत्र की पकड़ मजबूत रही तथा वह संपर्क सघन सेवा और निर्माण गतिविधि के सहयोग से 9.3% दर से बढ़ी। वर्ष 2023-24 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.5% पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमानित है।

पिछले वित्तीय वर्ष के अधिकांश में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) अधिक रहा क्योंकि वर्ष 2022-23 के दौरान सब्जियों के मूल्य में मुद्रास्फीति अनियमित बनी रही। प्रतिकूल आपूर्ति के आघातों तथा इनपुट लागत से आउटपुट मूल्यों के बीच की संचरण ने सीपीआई मुद्रास्फीति पर निरंतर बढ़त दबाव डाले रखा। वित्तीय वर्ष 23 के अंत में सीपीआई में संतुलन आया क्योंकि अंतरराष्ट्रीय उपभोग्य वस्तुओं के मूल्यों में गिरावट और सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से मुद्रास्फीति में कमी आई। पूरे वर्ष के लिए सीपीआई वित्तीय वर्ष 2022 के 5.5% से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2023 में 6.7% हो गया। जहाँ तक बाहरी क्षेत्र की बात है, लंबे खिंचते हुए भू-राजनीतिक तनावों और धीमी पड़ती वैश्विक मांग की स्थितियों में, व्यापार निर्यात वित्तीय वर्ष 2022-23 की अवधि में 6% बढ़कर 447.46 बिलियन डॉलर और आयात वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 16.5% बढ़कर 714 बिलियन डॉलर हो गया।

## Management Discussion and Analysis :

### Global Economy

The rise in economic uncertainties is reflected in unevenness of performance of global economy in 2022. The ongoing Russian-Ukraine conflict leading to world wide range in inflation has impacted on the global economy. The Central Bank across economies led by the Federal Reserve responded with synchronized policy rate hike to curb inflation.

The global economy is expected to grow at 2.8% in 2023 and at 3.0% in 2024 respectively. Advance economy, growth is projected to 1.3% in 2023 and 1.4% in 2024. The emerging market and developing economies grew at 4.0% in 2022 and projected to grow at 3.9% and 4.2% during the year 2023 and 2024 respectively. In low income developing countries, GDP is expected to grow by 5.1% during 2023-24. The global inflation is forecasted at 7.0% in 2023. Growth in volume of world trade is expected to decline from 5.1% in 2022 to 2.4% in 2023 due to slow down in global demand and outbreak of Pandemic and triggered by the war in Ukraine. In many countries, the financial sector will remain highly vulnerable to the rise in real interest rate in the coming months.

Global financial conditions tightened in the month of mid-March 2023. US and Germany 2 year yield reaching their highest level since 2007 and 2008 respectively. In equity market the US S&P500 generally rallied during the year on expectation of less aggressive US fed action. The European stock market outperformed the US market, over waning recessionary concern. EME equities gained similar to developed markets. UK and German 10 year yields tracked the US markets. The Japanese bond yields remained range bound. Bonds yields in EMEs exhibited two-way movements, with hardening bias driven by domestic monetary tightening as well as global cues. In the currency market, the US dollar traded down in March on financial stability concerns.

### Domestic Economy

India's Real GDP growth in 2022-23 is projected at 7% by NSO in its second advance estimates. Agriculture, forestry and fishing posted a growth of 3.3%, food grains production touched a new record in 2022-23. Industrial activity remained sluggish driven by the contraction in manufacturing sector. The service sector held up well and grew at 9.3% supported by contact intensive service & construction activity. The real GDP growth is projected by RBI at 6.5% for the year 2023-24.

CPI inflation remained elevated for much of last fiscal year because inflation in vegetable prices remained volatile during 2022-23. Adverse supply shocks and the pass through of inputs cost to outputs prices impacted sustained upward pressure on CPI inflation. CPI inflation was moderated at the end of FY23 because falling international commodity prices and govt. measures have aided in easing inflation. CPI for the full year rose from 5.5 percent in FY22 to 6.7 percent in FY23, So far external sector is concerned amidst protracted geopolitical frictions and slowing global demand, merchandise export for the period FY 2022-23 grew at 6% to \$ 447.46 billion and import at 16.5% to \$ 714 billion during FY23.



कठिन होती वैश्विक वित्तीय स्थिति के मद्देनज़र वर्ष के दौरान यूएस डॉलर की अपेक्षा भारतीय रुपये की कीमत कम हुई है। ऐसा अस्थिर वैश्विक पर्यावरण और पोर्टफोलियो आउटफ्लो के कारण हुआ है। 31 मार्च, 2023 की स्थिति में भारतीय विदेशी विनिमय की रिवर्स राशि 578.4 बिलियन डॉलर थी। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक(आईआईपी) वर्ष 2022-23 (अप्रैल-मार्च) के दौरान 5.1% की दर से बढ़ा।

### बैंकिंग क्षेत्र

घरेलू वित्तीय बाजारों में व्यवस्थित उभार देखा गया। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान मुद्रा बाजार ब्याज दरें प्रतिकूल रहीं। बॉन्ड जनित आमदनी बहुतायत में एक दायरे में सिमटी रही। मार्च, 2023 की समाप्ति पर 10 वर्षीय बेंचमार्क लाभार्जन 7.3% पर रहा। वर्ष 2022-23 की संघीय बजट घोषणा के अनुरूप भारतीय रिज़र्व बैंक ने सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी किए। इक्विटी बाजार में घट-बढ़ की प्रवृत्ति बनी रही। बीएसई सूचकांक अर्ध-वार्षिक अवधि तक 2.7% बढ़ा और 31 मार्च, 2023 को 58,992 पर बंद हुआ।

वर्ष 2022-23 की समूची अवधि में बैंक की ऋण वृद्धि दो अंकों में बनी रही। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों(एससीबी) की आस्ति गुणवत्ता में सुधार आया और उसमें सात साल पहले की 5.0% की गिरावट आयी है, साथ ही सीआरएआर नियामक बेंचमार्क से 16.0% से ऊपर सशक्त बना रहा है। मई 2022 से मार्च 2023 के बीच बैंकों ने अपनी बेंचमार्क आधारित ऋण दरें 250 बीपीएस बढ़ाते हुए संशोधित कीं। भारतीय रिज़र्व बैंक ने पाक्षिक 14 दिनों की मुख्य कार्रवाई के साथ ही 28 दिनों के वीआरआर मर्जर की घोषणा की। चलनिधि प्रबंधन के मामले में, ओएमओ बिक्रियों और नकदी शेषों की बढ़त के कारण वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान अर्थप्रणाली से तरलता बाहर हो गई। नेट एलएएफ ने किसी-किसी समय पर घाटे का रुख किया, जिसे उत्सवजन्य मुद्रा मांग और अग्रिम कर भुगतानों के तनावग्रस्त दबाव ने और भी तेज किया। केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा, जो महामारी वर्ष वित्तीय वर्ष 21 के दौरान जीडीपी के 9.2% तक पहुंच गया था, वित्तीय वर्ष 22 में जीडीपी के 6.7% तक सीमित हो गया है और वित्तीय वर्ष 2023 में जीडीपी के 6.4% तक पहुंचने का बजट है। यूएस फेड द्वारा स्वी-यूकेन संघर्ष और आक्रामक मौद्रिक नीति को कड़ा करने से वैश्विक वित्तीय बाजार में अस्थिरता बढ़ी है, जिससे वित्तीय वर्ष 23 की पहली तिमाही में एफपीआई द्वारा निवल बहिर्गमन हुआ। हालांकि, एफपीआई प्रवाह वित्तीय वर्ष 23 की दूसरी तिमाही में सकारात्मक हो गया। कुल मिलाकर, एफपीआई ने अप्रैल-दिसंबर 2022 के दौरान 2.5 अरब डॉलर का निवल बहिर्गमन दर्ज किया, जबकि एक वर्ष पूर्व यह 0.06 अरब डॉलर का बहिर्गमन था। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान सेंट्रल बैंक ने रेपो रेट बढ़ाकर 250 बीपीएस कर दिया है। इस आर्थिक जकड़न के चक्र की पृष्ठभूमि में, यूएस और यूरोप में कुछ बैंकों के हाल में धराशायी होने की स्थिति ने खासकर उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) में नीति-निर्माताओं के समक्ष अपनी वित्तीय प्रणालियों की दुर्बलता पर ज्वलंत प्रश्न खड़े कर दिए हैं। ऐसा होते हुए भी, भारत में संस्थाओं का बैंकिंग पर्यवेक्षण, चाहे उनकी आस्ति की मात्रा कुछ भी हो, भारतीय रिज़र्व बैंक की छत्र-छाया में ठोस रूप में जारी है, जिसमें वित्तीय स्थिरता का वर्ष में दो बार आकलन किया जाता है। बैंकों पर पृथक्कृत-समय समय पर मैक्रो दबाव परीक्षण भी किए जाते हैं। परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) प्रतिभूतियों में निवेश को जमा राशि के 23% तक सीमित रखा जाता है जिसमें प्रतिकूल बाजार घटनाओं से आस्ति के मूल्यों का प्रभावी अनुपेक्षण परिलक्षित होता है। प्रतिभूति बाजार में सुगम्य आस्तियों के मामले में (अधिकांशतः सरकारी प्रतिभूतियाँ जिनका मूल्य भी उनके लाभार्जन की वृद्धि के साथ कम हो गया है), बैंकों द्वारा रख-रखाव की जानेवाली निवेश उच्चावचन निधि (आईएफआर) समुचित बफर प्रदान करती है।

The value of Indian rupee is depreciated relative to US dollar during the year amidst tightening global financial condition. This happened due to uncertain global environment and portfolio outflows. As on March 31, 2023, India foreign exchange reserves stood at \$578.4 billion. Index of Industrial Production (IIP) grew at 5.1% during 2022-23 (April-March).

### Banking Sector

Domestic financial Markets evolved in an orderly manner and money market interest rates hardened during FY2022-23. The bond yields were largely range bound. The 10 year benchmark yield stood at 7.3% at end of March 2023. In line with announcement the Union Budget for 2022-23, the RBI issued Sovereign Green Bonds. Equity market exhibited two-way movements. BSE Sensex gained 2.7% in H2 to close at 58,992 on March 31, 2023.

Bank credit growth remained in double digits throughout 2022-23. The Asset quality of SCBs improved during 2022-23 and has fallen to a seven year low of 5.0% and CRAR remains healthy at 16.0% above the regulatory benchmark. Banks revised upward their benchmark based lending rates by 250bps during May 2022-March 2023. The RBI announced merger of 28 days VRRR with the fortnightly 14 days main action. In term of the management of liquidity, OMO sales and the increase in cash balances sucked out liquidity from the system during 2022-23. The net LAF slipped occasionally into deficit mode triggered by frictional pressure from festive related currency demand and advance tax payments. The fiscal deficit of the Union Government, which reached 9.2 per cent of GDP during the pandemic year FY21, has moderated to 6.7 per cent of GDP in FY22 and is further budgeted to reach 6.4 per cent of GDP in FY23. Russian - Ukraine conflict and aggressive Monetary Policy tightening by the US Fed escalated global financial market volatility leading to net outflow by FPIs in Q1 FY 23. However, FPI flows turned positive in Q2 FY 23. Overall, FPIs recorded a net outflow of \$ 2.5 billion during April- December 2022 as against an outflow of \$ 0.06 billion a year ago. The Central Bank has hiked the repo rate by 250bps during the FY2023. The recent collapses of a few banks in the US and Europe on the back of this tightening cycle have posed pertinent questions to policy makers on the vulnerability of their financial systems, particularly in emerging market economies (EMEs). Banking supervision in India, however, is robust with the RBI's overarching coverage of institutions, regardless of asset size, in its bi-annual assessment of financial stability. Macro stress tests are also performed from time to time on individual banks. Investment in held-to-maturity (HTM) securities is limited to 23 per cent of deposits, reflecting an effective insulation of asset value from adverse market developments. For the assets exposed to the securities market (mostly G-secs whose value has also fallen with an increase in their yield), the investment fluctuation fund (IFR) maintained by banks provides a suitable buffer

## I. बैंक का 2022-23 के दौरान कार्यनिष्पादन

### 1. यूको का वितरण चैनल

#### 1.1 पारंपरिक नेटवर्क:


भारत में बैंक का भौगोलिक रूप से व्यापक शाखा नेटवर्क है और विदेशों में भी इसकी उपस्थिति है। 31.03.2023 तक, बैंक की 43 अंचल और 3205 घरेलू शाखाएँ और 2 विदेशी शाखाएँ (सिंगापुर और हांगकांग में एक-एक) हैं। बैंक का प्रतिनिधि कार्यालय तेहरान, ईरान में स्थापित किया गया है जो दिनांक 25.03.2017 से कार्य कर रहा है।

5 वर्षों में वैश्विक शाखा नेटवर्क निम्नानुसार है:- (वैश्विक)

मार्च' 19	मार्च' 20	मार्च' 21	मार्च' 22	मार्च' 23
3088	3088	3089	3074	3207

#### 1.2 शाखाएं और कार्यालय नेटवर्क:

31.03.2022 और 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार घरेलू शाखाओं की जनसंख्या श्रेणीवार विवरण निम्नलिखित है:



घरेलू शाखाओं में 6 फ्लैगशिप कॉर्पोरेट शाखाएँ, 7 आसित प्रबंधन शाखाएँ, 4 सेवा शाखाएँ, 1 केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र तथा 1 एकीकृत ट्रेजरी शाखा शामिल हैं। इसके अलावा देशभर में 27 एमसीयू शाखाएँ, 36 रिटेल ऋण हब, 10 एसएमई हब और 72 करेंसी चेस्ट भी विभिन्न केंद्रों की प्रमुख शहर शाखाओं से जुड़े हुए हैं।

## 2. कारोबार प्रोफाइल:

### 2.1. वैश्विक:

- बैंक का वैश्विक कारोबार मार्च 2022 के 3,53,850 करोड़ रुपये की तुलना में 16.14% की वृद्धि के साथ 31.03.2023 तक 4,10,976 करोड़ रुपये रहा।
- वैश्विक जमा में 31.03.2023 तक 11.28% वृद्धि हुई है और यह बढ़कर 2,49,338 करोड़ रुपये हो गया है। वैश्विक अग्रिम में 24.54% की वृद्धि हुई और यह 31.03.2022 के 1,29,777 करोड़ रुपये की तुलना में 1,61,629 करोड़ रुपये हो गया है।

## I. PERFORMANCE OF THE BANK DURING 2022-23

### 1. UCO's Delivery Channels:

#### 1.1 BRICK AND MORTAR NETWORK:


Bank has a geographically well-spread branch network in India and also has presence abroad. As of 31.03.2023, Bank has 43 Zones and 3205 domestic branches and 2 overseas branches (one each in Singapore and Hong-Kong). Bank's representative office has been established in Tehran, Iran which is functional w.e.f. 25.03.2017.

The Global branch network over 5 years is as under:- (Global)

March' 19	March' 20	March'21	March'22	March'23
3088	3088	3089	3074	3207

#### 1.2 BRANCHES & OFFICES NETWORK:

The population category-wise break-up of domestic branches as of 31.03.2022 & 31.03.2023 is given below:



The domestic branches include 6 Flagship corporate branches, 7 Asset Management branches, 4 service branches, 1 central processing center and 1 integrated treasury branch. Further 27 MCU branches, 36 Retail loan Hubs, 10 SME Hub and 72 currency chests are also functioning across the country attached to the major city branches of various centers.


## 2. BUSINESS PROFILE:

### 2.1.GLOBAL:

- Global business of the Bank stood at Rs. 4,10,967crore as of 31.03.2023 compared to Rs. 3,53,850 crore showing an increase of 16.14% over March 2022.
- Global Deposits has increased by 11.28% as of 31.03.2023 and stood at Rs. 2,49,338 crore. Global advances increase by 24.54% and stood at Rs. 1,61,629 crore compared to Rs. 1,29,777 crore as of 31.03.2022.



(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)




## 2.2. घरेलू:

- बैंक का कुल घरेलू कारोबार में 14.06% की वृद्धि हुई है और यह 31.03.2022 के 3,33,318 करोड़ रुपये से बढ़कर 31.03.2023 तक 3,80,173 करोड़ रुपये हो गया है।
- कुल जमा में 10.57% की वृद्धि हुई और यह 2,40,741 करोड़ रुपये हो गई है।
- घरेलू अग्रिम में 20.62% की वृद्धि हुई है और यह 31.03.2022 के 1,15,598 करोड़ रुपये से बढ़कर 31.03.2023 तक रु.1,39,432 करोड़ हो गई है।
- कासा जमा वर्ष-दर-वर्ष 3.87% वृद्धि के साथ 91,054 करोड़ रुपये है, बचत जमा में 5.17% की वृद्धि हुई है और यह बढ़कर 81,017 करोड़ रुपये हो गया है। चालू जमा वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 5.52% की नकारात्मक वृद्धि दर्ज करते हुए 31.03.2022 के 10624 करोड़ रुपये की तुलना में 31.03.2023 तक 10,037 करोड़ रुपये है।
- घरेलू जमा में कम लागत वाली जमा (कासा) का भाग 31.03.2022 के 40.26% से घटकर 31.03.2023 को 37.82% हो गया है।

## 2.2. DOMESTIC:

- Overall domestic business of the Bank has increased by 14.06% reached at Rs. 3,80,173 crore as on 31.03.2023 from Rs.3,33,318 crore as on 31.03.2022.
- Total deposits increased by 10.57% and stood at Rs. 2,40,741crore.
- Domestic advances shown growth by 20.62% to Rs.1,39,432 crore as on 31.03.2023 from Rs. 1,15,598 crore as on 31.03.2022.
- CASA deposits increased by 3.87% on Y-o-Y and stood at Rs. 91,054 crore, SB deposits grew by 5.17% and stood at Rs. 81,017 crore. Current deposits stood at Rs.10,037crore as on 31.03.2023 compared to Rs. 10624 crore as on 31.03.2022, showing a negative growth of 5.52% on Y-o-Y basis.
- Share of low cost deposits (CASA), in domestic deposits decreased from 40.26% as on 31.03.2022 to 37.82% as on 31.03.2023.

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)



### 3. कोष

सरकारी प्रतिभूतियों के मोचन के कारण वर्ष 2022-23 के दौरान बैंक का घरेलू निवेश 31.03.2022 के 96817.76 करोड़ रुपये से 2.20% घटकर 31.03.2023 को 94692.51 करोड़ रुपये हो गया।

बैंक का एसएलआर निवेश मुख्य रूप से सरकारी प्रतिभूतियों के मोचन के कारण 31.03.2022 को 69170.89 करोड़ रुपये से 2.31% घटकर 31.03.2023 को 67572.28 करोड़ रुपये हो गया।

गैर-एसएलआर निवेश (घरेलू) मुख्य रूप से बांड के मोचन और इक्विटी की बिक्री के कारण 31.03.2022 के 27646.86 करोड़ रुपये से 1.90% घटकर 31.03.2023 को 27120.22 करोड़ रुपये हो गया है।

2022-23 के दौरान, घरेलू निवेश में 6244.72 करोड़ रुपये की ब्याज आय दर्ज की गई।

#### 3.1 विदेशी कारोबार

31 मार्च, 2023 तक, बैंक की विदेशी शाखाओं यथा सिंगापुर और हांगकांग से कुल कारोबार 30,794 करोड़ रुपये का था जो वैश्विक कारोबार का 7.49% हिस्सा था। विदेशी व्यापार के तहत कुल जमा राशि 8597 करोड़ रुपये और कुल अग्रिम 22197 करोड़ रुपये दर्ज किया गया।

भारतवर्ष में स्थित 70 बी-श्रेणी की शाखाओं के साथ हमारा बैंक सक्रिय रूप से निर्यातकों/आयातकों तथा अनिवासी भारतीय ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कटिबद्ध है। 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक का कुल मर्चेन्ट कारोबार 59,914 करोड़ रुपये रहा।

### 4. सामाजिक बैंकिंग

#### 4.1 प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को अग्रिम

हमारा बैंक कुछ वर्षों से प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार देने में महत्वपूर्ण कार्यनिष्पादन करता रहा है और अपनी ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी शाखाओं के विशाल नेटवर्क द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र एवं कृषि क्षेत्र को प्रभावी ढंग से सेवा प्रदान करता रहा है।

31.03.2023 तक बैंक का प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिम निम्नलिखित है:

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिम	रु. 63974.53 करोड़
निवेश	रु. 171.00 करोड़*
<b>कुल</b>	<b>रु. 63803.53 करोड़</b>

\* जिसमें शामिल है:

- (i) आरआईडीएफ एवं अन्य निधियाँ - 4354.04 करोड़ रुपये
- (ii) पीएसएलसी एग्री की खरीद - 475 करोड़ रुपये
- (iii) पीएसएलसी माइक्रो उद्यमों की बिक्री - 5000 करोड़ रुपये

### 3. TREASURY

Domestic Investment of the Bank during the year 2022-23 decreased by 2.20% from Rs.96817.76 crores as on 31.03.2022 to Rs 94692.51 crores as on 31.03.2023 largely due to redemption of Government securities.

The SLR investment of the Bank decreased by 2.31% from Rs.69170.89 crores as on 31.03.2022 to Rs.67572.28 crores as on 31.03.2023 mainly due to redemption of Govt. Securities.

The Non-SLR Investment (Domestic) decreased by 1.90% from Rs 27646.86 crores as on 31.03.2022 to Rs.27120.22 crores as on 31.03.2023 mainly due to redemption of bonds and sale of equities.

During the year 2022-23, interest income of Rs.6244.72 crores registered from domestic investment.

#### 3.1 International Business

As on March 31,2023, the Bank's total business from Overseas Branches at Singapore and Hongkong was Rs 30,794 Crores and constituted 7.49% of the global business. The Overseas Business constituted of total deposits of Rs 8597 Crores and total advances of Rs 22197Crores.

Our Bank with 70 B-category Branches across India is committed to actively cater to the needs of Exporters/Importers Community and also serve our NRI Customers. The Total Merchant Turnover of the Bank during the Financial Year ended on 31st March, 2023 stood at Rs 59,914 Crores.

### 4. SOCIAL BANKING

#### 4.1 Priority Sector Advances:

Our Bank has been showing significant performance in lending to Priority Sector over the years and has been effectively servicing the priority sector and agriculture sector with its vast network of rural and semi-urban branches.

As on 31.03.2023, the Priority Sector Advances of the Bank stood at as under:

Priority Sector advance	Rs. 63974.53 Crore
Investment	Rs. 171.00 Crore*
<b>Total</b>	<b>Rs. 63803.53 Crore</b>

\* which includes :

- (i) Investment in RIDF & Other funds - Rs. 4354.04 Cr.
- (ii) Purchase of PSLC Agri - Rs. 475.00 Cr.
- (iii) PSLC Micro Enterprises sold - Rs. 5000.00 Cr.

प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र कुल अग्रिम 63803.53 करोड़ रुपये है जो समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) का 51.35% है।

#### 4.1.1. कृषि अग्रिम:

31.03.2023 तक, बैंक का कृषि अग्रिम निम्नलिखित है:

कृषि अग्रिम	रु.21773 करोड़
निवेश	रु. 3544 करोड़
कुल	<b>रु. 25317 करोड़</b>

बैंक का कुल कृषि अग्रिम 25317 करोड़ रुपये है जो एएनबीसी का 20.37% है।

#### 4.1.2 कमजोर वर्गों को अग्रिम:

कमजोर वर्ग के लिए अग्रिम 31 मार्च 2023 तक 17730 करोड़ रुपये है, जिसमें एएनबीसी का 14.27% है।

#### 4.1.3 वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए पीएसएलसी का संक्षिप्त विवरण:

क्र. सं.	मापदंड	विवरण	राशि (करोड़)
1.	क्रय	पीएसएलसी-कृषि	रु. 475.00
2.	विक्रय	पीएसएलसी-सूक्ष्म	रु. 5000.00

#### 4.2 संमृद्धि के लिए पहल:

कृषि कारोबार के तहत वृद्धि दर्ज करने के लिए, बैंक ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान विभिन्न अभियान आरंभ किए। उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं:

- **कृषि कारोबार शिविर:** बैंक ने कृषि में निवेश ऋण और उत्पादन ऋण पर ध्यान केंद्रित करते हुए 17.05.2022 से 27.05.2022 तक विशेष अभियान चलाया। बैंक ने इस अभियान में 211.10 करोड़ रुपये की ऋण की संस्वीकृति दी है।
- **"कृषि उत्सव" अभियान:** कृषि अग्रिम के नेट जीएल को बढ़ाने की पहल के साथ 16.08.2022 से 15.09.2022 तक अभियान चलाया गया। बैंक उक्त अभियान में नेट जीएल को 212.80 करोड़ रुपये तक बढ़ाने में सक्षम रहा।
- **"कृषि शक्ति 2.0":** कृषि अभियान "कृषि शक्ति 2.0" का शुभारंभ दिनांक 21.11.2022 से 06.01.2023 तक किया गया। इस अभियान के तहत, बैंक ने कृषि अग्रिम के तहत 245.27 करोड़ रुपये संस्वीकृत किए हैं।
- **"मिशन लक्ष्य":** विशेष कृषि अभियान दिनांक 20.02.2023 से 20.03.2023 तक चलाया गया। उक्त अभियान के तहत बैंक जीएल में रु.181.03 करोड़ की वृद्धि हासिल करने में सफल रहा।
- कृषि अवसंरचना निधि के तहत मंजूरी के लिए मंत्रालय के निर्देशानुसार दिनांक 01.01.2023 से 15.03.2023 तक "बेस्ट" अभियान शुरू किया गया, जिसमें 165 खातों के लिए 92.71 करोड़ रुपये संस्वीकृत किए गए।
- बैंक ने पैसा-लो डिजिटल लिमिटेड के साथ कृषि के लिए सह-उधार कारोबार शुरू किया और उक्त व्यवस्था के अंतर्गत 167.39 करोड़ रुपये का कारोबार अर्जित किया।

Total Priority Sector Advance is Rs.63803.53 Cr. which constitutes 51.35% of Adjusted Net Bank Credit (ANBC).

#### 4.1.1. Agriculture Advances

As on 31.03.2023, the Agriculture Advances of the Bank stood at as under:

Agriculture Advance	Rs. 21773 Crore
Investment	Rs. 3544 Crore
<b>Total</b>	<b>Rs. 25317 Crore</b>

Total Agriculture Advances of the Bank is Rs.25317 Cr. which constitutes 20.37 % of ANBC.

#### 4.1.2 Advances to Weaker Sections:

Advances to Weaker Section stood at Rs.17730 Cr. as of 31st March 2023 consisting 14.27% of ANBC.

#### 4.1.3 Summary of PSLC for FY 2022-23:

Sl. No.	Parameter	Details	Amount (Cr.)
1.	Purchase	PSLC - Agri	Rs. 475.00
2.	Sell	PSLC - Micro	Rs.5000.00

#### 4.2 Initiatives for growth

To register growth under Agriculture business, Bank launched various campaigns during FY 2022-23. Some of them are enumerated below:

- **Agriculture Business Camp:** Bank has launched special campaign from 17.05.2022 to 27.05.2022 focusing Investment credit & production credit in Agriculture. Bank has achieved Rs. 211.10 Cr. sanctions in this campaign.
- **"Agri Fest" Campaign:** Campaign was launched from 16.08.2022 to 15.09.2022 with an initiative to increase the Net GL of agriculture advance. Bank was able to increase the net GL by Rs.212.80 Cr. in the said campaign.
- **"Krishi Shakti 2.0":** Agriculture Campaign "Krishi Shakti 2.0" was launched from 21.11.2022 to 06.01.2023. Under this campaign, Bank has achieved Rs.245.27 Cr. sanctions under agriculture advance.
- **"Mission Lakshya":** Special Agriculture Campaign was launched from 20.02.2023 to 20.03.2023. Bank was able to achieve the growth of Rs.181.03 Cr. in GL under said campaign.
- **"BEST" Campaign** was launched from 01.01.2023 to 15.03.2023 as per direction of Ministry for sanction under Agriculture Infrastructure Fund, where Rs.92.71 Cr. sanctions were made for 165 accounts.
- Bank has entered into Co-lending business for agriculture with Paisa-Lo Digital Limited and garnered business of Rs.167.39 Cr. under said arrangement.

#### 4.2.1 उपलब्धि:

- हमारे बैंक को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए एसएचजी- बैंक लिंकेज के तहत श्रेष्ठ कार्यनिष्पादन हेतु सम्मानित किया गया।

#### 5. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (क्षेत्रीय बैंक)

यूको बैंक द्वारा प्रायोजित आरआरबी नामतः पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक (पीबीजीबी) है जिसका मुख्यालय हावड़ा, पश्चिम बंगाल में है, तथा 31.03.2023 तक की स्थिति के अनुसार इसके चार क्षेत्रीय कार्यालय और 230 शाखाएं हैं।

##### 5.1 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की पूंजी की स्थिति:

31.03.2023 को पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक की कुल पूंजी 567.31 करोड़ है, जिसमें भारत सरकार के 283.66 करोड़ रुपये, यूको बैंक के 198.56 करोड़ रुपये (प्रायोजक बैंक के रूप में) और पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के 85.09 करोड़ रुपये शामिल हैं।

#### 5.2. वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कार्यनिष्पादन

##### पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक:

लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के अनुसार, पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक की कुल जमा राशि 31.03.2023 को 6570.00 करोड़ रुपये है, जो 5.09% की वृद्धि दर्शाती है। कुल अग्रिम 8.97% की वार्षिक संवृद्धि के साथ 3748 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया है। सीडी अनुपात 31.03.2022 को 55.01% की तुलना में 31.03.2023 को 57.05% रहा।

सकल एनपीए 31.03.2023 को 351 करोड़ रुपये है, जबकि 31.03.2022 को यह 358.24 करोड़ रुपये था। सकल अग्रिम में सकल एनपीए 31.03.2022 के 10.42% की तुलना में 31.03.2023 को 9.37% रहा। आरआरबी का निवल एनपीए अनुपात 31.03.2022 के 4.74% की तुलना में 31.03.2023 को 3.94% है।

पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक ने 31.03.2022 को 99.95 करोड़ रुपये की निवल हानि की तुलना में 31.03.2023 को 55.01 करोड़ रुपये की निवल हानि दर्ज की है, जिससे 31.03.2022 को 404.45 करोड़ रुपये से संचित हानि बढ़कर 31.03.2023 में 459.46 करोड़ हो गया है। 175.66 करोड़ रुपये के कर्मचारी पेंशन के प्रावधान एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में ₹10.00 करोड़ राशि की बकाया राशि (शिक्षा भत्ता, स्थानीय भत्ता, पीला नकदीकरण एवं पीएलआई) के भुगतान के कारण यह हानि हुई।

#### 6. कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व:

बैंक ने कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत कई कार्यक्रम/पहल की हैं। इनमें से कुछ कार्यक्रम/पहल इस प्रकार हैं:

- हमारे बैंक ने 7 राज्यों असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में 27 ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्था स्थापित किए हैं। ये 27 संस्थान समर्पित बुनियादी संरचना के साथ ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने तथा उनके कौशल को उन्नयन प्रदान करने एवं उनकी बेरोजगारी और अल्प रोजगार की समस्याओं को कम करने हेतु समर्पित है। ग्रामीण युवाओं में उद्यमिता कौशल के विकास के लिए समर्पित प्रशिक्षण संस्थाएं स्थापित करने हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय की पहल के रूप में कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के तहत ये संस्थाएं स्थापित की गई हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान इन आरसेटी ने 20054 अभ्यर्थियों को शामिल करते हुए 683 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए और 8034 हिताधिकारियों को ₹24.80 करोड़ रुपये की ऋण सहबद्धता उपलब्ध कराई गई।

#### 4.2.1 Achievements

- Our Bank was awarded for Outstanding Performance under SHG- Bank linkage for FY 2021-22 by Ministry of Rural Development.

#### 5. Regional Rural Banks (RRBs)

UCO Bank sponsored RRB namely, PaschimBangaGramin Bank (PBGB) is head quartered at Hawrah, West Bengal with four regional offices and 230 branches as on 31.03.2023.

##### 5.1 Capital position of RRB

The total capital of PaschimBangaGramin Bank as on 31.03.2023 stood at Rs.567.31 Cr. comprising Rs.283.66 Cr. from Govt. of India, Rs.198.56 Cr. from UCO Bank (as sponsor Bank) &Rs. 85.09 Cr. from West Bengal State Govt.

##### 5.2. Performance of RRBs during 2022-23

##### Paschim Banga Gramin Bank:

As per audited financial results, total deposit of Paschim BangaGramin Bank stood at Rs.6570.00 Cr. as on 31.03.2023, registering growth of 5.09%. Total advance reached a level of Rs.3748 Cr. with an annual growth of 8.97%. CD ratio stood at 57.05% as on 31.03.2023 as against 55.01% on 31.03.2022.

The gross NPA stood at Rs.351.00Cr. as on 31.03.2023 vis-avisRs. 358.24 Cr. as on 31.03.2022. Gross NPA to Gross Advance stood at 9.37% as on 31.03.2023 as against 10.42% as of 31.03.2022. The net NPA ratio of the RRB stood at 3.94% as on 31.03.2023 as against 4.74% as of 31.03.2022.

PaschimBangaGramin Bank has recorded a net loss of Rs.55.01 Cr. as on 31.03.2023 as compared to net loss of Rs.99.95 Cr. as on 31.03.2022, thereby increasing accumulated loss from Rs.404.45 Cr. as on 31.03.2022 to Rs. 459.46 Cr. as on 31.03.2023. The loss is due to provision for staff pension to the tune of Rs.175.66 Cr. and payment of arrear (learning allowance, locational allowance, PL encashment & PLI) amounting to Rs.10.00 Cr in the current financial year.

#### 6. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Bank has taken several programmes/initiatives as a part of Corporate Social Responsibility. Few of these programmes/initiatives are as under:

- Our Bank has set up 27 Rural Self Employment Training Institutes in 7 states namely Assam, Bihar, Himachal Pradesh, Odisha, Punjab, Rajasthan and West Bengal. These 27 institutes with dedicated infrastructure are devoted to impart training and skill up gradation and to mitigate the unemployment and under employment problems of rural youths. These institutes are set up by the Bank as a part of initiative taken up by the Ministry of Rural Development to establish dedicated training Institutions for development of entrepreneurship skills in rural youth, under Corporate Social Responsibility (CSR). All RSETIs conducted 683 training programmes involving 20054 candidates and 8034 beneficiaries have been provided Credit Linkage of Rs.24.80 Cr. during the Financial Year 2022-23.

ख) भारतीय रिजर्व बैंक की पहल के तहत, यूको बैंक ने शुरू में 6 राज्य नामतः असम, बिहार, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के 22 जिलों में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा चिन्हित एनजीओ मेसर्स स्वाधारफिन एक्सेस, क्रिसिल फाउंडेशन तथा धन फाउंडेशन के सहयोग से आरबीआई द्वारा डीईए निधि (डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड) से अथवा नाबार्ड द्वारा एफआईएफ (वित्तीय समावेशन निधि) के समर्थन से 50 सीएफएल (वित्तीय साक्षरता केंद्र) स्थापित किए हैं। इस व्यवस्था के अंतर्गत ओपेक्स (परिचालन व्यय) के 90% और केपेक्स (पूँजी व्यय) के 100% की प्रतिपूर्ति की जाएगी। इसके अतिरिक्त, सीएफएल परियोजना-फेज 2 के अंतर्गत यूको बैंक को ओडिशा, हिमाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल राज्यों में धन फाउंडेशन, मेसर्स मदर, मेसर्स अरावली और क्रिसिल फाउंडेशन के पारस्परिक सहयोग से आरबीआई द्वारा डीईए निधि (डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड) से अथवा नाबार्ड द्वारा एफआईएफ (वित्तीय समावेशन निधि) के समर्थन से 56 नए सीएफएल (वित्तीय साक्षरता केंद्र) आबंटित किए गए हैं।

ग) बैंक के देश भर में 35 वित्तीय साक्षरता केंद्र हैं जिनमें 22 वित्तीय साक्षरता सलाहकार वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित करते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, वित्तीय साक्षरता सलाहकारों ने 3873 वित्तीय साक्षरता शिविरों का आयोजन किया है, जिससे 31 मार्च 2023 तक 126097 प्रतिभागियों को वित्तीय जागरूकता का प्रसार किया गया।

## 7. वित्तीय समावेशन:

### 7.1 प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई)

बैंक रहित /कम बैंक सुविधा वाले क्षेत्रों में समावेशी बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने हेतु बैंक को देश भर में 16281 गाँव आबंटित किए गए हैं। वित्तीय सेवाएं विभाग के निर्देशों के अनुरूप इन गाँवों को 4122 उप सेवा क्षेत्र (एसएसए) में वर्गीकृत किया गया है। सार्वभौमिक वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने और समग्र आबादी को सुनियोजित बैंकिंग सुविधा के दायरे में लाने के लिए 4122 एसएसए में से 3656 एसएसए को बीसी एजेंटों द्वारा तथा टीयर 5 गाँवों (5000 से ऊपर की आबादी) में 466 एसएसए को शाखाओं के माध्यम से कवर किए जाते हैं।

बैंक ने 2000 से अधिक बैंक मित्र बनाए हैं जिससे कुल बीसी की संख्या 6909 हो गई है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कुल 280.56 लाख लेनदेन 14.14% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि के साथ रु.11236.35 करोड़ की राशि के साथ 05.05% वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि (हर महीने औसतन लगभग 23.38 लाख लेनदेन रु.936.36 करोड़ की राशि) बीसी एजेंटों द्वारा उपयोग किए गए माइक्रो एटीएम के माध्यम से किए गए।

बैंक ने मार्च, 23 के अंत में 124.25 लाख पीएमजेडीवाई खातों में 5685.23 करोड़ रुपये की राशि जमा की है, पीएमजेडीवाई बचत जमा में 32% की और पीएमजेडीवाई खाता खोलने में 10% की वृद्धि दर्ज की गई है। पीएमजेडीवाई खातों के तहत प्रति खाता औसत शेष राशि 3791.53 रुपये से बढ़कर 4550.29 रुपये हो गई। बैंक ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 10.68 लाख पीएमजेडीवाई खाते खोले हैं।

हमने पात्र पीएमजेडीवाई खाताधारकों को लगभग 27.25 लाख रुपये कार्ड वितरित किए हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान बीसी एजेंटों द्वारा उपयोग किए जाने वाले माइक्रो एटीएम पर रुपये कार्ड के माध्यम से प्रति माह औसतन 1.92 लाख का औसत लेनदेन हुआ, जिसकी मासिक औसत राशि 91.57 करोड़ रुपये है।

b) Under the initiative of Reserve Bank of India, Bank initially has set up 50 CFLs (Centre for Financial literacy) involving 6 states namely Assam, Bihar, Odisha, Punjab, Rajasthan and West Bengal in 22 Districts with collaboration of NGO identified by RBI namely M/s Swadhaar Fin Access, Crisil Foundation and Dhan foundation with support for fund from either DEA fund (Depositor education and awareness fund) from RBI / FIF (Financial inclusion fund) from NABARD. In this arrangement 90% of OPEX (Operational expenditure) and 100% of CAPEX (Capital expenditure) will be reimbursed. Further, under CFL Project -Phase 2, 56 new CFLs (Centre for Financial literacy) has been allotted to UCO bank in state of Odisha, Himachal Pradesh, Assam and West Bengal in collaboration with Dhan foundation, M/s Mother, M/s Aravali and Crisil foundation with support for fund either from DEA fund (Depositor education and awareness fund) from RBI / FIF (Financial inclusion fund) from NABARD.

c) Bank has 35 Financial Literacy Centres across the country wherein 22 Financial Literacy Counsellors conduct Financial Literacy Camps. During Financial Year 2022-23, the Financial Literacy Counsellors have conducted 3873 Financial Literacy Camps thereby spreading Financial Awareness to 126097 participants as of 31st March 2023.

## 7. FINANCIAL INCLUSION

### 7.1 PradhanMantri Jan DhanYojna (PMJDY)

Bank has been allotted with 16281 villages across the country to provide inclusive Banking Facility in unbanked / under banked areas. In line with DFS directives these villages were categorized into 4122 Sub Service Areas (SSAs). Out of these 4122 SSAs, 3656 SSAs are covered through BC agents and 466 SSAs in tier 5 villages (Population above 5000) are covered through Branches for ensuring universal Financial Inclusion and to bring the entire population under ambit of structured Banking facility.

Bank has added more than 2000 Bank Mitras making the total BC deployment to 6909. During FY 2022-23 total 280.56 lacs transactions with 14.14% y-o-y growth amounting Rs. 11236.35 Crores with 05.05% y-o-y growth (averaging every month about 23.38 lacs transactions amounting ) Rs.936.36 Crores) carried out through MicroATMs used by BC Agents.

Bank has garnered deposit of Rs 5685.23 Cr at the end of March 23 in 124.25 lakhs PMJDY accounts registering 32% growth in PMJDY saving deposit and 10% growth in PMJDY account opening. The average per account balance under PMJDY accounts increased from Rs 3791.53 to Rs 4550.29. Bank has opened 10.68 lakhs PMJDY accounts during FY 2022-23.

We have distributed around 27.25 lacs RuPay Cards to the eligible PMJDY account holders. During the FY 2022-23 average transactions per month to the order of 1.92 lacs took place through Rupay Cards on Micro ATMs used by BC agents amounting monthly average of Rs.91.57 crore.

## 7.2 आधार सीड करना और प्रमाणीकरण:

यूआईडीएआई के संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार, ग्राहक खाता खोलने के लिए पहचान प्रमाण के रूप में आधार संख्या स्वेच्छ से दी जा सकती है। विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आधार की आवश्यकता होती है। 31 मार्च 2023 तक लगभग 84.52% सक्रिय बचत खातों को आधार संख्या से जोड़ दिया गया है और 43.99% सक्रिय बचत खातों में आधार प्रमाणीकरण किया जा चुका है।

## 7.3 माइक्रो क्रेडिट-ओवरड्राफ्ट सुविधा:

31 मार्च 2023 तक बैंक में ओवरड्राफ्ट सुविधा का उपयोग करने वाले पीएमजेडीवाई खातों की संख्या 3.71 लाख है, जिसकी कुल संस्वीकृत राशि 74.95 करोड़ रुपये है। वित्त मंत्री की बजट घोषणा (वित्तीय वर्ष 2020-21) के अनुसार, पीएमजेडीवाई खातों में सत्यापित महिला एसएचजी सदस्य को 5000/- रुपये के ओवरड्राफ्ट की अनुमति है।

## 7.4 सामाजिक सुरक्षा योजना:

अब तक बैंक सुविधा से वंचित जनता को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के सरकार की थीम पर कार्य करते हुए बैंक ने अपनी शाखा और बीसी नेटवर्क के माध्यम से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेबीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), अटल पेंशन योजना (एपीवाई) जैसे बीमा और पेंशन उत्पादों को प्रस्तुत किया है। पीएमजेबीवाई योजना के तहत 18.58 लाख ग्राहकों का बीमा किया गया है और पीएमएसबीवाई योजना के तहत 39.51 लाख ग्राहकों का बीमा किया गया है। अभी तक पीएमजेबीवाई के तहत कुल 9988 दावे और पीएमएसबीवाई के तहत 1652 दावे निपटाए जा चुके हैं। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 22-23 के अंत तक अटल पेंशन योजना के तहत कुल ग्राहकों की संख्या 8.01 लाख को पार कर गई है। वित्तीय वर्ष 22-23 के दौरान 2.36 लाख ग्राहक 42% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि के साथ एपीवाई फोल्ड में जोड़े गए हैं। हमने लक्ष्य के 109% की उपलब्धि के साथ एबीव दे रेस्ट अभियान (15 नवंबर 22 से 31 दिसंबर 22) के लिए क्वालीफाई किया है। हमने लक्ष्य के 121% की उपलब्धि के साथ एपीवाई बिग बिलीवर्स (15 फरवरी 23 से 31 मार्च 23) के लिए भी क्वालीफाई किया है।

## 7.5 एसएमएस के माध्यम से पीएमजेबीवाई और पीएमएसबीवाई नामांकन:

पीएमजेबीवाई और पीएमएसबीवाई के नामांकन का इलेक्ट्रॉनिक मोड पिछले वर्ष यूको ई-बैंकिंग और यूको एम बैंकिंग ऐप में उपलब्ध कराया गया था। वित्तीय वर्ष 2021-22 में एसएमएस संदेश के जरिए नामांकन का एक नया तरीका पेश किया गया था। इस सुविधा के माध्यम से ग्राहक अपने पंजीकृत मोबाइल नंबरों से एसएमएस भेजकर स्वयं नामांकन कर सकते हैं। डिजिटल स्व-नामांकन के लिए प्रोत्साहन ग्राहकों को कम प्रीमियम के माध्यम से दिया जा रहा है।

## 7.6 डीएफएस लक्ष्य एवं उपलब्धि

### 1. पीएमजेएसएस के अंतर्गत सैचुरेशन ड्राइव (प्रधानमंत्री जन सुरक्षा योजनाएँ, यानी पीएमजेबीवाई, पीएमएसबीवाई, एपीवाई):

माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वाधीनता दिवस 2021 के भाषण की पृष्ठभूमि में वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) ने बैंकों को पीएमजेडीवाई खाता खोलने और जन सुरक्षा योजनाओं हेतु सैचुरेशन ड्राइव के कार्यान्वयन के निदेश दिए ताकि प्रत्येक हकदार व्यक्ति को सरकार की बीमा और पेंशन योजना के साथ जोड़ा जा सके तथा 30.09.2024 तक 100% लक्ष्य की प्राप्ति की जा सके।

पीएमजेडीवाई खाते के अंतर्गत सैचुरेशन ड्राइव: वित्तीय सेवाएं विभाग(डीएफएस) के द्वारा 9 लाख पीएमजेडीवाई खाते खोलने का लक्ष्य दिया गया जिसे वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान प्राप्त किया जाना था। हमने नौ लाख के लक्ष्य मुकाबले 11.67 लाख (यूको-10.68 लाख एवं पीबीजीबी-0.99 लाख) की उपलब्धि प्राप्त की है जो लक्ष्य का 130% हासिल हुआ है।

## 7.2 Aadhaar Seeding & Authentication

As per revised UIDAI guidelines, Aadhaar number can be given voluntarily as identity proof for opening customer accounts. Aadhaar is required for availing benefits under various government welfare schemes. By 31st March 2023, around 84.52% operative saving accounts have been seeded with Aadhaar number and Aadhaarauthentication has been done in 43.99% of operative saving accounts.

## 7.3 Micro credit-Overdraft facility

Number of PMJDY accounts using the OD facility in the bank as on 31stMarch 2023 is 3.71 Lakhs aggregating sanctioned amount of Rs.74.95 Crores. As per Finance Minister's budget announcement (FY 2020-21), an overdraft of Rs 5000/- is allowed to verified women SHG member in their PMJDY Accounts.

## 7.4 Social Security Schemes

Working on the government's theme of providing social security to hitherto unbanked masses, Bank has implemented Insurance and Pension products namely, Pradhan Mantri Jeevan Jyoti BimaYojna (PMJJBY), Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojna (PMSBY), Atal Pension Yojna (APY) through its Branch and BC network. Under PMJJBY scheme, 18.58 lakh subscribers are insured and under PMSBY scheme 39.51 lakh customers are insured. So far a total of 9988 claims are settled under PMJJBY and 1652 claims are settled under PMSBY. Further, total subscribers under Atal Pension Yojna crossed 8.01 lac till end of FY 22-23. During FY 22-23 2.36 lakh customers have been added to APY Fold with Y-to-Y growth of 42%. We have qualified for Rise above the Rest campaign (15th Nov'22 to 31st Dec'22) with achievement of 109% of target. We have also qualified for APY BIG BELIEVERS (15th Feb'23 to 31stMarch'23) with achievement of 121% of target.

## 7.5 PMJJBY and PMSBY enrolment through SMS

Electronic mode of enrolment of PMJJBY and PMSBY was made available last year in UCO E-Banking and UCO m banking app. A new mode of enrolment through SMS message was introduced in FY 2021-22. Through the facility, customers can self-enrol by sending SMS from their registered mobile numbers. Incentive for digital self-enrolment is being passed on to the customers by the way of reduced premium

## 7.6 DFS Target and Achievement

### 1. Saturation Drive under PMJSS (PradhanMantri Jan Suraksha Schemes, i.e PMJJBY, PMSBY, APY):

In the backdrop of honourable Prime Minister's Independence Day speech 2021, Department of Financial Services (DFS) directed Banks to implement Saturation Drive for PMJDY account opening & Jansuraksha Schemes to connect every entitled person with the Government's Insurance and Pension scheme to have cent percent (100%) achievement by 30-09-2024.

Saturation Drive in PMJDY Account: The target of opening 9 lakhs PMJDY accounts has been given by DFS to be achieved during FY 2022-23. We have achieved 11.67 lakh (UCO-10.68 lakh & PBGB-0.99 lakh) against the target of 9.00 Lakh with an achievement of 130% of the target.

## पीएमजेएसएस योजनाओं के अंतर्गत सैच्युरेशन ड्राइव:

30-09-2022 तक पीएमजेएसएस में 100% सैच्युरेशन के लिए निम्नांकित दो ग्राहक समूह लक्षित करने हैं:

- वर्ष 2021-22 की दूसरी तिमाही में 1000 रुपये और उससे अधिक तिमाही औसत शेष रखनेवाले मौजूदा पीएमजेडीवाई खातेदार
- सभी पात्र मानक पीएमएमवाई खातेदार

सैच्युरेशन ड्राइव की समय अवधि सितंबर, 2022 से संशोधित करके सितंबर, 2024 की गई है (वित्तीय सेवाएं विभाग का पत्र दिनांक 20/04/2022)। इस तरह लक्ष्य आबंटित किए हैं। बीमा वर्ष 2022-23 के लिए पीएमजेडीवाई के नए नामांकन का लक्ष्य 6.6 लाख और 12.7 लाख है। 31/03/2023 तक हमने पीएमजेडीवाई के अंतर्गत आनुपातिक लक्ष्य का 73.81% और पीएमएसबीवाई के अंतर्गत आनुपातिक लक्ष्य का 87.90% प्राप्त कर लिया है।

हमने पीएमजेडीवाई के अंतर्गत आनुपातिक लक्ष्य के 61% का और पीएमएसबीवाई के अंतर्गत आनुपातिक लक्ष्य के 114% का जन सुरक्षा सैच्युरेशन ड्राइव योजना में नामांकन कर लिया है।

**II. वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा बैंकों को जन सुरक्षा योजनाओं के 5-वर्षीय लक्ष्य आबंटित किए गए हैं-** वित्तीय सेवाएं विभाग ने हमें पाँच वर्ष के बीमा का वर्षवार लक्ष्य आबंटित किए हैं। बीमा वर्ष 2022-23 के लिए पीएमजेडीवाई के नए नामांकन का लक्ष्य 6.6 लाख और 12.7 लाख है। 31/03/2023 तक हमने पीएमजेडीवाई के अंतर्गत आनुपातिक लक्ष्य का 73.81% और पीएमएसबीवाई के अंतर्गत आनुपातिक लक्ष्य का 87.90% प्राप्त कर लिया है।

**III. नाबार्ड द्वारा 117 लक्ष्योन्मुख जिलों में पात्र सक्रिय पीएमजेडीवाई खातेदारों के सामाजिक सुरक्षा योजनाओं (एसएसएस) के अंतर्गत नामांकन हेतु सैच्युरेशन ड्राइव की विशेष योजना -** नाबार्ड द्वारा 28 राज्यों के 112 लक्ष्योन्मुख जिलों में पात्र सक्रिय पीएमजेडीवाई खातेदारों के सामाजिक सुरक्षा योजनाओं (एसएसएस) के अंतर्गत नामांकन के सैच्युरेशन हेतु विशेष योजना प्रारंभ की है। सैच्युरेशन की यह विशेष योजना 10/02/2022 से 31/05/2022 तक के बीच चालू रहेगी। इसके अतिरिक्त, नाबार्ड ने अपने दिनांक 10/08/2022 के पत्र द्वारा इस समय सीमा को 31/03/2023 तक बढ़ा दिया है। हमारे पास 101 चयनित लक्ष्योन्मुख जिलों में 389 शाखाएँ हैं जिनमें हम पीएमजेडीवाई और पीएमएसबीवाई कवरेज के लिए पीएमजेडीवाई ग्राहकों के नामांकन हेतु ग्राम एवं ब्लॉक स्तरीय विशेष शिविर आयोजित कर रहे हैं।

**IV. 5000 बीसी की ऑनबोर्डिंग (डीएफएस द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार) -** 5000 अतिरिक्त बीसी की ऑन-बोर्डिंग के वित्त सचिव के अनुदेशों के अनुसार मार्च, 2023 तक हमारा बीसी कार्यदल 9000 का किया जाना है। तदनुसार नवंबर 22 माह में हमारे द्वारा कार्य आदेश जारी किया गया है। फरवरी, 2023 माह के दौरान ग्रामीण और अर्धशहरी शाखाओं में कारपोरेट बीसी भागीदारों को अतिरिक्त 2001 बीसी पॉइंट आबंटित किए गए हैं। हमने अपूर्ण बैंकिंग सुविधावाले एवं बैंक विहीन क्षेत्रों में लगभग 2400 बीसी नियुक्त किए हैं।

## 7.7 आधार नामांकन केंद्र:

हमारे बैंक में यूआईडीएआई के दिशानिर्देशों के अनुसार 10% शाखाओं को कवर करते हुए कुल 300 आधार नामांकन केंद्र स्थापित किए गए हैं। बैंक ने ईसी के कुशल संचालन और बैंक के कर्मचारियों के इष्टतम उपयोग के लिए आधार ऑपरेटर गतिविधि के लिए कॉर्पोरेट बीसी को आउटसोर्स किया है।

## 7.8 वित्तीय समावेशन परियोजना के माध्यम से राजस्व प्राप्ति:

वित्तीय समावेशन के तहत लगातार किए गए प्रयासों के अच्छे परिणाम मिले हैं और बैंक को इन गतिविधियों से मूर्त और अमूर्त दोनों तरह के लाभ प्राप्त होने लगे हैं। शाखाओं की भीड़भाड़ कम करना, लेनदेन लागत में कमी और कासा आधार में वृद्धि वित्तीय समावेशन परियोजना के अमूर्त लाभ हैं। विभिन्न उत्पादों के तहत अर्जित कमीशन के रूप में मूर्त लाभ प्राप्त हुए हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान बैंक ने पीएमजेडीवाई में 208.14

## Saturation Drive in PMJSS Schemes:

The following two groups of customers are to be targeted for 100% saturation in PMJSS by 30-09-2022.

- Existing PMJDY account holders having quarterly average balance of Rs 1000/- and more in Q2 of 2021-22.
- All eligible Standard PMMY account holders.

Time line for Saturation Drive has been revised from Sep 2022 to Sep 2024(DFS letter dated 20/04/2022). Now 40% of the target was to be achieved by Sep 2022 while 70% up to Sep 2023 and 100% up to Sep 2024.

We have enrolled 61% of proportional target under PMJJB and 114% of proportional target under PMSBY in Jansuraksha Saturation Drive Scheme.

**II. 5-year targets of jansuraksha schemes have been allotted to Banks by DFS-** DFS had allotted us policy year wise target for 5 years. For the policy year 2022-23, target for PMJJB fresh enrolment is 6.6 lakh and 12.7 lakh. We have achieved 73.81% of proportional target under PMJJB and 87.90% of proportional target under PMSBY up to 31/03/2023.

**III. Special scheme of saturation drive for enrolment of eligible operative PMJDY account holders under social security schemes (SSS) launched by NABARD in 117 Aspirational Districts-** NABARD has launched special scheme for saturation of enrolment of eligible operative PMJDY A/C holders under social security Schemes (SSS) in 112 Aspirational districts of 28 states Special Scheme for saturation will be operational from 10/02/2022 to 31/05/2022. Further NABARD vide its letter dated 10/08/2022 has extended the timeline up to 31/03/2023. We have 389 of branches in 101 identified Aspirational districts where in we are conducting village & block level special camps for enrolment of PMJDY customers for PMJJB and PMSBY coverage.

**IV. Onboarding of 5000 BCs (as direction given by DFS)-**As per the instructions of Finance Secretary for on-boarding of 5000 more BCs to make our BC Force to 9000 by March 2023. Accordingly, we have issued work order during the month of Nov 22. Additional 2001 BC points have been allotted to Corporate BC Partners in rural and semi-urban branches during the month of February 2023. We have appointed about 2400 BCs in under banked and unbanked areas.

## 7.7 Aadhaar Enrolment Centre

A total no of 300 Aadhaar Enrolment centers has been set up covering 10% of the branches as per UIDAI guidelines in our Bank. Bank has outsourced the Aadhaar Operator activity to Corporate BCs in order to create efficient operation of AECs and optimum use of Bank's staff.

## 7.8 Revenue generated through Financial Inclusion Project

Consistent, efforts under Financial Inclusion have given good results and Bank has started gaining both tangible and intangible benefit out of these activities. While decongestion of branches, reduction of transaction cost and increase in CASA base are intangible benefits of FI Project. Tangible benefits have come in the form of commission earned under various products. Bank

लाख रुपये, पीएमएसबीवाई में 38.23 लाख रुपये और एपीवाई में 230.10 लाख रुपये कमीशन के रूप में अर्जित की।

## 8. सरकारी कारोबार:

सरकारी कारोबार कक्ष भारत सरकार की लघु बचत जमा योजनाओं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर संग्रह, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी करना, फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड, केंद्र और राज्य सरकार की पेंशन, राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा योजना-अटल पेंशन योजना (एपीवाई) और राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) को संभालता है।

सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) के तहत कुल खाता आधार में 31.03.2022 के 110295 में वर्ष-दर-वर्ष 26.12% वृद्धि दर्ज करते हुए 31.03.2023 को बढ़कर 139106 हो गई है और सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई) में 31.03.2022 के 92855 में वर्ष-दर-वर्ष 19.51% वृद्धि दर्ज करते हुए 31.03.2023 तक 110977 हो गई है।

एपीवाई योजना के तहत खोले गए खातों में 31.03.2022 के 592515 में वर्ष-दर-वर्ष 39.51% वृद्धि दर्ज करते हुए 31.03.2023 को बढ़कर 826635 हो गई है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान पीएफआरडीए द्वारा शुरू किए गए एपीवाई "बिग बिलीवर्स" और "राइज एवव द रेस्ट" अभियानों के तहत लक्ष्य हासिल करने के लिए बैंक को सराहना मिली है।

बैंक शुल्क आधारित आय बढ़ाने के लिए सरकारी व्यावसायिक उत्पाद को बढ़ावा देने पर जोर देता है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में विभिन्न सरकारी व्यावसायिक उत्पादों यानी कर संग्रह, पेंशन, लघु बचत योजनाएं, एपीवाई, बॉन्ड जारी करना आदि से टर्नओवर कमीशन के रूप में 25.85 करोड़ रुपये अर्जित किया है। सरकारी व्यावसायिक उत्पादों के तहत व्यावसायिक कार्यनिष्पादन में भी काफी सुधार हुआ है।

बैंक ने व्यक्तियों और कॉरपोरेट ग्राहकों के लिए 01.01.2023 से नई प्रत्यक्ष कर भुगतान प्रणाली यानी कर सूचना नेटवर्क (टीआईएन 2.0) की शुरुआत की है।

## 9. एमएसएमई :

- बैंक का एमएसएमई पोर्टफोलियो 31.3.2023 तक 17.95% (वर्ष-दर-वर्ष) बढ़ा है।
- आरआरबी सहित बैंक ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आवंटित 5350 करोड़ रुपये के लक्ष्य की तुलना में 31.03.2023 (101% उपलब्धि) तक 5430 करोड़ रुपये का मुद्रा ऋण संवितरित किया।
- आरआरबी सहित मुद्रा ऋण का संचयी बकाया शेष 31.03.2023 को 6898 करोड़ रुपये है, जो वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए मुद्रा के बकाया शेष 6300 करोड़ रुपये के आबंटित लक्ष्य का 109% है।
- ग्राहकों के संपूर्ण डिजिटल अनुभव के लिए 50,000 रुपये तक का एसटीपी शिशु मुद्रा ऋण शुरू किया गया है, ताकि छोटे उधारकर्ताओं को शाखा में आए बिना बैंक से त्वरित ऋण प्राप्त करने में मदद मिल सके।
- 10.00 लाख रुपये तक के एमएसएमई कैश क्रेडिट खाते का स्वतः नवीनीकरण लागू किया गया।
- बैंक ने यूको जीएसटी मित्र, संशोधित पीएमईजीपी योजना, यूको एमएसएमई गोल्ड ऋण, यूको कॉन्ट्रैक्टर योजना और एमएसएमई आस्ति ऋण नाम से 5 नए एमएसएमई उत्पाद पेश किए हैं।

has earned Rs.208.14 lacs in PMJBY, Rs.38.23 lacs in PMSBY and Rs.230.10 lacs in APY as commission during FY-2022-23.

## 8. GOVERNMENT BUSINESS

Government Business cell handles Small Savings Deposit Scheme of GOI, collection of Direct and Indirect Taxes, issuance of Sovereign Gold Bond, Floating Rate Savings Bonds, Central and state Government Pension, National Social Security Scheme -Atal Pension Yojna (APY) & National Pension scheme (NPS).

There was an increase in total account base under Public Provident Fund (PPF) from 110295 as on 31.03.2022 to 139106 as on 31.03.2023 registering 26.12 % Y-o-Y growth and in Sukanya Samridhi Yojna (SSY) from 92855 as on 31.03.2022 to 110977 as on 31.03.2023 registering 19.51 % Y-o-Y growth.

There was an increase in total account base under APY scheme from 592515 as on 31.03.2022 to 826635 as on 31.03.2023 registering 39.51% Y-o-Y growth. Bank has received appreciation for achieving the target under APY "Big Believers" and "Rise Above the Rest" campaigns launched by PFRDA during FY 2022-23.

Bank gives emphasis to promote Govt. Business product to increase fee based income. Turnover Commission of Rs.25.85 Crores earned in FY 2022-23 from various Government Business products i.e. Tax Collection, Pension, Small Savings Schemes, APY, Bond Issuance etc. Business performance has also been improved under Govt. Business products substantially.

Bank has introduced new direct tax payment system i.e. Tax Information Network (TIN 2.0) with effect from 01.01.2023 for individuals and corporate customers.

## 9. MSME :

- Bank's MSME portfolio grew by 17.95% (YoY) as of 31.3.2023
- Bank including RRB disbursed Mudra Loans amounting to Rs.5430 Crores up to 31.03.2023 (101% achievement) against target of Rs.5350 Crores allocated for FY 2022-23.
- Cumulative outstanding of Mudra Loans including RRB stood at Rs.6898 Crores as on 31.03.2023 which is 109% of allocated target of Rs.6300 Crores of Mudra outstanding for FY 2022-23.
- For end-to-end digital experience of customers, STP Shishu Mudra Loan up to Rs.50,000 introduced to help small borrowers to avail quick loans from bank without visiting Branch.
- Implemented auto renewal of MSME cash credit account up to Rs.10.00 Lacs
- Bank has introduced 5 New MSME Products namely UCO GST Mitra, Modified PMEGP Scheme, UCO MSME Gold Loan, UCO Contractor Scheme and MSME Property Loan.



- TReDS प्लेटफॉर्म पर बैंक का कारोबार 31.03.2022 के 50.61 करोड़ रुपये से कई गुना बढ़कर 31.03.2023 को 413.62 करोड़ रुपये हो गया, जिसमें 717.26% की वृद्धि दर्ज की गई।
- 21 (इक्कीस) एमएसएमई योजनाएं ऋण प्रसंस्करण प्रणाली (एलपीएस) में एकीकृत हैं जिससे एमएसएमई ऋणों की बेहतर क्रेडिट अंडरराइटिंग और तेजी से प्रसंस्करण संभव हो सके।
- बैंक ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना (पीएम स्वनिधि) के तहत 70,108 स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण संस्वीकृत किया है।
- प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना (पीएमईजीपी) के तहत बैंक ने 2355 इकाइयों को 206.39 करोड़ रुपये का ऋण संस्वीकृत किया है।
- बैंक ने आरआरबी के साथ मिलकर 31.03.2023 तक स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत आर्बिटल लक्ष्य का 77% हासिल कर लिया है।
- निदेशक मंडल ने टीएटी में कमी के साथ एमएसएमई ऋणों के त्वरित प्रसंस्करण के लिए देश भर के प्रमुख व्यावसायिक केंद्रों पर 11 नए एसएमई हब के संचालन को मंजूरी दी है। इन नए एसएमई हब के जुड़ने से एसएमई हब की कुल संख्या 21 हो जाएगी।
- बैंक ने एमएसएमई उद्यमों की सुविधा के लिए 496 एमएसएमई निर्दिष्ट शाखाओं की पहचान की है।
- बैंक ने एमएसएमई कारोबार को बढ़ाने के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान दो अभियान शुरू किए हैं। इन अभियानों के तहत कार्यनिष्पादन निम्नलिखित है:

(राशि करोड़ ₹ में)

क्र.सं.	अभियान अवधि	एमएसएमई कारोबार
1	07/11 से 06/01/22	1340
2	01/02 से 22/03/23	1280

## 10. रिटेल:

- बैंक का मुथूत फिनकोर्प लि. के साथ गठजोड़ था। मौजूदा वर्ष में हमने आधार हाउसिंग फाइनेंस लि., आईआईएफएल फाइनेंस लि. और कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लि. के साथ को-लेन्डिंग की शुरुआत की है। को-लेन्डिंग संविभाग (रिटेल) में वित्तीय वर्ष 22-23 में ₹1121 करोड़ की वृद्धि हुई है और यह 31.03.2023 को ₹1822 करोड़ का रहा है।
- बैंक ने वित्तीय वर्ष 22-23 में कर्मचारियों, सेवानिवृत्त कर्मचारियों, बैंक के आरिस्त एवं देयता ग्राहकों के लिए पूर्व-अनुमोदित वैयक्तिक ऋणों की शुरुआत की है। 31.03.2023 को यह संविभाग ₹122 करोड़ का रहा है।
- बैंक ने आवास ऋण, टॉप-अप आवास ऋण, संपदा ऋण, पेन्शनर ऋण और नकदी ऋण (वैयक्तिक ऋण) में संशोधन करके अपने रिटेल उत्पादों को और स्पर्धात्मक बनाया है।
- संपत्तियों और कारों की लागत में वृद्धि को मद्देनजर रखते हुए, साथ ही ऋण प्रस्तावों के शीघ्र निपटान के लिए बैंक ने विभिन्न वेतनमानों में स्थित शाखा प्रमुखों की, रिटेल उत्पादों के अंतर्गत उधार देने की शक्ति में बढ़ोतरी की है।

- Bank business on TReDS platforms has increased manifold from Rs. 50.61 Crores as on 31.03.2022 to Rs. 413.62 Cr as on 31.03.2023 registering a Growth of 717.26%.
- 21 (Twenty One) MSME Schemes integrated in Loan Processing System (LPS) thereby enabling better credit underwriting and fast processing of MSME loans.
- Bank sanctioned loans to 70,108 Street Vendors under Prime Minister Street Vendors AtmaNirbharNidhi Scheme (PM SVANidhi).
- Bank sanctioned loans to 2355 units amounting to Rs.206.39 Crores under Prime Minister Employment Generation Programme Scheme (PMEGP).
- Bank along with RRB has achieved 77% of allocated target under Stand Up India Scheme up to 31.03.2023.
- Board has approved to operationalize 11 newSME Hubs at prominent business centres across the country for quick processing of MSME loans with reduced TAT. With addition of these new SME Hubs, total number of SME Hubs will become 21.
- Bank has identified 496 MSME Designated Branches to facilitate MSME Enterprises.
- Bank has launched two Campaigns during FY 2022-23 to augment MSME business. Performance under these Campaigns are as under:

(Amount in ₹ Crore)

SL	Campaign Period	MSME Business
1	07/11 - 06/01/22	1340
2	01/02 - 22/03/23	1280

## 10. RETAIL

- Bank had a tie Up with MuthootFincorp Ltd. In the current year, we have commenced Co-Lending with AadhaarHousing Finance Ltd, IIFL Finance Ltd and Capri Global Housing Finance Ltd. Co-Lending Portfolio (Retail) has increased by Rs. 1121 Crores in FY 22 -23 and stands at Rs. 1822 Crores as on 31.03.2023.
- Bank has introduced Pre - Approved Personal Loans to Staff, Ex-staff, Asset and Liability customers of Bank in FY 22-23. Portfolio stands at Rs. 122 Crores as on 31.03.2023.
- Bank has made its retail products more competitive through modifications in Home Loans, Top-Up Home Loans, Property Loan, Pensioner Loan and Cash Loan (Personal Loan).
- Bank had also increased the lending power of retail products for Branch Heads in different scales considering the increase in cost of properties and cars and for quicker disposal of loan proposals.

- बैंक ने आवास ऋण, कार ऋण, संपदा ऋण टॉप-अप आवास ऋण एवं पीएपीएल पर लगने वाली ब्याज दर को ग्राहक के जोखिम प्रोफाइल से जोड़ दिया है। इसके परिणामस्वरूप बेहतर ऋण स्कोर युक्त ग्राहक कमतर ब्याज दर पर ऋण प्राप्त करते हैं, वहीं संतोषजनक ऋण स्कोर युक्त ग्राहकों पर प्रीमियम दर लागू होती है।
- बीकानेर, विजयवाड़ा, कटक और वाराणसी में नए रिटेल लोन हब गठित किए गए हैं। मुंबई के मौजूदा रिटेल लोन हब के दो भाग किए गए हैं ताकि बेहतर कार्यक्षमता के साथ मुंबई क्षेत्र की कारोबारी संभावनाओं का पूरी तरह से सार्थक उपयोग किया जा सके।
- बाजार के बदलावों के अनुरूप बैंक प्रतिक्रियाशील रहा तथा 15.07.2022 से लेकर 31.03.2023 तक बैंक ने आवास ऋण एवं कार ऋण में प्रोसेसिंग शुल्क की छूट दी। इसके साथ ही स्पर्धात्मक बने रहने के लिए बैंक ने हमारे आवास ऋण और कार ऋण उत्पाद की ब्याज दर को तीन बार संशोधित भी किया।
- बैंक ने स्वर्ण ऋण के लिए अलग से एक संप्रभाग आरंभ किया तथा कर्मचारी सदस्यों को स्वर्ण ऋण देने के लिए नया उत्पाद भी शुरू किया। मौजूदा स्वर्ण ऋण उत्पाद में संशोधन किया - कृषि से जोड़ते हुए क्रमशः 6 माह और 12 माह की अवधि के लिए 15% और 20% मार्जिन के साथ ऋण दिए गए।
- वित्तीय वर्ष में विभाग ने कार्यक्षेत्र के कार्मिकों को सक्रिय और प्रोत्साहित करने के लिए 6 अभियान संचालित किए, साथ ही श्रेष्ठ कार्यनिष्पादकों को विविध रूप में पारितोषिक एवं पहचान दिलाई।
- बैंक ने समस्पर्धी बैंकों के समान ही कमीशन के साथ डीएसए नीति भी प्रारंभ की है।
- कारोबार वृद्धि में सहयोग के लिए भारत भर के प्रमुख स्थानों में सेल्स टीम भी गठित की गई।
- बैंक ने 22 शाखाओं को गोल्ड बुटीक के रूप में पहचान दी, इस प्रकार गोल्ड बुटीक शाखाओं की कुल संख्या 35 हो गई। गोल्ड बुटीकों के जरिए स्वर्ण ऋण पाने के लिए ब्रांडिंग, सुरक्षा एवं अभिरक्षण, ग्राहकों के बैठने की व्यवस्था और कार्य पूरा करने की अवधि पर विशेष ध्यान दिया गया।
- बैंक ने स्वर्ण ऋण कारोबार के लिए 565 शाखाएँ भी चुनीं, जिससे स्वर्ण ऋण कारोबार करने वाली शाखाओं की कुल संख्या 1895 हो गई।
- बैंक ने भारत भर में स्वर्ण ऋण के मूल्यांकन और पुनर्मूल्यांकन के लिए कॉरपोरेट मूल्यांकक मेसर्स फोबोस गोल्ड टेक्नोलॉजीस प्रा. लि. को पैनल में शामिल किया है।
- Bank has also linked the Rate of Interest in Home Loan, Car Loan, Property Loan, Top Up Home Loan and PAPL to risk profile of Customer as a result of which customer with better credit scores avail the loans at a lower ROI whereas customers with satisfactory credit scores are charged a premium.
- New Retail Loan Hubs have been formed in Bikaner, Vijayawada, Cuttack and Varanasi. Existing Retail Loan Hub in Mumbai has been bifurcated in to two for better efficiency and to fully utilise the potential of Mumbai region.
- Bank had been proactive in reacting to the changes in market and had waived processing charges in Home Loans & Car Loans from 15.07.2022 to 31.03.2023 and had also revised the rate of interest of our home loan and car loan product thrice to remain competitive.
- Bank had also started a dedicated vertical for Gold Loans and had introduced new product for extending Gold Loan to staff members and had also modified the existing Gold Loan product - agriculture allied by extending loans for 6 months and 12 months tenor with 15% and 20% margin respectively.
- Department had launched 6 campaigns, to activate and motivate field functionaries, in the financial year with various rewards and recognition for performers.
- Bank had also introduced DSA policy with commission on par with peer Banks.
- Sales Teams were also formed in major locations throughout India to aid and assist business growth.
- Bank had also identified 22 branches as Gold Boutiques taking the total tally of Gold Boutiques to 35 branches. Special focus was placed upon branding, safety & security, seating arrangement for customers and TAT for availing Gold Loans in Gold Boutiques.
- Bank had also identified 565 Branches for Gold Loan Business taking the total no. of Branches carrying out Gold Loan business to 1895.
- Bank has also empaneled a Corporate Gold appraiser, M/ s Phobos Gold Technologies Pvt. Ltd, for appraisal and re-appraisal of Gold Loans across India.

विभिन्न अभियानों, संशोधनों और कार्यक्षेत्र में सक्रिय कार्मिकों को सुगमता से ऋण देने में सक्षम बनाकर बैंक ने आवास ऋण संविभाग में 19% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि और कार ऋण संविभाग में 22% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि प्राप्त की है। ऋण की संख्या और मंजूरी की राशि की दृष्टि से कुल आवास ऋण क्रमशः 35% एवं 36% बढ़े हैं। ऋण की संख्या और मंजूरी की राशि की दृष्टि से कुल कार ऋण क्रमशः 31% एवं 45% बढ़े हैं।

## 11. विपणन और धन प्रबंधन:

बैंक की विपणन गतिविधियों का लक्ष्य बैंक के विभिन्न उत्पादों के नए कारोबार को बढ़ावा देना और ग्राहकों में बैंक की ब्रांड मूल्य और पहचान बनाए रखना है। विभाग द्वारा विभिन्न चैनलों और मीडिया के माध्यम से बैंक के उत्पाद का प्रचार भी किया जा रहा है।

As a result of the various campaigns, modifications and enablers provided to field functionaries, Bank has managed to achieve 19% YOY growth in Home Loan portfolio and 22% YOY growth in Car Loan portfolio. Total Home Loan sanctions in terms of No. of Loans and Amount Sanctioned has grown by 35% and 36% respectively. Total Car Loan sanctions in terms of No. of Loans and Amount Sanctioned has grown by 31% and 45% respectively.

## 11. Marketing and Wealth Management:

The Marketing activities of the Bank eyes at increasing the mobilization of new business promotion of different Products of the Bank and to maintain the brand value & identity of the Bank among the customers. Promotion of Bank's product through different channels and medias are also being taken up by the Department.

## क. विभिन्न गतिविधियों और पहलों के कार्यानिष्ठादन का सार :

### ● सेल्स फोर्स टीम (एसएफटी) :

विभिन्न केंद्रों पर मौजूदा विपणन टीम में कुछ अधिक कर्मचारियों को शामिल करते हुए उसे सुगठित करके सेल्स टीम बनाई गई। अलग-अलग पोर्टफोलियो के लिए अलग-अलग मुख्य दायित्व क्षेत्र के साथ चार अलग-अलग सेल्स फोर्स टीमें बनाई गईं।

ऋण सेल्स फोर्स (आवास ऋण सेल्स टीम, रिटेल ऋण सेल्स टीम, एमएसएमई ऋण सेल्स टीम और कॉरपोरेट ऋण सेल्स टीम) की शुरुआत से बैंक के रिटेल और एमएसएमई पोर्टफोलियो में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष के दौरान रिटेल ऋण (आवास एवं कार ऋण) में संस्वीकृत ऋण में से एसएफटी का योगदान लगभग 25% (राशिवार) और एमएसएमई ऋण का 14.4% (राशिवार) रहा है।

### ● डायरेक्ट सेलिंग एजेंट (डीएसए) :

आवास ऋण एवं कार ऋण आवेदनों के स्रोतों को बढ़ाने के लिए प्रतिस्पर्धी पे-आउट के साथ डायरेक्ट सेलिंग एजेंटों (डीएसए) का नियोजन आरंभ किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान डीएसए चैनल के माध्यम से कुल 1324 करोड़ रुपये का कारोबार (आवास ऋण एवं कार ऋण) किया गया है।

### ● यूको बैंक को अपने पसंदीदा फाइनेंसर के रूप में पेश करने के लिए कार निर्माण कंपनियों के साथ गठजोड़:

हमारे बैंक को कार खरीदारों के पसंदीदा फाइनेंसर के रूप में बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार कंपनियों (महिंद्रा एंड महिंद्रा, टोयोटा, किरलोस्कर मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, टाटा मोटर्स पैसंजर व्हीकल लिमिटेड, मार्सति सुजुकी इंडिया लिमिटेड) के साथ समझौता किया गया है। साथ ही, बैंक के लिए बेहतर व्यवसाय अर्जन करने के उद्देश्य से हमारी शाखाओं और कार डीलरों/आउटलेटों के बीच एक मजबूत संबंध विकसित करने के लिए देश भर में इन कंपनियों के साथ विभिन्न संयुक्त गतिविधियों का आयोजन किया गया। वर्तमान में आसान और त्वरित डिजिटल ऋण देने के लिए मार्सति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के डिजिटल प्लेटफॉर्म में हमारे बैंक की ऋण प्रसंस्करण प्रणाली का एकीकरण प्रगति पर है।

### ● लीड प्राप्त करना :

बैंक ने अपने मौजूदा ग्राहकों को विभिन्न प्रकार के उत्पाद बेचने का आवाहन किया है। तदनुसार, मौजूदा आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है और संभावनाओं का पता लगाया गया है। संभावित ग्राहकों को विभिन्न उत्पाद प्रस्तावों के साथ बल्क संदेश/ई-मेल भेजे गए। डिजिटल और मूर्त दोनों प्रकार की सामग्री (एक-पेजर, वीडियो/ऑडियो क्लिप/बैनर/तुलनात्मक, ईडीएम, फ्लायर्स इत्यादि) डिज़ाइन की गईं और शाखा अधिकारियों को उत्पाद यूएसपी के साथ भेजी गईं। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त हुए प्रस्तावों के आधार पर बैंक के अपनी लीड प्राप्ति प्रबंधन व्यवस्था ने यथाचित कार्रवाई की।

यूको रिएल्टी तथा रिटेल और एमएसएमई सीबील ट्रिगर्स के माध्यम से भी लीड मिली। इससे बैंक को अच्छे ग्राहकों को अपने साथ जोड़े रखने और ग्राहकों की जरूरतों का ध्यान रखते हुए कारोबार बढ़ाने में मदद मिली।

### ● अभियान :

विपणन और धन प्रबंधन विभाग द्वारा अभियान अवधि के लिए अंचल को आबंटित विशिष्ट लक्ष्यों के साथ आवास ऋण/ कार ऋण और एमएसएमई ऋण की स्रोतों को अधिक से अधिक बढ़ाने के लिए कई अभियान शुरू किए गए। इस अभियान में डीएसए और सेल्स फोर्स के सदस्य

## A. The Gist of Performance of various activities & initiatives undertaken:

### ● Sales Force Team (SFT):

Introduction of Sales Team was done revamping the existing Marketing Team structure with higher number of staff strength in different centres. Four different Sales Force Teams were created with separate KRAs for separate portfolios.

Introduction of Loan Sales Force (Home Loan Sales team, Retail Loan Sales team, MSME Loan Sales team & Corporate Loan Sales Team), has resulted into significant growth in the bank's Retail and MSME portfolio. The contribution of SFT in Retail loans (Home and Car loans) is approx. 25%(amount wise) and for MSME loans is 14.4%(amount wise) out of Loan sanctioned during the year.

### ● Direct Selling Agents (DSA):

Engagement of Direct selling agents (DSA) was introduced with competitive pay-out structure to maximize sourcing of Home Loan & Car Loan applications.

Total 1324 Cr Business (Home Loan and Car Loan) has been canvassed through DSAs channel during the FY 2022-23.

### ● Tie up with Car Manufacturing Companies to present UCO Bank as their preferred Financer:

Agreement has been done with different car companies (Mahindra & Mahindra, Toyota Kirloskar Motors Pvt. Ltd., Tata Motors Passenger Vehicle Ltd., Maruti Suzuki India Ltd.) to promote our Bank as the preferred Financer to the Car Purchasers. Also, various joint activities were organized with these companies across the country to develop a strong relationship between our branches and the car dealers/outlets for generating handsome business for the bank. Currently integration of our Bank's Loan processing system in the digital platform of Maruti Suzuki India Ltd for easy and quick digital lending is in progress.

### ● Lead generation:

Bank has given a call to sell multiple products to our existing customers. Accordingly, analysis of existing data has been done and prospects have been identified. Bulk Messages/ E-Mails with different product offers were sent to the prospective customers. Both Digital & Physical collaterals (One-pagers, Video/ Audio clips/ Banners/ comparatives, EDM, flyers etc.) were designed & supplied to the field functionaries with product USP. The generated Leads from various channels were tracked and monitored via indigenous Lead generation management system of the Bank.

Leads were also generated through UCO Realty and Retail & MSME CIBIL Triggers. These facilities helped in retaining good customers of the Bank and to generate new business by tracking customer's needs.

### ● Campaign:

Several Campaigns were launched from Marketing & Wealth Management Department to maximize sourcing of Home Loan/ Car Loan & MSME Loans with specific targets allotted to Zones for the campaign periods. DSAs & Sales Force members were

सक्रिय रूप से शामिल थे और डेवलपर्स, कार डीलर्स आदि की भागीदारी के साथ प्रमुख स्थानों पर शिविर और कार्यक्रम आयोजित किए गए। कुछ विशेष अभियानों यथा “रेनिंग डिस्काउंट्स एंड ऑफर्स”, “फेस्टिव कैम्पेन”, “फाउंडेशन डे”, “फाउंडेशन-स्टार 2.0” आदि के रूप में नामित किया गया था। इन अभियानों के दौरान ऋण संस्वीकृति की राशि में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई।

#### ख. धन प्रबंधन और क्रेडिट कार्ड :

##### विभिन्न खंडों के तहत कारोबार का कार्यनिष्पादन :

वित्तीय वर्ष 2022-23 में, बैंक ने तीसरे पक्ष के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए धन प्रबंधन संप्रभाग बनाया है। (बैंकश्योरेंस, म्युचुअल फंड और ब्रोकिंग)।

actively involved and Camps & events were organized in prominent places along with participation of Developers, Car Dealers etc. Some of the special campaigns were named as "Raining Discounts & offers". "Festive Campaign", "Foundation Day", "Foundation- Star 2.0" etc. Significant amount of sanctioning of Loans was observed in these campaigns.

#### B. Wealth Management & Credit Card:

##### Business performance under various segments:

In the FY 2022-23, Bank has created Wealth Management vertical to Promote third party products. (Bancassurance, Mutual Fund and Broking).

**धन प्रबंधन के अंतर्गत व्यवसाय**  
**Business under Wealth Management**  
**बैंकश्योरेंस में व्यवसाय (लाख में)**  
**Business in Bancassurance (in lacs)**

क्रमांक SI	कंपनी का नाम Name of the Company	संगृहीत प्रीमियम (रुपये लाख में) Premium Collected (₹ in Lakhs)	अर्जित कमीशन (रुपये लाख में) Commission Earned (₹ in Lakhs)	पॉलिसी/फोलियो की सं. No of Policy/ Folio
1.	भारतीय जीवन बीमा निगम Life Insurance Corporation of India	496.55	171.54	683
2.	एसबीआई जीवन बीमा कंपनी लिमिटेड SBI Life Insurance Co. Ltd.	30333.98	3207.51	29,552
3.	आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल जीवन बीमा कंपनी लिमिटेड ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd	451.62	95.60	672
4.	केयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड Care Health Insurance Co. Ltd.	3023.78	445.65	86,952
5.	स्टार हेल्थ एवं एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड Star Health & Allied Insurance Co. Ltd.	854.95	111.40	9,852
6.	आदित्य बिड़ला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड Aditya Birla Health Insurance Co. Ltd	11.49	1.69	107
7.	फ्यूचर जेनरली इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड Future Generali India Insurance Co. Ltd.	4539.20	584.17	2,05,694
8.	ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड The Oriental Insurance Co. Ltd.	411.66	60.53	18,692
	<b>कुल/Sub-Total</b>	<b>40,123.23</b>	<b>4678.09</b>	<b>3,52,204</b>

**म्युचुअल फंड और ब्रोकिंग में व्यवसाय (रुपये लाख में)**  
**Business in Mutual Fund & Broking (Rs. In Lac)**

धन प्रबंधन व्यवसाय (एमएफ/एसआईपी, ब्रोकिंग डीमैट, एनपीएस, बॉन्ड, एआईएफ, पीएमएस) Wealth management Business (MF/SIP, Broking Demat, NPS, Bonds, AIF, PMS)		107.00	
क्रेडिट कार्ड में किए गए व्यवसाय/Business Done in Credit Card			
अर्जित कमीशन/Commission earned	लागू नहीं/NA	790.00	
कुल अर्जित कमीशन/Total Commission Earned		5575.09	

### (i) बैंकश्योरेंस

- बैंकश्योरेंस व्यवसाय जैसे जीवन, सामान्य और स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय को बढ़ाने के लिए बीमा कंपनी का एक कॉरपोरेट एजेंट है।
- बैंक ने प्रत्येक खंड में एक यानी जीवन, सामान्य और स्वास्थ्य बीमा में 3 नए चैनल भागीदारों को शामिल किया है। अब बैंक के पास बीमा के प्रत्येक खंड में 3 चैनल भागीदार हैं।

### कॉरपोरेट एजेंसी व्यवस्था के अंतर्गत वर्तमान भागीदार:

- जीवन बीमा - भारतीय जीवन बीमा निगम, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल जीवन बीमा कंपनी।
- सामान्य बीमा - ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, फ्यूचर जेनरली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
- स्वास्थ्य बीमा - स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, केयर हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड और आदित्य बिड़ला हेल्थ इंश्योरेंस

बैंक ने समूह ऋण जीवन बीमा के लिए कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ समझौता किया है ताकि गृह, शिक्षा और खुदरा ऋण उधारकर्ताओं के जीवन जोखिम को कवर किया जा सकता है।

- बैंक ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान बैंकश्योरेंस व्यवसाय को बढ़ाने के लिए विनिर्दिष्ट व्यक्तियों (एसपी) की संख्या में वृद्धि की। विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) के दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है। इस वित्तीय वर्ष के अंत तक विभाग बैंक के प्रत्येक शाखा आउटलेट में एक एसपी रखने का लक्ष्य बना रहा है।
- बैंक ने शुरू से अंत तक निर्बाध डिजिटल मोड के माध्यम से प्रस्ताव और प्रीमियम के भुगतान की व्यवस्था के लिए चैनल पार्टनर्स के साथ आईटी एकीकरण की पहल की है जिसके परिणामस्वरूप पॉलिसी जारी करने वाले टीएटी में कमी आई है और हमारे बैंक द्वारा होने वाले कारोबार पर भी बेहतर नियंत्रण हुआ है।
- ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ गठजोड़ से यूको सुविधा सैलरी खातों में अतिरिक्त सुविधा के रूप में 20.00 लाख रुपये तक का समूह व्यक्तिगत दुर्घटना मृत्यु बीमा कवर का नवीकरण किया है।
- बैंक ने स्वास्थ्य बीमा चैनल पार्टनरों के साथ मिलकर हमारे बैंक के ग्राहकों के लिए विभिन्न शाखाओं और कार्यालयों में लगभग 1100 स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किए।
- विपणन और धन प्रबंधन विभाग ने मौजूदा ग्राहक के विश्लेषणात्मक अध्ययन तथा 3.40 प्राथमिक ग्राहकों को एचएनआई सेगमेंट के रूप में पहचान सहित संभावित ग्राहकों की सूची तैयार की है। तीसरे पक्ष के उत्पादों की क्रॉस सेलिंग के लिए समय-समय पर शाखाओं और अंचल कार्यालयों को संभावित सूचियाँ प्रदान की है।

### (ii) धन प्रबंधन :

बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए म्युचुअल फंड, डीमैट खाता और ट्रेडिंग खाता खोलने सहित धन प्रबंधन लेनदेन के ऑनलाइन माध्यम से सुविधा प्रदान करने के लिए एक फिनटेक कंपनी के साथ गठजोड़ किया है। यह सुविधा यूको-एमबैंकिंग प्लस ऐप के तहत भी उपलब्ध है।

### (i) Bancassurance

- Bank is Corporate agent of Insurance Companies for Soliciting Insurance Business for life, General and Health Segment.
- Bank has on boarded 3 New channel partners one in each segment i.e. Life, General and Health insurance stand alone. Now Bank has 3 channel partners in each segment of Insurance.

### Present Partners under corporate agency arrangement:

- Life insurance- Life Insurance Corporation of India, SBI Life Insurance Co. Ltd and ICICI prudential life Insurance Co.
- General Insurance- The Oriental Insurance Co. Ltd, Future Generali India Insurance Co. Ltd and SBI General Insurance Company Ltd.
- Health Insurance- Star Health & Allied Insurance Co. Ltd, Care Health Insurance Ltd and Aditya Birla Health Insurance.

For group Credit life, Bank is having tie-up arrangement with Kotak Mahindra Life Insurance Company Ltd. To cover Life risk of Home, education and retail loan borrowers.

- Bank has increased the number of Specified persons(SP) substantially for the FY2022-23 for felicitating Bancassurance business as per regulatory guidelines. The Specified persons are created as per Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) guidelines. By end of this FY, Department is targeting to have one SP in each branch outlet of the Bank.
- Bank has taken the initiative for IT integration with Channel partners for end-to-end seamless digital mode of sourcing proposal and payment of premium resulting in reducing policy issuance TAT and also better control on the business sourced through our Bank.
- Group Personal Accidental Death Insurance cover up to Rs.20.00 Lakhs as additional feature in UCO Suvidha Salary Accounts in tie-up with Oriental Insurance Co. Ltd has been renewed.
- Bank in association with Health Insurance Channel Partners have organized around 1100 health checkup camps in various branches and offices for our Banks customers.
- Marketing and Wealth Management Department has identified lists of prospective customers by analytical study of Bank's existing customer base including identification of 3.40 lakhs priority customers as HNI segment. The prospective lists have been provided to branches and Zonal Offices from time to time for cross-selling of third party Products.

### (ii) Wealth Management:

Bank has made arrangements with Fintech Company for providing online mode of Wealth Management transactions including opening of Mutual Fund, Demat A/c & Trading A/c for our customers. The facility is also available under UCO-MbankingPlus App.

यह विभाग हमारे ग्राहकों के लाभ के लिए और गैर-ब्याज आय को और अधिक बढ़ाने के लिए नए धन प्रबंधन उत्पाद पेश करने का भी प्रयास कर रहा है।

### (iii) क्रेडिट कार्ड :

बैंक अपने ग्राहक को रेफरल आधार पर एसबीआई कार्ड और पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड के साथ क्रेडिट कार्ड की सुविधा प्रदान कर रहा है।

विभिन्न प्रकार के कार्ड प्राप्त करने के लिए पात्र पूर्व-अनुमोदित ग्राहकों की सूची शाखाओं को प्रदान की जाती है। इन ग्राहकों से संपर्क किया जाता है और ग्राहकों से सहमति और आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने के बाद कार्ड जारी किया जाता है। कार्ड के जारी करने, नवीनीकरण और कार्ड के उपयोग पर कमीशन अर्जित किया जाता है।

### ग. डोर स्टेप बैंकिंग :

बैंक पीएसबी एलायंस द्वारा की गई डोर स्टेप बैंकिंग पहल को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहा है। वित्तीय वर्ष 22-23 के दौरान पीएसबी एलायंस द्वारा कई अभियान शुरू किए गए और कई अभियानों में लक्षित कार्यनिष्पादन हासिल करने के लिए बैंक को पुरस्कृत किया गया।

### 12. विधिक मामले

प्रथम दृष्टया तो विधि विभाग की परामर्शदायी भूमिका होती है जो दावों, मुकदमों और आपराधिक आरोपों के वित्तीय और प्रतिष्ठाजन्य परिणामों से संस्थान को संरक्षित करने पर ध्यान केंद्रित करता है। इसके अतिरिक्त, यह विभाग बैंक विरुद्ध मुकदमों से बचाव और मौजूदा मुकदमों के प्रबंधन/निगरानी का भी प्रयास करता है। तथापि, बैंकिंग संस्थान में किसी विधि विभाग का काम मात्र विधिक परामर्श देने या विविध विधिक मंचों के समक्ष बैंकों के विधिक संविभाग के काम संभालने तक सीमित नहीं है; विभाग को बहुमुखी विधिक कार्य सौंपे जाते हैं।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, विधि विभाग दस्तावेजों, नीतियों और दिशानिर्देशों के मसौदे तैयार करने, उनकी जांच और समीक्षा करने में भी मदद करता है जिसका दैनंदिन बैंकिंग में विधिक दक्षता के विभिन्न कार्यक्षेत्रों पर प्रभाव पड़ता है। विधि विभाग अधिवक्ताओं का पैनाल तैयार करने,उनका शुल्क अदा करने,परिपत्र जारी करने और विभिन्न विधिक मंचों के समक्ष लंबित मुकदमों पर अनुवर्ती कार्यवाही और निगरानी आदि से संबंधित नीतियों/ दिशानिर्देशों को व्यवस्थित करता है। विधि विभाग कारपोरेट विभागों की विशिष्ट जरूरतों को भी पूरा करता है।

कार्यक्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों में जागरूकता लाने के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में विधि विभाग ने विभिन्न संविधियों और नए विधानों के विविध संशोधनों के संबंध में परिपत्र जारी किए हैं। इसके साथ ही बैंक के ऋण दस्तावेजों को विधिक गत्यात्मकता की बदलती चाल के अनुरूप विन्यस्त करने हेतु विभाग ने शिक्षा ऋण, स्वर्ण ऋण, यूको केश ऋण, पूर्व अनुमोदित ऋण, आवास ऋण से संबंधित दस्तावेजों की जांच की और सूक्ष्म वित्तपोषण ऋण,एमएसएमई संपत्ति ऋण के दस्तावेज तैयार किए।

- 3.00 करोड़ रुपये से 50.00 करोड़ रुपये के बीच की राशि वाले कपट प्रकरणों में बैंक द्वारा की गई शिकायतों/एफआईआर की विधिक जांच, साथ ही जिन अंचल कार्यालयों में विधि अधिकारी पदस्थापित नहीं है, उनके प्रकरणों में शामिल राशि का विचार न करते हुए सभी शिकायतों/एफआईआर की विधिक जांच।
- बैंक द्वारा दायर की गई आरटीआई अपीलों की विधिक जांच, साथ ही विविध कारपोरेट विभागों के अनुरोध और जरूरत के अनुसार विभिन्न एसएलए/एमओयू/समझौते की भी जांच।
- जब भी जरूरत बताई जाए, तब शामिल जटिल विधिक मामलों पर विभिन्न कारपोरेट विभागों/ अंचल कार्यालयों को विधिक राय प्रदान करना।

Department is also trying to introduce new Wealth Management Products for the benefit of our customers and to improve generation of non-interest income.

### (iii) Credit Card:

Bank is providing Credit Card facility to its customer on referral basis with SBI cards and payment services limited.

List of pre-approved customers eligible for availing different type of cards are provided to branches. These customers are approached and final card issuance is done after getting consent & necessary documents from the customers. Commission is earned on issuance, renewal of cards and on usage of the Cards.

### C. Door Step-Banking:

Bank is actively promoting Door Step Banking initiative taken by PSB Alliance. During the FY 22-23 number of campaigns were launched by PSB Alliance and Bank has been awarded for achieving the targeted performance in multiple campaigns.

### 12. LEGAL MATTERS

The Law Department, in a first instance, has an advisory role, focused on protection of the institution from financial and reputational consequences of claims, litigations and criminal charges. Further, the Department endeavors to prevent litigations against the Bank and also manage/monitor the existing litigations. However, the task of any Law Department in a banking institution is not only confined to furnishing legal advice or handling legal portfolio of Banks before various fora of Law; they are entrusted with versatile legal works.

Besides above, Law Department also assist in drafting, vetting, reviewing of documents, policies & guidelines effecting various domain of legal acumen in day to day Banking. Law Department puts in order the policies/guidelines regarding the empanelment of Advocates, payment of Advocate Fees, issuance of Circulars and follow-up & monitoring of litigations pending before various fora of law. The Law Department also caters to the specific needs of Corporate Departments.

With a view to create awareness amongst the Field Functionaries, in the FY 2022-23 the Law Department has issued Circulars regarding various amendments on Statutes and new Legislations etc. Further to align the Bank's loan documents with changing pace of legal dynamics. Department examined documents related to Education loan, GOLD Loan, UCO Cash Loan. Pre-approved Loan, Home Loan and prepared documents for Micro Finance Loan, MSME Property Loan.

- Legal vetting of Complaints/FIRs filed by Bank in the fraud cases involving amount between Rupees 3.00 Crores and Rupees 50.00 Crores and also vetting of all Complaints/ FIRs irrespective of amount involved of Zonal Offices where no Law Officer is posted.
- Legal vetting of RTI Appeals filed by the Bank and also vetting of various SLA/MOU/Agreement as per the request and requirement of different corporate departments.
- Providing legal opinion to different Corporate Departments/ Zonal Offices on complex legal issues involved, whenever requisitioned for.

- वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय बैंक संघ के विविध विषयक पत्राचार पर टिप्पणी/राय देना, जिसमें किसी संविधि/अधिनियम में नया विधान/संशोधन शामिल है।

### 13. वसूली

बैंक का वसूली तंत्र संगठन के सभी स्तरों पर भी तैयार है। अधिकतम वसूली करने के लिए बैंक ने निम्नलिखित रणनीति अपनाई है।

- सरफेसी कार्रवाई समय पर शुरू करना और सरफेसी के माध्यम से आस्तियों की बिक्री करना। ई-नीलामी की सफलता दर में सुधार के लिए गिरवी रखी आस्तियों के भौतिक कब्जे के लिए जिलाधिकारी की अनुमति प्राप्त करने के लिए कदम उठाना।
- शून्य कार्यनिष्पादन करने वाली शाखाओं को कम करना।
- गारंटीकर्ता के विरुद्ध वाद सहित डीआरटी वाद, दीवानी वाद और एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत वाद दायर करना।
- इरादतन चूक की घोषणा।
- एलओसी जारी करना।
- सीबील/अन्य क्रेडिट ब्यूरो में डिफॉल्ट मार्क करके क्रेडिट स्कोर को प्रभावित करना।
- एनसीएलटी मार्ग के माध्यम से वसूली की खोज करना।
- पात्र एनपीए का पुनरसंरचना।
- उन्नयन के लिए साफ्ट एनपीए को लक्षित करना।
- केसीसी उधारकर्ताओं के पास सुबह जल्दी जाकर मिलना और एनपीए ट्रेकर के माध्यम से सभी उधारकर्ताओं से संपर्क करना।
- सरलीकृत ओटीएस योजना, सामान्य ओटीएस योजना और लोक अदालत के तहत एनपीए में ओटीएस का पता लगाना।
- मेगा वसूली शिविर का आयोजन।
- ईए, आरए और जांच एजेंसियों की सेवाओं का उपयोग करना और वसूली एजेंटों और अधिवक्ताओं की नियमित समीक्षा करना।
- अंचलों, उच्च एनपीए शाखाओं और एएमबी की नियमित समीक्षा।

पिछले तीन वर्षों के लिए जीएनपीए, एनएनपीए, नकद वसूली और उन्नयन का विवरण निम्नलिखित है।

- Provide comments/views to correspondences of the Ministry of Finance, Reserve Bank of India and Indian Banks' Association on different matters including new legislation/ amendments In any Statute/Act;

### 13. RECOVERY

Bank's recovery mechanism is also geared up at all levels of the organization and Bank has adopted following strategies to maximise recovery.

- Initiating timely SARFAESI action and sale of assets through SARFAESI. Taking steps for getting DM permission for physical possession of mortgaged properties to improve success rate of e-auction.
- Reducing NIL performing Branches.
- Filing of DRT suits, Civil suit including suit against Guarantors & suit u/s 138 of NI Act.
- Declaration of Wilful Default.
- Issuance of LOC.
- Affecting the credit score by marking default in CIBIL/other credit bureau.
- Exploring Recovery through NCLT route.
- Restructuring of eligible NPAs.
- Targeting soft NPAs for upgradation.
- Contacting KCC borrowers by early morning field visit and all borrowers via NPA Tracker.
- Exploring OTS in NPAs under Simplified OTS scheme, Normal OTS Scheme and LokAdalat.
- Holding Mega Recovery camps.
- Utilizing Services of EA, RA and Detective Agencies and conducting regular review of Recovery Agents & Advocates.
- Regular review of Zones, high NPA branches and AMBs.

The details of GNPA, NNPA, Cash Recovery and upgradation for the last three years are as under.

(₹ करोड़ में / ₹ in crore)

विवरण/Particulars	31.03.2021 (परीक्षित) 31.03.2021 (Audited)	31.03.2022 (परीक्षित) 31.03.2022 (Audited)	31.03.2023 (परीक्षित) 31.03.2023 (Audited)
नकद वसूली/Cash Recovery	1168.30	1298.85	1354.10
कोटि उन्नयन/Up gradation	453.35	2087.08	678.13
<b>कुल /Total</b>	<b>1621.65</b>	<b>3385.93</b>	<b>2032.23</b>
तकनीकी बड़े खाते में डाले गए खातों में वसूली Recovery in Technical Written off accountss	1087.37	1278.48	1613.42
सकल अनर्जक आस्ति/Gross NPA	11351.97	10237.43	7726.46
सकल अनर्जक आस्ति%/Gross NPA %	9.59%	7.89%	4.78%
निवल अनर्जक आस्ति/Net NPA	4389.51	3315.78	2018.02
निवल अनर्जक आस्ति%/Net NPA %	3.94%	2.70%	1.29%

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कुल नकद वसूली और उन्नयन 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए 3385.93 करोड़ रुपये की तुलना में 2032.23 करोड़ रुपये है।

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए तकनीकी रूप से बड़े खातों में डाले गए खातों में नकद वसूली पिछले वर्ष के 1278.48 करोड़ रुपये की तुलना में 1613.91 करोड़ रुपये है। हानि और बड़े खातों में डाली गई आस्तियों की वसूली का लाभप्रदता पर सीधा प्रभाव पड़ता है इसलिए बैंक ऐसे खातों में वसूली के लिए निगरानी/ अनुवर्ती कार्रवाई को प्राथमिकता दे रहा है।

#### वसूली पहल:

- बैंक ने संदिग्ध श्रेणी के तहत 31.12.2021 को 20.00 लाख रुपये तक बकाया राशि वाले एनपीए और एमएल खातों के लिए एकमुश्त निपटान योजना को सरल बनाया है जिसमें शाखा प्रमुखों को सरलीकृत ओटीएस योजना के तहत अधिक एनपीए खातों को कवर करने के लिए अपनी संस्वीकृति शक्ति के भीतर समझौता प्रस्ताव को मंजूरी देने का अधिकार दिया गया है।
- बैंक सरफेसी अधिनियम के तहत कार्रवाई को प्रभावी और समयबद्ध प्रवर्तन और एनपीए खातों के शीघ्र समाधान के लिए प्रवर्तन और वसूली एजेंटों, जांच एजेंटों और कारोबार प्रतिनिधियों (बीसी) की सेवाओं का उपयोग कर रहा है।
- बैंक ने प्रभावी निगरानी और खातों के शीघ्र समाधान के लिए सरफेसी कार्य, कानूनी मामलों आदि की स्थिति की निगरानी के लिए अंचल कार्यालयों में विभिन्न विभागों की सुविधा के उद्देश्य से विधि प्रबंधन प्रणाली को मजबूत किया है।
- एमएओ (एक के विरुद्ध अनेक) दृष्टिकोण को नियमित आधार पर अडियल उधारकर्ताओं के विरुद्ध पर अपनाया जाता है।
- एनपीए खातों में वसूली बढ़ाने के लिए मेगा वसूली शिविर आयोजित किए जा रहे हैं।
- सरफेसी के तहत आस्तियों की मेगा ई-नीलामी नियमित आधार पर आयोजित की जा रही है। एनपीए खातों के आस्तियों को आईबीए के एक सामान्य वेब पोर्टल (<https://ibapi.in>) (भारतीय बैंकों की नीलामी आस्तियों की जानकारी) 'ई-बिक्रय' पर अपलोड किया जाता है और नीलामी के लिए रखा जाता है।
- एनसीएलटी के लिए पात्र खातों का गहनता से पता लगाया जा रहा है। एनसीएलटी मामलों के संबंध में आगे बढ़ने पर विचार करने के लिए बैंक नियमित रूप से अन्य वित्तीय लेनदारों के साथ संपर्क में है। एनसीएलटी के तहत अधिकांश खाते कंसोर्टियम/बहु बैंकिंग खाते हैं, जिनकी कॉरपोरेट इनसॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रोसेस (सीआईआरपी) के तहत समाधान के लिए निगरानी कंसोर्टियम के लीडर आदि के परामर्श से मामले के आधार पर की जा रही है। जहां बैंक कंसोर्टियम का प्रमुख है, समाधान के प्रयोजन के लिए प्रत्येक खाते में अनुवर्ती कार्रवाई की गई। जहां हमारा बैंक कंसोर्टियम/जेएलएफ का सदस्य है, वहां बैंक नियमित आधार पर संबंधित प्रमुख बैंकों के शीर्ष प्रबंधन के साथ विशेष रूप से लगातार अंतराल पर जेएलएफ की बैठक आयोजित करने और ऐसी बैठकों में उपयुक्त स्तरों पर हमारे बैंक की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों को उठा रहा है।

#### 14. ऋण निगरानी:

देश ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान दूसरी लहर के रूप में कोविड को सिर उठाते देखा। इससे देनदारियों को पूरा करने के लिए वेतनभोगी वर्ग, दैनिक वेतनभोगी और व्यवसायी वर्ग आदि सहित समाज का हर वर्ग प्रभावित हुआ है।

The total cash recovery plus upgradation for the year ended 31st March, 2023 is Rs. 2032.23Crore as against Rs. 3385.93 Crore for the year ended 31st March, 2022.

The cash recovery in technically written-off accounts is Rs. 1613.91Crore) for the year ended 31st March, 2023 compared to Rs 1278.48 Crore for the previous year. Recovery in Loss and Written Off assets has a direct impact upon the profitability hence Bank is giving priority in monitoring / follow-up for recovery in such accounts.

#### Recovery initiatives:

- Bank had Simplified Onetime Settlement Scheme for NPA and ML accounts having O/s Balance up to Rs. 20.00 lac as on 31.12.2021 under Doubtful category in which branch heads were empowered to approve compromise proposal within their sanctioning power to ensure more NPA accounts are covered under the simplified OTS Scheme.
- Bank is utilizing services of Enforcement & Recovery Agents, Detective Agents and Business Correspondents (BCs) for effective and time bound enforcement of action under SARFAESI Act and early resolution of NPA accounts.
- Bank has strengthened the Legal Management System with the objective to facilitate Zonal Offices for monitoring status of SARFAESI actions, legal matters etc. for effective monitoring and early resolution of accounts.
- MAO (Many against One) approach is adopted against recalcitrant borrowers on a regular basis.
- Mega Recovery Camps are being organized to augment recovery in NPA accounts.
- Mega e-auction of properties under SARFAESI is being conducted on regular basis. Properties in NPA accounts are uploaded and put for auction on 'e-Bikray' a common web portal of IBA (<https://ibapi.in>) (Indian Banks Auction Properties Information).
- Accounts eligible for NCLT are being explored vigorously. Bank is in liaison with other financial creditors on regular basis, for considering the way forward in respect of NCLT cases. Most of the accounts under NCLT are Consortium / Multiple Banking accounts which are being monitored for resolution under Corporate Insolvency Resolution Process (CIRP) on case to case basis in consultation with leader of consortium etc. Where Bank is the leader of the consortium, follow up was made in each and every account for the purpose of resolution. Where our Bank is a member of Consortium / JLF, Bank is taking up the critical issues with the top management of the respective Leader Banks on regular basis, specifically to convene meeting of JLF at frequent intervals and ensuring our Bank's participation at suitable levels in such meetings.

#### 14. CREDIT MONITORING :

The country had witnessed the resurgence of COVID as second wave during FY 2021-22 and every section of the society including salaried class, daily wagers and business class etc. have been affected to meet out liabilities.



## कोविड-19 के प्रभाव का न्यूनीकरण :

कोविड-19 के कारण प्रभावित उधारकर्ताओं के सामने आने वाले दबाव को कम करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने विनियामक उपायों की घोषणा की थी और 5 मई, 2021 को कोविड प्रभावित दबावग्रस्त आस्तियों के लिए एक संकल्प फ्रेमवर्क 2.0 की घोषणा की थी। तदनुसार, कोविड-19 संबंधित दबाव (आरएफ 1.0 और आरएफ 2.0) के लिए आरबीआई के संकल्प फ्रेमवर्क के अनुसार, बैंक ने आवेदन से लेकर संस्वीकृति स्तर तक की निर्बाध ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से दोनों संकल्प फ्रेमवर्क को लागू किया है। बैंक इन पुनः संरचित खातों को प्रत्येक स्तर पर निगरानी भी कर रहा है।

भारत सरकार और आरबीआई की समय पर की गई कार्रवाई से अर्थव्यवस्था का पुनरुद्धार हुआ है और पिछले कुछ महीनों के दौरान, उपभोक्ता मांग में सुधार हुआ है और अधिकांश क्षेत्रों में व्यापार पुनर्जीवित हो रहा है और पूर्व-कोविड स्तरों के लगभग 70-80% पर वापस आ रहा है।

बैंक ने उन्नत निगरानी के माध्यम से ऋण निगरानी तंत्र को निम्नानुसार मजबूत किया है:

➤ **शीघ्र चेतावनी संकेत प्रणाली (ईडब्ल्यूएस)** - ईएसडब्ल्यू प्रणाली को 2 लाख रुपये और उससे अधिक के खातों को कवर करने के लिए बढ़ाया गया है, जो बैंक के मानक अग्रिमों के 93.71% को कवर करता है। ईडब्ल्यूएस प्रणाली की पहचान के संबंध में, एक सॉफ्टवेयर पैकेज लागू किया गया है जो ईएसई (एन्हांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस) एजेडा के तहत सुझाए गए 84 ईडब्ल्यूएस ट्रिगर्स के साथ आरबीआई द्वारा सुझाए गए 42 ईडब्ल्यूएस ट्रिगर्स को निर्गत करने में सक्षम है।

➤ **डैशबोर्ड:** बैंक ने सभी स्तर पर बेहतर ऋण निगरानी के लिए एक समर्पित डैशबोर्ड का शुभारंभ किया है।

ए) दैनिक एनपीए रन से निपटने के लिए ऋण निगरानी डैश बोर्ड पर एक नई रिपोर्ट "मॉनीटरिंग डेली एनपीए" उपलब्ध कराई गई है।

बी) डैशबोर्ड निम्नलिखित रिपोर्ट के साथ बैंक के रिटेल पोर्टफोलियो की विस्तृत विवरण प्रदान करता है:

क) भौगोलिक वितरण

ख) बकेट वार अग्रिम

ग) अग्रिम संचलन की प्रवृत्ति

घ) विशेष उल्लेख खाते (दैनिक आधार पर)

ङ) अग्रिम में वृद्धि

च) बार-बार टीओडी की संस्वीकृति

छ) एनएसीएच/एसआई विफल

ज) आगामी मासिक मांग

झ) आगामी समीक्षा-नवीनीकरण

ञ) आगामी स्टॉक/बीडी देय

ट) मांग ऋण देय

➤ **आईटी संग्रह प्रणाली:**

आईटी संग्रह प्रणाली मॉड्यूल के माध्यम से खाते का जोखिम वर्गीकरण 'निम्न' और 'उच्च' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। वसूली कार्रवाई खाते के जोखिम वर्गीकरण के आधार पर की जाती है। विभिन्न संग्रह कार्रवाई जैसे स्वतः ई-मेल/एसएमएस, आईवीआर कॉल, कॉल सेंटर कॉल, शाखा कॉल और शाखा अधिकारियों का दौरे जोखिम श्रेणी और खातों के पिछले दिन के बकाए के आधार पर किए जा रहे हैं।

## Mitigation of COVID-19 impact:

To ease out the stress encountered by the borrowers affected on account of COVID-19, RBI had announced regulatory measures and announced a Resolution Framework 2.0 on 5th May, 2021 for COVID affected stressed assets. Accordingly, as per the RBI's Resolution Framework for COVID-19 Related Stress (RF 1.0 and RF 2.0), Bank has implemented both the resolution frameworks through seamless online process starting from Application to Sanction Level. Bank is also monitoring these restructured accounts at all level.

The timely action of Govt of India and RBI have led to revival of the economy and during last few months, consumer demand has been recovered and business across most of sectors is reviving and coming back to almost 70-80% of the pre-covid levels.

Bank has strengthened Credit Monitoring mechanism through Enhanced Monitoring as under:

➤ **Early Warning Signal System (EWS)** - EWS system has been extended to cover accounts of Rs. 2 Lac and above which covers 93.71% of Bank's standard advances. Regarding System identification of EWS, a software package has been implemented which is capable of generating 42 EWS triggers as suggested by RBI along with 84 EWS triggers as suggested under EASE (Enhanced Access and Service Excellence) Agenda.

➤ **Dashboard:** Bank has launched one Dedicated Dashboard for better Credit Monitoring at all level.

a) A new report "Monitoring Daily NPA" at Credit Monitoring Dash Board has been made available to tackle daily NPA run.

b) The Dashboard provides a detailed picture of the Retail portfolio of the Bank with below mentioned reports :

a. Geographical distribution

b. Bucket-wise Advance

c. Trend in movement of Advance

d. Special Mention Accounts (on daily basis)

e. Spurt In Advance

f. Sanctioning of Frequent TODs

g. NACH/ SI failed

h. Upcoming Monthly Demands

i. Upcoming Review-Renewal

j. Upcoming Stock/BD Dues

k. Demand Loans Due

➤ **IT Collection System:**

Through IT collection system module, risk gradation of the account is categorised under 'Low' and 'High'. The recovery action is made based on the risk categorization of the account. Various collection action viz. Auto E-mail/SMS, IVR Calls, Call Centre Calls, Branch Calls and Branch officials visits are being made based on the risk category and day past due of the accounts.

- दबावग्रस्त आरिष्ठ प्रबंधन के रूप में 5 करोड़ रुपये और उससे अधिक की चूक आरिष्ठ की साप्ताहिक रिपोर्टिंग आरबीआई के सेंट्रल रिपॉजिटरी ऑफ़ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट (CRILC) प्लेटफॉर्म पर की जाती है और दैनिक आधार पर निगरानी की जाती है।
- दबावग्रस्त और एनपीए खातों की आधार स्तर पर निगरानी हेतु मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से एनपीए ट्रेकर प्रस्तुत किया गया है।

उपर्युक्त निगरानी तंत्र के अलावा बैंक रिटेल, कृषि और एमएसएमई उधारकर्ताओं की निगरानी के लिए बड़े पैमाने पर एक समर्पित समाधान बोर्डिंग/कार्यान्वित करने की प्रक्रिया में है जो बैंक को रैम सेगमेंट (चूक की भविष्यवाणी) के तहत अग्रिम रूप से ही दबाव की पहचान करने में सक्षम होगा।

बैंक ने मूल स्तर पर कार्य में सुधार के लिए निम्नलिखित कार्यनीति और दिशानिर्देश तैयार किए हैं:

- क) ऋण निगरानी 2021-22 के परिचालन संबंधी दिशा-निर्देशों को अद्यतन किया गया है और निदेशक मंडल के अनुमोदन के पश्चात जारी कर दिया गया है।
- ख) टीईवी सलाहकारों के सूचीबद्ध होने की नीति को संशोधित कर इसे 01.04.2022 को लागू कर दिया गया है।
- ग) स्टॉक और बही ऋण लेखा परीक्षकों की सूचीबद्ध करने और नियुक्ति के दिशानिर्देशों को संशोधित कर 01.04.2022 से लागू कर दिया गया है।
- घ) ऋण सुविधा की प्रक्रिया के दौरान प्राथमिक और संपार्श्विक दोनों प्रतिभूतियों के रूप में पेश की गई आरिष्ठियों के लिए मूल्यांकनों को सूचीबद्ध करने की नीति को संशोधित कर 01.04.2022 से लागू कर दिया गया है।
- ङ) शाखा के कर्मचारियों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के दिशानिर्देशों का पालन करते हुए वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान प्रभावी ऋण निगरानी पर छब्बीस (26) परिपत्र जारी किए गए।
- च) बोर्ड के अनुमोदन के बाद 250.00 करोड़ रुपये से अधिक के एक्सपोजर वाले बड़े उधार खातों की विशेष निगरानी और प्रभावी निगरानी के लिए एजेंसियों की नियुक्ति को 01.04.2022 को संशोधित किया गया है।

कार्यपालक निदेशक (ईडी) की अध्यक्षता वाली हाई पावर कमेटी (एचपीसी) द्वारा 5.00 करोड़ रुपये और उससे अधिक के दबावग्रस्त खातों को पाक्षिक आधार पर सीधे निगरानी की जाती है।

## 15. जोखिम प्रबंधन

बैंक में जोखिम प्रबंधन में जोखिम की पहचान, जोखिम मूल्यांकन, जोखिम माप और जोखिम न्यूनीकरण शामिल है, जिसका मुख्य उद्देश्य लाभप्रदता और पूंजी पर नकारात्मक प्रभाव को कम करना है।

बैंक विभिन्न जोखिमों के संपर्क में है जो किसी भी बैंकिंग व्यवसाय का एक अंतर्निहित हिस्सा हैं। प्रमुख जोखिम में ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, चलनिधि जोखिम और आईटी जोखिम सहित परिचालन जोखिम, ब्याज दर जोखिम आदि हैं।

कर्तव्यों को अलग करने और जोखिम माप, निगरानी और नियंत्रण कार्यों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम पद्धतियों के अनुरूप एक स्वतंत्र जोखिम अभिशासन संरचना मौजूद है। आपके बैंक में विभिन्न जोखिमों की निगरानी और समीक्षा कार्यपालक स्तर की समितियों और बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) के माध्यम से की जाती है, जो नियमित रूप से मिलते हैं। परिचालन और व्यावसायिक इकाई स्तरों पर जोखिम प्रबंधन समितियाँ भी हैं।

- As a part of stressed asset management, default assets of Rs. 5 crore and above weekly reporting done to RBI at Central Repository of Information on Large Credit (CRILC) platform and monitored on daily basis.
- NPA Tracker through mobile application has been introduced for monitoring stressed and NPA accounts at base level.

In addition to the above mentioned monitoring mechanism, Bank is in process of on boarding/implementing a dedicated solution extensively for the monitoring of Retail, Agriculture and MSME borrowers that will enable Bank to identify the stress in advance under RAM segment (predicting default).

To improve upon functioning at the grass root level, bank has devised following strategic policy and guidelines:

- a) Operational guidelines for Credit Monitoring 2021-22 has been updated and put in place after obtaining approval of the members of Board of Directors.
- b) Policy for empanelment of TEV consultants has been revised and put in place on 01.04.2022.
- c) Guidelines for empanelment and appointment of Stock & Book Debt auditors has been revised and put in place on 01.04.2022.
- d) Policy for empanelment of valuers for the properties offered as securities, both primary and collateral while processing of credit facility has been revised and put in place on 01.04.2022.
- e) Based on the feedback received from field functionaries and following the guidelines of Reserve Bank of India (RBI), twenty six (26) numbers of circulars issued on effective credit monitoring during Financial Year (FY) 2021-22.
- f) Engagement of Agencies for Specialized Monitoring and effective monitoring of Large Borrowal accounts with exposure above Rs 250.00 Crores has been revised on 01.04.2022 after obtaining approval of the Board.

Stressed accounts of Rs 5.00 Cr and above was directly monitored by High Power Committee (HPC), headed by Executive Director (ED) on fortnightly basis.

## 15. RISK MANAGEMENT

Risk Management at Bank includes risk identification, risk assessment, risk measurement and risk mitigation, with its main objective being to minimise the negative impact on profitability and capital.

Bank is exposed to various risks that are an inherent part of any banking business. The major risks are Credit Risk, Market Risk, Liquidity Risk, and Operational Risk, including IT Risk, interest rate risk etc.

An independent Risk Governance Structure, in line with international best practices is in place in the context of separation of duties and ensuring the independence of risk measurement, monitoring and control functions. The various risks across your Bank is monitored and reviewed through the Executive Level Committees and the Risk Management Committee of the Board (RMCB), which meets regularly. Risk Management Committees at the operational and business unit levels are also in place.

### 15.1 ऋण जोखिम प्रबंधन:

बैंक ने ऋण एक्सपोजर में जोखिमों की पहचान करने, मापने, निगरानी करने और नियंत्रित करने के लिए मजबूत ऋण मूल्यांकन और जोखिम प्रबंधन ढांचा तैयार किया है। औद्योगिक वातावरण को एक समर्पित टीम द्वारा इसके दृष्टिकोण, क्रेडिट रेटिंग को तय करने के लिए संरचित तरीके से स्कैन, शोध और विश्लेषण किया जाता है।

बैंक के पास त्रैमासिक निगरानी वाले संकेंद्रण जोखिम के प्रति सुनिश्चित करने के लिए उद्योग संकेंद्रण सीमा ढांचा है।

बैंक उधारकर्ता-वार ऋण जोखिम का आकलन करने के लिए विभिन्न आंतरिक ऋण जोखिम मूल्यांकन मॉडल और स्कोर कार्ड का उपयोग करता है। उधारकर्ताओं की आंतरिक क्रेडिट रेटिंग के मॉडल आंतरिक रूप से विकसित किए गए थे। बाहरी सत्यापन/समीक्षा सहित व्यापक सत्यापन और बैंक टेस्टिंग ढांचे के चक्रों के माध्यम से उनकी समीक्षा की जाती है।

बैंक के पास 'आंतरिक रेटिंग की गतिशील समीक्षा' ढांचा भी है, जो दबाव की शीघ्र पहचान की सुविधा प्रदान करता है और उचित शमन तंत्र को ट्रिगर करता है।

बैंक अपने ऋण पोर्टफोलियो पर प्रत्येक छमाही में दबाव परीक्षण करता है। दबाव परिदृश्य नियमित रूप से भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों, उद्योग की सर्वोत्तम प्रथाओं और मैक्रो-इकोनॉमिक परिवर्तनों में परिवर्तन के अनुरूप अद्यतन किए जाते हैं।

बैंक ऋण पोर्टफोलियो का विश्लेषण करता है और प्रारंभिक चेतावनी संकेत ट्रिगर के साथ आंतरिक रेटिंग की एक गतिशील समीक्षा को एकीकृत करने के लिए एक रूपरेखा भी तैयार करता है।

ऋण जोखिम संप्रभाग (सीआरवी) को ऋण प्रस्तावों की नई मंजूरी और संवृद्धि से पहले अंतर्निहित ऋण जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए पेश किया गया है। सीआरवी मॉडल को सिस्टम में सफलतापूर्वक लाइव कर दिया गया है और 34 रिस्क मैट्रिक्स के आधार पर रिस्क स्कोरिंग के लिए ऑनलाइन उपयोग किया जा रहा है।

कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं के लिए ऋण का मूल्य निर्धारण आंतरिक रेटिंग से जुड़ा हुआ है और इसकी तुलना रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल (आरएआरओसी) मॉडल से भी की जाती है जिसे ऑनलाइन उपलब्ध कराया गया है और इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है। एएलएम कक्ष हमारी सभी देनदारियों और आसित उत्पादों के मूल्य निर्धारण के मामले में पूरी तरह से एकीकृत है जो आरबीआई नीति दर से जुड़ा है और जो बाजार संचालित है।

बैंक की ऋण नीति को निदेशक मंडल के अनुमोदन से समय-समय पर अद्यतन किया जाता है।

### 15.2 परिचालन जोखिम प्रबंधन:

बैंक ने ऋण और परिचालन जोखिम क्षेत्र में उद्योग स्तर पर श्रेष्ठ प्रथाओं की पहचान की है। निदेशक मंडल द्वारा हमारे बैंक की सभी नीतियों की वार्षिक समीक्षा की जाती है। जोखिम प्रबंधन संस्कृति को अंचल कार्यालय और शाखा स्तर तक पहुंचा दिया गया है।

विभिन्न परिचालनात्मक जोखिमों के त्वरित शमन के लिए शाखा स्तर से ऑनलाइन तत्काल परिचालन हानि घटनाओं की सूचना दी जा रही है।

शाखा स्तर पर परिचालन जोखिम क्षेत्रों की समीक्षा और इसके मूल कारण का विश्लेषण करने तथा इसे दूर करने के लिए अंचल कार्यालय स्तरीय परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति गठित की गई है।

### 15.1 Credit Risk Management:

Bank has put in place robust credit appraisal and risk management frameworks for identifying, measuring, monitoring, and controlling the risks in credit exposures. The industrial environment is scanned, researched, and analysed in a structured manner by a dedicated team to decide its outlook, Credit Rating.

Bank has an industry concentration Limit Framework to ensure against concentration risk, monitored quarterly.

Bank uses various Internal Credit Risk Assessment Models and Scorecards for assessing borrower-wise Credit Risk. Models for internal credit ratings of the borrowers were developed in-house. They are reviewed through cycles of comprehensive validation and back testing frameworks, including external validation/ review.

Bank also has a 'Dynamic Review of Internal Rating' Framework, which facilitates early identification of stress and triggers the appropriate mitigation mechanisms.

Bank conducts stress tests every half-year on its Credit Portfolio. Stress scenarios are regularly updated in line with RBI guidelines, industry best practices and changes in macro-economic variables.

Bank carries out analysis of Credit Portfolio and also devised a framework for Integrating a Dynamic Review of Internal Rating with Early Warning Signal Triggers.

Credit Risk Vertical (CRV) has been introduced to evaluate inherent credit risk in credit proposals before its fresh sanction and enhancement. The CRV model has been successfully made live in the system and is being used online for Risk Scoring based on 34 Risk Matrix.

Pricing of loan to Corporate Borrowers is linked to internal rating and same is also compared with Risk Adjusted Return on Capital (RAROC) Model which has been made available online and is being used extensively. ALM cell is also fully integrated in terms of pricing all our Liabilities and Asset products linked with RBI policy rate which is market driven.

Bank's Loan Policy is being updated from time to time with the approval of Board of Directors.

### 15.2 Operational Risk Management:

Bank has identified Best practices at Industry level in Credit & Operational Risk areas. All the Policies of our Bank have been reviewed annually by the Board of Directors. Risk Management culture has been percolated down to the Zonal Office and Branch Level.

Online Real Time Operational Loss Events are being reported from field level for prompt mitigation of various Operational Risks.

Zonal Office Level Operational Risk Management Committee is in place to review the operational risk areas at field level and analysis of its Root Cause and its plugging thereof.

### 15.3 बाजार जोखिम प्रबंधन:

बैंक ने अपने ट्रेजरी कार्यों को नियंत्रित और निगरानी करने के लिए बाजार जोखिम नीतियों को लागू किया है जो बाजार जोखिम दशाओं को संभालती है। बैंक दैनिक आधार पर संशोधित अवधि PV01 और फचड के माध्यम से अपनी ट्रेडिंग बही में ब्याज दर जोखिम का आकलन करता है। विदेशी मुद्रा जोखिम को दैनिक आधार पर नेट ओवर नाइट ओपन पोजिशन लिमिट (एनओओपी), वीएआर लिमिट, एजीएल (एग्जीगेटगैपलिमिट), इंडिविजुअल गैप लिमिट के संदर्भ में भी मापा जाता है। वीएआर और पोर्टफोलियो आकार सीमा को हमारे पोर्टफोलियो की निगरानी के साथ-साथ लेन-देन स्तर पर, स्टॉप लॉस वार और डीलरवार सीमा के साथ मापा जाता है।

बाजार जोखिम से जुड़े सभी मापदंडों का बैंक-टेस्टिंग और दबाव परीक्षण नियमित आधार पर किया जाता है।

स्ट्रेस टेस्टिंग फ्रेमवर्क के तहत रेट सेंसिटिव एसेट और देनदारियों के बीच बेमेल होने के कारण अपने ट्रेडिंग बही पोर्टफोलियो के साथ-साथ बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम का बैंक तिमाही आधार पर कंफ्रीहेनसिव स्ट्रेस टेस्ट करता है। यह आमतौर पर बाजार में ब्याज दर में बदलाव के साथ बैंकों की आय/इक्विटी को प्रभावित करते हैं। हम बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिमों को मापने के लिए पारंपरिक गैप विश्लेषण के साथ-साथ अवधि गैप दृष्टिकोण का उपयोग करते हैं।

वैल्यू एट रिस्क (वीएआर) बैंक के ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में जोखिम की निगरानी के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक उपकरण है। बैंक के एंटरप्राइज़-स्तर जोखिम में मूल्य (वीएआर) की गणना की जाती है और प्रतिदिन इसका परीक्षण किया जाता है। बाजार जोखिम के लिए दबावग्रस्त वीएआर की गणना भी प्रतिदिन की जाती है। यह बोर्ड द्वारा अनुमोदित दबाव परीक्षण नीति और ढांचे द्वारा पूरक है जो दबाव के नुकसान को मापने और उपचारात्मक उपायों को शुरू करने के लिए विभिन्न बाजार जोखिम परिदृश्यों का अनुकरण करता है।

बैंक के मार्केट रिस्क कैपिटल चार्ज की गणना नियामक कारकों को लागू करते हुए मानकीकृत माप पद्धति (एसएमएम) का उपयोग करके की जाती है।

बैंक अपने घरेलू और विदेशी पोर्टफोलियो का जोखिम-समायोजित कार्यनिष्पादन विश्लेषण करता है। यह निर्णय लेने के उपकरण के रूप में गैर-एसएलआर बांडों के क्रेडिट रेटिंग माइग्रेशन का भी विश्लेषण करता है।

### 15.4 चलनिधि जोखिम प्रबंधन:

बैंक बोर्ड द्वारा अनुमोदित एएलएम नीति के अनुसार प्रवाह और स्टॉक दृष्टिकोण के माध्यम से अपने चलनिधि जोखिम की निगरानी करता है।

बैंक ने एलसीआर (चलनिधि कवरेज अनुपात) के रूप में चलनिधि मानकों पर बेसल III ढांचा लागू किया है और बैंक यह सुनिश्चित करता है कि बिना भारवाली उच्च गुणवत्ता वाली चलनिधि आरिस्त के पर्याप्त स्तर का रखरखाव हो जिसे 30 कैलेंडर दिनों के समय के लिए चलनिधि की जरूरतों को पूरा करने के लिए नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है।

एनएफएसआर (निवल स्थिर निधि अनुपात) जिसकी अपेक्षा है कि बैंकों को निरंतर आधार पर धन के अधिक स्थिर स्रोतों के साथ अपनी गतिविधियों को वित्तपोषित करने को आवश्यक बनाकर दीर्घावधि समय क्षितिज पर लचीलापन को बढ़ावा देता है। बैंक एनएएसएफआर को विनियामक निर्दिष्ट सीमा से ऊपर बनाए रख रहा है।

बैंक के भीतर और साथ ही बाजार में दबाव के माहौल की स्थिति में अपनी वित्तपोषण की स्थिति को समझने के लिए बैंक विभिन्न दबाव परिदृश्यों के तहत अपनी चलनिधि की स्थिति का भी आकलन करता है।

### 15.5 क्रेडिट रेटिंग :

बैंक के पास उधारकर्ता स्तर के साथ-साथ सुविधा स्तर पर क्रेडिट जोखिम के स्तर का आकलन करने के लिए आंतरिक क्रेडिट रेटिंग मॉडल है।

### 15.3 Market Risk Management:

Bank has put in place Market Risk Policies to control and monitor their treasury functions which undertake market risk positions. Bank measures Interest Rate Risk in its trading book through Modified Duration, PV01 and VaR on a daily basis. Foreign Exchange Risk is also measured in terms of Net Overnight Open Position Limits (NOOP), VaR limit, AGL (Aggregate Gap Limit), Individual Gap Limit on daily basis. VaR and portfolio size limit are measured along with monitoring of our portfolio at transaction level, stop loss wise and dealer wise limit.

Back-testing and Stress Testing of all the parameters associated with Market Risk are being done on regular basis.

Under stress testing framework, Bank conducts comprehensive stress of its trading book portfolio as well as interest rate risk in the banking book due to mismatch between rate sensitive asset and liabilities on quarterly basis, which generally impact the earnings/ Equity of the banks with the change in the interest rate in the market. We use Traditional Gap analysis, as well as Duration Gap approach to measure interest rate risks in Banking Book.

Value at Risk (VaR) is a tool used for monitoring risk in the Bank's Trading Portfolio. The Enterprise-level VaR of Bank is calculated and back tested daily. The stressed VAR for Market Risk is also computed daily. This is supplemented by a Board-approved Stress Testing Policy and framework that simulates various Market Risk scenarios to measure stress losses and initiate remedial measures.

The Market Risk Capital Charge of Bank is computed using the Standardised Measurement Method (SMM), applying the regulatory factors.

Bank undertakes risk-adjusted performance analysis of its domestic and overseas portfolios. It also analyses the credit rating migration of non-SLR bonds as a tool for decision making.

### 15.4 Liquidity Risk Management:

Bank monitors its liquidity risk through flow and stock approach in accordance with Board approved ALM Policy.

Bank has implemented the BASEL III framework on Liquidity Standards as LCR (Liquidity Coverage Ratio) and ensures maintenance of adequate level of unencumbered High Quality Liquid Asset which can be converted into Cash to meet liquidity needs for a 30 calendar days' time.

NFSR (Net Stable Funding Ratio) which promotes resilience over a longer term time horizon by requiring banks to fund their activities with more stable sources of funding on an on-going basis. Bank is maintaining NFSR above than regulatory specified ceiling.

Bank also assesses its liquidity position under various stress scenarios to understand its funding position in case there is stress environment within the Bank as well as in market.

### 15.5 Credit Rating:

Bank has in house internal credit rating model to assess the level of Credit risk at the borrower level as well as at facility level.

क्रेडिट रेटिंग मॉडल को इस तरह विकसित किया जाता है कि यह बाहरी रेटिंग एजेंसी के बराबर हो। इसे और अधिक मजबूत बनाने के, साथ ही साथ बेहतर चूक भविष्यवाणी करने के लिए, बाहरी रेटिंग के प्रति अधिक संरेखित करें। बैंक नया रेटिंग मॉडल लागू कर रहा है।

## 15.6 कपट जोखिम प्रबंधन :

बैंक अपने नीतिगत दिशानिर्देशों/प्रक्रिया को और मजबूत करने के लिए मूल कारण को समझने के लिए कपट के रूप में वर्गीकृत सभी खातों का विश्लेषण करता है।

इसके अलावा, बैंक ने संभावित कपट का समय पर पता लगाने के लिए उद्यम कपट जोखिम प्रबंधन प्रणाली (ईएफआरएमएस) को सफलतापूर्वक लागू किया है, जिसमें जोखिम आधारित लेनदेन निगरानी प्रणाली (आरटीएमएस) शामिल है।

कपट जोखिम प्रबंधन समूह (एफएमजी) बेहतर निगरानी के लिए इसे रेड फ्लैग खाते के रूप में वर्गीकृत करने के लिए उधारकर्ता के खाते में रिपोर्ट किए गए प्रारंभिक चेतावनी संकेतों का विश्लेषण कर रहा है। कपट के मूलकारण और कपट के रूप में खातों की पहचान सीओई द्वारा निहित कपट तत्वों, यदि कोई हो, के मूल्यांकन और आकलन के माध्यम से की जाती है।

## 16. डिजिटल बैंकिंग

### 16.1 नए उत्पादों का शुभारंभ/प्रमुख नवीन विशेषताएं लागू की गईं:

- कर्मचारियों के साथ-साथ ग्राहक के लिए पूर्वस्वीकृत व्यक्तिगत ऋण सुविधा का कार्यान्वयन।
- एनबीएफसी की ऑनबोर्डिंग के लिए पूल और सह-उधार मंच एकीकरण।
- एसटीपी सुविधा के माध्यम से 10 लाख रुपये तक केसीसी नवीकरण का कार्यान्वयन।
- एमबैंकिंग प्लस ऐप में ट्रिपगैन ट्रेवल मार्केटप्लेस का एकीकरण।
- साउंड बॉक्स और क्यूआर कोड के साथ तत्काल डिजिटल मर्चेट ऑन बोर्डिंग।
- यूपीआई 123 सुविधा की शुरुआत।
- एमबैंकिंग प्लस ऐप में ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस की शुरुआत।
- संपर्क रहित एनएफसी आधारित पीओएस भुगतान के लिए रुपये-ऑन-द-गो की फॉक्स की शुरुआत।
- तत्काल वैयक्तिक डेबिट कार्ड प्रिंटर का शुरुआत।
- संशोधित लॉयल्टी रिवाइज़ सुविधा की शुरुआत।
- डिजिटल बैंकिंग इकाइयों की शुरुआत।
- बैंक की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन बचत खाता खोलने की शुरुआत।
- बैंक की वेबसाइट के माध्यम से वैयक्तिकृत डेबिट कार्ड जारी करने की सुविधा की शुरुआत।
- बैंक की वेबसाइट और इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से ग्रीन पिन का निर्माण।
- इंटरनेट बैंकिंग के साथ नई प्रत्यक्ष कर संग्रह प्रणाली टिन 2.0 का एकीकरण।
- संशोधित व्हाट्सएप बैंकिंग (गैर-वित्तीय)
- मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से सावधि जमा पर ऋण।

Credit rating models are calibrated in such a way that it is at par with External Rating Agency. In order to make it more robust, as well as to have better default predictability, more align towards external rating. Bank is implementing new Rating Model.

## 15.6 Fraud Risk Management:

Bank conducts analysis in all accounts classified as fraud to understand root cause to further strengthen its Policy guidelines/process.

Further, Bank has successfully implemented Enterprise Fraud Risk Management System (EFRMS) comprising of Risk Based Transaction Monitoring System (RTMS) for timely detection of potential fraud.

Fraud Risk Management Group (FMG) is analysing the reported Early Warning Signals in borrower's account for classification it as red Flag account for better monitoring. Root causes of frauds and identification of accounts as fraud is done by COE through evaluation and assessment of inherent fraud elements, if any.

## 16. Digital Banking

### 16.1 New Products Launched / Major Innovative features implemented:

- Implementation of Pre approved personal loan feature for Staff as well as Customer.
- Pool and co-lending platform integration for onboarding of NBFCs.
- Implementation of CC Renewal upto Rs. 10 lakhs through STP feature.
- Integration of Tripgain Travel Marketplace in Mbanking plus app.
- Instant Digital Merchant onboarding with Sound box & QR Code.
- Introduction of UPI 123 facility.
- Introduction of E-commerce Market place in Mbanking plus app.
- Introduction of RuPay-on-the-Go keyfobs for contactless NFC based POS payments.
- Introduction of Instant Personalised Debit Card Printer.
- Introduction of revamped Loyalty Rewardz feature.
- Introduction of Digital Banking Units.
- Introduction of Online savings account opening through Bank's Website.
- Introduction of Personalised Debit Card issuance feature through Bank's Website.
- Green PIN Generation through Bank's Website & Internet Banking
- Integration of new Direct Tax Collection system TIN 2.0 with Internet Banking.
- Revamped WhatsApp Banking (Non-Financial).
- Loan against FDR facility through Mobile Banking.

## 16.2. इंटरनेट बैंकिंग:

इंटरनेट बैंकिंग में कार्यान्वित विशेषताएं:

- ग्राहक के भुगतान ईपीएफओ, ईएसआई आदि के लिए शाखाओं को इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन बिल भुगतान सुविधा प्रदान की गई है।
- एफईबीए में रिटेल ग्राहकों के लिए ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग पंजीकरण सुविधा उपलब्ध की गई है
- इंटरनेट बैंकिंग के साथ मध्य प्रदेश ट्रेजरी स्टेट टैक्स इंटीग्रेशन
- इंटरनेट बैंकिंग में सीएसआईएस का कार्यान्वयन
- इंटरनेट बैंकिंग के साथ ईपीए एकीकरण
- इंटरनेट बैंकिंग में खाताब्लॉक (एडीसीबीएलके) सुविधा उपलब्ध कराई गई है
- पासवर्ड निष्क्रिय होने की स्थिति में ग्राहक को एसएमएस
- इंटरनेट बैंकिंग में "भूल गए उपयोगकर्ता आईडी" का कार्यान्वयन
- एसएमएस और सह-संबंधित सेवाओं के लिए दो एसएमएस एग्रीगेटर्स को शामिल करना
- नेट बैंकिंग के माध्यम से उपलब्ध सभी चैनलों में लेन-देन की सीमा में वृद्धि।

## 16.3. एटीएम/डेबिट कार्ड :

- ग्राहक को डेबिट कार्ड जारी करने के बाद तत्काल सक्रियण का कार्यान्वयन।
- एटीएम में पहली बार 100 औसत हिट हासिल किए
- विभाग ने देशभर में कुल 201 एटीएम/सीआर मशीनें स्थापित की हैं। (इनमें से कैश रिसाइकिलर्स की संख्या 77 है और एटीएम की संख्या 124 है)
- रुपये कार्ड का टोकना इजेशन
- एटीएम वॉल्ट के लिए ओटीसी (वनटाइम कॉम्बिनेशन कोड) का कार्यान्वयन (इस सुविधा के तहत एटीएम कैश वॉल्ट खोलने के लिए वनटाइम कॉम्बिनेशन कोड का उपयोग किया जाएगा। अब तक 164 एटीएम को ओटीसी के तहत लाइव किए गए हैं)

## 16.4. एम-बैंकिंग :

मोबाइल बैंकिंग की विशेषताएं :

- एमबैंकिंग प्लस में ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली (ओजीआरएस)
- एनपीए ट्रेकर में इमेज स्कैन की विशेषताएं:
  - क. एक खाते के लिए एकाधिक स्कैन प्रलेख
  - ख. एनपीए ट्रेकर ऐप में स्कैन प्रलेखों को देखा जा सकता है।
  - ग. एडमिन पोर्टल रिपोर्ट में तारीख एवं समय प्रदर्शित होता है।
- यूपीआई प्लेटफॉर्म पर वित्तीय लेनदेन पृथक्करण सहित यूपीआई स्थायी अनुदेश (जारी करने वाला) की उपलब्धता।
- एमबैंकिंग ऐप के माध्यम से आईएमपीएस लेन-देन करते समय हिताधिकारी का नाम जानने की सुविधा उपलब्ध है।
- नाम में परिवर्तन एवं चेक मान्यकरण के लिए केंद्रीय पोजिटिव पे प्रणाली
- मोबाइल बैंकिंग में पेंशनर डेस्क की शुरुआत
- मोबाइल बैंकिंग में ईएफएमआर सुविधा
- मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से वैयक्तिक चेकबुक की पावती/सक्रियण
- मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से बेबाकी प्रमाणपत्र
- मोबाइल बैंकिंग में अनुसूचित लेन-देन को देखें एवं संपादन करें

## 16.2. Internet Banking:

Features implemented in Internet Banking:

- Online Bill Payment facility through Internet Banking is extended to Branches for making Customer's Payment EPFO, ESI etc.
- Online Internet Banking Registration facility made available for Retail Customers in FEBA
- MP Treasury State Tax Integration with Internet Banking
- Implementation of CSIS in Internet Banking
- EPA integration with Internet Banking
- Account block (ADCBLK) facility made available in Internet Banking
- SMS to customer in case of password is disabled
- Implementation of "Forgot Userid" in Internet Banking
- Onboarding of two SMS aggregators for SMS and Co-related Services
- Enhancement of Transaction Limits in all channels available through Net Banking.

## 16.3. ATMs/Debit Cards :

- Implementation of Instant activation of Debit Cards post issuance to customer.
- Achieved 100 Average Hits in ATM for First Time
- Department has installed total 201 ATM/CR machines across the country. (Out of these, Cash Recyclers are 77 and ATM count is 124)
- Rupay Card Tokenization
- Implementation of OTC(One Time Combination Code) for ATM Vault(Under this feature one time One Time Combination Code will be used for ATM Cash vault opening. Till date 164 no. of ATMs has been made live under OTC)

## 16.4. M-banking :

Features implemented in Mobile Banking:

- Online Grievance Redressal System (OGRS) in Mbanking plus
- Image scan feature in NPA Tracker:
  - a. Multiple scan document for single account.
  - b. Scan document to be viewed in NPA Tracker app.
  - c. Date with time to be shown in admin portal reports
- UPI Standing Instruction (Issuer)with Financial transaction segregation in UPI platform
- Facility to view Beneficiary Name while doing IMPS transaction through mBanking App
- Central Positive Pay changes for name and cheque validation
- Introduction of Pensioners desk in Mobile banking
- EFRM facility in Mobile Banking
- Personalised Cheque Book acknowledgement/activation through Mobile Banking
- No due certificate through Mobile Banking
- View and edit scheduled transaction in Mobile Banking

- मोबाईल बैंकिंग एवं एम-पास बुक ऐप के माध्यम से लेखा विवरणी सीधे डाउनलोड करने की सुविधा
- यूपीआई एवं आईएमपीएस भुगतान प्रक्रिया के माध्यम से ऋण खातों में भुगतान करें
- कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट (केपीटी) के लिए विडियो लाइफ प्रमाणपत्र (वीएलसी) लागू
- सभी एमबैंकिंग ग्राहकों के लिए वर्चुअल कार्ड की उलब्धता चाहे उनके पास डेबिट कार्ड हो या न हो।
- यूपीआई में एकीकृत विवाद एवं मामला समाधान (यूडीआईआर) विशेषताएं उपलब्ध है
- एकल कार्पोरेट उपयोगकर्ता (एकल परिचालन) के लिए एक मुश्त फाइल अपलोड करने की सुविधा
- एपीआई के माध्यम से मोबाइल बैंकिंग सहित बीबीपीएस विलरवार एकीकरण
- घरेलू मोबाईल नंबर वाले एनआरआई / एनआरओ ग्राहकों के लिए मोबाईल बैंकिंग सेवा

### 16.5. फिनटेक सूचीबद्धता और नियोजन

- फिनटेक प्रकोष्ठ को जून, 2022 में सूचना प्रौद्योगिकी से डिजिटल बैंकिंग विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया है। फिनटेक नीति के अनुसार, विभाग ने फिनटेक से संबंधित सभी गतिविधियों की देखरेख के लिए एक नए प्रकोष्ठ फिनटेक सॉल्यूशंस प्रकोष्ठ का गठन किया है।
- फिनटेक सूचीबद्धता: व्यवसाय की मांग और सरकार द्वारा संचालित पहलों से उत्पन्न होने वाली विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, बैंक ने 20 विभिन्न श्रेणियों के तहत 35 फिनटेक कंपनियों को सूचीबद्ध किया है।
- फिनटेक की नियोजन :सूचीबद्ध फिनटेक बैंक के साथ विभिन्न नई पहलें शुरू की हैं:
  - डिजिटल मर्चेन्ट ऑनबोर्डिंग
  - यूपीआई123
  - ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस
  - कॉरपोरेट प्री-पेड/गिफ्ट कार्ड (कार्यान्वयन चरण के तहत)

नीचे उल्लिखित परियोजनाओं के लिए, आरएफक्यू प्रक्रिया के माध्यम से फिनटेक को अंतिम रूप दिया गया है:

- संग्रह मॉड्यूल
- कृषि ऋण
- एमएसएमई ऋण

### वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी पहल

1. अकाउंट एग्रीगेटर: अकाउंट एग्रीगेटर (एए) एक प्रकार की आरबीआई विनियमित इकाई (एनबीएफसी-एए लाइसेंस के साथ) है जो किसी व्यक्ति को एक वित्तीय संस्थान जिसका एए नेटवर्क में किसी अन्य विनियमित वित्तीय संस्थान में खाता है, सुरक्षित और डिजिटल रूप से एक्सेस करने और साझा करने में मदद करता है। डेटा को व्यक्ति की सहमति के बिना साझा नहीं किया जा सकता है। यह भारत में ओपन बैंकिंग लाने और लाखों ग्राहकों को सुरक्षित और कुशल तरीके से संस्थानों में अपने वित्तीय डेटा को डिजिटल रूप से एक्सेस करने और साझा करने के लिए सशक्त बनाने की दिशा में पहला कदम है। बैंक ने अकाउंट एग्रीगेटर (एए) सॉफ्टवेयर लागू किया है और छह (06) अकाउंट एग्रीगेटर्स के साथ एकीकृत किया है। बैंक ने अकाउंट एग्रीगेटर (एए) का उपयोग करके लोन ओरिजिनेटिंग सॉफ्टवेयर (एलओएस) में यूज केस (खाता विवरण विश्लेषण) भी लागू किया है।

- Direct download facility of account statement with summary through Mobile Banking and M-Passbook application
- Payment to Loan account using UPI & IMPS payment method
- Video Life Certificate (VLC) module live for Kolkata Port Trust (KPT)
- Virtual card for all mBanking customers irrespective of having debit card or not
- Unified Dispute & Issue Resolution (UDIR) feature live in UPI
- Facility of Bulk file upload is extended to Single Corporate user (Operation Singly)
- BBPS biller wise integration with Mobile Banking through API
- Mobile Banking services for NRE/NRO customers having domestic mobile number.

### 16.5. Fintech Empanelment & Engagement

- FinTech cell has been shifted to Digital Banking Department from DIT in June'2022. As per FinTech Policy, Department has formed a new cell FinTech Solutions Cell for looking after all the activities related to FinTech.
- FinTech Empanelment: In order to meet the various requirements arising out of business demand & Government driven initiatives, Bank has empaneled 35 Fintech Companies under 20 different categories.
- FinTech Engagement: With the empaneled FinTech's Bank has come up with various new initiatives :
  - Digital Merchant Onboarding
  - UPI123
  - E-commerce market place
  - Corporate pre-paid/Gift Card(under implementation phase)

For the below mentioned projects, FinTech's have been finalized through RFQ process:

- Collection Module
- Agriculture Lending
- MSME loans

### 17. IT Initiatives during the FY 2022-23

1. Account Aggregator: An Account Aggregator (AA) is a type of RBI regulated entity (with an NBFC-AA license) that helps an individual securely and digitally access and share information from one financial institution they have an account with to any other regulated financial institution in the AA network. Data cannot be shared without the consent of the individual. This is first step towards bringing open banking in India and empowering millions of customers to digitally access and shares their financial data across institutions in a secure and efficient manner. Bank has implemented Account Aggregator (AA) Software and has integrated with Six (06) Account Aggregators. Bank has also implemented use case (Account Statement Analysis) in Loan Originating Software (LOS) using Account Aggregator (AA).

2. स्विफ्ट केंद्रीकरण: बैंक ने स्विफ्ट केंद्रीकरण परियोजना पूरी कर ली है। जिसमें स्विफ्ट इंडिया अभियान के मूल बीआईसी (बैंक आइडेंटिफिकेशन कोड) के तहत सिंगापुर और हांगकांग दोनों केंद्रों को माइग्रेट किया गया है। केंद्रीकृत स्विफ्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से दोनों विदेशी केंद्रों के सभी आवक/जावक स्विफ्ट संदेशों को रूट करने में यह सक्षम होगा। यह स्विफ्ट लेनदेन पर बेहतर नियंत्रण और कम से कम समय में बेहतर सुरक्षा नियंत्रण भी सुनिश्चित करेगा।
3. ईएफआरएम (उद्यम धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन प्रणाली): बैंक ने संभावित धोखाधड़ी का समय पर पता लगाने और धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग में देरी से बचने के लिए ईएफआरएमएस समाधान के कार्यान्वयन के लिए खुली निविदा प्रक्रिया के माध्यम से मैसर्स एफआईएस का चयन किया है जो कानून लागू करने वाली प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के अलावा वसूली की संभावनाओं को प्रभावित कर सकता है। एम-बैंकिंग ऐप, एटीएम/ई-कॉम/पीओएस, यूपीआई, ई-बैंकिंग चैनल 04 सीबीएस नियमों के साथ उत्पादन वातावरण में प्रारंभ हो गया है।
4. साइबर सुरक्षा परिचालन केंद्र (सी-एसओसी): बैंक ने बैंक की सूचना प्रणाली की निगरानी, मूल्यांकन और बचाव के लिए और बैंक की मौजूदा सुरक्षा प्रणाली में विभिन्न सुरक्षा टोल्स के समूह से लैस करने के लिए साइबर सुरक्षा परिचालन केंद्र (सी-एसओसी) को लागू किया है। तदनुसार बैंक की सुरक्षा स्थिति को और मजबूत करने के लिए एनएसी (नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल मैनेजमेंट), डिफेंस सर्विसेज (हनीपॉट), वीएएस (स्वचालित भेद्यता आकलन स्कैनर), डीएलपी (एंडपॉइंट्स डेटा लॉस प्रिवेंशन), आईटी-जीआरसी (आईटी - शासन, जोखिम और अनुपालन) और नेटवर्क पॉलिसी मैनेजर (एनपीएम) जैसे मॉड्यूल लागू किए गए हैं।
5. ओरेकल आरएसी: ओरेकल रियल एप्लिकेशन क्लस्टर (आरएसी) की उपलब्धता को अधिकतम करने और साइबल स्टोरेज तक पहुंचने के दौरान क्षैतिज मापनीयता को सक्षम करने के लिए कई सर्वरों पर एकल ओरेकल डेटाबेस चलाने की अनुमति देता है। बैंक ने ओरेकल 19 सी और आरएसी को बैंक के डीसी एवं डीआर केंद्रों में लागू किया है। ओरेकल आरएसी के कार्यान्वयन ने लेनदेन में गिरावट के उदाहरणों को काफी कम कर दिया है, जो पहले एडीसी (वैकल्पिक वितरण लेनदेन) के साथ हुआ था। इस कार्यान्वयन से ग्राहक के अनुभवों में और सुधार होगा।
6. ओरेकल यूएलए: ओरेकल अनलिमिटेड लाइसेंस एग्रीमेंट (यूएलए) एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें बैंक को एक निश्चित समय-सीमा में ओरेकल उत्पादों के एक निर्दिष्ट सेट के लिए जितने लाइसेंस चाहिए उतने लाइसेंस प्राप्त करने के लिए एकमुश्त शुल्क का भुगतान करना पड़ता है। बैंक ने ओरेकल यूएलए के साथ अगले तीन वर्षों के लिए 09 अलग-अलग घटकों के साथ करार किया है ताकि आगामी एप्लिकेशन से संबंधित डीबीएमएस लागत को अनुकूलित किया जा सके।
7. बैंक की वेबसाइट का नवीनीकरण: बैंक की वेबसाइट को अधिक विशेषताओं से लैस करने एवं उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने की प्रक्रिया में बैंक ने खुली निविदा प्रक्रिया के माध्यम से वेंडर मैसर्स प्लैनेट ई-कॉम सॉल्यूशंस (पी) लिमिटेड का चयन किया। नई संशोधित वेबसाइट 03.05.2023 से लाइव हो चुकी है।
2. SWIFT Centralization: Bank has completed SWIFT centralization Project. In which both Singapore and Hong-Kong centre have been migrated under parent BIC (Bank Identification Code) of SWIFT India operation. This will enable routing of all inward /outward SWIFT messages of both overseas centres, through centralized SWIFT Infrastructure. This will also ensure better control over SWIFT transactions and better security controls within shortest possible time.
3. EFRM (Enterprise Fraud Risk Management System): Bank has selected M/s FIS through open tendering process for implementation of EFRMS Solution for timely detection of potential frauds and avoid delay in reporting of frauds which may affect the prospects of recovery besides adversely impacting the action by law enforcing agencies. The m-Banking App., ATM/e-Comm/POS, UPI, e-Banking channels are live in production environment along with 04 CBS rules
4. Cyber Security Operation centre (C-SOC): Bank has implemented Cyber Security Operation Centre (C-SOC) to monitor, assess & defend Bank's information systems and to be equipped with set of various security tools in Bank's existing Security System. Accordingly the modules like NAC (Network Access Control Management), Decoy Services (HoneyPot), VAS (Automated Vulnerability Assessment Scanner), DLP (Endpoints Data Loss Prevention), IT-GRC (IT -Governance, Risk and Compliance) & Network Policy Manager (NPM) have been implement to further strengthen the security posture of Bank.
5. Oracle RAC: Oracle Real Application Clusters (RAC) allows running a single Oracle Database across multiple servers in order to maximize availability and enable horizontal scalability, while accessing shared storage. Bank has implemented Oracle 19 C and RAC at Bank's DC & DR centres. The implementation of Oracle RAC has significantly reduced the instances of transaction decline, earlier encountered with ADC (Alternate Delivery Transaction). The said implementation will further improve customer experiences.
6. Oracle ULA: An Oracle Unlimited License Agreement (ULA) is an arrangement in which Bank needs to pay a single upfront fee to get as many licenses as they want for a specified set of Oracle products over a fixed time frame. Bank has tied up for Oracle ULA, comprising of 09 different components, for next three years so that the DBMS cost related to upcoming Application may be optimized.
7. Revamping of Bank's Website: In the process of revamping the website to make it more feature rich and user friendly, Bank has selected the vendor M/s Planet E- com Solutions (P) Ltd through open tendering process. The new revamped website was made live by 03.05.2023.

#### आगामी परियोजनाएं:

1. प्राइवेट क्लाउड सेट अप:- बैंक ऑन-प्रीमाइसेस प्राइवेट क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर को लागू करने की प्रक्रिया में है और निजी क्लाउड का प्रबंधन करने के लिए एक सॉल्यूशन इंटीग्रेटर नियुक्त करेगा, जो 5

#### Upcoming Projects:

1. Private Cloud Set Up:- Bank is in the process of implementing on-premises Private Cloud Infrastructure and appoint a Solution Integrator to manage the private cloud



- वर्ष की अनुबंध अवधि के दौरान जब भी आवश्यक हो, वर्कलोड आवश्यकताओं के अनुसार स्केल अप करने की क्षमता के साथ गणना, भंडारण, नेटवर्क, सुरक्षा आदि करने तक सीमित नहीं है और जिसे बैंक की आवश्यकता के अनुसार और 5 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है।
2. ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) बैंकिंग:- बैंक ओपन एपीआई बैंकिंग लागू करना चाहता है। ओपन एपीआई बैंकिंग एक बैंक या अन्य वित्तीय संस्थान को फिनटेक फर्मों के लिए अपना एपीआई खोलने के लिए संदर्भित करता है ताकि ये फिनटेक एप्लिकेशन बना सकें। स्वयं नए स्वामित्व वाले सॉफ्टवेयर समाधान बनाने के अतिरिक्त खर्च से बचने के लिए बैंक उनके लिए ऐप विकसित करने के लिए फिनटेक पार्टनर्स का चयन करने के लिए अपना एपीआई खोलते हैं। बैंक, फिनटेक फर्म और उपभोक्ताओं के लिए विन-विन-विन के रूप में काम करता है क्योंकि उनमें से प्रत्येक इस संबंध से कुछ मूल्य का अनुभव करते हैं। एक नई ओपन एपीआई बैंकिंग नीति तैयार की जा रही है और साथ ही बैंक एपीआई गेटवे समाधान के कार्यान्वयन के लिए वेंडर के चयन के लिए एक्सप्रेसन ऑफ इंटरेस्ट (ईओआई) जारी करने जा रहा है।
  3. व्यापक और एकीकृत वैश्विक ट्रेजरी प्रबंधन समाधान (सीआईजीटीएमएस):- बैंक सभी भौगोलिक क्षेत्रों में ट्रेजरी परिचालन की जरूरतों को पूरा करने के लिए सभी ट्रेजरी उत्पादों और आसपास के ट्रेजरी आईटी अनुप्रयोगों के लिए बाजार जोखिम समाधान के साथ व्यापक और एकीकृत वैश्विक ट्रेजरी प्रबंधन समाधान (सीआईजीटीएमएस) को लागू करना चाहता है। सीआईजीटीएमएस बहु-मुद्रा लेनदेन/निपटान का भी समर्थन करेगा। सीआईजीटीएमएस एक व्यापक, एकीकृत, कार्यात्मक रूप से समृद्ध और उपयोगकर्ता के अनुकूल समाधान होगा जो आवश्यक कार्यात्मकताओं की पूरी शृंखला को पूरा करेगा।
  4. एसडीडब्ल्यूएनसॉफ्टवेयर डिफाईड वाइड एरिया नेटवर्क (एसडी-डब्ल्यूएन) समाधान:- बैंक एसडी-वैन शुरू करने की प्रक्रिया में है जो सॉफ्टवेयर-परिभाषित नेटवर्किंग (एसडीएन) की व्यापक तकनीक का एक हिस्सा है और एक वर्चुअल वैन आर्किटेक्चर है जो उद्यमों को एमपीएलएस (मल्टीप्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग), वीसेट, 4जी और इंटरनेट सेवाओं सहित कनेक्टिविटी के किसी भी संयोजन का लाभ उठाने की अनुमति देता है ताकि उपयोगकर्ताओं को एप्लिकेशन से सुरक्षित रूप से जोड़ा जा सके।
  5. बैंक के स्वामित्व वाले मोबाइल उपकरणों/(बीवाईओडी) पर मोबाइल डिवाइस प्रबंधन (एमडीएम) और मोबाइल थ्रेट डिफेंस समाधान का कार्यान्वयन - अपने स्वयं के उपकरणों को एमईआईटीवाई सूचीबद्ध क्लाउड प्लेटफॉर्म पर लाना:- मोबाइल डिवाइस प्रबंधन (एमडीएम) सॉफ्टवेयर समाधान है जो संगठनों को स्मार्ट फोन, टैबलेट और अन्य अंतिम बिंदुओं पर नीतियों को नियंत्रित करने, सुरक्षित करने और लागू करने की अनुमति देता है। एमडीएम का उद्देश्य कॉरपोरेट नेटवर्क की सुरक्षा के साथ-साथ उद्यम के भीतर मोबाइल उपकरणों की कार्यक्षमता और सुरक्षा को अनुकूलित करना है। बैंक मोबाइल डिवाइस प्रबंधन (एमडीएम) और मोबाइल थ्रेट डिफेंस समाधान को बैंक के स्वामित्व वाले मोबाइल उपकरणों/बीओडी उपकरणों पर लागू करने की प्रक्रिया में है, जिसमें एमईआईटीवाई सूचीबद्ध क्लाउड प्लेटफॉर्म पर वार्षिक लाइसेंस शुल्क का नवीनीकरण किया जाता है।
  6. बैंक में विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए एप्लीकेशन व्हाइटलिस्टिंग समाधान:- एप्लिकेशन व्हाइटलिस्टिंग प्रक्रिया का उद्देश्य एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है जहां सभी एंडपॉइंट्स पर एप्लिकेशन/सॉफ्टवेयर की तैनाती केंद्रीय रूप से की जाएगी और अंतिम उपयोगकर्ताओं को किसी भी एप्लिकेशन/सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल/अनइंस्टॉल करने से रोक दिया जाएगा। यह न केवल मैलवेयर को कॉरपोरेट बुनियादी ढांचे में घुसपैठ करने से रोकेगा बल्कि ट्रैफिक प्रवाह को प्राथमिकता देकर अधिक सक्षम संसाधन और उत्पादकता प्रबंधन की ओर भी ले जाएगा।
- including but not limited to compute, storage, network, security etc. with the ability to scale up as per the workload requirements as and when required during contract period of 5 years, which can be extended for further 5 years as per Bank's requirement.
2. Open Application Programming Interface (API) Banking:- Bank intends to implement Open API Banking. Open API banking refers to a bank or other financial institution opening its API to Fintech firms so that these Fintechs may create Applications. To avoid the extra expense of creating brand new proprietary software solutions themselves, banks open their API to select Fintech partners to develop apps for them. This works as a win-win-win for the bank, the Fintech firm, and the consumers because each of them realizes some value from the relationship. A new Open API Banking Policy is being formulated as well as Bank is going to float an Expression of Interest (EOI) for selection of vendor for implementation of API Gateway Solution.
  3. Comprehensive & Integrated Global Treasury Management Solution (CIGTMS) :- Bank intends to implement Comprehensive & Integrated Global Treasury Management Solution (CIGTMS) along with Market Risk Solution for all Treasury products and surrounding Treasury IT applications to cater the needs of Treasury operations across all Geographies in which Bank has presence. CIGTMS will also support multi- currency transaction/settlement. CIGTMS will be a comprehensive, integrated, functionally rich and user friendly solution to cater to the entire range of functionalities required.
  4. SDWAN Software Defined Wide Area Network (SD-WAN) Solution:- Bank is in process of introducing SD-WAN which is a part of the broader technology of software-defined networking (SDN) and is a virtual WAN architecture that allows enterprises to leverage any combination of connectivity including MPLS(Multiprotocol Label Switching), VSAT, 4G & Internet services to securely connect users to applications.
  5. Implementation of Mobile Device Management (MDM) & Mobile Threat Defence Solution on Bank's owned mobile devices/(BYOD)-Bring Your Own devices on Meity empaneled cloud platform:- Mobile Device Management (MDM) is software solution that allows organizations to control, secure and enforce policies on smart phones, tablets and other endpoints. The intent of MDM is to optimize time functionality and security of mobile devices within the enterprise while simultaneously protecting the corporate network. Bank is in process of Implementation of Mobile Device Management (MDM) & Mobile Threat Defence Solution on Bank's owned mobile devices/BYOD devices for five years with renewal of license fees annually on Meity empaneled cloud platform.
  6. Application Whitelisting Solution for various applications in Bank:- Application whitelisting process aims to create an ecosystem where the deployment of the applications/software to all endpoints shall be done centrally and the end users shall be barred from installing/uninstalling any application/software. This will not only prevent malware from infiltrating the corporate infrastructure but also leads to more competent resource and productivity management by prioritizing traffic flows.

## 18. साइबर सुरक्षा

- बैंक को बैंक के डेटा केंद्रों में सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के लिए आईएसओ 27001:2013, सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली से सम्मानित किया गया है। प्रमाणन अंतरराष्ट्रीय मानक संगठन (आईएसओ) द्वारा जारी किया गया है और बैंक ने अपनी सेवा प्रबंधन प्रणालियों के एक स्वतंत्र तृतीय-पक्ष मूल्यांकनकर्ता द्वारा एक सख्त मूल्यांकन प्रक्रिया से गुजरा है।
- आईएसओ 27001: 2013 सूचना सुरक्षा मानकों के लिए दुनिया में सबसे कठोर, व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मानकों में से एक है। यह एक व्यापक सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (आईएसएमएस) के लिए आवश्यकताओं की पहचान करता है और प्रभावी और मजबूत साइबर सुरक्षा के लिए लोगों, प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग पर ध्यान केंद्रित करता है। आईएसओ 27001:2013 प्रमाणन विश्वास को बढ़ावा देता है और ग्राहक डेटा की सुरक्षा के लिए एक सतत प्रतिबद्धता प्रदर्शित करता है।
- बैंक के पास साइबर सुरक्षा नीति, साइबर संकट प्रबंधन योजना और सूचना सुरक्षा नीति है, जो बैंक के भीतर साइबर सुरक्षा से संबंधित कार्यों और परिचालनों को दिशा और समर्थन प्रदान करती है। नियामक प्राधिकरणों से प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुसार नीतियों को समय-समय पर अद्यतन किया जाता है।
- मानव भेद्यता से उत्पन्न होनेवाले साइबर जोखिमों को दूर करने के लिए, विभाग विभिन्न साइबर जागरूकता पहलों और अभियानों के माध्यम से हमारे कर्मचारियों और ग्राहकों के बीच साइबर जागरूकता बढ़ाने के लिए ठोस प्रयास करता है।
  - ई-मेल के माध्यम से नए ऑन-बोर्ड ग्राहकों के लिए बुनियादी साइबर सुरक्षा सर्वोत्तम पद्धति साझा किए जाते हैं।
  - ग्राहकों को अन्य चैनलों जैसे पुश नोटिफिकेशन मैसेज, एसएमएस और आईवीआर संदेशों के माध्यम से भी साइबर सुरक्षा की सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में जागरूक किया जाता है।
  - उपयोगकर्ताओं को संवेदनशील बनाने के लिए बैंक के डिजिटल चैनलों जैसे एटीएम स्क्रीन और मोबाइल बैंकिंग ऐप, आधिकारिक वेबसाइट आदि में साइबर जागरूकता संदेश प्रदर्शित किए जाते हैं।
  - सामान्य साइबर धोखाधड़ी तंत्र और साइबर धोखाधड़ी की घटना की सूचना देने हेतु उठाए गए कदमों पर जनता के साथ-साथ कर्मचारियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए शाखा और एटीएम परिसर और प्रशिक्षण केंद्रों में जागरूकता पोस्टर प्रदर्शित किए जाते हैं।
  - आम जनता में साइबर सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने के लिए बैंक के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर सोशल मीडिया पोस्ट, साइबर जागरूकता वीडियो के साथ-साथ साइबर सुरक्षा सर्वोत्तम पद्धति पर सरकारी पोस्ट को रीट्वीट कर साझा किए जाते हैं।
  - उभरते साइबर खतरों और उनके निवारक कदमों पर सूचनात्मक वीडियो बैंक के आधिकारिक यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और इन-हाउस यूको ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किए जाते हैं और संदर्भ बैंक के सोशल मीडिया चैनलों में साझा किए जाते हैं।
  - 'साइबर टेल्स बाई तेनाली' श्रृंखला के तहत ग्राफिक उदाहरण सलाह सभी कर्मचारियों को ईमेल के माध्यम से साझा की जाती है। ग्राहकों के लिए इसे बैंक के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल और बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है। इस कॉमिक श्रृंखला को आंतरिक और बाहरी ग्राहकों तक प्रसार सुनिश्चित करने के लिए बैंक की अन्य पत्रिकाओं का भी हिस्सा बनाया गया है।
- गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के संदर्भ में बैंक ने शाखाओं एवं कार्यालयों में कर्मचारियों एवं ग्राहकों को शामिल करते हुए कार्यशाला, सर्जनात्मक

## 18. CYBER SECURITY

- Bank has been awarded with ISO 27001:2013, Information Security Management Systems, for IT Systems across Data Centres of the Bank. The Certification has been issued by International Standards Organization (ISO) and Bank has undergone a stringent evaluation process by an independent third-party assessor of its service management systems.
- ISO 27001:2013 is one of the most rigorous, widely recognized and internationally accepted standards in the world for Information Security standards. It identifies the requirements for a comprehensive Information Security Management System (ISMS) and focuses on the application of People, Process, and Technology for effective and robust Cyber Security. The ISO 27001:2013 certification fosters trust and demonstrates an ongoing commitment for safeguarding customer data.
- Bank has Cyber Security Policy, Cyber Crisis Management Plan and Information Security Policy to provide direction and support for cyber security related functions and operations within the Bank. The policies are updated on periodic basis as per guidelines received from the Regulatory Authorities.
- To address cyber risks arising out of human vulnerability, Department puts concerted efforts in raising cyber awareness of our staffs and customers through various cyber awareness initiatives and campaigns.
  - Basic Cyber Security Best Practices are shared to new on-boarded customers' through email.
  - Customers are also sensitized through other channels like Push Notification Messages, SMS and IVR messages on cyber security best practices.
  - Cyber Awareness Messages are displayed in Bank's Digital Channels like ATM Screen & Mobile Banking App, Official Website etc to sensitize users.
  - Awareness Posters are displayed at Branch & ATM premises and Training Centres to attract public as well as employee attention on common cyber fraud mechanisms & steps for reporting of cyber fraud incident.
  - Social Media Post, Cyber Awareness Videos as well as Retweet of Government posts on cyber security best practices are shared on Bank's official social media handles to enhance cyber security awareness of general public.
  - Informative videos on emerging cyber threats and their preventive steps are uploaded in Bank's Official YouTube channel, Website and in-house UCO Online Portal and reference is shared in Bank's Social Media Channels.
  - Graphic illustrative advisories under the series 'Cyber Tales by Tenali' is shared to all employees through Email. For customers, it is uploaded in Bank's Official Social Media Handles and Bank's Official Website. This comic series is also made a part of Bank's other magazines to ensure dissemination to internal as well as external customer.
- In terms of Guidelines issued by Ministry of Home Affairs, Govt. of India & RBI, Bank has also undertaken mass awareness drive 'Cyber Jagrookta Diwas' on the first

एवं संवादात्मक सत्रों के माध्यम से प्रत्येक माह के प्रथम बुधवार को सभी लोगों को जागरूक करने हेतु "साइबर जागरूकता दिवस" मना रहा है। शाखा/कार्यालय सभी स्टाफ सदस्यों, सेवानिवृत्त स्टाफ सदस्यों, ग्राहकों एवं नागरिकों को नवीनतम कपटों एवं साइबर सुरक्षा सर्वोत्तम अभ्यास के संबंध में शिक्षाप्रद जानकारी देने का भरपूर प्रयास कर रहा है। विभाग द्वारा कुछ खास पहले की जा रही हैं विशेष कर "साइबर जागरूकता दिवस" का पालन जो निम्नलिखित हैं :

- वृहत समुदाय को ध्यान में रखते हुए हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में कार्टून रूप में "साइबर घटनाओं एवं रोकथाम के उपायके संबंध में नोटी - नाटू - पुस्तिका" का प्रकाशन ।
- प्रख्यात वक्ता एवं साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों द्वारा साइबर सुरक्षा एवं संरक्षा पर वेबिनार के माध्यम से जानकारी देना।
- अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में अपने बैंक के कॉल सेंटर की महिला कर्मचारियों, साइबर क्षेत्र में महिलाओं की सुरक्षा के संबंध में अंतःसंवाद सत्र ।
- वरिष्ठ नागरिकों को प्रबुद्ध करने हेतु आंतरिक रूप से विकसित विडियो "साइबर स्मार्ट सीनियर बने"।
- प्रधान कार्यालय में पदस्थापित कार्यपालकों के लिए संवादात्मक साइबर खेल एवं प्रश्नोत्तरी
- प्रधान कार्यालय के विभागों में पदस्थापित अधिकारियों के लिए पोस्टर तैयार करने संबंधी प्रतियोगिता
- स्टाफ सदस्यों के लिए "सोशल मिडिया कपट एवं सुरक्षा" से संबंधित जानकारीपूर्ण वेबिनार
- यूको ई-लर्निंग के माध्यम से साइबर जागरूकता प्रश्नोत्तरी
- ग्राहकों को उभरते साइबर घटनाओं और एहतियाती उपायों के बारे में जागरूक करने के लिए ग्राहकों के ई-मेल पर साइबर जागरूकता सलाह।
- विभाग नियमित आधार पर विभिन्न टचपवाइंट के माध्यम से हमारे कर्मचारियों को साइबर खतरों और उनके निवारक कदमों के बारे में जागरूक करने पर बहुत जोर देता है।
  - दैनिक साइबर सुरक्षा युक्तियों के साथ-साथ साप्ताहिक जागरूकता श्रृंखला मेल और आंतरिक संदेश प्लेटफार्मों के माध्यम से साझा की जाती है।
  - डेस्क टॉप पृष्ठभूमि और स्क्रीन सेवर के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ अभ्यास प्रदर्शित किए जाते हैं।
  - कर्मचारियों की संस्कृति में सुरक्षा लाने के लिए, एचआरएमएस और यूको ऑनलाइन जैसे कर्मचारियों के लिए बैंक के आंतरिक पोर्टल के लॉगिन पेज के माध्यम से साइबर सुरक्षा युक्तियाँ साझा की जाती हैं।
  - बैंक के विभिन्न आंतरिक पत्रिकाओं में आलेखों का प्रकाशन करके स्टाफ सदस्यों के बीच जागरूकता को बढ़ाया जाता है।
  - वेबिनार, कार्यशाला, प्रशिक्षण, मासिक ऑनलाइन परीक्षा, ज्ञान आकलन क्विज एवं "साइबर सुरक्षा" तथा "सूचना सुरक्षा" के माध्यम से कर्मचारियों का ज्ञान वर्धन किया जाता है।
  - बैंक के सभी आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में साइबर सुरक्षा जागरूकता पर एक सत्र अनिवार्य है।
- सुरक्षा जागरूकता क्रम के रूप में हमारे ऑन साइट सपोर्ट वेंडरों का साइबर जागरूकता प्रशिक्षण एवं मूल्यांकन कार्यक्रम आयोजित किया जाता है।

Wednesday of every month through workshops, creative & interactive sessions and other events engaging employees & customers at Branches and Offices. Branch/Offices are making efforts in enlightening Staffs, Retired staffs, Customers and Citizens regarding latest frauds and Cyber Security best practices. Few initiatives undertaken by department, categorically in observance of 'Cyber Jagrookta Diwas' are as below:

- Publication of Info-toon 'Naughty Nattu - Booklet on Cyber Incidents and Preventive Measures' embedded in cartoon stories in both Hindi & English language to target the mass audience.
- Webinar on Cyber Security and Safety by Eminent speaker & cyber security expert.
- Interactive session, targeting women employees of Call Centre of our Bank, on Women's safety within the Cyber space, on the occasion of International Women's Day.
- In-house developed video series - 'Be a CyberSmart Senior' to enlighten Senior Citizen customers.
- Interactive Cyber Games and Quiz for Executives posted at HO Departments.
- Poster Making Competition for Officers posted at HO Departments.
- Informative Webinar on 'Social Media Frauds & Security' for staffs.
- Cyber Awareness Quiz for staff through UCO E-Learning.
- Cyber Awareness Advisories on customers' email to make them aware about emergent cyber trends & precautionary measures.
- Department lays huge emphasis in making our employees aware on cyber threats and their preventive steps, through various touchpoints on regular basis.
  - Daily Cyber Safety Tips as well as Weekly Jagrookta Series are shared through mail and internal messaging platforms.
  - Best practices are displayed through Desktop Background and Screensaver.
  - To bring security in the culture of the employees, Cyber safety tips are shared through login page of Bank's internal portal for employees like HRMS and UCO Online.
  - Awareness of staff members are also enhanced through publication of articles in Bank's various internal magazine.
  - Knowledge building of staff is also a continuous process through Webinar, Workshops, Trainings, Monthly Online Test, Knowledge Assessment Quiz and E-Learning course modules on 'Cyber Security' and 'Information Security'.
  - One Session on cyber security awareness is mandatory in all in-house training programmes of the Bank.
- Cyber Awareness Training and Assessment of our On-site support Vendors' are also conducted as a part of security awareness chain.

- एडवाइजरी के ऑनलाइन भंडारण के रूप में कार्य करने हेतु साइबर जागरूकता के संबंध में जारी एडवाइजरी बैंक के आंतरिक वेब पोर्टल पर ऑपलोड किया जाता है और यह स्टाफ सदस्यों द्वारा सहज परिचालन उपलब्ध कराया जाता है।
- जागरूकता प्रदान करने के अतिरिक्त अपने स्टाफ सदस्यों एवं तृतीय पक्ष वेंडरों के मुस्तैदी का मूल्यांकन करने, साइबर घटनाओं को चिह्नित करने और रिपोर्ट करने हेतु आवधिक आधार पर मॉक सोशल इंजिनियरिंग ड्रिल्स कराया जाता है।

## 19. परिचालन एवं सेवा

बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारे ग्राहक यह महसूस करें कि हम उनकी प्रशंसा करते हैं एवं उनको महत्व देते हैं, ग्राहकों की लगातार बढ़ती मांग को स्वीकार करता है और ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में सुधार करने का प्रयास कर रहा है।

बैंक ने वर्ष 2022 - 23 के दौरान ग्राहक सेवा में सुधार लाने हेतु निम्नलिखित पहलें की हैं:

- बैंक अपने ग्राहक शिकायत निवारण प्रणाली को संशोधित करते हुए ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली (ओजीआरएस) लागू किया है जो विभिन्न चैनलों से प्राप्त विफल लेनदेन संबंधी शिकायतों सहित ग्राहकों की शिकायतों को दूर करने के लिए 24x7 उपलब्ध एकमात्र वेब इंटरफेस है।
- ग्राहक शिकायतों के मूल कारण की समीक्षा की गई थी ताकि बढ़ती हुए शिकायतों को चिह्नित किया गया एवं तदनुसार भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं के रोकथाम हेतु पद्धति एवं प्रक्रिया में वांछित सुधार किया गया।
- बैंक के संपर्क केंद्रों के कार्यकलापों में सुधार किया जाना ताकि यह औद्योगिक स्तर के बराबर हो सके।
- 50 लेन-देन करने वाली शाखाओं में कतार प्रबंधन प्रणाली लागू की गई है।
- ऑनलाइन ग्राहक प्रतिसूचना चालन प्रणाली विकसित की गई है ताकि ग्राहकों की भावना एवं जिस क्षेत्र में सुधार करने की आवश्यकता है उसे सुनिश्चित किया जा सके।
- सीटीएस समाशोधन क्रियाविधि में सुधार, सावधि जमा रसीद में संशोधन, ग्राहक सेवा को और बेहतर बनाने हेतु शाखाओं में कार्यरत कर्मचारियों के सहायताार्थ एसओपी/जॉबकार्ड/हैंडबुक आदि जारी किया जाना।

बैंक ने ग्राहक सेवा में और सुधार लाने हेतु निम्नलिखित पहलें लागू की हैं:

### नई पहलें :

- बड़े बैंकों के तर्ज पर क्षैतिज आकार के नए पासबुक को लागू करना
- नया कासा खाता खोलने वाले ग्राहकों के लिए स्वागत किट लागू किया जाना
- मृत व्यक्ति के दावा निपटान संबंधी ऑनलाइन पोर्टल

## 20. एमआईएस एवं एडीएफ कक्ष:

- बैंक के पास आंतरिक रिपोर्टिंग के साथ-साथ विनियामक और विभिन्न सांविधिक निकायों आदि को रिपोर्ट करने के लिए प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) संप्रभाग है।
- एमआईएस-एडीएफ हमारे बैंक की सभी असतत प्रणालियों अर्थात फिनेकल (घरेलू और विदेशी), जीबीएम, एलएपीएस, घरेलू ट्रेजरी, ई-बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एम-वॉलेट आदि के साथ एकीकृत है और बहुउद्देश्यीय जैसे समन्वय, नियंत्रण, विज्ञानाज्ञा, डेटा विश्लेषण, व्यवसाय के मूल्य और लाभ को बढ़ाने के लिए एवं इसके कार्यान्वयन और शीर्ष प्रबंधन स्तर पर प्रभावी निर्णय लेने के

- Advisories issued on cyber awareness are uploaded in Bank's in-house web portal to act as an online repository of advisories and provide easy accessibility to staff members.

- Apart from imparting awareness, mock social engineering drills are conducted periodically to evaluate the promptness of our staffs and onsite third party vendors, in detecting and reporting cyber incidents.

## 19. OPERATION AND SERVICES

The Bank acknowledges the need for consistently enhancing the customer experience and strives to improve the quality of customer service in order to ensure that our customers feel appreciated and valued.

Bank has taken the following initiatives for improvement in customer experience in the during the year 2022-23:

- Bank has revamped its customer grievance redressal system by introducing Online Grievance Redressal System (OGRS) which is a single point web interface available 24x7 for handling customer complaints including failed transaction related complaints, received from various channels.
- Root Cause Analysis of customer complaints was conducted so as to identify recurring complaints and necessary improvements were made in systems and procedures to prevent their occurrence in future.
- Improvement in functioning of contact centre of the Bank so as to be in sync with industry standards.
- Queue Management System has been implemented in 50 transaction intensive branches.
- Online Customer feedback handling system has been developed so as to ascertain customer sentiment and the areas which need improvement.
- Improvement in CTS clearing mechanism, Revision in Fixed Deposits Receipt, Issuance of SOPs/ Job cards/ Hand Books etc. to support the field functionaries for consequent improvement in customer experience.

Bank is also implementing the following initiatives for further improvement in customer service:

### New Initiatives:

- Introduction of new Horizontal Pass Book in line with major Banks.
- Introduction of Welcome Kit which is to be provided to customers opening new CASA accounts.
- Online deceased claim settlement portal.

## 20. MIS & ADF Cell:

- Bank is having Management Information System (MIS) vertical for internal reporting as well as reporting to regulatory and various statutory bodies etc.
- MIS-ADF is integrated with all the discrete systems of our Bank, viz. Finacle (Domestic and Overseas), GBM, LAPS, Domestic Treasury, E-Banking, Mobile Banking, M-Wallet etc. and is performing as a one stop solution in providing information to the organization for multipurpose like co-ordination, control, visualization, data analysis to increase

लिए जानकारी के लिए कम से कम समय में संगठन को डेटा और जानकारी उपलब्ध कराने में एक स्टॉप समाधान के रूप में कार्य कर रहा है।

- बैंक ने एक्सबीआरएल प्लेटफॉर्म के माध्यम से बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के आरबीआई रिटर्न/डेटा जैसे बीएसआर, एसआईबीसी, एनआरडीसीएसआर आदि प्रस्तुत करने के लिए एमआईएस एडीएफ के तहत रिपोर्टिंग प्रणाली विकसित की है। व्यावसायिक वर्टिकल - ऋण, जोखिम प्रबंधन, वसूली, ट्रेजरी, इंटरनेशनल, ओवरसीज और फाइनेंस के लिए दिन-प्रतिदिन के व्यावसायिक मापदंडों पर नियंत्रण, निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाती हैं। विभाग समयबद्ध तरीके से नियमित आधार पर सभी तदर्थ डेटा प्रस्तुत करने की चुनौती का सामना करता है और असाधारण रूप से अच्छी तरह से ऐसा करने में सफल होता है।
- इलेक्ट्रॉनिक और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार को दैनिक आधार पर डिजिटल चैनल के कार्यनिष्पादन की रिपोर्टिंग की जाती है।
- बैंक मासिक आधार पर विभिन्न क्रेडिट ब्यूरो जैसे सिबिल, सीआरआईएफ हाईमार्क और इक्विफैक्स को उपभोक्ता, वाणिज्यिक और एसएचजी सेगमेंट की क्रेडिट जानकारी भी रिपोर्ट कर रहा है।
- विभाग ने मानकीकृत प्रारूप के अनुसार एसएलबीसी डेटा जनरेशन/एसआईबीसी पोर्टल पर सीधे जमा करने के लिए स्वचालित प्रक्रिया विकसित की है। बैंक ने आरबीआई द्वारा शुरू की गई केंद्रीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली (सीआईएमएस) परियोजना को भी सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया है। इस परियोजना के तहत 117 आरबीआई रिटर्न समयबद्ध तरीके से स्वचालित होंगे। स्वचालन प्रक्रिया का पहला चरण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। विभाग डेटा निर्माण और जमा करने की प्रक्रियाओं को स्वचालित करने के लिए लगातार पहल कर रहा है।
- नया डाटा विश्लेषणात्मक वर्टिकल
- संस्था के सफलतापूर्वक उन्नति के लिए विभाग ने डाटा वेयर हाउसिंग परियोजना, बी1 मॉड्यूल के माध्यम से कारबार विश्लेषणात्मक वृद्धि हेतु डाटा एवं संस्था के परिचलन क्षमता में सुधार लाने हेतु निर्णय समर्थन प्रणाली के रूप में कार्य करने, विद्यमान उत्पादों में मूल्य वर्धित करने, नए अभिनव उत्पाद तैयार करने की प्रक्रिया को कार्यान्वित करना आरंभ कर दिया है। यह बैंकिंग उद्योग को अनेक चुनौतियों का प्रबंधन करने में ज्यादा सक्षम बनाने में सहयोग करता है। जब बैंक के लिए बेसिक रिपोर्टिंग एवं वर्णात्मक विश्लेषणात्मकता जारी रहे तो अग्रिम आगम एवं नियमानुसार विश्लेषिकियों ने अब शक्तिशाली अंतर्दृष्टि जेनरेट करना आरंभ कर दिया है जिसके फलस्वरूप सार्थक कारबार परिलक्षित हो रहा है।
- बैंकिंग के तीन ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जहां विश्लेषिकियों ने अधिकतम प्रभाव डाला है:

#### क. परिचालनात्मक दक्षता:

विश्लेषिकी मुख्य कारबार करने वाले को परिचालनात्मक विवरण संबद्ध करने हेतु बैंक को सक्षम बनाता है। यह एक स्कोर कार्ड के रूप में है जो यह दर्शाता है कि कोई संस्था लक्ष्य के विरुद्ध किस प्रकार कार्य करता है, अनुरोधन करता है एवं अन्योन्याश्रित मानदंडों के साथ विभागों को जोड़ता है।

#### ख. ग्राहक, विपणन, उत्पाद एवं पोर्टफोलियो अनुकूलन मॉडलिंग :

ग्राहक विश्लेषिकी ग्राहक वालेट हिस्सेदारी को बढ़ाने, ग्राहक संतुष्टि में सुधार लाने एवं ग्राहकों की अपेक्षा अनुसार उन्हें सही माध्यम से सही समय पर सही उत्पाद उपलब्ध कराने हेतु रणनीति तैयार करने में सहयोग करता है। यह ग्राहकों के आजीवन मूल्यों, संभाव्यताओं का मंथन करने, अप-सेल एवं क्रॉस-सेल संसाधनों की भविष्यवाणी करने में भी सहयोग करता है।

the value and profit of business, its implementations and TOP Management level for effective decision making by providing data and information in the shortest period of time.

- Bank has developed reporting system under MIS ADF for submission of RBI returns/data viz. BSR, SIBC, NRDCSR etc. without any manual intervention through XBRL platform. Internal reports are made available for business verticals - Credit, Risk Management, Recovery, Treasury, International, Overseas and Finance for control, monitoring and reporting on day to day business parameters. Department faces the challenge of submission of all adhoc data on regular basis in time bound manner and succeeds in doing the same exceptionally well.
- Digital channel performance reporting is made to Ministry of Electronics & Technology, Govt. of India on daily basis.
- Bank is also reporting, credit information to consumer, commercial and SHG segments on monthly basis to different Credit Bureau like CIBIL, CRIF Highmark and Equifax.
- Department has developed automated process for SLBC data generation /submission directly to SIBC portal as per standardized format. Bank has also successfully implemented Centralised Information Management System (CIMS) project launched by RBI. Under this project 117 RBI returns to be automated in a time bound manner. 1st phase of automation process have been completed successfully. Department is constantly taking initiatives to automate the processes of data generation and submission.
- New Data Analytics vertical
- Department has also initiated the process of implementation of Data ware housing project data for enhanced Business Analytics through the BI module and act as Decision Support system for improving organizations operational efficiency, add value to existing products, engender new innovative products for successful growth of the Organization. It helps the banking industry become smarter in managing the myriad challenges it faces. While basic reporting and descriptive analytics continues to be must-have for banks, advance predictive and prescriptive analytics are now starting to generate powerful insights, resulting in significant business impact.
- There are three key areas in Banking where analytics has created maximum impact:

#### a. Operational Efficiency :

Analytics enable banks to correlate operational details to key business drivers. It is in the form of scorecards showing how the organisation performs against targets, tracing and communicating important business metrics, and connecting departments over interdependent parameters.

#### b. Consumer, marketing, product and portfolio optimisation modelling :

Customer analytics, relates to identifying strategies for increasing customer wallet share, improving customer satisfaction, and knowing customer needs to offer them the right product at the right time through the right channel. It also helps to forecast the customer lifetime value, churn probabilities, up-sell and cross-sell avenues.

**ग. जोखिम, कपट एवं एमएल/केवाईसी विश्लेषक :**

जोखिम प्रबंधन विश्लेषक एक ऐसे प्लेटफार्म के माध्यम से सहायता कर सकता है जो असमान जोखिम का संश्लेषण करता है और वित्तीय डाटा को एकीकृत करता है, उद्योगों का किसी भी प्रभागों, भौगोलिक एवं जोखिम वर्गों के संबंध में विस्तृत विचार रखता है।

**21. कॉर्पोरेट संसूचना**

बैंक हितधारकों के साथ संचार में अपनी उच्च स्तर की पारदर्शिता और निरंतरता के माध्यम से मजबूत कॉर्पोरेट प्रतिष्ठा को मजबूत करता है और वास्तविक समय के आधार पर बैंक की वेबसाइटों के माध्यम से सूचना सहित स्पष्टता, सुसंगतता और विश्वसनीयता के साथ समय पर सूचना का प्रसार भी करता है। बैंक का उद्देश्य निरंतर, सुसंगत और प्रासंगिक संदेशों के माध्यम से और बाहरी तथा आंतरिक दोनों संचार साधनों के विवेकपूर्ण मिश्रण का उपयोग करके गतिविधियों और विकास में एक और सभी को सूचित करना, राजी करना और शामिल करना है।

बैंक ने विश्वस्तर के वित्तीय संस्थान की ब्रांड-छवि बनाने और बनाए रखने के लिए प्रिंट मीडिया, आउटडोर मीडिया, विभिन्न कार्यक्रमों के प्रायोजन, सीएसआर गतिविधियों और हितधारकों के लिए आवश्यक जानकारी के प्रसार जैसे विभिन्न चैनलों के माध्यम से कई पहल की हैं।

**क) प्रचार अभियान:**

आम जनता से जुड़ने के लिए प्रिंट मिडिया / आउटडोर मिडिया सबसे प्रभावी माध्यम हैं। विभाग ने हॉर्डिंग्स, कियोस्क, ट्रैफिक बूथ, बैनर, ट्रैफिक कोन, डिजिटल डिस्प्ले, पत्रिकाएं, समाचार पत्र आदि के माध्यम से वर्ष भर सघन और जोरदार प्रचार अभियान चलाकर इसका प्रभावी उपयोग किया है।

बैंक के ब्रांड प्रचार के दौरान विभाग विभिन्न बैंकिंग उत्पादों जैसे गृह ऋण, कार ऋण, शिक्षा ऋण, स्वर्ण ऋण, जमा योजनाओं, डिजिटल उत्पादों, वीकेवाईसी आदि का प्रचार करना भी सुनिश्चित करता है।

**ख) 80 वां स्थापना दिवस समारोह:**

बैंक देश की सेवा करते हुए 6 जनवरी, 2023 को अपना गौरवशाली 80वां वर्ष पूरा किया। उक्त समारोह पूरे देश में एवं विदेश स्थित केंद्रों में पूरे उत्साह एवं जोश के साथ मनाया गया। पूरे भारत में हमारे सभी अंचल कार्यालयों एवं हमारी शाखाओं में विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों यथा वृक्षरोपण, रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य परीक्षण कैंप आदि आयोजित किए गए। साइंस सिटी में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित की गई जिसमें पूरे भारत वर्ष से हमारे स्टाफ सदस्यों ने भागीदारी की एवं अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किए।

**ग) 80वां गौरवशाली वर्ष के पूरे होने के उपलक्ष्य में माननीया राष्ट्रपति जी का कार्यक्रम**

बैंक के 80वां स्थापना दिवस कार्यक्रम को यादगार बनाते हुए एक अन्य कार्यक्रम दिनांक 28.03.2023 को आयोजित किया गया और यह कार्यक्रम भारत के माननीया राष्ट्रपतिजी द्वारा आभूषित किया गया। उक्त कार्यक्रम में भारत के माननीया राष्ट्रपति जी ने हमारी 50 नई शाखाओं का वर्चुअल उद्घाटन की। पश्चिम बंगाल के माननीय राज्यपाल एवं दो मंत्रियों की उपस्थिति ने भी उक्त कार्यक्रम को विभूषित किया। उक्त कार्यक्रम में कोलकाता के सभी स्टाफ सदस्यों ने भागीदारी की। इस कार्यक्रम को टीवी, प्रिंट मिडिया, इलेक्ट्रॉनिक मिडिया एवं सोशल मिडिया के माध्यम से काफी प्रचार किया गया।

**c. Risk, fraud, and AML/KYC analytics :**

Risk Management, analytics can help with a platform that synthesises disparate risk and financial data into an integrated, enterprise-wide view of risk across divisions, geographic and risk classes.

**21. Corporate Communication**

Bank reinforces strong corporate reputation through its high degree of transparency and consistency in communication with stakeholders and also disseminates timely information with clarity, coherence and credibility including information through the websites of the Bank on real-time basis. Bank aims to inform, persuade and involve one and all in the activities and growth through sustained, consistent and relevant messages and using a judicious mix of both external and internal communication tools.

Bank has taken up multiple initiatives through various channels namely Print Media, Outdoor Media, sponsorship of different events, CSR activities and dissemination of requisite information to stakeholders to build and maintain the brand-image of a world class financial institution.

**a) Publicity Campaigns:**

Print Media/ Outdoor Media is an effective medium to connect to masses. The Department has utilized it effectively by carrying out intensified and vigorous publicity campaigns throughout the year through hoardings, kiosks, traffic booths, banners, traffic cones, digital displays, magazines, newspapers etc.

During the brand publicity of the Bank, the Department also ensures to publicize various banking products viz. Home Loan, Car Loan, Education Loan, Gold Loan, Deposit schemes, Digital Products, VKYC etc.

**b) Celebration of 80th Foundation Day:**

The Bank completed 80 glorious years of service to the nation on 6th January, 2023. The occasion was celebrated with much enthusiasm and vigor across the country and overseas centers. Zonal Offices and branches across the country organized different activities viz. planting saplings, blood-donation camps, health check-up camps etc. A cultural programme was organized at Science City, wherein staff members across the country participated and performed their talent.

**c) Hon'ble President programme on completion of 80th glorious years:**

To mark the occasion of 80th Foundation Day of the Bank, another program was organized on 28.03.2023 and the occasion was graced by Hon'ble President of India. In the programme Hon'ble President of India inaugurated fifty new branches virtually. The occasion was also graced by Hon'ble Governor of West Bengal, two Ministers of West Bengal. All staff members from Kolkata had participated in the programme. The programme has widely publicized in TV, Print media, Electronic Media and Social Media.

#### घ) जनसंपर्क :

जनसंपर्क को मजबूत करने हेतु सूचना का प्रसार एवं महत्वपूर्ण घटनाओं एवं आयोजनों तथा वित्तीय परिणामों की घोषणा, नई शाखाओं के उद्घाटन, पुरस्कार एवं सम्मान आदि पूर्वापेक्षित है। वर्ष के दौरान बैंक ने वित्तीय परिणामों की घोषणा करने एवं अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं को उद्घाटित करने हेतु प्रेस मीट आयोजित किया।

#### ङ) कार्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर):

बैंक यह विश्वास करता है कि सीएसआर क्रियाकलाप से मूल्य का सृजन होता है। तथापि सीएसआर ग्राहकों एवं समाज के लोगों के मन में अनुकूल धारण तैयार करती है। इससे विद्यमान एवं भावी ग्राहकों में अपनेपन एवं निष्ठा का संचार होता है। बैंक का 27 आरसेटी ( ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान) पूरे भारत में फैला हुआ है जो ग्रामीण युवाओं में उद्यमशीलता के विकास हेतु उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया और उनका कौशल विकास किया जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2022- 23 के तहत कुल व्यय 1090.02 लाख रुपये एवं सीएसआर के तहत वर्ष 2022-2023 में कुल व्यय 104.99 लाख रुपये हुआ।

#### कुछ प्रमुख सीएसआर गतिविधियों का उल्लेख नीचे किया गया है:

- रायरंगपुर, मयूरभंज जिला, ओडिशा में श्री अरबिंदो स्कूल का पुनर्निर्माण कार्य।
- गंगाधर मेहर विश्वविद्यालय, संबलपुर, ओडिशा के अंदर दिव्यांग छात्रों के संचार के लिए 6.53 लाख रुपये के बैटरी चालित वाहन का दान।
- 7 वीं सब-जूनियर, जूनियर और सीनियर बॉक्सिया (Boccia) नेशनल चैंपियनशिप 2022-23 और नॉटविल 2023 ग्रैंड प्रिक्स - पैरा एथलेटिक्स 2023 के लिए भारत की पैरालंपिक समिति को 5.00 लाख रुपये की प्रायोजन राशि का सहयोग।
- केरल राज्य के इडुक्की जिले के पेरुवंतनम और वाथिकुकुडी ग्राम पंचायतों में सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) मॉडल आंगनवाड़ी परियोजना में 3.00 लाख रुपये का योगदान।

#### च) यूको टॉवर:

बैंक गृह पत्रिका "यूको टॉवर" भी प्रकाशित करता है जिसमें सभी यूकोजन को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यूको टॉवर का उद्देश्य सभी कर्मचारियों के बीच बैंक की सभी घटनाओं और गतिविधियों के बारे में जागरूकता पैदा करना है।

#### 22. मानव संसाधन

मानव संसाधन प्रबंधन विभाग के अंतर्गत ऐसे विविध प्रकोष्ठ शामिल हैं जिसमें विभागों के अलग-अलग खंडों को देखना होता है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान ऐसे सारे प्रकोष्ठ मिलकर एक सामंजस्य और काम करने का माहौल सृजित करते हैं। स्टाफ के ज्ञान एवं कौशल संवर्धन/ समुन्नत करने के लिए कार्यशाला एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

#### 22.1 श्रमशक्ति प्रबंधन:

31 मार्च, 2023 को कुल स्टाफ की संख्या 21698 रही, जिसमें विदेशों में सेवारत कर्मचारी भी शामिल हैं। हमारे पास 13338 अधिकारी और 5970 लिपिक हैं, जिनमें से 3322 अनुसूचित जाति, 1636 अनुसूचित जनजाति, 4987 अन्य पिछड़े वर्ग और ईडब्ल्यूएस 257 से हैं। हमारे बैंक में 2390 सबस्टाफ हैं।

कुल सबस्टाफ में से 524 बेंचमार्क अशक्तता और 1485 अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित हैं। 31 मार्च 2023 के कुल कार्यबल में से 28.33% महिला कर्मचारी (6148) है।

#### d) Public Relations:

To strengthen the public relations, dissemination of information and coverage of important events and occasions viz. declaration of Financial Result, opening of new branches, Awards & Recognition etc. is pre-requisite. During the year, Bank organized Press meets on the occasion of declaration of financial results of the Bank and other important events.

#### e) Corporate Social Responsibility (CSR):

Bank believes that carrying out CSR activities help in tangible value creation. Moreover, CSR creates a positive image in the mind of customers and society at large. This creates a sense of belongingness and loyalty in existing and prospective customers. The Bank has 27 RSETIs (Rural Self Employment Training Institutes) spread across country to impart training and skill up-gradation of rural youth geared towards entrepreneurship development, total expenditure for F.Y. 2022-23 is Rs.1090.02 lakh and other contribution of funds under CSR is of Rs. 104.99 lakhs in the FY. 2022-23.

#### Some of CSR activities highlights are mentioned as under:

- Reconstruction works of Shri Aurobindo School at Rairangpur, Mayurbhanj district, Odisha.
- Donation of battery-operated vehicle of Rs. 6.53 lakh for communication of PWD students inside of the Gangadhar Meher University, Sambalpur, Odisha
- Sponsorship of Rs. 5.00 lakh for 7th Sub-Junior, Junior & Senior Boccia National Championship 2022-23 and Nottwil 2023 Grand Prix - Para Athletics 2023 to Paralympic committee of India.
- Contribution of Rs. 3.00 lakh in project Sansaad Adarsh Gram Yojana (SAGY) Model Anganwadi in Peruvanthanam and Vathikkudy Gram Panchayats in Idukki district in the state of Kerala.

#### f) UCO TOWER:

Bank is also publishing the in-house magazine "UCO Tower" where all the constituents are encouraged to participate. UCO Tower also aims to create awareness of all happenings and activities of the Bank among all employees.

#### 22. HUMAN RESOURCE

Human Resource Management Department comprises of various Cells looking after different segments of the departments. All these cells worked in tandem during FY 2022-23 to create a harmonious and productive work environment. Training and workshop were organized for improving/enhancing the skills and knowledge of the staff.

#### 22.1 Manpower Management:

The Total staff strength as on 31st March, 2023 stood at 21698 including employees serving overseas. We have 13338 Officers and 5970 Clerks, out of which, 3322 are SC, 1636 are ST, 4987 are OBC and EWS are 257. There are 2390 Sub-staff in our Bank.

Out of total staff, 524 employees are Differentially-abled and 1485 belong to the Minority Communities. Women employees (6148) constitute 28.33% of the Total Workforce as on 31st March, 2023.

## 22.2 आईआर संधिवाता परक्राम्य प्रकोष्ठ:

इस अवधि के दौरान बैंक में प्रबंधन एवं यूनियन/ एसोसिएशन के बीच औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण रहे। वित्तीय वर्ष 2022-23 के आपसी सहयोगात्मक दृष्टिकोण एवं सम्मानजनक रवैये से समय-समय पर यूनियन/ एसोसिएशन के बीच बैठकें एवं चर्चाएं हुईं।

## 22.3 आरक्षण प्रकोष्ठ:

बैंक भारत सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग / दिव्याङ्ग व्यक्तियों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रदान किए गए आरक्षण, छूट और अन्य रियायतों को लागू कर रहा है। 31/12/2022 को अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों का समग्र प्रतिनिधित्व 20.10%, 8.38% और 22.79% था। सीधी भर्ती के साथ-साथ पदोन्नति के लिए अलग रोस्टर रजिस्टर बनाए जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आंतरिक पदोन्नति प्रक्रिया के दौरान, बैंक ने अधिकारियों के अंतर-स्तरीय पदोन्नति के लिए 671 उम्मीदवारों, लिपिक से अधिकारियों के पदोन्नति के लिए 438 उम्मीदवारों एवं अधीनस्थ कर्मचारियों से लिपिक में पदोन्नति के लिए 272 उम्मीदवारों को भर्ती पूर्व प्रशिक्षण प्रदान किया है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के लिए मुख्य संपर्क अधिकारी के साथ-साथ पदेन संपर्क अधिकारी के प्रत्यक्ष नियंत्रण में कार्य करते हुए मानदंडों के अनुसार प्रधान कार्यालय स्तर पर और सभी अंचल कार्यालयों में आरक्षण प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है। बैंक ने 213 अनुसूचित जाति और 96 अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को अधिकारियों के अंतर-स्तरीय पदोन्नति लिपिक से लेकर अधिकारी संवर्ग तक 129 अनुसूचित जाति और 91 अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों और अधीनस्थ कर्मचारियों से लिपिक संवर्ग के 164 अनुसूचित जाति और 21 अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को पदोन्नति के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया है।

बैंक ने प्रधान कार्यालय स्तर पर मुख्य प्रबंधक की अध्यक्षता में और साथ ही सभी अंचल कार्यालयों में अलग ओबीसी प्रकोष्ठ का गठन किया है जो मुख्य संपर्क अधिकारी के साथ-साथ पदेन संपर्क अधिकारी के नियंत्रण में कार्य कर रहा है। बैंक ने 322 अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकारियों के अंतर-स्तरीय पदोन्नति में, 211 ओबीसी उम्मीदवारों को लिपिक से अधिकारियों और 84 ओबीसी उम्मीदवारों को अधीनस्थ कर्मचारियों से लिपिक संवर्ग में प्रशिक्षण दिया है।

इसके अलावा दिव्यांग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कर्मचारियों के लिए उनकी शिकायत को देखने के लिए अलग शिकायत निवारण अधिकारी बनाया गया है। बैंक ने 51 दिव्यांग कर्मचारियों को अधिकारियों के अंतर-स्तरीय पदोन्नति; लिपिक से अधिकारियों में पदोन्नति के लिए 21 दिव्यांग कर्मचारी, अधीनस्थ स्टाफ से लिपिक के पद पर पदोन्नति के लिए 10 दिव्यांग अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया है।

बैंक के अनुसूचित जाति/ जनजाति/ पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों के मुद्दों को सुलझाने हेतु अंचल कार्यालय स्तर के साथ-साथ सर्वोच्च स्तर पर भी ऐसे कर्मचारियों (जहाँ आरक्षण रोस्टर का रखरखाव होता है) ऐसे कर्मचारियों की वेलफेयर एसोसिएशन के साथ बैठक बुलाई जाती है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/भूतपूर्व सैनिकों/ दिव्यांग से संबंधित कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए प्रधान कार्यालय स्तर पर एक आंतरिक शिकायत समिति कार्य कर रही है, जिसे संबंधित प्रकोष्ठ द्वारा बैंक की नीति एवं दिशानिर्देशानुसार प्रबंध और निवारण किया जाता है। बैंक कर्मचारी ऑनलाइन के माध्यम से एचआरएमएस मॉड्यूल में सेल्फ सर्विस-रेज़ विकल्प के तहत अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

31.12.2022 तक अनुसूचित जाति/ जनजाति/ पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी के प्रतिनिधित्व को दर्शाने वाले निर्धारित प्रारूप में वार्षिक विवरण अनुबंध-I और अनुबंध-II में दिया गया है।

## 22.2 IR Negotiation Cell:

During the period, the Industrial Relations climate in the Bank remained cordial between the Management and the Unions/ Associations. Meetings and discussions were held with Unions/Associations at periodic intervals through mutual co-operative attitude and respect during the financial year 2022-23.

## 22.3 Reservation Cell:

Bank has been implementing reservation, relaxation and other concessions extended to SC/ST/OBC / Differently Aabled Persons and Ex-Servicemen employees as per reservation policy of the Government of India. The overall representation as on 31/12/2022 of SC/ST/OBC employees was 20.10 %, 8.38% and 22.79%. Separate roster registers are maintained for direct recruitment as well as for promotion. During internal promotion process for the FY 2022-23, , Bank has imparted pre-promotional training to 671 candidates for inter-scale promotion of officers ,438 candidates for promotion from Clerical to Officers and 272 candidates for promotion from Sub Staff to Clerical.

For SC/ST employees, reservation cell is set up at HO level and across all ZO level as per Government norms, functioning under the direct control of Chief Liaison Officer as well as Ex-officio Liaison Officer. Bank has imparted training to 213 SC & 96 ST candidates for inter-scale promotion of officers; 129 SC & 91 ST candidates from clerical to officers cadre and 164 SC & 21 ST candidates from sub staff to clerical cadre.

Bank has also formed separate OBC cell at HO level headed by Chief Manager as well as across all ZO which is functioning under the control of Chief Liaison Officer as well as Ex-officio Liaison officer. Bank has imparted training to 322 OBC candidates in inter-scale promotion of officers, 211 OBC candidates from clerical to officers and 84 OBC candidates from sub staff to clerical cadre.

Moreover Separate Grievance Redressal officer for PwBD and EWS employees has been created to look after their grievance. Bank has imparted pre- promotional training to 51 PwBD employees in inter-scale promotion of officers; 21 PwBD employee for promotion from clerical to officers; 10 PwBD candidates for promotion from sub staff to clerical.

In order to address the issues of SC/ST & OBC employees of the Bank, meetings are called at Apex level as well as at Zonal office level (Where reservation roster is maintained) with Welfare Association of such employees. An Internal Grievance Committee is functioning at Head office level for monitoring the grievances redressal of the employees belonging to SC/ST/OBC/Ex-SM/PWD, which are handled and subsequently redressed by the respective cell, as per Bank's extant policy and guidelines. Bank Employee can submit their grievance through Online in HRMS module under Self Service- Raise Issue.

The Annual Statement in the prescribed format showing the representation of SCs, STs, OBCs, EWS and PWD as on 31-12-2022 is given in Annexure-I & Annexure-II.



		अनुबंध/Annexure - I														
		31.12.2022 तक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का समूहवार प्रतिनिधित्व Group-wise representation of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Economically Weaker Section upto 31.12.2022														
संस्था का नाम : यूको बैंक / Name of the Organization : UCO BANK																
समूह Group	कार्मिकों की संख्या (31.12.2022 के अनुसार) No. of Employees (As on 31.12.2022)	कैलेंडर वर्ष 2022 के दौरान की गई नियुक्तियों/पदोन्नति की संख्या (यानि 01.01.2022 to 31.12.2022) Number of appointments/promotions made during the calendar year 2022 (i.e. 01.01.2022 to 31.12.2022)						अन्य विधियों द्वारा नियुक्ति Appointment by other Methods								
		सीधी भर्ती से नियुक्ति Appointment by direct Recruitment			पदोन्नति द्वारा नियुक्ति Appointment by Promotion			अज अज अज			कुल Total कुल					
		कुल Total	अज SCs	अजा STs	ओबीसी OBCs	ईडबल्यू एस EWS	कुल Total	अज SCs	अजा STs	ओबीसी OBCs	ईडबल्यू एस EWS	कुल Total	अज SCs	अजा STs	ओबीसी OBCs	ईडबल्यू एस EWS
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
समूह-क Group-A		12937	2205	1068	3276	143	520	80	38	131	58	1457	234	100	395	0
समूह-ख Group-B		लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
समूह-ग Group-C		6406	1104	583	1408	111	436	94	32	105	44	174	64	14	44	0
समूह-घ (सफाई कर्मचारी को छोड़कर) Group-D (Excluding Safai Karamchari)		2513	1086	181	296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
समूह-घ (सफाई कर्मचारी) Group-D (Safai Karamcharies)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>कुल Total</b>		<b>21856</b>	<b>4395</b>	<b>1832</b>	<b>4980</b>	<b>254</b>	<b>956</b>	<b>174</b>	<b>70</b>	<b>236</b>	<b>102</b>	<b>1631</b>	<b>298</b>	<b>114</b>	<b>439</b>	<b>0</b>

संस्था का नाम : यूको बैंक / Name of the Organization : UCO BANK		दिनांक 31.12.2022 तक दिव्यांग व्यक्तियों का समूह-वार प्रतिनिधित्व Group-wise representation of Persons with Disabilities up to 31.12.2022																					
समूह Group	कार्मिकों की संख्या (31.12.2022 के अनुसार) No. of Employees (As on 31.12.2022)		समूह-वार Appointment by direct Recruitment										पदोन्नति द्वारा नियुक्ति Appointment by Promotion										
	कुल Total	वीएच VH	एचएच HH	ओएच OH	आईडी ID	वीएच VH	एचएच HH	ओएच OH	आईडी ID	कुल Total	वीएच VH	एचएच HH	ओएच OH	आईडी ID	कुल Total	वीएच VH	एचएच HH	ओएच OH	आईडी ID				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
समूह-क Group-A	12937	93	45	218	0	8	2	5	7	19	9	1	6	2	NIL*	NIL*	NIL*	NIL*	NIL*	NIL*	NIL*	NIL*	NIL*
समूह-ख Group-B	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
समूह-ग Group-C	6406	36	10	87	3	6	8	5	9	16	5	1	7	3	NIL*	NIL*	NIL*	NIL*	NIL*	NIL*	NIL*	NIL*	NIL*
समूह-घ (सफाई कर्मचारी को छोड़कर) Group-D (Excluding Safai Karamchari)	2513	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
समूह-च (सफाई कर्मचारी) Group-D (Safai Karamcharies)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>कुल Total</b>	<b>21856</b>	<b>129</b>	<b>55</b>	<b>335</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>16</b>	<b>35</b>	<b>14</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

नोट :-

- (i) वीएच का अर्थ है दृष्टिबाधित (अंधापन या कम दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति)
- (ii) एचएच का अर्थ है श्रवण बाधित (सुनने में अक्षम व्यक्ति)
- (iii) ओएच का अर्थ है आर्थोपेडिक रूप से विकलांग(चलने में अक्षमता या सेरेब्राल्सासी से पीड़ित व्यक्ति)
- (iv) आईडी का अर्थ है बौद्धिक विकलांग (आत्मकेंद्रित, सहज अक्षमता, विशिष्ट सीखने की अक्षमता और मानसिक बीमारी से पीड़ित व्यक्ति)

शून्य \* पदोन्नति में पीडबल्यूबीडी कर्मचारी की नियुक्ति के लिए डेटा प्रदान किया जाता है क्योंकि बैंक ने 01.04.2022 से पहले पदोन्नति प्रक्रिया शुरु की थी जब पीडबल्यूबीडी के लिए पदोन्नति में कोई आरक्षण लागू नहीं था।

#### 22.4 भर्ती कक्ष:

वर्ष 2022-23 में बैंक ने सामान्य एवं विशेषज्ञ संवर्ग के तहत 528 अधिकारियों की भर्ती की है। उनमें से 195 अधिकारी महिलाएं हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 511 लिपिकों की भी भर्ती की गई है। 511 लिपिकों में से 144 लिपिक महिलाएं हैं। बैंक ने सीआरपी-XII के अंतर्गत 2023-24 में 550 परीवीक्षाधीन अधिकारी और 524 लिपिकों की भर्ती का भी प्रस्ताव रखा है।

#### 22.5 प्रशिक्षण कक्ष:

हमारे संगठन को सबसे गतिशील उद्योगों में से एक होने के नाते, संबंधित क्षेत्रों में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ अपने श्रमशक्ति को निरंतर अद्यतन करके लगातार बदलते परिवेश के साथ चलते रहना है। अतएव प्रशिक्षण कार्यक्रम कॉर्पोरेट विज्ञान, मिशन को संरेखित करने और शीर्ष प्रबंधन की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए आयोजित किए जाते हैं।

वित्त वर्ष 2022-23 में, 605 कार्यपालकों, 7814 अधिकारियों और 3263 सब स्टाफ, कुल 11682 स्टाफ सदस्यों को आंतरिक तथा बाहरी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से कोलकाता में स्थित हमारे सेंट्रल स्टाफ कॉलेज (सीएससी) और भारत भर के 6 क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्रों और प्रतिष्ठित बाहरी प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षित किया गया। हमने प्रतिष्ठित बाहरी प्रशिक्षण संस्थानों जैसे एपीआरएसीए सेन्ट्रब, सिंगापुर, आईआईएम, एनआईबीएम, सीएबी(आरबीआई) आईआईबीएफ, सीएफएआरएल, स्टेट बैंक इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप, बड़ौदा अकादमी, सीवीसी (नई दिल्ली), आईआईसीए, आईएसएबीएस, इंफोसिस, मणिपाल यूनिवर्सिटी, एनसीआईआईपीसी, निब्सकॉम, यूआईडीएआई, एक्सएलआरआई (जमशेदपुर) इत्यादि में अपने कार्यपालकों और अधिकारियों को प्रशिक्षण दिलाने हेतु प्रायोजित करना जारी रखा है, जिसने उन्हें वैश्विक प्रतिस्पर्धी बढ़त हासिल करने में मदद की है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुछ महत्वपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रमों जैसे वार्षिक फॉरेक्स असेंबली, मानव प्रक्रियाओं पर बुनियादी प्रयोगशालाएं, बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम, बैंकिंग अनुपालन पर अनुकूलित कार्यक्रम, कार्यस्थल सुरक्षा पर महिलाओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम, सुरक्षा अधिकारियों का वार्षिक पुनश्चर्या प्रशिक्षण, महिला अधिकारिता पर अनुकूलित प्रशिक्षण कार्यक्रम, निवेश योजना पर कार्यशाला आदि का आयोजन किया गया।

इसके अलावा, नए पदोन्नत मुख्य प्रबंधकों, सहायक महाप्रबंधकों के 5 बच्चों ने एएससीआई हैदराबाद, आईआईएम इंदौर, मणिपाल विश्वविद्यालय-जयपुर, एनआईबीएम-पुणे, एक्सएलआरआई-जमशेदपुर में आयोजित प्रबंधन विकास कार्यक्रम में भाग लिया।

क्रेडिट पूल के तहत चिन्हित किए गए अधिकारियों के लिए बुनियादी प्रशिक्षण सीएससी कोलकाता में आयोजित किया गया। बाहरी प्रशिक्षण

Note:-

- (i) VH stands for visually Handicapped (persons Suffering from blindness or low vision).
- (ii) HH stands for Hearing Handicapped (persons suffering from hearing impairment).
- (iii) OH stands for Orthopedically Handicapped (persons suffering from locomotors disability or cerebral palsy).
- (iv) ID stands for Intellectual Disability (persons suffering from autism, instinctual disability, specific learning disability and mental illness)

NIL\* Data is provided for appointment of PWBD employee in Promotion as Bank Has conducted promotion process before 01.04.2022 till no reservation in promotion for PWBD were APPLICABLE.

#### 22.4 Recruitment Cell:

In the year 2022-23, Bank has recruited 528 Officers under Generalist and Specialist Cadre. Out of which 195 officers are females. 511 clerks have also been recruited during the financial year 2022-23. Out of total 511 clerks 144 are females. Bank also proposes to recruit 550 Probationary officers and 524 clerks for 2023-24 under CRP-XII.

#### 22.5 Training Cell:

Our Organization, being a part of one of the most dynamic industries, has to keep up with the constantly changing environment by continuously updating its workforce with various Training Programs in the concerned Fields. Training Programs are held aligning the corporate vision, mission and fulfilling the expectations of the Top Management.

In FY 2022-23, 605 Executives, 7814 Officers and 3263 Sub-Staff, totaling 11682 were trained in Internal & External Training Programs conducted at our Central Staff College (CSC) situated at Kolkata and 6 Regional Training Centers, across India and from Reputed External Training Institutions. We also continued to sponsor our Executives & Officers in reputed External Training Institutes like APRACA Centrabs, Singapore, IIMs, NIBM, CAB (RBI), IIBF, CAFRAL, State Bank Institute of Leadership, Baroda Academy, CVC (New Delhi), IICA, ISABS, Infosys, Manipal University, NCIIPC, NIBSCOM, UIDAI, XLRI (Jamshedpur) etc which helped them in acquiring a global competitive edge.

In FY 2022-23 some important Training Programs like Annual Forex Assembly, Basic Labs on Human Processes, Leadership Development Program for Senior Management of Bank, Customized Program on Banking Compliance, Awareness Program for Women on Workplace Safety, Annual Refresher Training of Security Officers, Customized Training Program on Women Empowerment, Workshop on Investment Planning, etc. were conducted.

Further, 5 batches of newly promoted Chief Managers, Assistant General Managers attended Management Development Program at ASCI Hyderabad, IIM Indore, Manipal University-Jaipur, NIBM-Pune, XLRI-Jamshedpur

Basic Training for Officers identified under Credit Pool was conducted at CSC Kolkata. Training of Marketing Officers and

एजेंसियों मैसर्स आईटीएम एडुटेक प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स इंडस मैनेजमेंट के माध्यम से विपणन अधिकारियों और रिलेशनशिप अधिकारियों का प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है।

विभाग ने सीआईएसओ कार्यालय के सहयोग से सभी शाखाओं/कार्यालयों में कर्मचारियों के लिए साइबर सुरक्षा/फिशिंग जागरूकता कार्यक्रम पर वेबिनार भी आयोजित किया है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 484 कर्मचारियों को बैंक द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने पर मानदेय/प्रोत्साहन का भुगतान किया गया।

## 22.6 आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी):

हमारा बैंक लैंगिक समानता और महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके परिणामस्वरूप आर्थिक विकास और समावेशी विकास होता है और पूरे देश को लाभ होता है।

महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्यस्थल वातावरण बनाने के संदर्भ में हमारे बैंक ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 में निर्धारित नियमों को त्वरित रूप से लागू करने के लिए शीर्ष स्तर के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर आंतरिक शिकायत समितियों का गठन किया है ताकि ऐसी शिकायतें, यदि कोई हों तो उनका का निवारण हो सके।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में तीन शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जिनका निवारण कर दिया गया है।

### पुरस्कार:

यूको बैंक को ताज बंगाल होटल, कोलकाता में 08 सितंबर 2022 को आयोजित एक समारोह में ईआईएलएम-कोलकाता टाइम्स एसेंट द्वारा आयोजित "ईस्टर्न इंडिया बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड्स 2022" से सम्मानित किया गया एवं उक्त सम्मेलन में श्री मनीष कुमार, महाप्रबंधक, मानव संसाधन प्रबंधन, प्रशिक्षण, कार्मिक सेवा एवं राजभाषा को "द ईस्टर्न इंडिया टॉप मोस्ट एचआर लीडर्स" से सम्मानित किया गया।

ईस्टर्न इंडिया बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड्स 2022 का गहन शोध डॉ. आर एल भाटिया, संस्थापक, वर्ल्ड सस्टेनेबिलिटी कांग्रेस द्वारा किया जाता है और इसकी अध्यक्षता डॉ. इंदिरा पारिख, पूर्व-डीन भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद (भारत में सबसे प्रतिष्ठित और शीर्ष शिक्षा संस्थान) द्वारा की जाती है।

## 23. लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण:

### क) राजस्व रिसाव

वित्तीय वर्ष 2022-2023 के दौरान, बैंक ने हमारे विभिन्न लेखापरीक्षा प्रणालियों जैसे समवर्ती लेखापरीक्षा, आरबीआईए और राजस्व लेखापरीक्षा के माध्यम से 32.09 करोड़ रुपये के राजस्व रिसाव का पता लगाया और उसकी वसूली की।

### ख) जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा (आरबीआईए)

- 1) वित्तीय वर्ष 2022-23 की लेखापरीक्षा योजना के अनुसार, कुल 2459 शाखाओं को आंतरिक निरीक्षण के तहत शामिल किया जाना था। आरबीआईए 2323 शाखाओं में समाप्त किया गया है। 131 शाखाओं में लेखापरीक्षा प्रगति पर है और 31.03.2023 तक केवल 5 शाखाएं निरीक्षण के लिए शेष हैं।
- 2) विभाग नियमित अंतराल पर शाखाओं की जोखिम रेटिंग का विश्लेषण करता रहा है। शाखाओं की जोखिम रेटिंग (निम्न से मध्यम, मध्यम से उच्च) में गिरावट के मामले में, बैंक के हितों की रक्षा के लिए जोखिम रेटिंग मापदंडों के आधार पर आवश्यक कार्रवाई शुरू की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान जारी कुल 2340 आरबीआईए रिपोर्ट में से केवल 10 शाखाओं को उच्च जोखिम श्रेणी के तहत,

Relationship Executives through External Training Agencies M/s ITM Edutech Pvt. Ltd. and M/s Indus Management is conducted.

Department has also conducted Webinar on Cyber Security/ Phishing Awareness Program in association with CISO Office for employees across branches/offices.

In FY 2022-23, total of 484 employees were paid honorarium/ incentive for passing Bank approved courses.

## 22.6 Internal Complaints Committee (ICC):

Our Bank is committed to promote gender equality and women's empowerment which result in economic development and inclusive growth and benefit the nation as a whole.

In terms of creating safe workplace environment for women our Bank has constituted Internal Complaints Committees at Apex level as well as Local Level enforcing the rules as laid out in the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 for quick Redressal of such complaints, if any.

In FY 2022-23, three complaints were received which has been resolved.

### Awards :

UCO Bank was conferred "THE EASTERN INDIA BEST EMPLOYER BRAND AWARDS 2022" organized by EILM-Kolkata Times Ascent in a ceremony program held on 08th September 2022 at Taj Bengal Hotel, Kolkata and Shri Manish Kumar, General Manager, HRM, Training, PSD & OL was awarded "The Eastern India Top Most HR Leaders" in the said conference.

The Eastern India Best Employer Brand Awards 2022 is intensely researched by the Dr. R L Bhatia, Founder, World Sustainability Congress and chaired and headed by Dr. Indira Parikh Ex-Dean of Indian Institute of Management, Ahmedabad (most prestigious and the top most education institute in India).

## 23.AUDIT AND INSPECTION :

### A) Revenue Leakages

During FY 2022-2023, Bank has detected and recovered Revenue Leakage of Rs 32.09 Crores through various audit system such as Concurrent Audit, Risk Based Internal Audit (RBIA) and Revenue Audit.

### B) Risk Based Internal Audit (RBIA)

- 1) As per Audit plan for FY 2022-23, total 2459 no. of branches were to be covered under internal inspection. The RBIA has been concluded in 2323 Branches. Audit is in progress at 131 branches and only 5 branches are overdue for inspection as on 31.03.2023.
- 2) Department has been analyzing Risk Rating of Branches on regular intervals. In case of deterioration of Risk rating of Branches (Low to medium, medium to High), necessary action is being initiated on the basis of Risk rating parameters in order to protect the interest of the Bank. Out of total 2340 RBIA reports released during FY 2022-23, only 10 branches

1231 शाखाओं को मध्यम जोखिम के तहत और शेष 1099 शाखाओं को कम जोखिम श्रेणी के तहत रेटिंग दी गई थी।

- 3) वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 2380 आरबीआईए रिपोर्टें बंद की गईं और 31.03.2023 तक केवल 18 आरबीआईए रिपोर्ट निर्धारित समय अवधि से अधिक यानी रिपोर्ट जारी होने की तारीख से 120 दिन तक बंद करने के लिए लंबित हैं।
- 4) लेखापरीक्षा के दौरान की गई टिप्पणियों के अनुपालन में सटीकता की जांच करने के लिए एक नई ऑनलाइन लेखापरीक्षा पद्धति, "अनुपालन परीक्षण लेखापरीक्षा" तैयार की गई है ताकि किसी भी प्रकार के झूठे अनुपालन से बचा जा सके। आंतरिक निरीक्षण अधिकारी/समवर्ती लेखा परीक्षक आरबीआईए रिपोर्ट को बंद करने से पहले रिपोर्ट की गई कम से कम 10% अनियमितताओं की जांच करेंगे। सीटीसी करने वाले आंतरिक लेखा परीक्षक/समवर्ती लेखा परीक्षक द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर आरबीआईए रिपोर्ट को बंद करने के लिए अधिकृत किया जाएगा।
- 5) शाखाओं द्वारा प्रस्तुत अनुपालन की गुणवत्ता/प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए एथिक्स (eTHICs) सॉफ्टवेयर के माध्यम से वर्तमान आरबीआईए ऑडिट के दौरान मोबाइल निरीक्षकों द्वारा पिछली ऑडिट रिपोर्ट के अनुपालन की 10 % नमूना जांच (बड़ी अनियमितताओं में से) करना लागू किया गया है।
- 6) पिछली आरबीआईए रिपोर्ट के बंद होने के बाद भी आसान ट्रैकिंग और अनुपालन के लिए एथिक्स (eTHICs) सॉफ्टवेयर के माध्यम से आरबीआईए रिपोर्ट के सशर्त समापन की ट्रैकिंग।
- 7) निरीक्षण कार्य से जुड़े अधिकारियों के ज्ञान अंतराल को पाटने के लिए अगस्त, 2022 में सेंट्रल स्टाफ कॉलेज, कोलकाता में दो बैचों में सभी क्षेत्र निरीक्षणालयों के मोबाइल निरीक्षकों को एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान किया गया।

#### ग) समवर्ती लेखापरीक्षा

अक्टूबर, 22 से सितंबर, 23 तक की लेखापरीक्षा अवधि हेतु समवर्ती लेखापरीक्षा करने के लिए कुल 958 शाखाओं/कार्यालयों को मंजूरी दी गई है।

मासिक समवर्ती लेखापरीक्षा करने के लिए कुल 880 सीए फर्मों/पूर्व कर्मचारियों को लगाया गया है और त्रैमासिक समवर्ती लेखापरीक्षा करने के लिए 78 सीए फर्मों/पूर्व कर्मचारियों को लगाया गया है। शाखाओं के अलावा, 31 खुदरा ऋण केंद्रों, 28 कृषि ऋण केंद्रों, 19 प्रधान कार्यालय के विभागों, 10 लघु और मध्यम उद्यम ऋण केंद्रों, 7 आस्ति प्रबंधन शाखाएं, 1 डीपी सेवा शाखा और 1 सीपीपीसी नागपुर शाखा का समवर्ती लेखापरीक्षा किया गया।

इनमें से 9 प्रधान कार्यालय के विभागों और 28 कृषि केन्द्रों को समवर्ती लेखापरीक्षा के दायरे में नया जोड़ा गया था।

585 सीए फर्मों/पूर्व-कर्मचारियों के संबंध में नियुक्ति का नवीनीकरण किया गया है और उपर्युक्त लेखापरीक्षा अवधि के लिए 373 सीए फर्मों/पूर्व-कर्मचारियों की नई नियुक्ति चालू वित्तीय वर्ष के दौरान ही की गई है।

#### घ) ऑफसाइट निरीक्षण एवं निगरानी (ओसीएस) कक्ष

लेखापरीक्षा और निरीक्षण विभाग का ओसीएस कक्ष दैनिक आधार पर शाखाओं द्वारा प्रस्तुत प्रणाली और अनुपालन द्वारा जारी अलर्ट की निगरानी कर रहा है। इसके अलावा ओसीएस कक्ष बैंक एंड डाटा माइनिंग के माध्यम से विभिन्न उच्च खातों/कार्यालय खातों में लेनदेन की निगरानी भी कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, बैंक

were rated under high risk category, 1231 branches were rated under medium risk and remaining 1099 branches were rated under Low risk category.

- 3) During the FY 2022-23, 2380 RBIA reports were closed and as on 31.03.2023 only 18 RBIA reports are pending for Closure beyond the stipulated time period i.e. 120 days from the date of release of report.
- 4) A new online Audit methodology, "Compliance Test Audit" has been devised to check accuracy in compliance submitted for observations made during audit so as to avoid any type of False Compliance. The internal inspecting officers/ Concurrent Auditors will test check at least 10% of the irregularities reported in the RBIA report before its closure. RBIA report will be authorized for closure on the basis of certificate issued by the internal auditor/Concurrent auditor who conducted the CTC.
- 5) 10% sample checking (out of major irregularities) of compliance for previous audit report by Mobile Inspectors during the current RBIA audit through eTHICs software has been implemented to ensure the quality/authenticity of compliance submitted by branches.
- 6) Tracking of conditional closure of RBIA reports through eTHICs software for easy tracking and compliance even after the closure of previous RBIA report.
- 7) In order to bridge the knowledge gap of officers dealing with Inspection work, a special training programme was imparted to mobile inspectors from all the Field Inspectorates in two batches at Central Staff College, Kolkata in August, 2022.

#### क) Concurrent Audit

A total of 958 branches/offices have been approved for conducting Concurrent Audit for the audit period Oct'22 to Sep'23.

A total of 880 CA Firms / Ex-Staff have been engaged for conducting monthly Concurrent Audit and 78 CA Firms / Ex-Staff for conducting quarterly concurrent audit. In addition to the branches, Concurrent Audit of 31 Retail Loan Hubs, 28 Agriculture Loan Hubs, 19 Head Office Departments, 10 Small & Medium Enterprises Loan Hubs, 7 Asset Management Branches, 1 DP Service Branch and 1 CPPC Nagpur Branch was conducted.

Amongst these, 9 Head Office Departments and 28 Agriculture Hubs were newly added under the purview of Concurrent Audit.

The engagement in respect of 585 CA Firms / Ex-Staff has been renewed and fresh engagement of 373 CA Firms / Ex-Staff has been made during the current financial year for the above audit period.

#### ड) Offsite Control and Surveillance (OCAS) Cell

OCAS cell of Audit & Inspection Department has been monitoring alerts generated by system and compliance submitted by Branches on daily basis. Apart from this, OCAS cell is also monitoring transaction in various suspense accounts/office accounts through backend data mining.

ने 7.29 करोड़ रुपये के राजस्व रिसाव की वसूली की है, जिसका पता ओसीएस कक्ष ने लगाया था।

## 24. सतर्कता

निवारक सतर्कता पहलों पर सीवीसी पुस्तिका, जिसका माननीय प्रधानमंत्री द्वारा अनावरण किया गया, में सीवीसी अधिकार क्षेत्र के तहत विभिन्न संगठनों द्वारा प्रस्तुत कुछ चुनिंदा पहलों को प्रकाशित किया गया। यह गर्व की बात है कि सतर्कता विभाग, यूको बैंक की पहल को 'संदेह निवारण एप्लिकेशन-डाउट क्लीयरेंस: एनीटाइम, एनीवेयर' हेतु सम्मान के लिए चुना गया था। यह एक मोबाइल/वेब आधारित एप्लिकेशन संदेह निवारण के माध्यम से कर्मचारियों के ज्ञान अंतर को पाटने के लिए एक एप्लिकेशन है और आज की तारीख में 1530 प्रश्न बंद कर दिए गए हैं।

सीवीसी द्वारा बधाई: बैंक के लिए एक और उपलब्धि सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2022 के समापन समारोह के दौरान नई दिल्ली में सीवीसी द्वारा हमारे एक नामिती का चयन होने पर सम्मानित करना था। निवारक सतर्कता पहल करने में व्यक्तिगत स्टाफ सदस्यों की भूमिका की पहचान सीवीसी द्वारा पिछले वर्ष से शुरू की गई है और सुश्री दृष्टि वोहरा, एक सतर्क यूकोजन को इस वर्ष सम्मानित किया गया था। हमारे लिए यह बहुत गर्व की बात है कि सभी पीएसबी/पीएसएफआई/पीएसई में यूको बैंक एकमात्र ऐसा संगठन है, जिसने लगातार दो वर्षों तक विजेताओं की चयन सूची में जगह बनाई है।

विभाग द्वारा कई निवारक सतर्कता पहल और प्रणालीगत सुधार आरंभ किए गए:

- सतर्कता रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली (वीआरएमएस) को सीवीसी/डीएफएस/आरबीआई को आवश्यक रिपोर्टिंग करने के प्रारूप में विकसित किया गया है, जिसमें बचत डेटा को अधिक स्थायी और सुरक्षित बनाया गया है।
- ई-एसएआर या ऑनलाइन स्टाफ जवाबदेही रिपोर्ट की जांच और ट्रेकिंग विभाग द्वारा शुरू की गई है और वर्तमान में यह विकास के अंतिम चरण में है। ई-एसएआर कर्मचारियों की जवाबदेही को समय पर करने और जांच सुनिश्चित करने में मदद करेगा ताकि बैंक के साथ-साथ कर्मचारियों के हितों की रक्षा की जा सके।
- पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक (पीबीजीबी), यूको बैंक द्वारा प्रायोजित एक आरआरबी को केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के दायरे में लाया गया है। इसके अलावा, सीवीसी परिपत्र संख्या 18/09/21 दिनांक 17.09.2021 में वर्णित सीवीसी दिशानिर्देशों के अनुसार यूको बैंक के सीवीओ से प्रथम चरण की सलाह लेने के लिए प्रावधान शामिल किया गया है।
- श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट-कोलकाता के पेंशनरों के लिए हमारी अनुकरणीय सेवा जारी रखने के साथ-साथ जीवन प्रमाण पत्र संग्रह की कथित कमियों को दूर करने के लिए अनुकूलित वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट का आरंभ किया गया है। वीएलसी टाइम स्टैम्प और जियो-टैगिंग सुविधा की भी अनुमति देता है।

दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2023 की समयावधि के दौरान 217 सतर्कता मामले सामने आए और 200 मामलों का निपटारा किया गया।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह हेतु आयोग द्वारा वर्ष 2022 के लिए दी गई थीम 'भ्रष्टाचार मुक्त भारत' विकसित भारत थी।

विभाग द्वारा शुरू की गई कुछ गतिविधियां/पहल इस प्रकार हैं:

- निवारक सतर्कता पर पुस्तिका

During FY 2022-23, Bank has recovered of Rs. 7.29 Cr revenue leakage which was detected by OCAS cell.

## 24. VIGILANCE

In CVC booklet on Preventive Vigilance Initiatives, unveiled by the Hon'ble Prime Minister, certain select initiatives submitted by various organizations under CVC jurisdiction were published. It is a matter of pride that the initiative by Vigilance Department, UCO Bank was selected for this honour for 'Sandeh Nivaran Application-Doubt Clearance: Anytime, Anywhere'. This is an application to bridge the knowledge gap of employees through a mobile/ web based application Sandeh Nivaran and as on date there are 1530 closed queries.

Felicitations by CVC: Another achievement for the Bank was the selection of one of our nominees for felicitations by CVC in New Delhi during the closing ceremony of Vigilance Awareness Week-2022. The recognition of the role of individual staff members in taking preventive vigilance initiatives has been started by CVC since last year and Ms. Drishti Vohra, an Alert UCOite, was felicitated this year. It is a matter of great pride for us that UCO Bank is the only organisation, amongst all PSBs/PSFIs/PSEs, to have made to the select list of winners for two years in a row.

Several preventive vigilance initiatives and systemic improvements were introduced by the Department:

- Vigilance Record Management System (VRMS) has been developed in the format of reporting required to CVC/ DFS/ RBI with saving data made more permanent and secure.
- E-SAR or online staff accountability report examination and tracking has been initiated by the Department and is currently in the final stages of development. E-SAR will help to ensure timely raising and examination of staff accountability such that bank as well as employee interests are safeguarded.
- Paschim Banga Gramin Bank (PBGB), an RRB sponsored by UCO Bank has been brought under the ambit of Central Vigilance Commission(CVC). Further, seeking First Stage Advice from CVO of UCO Bank as per the directives of CVC has been put in place as detailed in CVC Circular No. 18/09/21 dated 17.09.2021.
- Customized Video Life Certificate was introduced for pensioners of Syama Prasad Mookerjee Port-Kolkata for continuing our exemplary service as well as removing perceived deficiencies of life certificate collection. VLC also allows for time stamp and geo-tagging facility.

217 Vigilance cases were added and 200 cases were disposed off during the time period from 01.04.2022 to 31.03.2023,

The theme given by the Commission for Vigilance Awareness Week for the Year 2022 was 'Corruption Free India for a Developed Nation'.

Certain activities/ initiatives taken up by Department were:

- Booklet on preventive vigilance

- अपर सचिव, केंद्रीय सतर्कता आयोग और निदेशक, वित्तीय सेवाएं विभाग को मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित करते हुए नई दिल्ली में और सेंट्रल स्टाफ कॉलेज, कोलकाता में सेमिनार आयोजित किया गया।
- खातों में नामांकन दर्ज करने के लिए विशेष अभियान और उसकी निगरानी के लिए डैशबोर्ड।
- बैंक में निबंध और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं

आउटरीच कार्यक्रमों में शाखा/अंचल स्तर पर उत्साहपूर्ण भागीदारी का विवरण नीचे वर्णित है:

- देशभर में वॉकथॉन और मानव शृंखला जिसमें भुवनेश्वर अंचल द्वारा आयोजित भी शामिल है जिसमें 800 से अधिक छात्रों और ओडिशा पुलिस के सदस्यों की भागीदारी रही और इसका संचालन ओडिशा सतर्कता और आईजी सतर्कता द्वारा किया गया।
- पुरी, कोणार्क और गोपालपुर समुद्र तटों सहित देशभर में हस्ताक्षर अभियान, जिसने स्थानीय लोगों के साथ-साथ पर्यटकों का भी ध्यान आकर्षित किया।
- वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट और केवाईसी अद्यतन और नामांकन पंजीकरण को बढ़ावा देने के लिए इन-हाउस वीडियो, जो कोलकाता में मेट्रो स्टेशनों और हबीबगंज रेलवे स्टेशन, भोपाल सहित अन्य स्थानों पर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड पर प्रदर्शित किए गए हैं।
- आउटरीच कार्यक्रम 156 स्कूलों और 36 कॉलेजों में आयोजित किए गए जिनमें लगभग 13,100 छात्र और 36 कॉलेजों में लगभग 2800 छात्र शामिल हुए।
- देशभर के सभी अंचलों में 500 से अधिक वित्तीय साक्षरता शिविर और जागरूकता ग्राम सभाएं आयोजित की गईं, जिनमें विशेष रूप से महिलाओं की उत्साहवर्धक भागीदारी देखी गई।
- 58 सेमिनार/कार्यशालाएं भी आयोजित की गईं जिनमें 3500 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

## 25. राजभाषा

बैंक भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में सक्रिय रहा है। बैंक ने भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा राजभाषा हिंदी के प्रयोग पर जारी वार्षिक कार्यक्रम को लागू करने के लिए समुचित अनुवर्ती कार्रवाई की और उसमें निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ठोस प्रयास किए। बैंक ने इस अवधि में शाखाओं/कार्यालयों के दौरे के क्रम में संसदीय राजभाषा समिति (तीसरी उप-समिति) द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन किया।

राजभाषा के प्रगामी प्रयोग के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से बैंक को दूसरी बार राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से और क्षेत्रीय राजभाषा पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। समीक्षाधीन अवधि के दौरान, हमारे अंचल कार्यालयों ने यूको बैंक जी.डी. बिड़ला स्मृति व्याख्यानमाला का आयोजन किया। बैंक द्वारा स्नातकोत्तर हिंदी परीक्षा में बैंक धारकों को यूको राजभाषा सम्मान और भारतीय साहित्य के क्षेत्र से प्रसिद्ध हस्तियों को यूको भाषा सेतु सम्मान

- Seminars at Central Staff College, Kolkata and at New Delhi with Addl. Secretary, CVC and Director DFS as key speakers.
- Special drive for registering nominations in accounts and dashboard for monitoring the same
- In house essay and quiz competitions

The enthusiastic participation at branch/ Zonal level in outreach programmes is reflected below:

- Walkathons and human chains across the country including one at Bhubaneswar Zone which saw the participation of over 800 students and members of Odisha Police and was helmed by Odisha Vigilance and IG Vigilance.
- Signature campaigns across the country including those at Puri, Konark and Gopalpur beaches which drew the attention of both localites as well as tourists.
- In-house videos for promotion of Video life Certificate and KYC updation and nomination registration which were displayed at electronic display boards at metro stations in Kolkata and Habibganj railway station, Bhopal amongst other places.
- Outreach programmes were conducted in 156 schools and 36 colleges involving approximately 13,100 students and at 36 colleges involving approximately 2800 students.
- More than 500 Financial Literacy Camps and Awareness Gram Sabhas were held across all Zones which saw overwhelming participation of women in particular.
- 58 seminars/ workshops were also held which saw 3500 participants.

## 25. OFFICIAL LANGUAGE

The Bank has been proactive in implementation of the Official Language Policy of the Government of India. The Bank has taken appropriate follow-up action to implement the Annual Programme on use of Official Language Hindi issued by Government of India, Ministry of Home Affairs, Department of Official Language and has made concerted efforts to achieve the targets set therein. The Bank complied with the instructions given by the Parliamentary Committee on Official Language (Third Sub-Committee) in course of their visits to the branches/offices.

The Bank was awarded the Rajbhasha Kirti Puraskar second time in succession and Regional Rajbhasha Award from the Department of Official Languages, Ministry of Home Affairs, Government of India for outstanding work in the field of progressive use Official Language. During the period under review, our Zonal Offices organized UCO Bank G. D. Birla Memorial Lecture Series, given away UCO Rajbhasha Samman, to the rank holders in Hindi PG Examination and UCO Bhasha



दिया गया। हिंदी को बढ़ावा देने और बैंक के ब्रांड के निर्माण के लिए विभिन्न स्थानों पर लोकप्रिय हिंदी कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।

#### उपलब्धियां:

- भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बैंक को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार -प्रथम पुरस्कार प्रदान किया। बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री सोमा शंकर प्रसाद ने 14 सितंबर, 2022 को सुरत में आयोजित हिन्दी दिवस कार्यक्रम के अवसर पर यह पुरस्कार प्राप्त किया।
- नराकास (बैंक), कोलकाता (संयोजक: यूको बैंक, प्रधान कार्यालय) को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए क्षेत्रीय राजभाषा पुरस्कार-द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- इस अवधि के दौरान, हमारे 18 अंचल कार्यालयों को विभिन्न श्रेणियों में राजभाषा के प्रगामी प्रयोग के लिए राजभाषा विभाग, भारत सरकार से क्षेत्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए।
- हमारे कई अधिकारियों और कार्यपालकों ने अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ-साथ हमारे बैंक द्वारा आयोजित अखिल भारतीय अंतर-बैंक हिंदी निबंध लेखन प्रतियोगिताओं में पुरस्कार प्राप्त किए।

#### हिंदी प्रशिक्षण:

प्रधान कार्यालय और अंचल कार्यालयों द्वारा आयोजित ऑफ़लाइन और ऑनलाइन हिंदी कार्यशालाओं के माध्यम से 14000 अधिकारियों और क्लर्कों को हिंदी में प्रशिक्षित किया गया।

#### अखिल भारतीय इंटरबैंक फेकल्टी संगोष्ठी :

बैंक के शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान, सेंट्रल स्टाफ कॉलेज, कोलकाता ने दिनांक 19.12.2022 को 'ग्राहक केंद्रितता और व्यवसाय विकास' विषय पर एक अखिल भारतीय हिंदी संगोष्ठी का आयोजन किया। इस मौके पर एक पुस्तक का लोकार्पण भी किया गया। यह संगोष्ठी हिंदी प्रशिक्षण समन्वय समिति, कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, भारतीय रिजर्व बैंक, पुणे के तत्वावधान में आयोजित की गई थी।

#### प्रकाशन:

बैंक की हिंदी गृह पत्रिका 'अनुगूँज' का नियमित प्रकाशन किया जा रहा है। इसके अलावा ई-पत्रिका 'यूको संगम' और 'यूको मासिकी' का भी प्रकाशन नियमित रूप से किया जा रहा है।

#### संसदीय राजभाषा समिति का निरीक्षण दौरा:

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान संसदीय राजभाषा समिति (तृतीय उपसमिति) ने दिनांक 17.05.2022 को हमारी रुद्रप्रयाग शाखा, दिनांक 27.08.2022 को उदयपुर मुख्य शाखा, दिनांक 05.11.2022 को तिरुपति शाखा, 06.01.2023 को एर्नाकुलम अंचल कार्यालय एवं दिनांक 17.01.2023 को भोपाल अंचल कार्यालय का निरीक्षण दौरा किया। इन निरीक्षण दौरों के दौरान समिति ने बैंक में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की।

- इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय कार्यालय, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 10 अंचल कार्यालयों एवं 05 शाखाओं का निरीक्षण किया गया।
- वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान प्रधान कार्यालय, राजभाषा विभाग ने 31 अंचल कार्यालयों का राजभाषा निरीक्षण किया। हमारे विभिन्न अंचल कार्यालयों ने लगभग 1700 शाखाओं का राजभाषाई भी निरीक्षण किया।

Setu Samman to renounced personalities from the field of Indian literature. Popular Hindi Programmes were also sponsored at various places for promoting Hindi and building Bank's brand.

#### Achievements:

- The Government of India awarded the Rajbhasha Kirti Puraskar-1st Prize for the Financial Year 2021-22. The Managing Director and Chief Executive Officer of the Bank Shri Soma Sankara Prasad received the award on the occasion of Hindi Divas programme organized in Surat on 14th September, 2022.
- TOLIC (Bank), Kolkata (Convenor: UCO Bank, Head Office) was awarded Regional Official Language Award -2nd Prize for the Financial Year 2021-22.
- During the period, our 18 Zonal Offices received Regional Prizes from the Department of Official Language, Government of India for progressive use of Official language in various categories.
- Many of our Executives and Officers received awards in All India Inter-Bank Hindi Essay Writing Competitions organized by other nationalized banks as well as our Bank.

#### Hindi Training:

Approx. 14000 Officers and Clerks were trained in Hindi through Offline and Online Hindi workshops organized by Head Office and Zonal Offices.

#### All India Interbank Faculty Seminar:

Central Staff College, Kolkata, the apex training institute of the Bank organized an All India Hindi Seminar on the topic 'Customer Centricity and Business Development' on 19.12.2022. A book was also published on that occasion. It was organized under the aegis of Hindi Training Coordination Committee, College of Agricultural Banking, Reserve Bank of India, Pune.

#### Publication:

The bank's Hindi in-house magazine 'Anugoonj' was published regularly. Apart from this, e-magazines 'UCO Sangam' and 'UCO Masiki' are also being published regularly.

#### Inspection visit of Parliamentary Committee on Official Language:

During the FY 2022-23 the Parliamentary Committee on Official Language (third Subcommittee) paid a inspection visit to our Rudraprayag Branch on 17.05.2022, Udaipur Main Branch on 27.08.2022, Tirupati Branch on 05.11.2022, Ernakulam Zonal Office on 06.01.2023 and Bhopal Zonal Office on 17.01.2023. During these inspection visits, the Committee appreciated the efforts being made for the progressive use of Official Language Hindi in the Bank.

- Apart from this, 10 Zonal Offices and 05 branches were inspected by Regional Implementation Office, Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Government of India.
- During the FY 2022-23, the Head Office, Department of Official Language conducted Official Language inspection of 31 Zonal Offices. Zonal Offices also inspected about 1700 Branches related to implementation of Official Language.

## 26. सामान्य प्रशासन विभाग:

बैंक ने अखिल भारतीय आधार पर शाखाओं, एटीएम और अन्य प्रशासनिक भवनों के किराए के खर्च की जांच और संतुलन के साथ-साथ पट्टे के नवीकरण की लंबितता को कम करने के लिए केंद्रीयकृत किराया भुगतान के लिए पहल की है। मार्च, 2023 से केंद्रीयकृत किराया भुगतान प्रणाली (सीआरपीएस) का नया मांड्यूल लागू कर इसे लाइव कर दिया गया है और शाखाओं, एटीएम और अन्य प्रशासनिक कार्यालयों से संबंधित किराए का भुगतान प्रधान कार्यालय द्वारा केंद्रीयकृत रूप से किया जा रहा है।

## 27. अनुपालन

भारतीय रिजर्व बैंक और ऐसे अन्य नियामकों द्वारा अधिदृष्ट कार्यों का घरेलू और साथ ही वैश्विक स्तर पर अनिवार्य अनुपालन करना अनुपालन विभाग की जिम्मेदारी है। पीएमएलए अधिनियम 2002 के तहत नियामकों, भारत सरकार के अधिकारियों, सेबी, एफआईयू-आईएनडी को रिपोर्टिंग इकाई (आरई) के रूप में विभिन्न विनियामक रिटर्न और प्रावधानों जैसे केवाईसी/एएमएल मुद्दों, एसटीआर (संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट), सीटीआर (नकद लेनदेन रिपोर्ट), सीबीडब्ल्यूटीआर (क्रॉसबॉर्डर वायर ट्रांसफर रिपोर्ट), सीएफटी (आतंकवाद को वित्तपोषण का विरोध) आदि की रिपोर्टिंग में निरंतर पूर्णता पर जोर दिया जा रहा है।

अनुपालन कार्यों में उल्लंघनों को कम करने के लिए अनुपालन और केवाईसी/एएमएल नीतियों की समय-समय पर पुनरीक्षा/समीक्षा की जाती है और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित की जाती है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान सभी नियमित व्यावसायिक शाखाओं और तैतालीस अंचल कार्यालयों में अनुपालन परीक्षण जांच (सीटीसी) की गई। विनियामक/सांविधिक प्राधिकरणों को सूचित किए जाने से पहले महत्वपूर्ण मुद्दों पर उपयुक्त स्तरों पर चर्चा की जाती है, जिससे प्रणाली की प्रभावकारिता में वृद्धि होती है।

कई नई पहलें की गई हैं; जैसे: अंचल अनुपालन समितियों के गठन का प्रस्ताव किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि व्यावसायिक क्षेत्रों में अनुपालन स्थापित है, और अनुपालन जोखिम का सही आकलन किया जा सके। अनुपालन विभाग ने सर्मा + नेक्सट (Cermo+ NXT) को ऑनबोर्ड किया है, जो एंड-टू-एंड कंप्लायंस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है। अनुपालन ज्ञान में वृद्धि के लिए बैंक के सभी कर्मचारियों के लिए आईआईबीएफके सहयोग से अनुपालन पर एक सर्टिफिकेशन कार्यक्रम शुरू किया गया है।

## 28. बैंक की भविष्य की योजना

वित्तीय वर्ष 2022-23 में, बैंक ने 4.00 लाख करोड़ रुपये के कुल कारोबार को पार कर लिया है और इसका निवल लाभ 1862 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। रैम एडवांस में सुधार के लिए बैंक एनबीएफसी के साथ टाई-अप करेगा। गोल्ड लोन पोर्टफोलियो को बढ़ाने के लिए अलग गोल्ड लोन वर्टिकल स्थापित किया गया है। बैंक ने अधिक से अधिक शाखाएं खोलकर अपना नेटवर्क बढ़ाने का निर्णय लिया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में, बैंक ने पूरे देश में 131 शाखाएं (17 सीएसपी सहित) खोली हैं और चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अन्य 69 शाखाएं खोली जाएंगी।

बैंक आने वाले वर्षों में सतत वृद्धि हासिल करने के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करेगा :

- चालू जमा पर विशेष ध्यान देते हुए कम लागत वाली जमा राशि उगाहना।
- रैम और मिड कॉरपोरेट सेगमेंट के तहत ऋणदान बढ़ाना।
- सभी उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग करके सभी पात्र खातों में वसूली,
- घाटे में चल रही शाखाओं का निश्चित समय में टर्नअराउंड करना।

## 26. GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT :

Bank has taken initiative for centralized rent payment of Branches, ATMs and other administrative Buildings on pan India basis to check and balance the rental expenditure as well as to minimize the pendency of renewal of lease . The new module of Centralized Rent Payment System ( CRPS ) has been implemented and made live since March, 2023 onwards and the rent payment related to branches, ATMs and other Administrative offices is being made centrally by Head Office.

## 27. COMPLIANCE

Compliance Functions mandated by the Reserve Bank of India and such other regulators domestically as well as globally are the responsibility of Compliance Department. Emphasis is being laid on continuous perfection in reporting of various regulatory returns and provisions e.g. KYC/AML issues, STRs (Suspicious Transactions Report), CTRs (Cash Transaction Reports), CBWTRs (Cross Border Wire Transfer Reports, CFT (Combating of Finance for Terrorism), etc., to the Regulators, Govt. Of India Authorities, SEBI, FIU-IND, under PMLA Act 2002, as Reporting Entity (RE).

Compliance & KYC/AML Policies are being revisited / reviewed periodically and approved by the Board of Directors to mitigate breaches in Compliance Functions. During the FY 2022-23, Compliance Test Checking (CTC) was undertaken in all the regular business Branches and forty- three Zonal Offices. Critical issues are discussed at appropriate levels before being reported to the Regulatory/Statutory Authorities, thus enhancing the system efficacy.

Several new initiatives have been taken viz; Zonal Compliance Committees have been proposed to be formed in order to ensure that the ownership of compliance is established across the business lines, and to assess the compliance risk accurately; Compliance department has onboarded Cermo+ NXT, which is end-to-end compliance automation software; a Certification programme on compliance has been made functional in collaboration with IIBF for all the employees of the bank for enhancement of Compliance knowledge.

## 28. Future Plan of the Bank

In FY2022-23, Bank has crossed Rs. 4.00 lakh crore of total business and its net profit has reached to Rs 1862 crore. To improve RAM advances, Bank will tie-up with NBFC. Separate Gold Loan Vertical has been set-up to enhance gold loan portfolio. Bank has decided to increase its network by opening more and more branches. In FY2022-23, Bank has opened 131 branches (including 17 CSP) across all over the countries and will open another 69 branches in the current FY 2023-24.

In order to achieve sustainable growth in the coming years, Bank will focus on the following important agenda:

- To grow low cost deposit with special focus on current deposit,
- Increasing advances under RAM & Mid Corporate segments.
- Recovery in all eligible accounts by exercising all the available resources,
- Turnaround of loss making branches in a definite time.

- शाखा स्तर पर मासिक कारोबार एवं लाभ बजट के लक्ष्यों को प्राप्त करना।
- राजस्व रिसाव पर रोक।
- इसके अलावा पात्र ग्राहकों के बीच पूर्व-अनुमोदित व्यक्तिगत ऋणों को लोकप्रिय बनाना
- विभिन्न विपणन टीमों और ऋण केन्द्रों का समुचित उपयोग।
- बैंक के उत्पादों को क्रॉस सेलिंग के माध्यम से ग्राहकों तक पहुँचाना।
- वैकल्पिक वितरण चैनलों का विपणन।
- विभिन्न पोर्टलों के माध्यम से उपलब्ध सरकार प्रायोजित योजनाओं के तहत प्राप्त आवेदनों का त्वरित निपटान, और
- भविष्य में ग्राहकों की शिकायतों के प्रति जीरो टॉलरेंस प्राथमिक फोकस रहेगा।

## 29. निदेशक मंडल

### 29.1 कॉर्पोरेट अभिशासन

बैंक पारदर्शिता, व्यावसायिकता और जवाबदेही के अपने मूल मूल्यों पर आधारित अच्छे कॉर्पोरेट अभिशासन में दृढ़ता से विश्वास करता है और उसे निरंतर अमल करता है। अपने दैनिक परिचालनों में इन पहलुओं पर लगातार ध्यान देकर, बैंक शेयरधारकों के मूल्य को बढ़ाने का प्रयास करता है। बैंक सुशासन के सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध है, तथापि इसके निदेशक मंडल ने बैंक के कारोबार के हर पहलू की निगरानी के लिए बोर्ड की विभिन्न समितियों का गठन किया है। कमजोर क्षेत्रों की पहचान करने और उन्हें सुदृढ़ करने के लिए, यदि कोई हो, विभिन्न स्तरों पर निरंतर समीक्षा की जाती है। बैंक के निदेशकों का मानना है कि सुशासन ग्राहकों, व्यापारिक सहयोगियों, कर्मचारियों और निवेशकों का विश्वास, वफादारी और सद्भावना अर्जित करने और समाज में बड़े पैमाने पर सम्मानजनक स्थिति हासिल करने की कुंजी है।

### 29.2 निदेशक मंडल में परिवर्तन

- बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री अजय व्यास का कार्यकाल 02.04.2022 को समाप्त हो गया।
- श्री राजेन्द्र कुमार साबू को बैंक के निदेशक मंडल में 21.11.2022 से कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए।

### 29.3 निदेशक मंडल की बैठकें

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान निदेशक मंडल की 13 बैठकें हुईं। इस अवधि के दौरान बोर्ड की विभिन्न समितियों की आयोजित बैठकों की संख्या निम्नलिखित है:

- Achievement of monthly business & profit budget at branch level,
- Restricting revenue leakages.
- Besides this, popularising pre-approved personal loans among eligible customers
- Proper utilization of various marketing teams and loan Hubs.
- Deepening Bank's products to customers through cross selling,
- Marketing of Alternate Delivery Channels.
- Prompt disposal of applications received under Govt. sponsored schemes available through various portals, and
- Zero tolerance of customer complaints would remain primary focus in future.

## 29. Board of Directors

### 29.1 Corporate Governance

Bank firmly believes in and has consistently practiced good corporate governance woven around its core values of transparency, professionalism and accountability. By constantly focusing on these aspects in its day-to-day operations, the Bank strives to enhance shareholders' value. The Bank being committed to the principles of good governance, its Board of Directors has formed various committees of the Board to monitor every aspect of Bank's business. The systems and business processes of the Bank are continuously reviewed at various levels for identifying and strengthening areas of weaknesses, if any. The Directors of the Bank believe that good governance is the key to earn trust, loyalty and goodwill of clients, business associates, employees and investors and also to have respectable position in the society at large.

### 29.2 Changes in the Board of Directors

- The tenure of Shri Ajay Vyas, Executive Director of the Bank, ended on 02.04.2022.
- Shri Rajendra Kumar Saboo appointed as Executive Director on the Board of the Bank w.e.f. 21.11.2022.

### 29.3 Meetings of the Board of Directors

During the FY 2022-23, Thirteen meetings of the Board of Directors were held. The number of meetings of various Committees of the Board held during the period is given below:

क्रम सं. SI.No	समिति का नाम Name of the Committee	आयोजित बैठकों की संख्या No. of meetings held
1.	निदेशक मंडल की प्रबंध समिति/Management Committee of the Board	14
2.	निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति/Audit Committee of the Board	08
3.	निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंध समिति/Risk Management Committee of Board	04
4.	निदेशक मंडल की हितधारक संबंध समिति/Stake Holders' Relationship Committee of Board	02
5.	बड़ी राशि के कपट की निगरानी हेतु निदेशक मंडल की विशेष समिति/ Special Committee of the Board for Monitoring Large Value Frauds	04
6.	निदेशक मंडल की ग्राहक सेवा समिति/Customer Service Committee of the Board	04
7.	बैंक के मा.सं. संबंधी मामलों की समिति/Committee on HR Related Issues of the Bank	04
8.	नामांकन एवं निदेशक मंडल की पारिश्रमिक समिति Nomination and Remuneration Committee of the Board	02
9.	निदेशक मंडल की गैर-पदोन्नति के विरुद्ध अपील मामलों के निपटान की समिति/ Committee of the Board for Disposal of Appeal against Non-Promotion	01
10.	निदेशक मंडल की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति/IT Strategy Committee of the Board	06
11.	एनपीए खातों में वसूली की निगरानी हेतु निदेशक मंडल स्तरीय समिति/ Board Level Committee for Monitoring Recovery in NPA Accounts	05
12.	समीक्षा समिति (इरादतन चूककर्ता)/ Review Committee (Wilful Defaulters)	02
13.	निदेशक मंडल की कार्यनिष्पादन मूल्यांकन समिति/ Performance Evaluation Committee of the Board	01
14.	निदेशक मंडल स्तरीय ऋण अनुमोदन समिति/ Board Level Credit Approval Committee	30
15.	स्वतंत्र निदेशकों की बैठक Meeting of Independent Directors	01

### निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण

निदेशक मंडल पुष्टि करता है कि 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए वार्षिक खातों को तैयार करने में, लागू लेखांकन मानकों की अनुपालन महत्वपूर्ण विचलनों के उचित स्वीकरण के साथ, यदि कोई है, सुनिश्चित की गई है। लेखांकन नीतियां भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शन से तैयार की गई हैं और एकस्यता से लागू की गई हैं। तर्कसंगत एवं विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान प्रयुक्त किए गए हैं, ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में बैंक की स्थिति का विवरण और 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष हेतु बैंक का लाभ सही और निष्पक्ष रूप से प्रदर्शित हो। भारत में बैंकों पर लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा दस्तावेजों के रखरखाव में उचित और पर्याप्त सावधानी बरती गई है और खाते कारोबार के चालू रहने की अवधारणा से बनाए गए हैं। आंतरिक वित्तीय नियंत्रण बैंक द्वारा स्थापित किए गए हैं ताकि कारोबार का व्यवस्थित संचालन सुनिश्चित किया जा सके।

### Statement of Directors' Responsibility

The Board of Directors confirm that in the preparation of the annual accounts for the year ended March 31, 2023, the applicable accounting standards have been followed along with proper explanation relating to material departures, if any. The accounting policies framed in accordance with the guidelines of Reserve Bank of India, were consistently applied. Reasonable and prudent judgments and estimates were made so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and of the profit of the Bank for the year ended March 31, 2023. Proper and sufficient care was taken for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of applicable laws governing banks in India; and the accounts have been prepared on an on-going basis. Internal financial controls have been laid down by the bank for ensuring orderly conduct of business.

## आभार

बैंक के निदेशक मंडल वर्ष 2022-23 के दौरान बैंक के बोर्ड में नामांकित श्री राजेंद्र कुमार साबू, कार्यपालक निदेशक का गर्मजोशी से स्वागत करता है और बैंक के विकास में उनके बहुमूल्य अनुभवों के निवेश की अपेक्षा करता है। बैंक के निदेशक मंडल श्री अजय व्यास, कार्यपालक निदेशक द्वारा किए गए बहुमूल्य योगदान को स्वीकार करता है जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान अपना कार्यकाल पूरा किया।

निदेशक मंडल सभी ग्राहकों, विक्रेताओं, अंशधारकों, व्यापार सहयोगियों और प्रतिनिधि बैंकों की वर्ष के दौरान निरंतर सहयोगके लिए सराहना करता है। इसके अलावा बैंक के निदेशक मंडल, भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य नियामक प्राधिकरणों को उनके निरंतर सहयोग और मूल्यवान मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद देना चाहता है और भविष्य में उनके निरंतर सहयोग की आशा करता है।

निदेशक मंडल कर्मचारी यूनियन/संघों को उनके सहयोग के लिए भी अपना आभार व्यक्त करता है। निदेशक मंडल सभी स्तरों पर प्रत्येक कर्मचारी के समर्पण और योगदान को मान्यता देता है और उसका सम्मान करता है। कर्मचारियों की कड़ी मेहनत, एकजुटता, सहयोग और समर्थन बैंक के कार्यापलट करने के क्रम में मिली चुनौतियों का सामना करने में महत्वपूर्ण रहे हैं।

स्थान: कोलकाता  
दिनांक: 24-05-2023

निदेशक मंडल के आदेश से  
ह/  
(श्री सोमा शंकर प्रसाद)  
प्रबंध निदेशक एवं  
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

## Acknowledgements

The Board of Directors of the Bank extends a warm welcome to Shri Rajendra Kumar Sabo, Executive Director who has been nominated on the Board of the Bank during the year 2022-23 and look forward for their valuable inputs towards the growth of the Bank. The Board acknowledges the valuable contributions made by Shri Ajay Vyas, Executive Director who completed their tenure during the financial year 2022-23.

The Board appreciates to all customers, vendors, shareholders, business associates and correspondent banks for their continued support during the year. Furthermore, the Board would like to thank the Government of India, Reserve Bank of India and other regulatory authorities for their ongoing support and valuable guidance and look forward to their continued support in the future.

The Board also extends their gratitude to staff unions/associations for their support. The Board recognizes and acknowledges the dedication and contribution made by every employee at all levels. Their hard work, solidarity, co-operation, and support have been vital in the Bank's resilience to meet challenges.

By order of the Board of Directors  
sd/-  
(Soma Sankara Prasad)  
Managing Director & Chief  
Executive Officer

Place: Kolkata  
Date: 24-05-2023

**दिनांक 31.03.2023 को समाप्त 9 वर्ष की अवधि के महत्वपूर्ण कार्यनिष्पादन संकेतक**  
**KEY PERFORMANCE INDICATORS FOR 9 YEARS PERIOD ENDED ON 31.03.2023**

(₹ करोड़ में/ ₹ in Crore)

कारोबार मानदंड Business Parameters	मार्च 2023 March 2023	मार्च 2022 March 2022	मार्च 2021 March 2021	मार्च 2020 March 2020	मार्च 2019 March 2019	मार्च 2018 March 2018	मार्च 2017 March 2017	मार्च 2016 March 2016	मार्च 2015 March 2015
कुल जमा/Total Deposits	249338	224073	205919	193203	197907	181849	201285	207118	214337
कुल अग्रिम/Total Advances	161629	129777	118405	114961	119573	123990	131655	135508	151812
कुल कारोबार/Total Business	410967	353850	324324	308165	317480	305839	332940	342626	366149
निवेश/Investment	97669	99045	95835	92915	83810	72590	74768	84512	69231
व्याज आय/Interest Income	17651	14981	14446	15134	14331	14020	16326	18561	19359
व्याज व्यय/Interest Expenditure	10307	8508	8966	10042	10019	10895	12509	13713	13797
निवल व्याज आय/Net Interest Income	7343	6473	5480	5092	4311	3125	3817	4848	5562
परिचालन लाभ/Operating Profit	4341	4797	4149	3870	2414	688	2250	2175.25	4266.09
निवल लाभ/Net Profit	1862	930	167	-2437	-4321	-4436	-1851	-2799	1138
ऋण जमा अनुपात/Credit Deposit Ratio	64.82	57.92	57.50	59.50	60.42	68.18	65.41	65.43	70.83

**दिनांक 31.03.2023 को समाप्त 9 वर्ष की अवधि की वित्तीय विशिष्टताएं**  
**FINANCIAL HIGHLIGHTS FOR 9 YEARS PERIOD ENDED ON 31.03.2023**

विवरण / Particulars	मार्च 2023 March 2023	मार्च 2022 March 2022	मार्च 2021 March 2021	मार्च 2020 March 2020	मार्च 2019 March 2019	मार्च 2018 March 2018	मार्च 2017 March 2017	मार्च 2016 March 2016	मार्च 2015 March 2015
कारोबार मानदंड/Business Parameters	March 2023	March 2022	March 2021	March 2020	March 2019	March 2018	March 2017	March 2016	March 2015
कुल आय के %रूप में शुद्ध व्याज आय Net Interest Income as % to Total Income	36.43	35.80	30.16	28.28	27.21	20.64	20.70	24.05	26.04
जमा की औसत लागत (%) Average Cost of Deposits (%)	4.06	3.81	4.29	4.90	5.07	5.37	5.83	6.11	6.35
अग्रिमों से औसत आय (%) Average Yield on Advances (%)	7.46	7.70	7.81	9.20	9.52	8.69	9.60	10.17	9.92
निवल व्याज मार्जिन (%) / Net Interest Margin (%)	2.87	2.81	2.58	2.44	2.15	1.52	1.76	2.19	2.69
पूंजी पर्याप्तता (%) बासेल- III Capital Adequacy (%) BASEL - III	16.51	13.74	13.74	11.70	10.7	10.94	10.93	9.63	12.17
प्रति शाखा कारोबार (₹ करोड़ ₹) Business per Branch (₹ Crore)	128.31	115.11	104.99	99.79	102.81	98.40	107.26	111.35	121.24
प्रति कर्मचारी कारोबार (₹ करोड़ ₹) Business per Employee (₹ Crore)	18.90	16.33	14.70	13.70	13.69	12.74	13.48	13.81	15.51
सकल अनर्जक आस्ति अनुपात (%) Gross NPA Ratio (%)	4.78	7.89	9.59	16.77	25	24.64	17.12	15.43	6.76
निवल अनर्जक आस्ति अनुपात (%) Net NPA Ratio (%)	1.29	2.70	3.94	5.45	9.72	13.10	8.94	9.09	4.30
आस्तियों पर प्रतिफल (%) Return on Assets (%)	0.62	0.34	0.06	-0.96	-1.84	-1.88	-0.75	-1.25	0.48
प्रति शेयर बही मूल्य (₹ में) Book Value per Share (in ₹)	12.34	9.74	9.96	7.56	12.82	31.53	48.50	75.71	107.91
प्रति शेयर अर्जन (₹ में)* Earning per Share (in ₹)*	1.56	0.8*	0.17	-3.10	-11.16*	-25.23*	-13.29*	-26.03	11.20*

\* शेयरों की संख्या का भारित औसत\* Weighted average number of Share



**व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट 2022-23**  
**Business Responsibility and Sustainability Report 2022-23**

**खंड क : सामान्य प्रकटन / Section A - General Disclosures**

**I. बैंक का विवरण / Details of the Bank**

1.	कॉरपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) Corporate Identity Number (CIN)	लागू नहीं Not Applicable
2.	बैंक का नाम / Name of the Bank	यूको बैंक / UCO Bank
3.	निगमन का वर्ष / Year of Incorporation	1943
4.	पंजीकृत कार्यालय का पता / Registered office address	10, बी टी एम सरणी, कोलकाता -700001 10, B T M Sarani, Kolkata-700001
5.	कॉरपोरेट कार्यालय का पता / Corporate office address	नं.2 इंडिया एक्सचेंज प्लेस, 3सरा तल, कोलकाता-700001 No.2 India Exchange Place, 3rd Floor, Kolkata - 700001
6.	ई-मेल / Email	hosgr.calcutta@ucobank.co.in
7.	टेलीफोन / Telephone	+91 33 4455 7227
8.	वेबसाइट / Website	www.ucobank.com
9.	वित्तीय वर्ष जिसके लिए रिपोर्टिंग की जा रही है Financial year for which reporting is being done	2022-23
10.	स्टॉक एक्सचेंज का नाम जहां शेयर सूचीबद्ध हैं Name of the Stock Exchange(s) where shares are listed	बीएसई लिमिटेड एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड BSE Ltd. and National Stock Exchange of India Ltd.
11.	प्रदत्त पूंजी Paid-up Capital	31 मार्च, 2023 तक 11955.96 करोड़ रुपये Rs. 11955.96 crore as on 31st March, 2023
12.	उस व्यक्ति का नाम और संपर्क विवरण (टेलीफोन, ईमेल पता) जिससे बीआरएसआर रिपोर्ट पर किसी भी प्रश्न के मामले में संपर्क किया जा सकता है Name and contact details (telephone, email address) of the person who may be contacted in case of any queries on the BRSR report	श्री एन पूर्ण चंद्र राव कंपनी सचिव Mr. N Purna Chandra Rao Company Secretary फोन : Ph : +91 33 4455 7227 hosgr.calcutta@ucobank.co.in
13.	रिपोर्टिंग सीमा Reporting boundary	इस रिपोर्ट में किए गए प्रकटीकरण स्वायत्त आधार पर हैं और यूको बैंक से ही संबंधित हैं। Disclosures made in this report are on a standalone basis and pertain only to UCO Bank.

**II. उत्पाद/सेवाएँ / Product / Services**

**14. व्यावसायिक गतिविधियों का विवरण (टर्नओवर का 90% हिस्सा):**

**Details of Business Activities (Accounting for 90% of the Turnover):**

क्र.सं. Sl.	मुख्य गतिविधि का विवरण Description of Main activity	व्यावसायिक गतिविधि का विवरण Description of Business Activity	टर्नओवर का प्रतिशत % of turnover
1	वित्तीय एवं बीमा सेवा Financial and Insurance Service	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की बैंकिंग गतिविधियाँ Banking activities by Scheduled Commercial Banks	100

**15. बैंक द्वारा बेचे गए उत्पाद/सेवाएँ / Products/ Services Sold By the Bank**

क्र.सं. Sl.	उत्पाद/सेवा Product/Service	एनआईसी कोड NIC Code	कुल टर्नओवर का प्रतिशत अंशदान % of total turnover contributed
1.	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की बैंकिंग गतिविधियाँ। अधिक जानकारी के लिए कृपया इस वार्षिक रिपोर्ट का 'प्रबंधन का विचार-विमर्श एवं विश्लेषण' खंड देखें। Banking activities by Scheduled Commercial Banks. For details, please refer to the 'Management Discussion and Analysis' section of the Annual Report.	64191	100

### III. परिचालन / Operations

16. उन स्थानों की संख्या जहां इकाई के संयंत्र और/या परिचालन/कार्यालय स्थित हैं:

**Number of locations where plants and/or operations offices of the entity are situated:**

स्थान Location	संयंत्रों की संख्या No. of Plants	कार्यालयों की संख्या No. of Offices	कुल Total
राष्ट्रीय / National	लागू नहीं / Not Applicable *	13037#	13037
अंतर्राष्ट्रीय / International		3**	3

\* चूंकि संस्था बैंक है अतः विनिर्माण गतिविधि नहीं करती है।

The entity is bank and hence does not undertake manufacturing activity.

\*\* इसमें तेहरान, ईरान स्थित यूको बैंक का प्रतिनिधि कार्यालय शामिल है।

It includes representative office of UCO Bank at Tehran, Iran

# इसमें देश में स्थित बैंक की शाखाएँ(3205), एटीएम केंद्र (2422), नकदी रीसाइक्लर मशीनें(450), कारोबार सहायक इकाइयाँ (6916) एवं प्रशासनिक कार्यालय (44) शामिल हैं।

It includes domestic branches(3205), ATM centres(2422), Cash Recycler Machine(450), Business Correspondent units(6916) and Administrative offices of the Bank(44)

17. बैंक द्वारा सेवित बाजार / Markets served by the Bank :

ए/अ.स्थानों की संख्या / Number of locations :

स्थान / Locations	संख्या / Number
राष्ट्रीय (राज्यों की संख्या) National (No. of states)	भारत के 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश 29 states and 7 Union Territories of India
अंतर्राष्ट्रीय (राष्ट्रों की संख्या) International (No. of Countries)	3*

\* इसमें तेहरान, ईरान में यूको बैंक का प्रतिनिधि कार्यालय शामिल है / It includes representative office of UCO Bank at Tehran, Iran

बी/ब. इकाई के कुल पण्यवर्त(टर्नओवर) के प्रतिशत के रूप में निर्यात का योगदान क्या है?

What is the contribution of exports as a percentage of the total turnover of the entity?

● लागू नहीं / Not applicable

सी/स. ग्राहक के प्रकारों की संक्षिप्त सूचना / A brief on types of customers

● बैंक अपने विविध स्वरूपी ग्राहक आधार को उत्पादों और सेवाओं की एक व्यापक शृंखला की पेशकश करता है जिसमें व्यक्ति, कृषक, एमएसएमई, कारपोरेट संस्थाएँ, सरकारी निकाय, स्वयं सहायता समूह, न्यास, क्लब आदि शामिल हैं।

Bank provides wide array of product and services and caters to the diverse customer base including individuals, farmers, MSME's, Corporates, Government entities, Self Help Groups, Trusts, Clubs etc.

### IV. कर्मचारी /Employees

18. 31.03.2023 तक की स्थिति का विवरण / Details as on 31.03.2023 :

क/अ. कर्मचारी एवं श्रमिक (दिव्यांग सहित) / Employees and workers (including differently abled) :

क्र.सं. S.No.	विवरण Particulars	कुल /Total	पुरुष / Male		महिला / Female	
			(ए)/(A)	(बी)/(B)	% (बी/ए)/ (B/A)	% (सी/ए)/ (C/A)
<b>कर्मचारी / Employees</b>						
1.	स्थायी (डी) Permanent (D)	21698	15550	71.67	6148	28.33
2.	स्थायी के अलावा अन्य (ई) Other than Permanent (E)	लागू नहीं / Not Applicable				
3.	कुल कर्मचारी (डी + ई) Total Employees (D + E)	21698	15550	71.67	6148	28.33
<b>श्रमिक / Workers</b>						
4.	स्थायी (एफ) Permanent (F)	लागू नहीं / Not Applicable #				
5.	स्थायी के अलावा अन्य (जी) Other than Permanent (G)					
6.	कुल श्रमिक (एफ + जी) Total Workers (F + G)					

# यूको में बीआरएसआर पर सेबी द्वारा जारी मार्गदर्शन नोट में यथा परिभाषित कर्मचारी नहीं हैं।

UCO Bank does not have workers as defined in the guidance note on BRSR issued by SEBI

बी/b. दिव्यांग कर्मचारियों और श्रमिक / Differently abled Employees and workers :

क्र.सं. S.no	विवरण Particulars	कुल (ए)/ Total (A)	पुरुष / Male		महिला / Female	
			(बी)/(B)	% (बी/ए)/(B/A)	(सी)/(C)	% (सी/ए)/(C/A)
<b>Differently Abled Employees</b>						
1.	स्थायी (डी) Permanent (D)	524	420	80.15	104	19.85
2.	स्थायी के अलावा अन्य (ई) Other than Permanent (E)	लागू नहीं / Not Applicable				
3.	कुल दिव्यांग कर्मचारी (डी + ई) Total differently abled employees (D + E)	524	420	80.15	104	19.85
<b>श्रमिक / Workers</b>						
4.	स्थायी (एफ) Permanent (F)	लागू नहीं / Not Applicable #				
5.	स्थायी के अलावा अन्य (जी) Other than Permanent (G)					
6.	कुल दिव्यांग श्रमिक (डी + ई) Total differently abled workers (D + E)					

# यूको बैंक में बीआरएसआर पर सेबी द्वारा जारी मार्गदर्शन नोट में यथा परिभाषित श्रमिक नहीं हैं /  
UCO Bank does not have workers as defined in the guidance note on BRSR issued by SEBI

19. महिलाओं की भागीदारी/समावेशन/प्रतिनिधित्व / Participation/inclusion/representation of women :

	कुल Total (ए)/(A)	महिलाओं की संख्या और प्रतिशत No. and percentage of Females	
		(बी)/(B)	% (बी/ए)/(B/A)
निदेशक मंडल / Board of Directors	8	0	-
मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक / Key Managerial Personnel	5*	0	-

\* 3 पूर्णकालिक निदेशक, मुख्य वित्तीय अधिकारी और कंपनी सचिव / 3 Whole time Directors, Chief Financial Officer and Company Secretary

20. स्थायी कर्मचारियों एवं श्रमिकों के लिए आवर्त दर / Turnover rate for permanent employees

	वित्तीय वर्ष/FY 2022-23			वित्तीय वर्ष/FY 2021-22			वित्तीय वर्ष/FY 2020-21		
	एम/M	एफ/F	टी/T	एम/M	एफ/F	टी/T	एम/M	एफ/F	टी/T
स्थायी कर्मचारी/Permanent Employees	4.93	3.34	4.49	6.03	4.08	5.50	6.64	4.28	6.01
स्थायी श्रमिक/Permanent workers	लागू नहीं / Not Applicable #								

\*एम का अर्थ है पुरुष, एफ का अर्थ है महिला, टी का अर्थ है कुल

**M implies Male, F implies Female, T implies Total**

# यूको बैंक में बीआरएसआर पर सेबी द्वारा जारी मार्गदर्शन नोट में यथा परिभाषित कर्मचारी नहीं हैं।  
UCO Bank does not have workers as defined in the guidance note on BRSR issued by SEBI

V. होल्डिंग, अनुषंगी और सहयोगी कंपनियों (संयुक्त उद्यमों समेत)/

**Holding, Subsidiary and Associate Companies (Including Joint Ventures)**

21. होल्डिंग, अनुषंगी, सहयोगी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों का नाम

**Name of holding, Subsidiary, Associate Companies / Joint Ventures**

क्र.सं. S. No	होल्डिंग/अनुषंगी/सहयोगी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों का नाम Name of the holding / Subsidiary / Associate Companies / Joint Ventures	होल्डिंग/अनुषंगी/सहयोगी/संयुक्त उद्यम Holding/ Subsidiary/ Associate/ Joint Venture	यूको बैंक के धारित शेयरों का प्रतिशत % of shares held by UCO Bank	क्या कॉलम क में दर्शाई गई इकाई सूचीबद्ध इकाई की व्यावसायिक उत्तरदायित्व पहलों में भाग लेती है? Does the entity indicated at column A, participate in the Business Responsibility Initiatives of the listed entity?
1	पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक (पीबीजीबी) Paschim Banga Gramin Bank (PBGB)	सहयोगी Associate	35%	नहीं No

**VI. सीएसआर विवरण / CSR Details**

22. (i) क्या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार सीएसआर लागू है: नहीं  
Whether CSR is applicable as per section 135 of Companies Act, 2013 : No
- (ii) कारोबार (वैश्विक व्यापार) / Turnover (Global Business) : लागू नहीं / NA
- (iii) निवल मालियत (वर्ध) / Net Worth : लागू नहीं / NA

बैंक ने निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) नीति लागू की है जो भारतीय रिज़र्व बैंक और भारत सरकार द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुरूप निर्मित की गई है।

Bank has put in place Board approved Corporate Social Responsibility(CSR) policy framed in accordance with the guidelines issued by RBI and GOI.

**VII. पारदर्शिता और प्रकटन अनुपालन / Transparency and Disclosure Compliances**

23. उत्तरदायी व्यावसायिक आचरण पर राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के तहत किसी भी सिद्धांत (सिद्धांत 1 से 9) को लेकर शिकायतें / परिवाद:

Complaints/Grievances on any of the principles (Principles 1 to 9) under the National Guidelines on Responsible Business Conduct:

हितधारकों का समूह जिससे शिकायत प्राप्त हुई है Stakeholder group from whom complaint is received	विद्यमान शिकायत निवारण तंत्र Grievance Redressal Mechanism in Place  (यदि हाँ, तो शिकायत निवारण नीति के लिए वेब-लिंक प्रदान करें) (If Yes, then provide web-link for grievance redress policy)	वित्तीय वर्ष/FY 2022-23			वित्तीय वर्ष/FY 2021-22		
		वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या Number of complaints filed during the year	वर्ष की समाप्ति पर लंबित शिकायतों की संख्या Number of complaints pending resolution at close of the year	टिप्पणियाँ Remarks	वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या Number of complaints filed during the year	वर्ष की समाप्ति पर लंबित शिकायतों की संख्या Number of complaints pending resolution at close of the year	टिप्पणियाँ Re- marks
समुदाय Communities	जी हाँ Yes <a href="https://www.ucobank.com/pdf/Grievance-Redressal-Policy-2022-23.pdf">https://www.ucobank.com/pdf/Grievance-Redressal-Policy-2022-23.pdf</a>	-	-	-	-	-	-
निवेशक (शेयरधारकों के अलावा) Investors (other than shareholders)	जी हाँ। प्रधान कार्यालय में बैंक का अलग निवेशक संबंध प्रकोष्ठ है। Yes. Bank has separate Investor Relation cell at Head Office.	-	-	-	-	-	-

हितधारकों का समूह जिससे शिकायत प्राप्त हुई है  Stakeholder group from whom complaint is received	विद्यमान शिकायत निवारण तंत्र Grievance Redressal Mechanism in Place  (यदि हाँ, तो शिकायत निवारण नीति के लिए वेब-लिंक प्रदान करें) (If Yes, then provide web-link for grievance redress policy)	वित्तीय वर्ष/FY 2022-23			वित्तीय वर्ष/FY 2021-22		
		वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या  Number of complaints filed during the year	वर्ष की समाप्ति पर लंबित शिकायतों की संख्या Number of complaints pending resolution at close of the year	टिप्पणियाँ Remarks	वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या Number of complaints filed during the year	वर्ष की समाप्ति पर लंबित शिकायतों की संख्या Number of complaints pending resolution at close of the year	टिप्पणियाँ Remarks
शेयरधारक  Shareholders	जी हाँ। प्रधान कार्यालय में बैंक का अलग निवेशक संबंध प्रकोष्ठ है।  Yes. Bank has separate investor relation cell at Head Office.	660	0	-	729	0	-
कर्मचारी  Employees	जी हाँ, यह बैंक की आंतरिक मानव संसाधन नीति का हिस्सा है।  Yes, it is part of Internal HR Policy of the Bank	45	11	लंबित शिकायतों का निराकरण प्रक्रियाधीन है  Resolution of pending complaints under process	79	0	-
ग्राहक  Customer	जी हाँ/ Yes <a href="https://spgrs.ucoonline.in">https://spgrs.ucoonline.in</a> <a href="https://www.ucobank.com/pdf/Grievance-Redressal-Policy-2022-23.pdf">https://www.ucobank.com/pdf/Grievance-Redressal-Policy-2022-23.pdf</a> (Link for lodging complaint)	34137	1432	1432 में से 64 सामान्य शिकायत और 1368 असफल लेनदेन शिकायत हैं। Out of 1432, 64 are General Grievance and 1368 are Failed Transaction Grievance	16220	30	-
वैल्यू चेन पार्टनर्स Value Chain Partners	-	-	-	-	-	-	-

24. इकाई के महत्वपूर्ण जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण मुद्दों का अवलोकन :

Overview of the entity's material responsible business conduct issues :

क्र.सं.	महत्वपूर्ण मुद्दा जिसकी पहचान की गई	निर्दिष्ट करें कि जोखिम है या अवसर (जो/अव)	जोखिम/अवसर की पहचान करने का औचित्य	जोखिम के मामले में, अनुकूलन या कम करने का तरीका	जोखिम या अवसर के वित्तीय प्रभाव (सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव निर्दिष्ट करें)
S. no.	Material Issue identified	Indicate whether risk or opportunity (R/O)	Rationale for identifying the risk / opportunity	In case of risk, approach to adapt or mitigate	Financial implications of the risk or opportunity (Indicate positive or negative implications)
1.	जलवायु परिवर्तन का ऋण जोखिम  Climate Change Credit Risk	जोखिम (पर्यावरण)  Risk (Environment)	आत्यंतिक मौसमी घटनाओं की बढ़ती बारंबारता और उग्रता बैंकों के ग्राहकों द्वारा धारित आस्तियों की गुणवत्ता को हानि पहुँचा सकती है या आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित कर सकती है, जिससे ग्राहकों के परिचालनों एवं लाभप्रदता, साथ ही उनकी अर्थक्षमता पर भी प्रभाव पड़ेगा।  Rising frequency and severity of extreme weather events can impair the value of assets held by the banks' customers, or impact supply chains affecting customers' operations and profitability, and their viability.	बैंक की ऋण देने की नीति में ऐसे उद्योगों को ऋण और अग्रिम देने से प्रतिबंधित किया गया है जो ओजोनीएस (ओजोन विघटनकारी पदार्थ) की खपत/उत्पादन करते हैं, ऐसा होने से ग्रीन हाउस प्रभाव के घटने में मदद मिलती है।  Lending policy of the bank prohibits Loans and advances to industries consuming / producing ODS (Ozone Depleting Substance) which enables in reduction of greenhouse effect.	नकारात्मक  Negative
2.	जलवायु परिवर्तन फसल उत्पादन  Climate Change Crop production	जोखिम (पर्यावरण)  Risk (Environment)	खाद्य उत्पादन पर पड़ने वाले प्रभाव के रूप में जलवायु परिवर्तन में जोखिम निहित है। अत्यधिक वर्षा जिससे बाढ़ आती है, अथवा वर्षा रहित मौसम जिससे सूखा पड़ता है, का प्रभाव फसल उत्पादन पर बहुत हानिकारक हो सकता है। अत्यधिक गर्मी और/या पानी की कमी से फसल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, पैदावार और मिट्टी की गुणवत्ता आदि घट सकती है।  Climate Change poses a risk with its influence on food production. The impact of excessive rainfall causing flood or no rainfall at all resulting in drought can be extremely detrimental to crop production. Excessive heat and/or shortage of water can impede crop growth, reduce yields, soil quality etc.	नियामक के निर्देशानुसार द्वारा बैंक को प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के लक्ष्य प्राप्त करना आवश्यक है। अतः जोखिम पूर्णतया दूर नहीं किया जा सकता। तथापि कार्बन फर्टिलाइजेशन, चक्रीय फसलों, आधुनिक फर्टिलाइजेशन के संतुलनकारी प्रभाव कुछ सीमा तक जोखिम को कम करने में सहायक हो सकते हैं।  Bank is required to achieve Priority sector target as advised by the Regulator. Hence, Risk cannot be eliminated completely. However, balancing impact of carbon fertilization, rotational crops, modern fertilization can help in reducing risk up to certain extent.	नकारात्मक  Negative

क्र.सं.	महत्वपूर्ण मुद्दा जिसकी पहचान की गई	निर्दिष्ट करें कि जोखिम है या अवसर (जो/अव)	जोखिम/अवसर की पहचान करने का औचित्य	जोखिम के मामले में, अनुकूलन या कम करने का तरीका	जोखिम या अवसर के वित्तीय प्रभाव (सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव निर्दिष्ट करें)
S. no.	Material Issue identified	Indicate whether risk or opportunity (R/O)	Rationale for identifying the risk / opportunity	In case of risk, approach to adapt or mitigate	Financial implications of the risk or opportunity (Indicate positive or negative implications)
			<p>इससे बैंकों के ग्राहकों द्वारा धारित आस्तियों को गुणवत्ता की हानि होगी होगी, जिससे वसूली प्रभावित होगी और चुकौती में चूक होगी।</p> <p>This will impair the value of assets held by the banks' customers and bearing on recovery and results in delinquencies.</p>		
3.	नवीकरणीय ऊर्जा	अवसर (पर्यावरण)	<p>जलवायु परिवर्तन विश्व भर में एक बड़ी चिंता का विषय बन गया है। भारत सरकार ने भी वर्ष 2070 तक नेट जीरो की उपलब्धि का लक्ष्य रखा है। जलवायु परिवर्तन के सबसे बुरे प्रभावों को टालने के लिए वर्ष 2070 तक उत्सर्जनों को नेट जीरो कर देने की जरूरत होगी। हमें खनिज ईंधनो पर अपनी निर्भरता खत्म करनी होगी और ऐसे वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों में निवेश करना होगा जो स्वच्छ, शोधन योग्य, अर्थक्षम, विश्वसनीय और टिकाऊ हों।</p> <p>हमारा बैंक भी इस क्षेत्र में पहल कर रहा है और नवनिर्मित कार्यपालक प्रशिक्षण केंद्र में बैंक ने 30 केवीए का सौर संयंत्र स्थापित किया है।</p>	लागू नहीं	सकारात्मक
	Renewable Energy	Opportunity (Environment)	<p>Climate change has become the major concern across the globe. Government of India has also set target for achieving net zero by 2070 to avoid the worst impact of climate change, emissions need to be reduced to reach net zero by 2070. We need to end our reliance on fossil fuels and invest in alternative sources of energy that are clean, accessible, affordable, sustainable and reliable.</p> <p>Our Bank is also taking initiatives in this area and has installed solar plant of 30 KVA in our newly constructed Executive Training centre.</p>	NA	Positive



क्र.सं.  S. no.	महत्वपूर्ण मुद्दा जिसकी पहचान की गई  Material Issue identified	निर्दिष्ट करें कि जोखिम है या अवसर (जो/अव)  Indicate whether risk or opportunity (R/O)	जोखिम/अवसर की पहचान करने का औचित्य  Rationale for identifying the risk / opportunity	जोखिम के मामले में, अनुकूलन या कम करने का तरीका  In case of risk, approach to adapt or mitigate	जोखिम या अवसर के वित्तीय प्रभाव (सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव निर्दिष्ट करें)  Financial implications of the risk or opportunity (Indicate positive or negative implications)
4.	किफायती आवास            Affordable Housing	अवसर (सामाजिक)           Opportunity (Social)	<p>खरीदने योग्य आवास की उपलब्धता लोगों को गरीबी से ऊपर उठाने के सबसे प्रभावी उपायों में से एक है। खरीदने योग्य आवास व्यवस्था से निवासियों का आर्थिक स्तर सुधरता है, सामाजिक संपर्क उन्नत होते हैं आसपास की संपत्तियों का मूल्य बढ़ता है कारोबार और रोजगार आकर्षित होते हैं। इससे स्थिरतायुक्त समुदाय गठित होते हैं।</p> <p>भारत सरकार ने भी "सभी के लिए आवास प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं और वैश्विक लक्ष्यों पर बल दिया है।</p> <p>बैंक ने इसे एक अवसर के रूप में लिया है और इस श्रेष्ठ मुहिम में सक्रिय रूप से भागीदार बन रहा है।</p> <p>Affordable housing is one of the most effective way of lifting people out of poverty. Affordable housing uplifts residents, encourages social connection, increases adjacent property values, attracts business and jobs.. It builds sustainable communities.</p> <p>Govt. of India has also given thrust to national development priorities and global goals for providing "Housing for All"</p> <p>Bank find this as opportunity and actively participating in this noble mission.</p>	लागू नहीं           NA	सकारात्मक           Positive

क्र.सं.	महत्वपूर्ण मुद्दा जिसकी पहचान की गई	निर्दिष्ट करें कि जोखिम है या अवसर (जो/अव)	जोखिम/अवसर की पहचान करने का औचित्य	जोखिम के मामले में, अनुकूलन या कम करने का तरीका	जोखिम या अवसर के वित्तीय प्रभाव (सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव निर्दिष्ट करें)
S. no.	Material Issue identified	Indicate whether risk or opportunity (R/O)	Rationale for identifying the risk / opportunity	In case of risk, approach to adapt or mitigate	Financial implications of the risk or opportunity (Indicate positive or negative implications)
5.	समाज के प्रति सामाजिक दायित्व  Social responsibility towards society	अवसर (सामाजिक)  Opportunity (Social)	बैंक भी अपने आप को समाज के प्रति बराबर का उत्तरदाई मानता है और इसीलिए सीएसआर गतिविधि के अंतर्गत बैंक ने समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए योगदान किया है। बैंक ने 7 राज्यों में 27 ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए हैं और वित्तीय साक्षरता परामर्शदाता नियुक्त किए गए हैं। ये आरसेटी वित्तीय जागरूकता की चेतना जगाने में सहायक हैं, साथ ही ऋण लिंकेज के जरिए रोजगार सर्जन में भी सहायक होते हैं।  Bank consider itself as accountable to the society and hence under the CSR activity bank has contributed towards upliftment of weaker section of the society. Bank has also set up 27 Rural Self Employment Training Institutes in 7 states and Financial Literacy Counsellors have been appointed. These RSETIs help in creating awareness about Financial Literacy and also helps in generating employment through credit linkage.	लागू नहीं  NA	सकारात्मक  Positive
6.	फिनटेक कंपनियों का प्रवेश  Onboarding of Fintech Companies	अवसर / जोखिम (पर्यावरण / सामाजिक)  Opportunity / Risk (Environment / Social)	फिनटेक ग्राहकों या कारोबार के लिए वित्तीय लेनदेन को सरल बनाता है, जिससे वे आसानी से उपलब्ध और अमूमन वहन योग्य होते हैं। फिनटेक लेनदेन प्रक्रिया को स्ट्रीमलाइन करने का प्रयास करता है जिसमें बैंक और ग्राहक दोनों की दृष्टि से वास्तव में अनावश्यक चरणों को हटा दिया जाता है।  Fintech simplifies the financial transactions for consumers or businesses, making them more accessible and generally more affordable. Fintech strives to streamline the transaction process, eliminating potentially unnecessary steps for both bank and customers.	आधुनिकतम प्रौद्योगिकी अत्यधिक निर्भरता और संवेदनशील वित्तीय डाटा की प्रोसेसिंग के चलते फिनटेक पर अक्सर साइबर अटैक किए जाते हैं और इसमें जोखिम अंतर्निहित हैं। फिर भी इस प्रकार के जोखिम सुरक्षा जांचों के समुचित कार्यान्वयन के जरिए दूर किए जा सकते हैं।  Due to an over reliance on cutting edge tech and the processing of sensitive financial data, Fintech is often targeted for cyber-attacks and carries inherent risks. However, these risks can be mitigated through proper implementation of security checks.	सकारात्मक  Positive

खंड बी: प्रबंधन और प्रक्रिया प्रकटन

Section B: Management and Process Disclosures

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा निर्धारित उत्तरदायित्वपूर्ण व्यावसायिक आचरण के लिए राष्ट्रीय दिशानिर्देश (एनजीआरबीसी) निम्नलिखित पी1 पी9 के रूप में संदर्भित नौ सिद्धांतों की बात करता है:

The National Guidelines for Responsible Business Conduct (NGRBC) as prescribed by the Ministry of Corporate Affairs advocates nine principles referred as P1-P9 as given below:

प्रकटीकरण प्रश्न/Disclosure Questions	पी/P1	पी/P2	पी/P3	पी/P4	पी/P5	पी/P6	पी/P7	पी/P8	पी/P9
<b>नीति एवं प्रबंधन प्रक्रिया/Policy and management processes</b>									
1. ए. क्या आपकी संस्था की नीति/ नीतियां एनजीआरबीसी के प्रत्येक सिद्धांत और उसके मूल तत्वों को कवर करती हैं। a. Whether your entity's policy/policies cover each principle and its core elements of the NGRBCs.	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
बी. क्या नीति बोर्ड द्वारा अनुमोदित है? b. Has the policy been approved by the Board?	जी हाँ। उपर्युक्त सिद्धांतों को कवर करने वाली नीतियां बैंक के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित हैं। Yes. Policies covering above principles are approved by the Board of Directors of the Bank								
सी. नीतियों का वेब लिंक, यदि उपलब्ध हो c. Web Link of the Policies, if available	नीतियां बैंक की वेबसाइट <a href="https://www.ucobank.com/english/policies.aspx">https://www.ucobank.com/english/policies.aspx</a> पर उपलब्ध हैं। उपर्युक्त के अलावा अन्य नीतियां जो बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं हैं, आंतरिक दस्तावेज होने के कारण केवल कर्मचारियों के लिए बैंक के इंट्रानेट पर उपलब्ध हैं। The policies are available on Bank's website at <a href="https://www.ucobank.com/english/policies.aspx">https://www.ucobank.com/english/policies.aspx</a> . The policies other than those which are not available in the Bank's website, being internal documents are available only to the employees on Bank's intranet.								
2. क्या संस्था ने नीति को प्रक्रियाओं में रूपांतरित किया है। (हां/नहीं) Whether the entity has translated the policy into procedures. (Yes / No)	जी हाँ बैंक ने बैंक द्वारा की जाने वाली गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में प्रक्रियाओं और प्रथाओं में लागू होने वाली नीतियों का रूपांतरित किया है। Yes. The Bank has translated the policies as applicable into procedures and practices in all spheres of activities that the Bank undertakes.								
3. क्या सूचीबद्ध नीतियां आपके मूल्य शृंखला भागीदारों तक विस्तारित हैं? (हां/ नहीं) Do the enlisted policies extend to your value chain partners? (Yes/No)	जी हाँ। बैंक अपेक्षा करता है कि उसके हितधारक अपने सभी लेन-देन में उपर्युक्त सिद्धांतों का पालन करेंगे। Yes. The Bank expects its stakeholders to adhere to the above mentioned principles in all their dealings.								
4. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कोड/प्रमाणीकरण/लेबल/मानकों के नाम (उदाहरण के लिए फॉरेस्ट स्टीवर्डशिप काउंसिल, फेयर ट्रेड, रेनफॉरेस्ट एलायंस, ट्रस्टिया) मानकों (जैसे SA 8000, OHSAS, ISO, BIS) को आपकी इकाई द्वारा अपनाया गया है और प्रत्येक सिद्धांत के लिए मैप किया गया है। Name of the national and international codes /certifications/ labels/ standards (e.g. Forest Stewardship Council, Fair trade, Rainforest Alliance, Trustea) standards (e.g.SA 8000, OHSAS, ISO, BIS) adopted by your entity and mapped to each principle.	लागू नहीं Not Applicable								
5. इकाई द्वारा निर्धारित विशिष्ट प्रतिबद्धताएं और लक्ष्य और यदि कोई समय सीमा निर्धारित हो तो वह भी।	एक बैंकिंग इकाई के रूप में पूरी तरह से वित्तीय सेवाओं पर केंद्रित है और किसी भी निर्माण या कारखाने से संबंधित गतिविधियों में संलग्न नहीं है, बैंक पर्यावरण और समाज पर इसके प्रभाव को कम करते हुए अपने व्यवसाय और अन्य मुख्य कार्यों को बेहतर बनाने के लिए समर्पित है। बैंक मैन्युअल प्रक्रियाओं को डिजिटलाइज़ करने पर जोर देता है, जो प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को कम करने और कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में मदद करता है। हालाँकि, बैंक द्वारा कोई विशिष्ट प्रतिबद्धता निर्धारित नहीं की गई है।								

<p>Specific commitments, goals and targets set by the entity with defined timelines, if any.</p>	<p>As a banking entity solely focused on financial services and not engaged in any manufacturing or factory-related activities, Bank is dedicated to improving its business and other core functions while minimizing its impact on the environment and society. The Bank places emphasis on digitizing manual processes, which helps reduce natural resource usage and minimize its carbon footprint. However, there is no specific commitment set by the Bank.</p>
<p>6. विशिष्ट प्रतिबद्धताओं और लक्ष्यों पर इकाई का कार्यनिष्पादन, साथ ही साथ यदि उन्हें पूरा नहीं किया जाता है तो कारण दें</p> <p>Performance of the entity against the specific commitments, goals and targets along-with reasons in case the same are not met</p>	<p>लागू नहीं</p> <p>Not Applicable</p>

### अभिशासन, नेतृत्व और निगरानी

7. निदेशक मंडल का वक्तव्य जिसमें ईएसजी संबंधी चुनौतियों, लक्ष्यों और उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया है

पर्यावरण, सामाजिक विषयों और अभिशासन को बैंक की नीतियों का एक अविभाज्य हिस्सा बनाने को बैंक का निदेशक मंडल सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानता है। बैंक ने रीतियाँ लागू की हैं, जैसे सर्वसमावेशी आचार संहिता और कारोबारी नैतिकता, नवोन्मेषी ग्राहक केंद्रित उत्पादों की शुरुआत, कारोबार में डिजिटाइजेशन को अपनाना, साइबर और सूचना सुरक्षा को सुदृढ़ बनाना, कर्मचारी कल्याण, बिजली, ईंधन और कागज की खपत कम करना और ऐसी अन्य कई ईएसजी नीतियाँ।

बैंक अपने कारोबार-व्यवहार में नैतिक रीतियों के उच्च प्रतिमानों को महत्वपूर्ण स्थान देता है। बैंक की कारपोरेट अभिशासन रीतियाँ पारदर्शिता और व्यवसायपरकता के मूलभूत सिद्धांतों के ताने-बाने में बुनी गई हैं। देश भर में वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता, साथ ही और अधिक वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देकर सामाजिक उत्तरदायित्व पूर्ण करने के लिए बैंक कई प्रकार की पहल कर रहा है। बैंक ने सीमांत समुदायों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली में शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है जिसका उद्देश्य उन लोगों के मध्य बचत की आदत को प्रोत्साहित करना है जो अर्थतंत्र की मुख्य धारा से कटे रहे हैं।

बैंक मानता है कि जलवायु परिवर्तन न केवल एक पर्यावरणीय खतरा है बल्कि एक प्रमुख कारोबारी जोखिम है जो उसके परिचालनों, ग्राहकों और हितधारकों पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। एक जिम्मेदार कारोबार के रूप में अपनी दीर्घकालीन विश्वसनीयता और लचीलेपन को सुनिश्चित करने हेतु बैंक इन जोखिमों से निपटने के महत्त्व को स्वीकार करता है। अपने कार्बन फुटप्रिंट के निराकरण तथा जलवायु परिवर्तन के जोखिमों से निपटने की टिकाऊ रीतियाँ कार्यान्वित करने हेतु बैंक अपने ग्राहकों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के इस्तेमाल द्वारा कागज रहित लेनदेन करने के लिए प्रोत्साहित करता है, साथ ही ग्रीन जनरेटर, एयर कंडीशनरों में इको-फ्रेंडली रेफ्रिजरेट गैस तथा कार्यालयों में सीएफएल/एलईडी लाइटों आदि के इस्तेमाल जैसी रीतियों को अपनाना है।

आंतरिक और बाहरी दोनों ही हितधारकों के साथ अपनी बैठकों के दौरान बैंक नियत अवधि पर ईएसजी रीतियाँ सूचित करता है, साथ ही अपने उत्पादों और सेवाओं में नवोन्मेष बढ़ाने के उपायों का भी हवाला देता है।

### Governance, leadership and oversight

7. Statement by Board of Directors, highlighting ESG related challenges, targets and achievements

Board of the Bank accords utmost importance to make Environment, Social and Governance (ESG) as an integral part of policies of the Bank. Bank established practices like Comprehensive Code of Conduct and Business Ethics, launching innovative and customer centric products, adapting digitization of business, strengthening cyber and information security, Employee welfare, reduction in consumption of electricity, fuel and paper and various other ESG practices.

Bank upholds high standards of ethical practices in the conduct of its business. Bank's corporate governance practices are woven around the fundamental principles of transparency and professionalism. The Bank takes several initiatives in fulfilling social responsibility by enhancing accessibility to financial services across the country and fostering greater financial inclusion. The Bank played a significant role in bringing marginalized communities into the formal banking system, with the intention of promoting savings culture among those who are previously excluded from the economic mainstream.

The Bank acknowledges that climate change poses not only an environmental threat but also a significant business risk that can impact its operations, customers, and stakeholders. As a responsible business, the Bank recognizes the importance of addressing the risks to ensure its long-term sustainability and resilience. To mitigate its carbon footprint and implementing sustainable practices to address climate change risks, bank encourages its customers to do paperless transaction using electronic channel and adopts practices like usage of green generators, eco-friendly refrigerant gas in air conditioners, CFL/LED lights in offices etc.

Bank during its meetings with both internal and external stakeholders deliberates periodically on ESG practices along with measures to enhance innovation in its products and services.

<p>8. व्यवसाय उत्तरदायित्व नीति (यों) के कार्यान्वयन और निरीक्षण के लिए जिम्मेदार सर्वोच्च प्राधिकारी का विवरण।</p> <p>Details of the highest authority responsible for implementation and oversight of the Business Responsibility policy (ies).</p>	<p>श्री पंथगनी मनोज महाप्रबंधक कार्यनीति आयोजना विभाग</p> <p>Shri Panthagani Manoj General Manager Strategic Planning Department</p>
<p>9. क्या संस्था में धारणीयता संबंधी मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार बोर्ड/निदेशक की एक विशिष्ट समिति है? (हां/नहीं)। यदि हाँ, तो विवरण दें।</p> <p>Does the entity have a specified Committee of the Board/ Director responsible for decision making on sustainability related issues? (Yes/No) . If yes, provide details.</p>	<p>जी हाँ। बोर्ड की सभी समितियाँ अपने एजेंडे की विशिष्ट आवश्यकता के अनुसार धारणीयता संबंधी मुद्दों को देखती हैं।</p> <p>Yes. All committees of the Board look after the sustainability related issues as per their agenda specific requirement.</p>

10. कंपनी द्वारा एनजीआरबीसी की समीक्षा का विवरण: /  
Details of Review of NGRBCs by the Company:

<p>समीक्षा का विषय Subject for Review</p>	<p>सिद्धांतों की समीक्षा और बारंबारता Review of Principles undertaken by and frequency</p>									
	पी1 P1	पी2 P2	पी3 P3	पी4 P4	पी5 P5	पी6 P6	पी7 P7	पी8 P8	पी9 P9	
<p>उपर्युक्त नीतियों पर कार्यनिष्पादन और अनुवर्ती कार्रवाई</p> <p>Performance against above policies and follow up action</p>	<p>बैंक की बीआर रिपोर्ट की समीक्षा वार्षिक आधार पर निदेशक मंडल द्वारा की जाती है। इस मूल्यांकन के दौरान, नीतियों की प्रभावशीलता की समीक्षा की जाती है और नीतियों और प्रक्रियाओं में आवश्यक परिवर्तन कार्यान्वित किए जाते हैं।</p> <p>BR Report of the Bank is reviewed by the Board of Directors on an annual basis. During this assessment, the efficacies of the policies are reviewed and necessary changes to policies and procedures are implemented.</p>									
<p>सिद्धांतों की प्रासंगिकता की वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन और किसी गैर-अनुपालन में सुधार</p> <p>Compliance with statutory requirements of relevance to the principles, and, rectification of any non-compliances</p>	<p>बैंक लागू मौजूदा विनियमों को अनुपालन करता है।</p> <p>The Bank is in compliance with the extant regulations as applicable.</p>									

11. क्या संस्था ने किसी बाहरी एजेंसी द्वारा अपनी नीतियों के कामकाज का स्वतंत्र निर्धारण/मूल्यांकन किया है? (हां/नहीं)? यदि हां, तो एजेंसी का नाम बताएं।

Has the entity carried out independent assessment/ evaluation of the working of its policies by an external agency?(Yes/No). If yes, provide name of the agency.

- नहीं / No

12. यदि उपर्युक्त प्रश्न (1) का उत्तर 'नहीं' है, अर्थात् सभी सिद्धांत किसी नीति के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो कारण बताएं:

If answer to question (1) above is "No" i.e. not all Principles are covered by a policy, reasons to be stated:

- लागू नहीं / Not Applicable

सिद्धांत 1: व्यवसाय को ईमानदारी अर्थात नीतिसम्मतता, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ अपना संचालन और नियंत्रण करना चाहिए।

**Principle 1: Businesses Should Conduct and Govern Themselves with Integrity, and in a Manner that is Ethical, Transparent and Accountable.**

आवश्यक संकेतक

Essential Indicators

1. वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी सिद्धांत पर प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा कवरेज प्रतिशत:

Percentage coverage by training and awareness programmes on any of the Principles during the financial year:

खंड Segment	आयोजित प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या Total number of training and awareness programmes held	प्रशिक्षण के अंतर्गत शामिल विषय/ सिद्धांत और उसका प्रभाव Topics / principles covered under the training and its impact	जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा कवर किए गए संबंधित श्रेणी में व्यक्तियों का प्रतिशत %age of persons in respective category covered by the awareness programmes
निदेशक मंडल (बीओडी) Board of Directors (BOD)	1	निदेशक विकास कार्यक्रम जिसमें नेतृत्व और अभिशासन संबंधी मामले शामिल हैं। Directors Development Programme covering Leadership and Governance related matters	25%
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) Key Managerial Personnel (KMP)	15	प्रौद्योगिकियाँ, विधि एवं बाजार नियमन, नेतृत्व, अनुपालन प्रबंधन, केवाईसी/एएमएल, साइबर सुरक्षा आदि। Technologies, Laws and Market Regulation, Leadership, Compliance management, KYC/AML, Cyber Security etc.	62%
बीओडी/केएमपी के अलावा अन्य कर्मचारी श्रमिक Employees other than BOD/KMP	226	सॉफ्ट स्किल, ऋण प्रशिक्षण, एनपीए प्रबंधन, विपणन, वैकल्पिक भुगतान माध्यम, आस्ति और देयता, केवाईसी, एएमएल, अनुपालन प्रबंधन, ऋण निगरानी, और वसूली, सरफेसी, डिजिटल उत्पाद आदि। Soft Skills, Credit training, NPA Management, Marketing, Alternative Delivery Channels, Asset and Liability, KYC, AML, Compliance Management, Credit Monitoring and Recovery, SARFAESI, Digital Products etc.	54%
श्रमिक / Workers		लागू नहीं / Not Applicable #	

# यूको बैंक में सेबी द्वारा जारी बीआरएसआर पर जारी मार्गदर्शन नोट के अनुसार श्रमिक नहीं हैं

UCO Bank does not have workers as defined in the guidance note on BRSR issued by SEBI

2. वित्तीय वर्ष 2022-23 में नियामकों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों के साथ कार्यवाहियों (इकाई द्वारा या निदेशकों/केएमपी द्वारा) में भुगतान किए गए जुर्माने/दंड/सजा/पंचाट/ योग किया गया शुल्क/ निपटान राशि का विवरण:  
(नोट: संस्था सेबी(सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण दायित्व) विनियमन, 2015 के विनियम 30 में विनिर्दिष्ट और संस्था की वेबसाइट में प्रकट की गई तथ्यपरकता के आधार पर प्रकटीकरण करेगी।)(कोलन)

2. Details of fines / penalties /punishment/ award/ compounding fees/ settlement amount paid in proceedings (by the entity or by directors / KMPs) with regulators/ law enforcement agencies/ judicial institutions in FY 2022-23 :  
(Note: the entity shall make disclosures on the basis of materiality as specified in Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Obligations) Regulations, 2015 and as disclosed on the entity's website):

मौद्रिक / Monetary					
	एनजीआरबीसी सिद्धांत NGRBC Principle	नियामक/प्रवर्तन एजेंसियों/ न्यायिक संस्थानों का नाम Name of the regulatory/ enforcement agencies/ judicial institutions	राशि (रुपये में) Amount (In Rs.)	प्रकरण की संक्षिप्त विवरण Brief of the Case	क्या अपील दायर की गई है?(हां/नहीं) Has an appeal been preferred? (Yes/No)
शास्ति/जुर्माना Penalty/Fine		बैंक द्वारा भुगतान किया गया शास्ति/जुर्माना/समझौता/ संयोजन शुल्क, यदि कोई हो, बैंक की गुरुता नीति के अनुसार महत्वपूर्ण नहीं है और वित्तीय परिणामों के हिस्से के रूप में खातों के नोट में तिमाही आधार पर प्रकट किया जाता है।			
समझौता Settlement		Penalty/Fine/Settlement/Compounding fee, if any, paid by the Bank is not material as per the Materiality policy of the Bank and are being disclosed on a quarterly basis in the notes to accounts forming part of financial results.			
संयोजन शुल्क Compounding fee					
गैर-मौद्रिक / Non-Monetary					
	एनजीआरबीसी सिद्धांत NGRBC Principle	नियामक/प्रवर्तन एजेंसियों/ न्यायिक संस्थानों का नाम Name of the regulatory/ enforcement agencies/ judicial institutions	राशि (रुपये में) Amount (In Rs.)	प्रकरण की संक्षिप्त विवरण Brief of the Case	क्या अपील दायर की गई है?(हां/नहीं) Has an appeal been preferred? (Yes/No)
कारावास Imprisonment	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil
दंड Punishment	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil

3. उपर्युक्त प्रश्न 2 में बताए गए उदाहरणों में से, अपील/संशोधन का विवरण उन मामलों में पसंद किया जाता है जहां मौद्रिक या गैर-मौद्रिक कार्रवाई की अपील की गई हो।

- शून्य

4. क्या संस्था के पास भ्रष्टाचार विरोधी या रिश्वतखोरी विरोधी नीति है? यदि हाँ, तो संक्षेप में विवरण दें और यदि उपलब्ध हो, तो नीति का वेब-लिंक प्रदान करें।

जी हाँ। बैंक ने व्हिसल ब्लोअर नीति बनाई है और यह बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है। (Weblink : <https://www.ucobank.com/pdf/5.%20Whistle%20Blower%20Policy-%202021.pdf>)

नीति का उद्देश्य बैंक में कार्यपालकों/अधिकारियों द्वारा शक्ति के दुरुपयोग को उजागर करके भ्रष्टाचार को कम करना और व्हिसल ब्लोअर की सुरक्षा करना है। बैंक उच्चतम नैतिक मानकों के साथ और सभी लागू कानूनों और विनियमों का अनुपालन करते हुए कारोबार करने और अपने सभी हितधारकों के साथ व्यवहार करने के लिए प्रतिबद्ध है।

3. Of the instances disclosed in Question 2 above, details of the appeal/revision preferred in cases where monetary or non-monetary action has been appealed.

- Nil

4. Does the entity have an anti-corruption or anti-bribery policy? If yes, provide details in brief and if available, provide a web-link to the policy.

Yes. The Bank has framed Whistle Blower Policy and the same is available on Bank's Website.(Weblink : <https://www.ucobank.com/pdf/5.%20Whistle%20Blower%20Policy-%202021.pdf>)

The objective of the policy is to reduce corruption and safeguarding whistle blower who sounded the misuse of power by Executives/Officers in the bank from victimization. The Bank is committed towards conducting the business and dealing with all its stakeholders, with highest ethical standards and in compliance with all the applicable laws and regulations.



बैंक के आंतरिक पोर्टल पर व्हिसल ब्लोअर के लिए एक अलग लिंक बनाया गया है। संस्था के भीतर चल रही किसी भी गैरकानूनी गतिविधियों / धोखाधड़ी / निवारक सतर्कता को लागू करने के लिए आवश्यक कदमों के बारे में जानकारी साझा करने के लिए बैंक के सभी कर्मचारियों के लिए यह लिंक उपलब्ध है। पोर्टल व्हिसल ब्लोअर के बारे में सभी जानकारी और घटना/सूचना का पूरा विवरण दर्ज करेगा। इस लिंक पोर्टल का उपयोग करके दर्ज किए गए विवरण को विशेष रूप से बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष द्वारा एक्सेस किया जाएगा।

A separate link for the Whistle Blower has been created inside Bank's Internal portal. The link is accessible to all employees of the Bank to share information about any unlawful activities going on within organization / frauds / steps required to implement preventive vigilance. The portal will capture all information about the Whistle Blower and complete details of incident/information. The details entered using this link portal will be accessed exclusively by Chairman of the Audit Committee of Board.

5. निदेशकों/केएमपी/कर्मचारियों/श्रमिकों की संख्या जिनके विरुद्ध रिश्वतखोरी/भ्रष्टाचार के आरोपों के लिए किसी कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई:

5. Number of Directors/KMPs/employees/workers against whom disciplinary action was taken by any law enforcement agency for the charges of bribery/ corruption:

	वित्तीय वर्ष / FY 2022-23	वित्तीय वर्ष / FY 2021-22
निदेशक / Directors	शून्य / Nil	शून्य / Nil
केएमपी / KMP's	शून्य / Nil	शून्य / Nil
कर्मचारी / Employees	05	शून्य / Nil
श्रमिक / Workers #	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA

# यूको बैंक में सेबी द्वारा जारी बीआरएसआर पर जारी मार्गदर्शन नोट के अनुसार श्रमिक नहीं हैं /

UCO Bank does not have workers as defined in the guidance note on BRSR issued by SEBI

6. हितों के टकराव के संबंध में शिकायतों का विवरण:

6. Details of complaints with regard to conflict of interest:

	वित्तीय वर्ष / FY 2022-23		वित्तीय वर्ष / FY 2021-22	
	संख्या Number	टिप्पणियाँ Remarks	संख्या Number	टिप्पणियाँ Remarks
निदेशकों के हितों के टकराव के मामलों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या। Number of complaints received in relation to issues of Conflict of Interest of the Directors	शून्य Nil	-	शून्य Nil	-
केएमपी के हितों के टकराव के मुद्दों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या Number of complaints received in relation to issues of Conflict of Interest of the KMPs	शून्य Nil	-	शून्य Nil	-

7. भ्रष्टाचार और हितों के टकराव के मामलों में जुर्माने/दंड/नियामकों/ कानून प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित मुद्दों पर की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

7. Provide details of any corrective action taken or underway on issues related to fines / penalties / action taken by regulators/ law enforcement agencies/ judicial institutions, on cases of corruption and conflicts of interest.

- लागू नहीं

- Not Applicable

## नेतृत्व संकेतक

1. वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी सिद्धांत पर मूल्य शृंखला भागीदारों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

- शून्य

2. क्या संस्था के पास बोर्ड के सदस्यों से जुड़े हितों के टकराव से बचने/ प्रबंधित करने के लिए प्रक्रियाएँ हैं? (हां/नहीं) यदि हां, तो उसका विवरण दें।

जी हाँ, प्रक्रिया के एक भाग के रूप में बैंक निदेशक मंडल से वार्षिक आधार पर उन संस्थाओं के संबंध में घोषणा प्राप्त करता है, जिनमें निदेशक रुचि लेते हैं/संबद्ध हैं।

कारपोरेट अभिशासन के मानदंडों के एक भाग के रूप में बैंक ने अपने निदेशक मंडल के निदेशकों के लिए आचार संहिता तैयार की है जो निदेशकों को ऐसे कार्य करने से रोकती है जिससे हितों का अंतर्विरोध होता हो निदेशक मंडल के सदस्य तथा बैंक के मूलभूत प्रबंधन की टीम बैंक की आचरण संहिता का पालन करते हैं।

## सिद्धांत- 2 : व्यवसाय को ऐसी वस्तुएँ और सेवाएँ प्रदान करनी चाहिए जो टिकाऊ और सुरक्षित हों

### आवश्यक संकेतक

1. उत्पाद के पर्यावरण और सामाजिक प्रभावों में सुधार के लिए विशिष्ट तकनीकों में अनुसंधान एवं विकास और पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) निवेश का प्रतिशत और क्रमशः संस्थान द्वारा किए गए कुल अनुसंधान एवं विकास और पूंजीगत व्यय निवेश की प्रक्रियाएँ।

	वित्तीय वर्ष / FY 2022-23	वित्तीय वर्ष / FY 2021-22	पर्यावरण और सामाजिक प्रभावों में सुधार का विवरण Details of improvements in environmental and social impacts
आर एंड डी R & D			लागू नहीं / Not Applicable
कैपेक्स CAPEX			

बैंक के व्यवसाय की प्रकृति को देखते हुए, विशिष्ट तकनीकों में अनुसंधान एवं विकास निवेश के लिए सीमित अवसर और गुंजाइश थी जो बैंकिंग उत्पादों और प्रक्रियाओं के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों को बढ़ा सके।

बैंक का पूँजी निवेश प्रमुखतः सूचना प्रौद्योगिकी(आईटी) कैपेक्स तक सीमित है। डिजिटल प्लेटफार्मों को अधिकता से अपनाने से न केवल प्रचालनों की कार्यक्षमता बढ़ती है बल्कि कागज की खपत में भी बहुत हद तक कमी आना सुनिश्चित होता है जिससे कार्बन फुटप्रिंट परीक्षण रूप से घटता है।

2. ए. क्या संस्था के पास टिकाऊसोर्सिंग के लिए प्रक्रियाएँ हैं

जी नहीं। वित्तीय सेवाप्रदाता होने के नाते संसाधनों की खपत उसके सेवा संबद्ध प्रचालनों तक सीमित है। उपकरण के प्रापण के मामले में, बैंक सुनिश्चित करता है कि कंप्यूटरों, लेपटॉप, प्रकाश के साधन, ए.सी. आदि जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की खरीद के समय ऊर्जा कार्यक्षमता मानकों को ध्यान में रखा गया है।

## Leadership Indicators

1. Awareness programmes conducted for value chain partners on any of the principles during the financial year.

- Nil

2. Does the entity have processes in place to avoid/ manage conflict of interests involving members of the board? (Yes/ No) If yes, provide details of the same.

Yes. As part of the process, Bank obtains declaration on an annual basis from the Board of Directors on the entities in which directors are interested/associated with.

As a part of Corporate Governance norms, Bank has laid down a Code of Conduct for its Directors on the Board and its Core Management which restrains the directors from resorting to actions that lead to conflict of interest. Members of the Board and core management team of the Bank are adhering with the Bank's Code of Conduct.

## Principle 2 : Businesses Should Provide Goods and Services in a Manner that is Sustainable and Safe

### Essential Indicators

1. Percentage of R&D and capital expenditure (capex) investments in specific technologies to improve the environmental and social impacts of product and processes to total R&D and capex investments made by the entity, respectively

Given the nature of business of the Bank, there were limited opportunities and scope for R&D investments in specific technologies that could enhance the environmental and social impacts of banking products and processes.

Bank capital investment is largely restricted to Information Technology (IT) capex. Greater adoption of digital platforms not only brings in increased efficiencies of operations but also ensures substantially reduced consumption of paper, thereby indirectly reducing the carbon footprints.

2. a. Does the entity have procedures in place for sustainable sourcing?

No. Being a financial service provider, consumption of resources is limited to its service related operations. For procurement of equipment, the Bank ensures that energy efficiency standards are considered during the purchase of electronic equipment such as computers, laptops, lighting devices, AC's etc.

बी. यदि हां, तो कितने प्रतिशत निविष्टियों को टिकाऊ रूप से प्राप्त किया गया?

लागू नहीं

3. (ए) प्लास्टिक (पैकेजिंग सहित) (बी) ई-अपशिष्ट (सी) हानिकारक अपशिष्ट और (डी) अन्य अपशिष्ट के लिए उनके जीवन के अंत में पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण और निपटान के लिए अपने उत्पादों को सुरक्षित रूप से पुनः प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं का वर्णन करें।

व्यवसाय की प्रकृति को देखते हुए, बैंक के पास पुनर्नवीनीकरण सामग्री को संसाधित इनपुट के रूप में उपयोग करने की सीमित गुंजाइश है।

ए) प्लास्टिक (पैकेजिंग सहित) - बैंक प्लास्टिक अपशिष्ट की प्रोसेसिंग और निपटारे के लिए स्थानीय विक्रेताओं की सेवाएँ लेता है।

ख) ई-अपशिष्ट - व्यवसाय की प्रकृति को देखते हुए, पुनर्नवीनीकरण किए गए माल को प्रोसेस किए हुए साधनों के रूप में उपयोग में लाने की गुंजाइश बैंक में कम ही है। तथापि, बैंक की अपनी आईटी निपटान नीति है जिसके अंतर्गत बैंक की आईटी परिसंपत्तियाँ एक दफा सपोर्ट समाप्त होने या चलन से बाहर होने के पश्चात दोबारा उपयोग नहीं की जा सकतीं, और एक बार दुरुस्त करने या उपयोग करने के अयोग्य हो जाने पर अनुमोदित ई-अपशिष्ट डीलरों/रीसाइक्लरों के जरिए कबाड़ के रूप में उनका निपटान कर दिया जाता है।

सी) हानिकारक अपशिष्ट - व्यवसाय की प्रकृति ही ऐसी है कि हानिकारक अपशिष्ट का उत्पादन नहीं होता है।

डी) अन्य अपशिष्ट - व्यवसाय की प्रकृति की वजह से प्रासंगिक नहीं है।

4. क्या विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) इकाई की गतिविधियों पर लागू होता है (हां/नहीं)? यदि हां, तो क्या अपशिष्ट संग्रह योजना प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को प्रस्तुत विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) योजना के अनुरूप है? यदि नहीं, तो इससे निपटने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दें।

बैंक के लिए लागू नहीं है।

#### नेतृत्व संकेतक

1. क्या इकाई ने अपने किसी उत्पाद (निर्माण उद्योग के लिए) या अपनी सेवाओं (सेवा उद्योग के लिए) के लिए जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य/मूल्यांकन (एलसीए) आयोजित किया है? यदि हाँ, तो निम्नलिखित प्रारूप में विवरण दें?

b. If yes, what percentage of inputs were sourced sustainably?

Not Applicable

3. Describe the processes in place to safely reclaim your products for reusing, recycling and disposing at the end of life, for (a) Plastics (including packaging) (b) E-waste (c) Hazardous waste and (d) other waste

Given the nature of business, Bank has limited scope to use recycled material as processed inputs.

a) Plastics (including packaging) - Bank uses local vendors for processing and disposal of plastic waste

b) E-waste - Given the nature of business, Bank has limited scope to use recycled material as processed inputs. However, Bank has IT Asset Disposal policy in terms of which IT assets of the Bank cannot be reused once it reaches end of support or becomes obsolete and are disposed off as scrap to approved e-waste dealers / recyclers once they becomes irreparable or non-reusable.

(c) Hazardous waste - Owing to the nature of business, there is no generation of hazardous waste.

(d) Other waste - Not relevant owing to the nature of business.

4. Whether Extended Producer Responsibility (EPR) is applicable to the entity's activities (Yes / No). If yes, whether the waste collection plan is in line with the Extended Producer Responsibility (EPR) plan submitted to Pollution Control Boards? If not, provide steps taken to address the same.

Not Applicable for Banks.

#### Leadership Indicators

1. Has the entity conducted Life Cycle Perspective / Assessments (LCA) for any of its products (for manufacturing industry) or for its services (for service industry)? If yes, provide details in the following format?

एनआईसी कोड	सेवा का नाम	टर्नओवर का प्रतिशत योगदान	सीमा जिसके लिए जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य/मूल्यांकन किया गया था	क्या स्वतंत्र बाहरी एजेंसी द्वारा संचालित किया गया है (हां/नहीं)	परिणाम सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है (हां/नहीं) यदि हां, तो वेब-लिंक प्रदान करें।
NIC Code	Name of Service	% of Turnover contributed	Boundary for which the Life Cycle Perspective / Assessment was conducted	Whether conducted by independent external agency (Yes/ No)	Results communicated in public domain (Yes/No) If yes, provide the web-link.
व्यवसाय की प्रकृति की वजह से प्रयोज्य नहीं है। Not applicable owing to the nature of business					

2. यदि आपके उत्पादों/सेवाओं के उत्पादन या निपटान से उत्पन्न कोई महत्वपूर्ण सामाजिक या पर्यावरणीय चिंताएं और/या जोखिम हैं, जैसा कि जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य/मूल्यांकन (एलसीए) में या किसी अन्य माध्यम से पहचाना गया है, तो उसको कम करने के लिए कार्रवाई के साथ-साथ उसका संक्षेप में वर्णन करें।
2. If there are any significant social or environmental concerns and/or risks arising from production or disposal of your products / services, as identified in the Life Cycle Perspective / Assessments (LCA) or through any other means, briefly describe the same along-with action taken to mitigate the same.

उत्पाद/सेवा का नाम Name of Product / Service	जोखिम/संस्था का विवरण Description of the risk / concern	की गई कार्रवाई Action Taken
लागू नहीं / Not Applicable		

3. उत्पादन (निर्माण उद्योग के लिए) या सेवा प्रदान करने (सेवा उद्योग के लिए) में उपयोग की जाने वाली कुल सामग्री (मूल्याधारित) में पुनर्नवीनीकरण या पुनः उपयोग की गई इनपुट सामग्री का प्रतिशत।
3. Percentage of recycled or reused input material to total material (by value) used in production (for manufacturing industry) or providing services (for service industry).

इनपुट सामग्री इंगित करें Indicate input material	कुल सामग्री के लिए पुनर्नवीनीकरण या पुनः उपयोग की जाने वाली इनपुट सामग्री Recycled or re-used input material to total material	
	वित्तीय वर्ष / FY 2022-23	वित्तीय वर्ष / FY 2021-22
व्यवसाय की प्रकृति की वजह से प्रयोज्य नहीं है। Not applicable owing to the nature of business		

4. उत्पादों के जीवन के अंत में पुनः प्राप्त किए गए उत्पादों और पैकेजिंग में से, राशि (मीट्रिक टन में) का पुनः उपयोग, पुनर्नवीनीकरण और सुरक्षित रूप से निपटान।
4. Of the products and packaging reclaimed at end of life of products, amount (in metric tonnes) reused, recycled, and safely disposed.

	वित्तीय वर्ष / FY 2022-23			वित्तीय वर्ष / FY 2021-22		
	पुनः उपयोग Re-Used	पुनर्नवीनीकरण Recycled	सुरक्षित रूप से निपटारा Safely Disposed	पुनः उपयोग Re-Used	पुनर्नवीनीकरण Recycled	सुरक्षित रूप से निपटारा Safely Disposed
प्लास्टिक (पैकेजिंग सहित)/ Plastics (including packaging)	लागू नहीं/NA	लागू नहीं/NA	लागू नहीं/NA	लागू नहीं/NA	लागू नहीं/NA	लागू नहीं/NA
ई-अपशिष्ट/E-waste	लागू नहीं/NA	लागू नहीं/NA	लागू नहीं/NA	लागू नहीं/NA	लागू नहीं/NA	लागू नहीं/NA
हानिकारक अपशिष्ट Hazardous waste	लागू नहीं/NA	लागू नहीं/NA	लागू नहीं/NA	लागू नहीं/NA	लागू नहीं/NA	लागू नहीं/NA
अन्य अपशिष्ट Other Waste	लागू नहीं/NA	लागू नहीं/NA	लागू नहीं/NA	लागू नहीं/NA	लागू नहीं/NA	लागू नहीं/NA

5. प्रत्येक उत्पाद श्रेणी के लिए पुनः प्राप्त किए गए उत्पाद और उनकी पैकेजिंग सामग्री (बेचे गए उत्पादों के प्रतिशत के रूप में)।
5. Reclaimed products and their packaging materials (as percentage of products sold) for each product category.

उत्पाद श्रेणी इंगित करें Indicate Product category	पुनः प्राप्त उत्पाद और उनकी पैकेजिंग सामग्री संबंधित श्रेणी में बेचे गए कुल उत्पादों के प्रतिशत Reclaimed products and their packaging materials as % of total products sold in respective category
व्यवसाय की प्रकृति की वजह से प्रयोज्य नहीं है / Not applicable owing to the nature of business	

सिद्धांत-3 : व्यवसायों को सभी कर्मचारियों तथा मूल्य शृंखला में शामिल लोगों का सम्मान करना चाहिए तथा उनके कल्याण को बढ़ावा देना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. ए. कर्मचारियों की भलाई के लिए उपायों का विवरण:

Principle 3 : Businesses Should Respect and Promote The Well-being of all Employees, including those in their Value Chains

Essential Indicators

1. a. Details of measures for the well-being of employees:

श्रेणी Category	कवर किए गए कर्मचारियों का प्रतिशत / % of employees covered by										
	कुल (ए) Total (A)	स्वास्थ्य बीमा Health Insurance		दुर्घटना बीमा Accident Insurance		मातृत्व लाभ Maternity benefits		पितृत्व लाभ Paternity benefits		डे केयर सुविधाएं Day Care facilities	
		संख्या (बी) No. (B)	% (बी/ए)/ (B/A)	संख्या (सी) No. (C)	% (सी/ए)/ (C/A)	संख्या (डी) No. (D)	% (डी/ए)/ (D/A)	संख्या (ई) No. (E)	% (ई/ए)/ (E/A)	संख्या (एफ) No. (F)	% (एफ/ए)/ (F/A)
<b>स्थायी कर्मचारी / Permanent Employees</b>											
पुरुष MALE	15550	15550	100	शून्य/Nil	-	लागू नहीं/ NA	-	15550	100	-	-
महिला FEMALE	6148	6148	100	शून्य/Nil	-	6148	100	लागू नहीं/ NA	-	-	-
<b>कुल TOTAL</b>	<b>21698</b>	<b>21698</b>	<b>100</b>	<b>शून्य/Nil</b>	<b>-</b>	<b>6148</b>	<b>100</b>	<b>15550</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>स्थायी कर्मचारी के अलावे / Other than Permanent Employees</b>											
पुरुष MALE	लागू नहीं / Not Applicable										
महिला FEMALE											
<b>कुल TOTAL</b>											

बी. श्रमिकों की भलाई के लिए उपायों का विवरण: लागू नहीं

b. Details of measures for the well-being of workers : Not applicable

2. वर्तमान और पिछले वित्तीय वर्ष के लिए सेवानिवृत्ति लाभों का विवरण

2. Details of retirement benefits for the Current and Previous Financial Year

लाभ Benefits	वित्तीय वर्ष / FY 2022-23		वित्तीय वर्ष / FY 2021-22	
	कुल कर्मचारियों के प्रतिशत के रूप में शामिल कर्मचारियों की संख्या No. of employees covered as a % of total employees	कटौती की गई और प्राधिकरण के पास जमा की गई (हां/नहीं/लागू नहीं)। Deducted and deposited with the authority (Y/N/N.A.)	कुल कर्मचारियों के प्रतिशत के रूप में शामिल कर्मचारियों की संख्या No. of employees covered as a % of total employees	कटौती की गई और प्राधिकरण के पास जमा की गई (हां/नहीं/लागू नहीं)। Deducted and deposited with the authority (Y/N/N.A.)
पीएफ PF	19.85%	हाँ / Y	23.24%	हाँ / Y
ग्रेच्युटी Gratuity	100%	हाँ / Y	100%	हाँ / Y
ईएसआई ESI	-	-	-	-
अन्य - एनपीएस Others - NPS	80.15%	हाँ / Y	76.47%	हाँ / Y

### 3. कार्यस्थलों तक पहुँच

क्या दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की आवश्यकताओं के अनुसार, संस्था के परिसर/कार्यालय अलग-अलग विकलांग कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए सुलभ हैं? यदि नहीं, तो क्या संस्था द्वारा इस संबंध में कोई कदम उठाए जा रहे हैं।

दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की आवश्यकताओं के अनुसार बैंक की 80% से अधिक शाखाओं/कार्यालयों में दिव्यांग कर्मचारियों के लिए परिसर/कार्यालय में रैंप / लिफ्ट प्रदान की जा रही है।

4. क्या संस्था के पास विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार समान अवसर नीति है? यदि ऐसा है, तो नीति के लिए एक वेब-लिंक प्रदान करें।

बैंक की समान अवसर नीति है जो निम्नलिखित वेब लिंक पर उपलब्ध है : Equal Opportunity Policy

5. पितृत्व अवकाश लेने वाले स्थायी कर्मचारियों और श्रमिकों की काम पर वापसी और प्रतिधारण दर -

### 3. Accessibility of workplaces

Are the premises / offices of the entity accessible to differently abled employees and workers, as per the requirements of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016? If not, whether any steps are being taken by the entity in this regard.

The premises/offices are accessible to differently abled employees as more than 80% of the branches/offices of the Bank are being provided with ramps/elevator as per the requirements of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016.

4. Does the entity have an equal opportunity policy as per the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016? If so, provide a web-link to the policy.

Bank has Equal Opportunity Policy which is available on the following web link : Equal Opportunity Policy

5. Return to work and Retention rates of permanent employees and workers that took parental leave.-

स्थायी कर्मचारी / Permanent employees		
लिंग Gender	काम पर वापसी का दर Return to work rate	प्रतिधारण दर Retention rate
पुरुष / Male	100%	100%
महिला / Female	100%	100%
कुल / Total	100%	100%

6. क्या कर्मचारियों और श्रमिकों की निम्नलिखित श्रेणियों के लिए शिकायतें प्राप्त करने और उनका निवारण करने के लिए कोई तंत्र उपलब्ध है? यदि हाँ, तो तंत्र का संक्षेप में विवरण दें।

6. Is there a mechanism available to receive and redress grievances for the following categories of employees and workers? If yes, give details of the mechanism in brief.

	हाँ / नहीं (यदि हाँ, तो तंत्र का संक्षेप में विवरण दें) Yes/No (if yes, give details of the mechanism in brief)
स्थायी कर्मचारी Permanent Employees	जी हाँ। बैंक के पास अपने कर्मचारियों के लिए एक शिकायत निवारण तंत्र है। कर्मचारी बैंक आंतरिक एचआरएमएस पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं Yes. Bank has a Grievance Redressal Mechanism for its employees. Employees can raise their grievances through Bank Internal HRMS Portal
स्थायी कर्मचारियों के अलावा Other than Permanent Employees	लागू नहीं / Not Applicable
स्थायी श्रमिक Permanent Workers	लागू नहीं / Not Applicable
स्थायी श्रमिकों के अलावा Other than Permanent workers	लागू नहीं / Not Applicable

7. बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त संघों या यूनियनों में कर्मचारियों और कामगारों की सदस्यता :

7. Membership of employees and worker in association(s) or Unions recognised by the Bank:

श्रेणी Category	वित्तीय वर्ष / FY 2022-23			वित्तीय वर्ष / FY 2021-22		
	संबंधित श्रेणी में कुल कर्मचारी (ए) Total employees in respective category (A)	संबंधित श्रेणी में एसोसिएशन या यूनियन में शामिल कर्मचारियों की संख्या (बी) No. of employees in respective category, who are part of association(s) or Union (B)	% (बी/ए) % (B/A)	संबंधित श्रेणी में कुल कर्मचारी (सी) Total employees in respective category (C)	संबंधित श्रेणी में एसोसिएशन या यूनियन में शामिल कर्मचारियों की संख्या (डी) No. of employees in respective category, who are part of association(s) or Union (D)	% (डी/सी) % (D/C)
कुल स्थायी कर्मचारी Total Permanent Employees	21698	19625	90.44%	21617	19492	90.16
- पुरुष/Male	15550	13898	89.37%	15609	13862	88.81
- महिला/Female	6148	5727	93.15%	6008	5630	93.71
कुल स्थायी श्रमिक Total Permanent workers	लागू नहीं / Not Applicable #					
- पुरुष /Male						
- महिला/Female						

# यूको बैंक में सेबी द्वारा जारी बीआरएसआर पर जारी मार्गदर्शन नोट के अनुसार श्रमिक नहीं हैं /

UCO Bank does not have workers as defined in the guidance note on BRSR issued by SEBI



8. कर्मचारियों एवं श्रमिकों को दिये गये प्रशिक्षण का विवरण:

8. Details of training given to employees and workers :

श्रेणी Category	वित्तीय वर्ष / FY 2022-23					वित्तीय वर्ष / FY 2021-22				
	कुल (₹) Total (A)	स्वास्थ्य और सुरक्षा/ कल्याण पर On health and safety/wellness measures		कौशल उन्नयन पर On skill upgradation		कुल (₹) Total (D)	स्वास्थ्य और सुरक्षा/ कल्याण पर On health and safety/wellness measures		कौशल उन्नयन पर On skill upgradation	
		(बी) (B)	% (बी/₹)/ (B/A)	(सी) (C)	% (सी/₹)/ (C/A)		(ई) (E)	% (ई/₹)/ (E/D)	(एफ) (F)	% (एफ/₹) (F/D)
<b>कर्मचारी / Employees</b>										
पुरुष MALE	8111	42	0.52 %	8078	99.48%	15716	16	0.11%	15700	99.89%
महिला FEMALE	3570	269	7.54 %	3338	92.46%	6043	332	5.49%	5711	94.51%
<b>कुल TOTAL</b>	<b>11681</b>	<b>311</b>	<b>2.66 %</b>	<b>11416</b>	<b>97.34%</b>	<b>21759</b>	<b>348</b>	<b>1.6%</b>	<b>21411</b>	<b>98.40%</b>
<b>श्रमिक / Workers</b>										
पुरुष MALE	लागू नहीं / Not Applicable #									
महिला FEMALE										
<b>कुल TOTAL</b>										

# यूको बैंक में सेबी द्वारा जारी बीआरएसआर पर जारी मार्गदर्शन नोट के अनुसार श्रमिक नहीं हैं /  
UCO Bank does not have workers as defined in the guidance note on BRSR issued by SEBI

9. कर्मचारियों और श्रमिकों के कार्यनिष्पादन और करियर विकास समीक्षा का विवरण:

9. Details of performance and career development reviews of employees and workers:

श्रेणी/ Category	वित्तीय वर्ष / FY 2022-23			वित्तीय वर्ष / FY 2021-22		
	कुल (₹)/ Total (A)	संख्या (बी)/ No. (B)	% (बी/₹)/ % (B/A)	कुल (₹)/ Total (C)	संख्या (डी)/ No. (D)	% (डी/₹)/ % (D/C)
<b>कर्मचारी / Employees</b>						
पुरुष/Male	15550	9391	60.39	15609	8739	55.98
महिला/Female	6148	3947	64.20	6008	3569	59.40
<b>कुल/Total</b>	<b>21698</b>	<b>13338</b>	<b>61.47</b>	<b>21617</b>	<b>12308</b>	<b>56.93</b>
<b>श्रमिक / Workers</b>						
पुरुष/Male	लागू नहीं / Not Applicable #					
महिला/Female						
<b>कुल/Total</b>						

नोट: वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन समीक्षा (APAR) केवल अधिकारी संवर्ग के कर्मचारियों के लिए लागू है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए एपीएआर शुरू हो गया है लेकिन अभी पूरा होना बाकी है।

# यूको बैंक में सेबी द्वारा जारी बीआरएसआर पर जारी मार्गदर्शन नोट के अनुसार श्रमिक नहीं हैं

Note : Annual Performance Appraisal Review (APAR) is applicable for officer employees only. APAR for FY 2022-23 has commenced but yet to be completed.

# UCO Bank does not have workers as defined in the guidance note on BRSR issued by SEBI

10. स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली :

ए) क्या संस्थान द्वारा व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली लागू की गई है? (हां/नहीं)? यदि हां, तो ऐसी व्यवस्था के बारे में बताएं।

व्यवसाय की प्रकृति को देखते हुए कर्मचारियों के व्यवसाय से जुड़े स्वास्थ्य और सुरक्षा जोखिम न्यूनतम ही हैं। सुरक्षा प्रबंध प्रणाली के एक भाग के रूप में बैंक ने फायर एक्सटिंग्विशर, डिजिटल फायर-सह-बर्गलर प्रणाली(डीएफसीबी) एवं सीसीटीवी निगरानी प्रणाली अपनी सभी शाखाओं और प्रशासनिक कार्यालयों में स्थापित कर रखी है। नियमित अवधि पर आंतरिक सुरक्षा प्रबंध प्रणाली की प्रभावशीलता की जांच की जाती रहती है।

बी) कार्य से संबंधित खतरों की पहचान करने और संस्थान द्वारा नियमित और गैर-नियमित आधार पर जोखिमों का आकलन करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाएं क्या हैं?

कारोबार के प्रकार को देखते हुए यह प्रत्यक्ष रूप से लागू नहीं है। तथापि नियत अवधि पर फायर मॉक ड्रिल आयोजित की जाती है, जिससे कि जोखिमों का आकलन किया जा सके तथा संबंधित कर्मचारियों में जागरूकता पैदा की जा सके।

सी) क्या आपके पास काम से संबंधित खतरों की रिपोर्ट करने और कर्मचारियों को ऐसे जोखिमों से दूर रखने के लिए के लिए प्रक्रियाएं हैं ? (हाँ/नहीं) -

लागू नहीं

डी) क्या कर्मचारियों की गैर-व्यावसायिक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच है? (हां/नहीं)

जी हाँ, सभी बैंक कर्मचारियों को आईबीए के द्वारा यथानिर्धारित समूह स्वास्थ्य चिकित्सा बीमा पॉलिसी के अंतर्गत बीमारक्षित किया गया है। बीमित राशि से अधिक के खर्च को भी नियमों और शर्तों के अधीन कारपोरेट अधिशेष के अंतर्गत शामिल कर लिया जाता है। बैंक स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं भी प्रदान करता है, जैसे वार्षिक स्वास्थ्य जांच सुविधा, वार्षिक चिकित्सा भत्ता, चश्मे की लागत की प्रतिपूर्ति, नियत अवधि पर निःशुल्क स्वास्थ्य जांच आदि।

11. सुरक्षा संबंधी घटनाओं का विवरण :

सुरक्षा घटना/संख्या Safety incident/number	श्रेणी Category	वित्तीय वर्ष / FY 2022-23	वित्तीय वर्ष / FY 2021-22
काम के समय चोट/घटना बारंबारता दर (एलटीआईएफआर) (प्रति दस लाख व्यक्ति के कार्य घंटे में) Lost Time Injury Frequency Rate (LTIFR) (per one million-person hours worked) कुल रिकॉर्ड करने योग्य काम से संबंधित चोटें Total recordable work-related injuries सुविधाओं की संख्या No. of fatalities उच्च परिणाम कार्य-संबंधी चोट या अस्वस्थता (मृत्यु को छोड़कर) High consequence work-related injury or ill-health (excluding fatalities)	कर्मचारी और श्रमिक  Employees & Workers	लागू नहीं / Not Applicable	

10. Health and Safety management system :

a) Whether an occupational health and safety management system has been implemented by the entity? (Yes/ No). If yes, the coverage such system?

Owing to the nature of the business, there are minimal occupational health and safety risks to the employees. As a part of safety management system, Bank has installed Fire extinguishers, Digital Fire cum burglar system (DFCB) & CCTV surveillance system at all the branches & administrative offices of the Bank. Effectiveness of the internal safety management system is checked at regular intervals.

b) What are the processes used to identify work-related hazards and assess risks on a routine and non-routine basis by the entity?

Given the nature of business, this is not directly applicable. However fire mock drills are conducted on a periodical basis for assessing the risks and creating awareness among the employees concerned.

c) Whether you have processes for workers to report the work related hazards and to remove themselves from such risks. (Y/N) -

Not Applicable.

d) Do the employees have access to non-occupational medical and healthcare services? (Yes/ No)

Yes. All employees of Bank are covered under Group Health Medical Insurance policy as envisaged by IBA. Expenses incurred over and above the sum insured are also covered under Corporate Buffer subject to terms & conditions. Bank also provides health related facilities viz. Yearly Health Checkup facility, Annual Medical Allowance, reimbursement of cost of spectacles, periodic free health checkup etc.

11. Details of safety related incidents :

12. सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए संस्थान द्वारा किए गए उपायों का वर्णन करें।

सभी बैंक कर्मचारियों को आईबीए के द्वारा यथानिर्धारित समूह स्वास्थ्य चिकित्सा बीमा पॉलिसी के अंतर्गत बीमारक्षित किया गया है। इसकी सीमा पार हो जाने पर, नियमों और शर्तों के अधीन कारपोरेट अधिशेष की सुविधा भी मौजूद है।

बैंक ने फायर एक्सटिंग्विशर, डिजिटल फायर-सह-बर्गलर प्रणाली (डीएफसीबी) एवं सीसीटीवी निगरानी प्रणाली अपनी सभी शाखाओं और प्रशासनिक कार्यालयों में स्थापित कर रखी है। बैंक की अधिक ऊंचाई वाली इमारतों में बैंक ने फायर हाइड्रेंट और फायर अलार्म प्रणाली स्थापित की हुई है। सुरक्षा उपाय के रूप में बैंक ने आगंतुक प्रबंध प्रणाली प्रारंभ की है ताकि प्रधान कार्यालय में आगंतुकों के प्रवेश को नियंत्रित किया जा सके।

12. Describe the measures taken by the entity to ensure a safe and healthy work place.

All Employees of Bank are covered under the Group Health Insurance policy as envisaged by IBA. In case the limit is exhausted, there is also a facility of Corporate Buffer subject to terms and conditions.

Bank has installed Fire extinguishers, Digital Fire cum burglar system (DFCB) & CCTV surveillance system at all the branches & administrative offices of the Bank. In the high rise building of the Bank, Bank has installed fire hydrants & Fire alarm system. As a safety measure, Bank has started a visitor management system to control access of visitors at Head Office.

13. कर्मचारियों द्वारा निम्नलिखित पर की गई शिकायतों की संख्या :

13. Number of Complaints on the following made by employees :

श्रेणी Category	वित्तीय वर्ष / FY 2022-23			वित्तीय वर्ष / FY 2021-22		
	वर्ष भर में दर्ज Filed during the year	वर्ष के अंत में निपटान के लिए लंबित Pending resolution at the end of the year	टिप्पणियाँ Remarks	वर्ष भर में दर्ज Filed during the year	वर्ष के अंत में निपटान के लिए लंबित Pending resolution at the end of the year	टिप्पणियाँ Remarks
कार्य की स्थिति Working conditions	शून्य / NIL	शून्य / NIL	-	शून्य / NIL	शून्य / NIL	-
स्वास्थ्य व सुरक्षा Health & Safety	शून्य / NIL	शून्य / NIL	-	शून्य / NIL	शून्य / NIL	-

14. वर्षभर के लिए आकलन / Assessments for the year :

	आपके संयंत्रों और कार्यालयों का प्रतिशत जिनका मूल्यांकन किया गया था (किसी संस्था या वैधानिक प्राधिकरणों या तीसरे पक्ष द्वारा) % of your plants and offices that were assessed (by entity or statutory authorities or third parties)
स्वास्थ्य और सुरक्षा आचरण / Health and Safety practices	100%*
कार्य की स्थिति / Working Conditions	लागू नहीं / Not Applicable

\* बैंक के पास विभिन्न वार्षिक रखरखाव अनुबंध हैं जो इसके कार्यालयों/शाखाओं के लिए विभिन्न सुरक्षा प्रथाओं से संबंधित हैं /  
Bank has various annual maintenance contracts which deals with various safety practices for its offices/branches

15. सुरक्षा से संबंधित घटनाओं (यदि कोई हो) से निपटने के लिए और स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाओं और कार्य स्थितियों के आकलन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों / चिंताओं पर की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

सुरक्षा से जुड़ी घटनाओं से निपटने के लिए बैंक नियत अवधि पर सुरक्षा संबंधी फायर मॉक ड्रिल आयोजित कर कर्मचारियों को जागरूक बनाता है। अग्नि सुरक्षा से संबंधित क्या करें क्या न करें की सूचनाओं को बैंक की शाखा और प्रशासनिक कार्यालयों में परिचालित किया जाता है।

15. Provide details of any corrective action taken or underway to address safety-related incidents (if any) and on significant risks / concerns arising from assessments of health & safety practices and working conditions.

In order to address safety related incidents, Bank periodically conducts safety related fire mock drills for the awareness of staff. Do's and Dont's relating to fire safety are circulated in the branches and administrative offices of the Bank.

## नेतृत्व संकेतक

- क्या कर्मचारियों की मृत्यु की स्थिति में संस्था किसी जीवन बीमा या किसी क्षतिपूर्ति पैकेज लागू करती है-  
कर्मचारी - हाँ  
श्रमिक - लागू नहीं  
बैंक अनुकंपा नियुक्ति नीति के अंतर्गत दिवंगत कर्मचारी के जीवन साथी / निर्भर परिजन को रोजगार की पेशकश करता है। भविष्य निधि, उपदान, अधिवर्षिता और कर्मचारी जमानिधि संबंधी बीमा जैसे लाभ यथाप्रयोज्य प्राथमिकता आधार पर निपटाए जाते हैं।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि मूल्य शृंखला भागीदारों द्वारा वैधानिक रूप से देय राशि काट ली गई है और जमा कर दी गई है, बैंक द्वारा किए गए उपाय प्रदान करें।  
बैंक सुनिश्चित करता है कि बैंक के दायरे में आनेवाले लेन-देन पर यथाप्रयोज्य सांविधिक शुल्क विद्यमान विनियमों के अनुसार काटकर जमा किए जा रहे हैं। इस गतिविधि की भी आंतरिक और सांविधिक लेखापरीक्षा के एक भाग के रूप में समीक्षा की जाती है। बैंक अपेक्षा करता है कि उसकी मूल्य शृंखला के भागीदार कारोबार उत्तरदायित्व सिद्धांतों तथा पारदर्शिता एवं जिम्मेदारी के मूल्यों का पालन करेंगे।
- उन कर्मचारियों की संख्या दें, जिन्हें अत्यधिक परिणामी कार्य-संबंधित चोट/बीमारी/मृत्यु का सामना करना पड़ा है (जैसा कि ऊपर आवश्यक संकेतकों की Q11 में रिपोर्ट किया गया है), जिनका पुनर्वास किया गया है और उन्हें अनुपयुक्त रोजगार में रखा गया है या जिनके परिवार के सदस्यों को उपयुक्त रोजगार में रखा गया है:

	प्रभावित कर्मचारियों/श्रमिकों की कुल संख्या Total no. of affected employees/workers		उन कर्मचारियों/श्रमिकों की संख्या जिनका पुनर्वास किया गया है और उपयुक्त रोजगार में रखा गया है या जिनके परिवार के सदस्यों को उपयुक्त रोजगार में रखा गया है No. of employees/workers that are rehabilitated and placed in suitable employment or whose family members have been placed in suitable employment	
	वित्तीय वर्ष/FY 2022-23	वित्तीय वर्ष/FY 2021-22	वित्तीय वर्ष/FY 2022-23	वित्तीय वर्ष/FY 2021-22
कर्मचारी / Employees	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL
श्रमिक / Workers #	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL

# यूको बैंक में सेबी द्वारा जारी बीआरएसआर पर जारी मार्गदर्शन नोट के अनुसार श्रमिक नहीं हैं /  
UCO Bank does not have workers as defined in the guidance note on BRSR issued by SEBI

- क्या संस्था सेवानिवृत्ति या रोजगार की समाप्ति के परिणामस्वरूप निरंतर रोजगार और कैरियर के अंत के प्रबंधन की सुविधा के लिए परिवर्तन-काल सहायता कार्यक्रम प्रदान करती है? (हां/नहीं)  
बैंक ने आकस्मिकताओं के चलते, अथवा किसी आवश्यक कार्य हेतु अपेक्षित कार्यकुशलता न रखनेवाले कर्मचारियों की कोई छंटनी नहीं की है। मध्यावधि सहायता कार्यक्रम के एक भाग के रूप में बैंक निरंतर आंतरिक और बाहरी प्रशिक्षण प्रदान करता है ताकि अपने कर्मचारियों की दक्षता अद्यतन की जा सके।

## Leadership Indicators

- Does the entity extend any life insurance or any compensatory package in the event of death of -  
Employees - Yes  
Workers - NA  
Bank offers employment to spouse /dependent of deceased employee as per compassionate Appointment Policy of the Bank. Benefits like provident fund, gratuity, superannuation and employees' deposit linked insurance, as applicable, are settled on a priority basis.
- Provide the measures undertaken by the Bank to ensure that statutory dues have been deducted and deposited by the value chain partners.  
The Bank ensures that statutory dues as applicable to the transactions within the remit of the Bank are deducted and deposited in accordance with extant regulations. This activity is also reviewed as part of the internal and statutory audit. The Bank expects its value chain partners to uphold business responsibility principles and values of transparency and accountability.
- Provide the number of employees having suffered high consequence work-related injury / ill-health / fatalities (as reported in Q11 of Essential Indicators above), who have been rehabilitated and placed in suitable employment or whose family members have been placed in suitable employment:  
Bank has not undertaken any retrenchment of employees owing to exigencies or employees not having the requisite skills to do the required job. As a part of transition assistance programme, Bank provides continuous internal and external training for skill upgradation of its employees.

5. मूल्य शृंखला भागीदारों के मूल्यांकन पर विवरण

5. Details on assessment of value chain partners

	मूल्य शृंखला भागीदारों का प्रतिशत (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए व्यवसाय के मूल्य से) जिनका मूल्यांकन किया गया था % of value chain partners (by value of business done with such partners) that were assessed
स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाएं / Health and Safety practices	लागू नहीं / Not Applicable
कार्य दशा / Working Conditions	

6. स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाओं के आकलन और मूल्य शृंखला भागीदारों की कार्य दशाओं से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों / चिंताओं को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

लागू नहीं

6. Provide details of any corrective actions taken or underway to address significant risks/concerns arising from assessments of health and safety practices and working conditions of value chain partners.

Not Applicable

**सिद्धांत 4 : व्यवसायों को अपने सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए**

**Principle 4 : Businesses should respect the interests of and be responsive to all its stakeholders**

**आवश्यक संकेतक**

**Essential Indicators**

1. संस्थान के प्रमुख हितधारक समूहों की पहचान करने की प्रक्रियाओं का वर्णन करें

बैंकिंग संस्था होने के नाते, निवेशक, विकेता, नियामक, कर्मचारी, ग्राहक, व्यापक रूप से समुदाय, आदि बैंक के हितधारक हैं। प्रमुख हितधारक समूह की पहचान करने के लिए बैंक के पास कोई विशिष्ट प्रक्रिया नहीं है।

2. आपकी संस्था के लिए मुख्य रूप में पहचान किए गए हितधारक समूहों की सूची बनाएँ तथा प्रत्येक के हितधारक समूह में उनके जुड़ाव की बारंबारता बनाएँ।

1. Describe the processes for identifying key stakeholder groups of the entity.

Being a banking entity, stakeholders are investors, vendors, regulators, employees, customers, communities at large etc. Bank does not have specific process for identifying key stakeholder groups.

2. List stakeholder groups identified as key for your entity and the frequency of engagement with each stakeholder group.

हितधारक समूह Stakeholder group	क्या असुरक्षित और सीमांत ग्रुप की तरह चिन्हित है (हाँ/नहीं) Whether identified as Vulnerable & Marginalized Group (Yes/No)	संचार के माध्यम (ईमेल, एसएमएस, अखबार, पत्रे, विज्ञापन, समुदाय बैठकें, सूचना पट्ट, वेबसाइट), अन्य Channels of communication (Email, SMS, Newspaper, Pamphlets, Advertisement, Community Meetings, Notice Board, Website), Other	जुड़ाव की बारंबारता (वार्षिक / अर्ध-वार्षिक/ त्रैमासिक / अन्य - कृपया उल्लिखित करें) Frequency of engagement (Annually/ Half yearly/Quarterly / others - please specify)	जुड़ाव के उद्देश्य एवं गुंजाइश और ऐसे जुड़ाव के दौरान मुख्य मुद्दा और व्यक्त की गई चिंताएँ Purpose and scope of engagement including key topics and concerns raised during such engagement
कर्मचारी Employees	नहीं No	एसएमएस, ईमेल और डायरेक्ट और संचार के अन्य तरीके SMS, Email and Direct and other modes of communication	बार-बार और आवश्यकता आधारित Frequent and need based	उन्हें बैंक के मिशन और नई नीतियों के बारे में अद्यतन रखने के लिए To Keep them updated about the mission and new policies of the Bank

शेयरधारक  Shareholders	नहीं  No	समाचार पत्र, बैंक और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट, शेयरधारकों की बैठक  Newspaper, Website of Bank and stock Exchanges, Shareholder's Meeting	बार-बार और आवश्यकता आधारित  Frequent and event based	उन्हें बैंक के नवीनतम घटनाक्रम के बारे में अद्यतन रखने के लिए  To Keep them updated about the latest development of the Bank
ग्राहक  Customers	नहीं  No	एसएमएस, ई-मेल, पत्र  SMS, Email, Letter	बार-बार  Frequent	उन्हें बैंक के नवीनतम घटनाक्रम के बारे में अद्यतन रखने के लिए  To Keep them updated about the latest development of the Bank
नियामक अर्थात् आरबीआई, सेबी आदि। Regulators viz. RBI, SEBI etc.	नहीं  No	ई-मेल, पत्र, बैठकें  Email, Letter, Meetings	निर्देशानुसार  As per Direction	-
भारत सरकार  Government of India	नहीं  No	ई-मेल, पत्र, बैठकें  Email, Letter, Meetings	निर्देशानुसार  As per Direction	-

## नेतृत्व संकेतक

1. हितधारकों और बोर्ड के बीच आर्थिक, पर्यावरण और सामाजिक विषयों पर परामर्श के लिए प्रक्रियाओं की जानकारी दें या यदि परामर्श प्रत्यायोजित किया जाता है, तो ऐसे परामर्शों से प्रतिक्रिया कैसे बोर्ड को प्रदान की जाती है।

आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक क्षेत्रों के अंतर्गत बैंक द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों को निदेशकों की रिपोर्ट तथा प्रबंधन के विचार-विमर्श एवं विश्लेषण के एक भाग के रूप में शामिल किया गया है। वार्षिक रिपोर्ट को, जिसमें निदेशकों की रिपोर्ट भी शामिल है, सभी हितधारकों के मध्य परिचालित किया जाता है। शेयरधारकों की वार्षिक सामान्य बैठकों में हितधारक और निदेशक मंडल आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक पहलुओं पर आपस में विचार-विमर्श कर सकते हैं। सभी हितधारकों के अवलोकनार्थ वार्षिक रिपोर्ट को हमारे बैंक की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया जाता है।

बैंक नियतावधि पर ग्राहक बैठक और टाउन हॉल बैठक आयोजित करता है जहाँ आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जा सकता है।

2. क्या पर्यावरण, और सामाजिक विषयों की पहचान और प्रबंधन के अनुसमर्थन के लिए हितधारक परामर्श का उपयोग किया जाता है (हां / नहीं)? यदि ऐसा है, तो उदाहरणों का विवरण दें कि कैसे इन विषयों पर हितधारकों से प्राप्त इनपुट को संस्थान की नीतियों और गतिविधियों में शामिल किया गया।

## Leadership Indicators

1. Provide the processes for consultation between stakeholders and the Board on economic, environmental, and social topics or if consultation is delegated, how is feedback from such consultations provided to the Board.

Several measures taken up by the Bank under economic, environmental, and social segments are covered as a part of Directors Report and Management Discussion and Analysis. The Annual Report comprising the Directors Report is circulated among all the shareholders. Shareholders and the Board of Directors can have deliberations the economic, environmental, and social aspects at the Annual General Meetings of shareholders. Annual Report is also made available on the website of our Bank for reference of all the stakeholders.

Bank holds customer meets and Town hall meetings at periodic intervals where the issues on economic, environmental, and social can be deliberated.

2. Whether stakeholder consultation is used to support the identification and management of environmental, and social topics (Yes / No). If so, provide details of instances as to how the inputs received from stakeholders on these topics were incorporated into policies and activities of the entity.

बैंक के उत्पादों के विकास में हितधारकों से प्राप्त सुझावों पर विचार किया जाता है।

Suggestions received from stakeholders are considered in development of products of the Bank.

3. कमजोर/सीमांत के हितधारक समूहों की चिंताओं को दूर करने के लिए किए गए कार्यों के साथ जुड़ाव के उदाहरणों का विवरण प्रदान करें।

3. Provide details of instances of engagement with, and actions taken to, address the concerns of vulnerable/marginalised stakeholder groups.

विभिन्न सरकारी योजनाओं के प्रयासों में बैंक सरकार को सहयोग करता है। बैंक आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और निम्न आय वर्गों के अंतर्गत आनेवाले ग्राहकों को आवास ऋण, मुद्रा ऋण, प्रधानमंत्री स्वनिधि आदि प्रदान करता है। छोटे और सीमांत किसानों, महिला लाभार्थियों और अन्य कमजोर वर्गों को ऋण देकर बैंक ने इन वर्गों की सेवा का अपना संकल्प सार्थक किया है।

Bank supports the Government's endeavour towards its various scheme. Bank extends Home loans, Mudra loans, PMSvanidhi etc. to customers belonging to the economically weaker sections and low income groups. Loans have been extended to small and marginal farmers, women beneficiaries and other weaker sections, thereby establishing the Bank's commitment to service these segments.

**सिद्धांत 5 : व्यवसायों को मानव अधिकारों का सम्मान और प्रचार करना चाहिए**

**Principle 5 : Businesses Should Respect and Promote Human Rights**

**आवश्यक संकेतक**

**Essential Indicators**

1. कर्मचारी और कामगारों जिन्हें मानवाधिकार मुद्दों और नीतियों पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया है:

1. Employees and workers who have been provided training on human rights issues and policy(ies) :

श्रेणी Category	वित्तीय वर्ष / FY 2022-23			वित्तीय वर्ष / FY 2021-22		
	कुल (ए) Total (A)	शामिल कर्मचारियों की संख्या (बी) No. of employees covered (B)	% (बी/ए)/ (B/A)	कुल (सी) Total (C)	शामिल कर्मचारियों की संख्या (डी) No. of employees covered (D)	% (डी/सी)/ (D/C)
<b>कर्मचारी / Employees</b>						
स्थायी कर्मचारी Permanent employees	21698	88	0.41 %	21617	710	3.30%
स्थायी के अलावा Other than permanent	0	0	0	0	0	0
कुल कर्मचारी Total Employees	21698	88	0.41 %	21617	710	3.30%
<b>श्रमिक / Workers #</b>						
स्थायी के अलावा Permanent Workers	शून्य / NIL					
स्थायी के अलावा Other than permanent						
कुल श्रमिक Total Workers						

# यूको बैंक में सेबी द्वारा जारी बीआरएसआर पर जारी मार्गदर्शन नोट के अनुसार श्रमिक नहीं हैं /  
UCO Bank does not have workers as defined in the guidance note on BRSR issued by SEBI



2. कर्मचारियों और श्रमिकों को भुगतान की जाने वाली न्यूनतम मजदूरी का विवरण :

**Details of minimum wages paid to employees and workers :**

श्रेणी/ Category	वित्तीय वर्ष/FY 2022-23					वित्तीय वर्ष/FY 2021-22				
	कुल (ए) Total (A)	न्यूनतम मजदूरी के बराबर Equal to Minimum Wage		न्यूनतम मजदूरी से ज्यादा More than Minimum Wage		कुल (डी) Total (D)	न्यूनतम मजदूरी के बराबर Equal to Minimum Wage		न्यूनतम मजदूरी से ज्यादा More than Minimum Wage	
		संख्या (बी) No. (B)	% (बी/ए) % (B/A)	संख्या (सी) No. (C)	% (सी/ए) % (C/A)		संख्या (ई) No. (E)	% (ई/डी) % (E/D)	संख्या (एफ) No. (F)	% (एफ/डी) % (F/D)
<b>कर्मचारी / Employees</b>										
<b>स्थायी Permanent</b>										
- पुरुष/Male	15801	0	0	15801	100%	15613	0	0	15613	100%
- महिला/Female	6194	0	0	6194	100%	6009	0	0	6009	100%
स्थायी के अलावा <b>Other than permanent</b>	शून्य / Nil									
- पुरुष/Male	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- महिला/Female	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>श्रमिक/Workers</b>										
<b>स्थायी Permanent</b>	शून्य / Nil									
- पुरुष/Male										
- महिला/Female										
स्थायी के अलावा <b>Other than permanent</b>										
- पुरुष/Male										
- महिला/Female										

# यूको बैंक में सेबी द्वारा जारी बीआरएसआर पर जारी मार्गदर्शन नोट के अनुसार श्रमिक नहीं हैं /  
UCO Bank does not have workers as defined in the guidance note on BRSR issued by SEBI

3. पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी का विवरण / **Details of Remuneration/Salary/Wages**

	पुरुष/Male		महिला/Female	
	संख्या Number	औसत पारिश्रमिक/वेतन संबंधित श्रेणी (मासिक) Median remuneration/salary respective category (Monthly)	संख्या Number	औसत पारिश्रमिक/वेतन संबंधित श्रेणी Median remuneration/ salary respective category
निदेशक मंडल (बीओडी) (केवल डब्ल्यूटीडी) Board of Directors (Bod) (Only WTD)	3	295861	0	0
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) Key Managerial Personnel (KMP)	2	201464	0	0
बीओडी एवं केएमपी के अतिरिक्त कर्मचारी Employees other than BoD and KMP	15570	86616	6148	75108
श्रमिक/Workers	लागू नहीं / Not Applicable			

# यूको बैंक में सेबी द्वारा जारी बीआरएसआर पर जारी मार्गदर्शन नोट के अनुसार श्रमिक नहीं हैं /  
UCO Bank does not have workers as defined in the guidance note on BRSR issued by SEBI

4. क्या व्यवसाय द्वारा मानवाधिकार को प्रभावित या उत्पन्न होने वाले मुद्दे या अभिदत्त मुद्दों को संबोधित करने हेतु आपका कोई फोकस बिन्दु (व्यक्ति/समिति) है? (हां/नहीं)

जी हाँ, बैंक में मानवाधिकार के मुद्दों से निपटने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति/समितियाँ हैं। उदाहरण के लिए- यौन उत्पीड़न की शिकायतों के निराकरण के लिए आंतरिक शिकायत समिति, विशेष स्तर से सक्षम कर्मचारियों की शिकायतों के समाधान के लिए अंचल कार्यालय और प्रधान कार्यालय दोनों स्तरों पर शिकायत निवारण अधिकारियों की नियुक्ति आदि।

5. मानवाधिकार के मुद्दों से संबंधित शिकायतों के निवारण हेतु आंतरिक तंत्र का वर्णन करें।

लिंग, जाति, नस्ल, पद, आदि से निरपेक्ष होकर बैंक अपने कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्यप्रद और सुरक्षित कार्यपरक वातावरण बनाए रखना सुनिश्चित करता है। इसके साथ ही बैंक में महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न से बचाव की नीति, समान अवसर की नीति आदि मौजूद हैं। कर्मचारी अपनी शिकायतों के समाधान के लिए बैंक के इंटरनेट एचआरएमएस पोर्टल में प्रदत्त शिकायत निवारण प्रणाली के माध्यम से भी अपनी चिंता जाहिर कर सकते हैं।

4. Do you have a focal point (Individual/ Committee) responsible for addressing humanrights impacts or issues caused or contributed to by the business? (Yes/No)

Yes. Bank has Individuals/Committees responsible for addressing human right issues. For instance - Internal Complaints Committee for redressal of complaints of Sexual Harassment, Grievance Redressal Officers appointed both at Zonal and Head Office levels for resolution of Grievances of Specially abled employees, etc.

5. Describe the internal mechanisms in place to redress grievances related to human rights issues

Bank ensure to maintain healthy and safe working environment for our employees irrespective of their Gender, Caste, Ethnicity, Designation, etc. Also Bank has Policy in place for Prevention of Sexual Harassment of Women Employees, Equal Opportunity Policy etc. Employees can also raise their issue through Grievance Redressal Mechanism provided in Bank's intranet HRMS portal for resolution of their Grievances.

**6. कर्मचारियों और श्रमिकों द्वारा निम्नलिखित पर की गई शिकायतों की संख्या: / Number of Complaints on the following made by employees and workers :**

	वित्तीय वर्ष/FY 2022-23			वित्तीय वर्ष/FY 2021-22		
	वर्ष भर में दर्ज Filed during the year	वर्ष के अंत में निपटान के लिए लंबित Pending resolution at the end of the year	टिप्पणियाँ Remarks	वर्ष भर में दर्ज Filed during the year	वर्ष के अंत में निपटान के लिए लंबित Pending resolution at the end of the year	टिप्पणियाँ Remarks
यौन उत्पीड़न Sexual Harassment	3	0	सभी शिकायतों का सौहार्दपूर्ण ढंग से समाधान किया गया All complaints were resolved amicably	1	0	सभी शिकायतों का सौहार्दपूर्ण ढंग से समाधान किया गया All complaints were resolved amicably
कार्यस्थल पर भेदभाव Discrimination at workplace	1	0	सौहार्दपूर्ण तरीके से समाधान किया गया resolved amicably	शून्य/NIL	शून्य/NIL	
बालश्रम Child Labour	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL
बाध्यश्रम/अनैच्छिक श्रम Forced Labour/ Involuntary Labour	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL
पारिश्रमिक Wages	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL
अन्य मानवाधिकार संबंधी मुद्दे Other human rights related issues	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL

7. भेदभाव और उत्पीड़न के मामलों में शिकायतकर्ता के प्रति प्रतिकूल परिणामों को रोकने हेतु व्यवस्था।

बैंक ने पीओएसएच अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत अंचल स्तर एवं प्रधान कार्यालय स्थित सर्वोच्च स्तर, दोनों ही स्तरों पर आंतरिक शिकायत समिति गठित की है।

बैंक में विशेष रूप से सक्षम कर्मचारियों की शिकायतों के समाधान के लिए अंचल एवं प्रधान कार्यालय दोनों ही स्तरों पर शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।

8. क्या मानवाधिकार आवश्यकताएं आपके व्यावसायिक समझौतों और अनुबंधों का हिस्सा हैं? (हाँ/नहीं)

जी हाँ, संबंधित विधि के अनुसार आवश्यक सीमा तक।

7. Mechanisms to prevent adverse consequences to the complainant in discrimination and harassment cases.

Bank has constituted Internal Complaints Committee at both Zonal Level and Apex Level at Head Office under the provisions of POSH Act, 2013.

Bank also has Grievance Redressal Officers appointed both at Zonal and Head Office levels for resolution of Grievances of Specially Aabled employees.

8. Do human rights requirements form part of your business agreements and contracts? (Yes/No)

Yes, to the extent required as per relevant laws.

**9. वर्ष हेतु आकलन: / Assessments for the year :**

	आपके संयंत्रों और कार्यालयों का प्रतिशत जिनका मूल्यांकन किया गया था (संस्था या वैधानिक अधिकारियों या तीसरे पक्ष द्वारा) % of your plants and offices that were assessed (by entity or statutory authorities or third parties)
बालश्रम / Child Labour	लागू नहीं/Not Applicable
बाध्य/ अनैच्छिक श्रम/ Forced/involuntary Labour	लागू नहीं/Not Applicable
यौन उत्पीड़न/ Sexual harassment	शून्य/Nil
कार्यस्थल पर भेदभाव/ Discrimination at workplace	शून्य/Nil
पारिश्रमिक/ Wages	लागू नहीं/Not Applicable
अन्य / Others	लागू नहीं/Not Applicable

10. उपर्युक्त प्रश्न 9 के अवलोकनोपरांत उत्पन्न होनेवाले महत्वपूर्ण जोखिमों/ अंशों को दूर करने के लिए की गई या चल रही सुधारात्मक कार्यवाही का विवरण दें।

- लागू नहीं

10. Provide details of any corrective actions taken or underway to address significant risks / concerns arising from the assessments at Question 9 above.

- Not Applicable

**नेतृत्व संकेतक**

1. मानवाधिकार संबंधी शिकायतों/ परिवेदनों के समाधान के परिणामस्वरूप संशोधित/ शुरु की जा रही व्यावसायिक प्रक्रिया का विवरण।

बैंक ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से बचाव की नीति और समान अवसर नीति गठित की है। बैंक ने सभी कर्मचारियों को उनके जीवन के सभी क्षेत्रों में मानवाधिकारों का पालन और संरक्षण करने के प्रति सुग्राही बनाया है।

2. यदि कोई मानवाधिकार ड्यू डेलीजेन्स किया गया हो तो उसकी व्याप्ति एवं उसके कार्य-क्षेत्र का विवरण।

बैंक अपने सभी कर्मचारियों के लिए समान अवसर देनेवाला सुरक्षित तथा कार्यानुकूल वातावरण बनाए रखने का प्रयास करता है। लिंग, राष्ट्रियता, धर्म, जाति, विकलांगता, भाषा, आदि पर आधारित भेदभावपरक मुद्दों की छानबीन की जाती है, विद्यमान नीतियों, विधि और विनियमन के प्रावधानों के अंतर्गत समुचित जांच भी कराई जाती है।

3. क्या दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की अपेक्षाओं के अनुरूप, संस्था का परिसर/कार्यालय दिव्यांग आगंतुकों के लिए सुलभ है?

**Leadership Indicators**

1. Details of a business process being modified / introduced as a result of addressing human rights grievances/complaints.

Bank has formulated the Policy on Prevention of Sexual Harassment at Workplace and Equal Opportunity Policy. Bank has also sensitized all employees for observing and protection of Human Rights in all the walks of their life.

2. Details of the scope and coverage of any Human rights due-diligence conducted.

The Bank endeavors to maintain a safe and conducive working environment providing equal opportunities for all employee of the Bank. Issues related to discrimination based on gender, nationality, religion, caste, disability, language, etc. are investigated with proper scrutiny as per the provisions of the existing polices, laws and regulations

3. Is the premise/office of the entity accessible to differently abled visitors, as per the requirements of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016?

अन्य प्रकार से सक्षम कर्मचारियों के लिए परिसर/कार्यालय प्रवेश सुलभ हैं, चूंकि बैंक के 80% से ज्यादा शाखाओं/कार्यालयों में रैम्प/एलिवेटर उपलब्ध कराए गए हैं, जो कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की अपेक्षाओं के अनुरूप है।

The premises/offices are accessible to differently abled employees as more than 80% of the branches/offices of the Bank are being provided with ramps/elevator as per the requirements of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016.

**4. मूल्य शृंखला साझेदारों के मूल्यांकन पर विवरण / Details on assessment of value chain partners:**

	मूल्य शृंखला साझेदारों का प्रतिशत (ऐसे साझेदारों के साथ किए गए व्यवसाय के मूल्य से) जिनका मूल्यांकन किया गया था <b>% of value chain partners (by value of business done with such partners) that were assessed</b>
यौन उत्पीड़न/Sexual Harassment	लागू नहीं है क्योंकि बैंक मूल्य शृंखला भागीदारों का मूल्यांकन नहीं करता है  Not Applicable as Bank does not conduct assessment of value chain partners
कार्यस्थल पर भेदभाव/Discrimination at workplace	
बालश्रम/Child Labour	
बाध्य श्रम/अनैच्छिक श्रम/Forced Labour/Involuntary Labour	
पारिश्रमिक/Wages	
अन्य - कृपया निर्दिष्ट करें/Other -please specify	

5. उपर्युक्त प्रश्न 4 के अवलोकनोपरांत उत्पन्न महत्वपूर्ण जोखिमों/ अंशों को दूर करने के लिए की गई या की जा रही सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण दें।

लागू नहीं

5. Provide details of any corrective actions taken or underway to address significant risks /concerns arising from the assessments at Question 4 above.

Not Applicable

**सिद्धांत 6 :व्यवसाय को पर्यावरण का सम्मान करते हुए इसकी रक्षा और पुनर्स्थापना हेतु प्रयास करना चाहिए।**

**Principle 6 :Businesses Should Respect and Make Efforts to Protect and Restore the Environment**

आवश्यक संकेतक

**Essential Indicators**

1. कुल ऊर्जा खपत (जूल या गुणकों में) और ऊर्जा की तीव्रता का विवरण: /

**Details of total energy consumption (in Joules or multiples) and energy intensity :**

मानदंड / Parameter	वित्तीय वर्ष/FY 2022-23	वित्तीय वर्ष/FY 2021-22
कुल बिजली खपत (ए)/Total electricity consumption (A)	42700000 जूल/Joules	42230000 जूल/Joules
कुल ईंधन खपत (बी)/Total fuel consumption (B)	999128 जूल/Joules	1046846 जूल/Joules
अन्य स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा की खपत (सी) Energy consumption through other sources (C)	शून्य/Nil	शून्य/Nil
कुल ऊर्जा खपत (ए+बी+सी) Total energy consumption (A+B+C)	43699128 जूल/Joules	43376806 जूल/Joules
टर्नओवर के प्रति रुपये ऊर्जा तीव्रता (कुल ऊर्जा खपत/रुपये में पण्यवर्त टर्नओवर)  Energy intensity per rupee of turnover (Total energy consumption/ turnover in rupees)	व्यवसाय की प्रकृति को देखते हुए, ऊर्जा की खपत/कारोबार नगण्य है।  Given the nature of business, energy consumption/turnover is negligible.	

इंगित करें कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? - नहीं

Indicate if any independent assessment/ evaluation/assurance has been carried out by an external agency? - No

2. क्या भारत सरकार की निष्पादन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) योजना के अंतर्गत नामित उपभोक्ताओं (डीसी) के रूप में पहचानी गई कोई साइट/सुविधाएं हैं? (हां/नहीं) यदि हां तो प्रकट करें कि क्या पीएटी योजना के तहत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया गया है। यदि लक्ष्य प्राप्त नहीं किए गए हैं, तो की गई सुधारात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो का विवरण दें।
- लागू नहीं
3. जल से संबंधित निम्नलिखित प्रकटन का विवरण दें।
- बैंक में जल का उपयोग मानवीय खपत के प्रयोजन तक ही सीमित है। यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए गए हैं कि कार्यालय परिसरों में पानी समुचित रूप से उपयोग किया जाए। बैंक सुनिश्चित करता है कि कार्यालय और शाखाओं का घरेलू कचरा(सीवेज) जलाशयों में न छोड़ दिया जाए।
4. क्या संस्था ने शून्य तरल प्रवाह हेतु कोई प्रणाली लागू की है? यदि हां, तो इसके समावेशन और कार्यान्वयन का विवरण दें।
- लागू नहीं
5. कृपया बैंक द्वारा वायु उत्सर्जन (जीएचजी उत्सर्जन के अलावा) का विवरण दें :
2. Does the entity have any sites / facilities identified as designated consumers (DCs) under the Performance, Achieve and Trade (PAT) Scheme of the Government of India? (Y/N) If yes, disclose whether targets set under the PAT scheme have been achieved. In case targets have not been achieved, provide the remedial action taken, if any.
- Not Applicable
3. Provide details of the following disclosures related to water.
- Bank's usage of water is restricted to human consumption purposes only. Efforts have been made to ensure that water is consumed judiciously in the office premises. Bank ensures that the domestic waste (sewage) from office and branches are not let into water bodies.
4. Has the entity implemented a mechanism for Zero Liquid Discharge? If yes, provide details of its coverage and implementation.
- Not Applicable
5. Please provide details of air emissions (other than GHG emissions) by the Bank:

मानदंड/Parameter	इकाई/Unit	2022-23	2021-22
एनओएक्स / NOx			
कणिकीय पदार्थ (पीएम) / Particulate matter (PM)			
स्थायी जैविक प्रदूषक (पीओपी) / Persistent organic pollutants (POP)			
वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (वीओसी) / Volatile organic compounds (VOC)			
खतरनाक वायु प्रदूषक (एचएपी) / Hazardous air pollutants (HAP)			
अन्य- कृपया निर्दिष्ट करें / Others - please specify			

इंगित करें कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? - नहीं

Indicate if any independent assessment/ evaluation/assurance has been carried out by an external agency? - No

6. ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन (स्कोप1 और स्कोप2 उत्सर्जन) और इसकी तीव्रता का विवरण दें। /

Provide details of greenhouse gas emissions (Scope 1 and Scope 2 emissions) & its intensity

मानदंड / Parameter	इकाई / Unit	2022-23	2021-22
कुल स्कोप 1 उत्सर्जन (GHG का CO <sub>2</sub> , CH <sub>4</sub> , N <sub>2</sub> O, HFCs, PFCs, SF <sub>6</sub> , NF <sub>3</sub> में विभाजन, यदि उपलब्ध हो) Total Scope 1 emissions (Break-up of the GHG into CO <sub>2</sub> , CH <sub>4</sub> , N <sub>2</sub> O, HFCs, PFCs, SF <sub>6</sub> , NF <sub>3</sub> , if available)	मीट्रिक टन CO <sub>2</sub> समतुल्य Metric tonnes of CO <sub>2</sub> equivalent		एक बैंकिंग संस्था होने के नाते किसी भी विनिर्माण या फैक्टरी संबंधी गतिविधियों में संलग्न न होने के चलते एफ्लुएंट गैसों का उत्सर्जन बहुत कम है। हालांकि बैंक ने अपने शीर्ष कार्यपालकों और पूर्णकालिक निदेशकों को वाहन प्रदान किए हैं जिनसे उत्सर्जन होता है। इसके निराकरण के लिए बैंक नियत अवधि पर बैंक वाहनों की सर्विसिंग कराता है ताकि उनका प्रदूषण न्यूनतम रहे।
कुल स्कोप 2 उत्सर्जन (GHG का CO <sub>2</sub> , CH <sub>4</sub> , N <sub>2</sub> O, HFCs, PFCs, SF <sub>6</sub> , NF <sub>3</sub> में विभाजन, यदि उपलब्ध हो) Total Scope 2 emissions (Break-up of the GHG into CO <sub>2</sub> , CH <sub>4</sub> , N <sub>2</sub> O, HFCs, PFCs, SF <sub>6</sub> , NF <sub>3</sub> , if available)	मीट्रिक टन CO <sub>2</sub> समतुल्य Metric tonnes of CO <sub>2</sub> equivalent		
टर्नओवर के प्रति रुपये पर कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन Total Scope 1 and Scope 2 emissions per rupee of turnover			Being a banking entity and not engaged in any manufacturing or factory related activities, the emission of effluent gases is significantly less. However, Bank has provided vehicles to the top executives and whole time Directors of the Bank which would be causing emissions. To mitigate this, Bank is carrying out periodic servicing of Bank's vehicle to minimize the pollution caused.

नोट: इंगित करें कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? - नहीं

Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/assurance has been carried out by an external agency? No

7. क्या संस्था के पास ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने से संबंधित कोई परियोजना है?

7. Does the entity have any project related to reducing Green House Gas emission?

● लागू नहीं

● Not Applicable

8. इकाई द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित विवरण दें: / Provide details related to waste management by the entity :

मानदंड / Parameter	वित्तीय वर्ष / FY 2022-23	वित्तीय वर्ष / FY 2021-22
<b>उत्पन्न अपशिष्ट/पुनर्नवीनीकरण (मीट्रिक टन में) Waste generated/Recycled (in metric tonnes)</b>		
प्लास्टिक अपशिष्ट (ए) Plastic waste (A)	प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए स्थानीय निकायों के साथ गठजोड़ करने के लिए कैप्टिव निपटान से लेकर विविध तरीके। Diverse methods from captive disposal to tie ups with local bodies for plastic waste management.	
ई-अपशिष्ट (बी)/E-waste (B)	व्यवसाय की प्रकृति के कारण, यह प्रत्यक्ष रूप से लागू नहीं होता है। Owing to the nature of the business, this is not directly applicable.	
जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (सी)/Bio-medical waste (C)		
निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट (डी) Construction and Demolition waste (D)		
बैटरी अपशिष्ट (ई)/Battery waste (E)		
रेडियोधर्मी अपशिष्ट (एफ)/Radioactive Waste (F)		
अन्य खतरनाक अपशिष्ट, यदि कोई हो Other Hazardous waste , if any		
अन्य गैर-खतरनाक अपशिष्ट, यदि कोई हो Other non-Hazardous waste , if any		
<b>कुल/Total</b>		

मानदंड / Parameter	वित्तीय वर्ष / FY 2022-23	वित्तीय वर्ष / FY 2021-22
<b>उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी के लिए, पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग या अन्य पुनर्प्राप्ति कार्यों (मीट्रिक टन में) के माध्यम से प्राप्त कुल अपशिष्ट</b> <b>For each category of waste generated, total waste recovered through recycling, re-using or other recovery operations (in metric tonnes)</b>		
<b>अपशिष्ट की श्रेणी/Category of Waste</b>	लागू नहीं / Not Applicable	
(i) पुनर्नवीनीकृत/Recycled		
(ii) पुनः उपभुक्त/Re-Used		
(iii) अन्य पुनर्प्राप्ति विकल्प/Other recovery options		
<b>कुल/Total</b>		
<b>उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी के लिए, निपटान विधि की प्रकृति द्वारा निपटाया गया कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)</b> <b>For each category of waste generated, total waste disposed by nature of disposal method (in metric tonnes)</b>		
<b>अपशिष्ट की श्रेणी/Category of Waste</b>	लागू नहीं / Not Applicable	
(i) भस्मीकरण/Incineration		
(ii) लैंडफिलिंग/Landfilling		
(iii) अन्य संचालित निपटान/Other disposal operations		
<b>कुल/Total</b>		

नोट: इंगित करें कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? - नहीं

Indicate if any independent assessment/ evaluation/assurance has been carried out by an external agency? No

- |   |  |
|---|--|
| <p>9. अपने संस्थान में अपनाई गई अपशिष्ट प्रबंधन कार्यप्रणाली का संक्षेप में वर्णन करें। आपके उत्पादों और प्रक्रियाओं में खतरनाक और जहरीले रसायनों के उपयोग को कम करने हेतु आपकी कंपनी द्वारा अपनाई गई रणनीति और ऐसे अपशिष्ट प्रबंधन हेतु अपनाई गई कार्यप्रणाली का वर्णन करें।</p> <p>कारोबार की प्रकृति को देखते हुए, प्रचालनों में कोई भी हानिकारक और विषाक्त रसायन उपयोग नहीं किए जाते हैं। कचरा प्रबंधन रीतियों के लिए सिद्धांत 2 देखें (आवश्यक संकेतक-बिंदु 3)।</p> <p>10. कृपया विनिर्दिष्ट करें, यदि इकाई के पास पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (जैसे राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभयारण्य, जैवमंडल निचय (हाट्सपॉट), आर्द्रभूमि, जैविक वैविध्य अतिक्षेत्र, वन, तटीय विनियमन क्षेत्र आदि) जहां पर्यावरणीय अनुमोदन/मंजूरी की आवश्यकता है, में / के आसपास संचालन/ कार्यालय हैं।</p> <p>लागू नहीं। बैंक के पास पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में/ के आसपास कोई सुविधाएँ नहीं हैं, लिहाज़ा किसी भी तरह के पर्यावरणीय अनुमोदन/अनुमतियों की जरूरत नहीं है।</p> <p>11. चालू वित्तीय वर्ष में प्रयोज्य विधियों के आधार पर इकाई द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव के आकलन का ब्यौरा।</p> <p>लागू नहीं</p> | <p>9. Briefly describe the waste management practices adopted in your establishments. Describe the strategy adopted by your company to reduce usage of hazardous and toxic chemicals in your products and processes and the practices adopted to manage such wastes.</p> <p>Given the nature of the business, no hazardous and toxic chemicals used in operations. For waste management practices, refer Principle 2 (Essential Indicator-Point 3)</p> <p>10. If the entity has operations/offices in/around ecologically sensitive areas (such as national parks, wildlife sanctuaries, biosphere reserves, wetlands, biodiversity hotspots, forests, coastal regulation zones etc.) where environmental approvals / clearances are required, please specify details.</p> <p>Not Applicable. The Bank does not have any facilities in / around ecologically sensitive areas and as such no special environmental approvals / clearances are required.</p> <p>11. Details of environmental impact assessments of projects undertaken by the entity based on applicable laws, in the current financial year.</p> <p>Not Applicable.</p> |
|---|--|

12. क्या संस्था भारत में लागू पर्यावरण कानून /नियमों /दिशानिर्देशों; जैसे जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और उसमें निहित नियमों का अनुपालन करती है; (हां/नहीं)। यदि नहीं, तो ऐसे सभी गैर-अनुपालन का विवरण दें।

व्यवसाय की प्रकृति को देखते हुए, बैंक पर प्रयोज्य सीमा तक, हमारा बैंक भारत में प्रयोज्य पर्यावरणीय कानून/विनियमन/दिशानिर्देशों का अनुपालन कर रहा है।

#### नेतृत्व संकेतक

1. निम्नलिखित प्रारूप में नवीकरणीय और गैर-नवीकरणीय स्रोतों से कुल ऊर्जा की खपत (जूल या गुणकों में) का विवरण दें। :

12. Is the entity compliant with the applicable environmental law/ regulations/ guidelines in India; such as the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, Air (Prevention and Control of Pollution) Act, Environment Protection Act and Rules thereunder (Y/N). If not, provide details of all such non-compliances.

Given the nature of business, Bank is in compliance with applicable environmental law/ regulations/ guidelines in India, to the extent applicable to the Bank.

#### Leadership Indicators

1. Provide break-up of the total energy consumed (in Joules or multiples) from renewable and non-renewable sources, in the following format:

	वित्तीय वर्ष/FY 2022-23	वित्तीय वर्ष/FY 2021-22
<b>नवीकरणीय स्रोतों से</b> <b>From renewable sources</b>		
कुल बिजली खपत (ए) Total electricity consumption (A)		
कुल ईंधन खपत (बी) Total fuel consumption (B)		शून्य / Nil
अन्य स्रोतों से ऊर्जा की खपत (सी) Energy consumption through other sources (C)		
नवीकरणीय स्रोतों से कुल ऊर्जा खपत (ए+बी+सी) Total energy consumed from renewable sources (A+B+C)		
<b>गैर-नवीकरणीय स्रोतों से</b> <b>From non-renewable sources</b>		
कुल बिजली खपत (डी) Total electricity consumption (D)	42700000 जूल/Joules	42230000 जूल/Joules
कुल ईंधन खपत (ई) Total fuel consumption (E)	999128 जूल/Joules	1046806 जूल/Joules
अन्य स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा की खपत (एफ) Energy consumption through other sources (F)	शून्य / Nil	शून्य / Nil
गैर-नवीकरणीय स्रोतों से खपत कुल ऊर्जा (डी+ई+एफ) Total energy consumed from non-renewable sources (D+E+F)	43699128 जूल/Joules	43376806 जूल/Joules

नोट: इंगित करें कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है?- नहीं

Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/assurance has been carried out by an external agency? No



2. स्त्रावित जल से संबंधित निम्नलिखित विवरण प्रदान करें: लागू नहीं /  
Provide the following details related to water discharged: Not Applicable

मानदंड / Parameter	वित्तीय वर्ष/FY 2022-23	वित्तीय वर्ष/FY 2021-22
निर्दिष्ट स्थान और निरूपण स्तर के अनुसार जल प्रवाह (किलोलीटर में) <b>Water discharge by destination and level of treatment (in kilolitres)</b>		
<b>i) सतही जल को / To Surface water</b> - कोई उपचार नहीं / No treatment - प्रबंधन के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें - with treatment-please specify level of treatment	लागू नहीं / Not Applicable	
<b>ii) भू जल को / To Groundwater</b> - कोई उपचार नहीं / No treatment - प्रबंधन के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें - with treatment-please specify level of treatment		
<b>iii) समुद्री जल को / To Seawater</b> - कोई उपचार नहीं / No treatment - प्रबंधन के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें - with treatment-please specify level of treatment		
<b>iv) तृतीय पक्ष को प्रेषित / Sent to third-parties</b> - कोई उपचार नहीं / No treatment - प्रबंधन के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें - with treatment-please specify level of treatment		
<b>v) अन्य / Others</b> - कोई उपचार नहीं / No treatment - प्रबंधन के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें - with treatment-please specify level of treatment		
विसर्जित कुल जल (किलोलीटर में) <b>Total water discharged (in kilolitres)</b>		

नोट: इंगित करें कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? - लागू नहीं

Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/assurance has been carried out by an external agency? NA

- |   |  |
|---|--|
| <p>3. जल की कमी वाले क्षेत्रों में पानी की निकासी, खपत और निर्वहन (किलोलीटर में): लागू नहीं।</p> <p>बैंकिंग संस्था होने के नाते जल की खपत कार्यालय के और व्यक्तिगत उपयोग तक सीमित है।</p>   | <p>3. Water withdrawal, consumption and discharge in areas of water stress (in kilolitres): Not applicable.</p> <p>Being a banking entity, water consumption is limited to office and personal usage only.</p>   |
| <p>4. कृपया स्कोप 3 से कुल उत्सर्जन और इसकी तीव्रता का विवरण दें</p> <p>लागू नहीं। बैंकिंग संस्था होने के नाते किसी भी विनिर्माण या फैक्टरी संबंधी गतिविधियों में संलग्न न होने के चलते एफ्लुएंट गैसों का उत्सर्जन न के बराबर है। हालांकि बैंक ने अपने शीर्ष कार्यपालकों और पूर्णकालिक निदेशकों को वाहन प्रदान किए हैं जिनसे उत्सर्जन होता है। इसके निराकरण के लिए बैंक नियत अवधि पर बैंक वाहनों की सर्विसिंग कराता है ताकि उनका प्रदूषण न्यूनतम रहे।</p> | <p>4. Please provide details of total Scope 3 emissions &amp; its intensity</p> <p>Not applicable. Being a banking entity and not engaged in any manufacturing or factory related activities, the emission of effluent gases is significantly less. However, Bank has provided vehicles to the top executives and whole time Directors of the Bank which would be causing emissions. To mitigate this, Bank is carrying out periodic servicing of Bank's vehicle to minimize the pollution caused.</p> |

5. उपर्युक्त आवश्यक संकेतकों के प्रश्न 10 में रिपोर्ट किए गए पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के संबंध में, रोकथाम और सुधारात्मक गतिविधियों के साथ-साथ ऐसे क्षेत्रों में जैवविविधता पर संस्था के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष महत्वपूर्ण प्रभाव का विवरण दें।
- लागू नहीं
6. यदि संस्था ने कोई विशिष्ट पहल की है या संसाधन दक्षता में सुधार हेतु नवीन प्रौद्योगिकी या समाधान का उपयोग किया है, या उत्सर्जन / बहिःस्त्राव निर्वहन / अपशिष्ट उत्पन्न होने के कारण प्रभाव को कम किया है तो कृपया इस तरह की पहल के परिणाम के साथ-साथ विवरण दें।
- लागू नहीं
7. क्या संस्था के पास व्यवसाय सातत्य और आपदा प्रबंधन योजना है? 100 शब्दों/वेबलिनक में विवरण दें।
- बैंक में निदेशक मंडल के द्वारा अनुमोदित कारोबार निरंतरता नीति(बीसीपी) है जो प्रमुखतः आपदाओं के समय सहायक होती है। बीसीपी में एक स्वीकार्य स्तर पर ऐसे मानक और प्रक्रियाएँ शामिल हैं जिनसे निरंतरता, पुनः आरंभ और महत्वपूर्ण कारोबार प्रक्रियाओं की बहाली सुनिश्चित की जा सके और जनता, प्रक्रियाओं और आधार-संरचना पर आपदा के प्रभाव को सीमित किया जा सके अथवा इस प्रकार की आपदा से उभरनेवाली परिचालनगत, वित्तीय, विधिक, प्रतिष्ठाजन्य एवं अन्य तत्त्वगत परिस्थितियों को न्यूनतम पर लाया जा सके।
- ऐसे अनेक खतरे और कमजोरियाँ हैं जिनका सामना बैंकिंग संस्थाओं को करना पड़ता है। प्राकृतिक आपदाएं, इरादतन आपदाएं, आईटी संबंधी आपदाएं, माननीय भूलों के कारण होनेवाली आपदाएं हो सकती हैं जिनकी वजह से कारोबार को नुकसान होता है।
- आईटी प्रणालियों के लिए आपदा बचाव योजना(डीआरपी) बीसीपी का एक अविभाज्य हिस्सा होगी, जिसमें आईटी परिवेश में आपदा घटित होने की सूरत में जनता, प्रक्रियाओं और आधार-संरचना का कार्यनीतिगत एवं परिचालनगत ढांचा सम्मिलित किया जाएगा।
8. संस्था की मूल्य शृंखला से जनित पर्यावरण पर पड़ने वाले किसी भी महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव को स्पष्ट करें। इस संबंध में संस्था द्वारा क्या शमन या अनुकूलन उपाय किए गए हैं।
- लागू नहीं
9. मूल्य शृंखला साझेदारों का प्रतिशत (ऐसे साझेदारों के साथ किए गए व्यवसाय के मूल्य द्वारा) जिनका मूल्यांकन पर्यावरणीय प्रभावों के लिए किया गया था।
- लागू नहीं
5. With respect to the ecologically sensitive areas reported at Question 10 of Essential Indicators above, provide details of significant direct & indirect impact of the entity on biodiversity in such areas along-with prevention and remediation activities.
- Not applicable
6. If the entity has undertaken any specific initiatives or used innovative technology or solutions to improve resource efficiency, or reduce impact due to emissions / effluent discharge / waste generated, please provide details of the same as well as outcome of such initiatives.
- Not applicable
7. Does the entity have a business continuity and disaster management plan? Give details in 100 words/ web link
- Bank has a Board approved Business Continuity Policy (BCP) which primarily serves as insurance against disasters. BCP includes standards and procedures to ensure continuity, resumption and recovery of critical business processes, at an agreed level and limit the impact of the disaster on people, processes and infrastructure or to minimize the operational, financial, legal, reputational and other material consequences arising from such a disaster.
- There are various threats and vulnerabilities to which banking entities are exposed. There could be natural disasters, intentional disasters, IT related disasters, disaster due to human errors resulting in disruption of business.
- The Disaster Recovery Plan (DRP) for IT Systems shall be an integral part of the BCP, covering the strategic and operational framework of the people, processes and infrastructure in the event of disasters in IT environment.
8. Disclose any significant adverse impact to the environment, arising from the value chain of the entity. What mitigation or adaptation measures have been taken by the entity in this regard.
- Not applicable
9. Percentage of value chain partners (by value of business done with such partners) that were assessed for environmental impacts.
- Not applicable

सिद्धांत 7 : सार्वजनिक और विनियामक नीति को प्रभावित करनेवाले व्यवसाय उत्तरदायित्वपूर्ण और पारदर्शी तरीके से किए जाने चाहिए।

**Principle 7 : Businesses, When Engaging in Influencing Public and Regulatory Policy, Should do so in a Manner that is Responsible and Transparent**

**आवश्यक संकेतक**

**Essential Indicators**

1. (ए) सम्बद्ध व्यापार और उद्योग मंडलों/संघों की संख्या - सात
- (बी) शीर्ष व्यापार और उद्योग मंडलों / संघों (ऐसे निकाय के कुल सदस्यों के आधार पर निर्धारित) की सूची बनाएं जो संस्था के सदस्य हैं / या संस्था से संबद्ध हैं।

1. a. Number of affiliations with trade and industry chambers/ associations - Seven
- b. List the top trade and industry chambers/ associations (determined based on the total members of such body) the entity is a member of/ affiliated to.

क्र.सं. S.No.	व्यापार और उद्योग मंडलों / संघों के नाम Name of the trade and industry chambers/ associations	व्यापार और उद्योग कार्यालयों /संघों का फैलाव (राज्य/राष्ट्रीय) Reach of trade and industry chambers/ associations (State/National)
1	भारतीय बैंक संघ (आईबीए) Indian Banks Association (IBA)	राष्ट्रीय National
2	भारतीय विदेशी मुद्रा विनिमय व्यापारी संघ (एफईडीएआई) Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI)	राष्ट्रीय National
3	फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन (एफआइएमएमडीए) Fixed Income Money Market and Derivatives Association (FIMMDA)	राष्ट्रीय National
4	भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआईएल) Clearing Corporation of India Ltd. (CCIL)	राष्ट्रीय National
5	भारतीय बैंकिंग और वित्त संस्थान (आईआईबीएफ) Indian Institute of Banking and Finance (IIBF)	राष्ट्रीय National
6	भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) National Payment Corporation of India (NPCI)	राष्ट्रीय National
7	वित्तीय बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड Financial Benchmarks India Pvt Ltd	राष्ट्रीय National

सी. नियामक प्राधिकरणों के प्रतिकूल आदेशों के आधार पर, संस्था द्वारा प्रतिस्पर्धा-विरोधी आचरण से संबंधित किसी भी मुद्दे पर की गई या की जा रही सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण दें।

c. Provide details of corrective action taken or underway on any issues related to anticompetitive conduct by the entity, based on adverse orders from regulatory authorities.

लागू नहीं

Not Applicable

**नेतृत्व संकेतक**

**Leadership Indicators**

1. संस्था द्वारा समर्थित सार्वजनिक नीति की स्थितियों का विवरण:  
बैंक नीति की वकालत नहीं करता है, परंतु सरकार और बैंकिंग उद्योग के अन्य निकायों के साथ परामर्श/विचार-विमर्श में सक्रिय रूप से भाग लेता है।

1. Details of public policy positions advocated by the entity:  
The Bank does not engage in policy advocacy, but is actively involved in consultation/ discussion forums with the Government and other bodies in the banking industry.

**सिद्धांत 8 : व्यवसायों को समावेशी विकास और निष्पक्ष उत्थान को बढ़ावा देना चाहिए**

**आवश्यक संकेतक**

1. चालू वित्तीय वर्ष हेतु प्रयोज्य विधियों के आधार पर इकाई द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के सामाजिक प्रभाव के आकलन (एसआईए) का विवरण।

परियोजना का नाम और संक्षिप्त विवरण	एसआईए अधिसूचना संख्या	अधिसूचना की तिथि	क्या स्वतंत्र बाहरी एजेंसी द्वारा संचालित किया जाता है (हां/ नहीं)	परिणाम सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है (हां/नहीं)	संबंधित वेब लिंक
Name and brief details of project	SIA Notification No.	Date of notification	Whether conducted by independent external agency (Yes / No)	Results communicated in public domain (Yes / No)	Relevant Web link
लागू नहीं / Not Applicable					

वित्तीय सेवाप्रदाता होने के नाते, बैंक वित्तीय रूप से वंचित नागरिकों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के दायरे में शामिल करने में योगदान देता रहा है और बचत की आदत डाल रहा है। कुल 124.25 लाख बचत बैंक खाते "प्रधानमंत्री जन धन योजना(पीएमजेडीवाई)" के अंतर्गत खोले गए हैं जिनमें रु. 5685.23 करोड़ की जमा राशि जुटाई गई है और इन बचत खातों में औसत शेष रु. 4575.63 का रहा है।

बैंक देश की बैंक रहित जनता को सूक्ष्म ऋण सुविधा प्रदान कर रही है। इसके लिए 3.71 लाख प्रधानमंत्री जनधन योजना के खातेदारों हेतु ओवरड्राफ्ट सुविधा का सफल कार्यान्वयन किया गया है जिसमें समग्र स्वीकृत राशि रु. 74.95 करोड़ की रही है।

भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुपालन में बैंक सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ उपलब्ध कराता रहा है, जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना(पीएमजेबीआई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीआई), अटल पेन्शन योजना(एपीवाई), ये योजनाएँ सेवारहित जनता को और असंगठित क्षेत्र के कामगारों को दी जाती हैं। ये योजनाएँ बैंक शाखाओं और कारोबार सहायकों(बीसी) के नेटवर्क के जरिए कार्यान्वित की जाती हैं। पीएमजेबीआई योजना के अंतर्गत 18.57 लाख अंशदाता और पीएमएसबीआई योजना के तहत 39.50 लाख अंशदाता बीमारक्षित किए गए हैं। एपीवाई के अंतर्गत कुल 8.10 लाख लाभार्थियों का नामांकन किया गया है। पीएमजेबीआई योजना के अंतर्गत 9967 दावों का तथा पीएमएसबीआई के अंतर्गत 1645 दावों का निपटान किया गया है।

बैंक के पास 6916 सक्रिय कारोबार सहायकों(बीसी) का सशक्त बीसी कार्य बल है जो नागरिकों को उनके ऐसे सेवा क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करता है जो बैंक शाखाओं के सेवा क्षेत्र के बाहर हैं।

2. उन परियोजनाओं के बारे में जानकारी दें जिनके लिए आपकी संस्था द्वारा पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आर एंड आर) चलाये जा रहे हैं।

लागू नहीं

3. समुदाय से शिकायतें प्राप्त करने और उनका निवारण करने संबंधी प्रक्रियाओं का वर्णन करें।

लागू नहीं

4. आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त निवेशित सामग्री का प्रतिशत (मूल्य के आधार पर कुल इनपुट के लिए इनपुट)।

लागू नहीं

**Principle 8 Businesses Should Promote Inclusive Growth and Equitable Development**

**Essential Indicators**

1. Details of Social Impact Assessments (SIA) of projects undertaken by the entity based on applicable laws, in the current financial year.

Being a financial service provider, Bank has been contributing in bringing the financially deprived citizens into the ambit of formal banking system and inculcating the saving habit. A total of 124.25 lakhs saving bank accounts opened under "Pradhan Mantri Jan DhanYojana (PMJDY)" and mobilized deposits of Rs. 5685.23 crore with average balance of Rs. 4575.63 in these savings accounts.

Bank is providing micro credit facility to unbanked people of the country through successful implementation of Over Draft Facility to 3.71 lakhs PMJDY account holders involving aggregate sanctioned amount of Rs. 74.95 crore.

Following the guidelines of Government of India, Bank has been providing social security schemes viz. Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojna (PMJJBY), Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojna (PMJBY), Atal Pension Yojna (APY) to unbanked masses and those working in unorganisedsector . These schemes are implemented through the bank branches and Business Correspondent (BC) network. Under PMJJBY Scheme, 18.57 lakh subscribers are insured and under PMSBY scheme 39.50 lakh subscribers are insured. A total of 8.10 lakh beneficiaries are enrolled under APY. A total of 9967 claims are settled under PMJJBY scheme and 1645 claims are settled under PMSBY.

Bank has a strong BC work force of 6916 active BCs to provide various banking services to citizens in their service areas which are uncovered by bank branches.

2. Provide information on project(s) for which ongoing Rehabilitation and Resettlement (R&R) is being undertaken by your entity.

Not applicable

3. Describe the mechanisms to receive and redress grievances of the community.

Not Applicable

4. Percentage of input material (inputs to total inputs by value) sourced from suppliers

Not applicable

## नेतृत्व संकेतक

1. सामाजिक प्रभाव आकलन में चिन्हित किसी भी नकारात्मक सामाजिक प्रभावों को कम करने के लिए की गई कार्रवाइयों का विवरण दें। (संदर्भ: उपर्युक्त आवश्यक संकेतकों का प्रश्न1) - लागू नहीं
2. सरकारी निकायों द्वारा चिन्हित नामित आकांक्षी जिलों में अपनी संस्था द्वारा शुरू की गई सीएसआर परियोजनाओं के बारे में निम्नलिखित जानकारी दें।

## Leadership Indicators

1. Provide details of actions taken to mitigate any negative social impacts identified in the Social Impact Assessments (Reference: Question 1 of Essential Indicators above)- Not applicable
2. Provide the following information on CSR projects undertaken by your entity in designated aspirational districts as identified by Government bodies

क्र.सं. S. No.	राज्य State	आकांक्षी जिला Aspirational District	व्यय की गई राशि(₹) Amount Spent (Rs.)
शून्य / Nil			

3. (ए) क्या आपके पास कोई अधिमान्य खरीद नीति है जहां आप सीमांत/ सुभेद्य समूहों वाले आपूर्तिकर्ताओं से खरीद को प्राथमिकता देते हैं?  
  - व्यवसाय की प्रकृति के कारण लागू नहीं होता है।
 (बी) आप किन सीमांत/ सुभेद्य समूहों से खरीदारी करते हैं?  
  - व्यवसाय की प्रकृति के कारण लागू नहीं होता है।
 (सी) यह कुल खरीद (मूल्य से) का कितना प्रतिशत है?  
  - लागू नहीं
3. (a) Do you have a preferential procurement policy where you give preference to purchase from suppliers comprising marginalized /vulnerable groups?  
  - Not applicable owing to the nature of business.
 (b) From which marginalized /vulnerable groups do you procure?  
  - Not applicable owing to the nature of business.
 (c) What percentage of total procurement (by value) does it constitute?  
  - Not Applicable
4. पारंपरिक ज्ञान के आधार पर आपकी संस्था (चातु वित्तीय वर्ष में) के स्वामित्व या अधिग्रहित प्रज्ञात्मक सम्पत्तियों से प्राप्त और साझा किए गए लाभों का विवरण।  
  - लागू नहीं
4. Details of the benefits derived and shared from the intellectual properties owned or acquired by your entity (in the current financial year), based on traditional knowledge.  
  - Not applicable
5. प्रज्ञात्मक सम्पत्तियों से संबंधित विवादों में किसी भी प्रतिकूल आदेश के आधार पर की गई या चल रही सुधारात्मक कार्रवाइयों का विवरण जिसमें पारंपरिक ज्ञान का उपयोग शामिल है।  
  - लागू नहीं
5. Details of corrective actions taken or underway, based on any adverse order in intellectual property related disputes wherein usage of traditional knowledge is involved.  
  - Not applicable
6. सीएसआर परियोजनाओं के लाभार्थियों का विवरण:
6. Details of Beneficiaries of CSR Projects :

क्र.सं. S.No.	सीएसआर परियोजना CSR Project	सीएसआर परियोजना से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या No. of persons benefitted from CSR Project	सुभेद्य वर्ग और सीमांत समूह के लाभार्थियों का प्रतिशत % of beneficiaries from vulnerable and marginalized groups
1.	रायरंगपुर, मयूरभंज जिला, ओडिशा में श्री अरविंदो स्कूल का नवीनीकरण/पुनर्निर्माण कार्य  Renovation/reconstruction work of Shri Aurobindo School at Rairangpur, Mayurbhanj District, Odisha	वर्तमान में 200 व्यक्ति लाभान्वित हो रहे हैं।  Currently 200 persons are benefitted.	100%

## बैंक द्वारा की जानेवाली अन्य सीएसआर गतिविधियों का विवरण:

- बैंक ने देशभर में फैले 27 ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों(आरसेटी) पर वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान रु.10.90 करोड़ खर्च किए हैं ताकि ग्रामीण युवा को प्रशिक्षण और दक्षता अद्यतन के जरिए उद्यमिता विकास हेतु तैयार किया जा सके।
- बैंक में स्वयं द्वारा आयोजित वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों पर रु.25 लाख का खर्च किया है।
- बैंक ने सातवीं सब-जूनियर, जूनियर एवं सीनियर बॉक्सिया राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022-23 तथा नॉटविल 2023 ग्रैन्ड प्रिक्स- पैराएथलेटिक्स 2023 के लिए भारत की पैरालिंपिक समिति को रु.5 लाख की राशि प्रायोजन स्वरूप प्रदान की है।
- बैंक ने गंगाधर मेहर यूनिवर्सिटी, संबलपुर, ओडिशा के दिव्यांग विद्यार्थियों को रु. 6.05 लाख का बैटरी परिचालित वाहन दान किया है।
- बैंक ने इदुक्की जिला, केरल की पेरुवथनम एवं वथिककुडी ग्राम पंचायत को सांसद आदर्श ग्राम योजना(एसएजीवाई) मॉडल आंगनवाड़ी परियोजना में रु. 3 लाख का योगदान किया है।

**सिद्धांत9 :व्यवसाय को एक जिम्मेदार तरीके से अपने उपभोक्ताओं के साथ जुड़ना चाहिए और उन्हें अहमियत देनी चाहिए।**

### आवश्यक संकेतक

1. उपभोक्ता से शिकायतें और प्रतिक्रिया प्राप्त करने और प्रत्युत्तर देने हेतु स्थापित प्रक्रियाओं का वर्णन करें।

बैंक के पास विभिन्न हितधारकों की शिकायतों को प्राप्त करने और उनका समाधान करने और उनकी शिकायतों के समाधान पर ग्राहकों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए विभिन्न तंत्र हैं।

बैंक ने निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित शिकायत निस्तारण नीति लागू की है ताकि ग्राहक शिकायतों का जल्द और प्रभावी प्रकार से निस्तारण सुनिश्चित किया जा सके। इस नीति के अंतर्गत कोई ग्राहक किसी शाखा, अंचल कार्यालय अथवा प्रधान कार्यालय को लिखित शिकायत दर्ज कर सकता है और उसकी पावती पा सकता है। शिकायतें बैंक के कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर 18001030123(चौबीसों घंटे उपलब्ध यूको संपर्क), ई-मेल [hopgr.calcutta@ucobank.co.in](mailto:hopgr.calcutta@ucobank.co.in) पर, ऑनलाइन शिकायत निस्तारण प्रणाली(ओजीआरएस) पर भी दर्ज की जा सकती है, जो कि बैंक की वेबसाइट पर मौजूद एक वेब लिंक है, जिससे ग्राहक को शिकायत की अद्यतन स्थिति ज्ञात करने हेतु शिकायत संदर्भ संख्या प्रदान की जाती है।

शाखाओं, अंचलों, प्रधान कार्यालय को सीधे प्राप्त शिकायतों, और केंद्रीय/राज्य सरकारों, मंत्रालयों, सरकारी विभागों, भारतीय रिजर्व बैंक, संसद सदस्यों और विधान परिषद सदस्यों, आईबीए, एसएसएन आदि से प्राप्त शिकायतों, चाहे भौतिक रूप में हों या ई-मेल के जरिए हों, को ऑनलाइन शिकायत निस्तारण प्रणाली(ओजीआरएस) में दर्ज किया जा रहा है ताकि बेहतर नियंत्रण हो सके।

यदि ग्राहक अपनी शिकायत पर की गई कार्रवाई से संतुष्ट न हो, तो वह महाप्रबंधक, परिचालन एवं सेवा विभाग, प्रधान कार्यालय से निम्नलिखित संपर्क विवरण पर संपर्क कर सकता/सकती है: टेलीफोन; 033-4455-7977 / 8424 और ई-मेल: [hosp.cscell@ucobank.co.in](mailto:hosp.cscell@ucobank.co.in)

बैंक में यूको एम-बैंकिंग प्लस ऐप, ई-बैंकिंग और चैटबॉट सहित विभिन्न डिजिटल चैनलों के साथ एकीकृत ग्राहक प्रतिक्रिया प्रबंधन प्रणाली है। हमारे ग्राहकों को एसएमएस/ई-मेल भेजते समय, जिन्होंने कोई वित्तीय लेनदेन किया है और जिन्होंने बैंक से कोई सेवा प्राप्त की

## Details of other CSR Activity undertaken by the Bank :

- Bank has spented Rs. 10.90 crore during FY 2022-23 on 27 Rural Self Employment Training Institutes (RESTIs) spread across the country to impart training and skill upgradation of rural youths geared towards entrepreneurship development.
- Bank has spented Rs.25 lakh on Financial Literacy programme conducted by the Bank.
- Bank has provided sponsorship of Rs.5 lakhs to Paralympic Committee of India for 7th Sub-Junior, Junior & Senior Boccia National Championship 2022-23 and Nottwil 2023 Grand Prix - ParaAthletics 2023.
- Bank has donated battery operated vehicle of Rs.6.05 lakhs to PWD students of GangadharMeherUniversity, Sambalpur, Odisha.
- Bank has contributed Rs.3 lakh in Project SaansadAdarsh Gram Yojana (SAGY) model Anganwadi in Peruvanthanam and Vathikkudy Gram Panchayat in Idukki district, Kerala

**Principle 9 :Businesses should engage with and provide value to their consumers in a responsible manner**

### Essential Indicators

1. Describe the mechanisms in place to receive and respond to consumer complaints andfeedback.

Bank has various mechanisms in place to receive and address the grievances of various stakeholders and seeking feedback from customer on their complaints resolution.

To ensure customer grievances are redressed promptly and effectively, the Bank has put in place a board approved Grievance Redressal policy. Under this Policy, a customer can lodge a complaint in writing to a branch, Zonal Office or Head Office and can obtain an acknowledgement. Complaints can also be lodged at bank's Call centre on toll free number 18001030123 (UCO Sampark accessible 24/7 basis), email at [hopgr.calcutta@ucobank.co.in](mailto:hopgr.calcutta@ucobank.co.in) , Online Grievances Redressal System (OGRS)- a web link placed on Bank's Website which provides the customer with Complaint Reference Number for tracking status of Complaint.

All Complaints received directly by Branches, Zones, Head Office and those received from Central/State Governments, Ministries, Government Departments, Reserve Bank of India, Members of Parliament and Legislative Councils, IBA, SSM, etc. either in physical form or by e-mails are being entered in Online Grievance Redressal System (OGRS) for better control.

In case the customer is not satisfied with the handling of his complaint, he/she can contact the General Manager, Operations & Services Department, Head Office at the following contact details: Telephone; 033-4455-7977 / 8424 & Email: [hosp.cscell@ucobank.co.in](mailto:hosp.cscell@ucobank.co.in)

Bank is having Customer Feedback Handling System integrated with various Digital Channels including UCO M-Banking Plus App, E-Banking and Chatbot. While sending SMS/ E-mails to our customers who have done any financial

है, जैसे सावधि जमा खाता खोलना, क्रेडिट सुविधा, लॉकर सुविधा, एटीएम लेनदेन आदि प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए एसएमएस/ई-मेल के माध्यम से लिंक प्रदान किया जा रहा है।

बैंक के पास प्रधान कार्यालय स्तर पर शेयरधारक के प्रश्नों/शिकायतों के निवारण के लिए अलग प्रकोष्ठ है। शेयरधारकों के प्रश्नों/शिकायत के लिए विशिष्ट ई-मेल आईडी hosgr.calcutta@ucobank.co.in है।

- उन सभी उत्पादों/सेवाओं का पण्यवर्त जिनके बारे में जानकारी है, से उत्पादों/सेवाओं के पण्यवर्त का प्रतिशत :पुनर्चक्रण और/या सुरक्षित निपटान

transaction and who have availed any Service from the Bank, viz. Fixed Deposit Account Opening, Credit facility. Locker facility, ATM Transactions, etc. link is being provided via SMS/ Email to provide feedback.

Bank has separate cell for redressing the grievances of the shareholder queries/complaints at Head Office level. An exclusive email id for shareholders queries/complaint is hosgr.calcutta@ucobank.co.in

- Turnover of products and/ services as a percentage of turnover from all products/servicethat carry information about:

	कुल टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में As a percentage to total turnover
उत्पाद के लिए प्रासंगिक पर्यावरणीय और सामाजिक मानदंड Environmental and social parameters relevant to the product	लागू नहीं / Not Applicable
सुरक्षित और उत्तरदायी उपयोग Safe and responsible usage	
पुनर्चक्रण और/या सुरक्षित निपटान Recycling and/or safe disposal	

### 3. निम्नलिखित के संबंध में उपभोक्ता शिकायतों की संख्या: / Number of consumer complaints in respect of the following:

	वित्तीय वर्ष/FY 2022-23			वित्तीय वर्ष/FY 2021-22		
	वर्ष भर में दर्ज Filed during the year	वर्ष के अंत में निपटान के लिए लंबित Pending resolution at the end of the year	टिप्पणियाँ Remarks	वर्ष भर में दर्ज Filed during the year	वर्ष के अंत में निपटान के लिए लंबित Pending resolution at the end of the year	टिप्पणियाँ Remarks
डाटा गोपनीयता Data Privacy	-	-	-	-	-	-
विज्ञापन Advertising	-	-	-	-	-	-
साइबर सुरक्षा Cyber-Security	-	-	-	-	-	-
आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति Delivery of essential services	-	-	-	-	-	-
प्रतिबंधात्मक व्यापार कार्यप्रणाली Restrictive trade practices	-	-	-	-	-	-
अनुचित व्यापार कार्यप्रणाली Unfair trade practices	-	-	-	-	-	-
अन्य Other (एटीएम/ई-बैंकिंग/अतिरिक्त प्रभार लगाना/खाता खोलने संबंधी आदि) (ATM/e-banking /levy of excess charges/Account opening related etc.)	34146	1432	-	16220	30	-

**4. सुरक्षा मुद्दों के कारण उत्पाद प्रत्याहार के उदाहरणों का विवरण /  
Details of instances of product recalls on account of safety issues:**

	संख्या/Number	प्रत्याहार के कारण/Reason for recall
स्वैच्छिक प्रत्याहार/Voluntary recalls		
बाध्य प्रत्याहार/Forced recalls		लागू नहीं/Not applicable

5. क्या संस्था के पास साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता से संबंधित जोखिमों के संबंध में कोई रूपरेखा/नीति है? (हां/नहीं) यदि उपलब्ध हो, तो नीति का वेब-लिंक दें।
5. Does the entity have a framework/ policy on cyber security and risks related to data privacy? (Yes/No) If available, provide a web-link of the policy.
- जी हाँ, निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित साइबर सुरक्षा नीति और डाटा सुरक्षा एवं गोपनीयता नीति लागू की गई है ताकि बैंक की सूचना आस्तियों को साइबर खतरों से, चाहे वे बाहरी हों या आंतरिक, इरादतन अथवा अप्रत्याशित रूप से, संरक्षित किया जा सके, साथ ही ग्राहकों की सूचना को सुरक्षित रखा जा सके। चूंकि ये नीतियाँ आंतरिक परिचालन के लिए हैं, इन्हें सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं कराया जा सकता।
  - Yes. Board approved Cyber Security Policy and Data Security & Privacy Policy is in place to protect Bank's information assets from cyber threats, whether internal or external, deliberate or accidental and keeping of customers' information secure. Since these policies are for internal circulation, the same cannot be made available in public domain.
6. विज्ञापन और आवश्यक सेवाओं की सुपुर्दगी; साइबर सुरक्षा और ग्राहकों की डेटा गोपनीयता; उत्पाद प्रत्याहार के उदाहरणों की पुनरावृत्ति; उत्पादों/सेवाओं की सुरक्षा पर नियामक प्राधिकरणों द्वारा दंड/कार्रवाई संबंधी मुद्दों पर की गई या जारी किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण दें।
6. Provide details of any corrective actions taken or underway on issues relating to advertising and delivery of essential services; cyber security and data privacy of customers; re-occurrence of instances of product recalls; penalty/action taken by regulatory authorities on safety of products/services.
- साइबर सुरक्षा के लिहाज से बैंक जागरूकता पहल और अभियानों के रूप में विभिन्न बचावपरक उपाय करता है ताकि उभरते हुए साइबर खतरों और बचावपरक कदमों पर ग्राहकों की जागरूकता बढ़ाई जा सके। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसे हमारे बैंक के कार्यालयीन सोशल मीडिया पृष्ठों के जरिए ग्राफिक नमूनापरक परामर्शी सूचनाएँ डिजिटल माध्यम से प्रचारित की जाती हैं। नियत अवधि पर ग्राहकों को सुचेतक अधिसूचनाएँ और ग्राहक-अनुकूल ईमेल भी भेजे जाते हैं। इसके अलावा, शाखा/ एटीएम परिसरों में परामर्शी सूचनाएँ प्रदर्शित की जाती हैं तथा इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के पृष्ठों पर भी अपलोड की जाती है ताकि हमारे ग्राहकों के हितों का सम्यक रूप से रक्षण हो सके। परामर्शी सूचनाएँ एवं सर्वश्रेष्ठ रीतियाँ 'साइबर सुरक्षा जागरूकता कॉर्नर' के अंतर्गत बैंक की वेबसाइट पर भी अपलोड की जाती है ताकि सामान्य जनता की साइबर जागरूकता की समझ बढ़ाई जा सके।
  - With regard to cyber security, Bank undertakes various preventive measures in the form of awareness initiatives and campaigns to enhance customer awareness on emerging cyber threats and preventive steps. Graphic illustrative advisories are disseminated digitally through Official Social Media Pages of our Bank like Facebook, Twitter and Instagram. Push notification messages and customized Emails are also sent to customers on periodic basis. In addition to it, advisories are displayed at Branch / ATM premises and are also uploaded in Internet Banking & Mobile Banking pages to safeguard the interest of our Customers. Advisories & Best practices are also being uploaded in Bank's Website under 'Cyber Security Awareness Corner' to enhance cyber awareness quotient of general public.

**नेतृत्व संकेतक**

1. चैनल/प्लेटफॉर्म जहां संस्था के उत्पादों और सेवाओं से संबंधित जानकारी प्राप्त की जा सकती है (यदि उपलब्ध हो तो वेब लिंक दें।)
- उत्पादों/सेवाओं के बारे में जानकारी बैंक की वेबसाइट ([www.ucobank.com](http://www.ucobank.com)) के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।
2. उपभोक्ताओं को उत्पादों और/या सेवाओं के सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग के बारे में सूचित और शिक्षित करने के लिए उठाए गए कदम।

बैंक साइबर संबंधी उत्पादों, और उनके सुरक्षित होने को लेकर अपने ग्राहकों को एसएमएस, ईमेल द्वारा और सोशल मीडिया पर भी नियमित रूप से शिक्षाप्रद संदेश भेजता रहता है। ग्राहक को शिक्षित करने के लिए बैंक प्रत्येक माह में बैंक साइबर जागरूकता दिवस भी आयोजित करता है।

**Leadership Indicators**

1. Channels / platforms where information on products and services of the entity can be accessed (provide web link, if available).
- Information about products/services offered can be accessed through Bank's Website ([www.ucobank.com](http://www.ucobank.com))
2. Steps taken to inform and educate consumers about safe and responsible usage of products and/or services.

Bank is regularly sending educative messages to the customers on Cyber Related Products and their safety and security through SMS, E-Mail as well as in Social Media. Bank is also organizing Cyber Awareness Day in every month to educate customer.



3. आवश्यक सेवाओं के व्यवधान/बंद होने के किसी भी जोखिम के बारे में उपभोक्ताओं को सूचित करने के लिए तंत्र मौजूद हैं।
- बैंक अनिवार्य सेवाओं में विघ्न/रुकावट की स्थिति टालने के लिए डीसी और डीआर साइट की व्यवस्था बनाए रखता है। किसी पूर्व-नियत रखरखाव गतिविधि के दौरान बैंक सीधे अपने ग्राहकों को सुचेतक सूचना भेजता है तथा अनिवार्य सेवाओं में विघ्न/रुकावट की स्थिति में वेबसाइट पर स्क्रोलिंग संदेश भी प्रदर्शित करता है। ऐसी सूचना विभिन्न सोशल मीडिया चैनलों के जरिए भी दी जाती है।
- एटीएम मशीन में नकदी की उपलब्धता न होने पर, एटीएम की स्क्रीन पर संदेश प्रदर्शित होता है कि केवल गैर-वित्तीय लेनदेन (जैसे शेष जांच, संक्षिप्त विवरणी, पिन बदलाव आदि) ही किए जा सकते हैं।
4. क्या संस्था स्थानीय कानूनों के अनुसार उत्पाद पर उत्पाद संबंधी जानकारी अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करती है? (हां/नहीं/लागू नहीं) यदि हां, तो संक्षेप में विवरण दें।
- लागू नहीं। फिर भी, नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार विभिन्न डिजिटल चैनलों पर और सोशल मीडिया माध्यमों पर भी पंजीकरण, लॉग-इन के दौरान बैंक नियमित रूप से संबंधित उत्पाद पर उत्पाद सूचना प्रदर्शित करता है ताकि विभिन्न उत्पादों का प्रचार-प्रसार किया जा सके।
- क्या आपकी संस्था ने संस्थागत प्रमुख उत्पादों/सेवाओं, इकाई या संपूर्ण इकाई के संचालन के महत्वपूर्ण स्थानों से संबंधित उपभोक्ता संतुष्टि के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया? (हां/नहीं)
- हाँ, प्रतिक्रिया प्रणाली को ग्राहकों तक विस्तारित किया गया है जिसमें ग्राहक बैंक के उत्पादों और सेवाओं पर अपनी संतुष्टि के स्तर को व्यक्त करने के लिए अपने विचार साझा कर सकते हैं।
5. डेटा उल्लंघनों से संबंधित निम्नलिखित जानकारी दें :
- ए. प्रभाव सहित डेटा उल्लंघनों की संख्या - शून्य
- बी. ग्राहकों की व्यक्तिगत रूप से पहचान योग्य जानकारी से जुड़े डेटा उल्लंघनों का प्रतिशत - लागू नहीं
3. Mechanisms in place to inform consumers of any risk of disruption/discontinuation of essential services.
- Bank is maintaining setup of DC and DR site to avoid any disruption/discontinuation of essential services. During any scheduled maintenance activity, Bank is sending messages, push notification directly to consumers and displays scrolling message on website for disruption/discontinuation of essential services. The same is also informed through various Social Media Channels.
- In case of non-availability of Cash in ATM machine, a message is displayed on ATM screen informing, only non-financial transactions (like Balance check, Mini statement, PIN change, etc.) could be performed
4. Does the entity display product information on the product over and above what is mandated as per local laws? (Yes/No/Not Applicable) If yes, provide details in brief.
- Not Applicable. However, as per the regulatory guidelines, Bank is displaying the product information on the product during registration, log in on various digital channels and also on Social Media Handles on regular basis towards promotion of different products.
- Did your entity carry out any survey with regard to consumer satisfaction relating to the major products / services of the entity, significant locations of operation of the entity or the entity as a whole? (Yes/No)
- Yes. Feedback system is extended to customers where customer can share their views to express the level of satisfaction with the bank's product and services.
5. Provide the following information relating to data breaches:
- a. Number of instances of data breaches along-with impact- Nil
- b. Percentage of data breaches involving personally identifiable information of customers- NA

## कॉर्पोरेट अभिशासन से संबंधित रिपोर्ट

### 1. बैंक का कॉर्पोरेट अभिशासन दर्शन :

यूको बैंक कॉर्पोरेट अभिशासन प्रथाओं के क्षेत्र में सर्वोत्तम पद्धति के लिए अक्षरशः प्रतिबद्ध है। सर्वोत्तम कॉर्पोरेट अभिशासन प्रथाओं का पालन करना बैंक के कार्यों का एक अभिन्न हिस्सा है। बैंक का मानना है कि अच्छा कॉर्पोरेट अभिशासन अधिक से अधिक सांविधिक और नियामक आवश्यकताओं के अनुपालन से है। सुशासन उच्च स्तर का व्यावसायिक सदाचार प्रदान करता है और बड़े पैमाने पर अपने सभी हितधारकों और समाज को अत्यधिक महत्व देता है।

यूको बैंक का कॉर्पोरेट अभिशासन दर्शन उसके कार्य में निहित उच्च-स्तरीय नैतिक मूल्यों को बनाए रखना है। बैंक की कॉर्पोरेट अभिशासन नीतियां पारदर्शिता एवं व्यावसायिकता के महत्वपूर्ण मूल्यों पर केंद्रित हैं। बैंक अपने सभी हितधारकों एवं समाज को अधिकतम महत्व देने हेतु कॉर्पोरेट अभिशासन को और अधिक समृद्ध करने के लिए अपनी सर्वोत्तम पद्धति के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के प्रति लगातार प्रयासरत है।

### 2. निदेशक मंडल

निदेशक मंडल का गठन बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और विविध उपबंध) योजना 1970 के उपबंधों द्वारा शासित होता है। कॉर्पोरेट अभिशासन संबंधी आवश्यकताओं को, जैसा कि सेबी (सूचीबद्ध दायित्वों एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 में दिया गया है, इन संविधियों के साथ पढ़ा जाना चाहिए।

बैंकिंग कंपनी (अर्जन और उपक्रमों का अंतरण) अधिनियम 1970 के अनुसार धारा 9 (3ए) (ए) के अंतर्गत खंड एच के अंतर्गत नामित निदेशकों तथा बैंकिंग कंपनी (अर्जन और उपक्रमों का अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) के क्लॉज (आई) के अंतर्गत शेरधारकों द्वारा निर्वाचित निदेशकों को निम्न में से किसी एक या एक से अधिक क्षेत्र का विशेष ज्ञान एवं व्यावहारिक क्षेत्र का अनुभव होना चाहिए (i) कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था (ii) बैंकिंग (iii) सहकारी क्षेत्र (iv) अर्थशास्त्र (v) वित्त (vi) विधि (vii) लघु उद्योग या विशेष ज्ञान का कोई और क्षेत्र और व्यावहारिक अनुभव जिसे बैंक के लिए भारतीय रिजर्व आवश्यक समझे।

भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने परिपत्र संख्या डीबीआर. एपीपीटी. बीसी. संख्या 38/29.39.001/2016-17 दिनांक 24.11.2016 द्वारा अधिसूचित किया है कि (i) सूचना प्रौद्योगिकी (ii) भुगतान एवं निपटान प्रणाली (iii) मानव संसाधन (iv) जोखिम प्रबंधन एवं (v) व्यापार प्रबंधन को बैंकिंग के लिए विशेष ज्ञान तथा व्यावहारिक अनुभव के क्षेत्र में उपयोगी समझा जाय। बैंक के निदेशक अनुभवी हैं तथा उन्हें बैंक को उपयुक्त दिशा प्रदान करने एवं बैंक की कार्यप्रणाली पर प्रभावी नियंत्रण रखने हेतु बैंकिंग, वित्त और प्रबंधन आदि के क्षेत्र में आवश्यक विशेषज्ञता हासिल है।

**2.1.** प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी और दो कार्यपालक निदेशक भारत सरकार द्वारा नियुक्त पूर्णकालिक निदेशक हैं जबकि अन्य निदेशकों को बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की (जिसे इसमें इसके पश्चात अधिनियम कहा गया है) 9(3) (क) से 9 (3) (ज) तक की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत नियुक्त/नामांकित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, उक्त अधिनियम की धारा 9(3) (झ) के अधीन

## REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

### 1. Corporate Governance Philosophy of the Bank:

UCO Bank is committed to the best practices in the area of corporate governance practices, in letter and in spirit. Adherence to best corporate governance practices is an integral part of Bank's operations. Bank believes that good corporate governance is much more than complying with statutory and regulatory requirements. Good governance facilitates high level of business ethics and to optimise the value for all its stakeholders and the society, at large.

UCO Bank's Corporate Governance Philosophy is to maintain high standards of ethical practices in conduct of its business. The Bank's Corporate Governance policies are woven around the core values of transparency and professionalism. The Bank constantly endeavours to ensure implementation of best practices aimed at enhancing the corporate governance that optimize the value for all its stakeholders and the society, at large.

### 2. Board of Directors

The constitution of the Board of Directors is governed by the provisions of the Banking Regulation Act 1949, Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970 and Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970. The requirements of Corporate Governance as envisaged in the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 are to be read along with these statutes.

In terms of Section 9 (3A) (A) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the directors nominated under Clause (h) and elected by the shareholders under Clause (i) of Section 9(3) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, shall have special knowledge or practical experience in respect of one or more of the following matters namely: (i) agricultural and rural economy, (ii) banking, (iii) co-operative, (iv) economics, (v) finance, (vi) law, (vii) small scale industry, or any other matter the special knowledge of, and practical experience in, which would, in the opinion of the Reserve Bank, be useful to the bank.

Reserve Bank of India vide its circular No. DBR.Appt.BC.No.38/29.39.001/2016-17 dated 24.11.2016 notified that special knowledge or practical experience in matters or areas relating to (i) Information Technology (ii) Payment & Settlement Systems (iii) Human Resources (iv) Risk Management and (v) Business Management, would be useful to a banking company.

The Directors of the Bank are experienced and have requisite expertise in the fields of banking, finance, and risk management so as to provide appropriate directions and exercise effective control in the functioning of the Bank.

**2.1** Managing Director & Chief Executive Officer and two Executive Directors are the whole time directors. All directors including the whole time directors are appointed/nominated by Government of India under various sections viz. 9(3) (a) to 9(3)(h) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970 (hereinafter referred as Act). Besides, under Section 9(3) (i) of the said Act, the shareholders of the

शेयरधारक अपने में से एक निदेशक का निर्वाचन (केन्द्र सरकार से भिन्न) कर सकते हैं।

**2.2 दिनांक 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार निदेशक मंडल का संघटन :**

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 के उपबंधों के अनुसार निदेशक मंडल का गठन किया गया है। प्रत्येक निदेशक का विवरण, निदेशक मंडल की अन्य समितियाँ जिनमें वे सदस्य या अध्यक्ष हैं और अन्य कंपनियों में अध्यक्ष या निदेशक होने तथा बैंक में हितधारिता की जानकारी नीचे प्रस्तुत की जा रही है :

Bank are entitled to elect one director (other than the Central Government) from among themselves.

**2.2 Composition of the Board of Directors as on 31.03.2023:**

The Board is constituted in accordance with the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970. The details of each Director, no. of various Board Committees where he/she is a member or Chairperson, directorship of other companies and shareholding in the Bank are as follows:

क्रम सं.	निदेशक का नाम एवं पदनाम	पदभार ग्रहण करने की तारीख	दिनांक 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार धारित यूको बैंक शेयर	बैंक की समितियों में सदस्यता की संख्या	अन्य बैंक/कंपनियों के बोर्ड की समितियों में सदस्यता/अध्यक्षता की संख्या	अन्य कंपनियों में धारित निदेशक पद
Sl. No.	Name & Designation of the Director	Date of assuming office	No. of UCO Bank shares held as on 31.03.2023	No. of membership in Committees of the Bank	No. of membership/ Chairmanship in committees of the board of other bank/companies	Directorship held in other companies
1.	श्री सोमा शंकर प्रसाद, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी Shri Soma Sankara Prasad Managing Director & Chief Executive Officer	01.01.2022	----	10	02 (प्रबंध समिति, आईबीए और गवर्निंग काउंसिल, आईआईबीएफ के सदस्य) (Member of Managing Committee, IBA and Governing Council, IIBF)	00
2.	श्री इशराक अली खान कार्यपालक निदेशक Shri Ishraq Ali Khan Executive Director	10.03.2021	----	10	00	00
3.	श्री राजेन्द्र कुमार साबू कार्यपालक निदेशक Shri Rajendra Kumar Saboo Executive Director	21.11.2022	----	10	00	00
4.	डॉ. संजय कुमार, आरबीआई द्वारा नामिती निदेशक Dr. Sanjay Kumar RBI Nominee Director	13.05.2021	----	10	00	00
5.	श्री राजेश कुमार आरबीआई द्वारा नामिती निदेशक Shri Rajesh Kumar RBI Nominee Director	08.03.2022	----	04	00	00
6.	श्री अंजन तालुकदार अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक Shri Anjan Talukdar, Part-time Non-Official Director	21.12.2021	----	11	00	00
7.	श्री रवि कुमार अग्रवाल अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक Shri Ravi Kumar Agrawal Part-time Non-Official Director	21.12.2021	----	10	01	00
8.	श्री के राजीवन नायर शेयरधारक श्रेणी के अंतर्गत निदेशक Shri K Rajivan Nair Director under Shareholder Category	01.02.2021	100	12	00	00

## 2.2.1 दिनांक 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के दौरान सेवानिवृत्त /इस्तीफा देने वाले निदेशकगण

### 2.2.1 Directors who retired/resigned during the year ended on 31.03.2023:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	नियुक्ति की तारीख	निदेशक पद की समाप्ति की तारीख	यूको बैंक के निदेशक मंडल की समितियों की संख्या जिनके वे सदस्य थे
Sl. No.	Name of the Director	Date of Appointment	Date of Cessation of Directorship w.e.f.	No. of Committees of the Board of UCO Bank on which a member
1	श्री अजय व्यास, कार्यपालक निदेशक Shri Ajay Vyas, Executive Director	03.04.2019	02.04.2022	10

## 2.2.2 दिनांक 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के दौरान शामिल होने वाले निदेशक:

### 2.2.2 Directors who joined during the year ended on 31.03.2023:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	नियुक्ति की तारीख	निदेशक पद की समाप्ति की तारीख	यूको बैंक के निदेशक मंडल की समितियों की संख्या जिनके वे सदस्य थे
Sl. No.	Name of the Director	Date of Appointment	Date of Cessation of Directorship w.e.f.	No. of Committees of the Board of UCO Bank on which a member
1	श्री राजेन्द्र कुमार साबू, कार्यपालक निदेशक Shri Rajendra Kumar Saboo, Executive Director	21.11.2022	20.11.2025	10

## 2.2.3 निदेशकों की संक्षिप्त रूपरेखा

### श्री सोमा शंकर प्रसाद

#### प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी

श्री सोमा शंकर प्रसाद ने दिनांक 01.01.2022 को यूको बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी का पदभार ग्रहण किया। इससे पहले, वे भारतीय स्टेट बैंक में उप प्रबंध निदेशक और समूह अनुपालन अधिकारी के पद पर कार्यरत थे।

श्री सोमा शंकर प्रसाद का जन्म दिनांक 05 मई, 1963 को हुआ। श्री प्रसाद के पास मास्टर ऑफ कॉमर्स की डिग्री है और 35 साल के अपने करियर में उन्होंने ट्रेजरी संचालन, खुदरा, कॉर्पोरेट क्रेडिट, बीमा और अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग में विभिन्न पदों पर महत्वपूर्ण कार्य किया है।

श्री प्रसाद के दो कार्यकाल विदेश में रहे हैं। उन्होंने नवंबर 2014 से अप्रैल 2019 तक कंट्री हेड के रूप में भारतीय स्टेट बैंक के सिंगापुर संचालन का नेतृत्व किया। वह सितंबर, 2002 से नवंबर, 2006 तक भारतीय स्टेट बैंक की पेरिस शाखा में प्रबंधक (क्रेडिट और संचालन) के रूप में कार्यरत थे।

उन्होंने एसबीआई हैदराबाद में क्षेत्रीय प्रबंधक के रूप में, एसबीआई जनरल इंडोरस कंपनी लिमिटेड में मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में और एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड में एमडी और सीईओ के रूप में भी काम किया है।

श्री प्रसाद ने भारत और विदेशों दोनों के प्रतिष्ठित संस्थानों में विभिन्न क्षेत्रों में कई प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया है।

### श्री इशराक अली खान, कार्यपालक निदेशक

श्री इशराक अली खान ने दिनांक 10 मार्च, 2021 को यूको बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। श्री खान, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मुख्य महाप्रबंधक और मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी (सीटीओ) थे। वे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के पहले मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआईएसओ) भी थे।

## 2.2.3 Brief Profile of the Directors

### Shri Soma Sankara Prasad Managing Director & Chief Executive Officer

Shri Soma Sankara Prasad assumed the office of Managing Director & CEO of UCO Bank on 01.01.2022. Prior to this, he was holding the position of Deputy Managing Director and Group Compliance Officer at State Bank of India.

Born on May 05, 1963, Shri Prasad holds Master of Commerce degree and in his career spanning 35 years, he has held important assignments in various capacities in Treasury operations, Retail, Corporate Credit, Insurance and International Banking.

Shri Prasad has had two stints abroad. He headed the Singapore Operations of State Bank of India, as Country Head from November 2014- April 2019. He was Manager (Credit and Operations) at Paris Branch of State Bank of India from September 2002 - November 2006.

He has also worked as Regional Manager at SBI Hyderabad, as Chief Financial Officer at SBI General Insurance Co. Ltd. and as MD & CEO at SBI Pension Funds Pvt Ltd.

Shri Prasad has also attended several training programs in various areas at reputed institutions, both in India and abroad.

### Shri Ishraq Ali Khan, Executive Director

Shri Ishraq Ali Khan assumed the charge as Executive Director of UCO Bank on March 10, 2021. Shri Khan was Chief General Manager & Chief Technology Officer (CTO) in Union Bank of India. He was also first Chief Information Security Officer (CISO) in Union Bank of India.

श्री खान विज्ञान में स्नातकोत्तर, सर्टिफाइड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम प्रोफेशनल (पीएमपी) तथा आईडीआरबीटी, हैदराबाद से सूचना प्रौद्योगिकी एवं साइबर सिक्योरिटी में सर्टिफिकेट प्राप्त हैं। वे इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकर्स के सर्टिफाइड एसोसिएट (सीएआईआईबी) भी हैं।

मुख्य महाप्रबंधक और सीटीओ के रूप में श्री खान ने यूनिन बैंक ऑफ इंडिया के प्रमुख समामेलन आईटी एकीकरण परियोजना को संभाला और नई तकनीकों को लाने और बैंक में ग्रीन डेटासेंटर स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यूनिन बैंक ऑफ इंडिया में अपनी 33 वर्षों की सेवा के दौरान उन्होंने विभिन्न क्षमताओं में क्षेत्र महाप्रबंधक और क्षेत्रीय प्रमुख के रूप में विभिन्न पदों पर क्षेत्रीय कार्यालय, अंचल कार्यालयों और क्षेत्र महाप्रबंधक कार्यालयों में कार्य किया। अपने बैंकिंग करियर के दौरान उन्होंने बैंक के कई युवा स्टाफ सदस्यों को मार्गदर्शन भी किया। श्री खान, मिलनसार कार्यपालक हैं और अपने उच्च टीम निर्माण नेतृत्व गुणों के लिए भी जाने जाते हैं।

श्री खान ने भारतीय बैंक संघ और इगन जेंडर इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के परामर्श से बैंक बोर्ड ब्यूरो द्वारा आयोजित आईआईएम, बेंगलुरु के प्रतिष्ठित नेतृत्व कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने केलॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, शिकागो और आईएसबी, हैदराबाद के कार्यक्रमों में भाग लिया है।

### श्री राजेन्द्र कुमार साबू, कार्यपालक निदेशक

श्री राजेन्द्र कुमार साबू ने दिनांक 21.11.2022 को यूको बैंक में कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। श्री राजेन्द्र कुमार साबू ने वर्ष 1994 में तत्कालीन ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में एक परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में अपना करियर शुरू किया। उन्हें क्षेत्रीय और प्रशासनिक कार्यालयों में विभिन्न पदों पर बैंकिंग-कार्य का वृहत् अनुभव है। उन्होंने विभिन्न स्थानों पर शाखा प्रमुख, क्षेत्रीय प्रमुख और क्लस्टर प्रमुख के रूप में कार्य किया है। उन्होंने महाप्रबंधक के रूप में एकीकृत ट्रेजरी और अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग, डिजिटल बैंकिंग और कोष प्रबंधन का नेतृत्व किया। यूको बैंक में शामिल होने से पहले श्री साबू पंजाब नेशनल बैंक में कार्यनीति प्रबंधन, आर्थिक सलाहकार, एमआईएस और डेटा एनालिटिक्स के मुख्य महाप्रबंधक थे।

श्री राजेन्द्र कुमार साबू वाणिज्य में स्नातकोत्तर हैं और उन्हें व्यवसाय प्रशासन (बैंकिंग और वित्त) में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त हैं। वे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स (CAIB) के सर्टिफाइड एसोसिएट हैं और वे एडवॉरंस डिप्लोमा इन मैनेजमेंट के सर्टिफिकेटधारी हैं। उन्होंने वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो द्वारा संचालित संचालित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आयोजित नेतृत्व विकास कार्यक्रम में भाग लिया है।

श्री राजेन्द्र कुमार साबू को कई बैंकिंग डोमेनों यथा, ब्रांच बैंकिंग, केडिट, एचआर, ट्रेजरी आदि में काम करने का अनुभव है।

### डॉ. संजय कुमार, सरकार द्वारा नामित निदेशक

डॉ. संजय कुमार का जन्म 05 अगस्त, 1976 को हुआ। डॉ. कुमार भारतीय डाक और दूरसंचार खातों और वित्त सेवा के 2003 बैच के अधिकारी हैं। वे 21 सितंबर, 2017 को निदेशक के रूप में वित्तीय सेवाएँ विभाग (डीएफएस) में शामिल हुए। डीएफएस में शामिल होने से पहले, उन्होंने दूरसंचार विभाग (डीओटी) और डाक विभाग (डीओपी) में काम किया। डीओटी में, उन्होंने विभिन्न क्षमताओं में स्पेक्ट्रम उपयोग शूलक, लाइसेंस वित्त और यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिंगेशन फंड से संबंधित कार्यों को निपटाया। डाक विभाग में, आंतरिक वित्त सलाहकार और निदेशक लेखा के रूप में, उन्होंने वित्त सलाह, लेखा, बजट और आंतरिक लेखा परीक्षा से संबंधित कार्यों को देखा।

डॉ. कुमार को 13 मई, 2021 को यूको बैंक के निदेशक मंडल में सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में नामित किया गया है। इससे पहले, वे 22 जून, 2020 से 25 मार्च, 2021 तक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बोर्ड में सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में कार्यरत थे। वे सिंडिकेट बैंक के निदेशक मंडल में 05 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2020 तक सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में रहें।

Shri Khan holds a Master Degree in Science, Certified Project Management program professional (PMP), IT and Cyber security certification from IDRBT, Hyderabad. He is also a Certified Associate of Indian Institute of Bankers (CAIB).

As Chief General Manager & CTO, Shri Khan handled the key amalgamation IT integration project of the Union Bank of India and instrumental in bringing new technologies and establishing green datacenter in the Bank. During his 33 years of service at Union Bank of India, he held various positions in Regional Office, Zonal Offices and FGM Offices on various capacities such as Field General Manager and Regional Head. During his banking career, he has mentored many young staff members of the Bank. Shri Khan, an easy to approach Executive is also known for his high team building leadership qualities.

Shri Khan has attended prestigious leadership programme of IIM Bengaluru, curated by the Banks Board Bureau in consultation with IBA and EgonZehnder International Pvt. Ltd. He has also attended Kellogs School of Management, Chicago and ISB, Hyderabad.

### Shri Rajendra Kumar Saboo, Executive Director

Shri Rajendra Kumar Saboo assumed the charge as Executive Director of UCO Bank on 21.11.2022. Shri Rajendra Kumar Saboo started his career as a Probationary Officer in erstwhile Oriental Bank of Commerce in the year 1994 and has a rich banking experience in various capacities at field and administrative offices. He acted as Branch Head, Regional Head and Cluster Head at various locations. In his capacity as General Manager, he headed Integrated Treasury & International Banking, Digital Banking and Wealth Management. Before joining UCO Bank, Shri Saboo was the Chief General Manager in Punjab National Bank heading Strategic Management, Economic Advisory, MIS and Data Analytics.

Shri Rajendra Kumar Saboo is a Post Graduate in Commerce and holds a Master Degree in Business Administration (Banking & Finance). He is a Certified Associate of Indian Institute of Bankers (CAIB) and holds a certificate for Advanced Diploma in Management. He had undergone the Leadership Development Program for Senior Management of PSBs conducted through Financial Services Institutions Bureau (FSIB).

Shri Rajendra Kumar Saboo has experience across multiple banking domains viz. Branch Banking, Credit, HR, Treasury etc.

### Dr Sanjay Kumar, Govt. Nominee Director

Born on August 05, 1976, Dr Sanjay Kumar belongs to the 2003 Batch of Indian Post & Telecom accounts and Finance Service. He joined Department of Financial Services (DFS) as Director on September 21, 2017. Prior to joining DFS, he worked in Department of Telecommunication (DoT) and Department of Post (DoP). In DoT, he dealt with the works related to Spectrum Usage Charges, License Finance and Universal Service Obligation Fund in various capacities. In DoP, as Internal Finance Advisor and Director Accounts, he dealt with the works related to Finance advice, Accounts, Budgets and Internal Audit.

Dr Kumar has been nominated as Government Nominee Director on the Board of UCO Bank on May 13, 2021. Prior to this, he was on the Board of IDFC First Bank as Government Nominee Director from June 22, 2020 to March 25, 2021 and on the Board of Syndicate Bank as Government Nominee Director from April 05, 2018 to March 31, 2020.

### **श्री राजेश कुमार, आरबीआई द्वारा नामित निदेशक**

श्री राजेश कुमार, मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) को 08 मार्च, 2022 से यूको बैंक के निदेशक मंडल में नियुक्त किया गया है।

श्री कुमार को भारतीय रिज़र्व बैंक में तीन दशकों से अधिक का अनुभव है, अन्य बातों के साथ-साथ, बैंकिंग पर्यवेक्षण, वित्तीय समावेशन और विकास, मानव संसाधन प्रबंधन आदि सहित भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रमुख कार्यों के लगभग सभी पहलुओं को सम्मिलित (कवर) करने वाले विविध विभागों को संभालने का अनुभव है। उन्होंने दो वर्षों से अधिक गुजरात राज्य में बैंकिंग लोकपाल के रूप में कार्य किया है। वे पाँच वर्षों तक केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत थे। उन्होंने कई अंतरराष्ट्रीय बहुपक्षीय मंचों/सम्मेलनों में आरबीआई का प्रतिनिधित्व किया है, जिसमें वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी (जीपीएफआई), 'जी-20' समूह की एक पहल शामिल है। वे वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति (एनएसएफआई) के प्रारूपण में सक्रिय रूप से शामिल थे।

पूर्व में, उन्होंने सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंक में निदेशक मंडल में कार्य किया है। वर्तमान में, वे आरबीआई, अहमदाबाद में गुजरात राज्य के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले, उन्होंने तीन वर्षों से अधिक समय तक उत्तराखंड के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में कार्य किया है।

### **श्री अंजन तालुकदार, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक**

श्री अंजन तालुकदार का जन्म 14 जनवरी, 1967 को हुआ। उनको पास 29 वर्षों से अधिक का कार्य अनुभव है। वर्तमान में, वे प्रीमियर क्रायोजेनिक्स लिमिटेड में निगमित मामलों के प्रमुख, कानूनी और कंपनी सचिव हैं जो गुवाहाटी, असम में स्थित है। श्री तालुकदार की शैक्षणिक योग्यता में बी.कॉम, एफसीएस, एलएलबी शामिल हैं। वे प्रतिष्ठित आईआईएम - अहमदाबाद और हेनले मैनेजमेंट कॉलेज, यूके के एल्युमिना हैं। श्री तालुकदार को दिनांक 21.12.2021 से यूको बैंक के बोर्ड में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नामित किया गया है।

### **श्री रवि कुमार अग्रवाल, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक**

श्री रवि कुमार अग्रवाल का जन्म 06 अगस्त, 1965 को हुआ। वे पेशे से चार्टर्ड एकाउंटेंट हैं। वे 'अग्रवाल और बर्दिया' सीए फर्म में भागीदार हैं जो रायपुर, छत्तीसगढ़ में स्थित हैं। श्री अग्रवाल भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के जोनल एडवाइजरी बोर्ड में 4 वर्षों से मानद सदस्य हैं। श्री अग्रवाल की शैक्षणिक योग्यता में प्रमाणित सीए होने के अलावा बी.कॉम (ऑनर्स) और एलएलबी शामिल हैं। वे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की फिस्कल लॉ कमेटी के सदस्य भी रहे हैं। श्री अग्रवाल को दिनांक 21.12.2021 से यूको बैंक के बोर्ड में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नामित किया गया है।

### **श्री के राजीवन नायर, शेयरधारक श्रेणी के अंतर्गत निदेशक**

1 सितंबर 1961 को जन्मे श्री के राजीवन नायर सम्प्रति भारतीय जीवन बीमा निगम में कार्यरत हैं तथा निगम के मुख्य जीवन बीमा परामर्शी विभाग, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई में कार्यपालक निदेशक हैं। यूको बैंक के निदेशक मंडल में उन्होंने 1 फरवरी, 2021 को शेयर धारकों के निदेशक के रूप में योगदान दिया। उन्हें विपणन, वित्त, विधि तथा मानव संसाधन के क्षेत्र में काम करने का व्यापक अनुभव है।

### **Shri Rajesh Kumar, RBI Nominee Director**

Shri Rajesh Kumar, Chief General Manager, Reserve Bank of India (RBI) has been appointed on the Board of Directors of UCO Bank with effect from March 08, 2022.

Shri Kumar has over three decades of experience with Reserve Bank of India, handling diverse portfolios covering almost the entire gamut of major functions of RBI including, inter alia, Banking Supervision, Financial Inclusion & Development, Human Resource Management etc. He has served as Banking Ombudsman of Gujarat State for more than two years. He was on deputation with Central Bureau of Investigation for five years. He has represented RBI at several international multilateral forums / conferences including Global Partnership for Financial Inclusion (GPF), an initiative of 'G-20' Group. He was closely involved in drafting of the National Strategy for Financial Inclusion (NSFI).

He has previously served on the Boards of Directors of a public and a private sector bank. He is presently serving as Regional Director for the state of Gujarat at RBI, Ahmedabad. Previously, he has served as Regional Director for Uttarakhand for over three years.

### **Shri Anjan Talukdar, Part-time Non-Official Director**

Born on January 14, 1967, Shri Anjan Talukdar has a working experience of over 29 years. He is currently Head Corporate Affairs, Legal and Company Secretary at Premier Cryogenics Ltd and is based in Guwahati, Assam. Shri Talukdar's educational qualifications include B.Com, FCS, LLB. He is an Alumina of the prestigious IIM - Ahmedabad and Henley Management College, UK. Shri Talukdar has been nominated as Part-time Non-Official Director on the Board of UCO Bank w.e.f 21.12.2021.

### **Shri Ravi Kumar Agrawal, Part-time Non-Official Director**

Born on August 06, 1965, Shri Ravi Kumar Agrawal is a Chartered Accountant by profession. He is a partner in CA firm 'Agrawal and Bardiya' and is based in Raipur, Chattisgarh. Shri Agrawal has been honorary member in the Zonal Advisory Board of Life Insurance Corporation of India (LIC) for 4 years. Shri Agrawal's educational qualifications includes B.Com (Hons.) and LLB apart from being a certified CA. He has also been member of Fiscal Law Committee of the Institute of Chartered Accountants of India. Shri Agrawal has been nominated as Part-time Non-Official Director on the Board of UCO Bank w.e.f 21.12.2021.

### **Shri K Rajivan Nair, Director under Shareholder Category**

Born on 1st September 1961, Shri K Rajivan Nair has worked with Life Insurance Corporation of India and has retired from the Organisation as Executive Director in Chief Life Insurance Advisor Department, Central Office, Mumbai. He joined the Board of UCO bank on 1st February 2021 as Shareholder Director and has vast experience in the areas of Marketing, Finance, Law, Human Resource.

### 2.2.4. निदेशक मंडल की विशेषज्ञता / Expertise of the Board of Directors

क्र. सं. SI No	निदेशक के नाम एवं पदनाम Name & Designation of Director	विशेषज्ञता Expertise
1.	श्री सोमा शंकर प्रसाद, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी Shri Soma Sankara Prasad, Managing Director & CEO	बैंकिंग Banking
2.	श्री इशराक अली खान, कार्यपालक निदेशक Shri Ishraq Ali Khan, Executive Director	बैंकिंग और सूचना प्रौद्योगिकी Banking and Information Technology
3.	श्री राजेन्द्र कुमार साबू, कार्यपालक निदेशक Shri Rajendra Kumar Saboo, Executive Director	बैंकिंग और सूचना प्रौद्योगिकी Banking
4.	डॉ. संजय कुमार, सरकार द्वारा नामित निदेशक Dr. Sanjay Kumar, Govt. Nominee Director	प्रशासन Administration
5.	श्री राजेश कुमार, आरबीआई द्वारा नामित निदेशक Shri Rajesh Kumar, RBI Nominee Director	बैंकिंग Banking
6.	श्री अंजन तालुकदार, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक Shri Anjan Talukdar, Part-time Non-Official Director	निगमित मामले, कानूनी पक्ष Corporate Affairs, Legal aspects
7.	श्री रवि कुमार अग्रवाल, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक Shri Ravi Kumar Agrawal, Part-time Non-Official Director	लेखा परीक्षा और लेखा Audit and Accounting
8.	श्री के राजीवन नायर, शेयरधारक श्रेणी के तहत निदेशक Shri K Rajivan Nair, Director under Shareholder Category	बैंकिंग और मार्केटिंग Banking and Marketing

### 2.3 निदेशक मंडल की बैठकों की तारीख

समीक्षाधीन अवधि के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध उपबंध) योजना 1970 के खंड 12 के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम 6 (छह) बैठकों तथा सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 में निर्धारित न्यूनतम 4 (चार) बैठकों की तुलना में निम्नलिखित तारीखों को निदेशक मंडल की 13 (बारह) बैठकें आयोजित की गईं :

13.05.2022	19.05.2022	07.06.2022	18.07.2022	05.08.2022	19.09.2022	03.11.2022
22.11.2022	12.12.2022	03.01.2023	24.01.2023	16.02.2023	14.03.2023	

### 3. निदेशक मंडल की समितियां:

भारतीय रिज़र्व बैंक/भारत सरकार द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों/निदेशों के अनुसरण में बैंक में निदेशक मंडल की विभिन्न समितियों का गठन किया गया है जिसका उद्देश्य निर्णय प्रक्रिया को सुचारु और कारगर बनाना, समितियों के विचारार्थ विषयों के अंतर्गत आनेवाले विभिन्न कार्यकलापों की प्रभावी निगरानी एवं अनुवर्ती कार्रवाई करना है। निदेशक मंडल की विभिन्न स्थायी समितियों के विवरण नीचे दर्शाए गए हैं:

#### 3.1 निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी) :

भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशानुसार हमारे बैंक ने केवल गैर-कार्यकारी निदेशकों के साथ निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति का गठन किया है। समिति के सभी निदेशक वित्तीय दृष्टि से शिक्षित हैं।

**3.1.1** एसीबी एक सशक्त प्रबंधकीय व्यवस्था के रूप में लेखापरीक्षा एवं निरीक्षण की प्रभावितता को सुनिश्चित करने और बढ़ाने हेतु बैंक की आंतरिक लेखापरीक्षा/निरीक्षण कार्य का सर्वेक्षण, समीक्षा करती है एवं निदेश देती है। आंतरिक लेखापरीक्षा के संबंध में समिति इन उद्देश्यों के अनुसार बैंक के आंतरिक निरीक्षण/लेखापरीक्षा संबंधी कार्य - उसकी प्रणाली, गुणवत्ता एवं

### 2.3 Dates of Board Meetings:

During the period under review, 13 (Thirteen) meetings of the Board were held on following dates, as against a minimum of 6 (six) prescribed under Clause 12 of the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970 and minimum of 04 (four) meetings stipulated under SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations 2015:

### 3 Committees of the Board:

Pursuant to the instructions/guidelines/directives issued by the Reserve Bank of India/Government of India, various committees of the Board have been constituted with the objective of streamlining the decision making process, effective monitoring and follow up of various activities falling within the terms of references of such committees. Details of the various committees of the Board are as under:

#### 3.1 Audit Committee of the Board (ACB):

As per directives of RBI, the Bank constituted the Audit Committee of the Board (ACB) with only Non-Executive Directors. All the Directors on the Committee are financial literates.

**3.1.1** The ACB oversees, reviews and provides directions to the internal audit/ inspection function in the Bank in order to ensure and enhance the effectiveness of the audit and inspection function as a strong management tool. In respect of internal audit, the Committee reviews the internal inspection/ audit function of the

प्रभावित की समीक्षा करती है। जहां तक बाह्य लेखापरीक्षा का संबंध है, समिति लांग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट में उठाए गए सभी मुद्दों की समीक्षा करती है। इसके अतिरिक्त यह लेखापरीक्षा रिपोर्ट के मसौदे में लेखांकन नीतियों, रीतियों, अहंताओं में परिवर्तन तथा लेखांकन मानक के अनुपालन के विशेष संदर्भ में समीक्षाकृत/लेखापरीक्षित लेखों को अंतिम रूप दिए जाने के पूर्व बाह्य लेखापरीक्षकों के साथ विचार-विमर्श करती है। इसके साथ ही यह भारतीय रिजर्व बैंक की निरीक्षण रिपोर्टों में उठाए गए सभी मुद्दों/समस्याओं के संबंध में भी कार्रवाई करती है। यह समिति आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, आंतरिक लेखा-कार्य, समाधान, कपट एवं अन्य संबंधित विषयों की भी समीक्षा करती है।

**3.1.2** वर्तमान में निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति में डॉ. संजय कुमार, सरकार द्वारा नामित निदेशक, श्री राजेश कुमार, आरबीआई द्वारा नामित निदेशक, श्री रवि कुमार अग्रवाल, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक और श्री के राजीवन नायर इसके सदस्य के रूप में शामिल हैं। एसीबी की बैठक में श्री इशराक अली खान, कार्यपालक निदेशक और राजेन्द्र कुमार साबु, कार्यपालक निदेशक आमंत्रित थे। समीक्षाधीन अवधि के दौरान सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 18 में निर्धारित 4 (चार) बैठकों की तुलना में निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति की 8 (आठ) बैठकें आयोजित की गईं।

**3.1.3** समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति की 8 बैठकें निम्नलिखित तारीखों को आयोजित की गईं:

13.05.2022	20.05.2022	05.08.2022	19.09.2022
03.11.2022	03.01.2023	24.01.2023	28.02.2023

### 3.2 निदेशक मंडल की प्रबंध समिति (एमसीबी):

समिति का गठन राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और विविध उपबंध) योजना 1970 के उपबंधों के अनुसार किया गया है। इसके सदस्य हैं: प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यपालक निदेशकगण, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (ग) में निर्दिष्ट निदेशक तथा बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) के खंड (ड), (च), (ज) एवं (झ) में निर्दिष्ट निदेशकों में से निदेशक मंडल द्वारा नामित तीन निदेशक। निदेशक मंडल द्वारा नामित निदेशक एक बार में एक वर्ष से अधिक समय तक पद पर नहीं रहेंगे। प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी एमसीबी के अध्यक्ष हैं।

**3.2.1** समिति का उद्देश्य निम्नलिखित पर विचार करना और उन्हें अनुमोदित करना है :

- अधिक राशि के उधार/ऋण, समझौता और बट्टे खाते डालने के प्रस्ताव,
- पूँजीगत और राजस्व व्यय हेतु तथा परिसर के अधिग्रहण और किराए पर लेने से संबंधित बड़ी राशि के प्रस्ताव, जिसमें परिसर के अधिग्रहण/किराए पर लेने के मानदंडों से विचलन भी शामिल है,
- कंपनियों के शेयरों/डिबेंचरों में निवेश सहित सरकारी तथा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में अधिक राशि का निवेश करने के प्रस्ताव और हामीदारी, दान देने संबंधी अधिक राशि के प्रस्ताव और
- समय-समय पर इस समिति के पास भेजे गए इसी प्रकार के कोई अन्य मामले।

Bank - the system, its quality and effectiveness in terms of the objectives. As regards external audit, the committee reviews all the issues raised in the Long Form Audit Report. Besides, it interacts with the external auditors before finalization of reviewed/ audited accounts with special reference to change in accounting policies, practices, qualifications in the draft audit report and compliance with the accounting standards. It also addresses all issues/concerns raised in inspection report of RBI. Besides, the committee also reviews the internal control system, the areas of housekeeping, reconciliation, fraud and other related matters.

**3.1.2** The ACB comprised of Dr Sanjay Kumar, Govt. Nominee Director, Shri Rajesh Kumar, RBI Nominee Director, Shri Ravi Kumar Agrawal, Part-time Non-Official Director and Shri K Rajivan Nair as its members. Shri Ishraq Ali Khan, Executive Director and Shri Rajendra Kumar Saboo, Executive Director were the invitees to the meetings of ACB. During the period under review, 8 (Eight) meetings of the ACB were held as against a minimum of 4 (four) meetings in a year stipulated in Regulation 18 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations 2015.

**3.1.3** During the period under review, 8 (Eight) meetings of the ACB were held on following dates:

13.05.2022	20.05.2022	05.08.2022	19.09.2022
03.11.2022	03.01.2023	24.01.2023	28.02.2023

### 3.2 Management Committee of the Board (MCB):

The Management Committee of the Board (MCB) is constituted as per provisions of the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970. Its members are the Managing Director & Chief Executive Officer, Executive Directors, directors referred in section 9(3)(c) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970 and three directors nominated by the Board from amongst the directors referred to in section 9(3)(e), 9(3)(f), 9(3)(h) and 9(3)(i) of the Banking companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970. The Directors nominated by the Board shall hold office for not more than one year at a time. The Managing Director & Chief Executive Officer acts as the Chairman of the MCB.

**3.2.1** The objectives of the MCB are to consider and approve -

- High value credit/loan, compromise and write-off proposals,
- High value proposals for capital and revenue expenditure and those relating to acquisition and hiring of premises including deviation from prescribed norms for acquisition/hiring of premises,
- Proposal for high value investments in Govt. and other approved securities including investment in shares/debentures of companies as well as high value proposals of underwriting, making donations, and
- Any other matter of similar nature referred to it from time to time.



**3.2.2** एमसीबी में श्री सोमा शंकर प्रसाद, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी अध्यक्ष के रूप में, श्री इशराक अली खान, कार्यपालक निदेशक, श्री राजेन्द्र कुमार साबू, कार्यपालक निदेशक, श्री राजेश कुमार, आरबीआई द्वारा नामित निदेशक और श्री अंजन तालुकदार, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक को सदस्य के रूप में शामिल किया गया।

**3.2.3** समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की प्रबंध समिति की 14 (चौदह) बैठकें निम्नलिखित तारीखों को आयोजित की गईं :

13.05.2022	02.07.2022	18.07.2022	16.08.2022	19.09.2022
25.10.2022	03.11.2022	22.11.2022	12.12.2022	02.01.2023
25.01.2023	16.02.2023	14.03.2023	22.03.2023	

### 3.3 निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंध समिति :

**3.3.1** निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंध समिति (आरएमसीबी) बैंक के कारोबार में आनेवाली विभिन्न प्रकार की जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन, निगरानी करती है तथा बैंक को संबंधित दिशानिर्देश देती है और आवधिक समीक्षा एवं निगरानी के आधार पर ऐसी कार्यनीतियां बनाती है जिनसे बैंक के राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय कारोबार के परिचालन में स्थायित्व और दक्षता सुनिश्चित हो। यह बैंक में आस्ति देयता प्रबंध (एएलएम) प्रणाली के क्रियाकलाप का पर्यवेक्षण एवं निगरानी भी करती है।

**3.3.2** आरएमसीबी में श्री सोमा शंकर प्रसाद, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अध्यक्ष के रूप में, श्री इशराक अली खान, कार्यपालक निदेशक, श्री राजेन्द्र कुमार साबू, कार्यपालक निदेशक, श्री अंजन तालुकदार, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक, श्री रवि कुमार अग्रवाल अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक और श्री के राजीवन नायर, निदेशक, शेरधारक श्रेणी के अंतर्गत निदेशक को सदस्य के रूप में शामिल किया गया।

**3.3.3** समीक्षाधीन अवधि के दौरान आरएमसीबी की 4 (चार) बैठकें इन तारीखों को आयोजित की गईं :

20.05.2022	20.09.2022	13.12.2022	06.03.2023
------------	------------	------------	------------

### 3.4.0 निदेशक मंडल की हितधारक संबंध समिति :

**3.4.1** शेरधारकों/अन्य प्रतिभूतिधारकों की शिकायतों यथा- धन वापसी आदेश, शेर प्रमाणपत्र, लाभांश वारंट आदि प्राप्त न होने के संबंध में शिकायतकर्ता की तृप्ति के अनुरूप शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियम 20 के अनुसार इस समिति का गठन किया गया है।

**3.4.2** श्री के राजीवन नायर, शेरधारक श्रेणी के अंतर्गत निदेशक इस समिति के अध्यक्ष हैं। श्री इशराक अली खान, कार्यपालक निदेशक, श्री राजेन्द्र कुमार साबू, कार्यपालक निदेशक, श्री अंजन तालुकदार, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक तथा श्री रवि कुमार अग्रवाल, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक समिति के अन्य सदस्य हैं।

**3.4.3** समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बोर्ड की पूर्ववर्ती पारिश्रमिक समिति की 2 (दो) बैठकें दिनांक 02.09.2022 एवं 28.02.2023 को आयोजित की गईं।

**3.4.4** श्री एन पूर्ण चन्द्र राव, कंपनी सचिव, सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियम 6(1) के अनुसार अनुपालन अधिकारी हैं।

**3.4.5** वित्तीय वर्ष के दौरान शेरधारकों से प्राप्त शिकायतों की स्थिति

**3.2.2** The MCB comprised of Shri Soma Sankara Prasad, Managing Director & Chief Executive Officer as its Chairman, Shri Ishraq Ali Khan, Executive Director, Shri Rajendra Kumar Saboo, Executive Director, Shri Rajesh Kumar, RBI Nominee Director and Shri Anjan Talukdar, Part-time Non-Official Director as its members.

**3.2.3** During the period under review, 14 (Fourteen) meetings of the MCB were held on the dates as follows:

### 3.3 Risk Management Committee of the Board:

**3.3.1** The Risk Management Committee of the Board (RMCB) identifies, evaluates, monitors and guides the Bank on various categories of risks to which the Bank's business is exposed and devises, based on periodical review and monitoring, such strategies as would ensure stability and efficiency of the domestic and International business operations of the Bank. It also supervises and monitors the functioning of the Asset Liability Management (ALM) System in the Bank.

**3.3.2** The RMCB comprised of Shri Soma Sankara Prasad, Managing Director & Chief Executive Officer as its Chairman, Shri Ishraq Ali Khan, Executive Director, Shri Rajendra Kumar Saboo, Executive Director, Shri Anjan Talukdar, Part-time Non-Official Director, Shri Ravi Kumar Agrawal, Part-time Non-Official Director and Shri K Rajivan Nair, Director under Shareholder Category as its members.

**3.3.3** During the period under review, 4 (four) meetings of the RMCB were held on the dates as follows:

20.05.2022	20.09.2022	13.12.2022	06.03.2023
------------	------------	------------	------------

### 3.4 Stake Holders' Relationship Committee of the Board:

**3.4.1** The Committee is constituted in terms of regulation 20 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 for speedy redressal of complaints/grievances of shareholders/other security holders like non-receipt of refund orders, share certificates, dividend warrants etc., to the satisfaction of the complainants.

**3.4.2** The Committee is chaired by Shri K Rajivan Nair, Director under Shareholder Category. Other members of the committee are Shri Ishraq Ali Khan, Executive Director, Shri Rajendra Kumar Saboo, Executive Director, Shri Anjan Talukdar, Part-time Non-Official Director, Shri Ravi Kumar Agrawal, Part-time Non-Official Director.

**3.4.3** During the period under review, 2 (two) meetings of the Committee was held on 02.09.2022 and 28.02.2023. All the complaints received during the period under review were redressed.

**3.4.4** Shri N Purna Chandra Rao, Company Secretary, is the compliance officer in terms of Regulation 6(1) of SEBI (LODR) Regulations, 2015.

**3.4.5** Status of shareholders' complaints received during the financial year:

- वित्तीय वर्ष के दौरान शेयरधारकों से प्राप्त शिकायतें- 660

- शेयरधारकों की संतुष्टि के अनुसार समाधान नहीं हुए शिकायतों की संख्या- शून्य
- वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक लंबित शिकायतों की संख्या- शून्य

### 3.5 निदेशक मंडल की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एनआरसीबी)

**3.5.1** समिति बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा करती है और निदेशक के रूप में निर्वाचित होने या चुने जाने वाले व्यक्तियों की "उचित एवं सही स्थिति" का निर्धारण करती है।

**3.5.2** भारत सरकार के परिपत्र के दिशानिर्देशों के अनुसार समिति में बोर्ड के गैर-कार्यकारी निदेशक शामिल होंगे।

**3.5.3** वर्तमान में समिति में डॉ. संजय कुमार, सरकारी द्वारा नामित निदेशक, श्री अंजन तालुकदार, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक, श्री रवि कुमार अग्रवाल, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक और श्री के. राजीवन नायर, निदेशक, शेयरधारक श्रेणी के अंतर्गत शामिल हैं।

**3.5.4** समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बोर्ड की पूर्ववर्ती पारिश्रमिक समिति की 2 (दो) बैठकें दिनांक 07.06.2022 तथा 02.09.2022 को आयोजित की गईं।

### 3.6 बड़ी राशि के कपटों की निगरानी हेतु निदेशक मंडल की विशेष समिति :

**3.6.1** भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन में बड़ी राशि के कपटों की निगरानी हेतु विशेष समिति का गठन किया गया है जिसका उद्देश्य ₹1 करोड़ एवं उससे अधिक की राशि के कपटों की निगरानी एवं उन पर अनुवर्ती कार्रवाई करना है। बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी इस समिति के अध्यक्ष हैं।

**3.6.2** उक्त समिति में श्री सोमा शंकर प्रसाद, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी अध्यक्ष के रूप में श्री इशराक अली खान, कार्यपालक निदेशक, श्री राजेन्द्र कुमार साबू, कार्यपालक निदेशक, डॉ संजय कुमार, सरकार द्वारा नामित निदेशक, श्री रवि कुमार अग्रवाल और श्री के. राजीवन नायर, शेयरधारक श्रेणी के तहत निदेशक को सदस्य के रूप में शामिल किया गया।

**3.6.3** समीक्षाधीन अवधि के दौरान इस समिति की 4 (चार) बैठकें निम्नलिखित तारीखों को आयोजित की गईं:

20.05.2022	30.06.2022	25.10.2022	25.01.2023
------------	------------	------------	------------

### 3.7 निदेशक मंडल की ग्राहक सेवा समिति (सीएससीबी)

**3.7.1** निदेशक मंडल की ग्राहक सेवा समिति का गठन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन में किया गया है।

**3.7.2** समिति का उद्देश्य:

- जनसेवा प्रक्रिया एवं कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा समिति की संस्तुतियों का कार्यान्वयन एवं पालन, साथ ही उसकी संस्तुतियों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु,
- सदैव सभी श्रेणी के ग्राहकों के लिए ग्राहक-तुष्टि के स्तर में सुधार लाने हेतु,
- ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए नवीन उपायों पर विचार करने हेतु।

- No. of shareholders' complaints received during the financial year - 660

- No. of shareholders' complaints not solved to the satisfaction of shareholders - Nil

- No. of pending complaints at the end of the financial year - Nil

### 3.5 Nomination and Remuneration Committee of the Board (NRCB):

**3.5.1** The Committee evaluates performance of Bank's Whole-time Directors and determines "Fit & Proper status" of elected or to be elected Director.

**3.5.2** As per Government of India guidelines, the Committee shall comprise of non-executive Directors of the Board.

**3.5.3** The Committee, at present, comprises Dr Sanjay Kumar, Government Nominee Director, Shri Anjan Talukdar, Part-time Non-Official Director, Shri Ravi Kumar Agrawal, Part-time Non-Official Director and Shri K. Rajivan Nair, Director under Shareholder category

**3.5.4** During the period under review, 2 (Two) meetings of the Committee was held on 07.06.2022 and 02.09.2022.

### 3.6 Special Committee of the Board for Monitoring of Large Value Frauds:

**3.6.1** In compliance with the guidelines issued by Reserve Bank of India, Special Committee for Monitoring Large Value Frauds has been constituted with the objective of monitoring and following up frauds involving Rs.1.00 crore and above. The Managing Director & Chief Executive Officer of the Bank acts as the Chairman of the Committee.

**3.6.2** The Committee comprised of Shri Soma Sankara Prasad, Managing Director & Chief Executive Officer as its Chairman, Shri Ishraq Ali Khan, Executive Director, Shri Rajendra Kumar Saboo, Executive Director, Dr Sanjay Kumar, Govt. Nominee Director, Shri Ravi Kumar Agrawal and Shri K. Rajivan Nair, Director under shareholder category as its members.

**3.6.3** During the period under review, 4 (Four) meetings of the Committee were held on the dates as follows:

20.05.2022	30.06.2022	25.10.2022	25.01.2023
------------	------------	------------	------------

### 3.7 Customer Service Committee of the Board (CSCB):

**3.7.1** In compliance with the directives issued by Reserve Bank of India, the Customer Service Committee of the Board has been constituted.

**3.7.2** Objectives of the Committee:

- To ensure implementation of and adherence to the recommendations of Committee on Procedures and Performance Audit of Public Services as well as compliance with its recommendations;
- To bring upon improvement in the level of customer satisfaction for all categories of clientele at all times;
- To consider innovative measures to enhance the quality of customer service.

**3.7.3** उक्त समिति में श्री सोमा शंकर प्रसाद, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी अध्यक्ष के रूप में, श्री इशराक अली खान, कार्यपालक निदेशक, श्री राजेन्द्र कुमार साबू, कार्यपालक निदेशक, डॉ संजय कुमार, सरकार नामित निदेशक शामिल थे। नामित निदेशक, श्री अंजन तालुकदार, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक, श्री रवि कुमार अग्रवाल, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक और श्री के. राजीवन नायर, निदेशक, शेयरधारक श्रेणी के तहत को सदस्य के रूप में शामिल किया गया।

**3.7.4** समीक्षाधीन अवधि के दौरान इस समिति की 4 (चार) बैठकें इन तारीखों को हुईं:

30.06.2022	20.09.2022	08.12.2022	06.03.2023
------------	------------	------------	------------

**3.8 बैंक के मानव संसाधन संबंधी मुद्दों से संबंधित समिति (निदेशक मंडल की मानव संसाधन समिति)**

सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के लिए प्रबंधकीय स्वायत्तता संबंधी भारत सरकार के निदेशों के आलोक में बैंक के निदेशक मंडल को यह स्वतंत्रता दी गई है एवं उत्तरदायित्व सौंपा गया है कि वह सरकारी नीतियों के व्यापक ढांचे के भीतर प्रबंधकीय मुद्दों पर निर्णय ले। स्वायत्तता से संबंधित एक क्षेत्र का संबंध मानव संसाधन से संबंधित नीति एवं क्रियाविधि के निर्माण से है।

**3.8.1** समिति में श्री सोमा शंकर प्रसाद, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी अध्यक्ष के रूप में, श्री इशराक अली खान, कार्यपालक निदेशक, श्री राजेन्द्र कुमार साबू, कार्यपालक निदेशक, डॉ संजय कुमार, सरकार द्वारा नामित निदेशक, श्री अंजन तालुकदार, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक और श्री के. राजीवन नायर, शेयरधारक निदेशक को सदस्य के रूप में शामिल किया गया।

**3.8.2 समिति का उद्देश्य :**

- स्टाफ ढांचा, भर्ती, पदस्थापना, स्थानांतरण, प्रशिक्षण, पदोन्नति, पेंशन आदि सहित बैंक से संबंधित मानव संसाधन संबंधी सभी मुद्दों के बारे में निर्णय करना,
- पात्रता मानदंड, चयन की पद्धति, प्रवेश के स्तरों आदि सहित भर्ती के लिए मानव संसाधन संबंधी नीति एवं क्रियाविधि बनाना,
- अधिकारियों एवं स्टाफ के पारिश्रमिक एवं क्षतिपूर्ति के बारे में निर्णय लेना,
- बैंक के पदधारियों की जवाबदेही और जिम्मेदारी से संबंधित नीति निर्धारित करना एवं
- शाखाओं के वर्गीकरण के लिए मानदंड विहित करना।

उपर्युक्त मामले सीधे बोर्ड से संबंधित हैं और इसलिए समीक्षाधीन वर्ष के दौरान समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं हुई।

**3.8.3** समीक्षाधीन वर्ष के दौरान समिति की 4 (चार) बैठकें निम्नलिखित तारीखों को आयोजित हुईं:

07.06.2022	20.09.2022	22.11.2022	06.03.2023
------------	------------	------------	------------

**3.9 निदेशक मंडल की सू.प्रौ. कार्यनीति समिति**

**3.9.1** प्रौद्योगिकी उन्नयन एवं अन्य सूचना प्रौद्योगिकी पहल से संबंधित मामलों पर कार्यनीति बनाने हेतु निदेशक मंडल की सू.प्रौ. कार्यनीति समिति का गठन किया गया है।

**3.7.3** The Committee comprised of Shri Soma Sankara Prasad, Managing Director & Chief Executive Officer as its Chairman, Shri Ishraq Ali Khan, Executive Director, Shri Rajendra Kumar Saboo, Executive Director, Dr Sanjay Kumar, Govt. Nominee Director, Shri Anjan Talukdar, Part-time Non-Official Director, Shri Ravi Kumar Agrawal, Part-time Non-Official Director and Shri K. Rajivan Nair, Director under shareholder category as its members.

**3.7.4** During the period under review, 4 (four) meetings of the Committee were held on the dates as follows:

30.06.2022	20.09.2022	08.12.2022	06.03.2023
------------	------------	------------	------------

**3.8 Committee on HR Related Issues of the Bank (HR Committee of the Board):**

In the light of directive of Govt. of India on Managerial Autonomy to the Public Sector Banks (PSB), the Board of Directors of the Bank is granted the freedom and responsibility for deciding on managerial issues within the broad framework of the Government policies. One of the areas of autonomy relates to framing of HR policies and procedures.

**3.8.1** The Committee comprised of Shri Soma Sankara Prasad, Managing Director & Chief Executive Officer as its Chairman, Shri Ishraq Ali Khan, Executive Director, Shri Rajendra Kumar Saboo, Executive Director, Dr Sanjay Kumar, Govt. Nominee Director, Shri Anjan Talukdar, Part-time Non-Official Director and Shri K Rajivan Nair, Shareholder Director as its members.

**3.8.2 Objectives of the Committee:**

- To decide all Human Resource issues relating to the Bank including staffing pattern, recruitment, placement, transfer, training, promotions, pensions, etc.,
- To frame HR policies and procedures for recruitment including eligibility criteria, mode of selection, levels of entry, etc.,
- To take decisions on remuneration and compensation of officers and staff,
- To lay down policy of accountability and responsibility of Bank officials, and
- To prescribe standards for categorization of branches.

The matters pertaining to aforesaid areas were taken up directly with the Board, and therefore no meeting of the Committee was held during the period under review.

**3.8.3** During the period under review, 4 (four) meeting of the Committee was held on dates as follows:

07.06.2022	20.09.2022	22.11.2022	06.03.2023
------------	------------	------------	------------

**3.9 IT Strategy Committee of the Board:**

**3.9.1** The IT Strategy Committee of the Board has been constituted to formulate strategies in the matters relating to technology upgradation and other IT initiatives.

3.9.2 समिति में श्री इशराक अली खान, कार्यपालक निदेशक, श्री राजेन्द्र कुमार साबू, कार्यपालक निदेशक, डॉ संजय कुमार, सरकार द्वारा नामित निदेशक, श्री अंजन तालुकदार, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक, श्री रवि कुमार अग्रवाल, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक और श्री के. राजीवन नायर, निदेशक, शेरधरारक श्रेणी के अंतर्गत को सदस्य के रूप शामिल किया गया।

3.9.3 समीक्षाधीन अवधि के दौरान समिति की 6 (छह) बैठकें निम्नलिखित तारीखों को आयोजित की गईं:

02.04.2022	30.06.2022	20.09.2022	25.10.2022	13.12.2022	28.02.2023
------------	------------	------------	------------	------------	------------

### 3.10 एनपीए खातों में वसूली की निगरानी के लिए निदेशक मंडल स्तरीय समिति:

3.10.1 बैंक में एक सख्त निगरानी प्रणाली स्थापित कराने के संबंध में वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निदेशों के अनुपालन में दिनांक 07.12.2012 को एनपीए वसूली की निगरानी के लिए एक निदेशक मंडल स्तरीय समिति बनाई गई है, जो अर्जक आस्तियों में वसूली की प्रगति पर लगातार निगरानी रखेगी।

3.10.2 वर्तमान में इस समिति में श्री सोमा शंकर प्रसाद, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी अध्यक्ष के रूप में, श्री इशराक अली खान, कार्यपालक निदेशक, श्री राजेन्द्र कुमार साबू, कार्यपालक निदेशक, डॉ संजय कुमार, सरकार द्वारा नामित निदेशक और श्री अंजन तालुकदार, निदेशक को सदस्य के रूप में शामिल हैं।

3.10.3 समीक्षाधीन अवधि के दौरान समिति की 5 (पांच) बैठकें निम्नलिखित तारीखों को आयोजित की गईं:

19.05.2022	07.06.2022	20.09.2022	13.12.2022	06.03.2023
------------	------------	------------	------------	------------

### 3.11 अपील मामलों के निपटान के लिए निदेशक मंडल की समिति:

3.11.1 अनुशासनिक प्राधिकारी की क्षमता में प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा जारी आदेशों के विरुद्ध कर्मचारियों द्वारा की गई अपीलों का निपटान करने के लिए अपील मामलों के निपटान के लिए समिति गठित की गई है।

3.11.2 वर्तमान में, इस समिति में डॉ संजय कुमार, सरकार द्वारा नामित निदेशक, श्री राजेश कुमार, आरबीआई द्वारा नामित निदेशक, श्री अंजन तालुकदार, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक, श्री रवि कुमार अग्रवाल, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक और श्री के राजीवन नायर, शेरधरारक निदेशक सदस्य के रूप में शामिल हैं।

3.11.3 समीक्षाधीन अवधि में समिति की बैठक नहीं हुई।

### 3.12 समीक्षा समिति (जान-बूझकर चूक करने वाले):

3.12.1 प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समीक्षा समिति (जान-बूझकर चूक करने वाले) जान-बूझकर चूक करने वाले की घोषणा करने हेतु जान-बूझकर चूक करने वाले की पहचान करने के लिए कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता में गठित समिति के आदेशों की पुष्टि करते हैं।

3.12.2 वर्तमान में, समिति में श्री सोमा शंकर प्रसाद, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी अध्यक्ष के रूप में, श्री अंजन तालुकदार, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक, श्री रवि कुमार अग्रवाल, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक और श्री के राजीवन नायर शेरधरारक निदेशक सदस्य के रूप में शामिल हैं।

3.9.2 The Committee comprised of Shri Ishraq Ali Khan, Executive Director, Shri Rajendra Kumar Saboo, Executive Director, Dr Sanjay Kumar, Government Nominee Director, Shri Anjan Talukdar, Part-time Non-Official Director, Shri Ravi Kumar Agrawal, Part-time Non-Official Director and Shri K. Rajivan Nair, Director under Shareholder category as its members.

3.9.3 During the period under review 06 (six) meetings of the committee were held on the dates as follows:

### 3.10 Board Level Committee for Monitoring Recovery in NPA accounts:

3.10.1 In compliance with the directives of Ministry of Finance, Government of India, to have a robust monitoring mechanism in the Bank, a Board Level Committee for Monitoring of Recovery in NPAs has been constituted on 07.12.2012 to monitor progress in recovery of Non-Performing Assets on regular basis.

3.10.2 The Committee comprises of Shri Soma Sankara Prasad, Managing Director and Chief Executive Officer as its Chairman, Shri Ishraq Ali Khan, Executive Director, Shri Rajendra Kumar Saboo, Executive Director, Dr Sanjay Kumar, Govt. Nominee Director and Shri Anjan Talukdar, Director as its members.

3.10.3 During the period under review, 5 (five) meetings of the committee were held on dates as follows:

19.05.2022	07.06.2022	20.09.2022	13.12.2022	06.03.2023
------------	------------	------------	------------	------------

### 3.11 Committee of the Board for disposal of Appeal Cases:

3.11.1 The Committee for disposal of Appeal Cases is constituted to dispose off appeals preferred by the employees against the orders issued by Managing Director & Chief Executive Officer in the capacity of Disciplinary Authority.

3.11.2 At present, the Committee comprises Dr Sanjay Kumar, Govt. Nominee Director, Shri Rajesh Kumar, RBI Nominee Director, Shri Anjan Talukdar, Part-time Non-Official Director, Shri Ravi Kumar Agrawal, Part-time Non-Official Director and Shri K Rajivan Nair, Shareholder Director as its members.

3.11.3 During the period under review, no meeting of the Committee was held.

### 3.12 Review Committee (Willful Defaulters):

3.12.1 The Review Committee (Willful Defaulters) headed by the Managing Director & Chief Executive Officer and consisting in addition, two independent directors/non-executive directors of the Bank confirms the order of the ED-headed Committee for Identification of Willful Defaulters for declaration of willful defaulters.

3.12.2 At present, the Committee comprises Shri Soma Sankara Prasad, Managing Director & Chief Executive Officer as its Chairman, Shri Anjan Talukdar, Part-time Non-Official Director, Shri Ravi Kumar Agrawal, Part-time Non-Official Director and Shri K Rajivan Nair, Shareholder Director as its members.

3.12.3 समीक्षाधीन अवधि के दौरान समिति की 02 (दो) बैठकें क्रमशः 27.07.2022 तथा 22.03.2023 को आयोजित की गईं।

### 3.13 बोर्ड की कार्यनिष्पादन मूल्यांकन समिति

3.13.1 समिति का गठन भारत सरकार, एमओएफ, डीएफएस के दिशानिर्देश दिनांक 30.08.2019 के अनुसार किया गया है। समिति में सरकार द्वारा नामित निदेशक, एसीबी अध्यक्ष, शेयरधारक निदेशक शामिल हैं।

3.13.2 वर्तमान में, समिति में डॉ संजय कुमार, सरकार द्वारा नामित निदेशक, श्री अंजन तालुकदार, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक, श्री रवि कुमार अग्रवाल, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक और श्री के राजीवन नायर, शेयरधारक श्रेणी के तहत निदेशक सदस्य के रूप में शामिल हैं।

3.13.3 समीक्षाधीन अवधि के दौरान समिति की 01 (एक) बैठक; दिनांक 15.07.2022 को आयोजित की गई।

### 3.14 गैर-पदोन्नति न होने के विरुद्ध अपील के निपटान के लिए बोर्ड की समिति

3.14.1 वर्तमान में समिति के अध्यक्ष श्री सोमा शंकर प्रसाद, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी अध्यक्ष के रूप में, श्री इशराक अली खान, कार्यपालक निदेशक और श्री के राजीवन नायर, शेयरधारक निदेशक को सदस्य के रूप में शामिल किया गया।

3.14.2 समीक्षाधीन अवधि के दौरान समिति की 1 (एक) बैठक दिनांक 18.07.2022 को आयोजित की गई।

### 3.15 बोर्ड स्तरीय ऋण अनुमोदन समिति

3.15.1 वर्तमान समिति में श्री सोमा शंकर प्रसाद, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी अध्यक्ष के रूप में, श्री इशराक अली खान, कार्यपालक निदेशक, श्री राजेन्द्र कुमार साबू, कार्यपालक निदेशक, श्री संजय कुमार, महाप्रबंधक-केडिट और श्री शशिकांत कुमार, महाप्रबंधक-जोखिम प्रबंधन, श्री राजीव गुप्ता, महाप्रबंधक, ऋण तथा श्री सुजय दत्ता, उप महाप्रबंधक, वित्त सदस्य के रूप में शामिल हैं।

3.15.2 समीक्षाधीन अवधि के दौरान समिति की 30 बैठकें आयोजित की गईं।

### 3.16 स्वतंत्र निदेशकों की बैठक

सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 के विनियम 25(3) के अनुसार, बैंक के स्वतंत्र निदेशकों की बैठक दिनांक 22.03.2023 को गैर-स्वतंत्र निदेशकों और प्रबंधन के सदस्यों की उपस्थिति के बिना आयोजित की गई थी, ताकि गैर-स्वतंत्र निदेशकों के प्रदर्शन और उक्त विनियम में निर्दिष्ट अन्य मामले की समीक्षा की जा सके।

सभी स्वतंत्र निदेशक यथा श्री राजीवन नायर, श्री रवि कुमार अग्रवाल तथा श्री अंजन तालुकदार बैठक में उपस्थित थे।

3.12.3 During the period under review, 02 (two) meetings of the Committee were held on 27.07.2022 and 22.03.2023.

### 3.13 Performance Evaluation Committee of the Board

3.13.1 The committee is constituted in terms of GOI, MOF, DFS guideline dated 30.08.2019. The committee comprises of Government Nominee Director, ACB Chairperson, Shareholder Director.

3.13.2 At present, the Committee comprises Dr Sanjay Kumar, Govt. Nominee Director, Shri Anjan Talukdar, Part-time Non-Official Director, Shri Ravi Kumar Agrawal, Part-time Non-Official Director and Shri K Rajivan Nair, Director under Shareholder category as its members.

3.13.3 During the period under review, 01 (one) meeting of the Committee was held on 15.07.2022.

### 3.14 Committee of the Board for Disposal of Appeal against Non-Promotion

3.14.1 The Committee comprised of Shri Soma Sankara Prasad, Managing Director and Chief Executive Officer as its Chairman, Shri Ishraq Ali Khan, Executive Director and Shri K Rajivan Nair, Shareholder Director as its members.

3.14.2 During the period under review, 1 (one) meeting of the Committee was held on 18.07.2022.

### 3.15 Board Level Credit Approval Committee

3.15.1 The Committee comprises of Shri Soma Sankara Prasad, Managing Director and Chief Executive Officer as its Chairman, Shri Ishraq Ali Khan, Executive Director, Shri Rajendra Kumar Saboo, Executive Director, Shri Sanjay Kumar, General Manager-Credit, Shri Shashikant Kumar, General Manager-Risk Management, Shri Rajiv Gupta, General Manager - Credit and Shri Sujoy Dutta, Deputy General Manager -Finance as its members.

3.15.2 During the period under review, 30 (Thirty) meetings of the Committee were held.

### 3.16 Meeting of Independent Directors

In terms of Regulation 25(3) of SEBI (LODR) Regulations 2015, meeting of Independent Directors of the Bank was held on 28.02.2023 without the presence of non-independent directors and members of the management, to review the performance of the non-independent directors and other matters referred to in the said Regulation.

All the Independent Directors viz. Shri K Rajivan Nair, Shri Ravi Kumar Agrawal and Shri Anjan Talukdar were present at the meeting.

4 निदेशक मंडल और निदेशक मंडल की विभिन्न समितियों की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का ब्योरा :

4 The details of attendance of meetings of the Board by the directors and of various Committees of the Board are as under:

बैठक/ Meetings of the										
निदेशक का नाम Name of Director	निदेशक मंडल Board of Directors		निदेशक मंडल की प्रबंध समिति Management Committee of the Board		निदेशक मंडल की ग्राहक सेवा समिति Customer Service Committee of the Board		निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंध समिति Risk Management Committee of the Board		बैंक के मानव संसाधन संबंधी मामले (मानव संसाधन समिति) Committee on HR related issues of the Bank	
	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended
श्री सोमा शंकर प्रसाद प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी Shri Soma Sanakara Prasad MD & CEO	13	13	14	14	04	04	04	04	04	04
श्री अजय व्यास कार्यपालक निदेशक Shri Ajay Vyas Executive Director	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
श्री इशराक अली खान कार्यपालक निदेशक Shri Ishraq Ali Khan Executive Director	13	13	14	14	04	03	04	04	04	04
श्री राजेन्द्र कुमार साबू कार्यपालक निदेशक Shri Rajendra Kumar Saboo Executive Director	05	05	06	06	02	02	02	02	01	01
डॉ. संजय कुमार अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक Dr. Sanjay Kumar Govt. Nominee Director	13	08	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	04	02	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	04	00
श्री राजेश कुमार, आरबीआई नामित निदेशक Shri Rajesh Kumar, RBI Nominee Director	13	09	14	12	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
श्री अंजन तालुकदार, स्वतंत्र निदेशक Shri Anjan Talukdar, Independent Director	13	13	06	06	04	04	04	04	04	04
श्री रवि कुमार अग्रवाल, स्वतंत्र निदेशक Shri Ravi Kumar Agrawal Independent Director	13	13	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	04	04	04	04	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
श्री के. राजीवन नायर, शेयरधारक श्रेणी के निदेशक Shri K. Rajivan Nair,	13	10	08	08	04	03	04	03	04	04

बैठक/Meetings of the											
निदेशक का नाम Name of Director	एनपीए खातों में वसूली की निगरानी के लिए निदेशक मंडल स्तरीय समिति Board Level Committee for monitoring of recovery in NPA Account		बड़ी राशि के कपटों की निगरानी हेतु निदेशक मंडल की विशेष समिति Special Committee of Board for Monitoring Large Value Frauds		निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति Audit Committee of the Board		निदेशक मंडल की सू.प्रौ. कार्यनीति समिति IT Strategy Committee of the Board		निदेशक मंडल की हितधारक संबंध समिति Stake Holders' Relationship Committee of the Board		
	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended	
श्री सोमा शंकर प्रसाद प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी Shri Soma Sankara Prasad MD & CEO	05	05	04	04	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	
श्री अजय व्यास कार्यपालक निदेशक Shri Ajay Vyas Executive Director	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	01	01	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	
श्री इशराक अली खान कार्यपालक निदेशक Shri Ishraq Ali Khan Executive Director	05	05	04	04	08	08	06	06	02	02	
श्री राजेन्द्र कुमार साबू कार्यपालक निदेशक Shri Rajendra Kumar Saboo Executive Director	02	02	01	00	03	03	02	02	01	01	
डॉ. संजय कुमार भारत सरकार के नामित निदेशक Dr. Sanjay Kumar GOI Nominee Director	05	00	04	03	08	08	06	04	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	
श्री राजेश कुमार, आरबीआई नामित निदेशक Shri Rajesh Kumar, RBI Nominee Director	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	08	05	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	
श्री अंजन तालुकदार स्वतंत्र निदेशक Shri Anjan Talukdar Independent , Director	05	05	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	05	05	06	06	02	02	
श्री रवि कुमार अग्रवाल, स्वतंत्र निदेशक Shri Ravi Kumar Agrawal Independent , Director	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	04	04	08	08	06	06	02	02	
श्री के. राजीवन नायर शेयरधारक श्रेणी के निदेशक Shri K. Rajivan Nair Shareholder Director	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	04	04	03	03	06	05	02	01	

बैठक/Meetings of the											
निदेशक का नाम Name of Director	निदेशक मंडल की पारिश्रमिक समिति Performance Evaluation Committee of the Board		निदेशक मंडल की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति Nomination and Remunerations Committee of the Board		निदेशक मंडल की अपील मामलों की निपटान समिति Committee of the Board for Disposal of Appeal Cases		समीक्षा समिति (जान-बूझकर चूककर्ता) Review Committee (Wilful Defaulters)		अपील के निपटान के लिए बोर्ड की समिति गैर पदोन्नति Committee of the Board for Disposal of Appeal against Non-promotion		
	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended	आयोजित* Held*	उपस्थित Attended	
श्री सोमा शंकर प्रसाद प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी Shri Soma Sankara Prasad MD & CEO	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	02	02	01	01	
श्री अजय व्यास कार्यपालक निदेशक Shri Ajay Vyas Executive Director	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	
श्री इशराक अली खान कार्यपालक निदेशक Shri Ishraq Ali Khan Executive Director	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	01	01	
श्री राजेन्द्र कुमार साबू कार्यपालक निदेशक Shri Rajendra Kumar Saboo Executive Director	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	
डॉ. संजय कुमार भारत सरकार के नामित निदेशक Dr. Sanjay Kumar GOI Nominee Director	02	02	02	02	00	00	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	
श्री राजेश कुमार, आरबीआई नामित निदेशक Shri Rajesh Kumar, RBI Nominee Director	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	00	00	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	
श्री अंजन तालुकदार स्वतंत्र निदेशक Shri Anjan Talukdar Independent , Director	02	02	02	02	00	00	02	02	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	
श्री रवि कुमार अग्रवाल, स्वतंत्र निदेशक Shri Ravi Kumar Agrawal Independent , Director	02	02	02	02	00	00	02	01	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	
श्री के. राजीवन नायर शेयरधारक श्रेणी के निदेशक Shri K. Rajivan Nair Shareholder Director	02	02	02	02	00	00	02	02	01	01	

**नोट/Notes:**

- \*निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या / No. of meetings held during the tenure of the Director during the review period
- लागू नहीं - समिति के सदस्य नहीं / NA - Not a member



## 5.0 आम बैठक / General Body Meeting

### 5.1 पिछले तीन वर्षों के दौरान आयोजित शेयरधारकों की बैठक / Shareholders Meetings held during the last three years :

पिछले तीन वर्षों के दौरान आयोजित शेयरधारकों की आम बैठकों के बारे में इस प्रकार हैं

The details of the General Meetings of the Shareholders held during the last 3 years :

बैठक का नाम Name of the meeting	तारीख एवं दिन Date and Day	समय Time	स्थान Venue
असाधारण आम बैठक Extraordinary General Meeting	14 फरवरी, 2020 14 <sup>th</sup> February, 2020	पूर्वाह्न 10.30 10.30 A.M.	भाषा भवन ऑडिटोरियम, नेशनल लाइब्रेरी, बेलवेडियर रोड, अलीपुर कोलकाता - 700 027  Bhasha Bhawan Auditorium, National Library, Belvedere Road, Alipore, Kolkata - 700027
17 <sup>वाँ</sup> वार्षिक आम बैठक 17 <sup>th</sup> Annual General Meeting	7 अगस्त, 2020 7 <sup>th</sup> August, 2020	पूर्वाह्न 11.00 11.00 A.M.	वीडियो कॉन्फरेंस के माध्यम से यूको बैंक, प्रधान कार्यालय, 10 बीटीएम सरणी, कोलकाता- 700001 डीमड स्थल  Through Video Conference Deemed Venue was UCO Bank Head Office, 10, BTM Sarani, Kolkata-700001
असाधारण आम बैठक Extraordinary General Meeting	7 मई, 2021 7 <sup>th</sup> May, 2021	पूर्वाह्न 11.00 11.00 A.M.	वीडियो कॉन्फरेंस के माध्यम से यूको बैंक, प्रधान कार्यालय, 10 बीटीएम सरणी, कोलकाता- 700001 डीमड स्थल  Through Video Conference Deemed Venue was UCO Bank Head Office, 10, BTM Sarani, Kolkata-700001
18 <sup>वाँ</sup> वार्षिक आम बैठक 18 <sup>th</sup> Annual General Meeting	20 जुलाई, 2021 20 <sup>th</sup> July, 2021	पूर्वाह्न 11.00 11.00 A.M.	वीडियो कॉन्फरेंस के माध्यम से यूको बैंक, प्रधान कार्यालय, 10 बीटीएम सरणी, कोलकाता- 700001 डीमड स्थल  Through Video Conference Deemed Venue was UCO Bank Head Office, 10, BTM Sarani, Kolkata-700001
19 <sup>वाँ</sup> वार्षिक आम बैठक 19 <sup>th</sup> Annual General Meeting	24 जून, 2022 24 <sup>th</sup> June, 2022	पूर्वाह्न 11.00 11.00 A.M.	वीडियो कॉन्फरेंस के माध्यम से यूको बैंक, प्रधान कार्यालय, 10 बीटीएम सरणी, कोलकाता- 700001 डीमड स्थल  Through Video Conference Deemed Venue was UCO Bank Head Office, 10, BTM Sarani, Kolkata-700001

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) (i) के अंतर्गत केंद्र सरकार के अतिरिक्त शेयरधारकों में से एक शेयरधारक के चुनाव के लिए दिनांक 19.10.2020 को शेयरधारकों को असाधारण आम बैठक की नोटिस जारी की गई। उक्त नोटिस के परिप्रेक्ष्य में बैंक को निदेशक चुनाव हेतु दो उम्मीदवारों से वैध नामांकन प्राप्त हुए। हालांकि, एक उम्मीदवार ने अपना नामांकन चुनाव होने से पूर्व वापस ले लिया। इस प्रकार चुनाव के लिए केवल एक ही वैध नामांकन श्री के. राजीवन नायर से था। अतः निदेशक चुनाव नहीं हुआ और यूको बैंक (शेयर एवं बैठक) विनियम, 2003 के विनियमन 66(1) के तहत श्री के राजीवन नायर को निदेशक के रूप में चुना हुआ माना गया। दिनांक 26 नवंबर, 2020 को निर्धारित असाधारण आम बैठक को निरस्त कर दिया गया क्योंकि उक्त बैठक में चर्चा के लिए और कोई एजेंडा नहीं था। श्री के राजीवन नायर को रिजर्व बैंक अधिसूचना दिनांक 02.08.2019 के अनुसरण में, वित्त मंत्रालय द्वारा राजपत्रीय अधिसूचना दिनांक 25.10.2021 में यथा प्रकाशित राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं अन्य प्रावधान) योजना 1970, विशेष प्रावधान खंड 14 ए का अवलंब लेते हुए निदेशक मंडल द्वारा फिट और समुचित पाकर 01.02.2021 से तीन साल की अवधि के लिए निदेशक चुना गया।

## 5.2. पिछली वार्षिक आम बैठक में निदेशकों की उपस्थिति :

पिछली वार्षिक आम बैठक 20 जून, 2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) के माध्यम से आयोजित की गई थी। श्री सोमा शंकर प्रसाद, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, श्री इशरक अली खान, कार्यपालक निदेशक, श्री रवि कुमार अग्रवाल, निदेशक और बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष तथा श्री के राजीवन नायर, निदेशक बोर्ड की हितधारक संबंध समिति के अध्यक्ष ने बैठक में भाग लिया।

## 5.3. पिछले तीन वर्षों के दौरान पारित विशेष संकल्प

- आयोजित शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक में एक विशेष प्रस्ताव पारित किया गया जिसके अनुसार बैंक के शेयरधारकों ने इसे सक्षम करने के लिए बोर्ड को अपनी स्वीकृति प्रदान की जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सेबी आईसीडीआर विनियम, 2018 के विनियम 164(1) के अनुसार निर्धारित 2142 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश के सापेक्ष 16.54 रुपए प्रति शेयर के निर्गम मूल्य पर अधिमानतः आधार पर भारत सरकार को 129,50,42,321 इक्विटी शेयर जारी एवं आवंटन करना था।
- 7 अगस्त, 2020 को आयोजित शेयरधारकों की वार्षिक आम बैठक में सार्वजनिक प्रस्ताव/योग्य संस्थागत स्थानन और/या अन्य रूप में पूंजी जुटाने के विकल्पों के माध्यम से 10/- रुपये प्रत्येक के 300,00,00,000 इक्विटी शेयर जारी करने के लिए एक विशेष प्रस्ताव पारित किया गया।
- 7 मई, 2021 को आयोजित शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक में एक विशेष प्रस्ताव पारित किया गया जिसके अनुसार बैंक के शेयरधारकों ने इसे सक्षम करने के लिए बोर्ड को अपनी स्वीकृति प्रदान की जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सेबी आईसीडीआर विनियम, 2018 के विनियम 164(1) के अनुसार निर्धारित 2600 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश के सापेक्ष 12.76 रुपए प्रति शेयर के निर्गम मूल्य पर अधिमानतः आधार पर भारत सरकार को 203,76,17,554 इक्विटी शेयर जारी एवं आवंटन करना था।
- 20 जुलाई, 2021 को आयोजित शेयरधारकों की वार्षिक आम बैठक में, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर/योग्य संस्थागत प्लेसमेंट और/ या अन्य पूंजी जुटाने के विकल्प के माध्यम से प्रत्येक रु. 10/- के 300,00,00,000 तक की इक्विटी शेयर को जारी करने के लिए एक विशेष संकल्प पारित किया गया।

A notice of Extraordinary General Meeting was issued to the shareholders on 19.10.2020 for election of one shareholder director from amongst the shareholders of the Bank other than Central Government under Section 9(3) (i) of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970. In response to the notice, Bank has received valid nominations from two candidates for contesting of election of Director. However, one of the candidates who filed nomination withdrew his nomination before contesting election. As there is only one valid nomination from Shri K Rajivan Nair available for contest, no election of director was held and he is deemed to have been elected as director pursuant to Regulations 66(1) of UCO Bank (Shares and Meetings) Regulations 2003. Extraordinary General Meeting scheduled on 26th November, 2020 stood cancelled since there was no other agenda to be transacted at the meeting. Shri K Rajivan Nair was elected as Director w.e.f. 01.02.2021 for a period of three years after determination of Fit and Proper status by Board of Directors in terms of RBI notification dated 02.08.2019 by invoking Special Provision Clause 14A of Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 issued by Ministry of Finance vide Official Gazette notification dated 25.01.2021.

## 5.2. Attendance of the Directors in the last Annual General Meeting:

The last Annual General Meeting was held on 20th June, 2022 through Video Conference. Shri Soma Sankara Prasad, Managing Director & Chief Executive Officer, Shri Ishraq Ali Khan, Former Executive Director, Shri Ravi Kumar Agrawal, Director and Chairperson of Audit Committee of the Board and Shri K Rajivan Nair, Director and Chairperson of Stakeholder Relationship Committee of the Board, attended the meeting.

## 5.3. Special Resolutions passed during last three years:

- In the Extra Ordinary General Meeting of the shareholders held on 14th February, 2020 a special resolution was passed in terms of which the shareholders of the Bank accorded their approval to the Board enabling it, inter alia, to issue and allot of 129,50,42,321 equity shares to Government of India on preferential basis at an issue price of Rs.16.54 per share determined in accordance with 164(1) of SEBI ICDR Regulations 2018 against its capital infusion of Rs.2142 crore.
- In the Annual General Meeting of the shareholders held on 7th August, 2020, a special resolution passed for issue of 300,00,00,000 equity shares of Rs.10/- each through Follow on public offer/Qualified Institutional Placement and/ or other capital raising options.
- In the Extra Ordinary General Meeting of the shareholders held on 7th May, 2021, a special resolution was passed in terms of which the shareholders of the Bank accorded their approval to the Board enabling it, inter alia, to issue and allot of 203,76,17,554 equity shares to Government of India on preferential basis at an issue price of Rs.12.76 per share determined in accordance with 164(1) of SEBI ICDR Regulations 2018 against its capital infusion of Rs.2600 crore.
- In the Annual General Meeting of the shareholders held on 20th July, 2021, a special resolution passed for issue of upto 300,00,00,000 equity shares of Rs.10/- each through Follow on public offer/Qualified Institutional Placement and/ or other capital raising options.

iv) 24 जून 2022 को संपन्न वार्षिक आम सभा में फॉलोऑन पब्लिक ऑफर/ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट तथा/ या अन्य पूंजी उगाही विकल्पों के माध्यम से रुपए 10 प्रति के 100,00,00,000 शेयर जारी करने का विशेष प्रस्ताव पारित हुआ।

## 6.0 संचार के साधन:

बैंक का मानना है कि सभी हितधारकों को बैंक की गतिविधियों, कार्य और उत्पाद पहल की पूरी जानकारी होनी चाहिए। बैंक की प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध रखनेवाले स्टॉक एक्सचेंजों को बैंक के परिचालन और वित्तीय कार्यनिष्पादन के संबंध में उस तारीख को ही सूचित कर दिया जाता है जिस दिन बैंक के वित्तीय विवरणों का अनुमोदन/समीक्षा करनेवाली निदेशक मंडल की बैठक होती है। इसके अतिरिक्त बैंक का तिमाही/छमाही वार्षिक वित्तीय परिणाम बैंक की वेबसाइट (www.ucobank.com) पर प्रदर्शित किया जाता है। बैंक के ऐसे परिणाम को प्रेस विज्ञापितियों/विज्ञापनों के माध्यम से सार्वजनिक करने के साथ ही प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधियों एवं अन्य सचि लेनेवाले व्यक्तियों के समक्ष भी प्रस्तुत किया जाता है।

सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के अनुसार 30.06.2022, 30.09.2022 एवं 31.12.2022 को समाप्त तिमाही के बैंक के गैर-लेखापरीक्षित किंतु समीक्षित वित्तीय परिणाम निर्धारित समय सीमा के भीतर कम से कम पूरे या अनौपचारिक रूप से पूरे भारत में प्रसारित होने वाले एक अंग्रेजी भाषा के राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र तथा क्षेत्र की भाषा में प्रकाशित एक दैनिक समाचार पत्र, जहां बैंक का पंजीकृत कार्यालय स्थित है यानी बांग्ला में प्रकाशित किए गए।

पूर्ण वार्षिक रिपोर्ट की सॉफ्ट प्रतियां उन सभी शेयरधारकों को भेजी जाती हैं, जिन्होंने अपना ई-मेल पता या तो बैंक के पास या डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत किया है और वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतिलिपि अन्य शेयरधारकों को भेजी जाती है।

## 7.0 साधारण शेयरधारकों के लिए सूचना :

### 7.1 रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट, शेयर अंतरण प्रणाली और निवेशकों की शिकायतों का निवारण:

बैंक द्वारा मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड, (पहले केफिन टेक्नोलॉजी प्रा. लि. के रूप में सुगत) हैदराबाद को अपना रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट नियुक्त किया गया है। शेयर/बांड के निर्गम के संबंध में अन्य गतिविधियों के अलावा, पते में परिवर्तन, बैंक अधिदेश में परिवर्तन/अद्यतन, शेयरों के संचारण से संबंधित सभी शिकायतें उनके निम्नलिखित पते पर उन्हें संबोधित की जा सकती हैं:

#### मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड

(पहले केफिन टेक्नोलॉजी प्रा. लि. के रूप में सुगत)

(इकाई: यूको बैंक)

सेलेनियम टावर बी, प्लॉट नं. 31 एवं 32

गचीबाउली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा

हैदराबाद - 500032

फोन : 040-67162222, टोल फ्री नं. 1800 345 4001

फैक्स : 040 23420814

ई-मेल : einward.ris@kfintech.com

बैंक ने निवेशकों के होल्डिंग के संबंध में विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्त विभाग, प्रधान कार्यालय, कोलकाता में पूर्ण सुविधा संपन्न के साथ कक्ष स्थापना की है।

निवेशकों की शिकायतें यदि बैंक के कार्यालयों में या रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट के कार्यालय में प्राप्त होती हैं, तो उनका त्वरित निष्पादन

v) In the Annual General Meeting of the shareholders held on 24th June, 2022 a special resolution passed for issue of upto 100,00,00,000 equity shares of Rs.10/- each through Follow on public offer/Qualified Institutional Placement and/ or other capital raising options.

## 6.0. Means of Communication:

The Bank believes that all the stakeholders should have access to complete information on its activities, performance and product initiatives. The information about the operational and financial performance of the Bank are communicated to the Stock Exchanges, where the securities of the Bank are listed immediately on the date of Board meeting approving/reviewing the financial statements of the Bank, besides posting of quarterly/half-yearly/annual financial results in Bank's website (www.ucobank.com). Such results are also made public through press releases/advertisements as well as by presentation made to the representatives from print and electronic media and other interested members of the public.

As per the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 Unaudited but Reviewed financial results of the Bank for the quarters ended on 30.06.2022, 30.09.2022 and 31.12.2022 were published within the prescribed time limit in atleast one English Language national daily newspaper circulating in whole or substantially the whole of India and in one daily newspaper published in the language of the region, where the registered office of the Bank is situated i.e. in Bengali.

Soft copies of full Annual Report is sent to all those shareholders who have registered their e-mail address(es) either with the Depositories or Bank's Share Transfer Agent and physical copy of Annual Report is sent to other shareholders.

## 7.0. General Shareholders Information:

### 7.1 Registrar and Share Transfer Agent, Share Transfer System & Redressal of Investor's Grievances:

M/s KFin Technologies Limited (Earlier known as M/s KFin Technologies Pvt. Ltd.), Hyderabad has been appointed by the Bank as its Registrars and Share Transfer Agent. All grievances of shareholders holding shares in physical form regarding change of address, change/updation of bank mandate, transmission of shares, amongst other activities in connection with the issue of Shares/ Bonds may be addressed to them in their following address:

#### M/s. KFin Technologies Limited

(Formerly known as KFin Technologies Pvt. Ltd.)

(Unit : UCO Bank)

Selenium Tower B, Plot No. 31&32,

Gachibowli, Financial District, Nanakramguda,

Hyderabad - 500032

Phone: 040-67162222, Toll Free No. 1800 345 4001 Fax: 040

23420814 e-mail: einward.ris@kfintech.com

Shareholders holding shares in dematerialised form may approach their Depository Participant for any queries/updation/ change of details.

To meet various requirements of investor regarding their shareholding, the Bank has established 'Shares Section'a full-

किया जाता है। भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के दिशानिर्देशों के अनुपालन में, यूको बैंक के शेयरों के बारे में शेयरधारकों / निवेशकों द्वारा किसी भी शिकायत के लिए एक विशिष्ट ई-मेल आईडी-[hosgr.calcutta@ucobank.co.in](mailto:hosgr.calcutta@ucobank.co.in) बनाया गया है।

निवेशक अपना अनुरोध / शिकायत बैंक के पास निम्नलिखित पते पर मेल कर सकते हैं:

श्री एन.पूर्ण चंद्र राव  
कंपनी सचिव  
यूको बैंक : प्रधान कार्यालय  
वित्त विभाग  
2, इंडिया एक्सचेंज प्लेस, तीसरा तल,  
कोलकाता-700 001

टेलीफोन सं. (033)44557227  
ई-मेल: [hosgr.calcutta@ucobank.co.in](mailto:hosgr.calcutta@ucobank.co.in)

fledged cell at Finance Department, Head Office, Kolkata. The investors' grievances received at the Bank's Offices or at the office of the registrar and share transfer agent are redressed expeditiously. In compliance with the SEBI guidelines, a dedicated email id- [hosgr.calcutta@ucobank.co.in](mailto:hosgr.calcutta@ucobank.co.in) has been created for any complaints by the shareholders/investors regarding UCO Bank Shares.

The investors can mail their request /complaint to the Bank in the following address :

Shri N Purna Chandra Rao  
Company Secretary  
UCO Bank : Head Office  
Finance Department  
2, India Exchange Place, 3rd Floor,  
Kolkata - 700 001

Telephone No. (033)44557227  
E-mail : [hosgr.calcutta@ucobank.co.in](mailto:hosgr.calcutta@ucobank.co.in)

**7.1.1** बैंक के शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, मुंबई में सूचीबद्ध हैं। एनएसई प्रतीक UCOBANK है और बीएसई स्क्रिप कोड 532505 है। बैंक पर दोनों स्टॉक एक्सचेंजों को वार्षिक लिस्टिंग शुल्क का भुगतान समय से कर रहा है।

7.1.1 Shares of the Bank are listed on National Stock Exchange of India Limited, Mumbai and Bombay Stock Exchange, Mumbai. NSE Symbol is UCOBANK and BSE Scrip code is 532505. Bank is timely making payment of Annual listing fee to both the stock exchanges.


### 7.2.1 शेयर मूल्य का उतार-चढ़ाव

बीएसई बैंकेक्स और एनएसई निफ्टी 50 का तुलनात्मक इक्विटी प्रदर्शन निम्नलिखित लाइन चार्ट में प्रस्तुत किया गया है:


### 7.2.1 Share Price Movement

The equity performance in comparison to BSE Bankex and NSE Nifty 50 is presented in the following line charts:

एनएसई में स्टॉक प्रदर्शन / STOCK PERFORMANCE AT NSE (वित्तीय वर्ष/FY 2022-23)



बीएसई में स्टॉक प्रदर्शन / STOCK PERFORMANCE AT BSE (वित्तीय वर्ष/FY 2022-23)



\*Share Price indicates monthly closing prices

7.2.2 बाज़ार मूल्य आंकड़े

बैंक के शेयरों का क्रय-विक्रय दिनांक 09.10.2003 को शुरू हुआ। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. (एनएसई) बंबई स्टॉक एक्सचेंज लि. (बीएसई) में क्रय-विक्रय किए गए शेयरों का मासिक उच्च/निम्न भाव और टर्नओवर निम्नानुसार रहा:

7.2.2 Market Price Data

The trading of the Bank's shares commenced on 09.10.2003. The monthly high/low quotations and turnover of the share trading in the National Stock Exchange of India Ltd. (NSE), Bombay Stock Exchange Ltd. (BSE) during the financial year 2022-23 were as follows:

माह Month	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज/N.S.E				बंबई स्टॉक एक्सचेंज/B.S.E			
	उच्च High(₹)	निम्न Low(₹)	बंद Close	टर्नओवर(करोड़ ₹ में) Turnover (₹ in crore)	उच्च High(₹)	निम्न Low(₹)	बंद Close	टर्नओवर(करोड़ ₹ में) Turnover (₹ in crore)
अप्रैल/Apr-22	12.90	11.80	11.85	58.92	12.89	11.75	11.87	19.61
मई/May-22	11.95	10.90	11.60	43.50	11.95	10.91	11.61	14.89
जून/Jun-22	11.80	10.55	10.95	32.09	11.80	10.52	10.95	8.77
जुलाई/Jul-22	11.60	10.75	11.30	31.55	11.60	10.77	11.31	5.57
अगस्त/Aug-22	12.65	11.30	12.00	82.19	12.65	11.10	12.01	15.29
सितंबर/Sep-22	12.75	11.50	11.90	94.59	12.74	11.46	11.90	20.81
अक्टूबर/Oct-22	13.45	11.55	13.20	90.15	13.45	11.53	13.18	23.15
नवंबर/Nov-22	22.45	13.05	19.80	1818.11	22.40	13.06	19.78	218.54
दिसंबर/Dec-22	38.15	19.25	31.50	8119.40	38.15	19.25	31.50	747.02
जनवरी/Jan-23	33.75	27.30	29.65	1908.71	33.75	27.30	29.65	207.40
फरवरी/Feb-23	30.50	23.55	25.90	798.86	30.50	23.55	25.90	126.40
मार्च/Mar-23	28.55	22.25	24.30	640.19	28.50	22.26	24.38	159.38

### 7.3. शेयरों का अमूर्तीकरण

7.3.1 सेबी ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति संख्या 12/2019 दिनांक 27.03.2019 द्वारा निर्णय किया है कि प्रतिभूतियों के प्रसारण या स्थानांतरण के मामलों को छोड़कर, प्रतिभूतियों के हस्तांतरण को प्रभावित करने के अनुरोधों को तब तक संसाधित नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रतिभूतियों को दिनांक 01.04.2019 से डिपॉजिटरी के साथ अमूर्तीकरण रूप में नहीं रखा जाता है। इसलिए, हम शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं कि वे अपनी भौतिक होल्डिंग को तुरंत अमूर्तीकरण कर दें।

अमूर्तीकरण के लिए, शेयरधारक अपने संबंधित निक्षेपागार सहभागी से संपर्क कर सकते हैं, जहां वे अपने संबंधित डीमैट खाते को बनाए रखते हैं। अमूर्तीकरण के लाभ इस प्रकार हैं:

- i) झंझट रहित अंतरण;
- ii) शेयर प्रमाणपत्र के नुकसान का कोई खतरा नहीं;
- iii) लाभांश/कॉर्पोरेट लाभों का प्रत्यक्ष और शीघ्र जमा;
- iv) नामांकन सुविधा;
- v) एएसबीए/आईपीओ आदि के माध्यम से प्रत्यक्ष आवेदन।

भौतिक/डीमैट रूप में शेयर रखने वाले और अभी तक अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे भारत सरकार की हरित पहल का समर्थन करने के लिए अपनी ई-मेल आईडी को बैंक के आरटीए/अपने संबंधित निक्षेपागार सहभागी के साथ पंजीकृत करें।

बैंक के इक्विटी शेयर अनिवार्य रूप से डीमैट रूप में क्रय-विक्रय किए जाने हेतु उपलब्ध हैं। शेयरों के अमूर्तीकरण के लिए बैंक ने एनएसडीएल एवं सीडीएसएल के साथ समझौता किया है। शेयरधारक अपना खाता रखने वाले निक्षेपागार सहभागियों के पास अपने शेयरों का अमूर्तीकरण एनएसडीएल या फिर सीडीएसएल के जरिए करवा सकते हैं। बैंक के इक्विटी शेयरों का आईएसआईएन कूट INE691A01018 है।

वर्ष 2022-23 के लिए स्टॉक एक्सचेंजों तथा डिपॉजिटरी के वार्षिक सूचीकरण शुल्क तथा कस्टडी शुल्क का भुगतान नियत तारीख को किया गया है।

7.3.2 बैंक के पास दिनांक 31 मार्च, 2023 तक भौतिक एवं अमूर्तीकरण रूप में इक्विटी शेयरों की संख्या निम्नलिखित है:

विवरण Particulars	शेयरों की संख्या No. of Shares	%शेयरधारिता % Shareholding
मूर्त/Physical	1,02,06,293	0.09
एनएसडीएल/NSDL	34,99,23,906	2.93
सीडीएसएल/CDSL	11,59,58,27,977	96.99
योग/Total	11,95,59,58,176	100.00

7.3.3 बैंक अपनी डी.एन. रोड शाखा, मुंबई के जरिए राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड (एनएसडीएल) के निक्षेपागार सहभागी (डी.पी) के रूप में कार्य कर रहा है।

7.3.4 बैंक ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान कोई जीडीआर/एडीआर/वारंट या कोई परिवर्तनीय लिखत जारी नहीं की है।

7.3.5 बैंक जिस बाजार की गतिविधियां नहीं करता है।

### 7.3. Dematerialization of Shares

7.3.1 SEBI vide its Press Release No. 12/2019 dated 27.03.2019 has decided that except in case of transmission or transposition of securities, requests for effecting transfer of securities shall not be processed unless the securities are held in dematerialized form with a depository w.e.f. 01.04.2019. Hence, shareholders are requested to dematerialize their physical holding immediately.

For dematerialization, shareholders may contact any SEBI registered Depository Participant, where they wanted to open demat account. Benefits of dematerialization are as follows:

- i) Hassle free transfer ;
- ii) No threat of loss of share certificate;
- iii) Direct and prompt credit of Dividend / Corporate benefits;
- iv) Nomination facility;
- v) Direct application through ASBA/IPO etc.

Shareholders holding shares in Physical / Demat form and not yet registered their email IDs are requested to register their e-mail ID with RTA of Bank / their respective Depository

The equity shares of the Bank are available for trading compulsorily in Demat form. The Bank has entered into an agreement with NSDL and CDSL for dematerialisation of shares. Shareholders can get their shares dematerialised with their Depository Participants maintaining their account either with NSDL or CDSL. The ISIN Code for the Bank's equity share is INE691A01018.

Annual Custody Fee of both the depositories for the year 2022-23 are paid by the Bank within due dates.

7.3.2 As on 31st March, 2023, the bank has following number of equity shares in physical and dematerialized form :

7.3.3 The Bank is functioning as a Depository Participant (D.P) of National Securities Depository Ltd. (NSDL) through D.N. Road Branch, Mumbai.

7.3.4 The Bank has not issued any GDRs/ADRs/Warrants or any convertible instruments during the period under review.

7.3.5 The Bank does not undertake commodity market activities.

## 7.4 शेयरधारिता का वितरण / DISTRIBUTION OF SHAREHOLDING

### 7.4.1 दिनांक 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार शेयरधारिता का स्वरूप / Shareholding Pattern As on 31.03.2023

शेयरधारकों की श्रेणी Category of Shareholders	धारकों की सं. No. of holders	धारित शेयरों की संख्या No. of shares held	इक्विटी का % % of equity
<b>अ. प्रवर्तक की शेयरधारिता</b> <b>A. Promoters' shareholding</b>			
भारत सरकार / Government of India	1	11404910524	95.39
<b>आ. संस्थाएं</b> <b>B. Institutions</b>			
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक Foreign Portfolio Investors	16	19357985	0.16
वित्तीय संस्थाएं/बैंक / Financial Institutions/Banks	8	132005	0.00
बीमा कंपनियां / Insurance Companies	4	148577128	1.24
वैकल्पिक निवेश फंड / Alternative Investment Funds	1	190550	0.00
म्यूचुअल फंड्स/ Mutual Funds	9	15140402	0.13
भारतीय रिजर्व बैंक में पंजीकृत एनबीएफसी / NBFCs Registered with RBI	3	5400	0.00
<b>इ/सी. गैर-संस्थाएं / Non-Institutions</b>			
i. ₹ 2 लाख तक के सामान्य शेयर पूंजी वाले वैयक्तिक शेयरधारक Individual shareholders holding nominal share capital up to ₹2 lakhs	527916	257763108	2.16
ii. ₹ 2 लाख से अधिक के सामान्य शेयर पूंजी वाले वैयक्तिक शेयरधारक Individual shareholders holding nominal share capital in excess of ₹ 2 Lakhs	1623	81516262	0.68
भारतीय रिजर्व बैंक में पंजीकृत एनबीएफसी NBFCs Registered with RBI			
<b>ई/डी. अन्य/Others</b>			
अनिवासी भारतीय / Non Resident Indians	2119	5669458	0.05
समाशोधन सदस्य / Clearing Members	57	740743	0.01
एचयूएफ/HUF	4121	8155741	0.07
कार्पोरेट निकाय / Bodies corporates	1047	13608997	0.11
न्यास / Trust	17	189873	0.00
<b>योग/ TOTAL</b>	<b>536942</b>	<b>11955958176</b>	<b>100.00</b>

### 7.4.2 31.03.2023 को शेयरधारिता श्रेणी का वितरण/Distribution of Shareholders Category wise as on 31.03.2023

श्रेणी(राशि ₹ में)/Category (Amt. in ₹)		शेयरधारकों की सं. No. of Share – Holders	कुल शेयरधारकों का % % of the total Shareholders	कुल शेयरों की सं. No. of Total Shares	कुल शेयरों का % % of the total Shares
से/From	तक/To				
1	5000	525347	97.84	170557332	1.43
5001	10000	6037	1.12	45273102	0.38
10001	20000	3685	0.69	52815410	0.44
20001	30000	830	0.15	20666942	0.17
30001	40000	352	0.07	12368213	0.10
40001	50000	217	0.04	10176966	0.09
50001	100000	314	0.06	22529882	0.19
100001	और अधिक/And above	160	0.03	11621570329	97.20
<b>कुल/TOTAL</b>		<b>536942</b>	<b>100.00</b>	<b>11955958176</b>	<b>100.00</b>

7.4.3 दिनांक 31.03.2023 स्थिति के अनुसार बैंक के शीर्ष 10 शेयरधारक

7.4.3 Top 10 shareholders of the Bank as on 31.03.2023

क्र.सं. SN	शेयरधारक का नाम Name of the Shareholder	शेयरों की सं. No. of Share	कुल पूंजी में शेयर का % % if shares to total Capital
1	भारत के राष्ट्रपति /President of India	11404910524	95.39
2	लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया Life Insurance Corporation of India	148033228	1.24
3	क्वाड्राचर कैपिटल लेटर एस पी लिमिटेड Quadrature Capital Vector Sp Limited	10789192	0.09
4	निप्पन लाइफ इंडिया ट्रस्टी लि. /Nippon Life India Trustee Ltd	8468358	0.07
5	कोटक पीएसयू बैंक ईटीएफ/Kotak PSU Bank ETF	5965168	0.05
6	सीसी एंड ईक्यू इमर्जिंग मार्केट इक्विटी फंड / CC&L Q Emerging Markets Equity Fund	1905669	0.02
7	पब्लिक एम्पलाई रिटायरमेंट सिस्टम ऑफ ओएचआईओ / Public Employees Retirement System Of OHIO	1420172	0.01
8	यूबीएस फंड मैनेजमेंट (स्वीट्जरलैंड) एजी / UBS Fund Management (Switzerland) AG	1417559	0.01
9	सुआशीष डायमंड लिमिटेड / Suashish Diamonds Ltd	1160000	0.01
10	विजय कुमार अग्रवाल / Vijay Kumar Aggarwal	1095000	0.01

7.5 कार्पोरेट लाभ/लाभांश इतिहास

7.5 Corporate Benefits/Dividend History

शेयरधारकों को भुगतान किए गए लाभांश का विवरण निम्नानुसार है:

Details of dividend paid to the shareholders are as under:

वर्ष Year	लाभांश प्रति शेयर (₹) Dividend Per Share (₹)	वर्ष Year	लाभांश प्रति शेयर (₹) Dividend Per Share (₹)
2003-04	0.80	2010-11	3.00
2004-05	1.00	2011-12	3.00
2005-06	-	2012-13	1.60
2006-07	1.00	2013-14 (अंतरिम/Interim)	2.00
		अंतिम/Final	1.00
2007-08	1.00	2014-15	2.00
2008-09	1.00	2015-16 to 2022-23	NIL
2009-10	1.50		

7.6.1. निवेशकर्ता शिक्षा एवं सुरक्षा निधि (आईईपीएफ) में अदत्त/अदावी लाभांश राशि का अंतरण

7.6.1 Transfer of Unpaid/Unclaimed Dividend amount to Investor Education and Protection Fund (IEPF)

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10 (बी)(1) के अनुसार जो लाभांश राशियां अदावी लाभांश खातों में अंतरित किए जाने की तारीख से सात वर्ष की अवधि तक अदत्त या अदावी रहती हैं उन्हें केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित निवेश शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अंतरित कर दिया जाएगा। इन प्रावधानों का अनुपालन

As per Section 10 (B) (1) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the dividend amounts which remain unpaid or unclaimed for a period of seven years from the date of transfer to unclaimed dividend accounts, shall be transferred to the Investor Education and Protection Fund



करते हुए बैंक ने वर्ष 2003-04, 2004-05, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11 2011-12, 2012-13, 2013-14 (अंतरिम एवं फाइनल) एवं 2014-15 का अदत्त लाभांश आईईपीएफ को अंतरित किया।

### 7.6.2. दावे नहीं किए गए शेयर

बैंक के आरंभिक पब्लिक ऑफर जारी करने के बाद कुछ शेयर सर्टिफिकेट हमारे रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंटों के पास एप्लीकेशन फॉर्म में लिखे हुए पते के ठीक नहीं होने के कारण वापस लौट आए हैं। इसके बाद हुए परिवर्तन में बैंक को बोनाफाइड शेयर होल्डरों और ऐसे शेयरों के मालिकों से दावे अथवा अनुरोध प्राप्त होने हैं। सेबी एलओडीआर विनियम के अनुसार बैंक से अपेक्षा की जाती है कि वह बोनाफाइड शेयर होल्डरों अथवा उसके मालिकों से अब तक दावे न किए गए ऐसे शेयरों को डिमैटेरलाइज़ करे।

दिनांक 31.03.2023 तक जिन शेयरों का दावा नहीं किया गया है उनका विवरण इस प्रकार है:

क्र.सं. SI No	विवरण Particulars	शेयरधारकों की सं. No. of shareholders	शामिल शेयरों की सं. No. of shares involved
i.	दिनांक 01.04.2022 की स्थिति के अनुसार अदावाकृत शेयर/ Shares unclaimed as on 01.04.2022	204	28100
ii.	वर्ष 2022-23 के दौरान दावाकृत और हिताधिकारी खाते में अंतरित शेयर/ Shares claimed and transferred to Beneficiary account during the year 2022-23	शून्य/NIL	शून्य/NIL
iii.	दिनांक 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार अदावाकृत शेयर Shares unclaimed as on 31.03.2023	204	28100

असली धारक द्वारा दावा किए जाने तक दावा नहीं किए गए शेयरों के मामले में मताधिकार बद्धवत रहेगा।

### 7.7 बॉण्ड

7.7.1 बैंक ने समय-समय पर डिबेंचर प्रकृति के असुरक्षित, प्रतिदेय, अपरिवर्तनीय बॉण्ड उठाए हैं। दिनांक 31.03.2023 को ऐसे बकाया बांडों का विवरण इस प्रकार है:

(IEPF) established by Central Government. In pursuant to the above provisions, Bank transferred unclaimed dividend for the years 2003-04, 2004-05, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11 2011-12, 2012-13, 2013-14(interim& final) and 2014-15 to IEPF.

### 7.6.2. Unclaimed Shares

Few of the share certificates issued after the Bank's Initial Public Offer returned undelivered to our Registrar & Share Transfer Agents on account of improper address mentioned in the application forms and subsequent change in addresses of the shareholders. Bank is yet to receive claim/request from the bona fide shareholders/owners of such shares. As per the SEBI LODR Regulations, the Bank is required to dematerialize the shares which remained unclaimed by the bonafide shareholders/owners of such shares.

Following are details of the shares unclaimed as on 31.03.2023 :

The voting rights in respect of the unclaimed shares will remain frozen till the claim by the rightful owner.

### 7.7 BONDS

7.7.1 The Bank has raised unsecured, redeemable, non-convertible bonds in the nature of debentures from time to time. The details of such bonds outstanding as on 31.03.2023 are as follows:

क्र.सं. निर्गम विवरण SN. Issue Description	आईएसआईएन नं. ISIN No.	आकार (₹ करोड़ में) Size (₹ in Rs. Crore)	निर्गम की तारीख Date of Issue	परिपक्वता की तारीख Date of Maturity	क्रय विकल्प की तारीख Call option date
1. 9% 9.644% बासेल III टियर II बॉण्ड (शृंखला II) 9.644% Basel III Tier II Bonds (Series II)	INE691A08054	500	28.06.2019	28.06.2029	क्रय विकल्प नहीं No Call option
2. 9.71% बासेल III टियर II बॉण्ड (शृंखला III) 9.71% Basel III Tier II Bonds (Series III)	INE691A08062	500	16.12.2019	16.12.2029	क्रय विकल्प नहीं No Call option
3. 8.51% बासेल III टियर II बॉण्ड (शृंखला IV) 8.51% Basel III Tier II Bonds (Series IV)	INE691A08070	400	22.03.2022	22.03.2032	On or after 22.03.2027
4. 8.51% बासेल III टियर II बॉण्ड (शृंखला IV) 8.51% Basel III Tier II Bonds (Series IV)	INE691A08088	100	31.03.2022	31.03.2032	On or after 22.03.2027
5. 9.50% बासेल III टियर II बॉण्ड (शृंखला I) 9.50% Basel III AT I Bonds (Series I)	INE691A08096	500	17.03.2023	NA	On or after 31.03.2028

### 7.7.2 निर्गत करने के लिए बॉण्ड ट्रस्टी:

बैंक ने उपर्युक्त सभी बॉण्ड निर्गम बॉण्ड के निवेशकों के हितों के बचाव एवं सुरक्षा के लिए बॉण्ड ट्रस्टी के रूप में मेसर्स आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड, मुंबई को नियुक्त किया है। ट्रस्टी का पता नीचे दिया गया है:

#### आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड

एशियन भवन, भू-तल,  
17, आर कमानी मार्ग, बल्लार्ड एस्टेट  
मुंबई - 400 001. फोन: (002) 40807000;  
ई-मेल: itsl@idbitrustee.com

#### सेंट्रल बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया-एमएमओ बिल्डिंग,  
तीसरी मंजिल (पूर्वी विंग), 55 एमजी रोड, फोर्ट,  
मुंबई 400001. दूरभाष: (022) 2261 6217  
ई-मेल: aarti.sharma@cfsi.in

### 7.7.2 Bond Trustee to the Issue:

The Bank has appointed M/s IDBI Trusteeship Services Ltd., Mumbai and M/s Centbank Financial Services Limited as Bond Trustees to the Bond Issues, to safeguard and to protect the interest of the investors of the Bonds. Address of the Trustees are given below:

#### IDBI Trusteeship Services Ltd.

Asian Building, Ground Floor,  
17, R Kamani Marg, Ballard Estate  
Mumbai - 400 001. Tel: (022) 40807000;  
Email: itsl@idbitrustee.com

#### Centbank Financial Services Ltd.

Central Bank of India-MMO Bldg,  
3rd Floor (East Wing),  
55 MG Road, Fort, Mumbai 400001.  
Tel: (022) 2261 6217  
E-mail: aarti.sharma@cfsi.in

### 7.7.3 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार बैंक द्वारा निर्मित बॉण्ड क्रेडिट रेटिंग/

#### Credit Rating Of Bonds Issued By The Bank As On 31.03.2023

रेटिंग एजेंसी का नाम Name of the Rating Agencies	9.664% बासेल III टियर II बॉण्ड शृंखला II 9.644% Basel III Tier II Bonds Series II	9.71% बासेल III टियर II बॉण्ड शृंखला II 9.71% Basel III Tier II Bonds Series II	8.51% बासेल III टियर II बॉण्ड शृंखला IV 8.51% Basel III Tier II Bonds Series IV	8.51% बासेल III टियर II बॉण्ड शृंखला IV 8.51% Basel III Tier II Bonds Series IV	9.50% बॉण्ड शृंखला XII बासेल III शृंखला I 9.50% Basel III At I Bonds Series I
इंडिया रेटिंग एवं रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड India Rating & Research Pvt. Ltd.	AA - (स्थिर/Stable)	AA - (स्थिर/Stable)	AA - (स्थिर/Stable)	AA - (स्थिर/Stable)	---
एक्विट रेटिंग्स एंड रिसर्च लिमिटेड Acuite Ratings & Research Ltd.	AA (स्थिर/Stable)	AA (स्थिर/Stable)	---	---	AA - (स्थिर/Stable)
केयर रेटिंग लिमिटेड Care Rating Ltd.	---	---	---	AA - (स्थिर/Stable)	---
इंफोमेरिकस वैल्यूएशंस एंड रेटिंग प्रा. लिमिटेड Infomerics Valuations and Rating Pvt. Ltd.	---	---	---	---	AA - (स्थिर/Stable)

### 7.7.4 31.03.2023 को सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट पर केडिट रेटिंग

रेटिंग एजेंसी का नाम	रेटिंग	से रेट की गई राशि रु. करोड़ में
क्रिसिल रेटिंग लिमिटेड	ए1+	10000

### 7.7.4 Credit Rating on Certificate of Deposits as on 31.03.2023

Name of Rating Agency	Rating	Rated Amount (Rs. in crore)
CRISIL Ratings Limited	A1+	10000

### 8.0 प्रकटीकरण :

बैंक, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और विविध उपबंध) योजना 1970 द्वारा शासित होता है। सेबी के निदेशों के अनुसार सूचीबद्ध सरकारी क्षेत्र के बैंकों पर लागू, सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के प्रावधान उसी सीमा तक लागू होंगे कि

### 8.0. Disclosures:

The Bank is governed under the Banking Regulations Act 1949, Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertaking) Act 1970, and Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970. SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations are being complied to the extent it is not inconsistent with the Banking

वह उन पर लागू संबंधित कानूनों एवं इस संबंध में भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों का अतिक्रमण नहीं करता है।

### 8.1 निदेशकों का पारिश्रमिक :

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान पूर्णकालिक निदेशकों को भुगतान किए गए पारिश्रमिक का विवरण निम्नलिखित है। पूर्णकालिक निदेशकों को देय 'उत्पादकता से जुड़े प्रोत्साहन' के अलावा प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा कार्यपालक निदेशक का पारिश्रमिक केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है।

Laws i.e. Banking Regulation Act 1949, Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970 and the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970. In case of inconsistency, Banking laws have been followed.

### 8.1. Remuneration of Whole time Directors:

Following are the details of remuneration paid to whole time director during the financial year 2022-23. Other than "Productivity Linked Incentives" payable to the whole time directors, the remuneration of the Managing Director & CEO and Executive Director is fixed by the Central Government.

प्रमुख प्रबंधन कार्मिक/ Key Management Personnel	अवधि/ Period	मर्दे / Items	राशि (लाख ₹ में)/ Amount (₹ in lakhs)
श्री सोमा शंकर प्रसाद Shri Soma Sankara Prasad MD & CEO	01.04.2022 से/to 31.03.2023	पारिश्रमिक, अनुलाभ एवं प्रोत्साहन / Remuneration, perquisites & Incentive जमाराशि/Deposits यूको शेयर में निवेश/Investments in UCO Shares प्राप्त ब्याज/Interest Received उधार/Borrowings	36.64 0.00 0.00 0.00 0.54 0.00
श्री इशराक अली खान का नि Shri Ishraq Ali Khan E D	01.04.2022 से/to 31.03.2023	पारिश्रमिक, अनुलाभ एवं प्रोत्साहन / Remuneration, perquisites & Incentive जमाराशि/Deposits यूको शेयर में निवेश/Investments in UCO Shares प्राप्त ब्याज/Interest Received उधार/Borrowings	32.84 2.36 Nil 0.06 Nil
श्री राजेन्द्र कुमार साबू का नि Shri Rajendra Kumar Saboo ED	21.11.2022 से/to 31.03.2023	पारिश्रमिक, अनुलाभ एवं प्रोत्साहन / Remuneration, perquisites & Incentive जमाराशि/Deposits यूको शेयर में निवेश/Investments in UCO Shares प्राप्त ब्याज/Interest Received उधार/Borrowings	11.79 2.32 Nil 0.02 Nil

### 8.1.1 गैर-कार्यकारी निदेशक को भुगतान किया गया बैठक शुल्क :

पूर्णकालिक निदेशक बैठक शुल्क के लिए पात्र नहीं हैं। अंशालिक निदेशकों को निम्नलिखित दर पर बैठक शुल्क के अलावा बैंक उन्हें कोई अन्य पारिश्रमिक नहीं देता है।

निदेशक मंडल की बैठक के लिए : प्रति बैठक ₹ 40,000/-  
समिति की बैठक के लिए : प्रति बैठक ₹ 20,000/-  
और प्रति सदस्य समिति की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए ₹ 5,000/-

हालांकि, गैर-कार्यकारी निदेशक को भुगतान करने के मानदंड बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं (<https://www.ucobank.com/pdf/Criteria-of-making-payments-to-non-executive-directors.pdf> )

### 8.1.1 Sitting Fee paid to Non-Executive director:

8.1.1 Sitting Fee paid to Non-Executive director:  
Whole time directors are not entitled for sitting fee. The Bank does not pay any remuneration to the part time directors except sitting fees at the following rates.

For Board Meeting : ₹40,000/- per sitting  
For Committee Meeting : ₹20,000/- per sitting and ₹5000/-  
per chairing committee meetings.

However, the criteria for making payment to Non-executive director is hosted on the Bank's website(<https://www.ucobank.com/pdf/Criteria-of-making-payments-to-non-executive-directors.pdf> )  
The Sitting Fee is paid to the non-Executive Directors as per the

गैर-कार्यकारी निदेशकों को राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970 के प्रावधानों के साथ पठित सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार निदेशक मंडल और निदेशक मंडल समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए बैठक शुल्क का भुगतान किया जाता है। वर्ष 2022-23 के दौरान भुगतान किए गए बैठक शुल्क का विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं. SI No.	निदेशक का नाम Name of the Director	राशि (₹.) Amount (Rs)
1.	श्री के राजीवन नायर / Shri K Rajivan Nair	11,55,000/-
2.	श्री अंजन तालुकदार / Shri Anjan Talukdar	13,65,000/-
3.	श्री रवि कुमार अग्रवाल / Shri Ravi Kumar Agrawal	12,05,000/-

provisions of Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970, read with Government guidelines for attending Board and Board Committee meetings. Details of sitting fee paid during the Year 2022-23 are as under :

## 8.2 भौतिक लेनदेन तथा आर्थिक संबंध का प्रकटीकरण :

बैंकिंग कारोबार के सामान्य अनुक्रम के अतिरिक्त बैंक ने अपने प्रवर्तकों, निदेशकों या प्रबंधन आदि के साथ कोई ऐसा तात्त्विक उल्लेखनीय लेनदेन नहीं किया है जो बैंक के व्यापक हितों पर संभावित संकट पैदा कर सके। वर्ष के दौरान बैंक के परिप्रेक्ष्य में गैर-कार्यपालक निदेशक का कोई आर्थिक संबंध या लेनदेन नहीं था।

बैंक के निदेशक तथा वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता के अनुपालन में निदेशकगण, निदेशक मंडल या उसकी उपसमितियों की उन बैठकों में होने वाले विचार-विमर्श में भाग नहीं लेते हैं जिनमें निदेशकगण या उनके नातेदारों से संबंधित मामलों पर चर्चा की जाती है।

**8.3** सार्वजनिक निर्गम आदि से प्राप्त राशि वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, बैंक ने अधिमार्ग आवंटन या योग्य संस्थागत प्लेसमेंट के माध्यम से धन नहीं जुटाया है। बैंक ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान डिबेंचर के रूप में बेसल III अतिरिक्त टियर I बॉन्ड के ज़रिए 500 करोड़ रुपये जुटाए हैं।

**8.4.** 31 मार्च, 2023 को समाप्त पिछले तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाज़ार से संबंधित किसी भी मामले पर सेबी या किसी अन्य सांविधिक/नियामक प्राधिकरण द्वारा बैंक पर कोई गैर-अनुपालन का आरोप, दंड, आक्षेप नहीं लगाया गया है।

**8.5** बैंक के संबंधित पार्टी लेनदेन का प्रकटीकरण 31.03.2023 के तुलन-पत्र के लेखे पर नोट में किया गया है। संबंधित पार्टी लेनदेन से संबंधित नीति बैंक की वेबसाइट के तहत <https://www.ucobank.com/pdf/Policy-on-dealing-with-related-party-transactions.pdf> पर दी गई है।

**8.6** बैंक जिस बाजार की गतिविधियां नहीं करता है; इसलिए जिस मूल्य जोखिम और जिस हेजिंग गतिविधियों के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

**8.7** दिनांक 31 मार्च, 2023 को निदेशक मंडल के निदेशकों के बीच कोई अंतर्संबन्ध नहीं है।

**8.8** बैंक सार्वजनिक हित प्रकटीकरण और सूचनाओं के संरक्षण (पीआईडीपीआई) संकल्प के तहत विसल ब्लोअर नीति की शिकायतों पर केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के दिशानिर्देशों का पालन करता है। बैंक ने विसल ब्लोअर नीति तैयार की है जो बैंक की वेबसाइट <https://www.ucobank.com/pdf/Whistle-Blower-Policy-2021.pdf> पर उपलब्ध है।

**8.9** किसी भी कर्मों को निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति तक पहुँचने से वंचित नहीं किया गया है।

## 8.2. Disclosure of Material Transactions and Pecuniary relationship:

Other than those in the normal course of banking business, the Bank has not entered into any materially significant transaction with its promoters, directors or the management etc. that may have potential conflict with the interest of the Bank at large. There was no pecuniary relationship or transactions of the non-executive director vis-à-vis the Bank during the year.

In compliance of the Code of Conduct for Directors and Senior Management of the Bank, Directors do not take part in the deliberations of the Board and its sub-committees when the matters relating to them or their relatives are discussed.

**8.3.** During the Financial year 2022-23, Bank has not raised funds through Preferential Allotment or Qualified Institutional Placement. Bank has raised Rs.500 crore through issue of BASEL III Additional Tier I Bond in the nature of Debenture during the financial year 2022-23.

**8.4.** There is no instance of non-compliance, penalties, strictures imposed on the Bank by SEBI or any other statutory/regulatory authority on any matter related to Capital Markets during the last three year ended on 31st March, 2023.

**8.5.** The related party transactions of the Bank are disclosed in the Note to accounts of the Balance Sheet as on 31.03.2023. The Policy on dealing with Related Party Transactions placed on website of the Bank under <https://www.ucobank.com/pdf/Policy-on-dealing-with-related-party-transactions.pdf>

**8.6** The Bank does not undertake commodity market activities; hence there is no information on Commodity price risk and Commodity hedging activities.

**8.7** Directors on the board have no inter se relationship as on 31st March, 2023

**8.8** Bank follows Central Vigilance Commission (CVC) guidelines on Whistle Blower policy complaints under Public Interest Disclosure and Protection of Informers (PIDPI) resolution. Bank has framed Whistle Blower Policy which is available on the Bank's website at <https://www.ucobank.com/pdf/Whistle-Blower-Policy-2021.pdf>

**8.9** No personnel have/ has been denied access to the Audit Committee of the Board.

**8.10** बैंक ने सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 34 और अनुसूची V के तहत प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया है और सेबी / कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय एवं किसी भी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा नियुक्त किए गए किसी भी निदेशक को प्रतिबंधित या अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

**8.11** गैर-कार्यकारी/स्वतंत्र निदेशकों को प्रदान किये गये परिचय कार्यक्रमों का विवरण बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है <https://www.ucobank.com/pdf/Details-of-familiarization-programmes-imparted-to-non-executive-independent-directors.pdf>

**8.12** बैंक का लाभांश वितरण दिशानिर्देश बैंक की वेबसाइट <https://www.ucobank.com/pdf/Dividend-Distribution-Guidelines.pdf> पर उपलब्ध है।

**8.13** सांविधिक लेखा परीक्षकों और नेटवर्क फर्म/नेटवर्क इकाई जिसका सांविधिक लेखा परीक्षक एक हिस्सा है, को समेकित आधार पर सूचीबद्ध इकाई और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा भुगतान की गई सभी सेवाओं के लिए कुल शुल्क :

लेखापरीक्षकों 'शुल्क एवं व्यय' (शाखा लेखापरीक्षकों सहित) Auditors' fee and expenses (including Branch auditors)	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष Year ended 31st March 2023	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष Year ended 31st March 2022
	Rs. 41.83 करोड़/crore	Rs. 37.75 करोड़/crore

**8.14** कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के संबंध में प्रकटीकरण:

**8.10** The Bank has obtained certificate under Regulation 34 and schedule V of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and none of the directors have been debarred or disqualified from being appointed by SEBI/ Ministry of Corporate Affairs and any statutory authority.

**8.11** Details of familiarisation programmes imparted to Non-Executive /Independent Directors is available on the bank's website at <https://www.ucobank.com/pdf/Details-of-familiarization-programmes-imparted-to-non-executive-independent-directors.pdf>

**8.12** Dividend Distribution guidelines of the Bank is available on Bank's Website at <https://www.ucobank.com/pdf/Dividend-Distribution-Guidelines.pdf>

**8.13**Total fees for all services paid by the listed entity and its subsidiaries, on a consolidated basis to the Statutory Auditors and all entities in the network firm/network entity of which the statutory auditor is a part:

**8.14** Disclosure in relation to the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013:

वित्तीय वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या Number of Complaints filed during the Financial year	3
वर्ष के दौरान निपटाए गए शिकायतों की संख्या Number of Complaints disposed off during the year	3
वित्तीय वर्ष के अंत तक लंबित शिकायतों की संख्या Number of Complaints pending as on end of the financial year	0

**8.15** यूको बैंक की कोई सहायक कंपनी नहीं है।

### **9.0 विवेकाधीन आवश्यकताओं का अनुपालन**

बैंक ने समय-समय पर संशोधित सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 में प्रदत्त सभी लागू अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन किया है। गैर अनिवार्य अपेक्षाओं के अनुपालन की स्थिति इस प्रकार है:

### **10.0 कार्पोरेट अभिशासन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट**

सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के अधीन यथापेक्षित सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षकों द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए कार्पोरेट अभिशासन पर लेखापरीक्षित प्रमाणपत्र निदेशक मंडल को प्रस्तुत किया गया है और यह कार्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट 2022-23 का अभिन्न अंग है।

8.15 UCO Bank does not have any subsidiaries.

### **9.0 Compliance to Discretionary Requirements**

The Bank has complied with all the applicable mandatory requirements as provided in SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended from time to time. The extent of implementation of discretionary requirements is as under:

### **10.0. Auditors Report on Corporate Governance**

As required under SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Auditors' Certificate on Corporate Governance for the year 2022-23 issued by the Statutory Central Auditors is submitted to the Board of Directors and the same is part & parcel of the Corporate Governance Report 2022-23.

क्र.सं. SN	विवेकाधीन आवश्यकताएं Discretionary Requirements	अनुपालन की स्थिति Status of Implementation
1.	<b>निदेशक मंडल / The Board</b> एक गैर-कार्यकारी अध्यक्ष सूचीबद्ध इकाई के खर्च पर एक अध्यक्ष कार्यालय को बनाए रखने का हकदार हो सकता है और अपने कर्तव्यों के निष्पादन में किए गए खर्चों की प्रतिपूर्ति भी कर सकता है। A non-executive chairperson may be entitled to maintain a chairperson's office at the listed entity's expense and also allowed reimbursement of expenses incurred in performance of his/her duties.	भारत सरकार ने बैंक के बोर्ड में गैर-कार्यपालक अध्यक्ष को नामित नहीं किया है। वर्तमान में एमडी और सीईओ अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। Government of India has not nominated non-executive chairperson on the Board of the Bank. MD & CEO is currently acting as a chairperson .
2.	<b>शेयरधारक का अधिकार / Shareholders Rights</b> पिछले छह महीनों की महत्वपूर्ण घटनाओं के सारांश सहित वित्तीय प्रदर्शन की छमाही घोषणा, प्रत्येक शेयरधारकों के घर में भेजी जा सकती है। A half-yearly declaration of financial performance including summary of the significant events in last six-months, may be sent to each household of shareholders.	बैंक वित्तीय परिणाम को वेबसाइट पर अपलोड कर अनुपालन सुनिश्चित करता है। The Bank ensures compliances by submitting the financial results to stock exchanges and uploading the same on Bank's website.
3.	<b>लेखा-परीक्षा योग्यता / Audit Qualifications</b> सूचीबद्ध इकाई वित्तीय विवरणों की व्यवस्था की ओर अनाशोधित लेखा परीक्षा विकल्प की ओर बढ़ सकती है। The listed entity may move towards a regime of financial statements with unmodified audit opinion.	वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट अनधिकृत है। The Audit Report on the financial statements is unqualified.
4.	<b>आंतरिक लेखा परीक्षक की रिपोर्टिंग / Reporting of Internal Auditor</b> आंतरिक लेखा परीक्षक सीधे लेखापरीक्षा समिति को रिपोर्ट कर सकता है। The Internal Auditor may report directly to the Audit Committee.	बैंक का अपना आंतरिक लेखा परीक्षा / निरीक्षण होता है और उनकी रिपोर्ट को समय-समय पर लेखापरीक्षा समिति के पास समीक्षा के लिए रखा जाता है। The Bank has its own Internal Audit/Inspection and their report are periodically placed to the Audit Committee for review.

बैंक ने सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 17 से 27 एवं विनियम 46 (2) के खंड (ख) से (झ) तथा अनुसूची V के पैरा ग, घ और ङ में निर्दिष्ट कॉरपोरेट गवर्नेंस आवश्यकताओं का अनुपालन इस सीमा तक किया है कि विनियमों की आवश्यकताएं बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 के प्रावधानों और समय-समय पर भारत सरकार / भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी संबंधित दिशा-निर्देशों और निदेशों का उल्लंघन नहीं करती हैं।

#### 11.0 सीईओ एवं सीएफओ का प्रमाणपत्र

सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के अधीन सीईओ एवं सीएफओ का प्रमाणपत्र निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और यह कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट 2022-23 का अभिन्न अंग है।

#### 12.0 बैंक-आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि

मैं घोषणा करता हूँ कि निदेशक मंडल के सभी सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बैंक की आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

कृते यूको बैंक  
ह/-

(सोमा शंकर प्रसाद)  
प्रबंध निदेशक एवं  
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

The Bank has complied with Corporate Governance requirements specified in Regulation 17 to 27 and clauses (b) to (i) of Regulation 46(2) and para C , D and E of Schedule V of SEBI ( Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, to the extent that the requirements of the regulations do not violate the provisions of Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertaking) Act 1970 and the relative guidelines and directions issued by Government of India/ Reserve Bank of India from time to time.

#### 11.0. CEO & CFO Certificate

The Certificate of CEO & CFO under SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, is submitted to the Board of Directors and the same is part & parcel of the Corporate Governance Report 2022-23.

#### 12.0 Affirmation of Compliance with the Bank's Code of Conduct

I declare that all Board Members and Senior Management have affirmed compliance with the Bank's Code of Conduct for the Financial Year 2022-23.

For UCO Bank

sd/-

(Soma Sankara Prasad)  
Managing Director &  
Chief Executive Officer

## कार्पोरेट अभिशासन से संबंधित लेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र

निदेशक मंडल,  
यूको बैंक,  
प्रधान कार्यालय,  
10, वि.त्रै.म. सरणी  
कोलकाता-700001

हमने सेबी (सूचीकरण बाध्यता एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 में यथाविनिर्दिष्ट 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए यूको बैंक द्वारा कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।

कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। हमारी जांच कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु बैंक द्वारा अपनाई गई क्रियाविधि और उसके कार्यान्वयन तक ही सीमित रही। यह न तो लेखापरीक्षा और न ही बैंक के वित्तीय विवरण के बारे में राय की अभिव्यक्ति है।

बैंक द्वारा धारित अभिलेखों और दस्तावेजों के बारे में हमारी समीक्षा तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के आधार पर हमारी राय में, हमारी सर्वोत्तम जानकारी के आधार पर और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हम यह प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने उपर्युक्त विनियमों में यथाविनिर्दिष्ट कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन उस हद तक किया है कि वे आर.बी. आई के दिशानिर्देशों का अतिक्रमण नहीं करते हैं।

हम यह कथित करते हैं कि जोखिम धारक संबंध समिति द्वारा धारित अभिलेखों के अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार बैंक के विरुद्ध एक भी निवेशक शिकायत एक माह से अधिक समय से लंबित नहीं।

हम आगे यह भी कथित करते हैं कि यह अनुपालन बैंक के कार्य संपादन में प्रबंधन की दक्षता या प्रभाविता अथवा बैंक की भावी लाभप्रदता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है।

**कृते खंडेलवाल काकानी एंड कं.**  
सनदी लेखाकार,  
पंजीकरण सं. 001311 सी

**(सीए निरंजन पुरंदरे)**  
भागीदार  
सदस्यता संख्या 072684  
यूडीआईएन: 23072684BGWUZ01214

**कृते आर गोपाल एंड एसोसिएट्स**  
सनदी लेखाकार,  
पंजीकरण सं. 000846 सी

**(सीए राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल)**  
भागीदार  
सदस्यता संख्या 051979  
यूडीआईएन: 23051979BGXFGO9137

**कृते एस के अग्रवाल एंड कं. चार्टर्ड एकाउंटेंट्स एलएलपी**  
सनदी लेखाकार,  
पंजीकरण सं. 306033 ई/ ई 300272

**(सीए संदीप अग्रवाल)**  
भागीदार  
सदस्यता संख्या 058553  
यूडीआईएन: 23058553BGYOGY2170

**कृते घोषाल एंड घोषाल**  
सनदी लेखाकार,  
पंजीकरण सं. 304013 ई

**(सीए सोमनाथ विश्वास)**  
भागीदार  
सदस्यता संख्या 064735  
यूडीआईएन: 23064735BGSLDW6938

स्थान/Place: कोलकाता /Kolkata  
दिनांक/Dated : 02-05-2023

**Auditor's Certificate on Corporate Governance**

To  
The Board of Directors,  
UCO Bank  
Head Office,  
10, B.T. M. Sarani  
Kolkata – 700 001

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by UCO Bank for the year ended 31st March 2023, as stipulated in SEBI (Listing obligations and disclosure requirements) Regulations, 2015.

The compliance of the conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof adopted by the Bank for ensuring the compliance of the conditions of Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion of the Financial Statements of the Bank.

On the basis of our review of records and documents maintained by the Bank and the information and explanations given to us, in our opinion and to the best of our information and according to explanations given to us, we certify that the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above mentioned Regulations to the extent these do not violate RBI guidelines.

We state that no investor grievance is pending for a period exceeding one month as on 31st March 2023 against the Bank as per the records maintained by the Stake Holders Relationship Committee.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

**For KHANDELWAL KAKANI & CO**

Chartered Accountants  
Registration No. 001311C

**(CA NIRANJAN PURANDARE)**

Partner  
Membership No. 072684  
UDIN: 23072684BGWUZO1214

**For R GOPAL & ASSOCIATES**

Chartered Accountants  
Registration No. 000846C

**(CA RAJENDRA PRASAD AGARWAL)**

Partner  
Membership No. 051979  
UDIN: 23051979BGXFGO9137

**For S K AGRAWAL AND CO CHARTERED ACCOUNTANTS LLP**

Chartered Accountants  
Registration No. 306033E/E300272

**(CA SANDEEP AGRAWAL)**

Partner  
Membership No. 058553  
UDIN: 23058553BGYOGY2170

**For GHOSHAL & GHOSAL**

Chartered Accountants  
Registration No. 304013E

**(CA SOMNATH BISWAS)**

Partner  
Membership No. 064735  
UDIN: 23064735BGSLDW6938

स्थान/Place: कोलकाता /Kolkata  
दिनांक/Dated : 02-05-2023



निदेशक मंडल  
यूको बैंक  
प्रधान कार्यालय  
कोलकाता

**विषय : सेबी (सूचीकरण बाध्यता एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17(8) के अंतर्गत सीईओ/सीएफओ का प्रमाण पत्र महोदय,**

सेबी (सूचीकरण बाध्यता एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के अनुपालन में हम निम्न प्रकार से प्रमाणित करते हैं :

- क) हमने बैंक के वर्ष 2022-23 के वित्तीय विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण की समीक्षा की है और हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार-
- इन विवरणों में कोई तात्त्विक असत्य विवरण अंतर्विष्ट नहीं है या किसी तात्त्विक तथ्य को छोड़ा नहीं गया है या कोई भ्रामक विवरण अंतर्विष्ट नहीं है,
  - ये दोनों विवरण बैंक के क्रियाकलापों का सही एवं उचित परिदृश्य प्रस्तुत करते हैं और ये विद्यमान लेखांकन मानकों, लागू विधियों एवं विनियमों के अनुपालन में हैं।
- ख) हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार वर्ष 2022-23 के दौरान बैंक द्वारा ऐसा कोई लेनदेन नहीं किया गया है जो कपटपूर्ण, अनियमित है या बैंक की आचार संहिता का अतिक्रमण करता है।
- ग) हम वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने एवं बनाए रखने का उत्तरदायित्व स्वीकार करते हैं तथा हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावोत्पादकता का मूल्यांकन किया है। इसके साथ ही हमने लेखापरीक्षकों एवं लेखापरीक्षा समिति को ऐसे आंतरिक नियंत्रणों की ऐसी रूपरेखा या परिचालन संबंधी कमियों, यदि हों, का प्रकटीकरण किया है जिनका हमें पता चला है और इन कमियों को दूर करने के लिए हमारे द्वारा उठाए गए या प्रस्तावित कदमों का भी हवाला दिया है।
- घ) हमने लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति को निम्नलिखित से अवगत कराया है :
- वर्ष 2022-23 के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में उल्लेखनीय परिवर्तन
  - वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में उल्लेखनीय परिवर्तन तथा उसका प्रकटीकरण वित्तीय विवरण से संबंधित नोट में किया गया है; और
  - हमारी जानकारी में आए उल्लेखनीय कपट के मामले और उसमें वित्तीय रिपोर्टिंग पर प्रबंधन या बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में उल्लेखनीय भूमिका अदा करनेवाले किसी कर्मचारी की, यदि कोई हो, अंतर्ग्रस्तता।

भवदीय,

ह/-

**सुजय दत्त**

उप महाप्रबंधक और  
मुख्य वित्त अधिकारी

स्थान: कोलकाता  
दिनांक : 02.05.2023

ह/-

**सोमा शंकर प्रसाद**

प्रबंध निदेशक एवं  
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

**शेयरधारकों से हरित पहल के तहत अपील**

जो शेयरधारक डीमैट के रूप में शेयर धारण किए हैं उनसे अनुरोध है कि वे अपने जमाकर्ता के पास अपना ई-मेल आईडी दर्ज कराएँ। जो शेयरधारक अपने शेयर भौतिक रूप में धारण किए हुए हैं उनसे अनुरोध है कि हमारे रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट, कार्वी फिंटेक प्रा. लि. को निम्न प्ररूप में अपनी अनुमति भेजें :

**मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजिस लिमिटेड**

यूनिट : यूको बैंक, सेलेनियम टावर बी, प्लॉट 31-32, गवौबावली,  
फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुडा, सेरीलिंगमपल्ली,  
हैदराबाद - 500 032

मै/हम \_\_\_\_\_, जो भौतिक रूप में बैंक के \_\_\_\_\_ शेयर धारण किए

हुए हैं/हैं, नीचे दिए गए ई-मेल आईडी पर नोटिसों, वार्षिक रिपोर्टों सहित सभी सूचना-पत्र प्राप्त करने का इच्छुक हूँ/के इच्छुक हूँ :

फोलियो न. \_\_\_\_\_ ई-मेल आईडी \_\_\_\_\_

प्रथम धारक के हस्ताक्षर

## Annexure-II

To  
The Board of Directors  
UCO Bank  
Head Office  
Kolkata

Dear Sirs,

**Sub: CEO and CFO Certificate under Regulation 17(8) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.**

Pursuant to SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we hereby certify that:

- a) We have reviewed the financial statements and cash flow statement of the Bank for the year 2022-23 and to the best of our knowledge and belief
  - i. these statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statement that might be misleading;
  - ii. these statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.
- b) There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year 2022-23 which are fraudulent, illegal or violates Bank's Code of Conduct.
- c) We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.
- d) We have indicated to the Auditors and Audit Committee
  - i. significant changes in internal control over financial reporting during the year 2022-23
  - ii. significant changes in accounting policies during the year and the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and
  - iii. instances of significant fraud which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant roles in the Bank's internal control system over financial reporting.

For UCO Bank

For UCO Bank

Yours faithfully,

Sd/-

Sd/-

**Sujoy Dutta**

**Soma Sankara Prasad**

DGM & Chief Financial Officer

Managing Director &  
Chief Executive Officer

Place: Kolkata

Date : 02.05.2023

---

### GREEN INITIATIVE APPEAL TO THE SHAREHOLDERS

The Shareholders holding shares in demat form are requested to register their e-mail id with their Depository. Shareholders holding shares in physical form are requested to send their consent to our Registrar and Transfer Agent, Karvy Fintech Pvt Ltd. on the following format.

#### **M/s KFin Technologies Limited**

Unit : UCO BANK, Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli,  
Financial District, Nanakramguda Serilingampally,  
Hyderabad - 500 032

I/We \_\_\_\_\_ holding \_\_\_\_\_ shares of the Bank in physical form intend to receive all communications including notices, annual reports, through our e-mail id given hereunder :

Folio No \_\_\_\_\_ E-mail id \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Signature of the first holder

31.03.2023 तक बैंक के सीवीओ और महाप्रबंधकों का विवरण

**DETAILS OF CVO AND GENERAL MANAGERS OF THE BANK AS ON 31.03.2023**

क्र.सं. SI No	नाम Name	पद Designation
1	श्रीमती रंजना बोस Smt. Ranjana Bose	मुख्य सतर्कता अधिकारी Chief Vigilance Officer
2	श्री संजय कुमार Shri Sanjay Kumar	महाप्रबंधक, फ्लैगशिप कॉर्पोरेट क्रेडिट General Manager, Flagship Corporate Credit
3	श्री दिलीप कुमार मृधा Shri Dilip Kumar Mridha	महाप्रबंधक, मिड कॉर्पोरेट क्रेडिट विभाग General Manager, Mid Corporate Credit Department
4	श्री मनीष कुमार Shri Manish Kumar	महाप्रबंधक, मानव संसाधन प्रबंधन General Manager, Human Resource Management
5	श्री वी शंकर नारायणन Shri V Sankara Narayanan	महाप्रबंधक, मुंबई कोषागार General Manager, Mumbai Treasury
6	श्रीमती आशा राजीव * Smt. Asha Rajiv *	महाप्रबंधक General Manager
7	श्री सरोज रंजन नायक Shri Saroj Ranjan Nayak	महाप्रबंधक, परिचालन और सेवा विभाग General Manager, Operation and Services Department
8	श्री पंथागनि मनोज Shri Panthagani Manoj	महाप्रबंधक, कार्यनीति आयोजना विभाग General Manager, Strategic Planning Department
9	श्री विजय कुमार Shri Vijay Kumar	महाप्रबंधक, परिचालन और सेवा विभाग General Manager, Operations and Service Department
10	श्री अशोक वी तेलंग Shri Ashok V Telang	महाप्रबंधक, ऋण निगरानी विभाग General Manager, Credit Monitoring Department
11	श्री ए जेना Shri A Jena	महाप्रबंधक, निरक्षण विभाग General Manager, Inspection Department
12	श्री श्रवण कुमार सांख्यान Shri Shrawan Kumar Sankhyan	महाप्रबंधक, खुदरा बैंकिंग विभाग General Manager, Retail Banking Department
13	श्री मनोज कुमार आनंद Shri Manoj Kumar Anand	महाप्रबंधक, कृषि और ग्रामीण व्यवसाय विभाग General Manager, Agri and Rural Business Department
14	श्री प्रदीप कुमार जैन Shri Pradeep Kumar Jain	महाप्रबंधक, सामान्य प्रशासन विभाग General Manager, General Administration Department

क्र.सं. SI No	नाम Name	पद Designation
15	श्री गौतम पात्रा Shri Goutam Patra	महाप्रबंधक, भुवनेवर आंचलिक कार्यालय General Manager, Bhubaneswar ZO
16	श्री प्रेम शंकर झा Shri Prem Shankar Jha	महाप्रबंधक, एमएसएमई विभाग General Manager, MSME Department
17	श्री अम्बिकानंद झा Shri Ambikanand Jha	महाप्रबंधक, न्यू दिल्ली आंचलिक कार्यालय General Manager, New Delhi ZO
18	श्री शशिकान्त कुमार Shri Shashi Kant Kumar	महाप्रबंधक, जोखिम प्रबंधन विभाग General Manager, Risk Management Department
19	श्री आशुतोष सुंदरम Shri Ashutosh Sundaram	महाप्रबंधक, अंतरराष्ट्रीय विभाग General Manager, International Department
20	श्री राजीव गुप्ता Shri Rajeev Gupta	महाप्रबंधक, मुंबई आंचलिक कार्यालय General Manager, Mumbai Zonal Office
21	श्री सत्या रंजन पांडा Shri Satya Ranjan Panda	महाप्रबंधक, मार्केटिंग और वेल्थ मैनेजमेंट विभाग General Manager, Marketing and Wealth Management Department
22	श्री अभिमनु राजक Shri Abhimannu Rajak	महाप्रबंधक, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग General Manager, Dept of Information Technology
23	श्री रंजीत सिंह Shri Ranjeet Singh	महाप्रबंधक, वित्तीय समावेश विभाग General Manager, Financial Inclusion Department
24	श्री रवि शंकर नारायण Shri Ravi Shankar Narayan	महाप्रबंधक, अनुपालन विभाग General Manager, Compliance Department

\* बैंक के बाहर नियुक्ति / Deputation Outside Bank

**सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट**  
**31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए**

(सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम 2015 के विनियमन 24ए के अनुसरण में)

**प्रति**  
**सदस्यगण**  
**यूको बैंक**

यूको बैंक (जिसे आगे बैंक कहा जाएगा) द्वारा प्रयोज्य सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन तथा उत्तम कार्पोरेट व्यवहार के प्रति निष्ठा पर हमने सचिवीय लेखा परीक्षा की है। यह सचिवीय लेखा परीक्षा इस प्रकार से की गई है कि उससे कार्पोरेट आचरणों/सांविधिक अनुपालनों के मूल्यांकन करने का तर्कसंगत आधार मिले। हम इसपर अपना विचार इस प्रकार व्यक्त करते हैं।

सचिवीय लेखा परीक्षा के दौरान बहियों, कागजात, कार्यवाही बहियों, दाखिल किए गए फार्मों तथा रिटर्नों और बैंक द्वारा रखे गए अन्य अभिलेखों, वेबसाइट, बैंक द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों की गई फाइलिंग तथा प्रस्तुतियां तथा बैंक, उसके अधिकारियों, एजेंटों तथा प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के हमारे द्वारा किए गए सत्यापन के आधार पर हम एतद्वारा रिपोर्ट करते हैं कि 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष को कवर करने वाली लेखापरीक्षा अवधि के दौरान हमारे विचार से बैंक ने नीचे सूचीकृत सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि बैंक में नीचे दी हुई रिपोर्टिंग की सीमा तक, उसी तरीके से तथा उसके अध्यक्षीय निदेशक मंडल प्रक्रिया तथा अनुपालन-प्रणाली विद्यमान हैं:

हमने बहियों, कागजात, कार्यवाही बहियों, दाखिल किए गए रिटर्नों और बैंक द्वारा रखे गए अन्य अभिलेखों 31 मार्च, 2023 की निम्नलिखित के प्रावधानों के अनुरूप जांच की है:

- (i) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (एससीआरए)(यथा संशोधित) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम;
- (ii) डिपॉजिटरीज अधिनियम, 1996 और इसके अंतर्गत बनाए गए विनियम और उपनियम;  
भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश:-
  - (क) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और टेकओवर) विनियम, 2011 (लेखा परीक्षा अवधि के दौरान प्रयोज्य नहीं);
  - (ख) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग निषेध) विनियम, 2015;
  - (ग) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूंजी निर्गम और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2018 (लेखा परीक्षा अवधि के दौरान प्रयोज्य नहीं);
  - (घ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ एवं उद्यम इक्विटी) विनियम, 2021 (लेखा परीक्षा अवधि के दौरान प्रयोज्य नहीं);
  - (ङ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (गैर परिवर्तनीय प्रतिभूतियों को जारी और सूचीबद्ध करना) विनियम, 2021;

**SECRETARIAL AUDIT REPORT**

**FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED ON 31ST MARCH, 2023**

(Pursuant to Regulation 24A of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 2015)

**To,**  
**The Members,**  
**UCO BANK**

We have conducted the secretarial audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by UCO Bank (hereinafter called "The Bank"). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Based on our verification of the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the bank, the website, the filings and submissions made by the Bank to the Stock Exchanges and also the information provided by the Bank, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of secretarial audit. We hereby report that in our opinion, the Bank has, during the audit period covering the financial year ended on 31st March, 2023 complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Bank has proper Board-processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have examined the books, papers, minute books and returns filed and other records maintained by the Bank for the financial year ended on 31st March, 2023 according to the provisions of:

- (i) The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') (as amended) and the rules made thereunder;
- (ii) The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed thereunder;  
The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act'):-
  - a) The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 (Not applicable to the Bank during the Audit Period);
  - b) The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015;
  - c) The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 (Not applicable to the Bank during the Audit Period);
  - d) The Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits and Sweat Equity) Regulations, 2021 (Not applicable to the Bank during the Audit Period);
  - e) The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations, 2021;

- (च) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निर्गम और शेयर अंतरण एजेंट का रजिस्ट्रार) विनियम, 1993
- (छ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों की डीलिंग) विनियम, 2009 (लेखा परीक्षा अवधि के दौरान प्रयोज्य नहीं)।
- (ज) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों की वापसी-खरीद) विनियम, 1998 (लेखा परीक्षा अवधि के दौरान प्रयोज्य नहीं)
- (झ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड प्केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें) पंजीकरण एजेंसीप विनियमन, 2011
- (ड) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (जमाकर्ताओं एवं प्रतिभागियों) विनियमन, 2018;

(iii) बैंक पर विशिष्ट रूप से प्रयोज्य अन्य विधि:

- बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949
- बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970,
- राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और प्रकीर्ण उपबंध) योजना, 1970
- यूको बैंक (शेयर तथा बैठकें) संशोधित विनियम, 2003
- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

हमने सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम 2015 के अनुपालन की भी जांच की है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, बैंक ने ऊपर उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमों के उपबंधों, दिशानिर्देशों, मानदंडों का अनुपालन किया है:

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि,

बैंक के निदेशक मंडल का गठन बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन तथा अंतरण) अधिनियम, 1970 के प्रावधानों के अंतर्गत किया गया है जिसमें बोर्ड के कार्यपालक एवं गैर कार्यपालक निदेशकों का इष्टतम संतुलन बनाया गया है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक के निदेशक मंडल के गठन में जो परिवर्तन हुए हैं वे उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुकूल हैं। हालांकि, बैंक के कामगार कर्मचारियों में से एक निदेशक, बैंक के गैर-कर्मचारी कर्मचारियों में से एक को केंद्र सरकार द्वारा उपर्युक्त अधिनियम की अपेक्षा के अनुसार नियुक्ति के लिए नामित नहीं किया जाता है। हालांकि रिक्त पदों को भरने के मामले को वित्त मंत्रालय और वित्तीय सेवा विभाग के पास भेज दिया गया है। इसके अलावा हमने यह नोट किया है कि बैंक शीर्ष 1000 सूचीबद्ध संस्थाओं में से एक है लेकिन सेबी (दायित्व का सूचीकरण और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015 के विनियम 17(1)(a) के अनुसार बोर्ड में कोई स्वतंत्र महिला निदेशक नहीं है।

बैंक ने आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति का गठन किया है। लेखापरीक्षा समिति का गठन सेबी (दायित्व का सूचीकरण और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015 के विनियम 18 का अनुपालन नहीं करता है क्योंकि इस समिति में केवल दो स्वतंत्र निदेशक थे और एक स्वतंत्र निदेशक की कमी थी।

- f) The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993.
- g) The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009 (Not applicable to the Bank during the Audit Period);
- h) The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 1998 (Not applicable to the Bank during the Audit Period);
- i) The Securities and Exchange Board of India {KYC (Know Your Client) Registration Agency} Regulations, 2011.
- j) The Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 2018;

(iii) Other laws specifically applicable to the Bank:

- The Banking Regulation Act 1949
- The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970
- Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme 1970
- UCO Bank (Shares and Meetings) Amendment Regulations, 2003
- Right to Information Act, 2005.

We have also examined compliance with the applicable regulations of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

During the period under review, the Bank has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. mentioned above.

We further report that,

The Board of Directors of the Bank is constituted under the provisions of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 which envisage optimum balance of Executive and Non-Executive Directors on the Board. The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review happened in compliance with the provisions of the Act. However, one director among the workmen employees of the Bank, one among Non-workmen employees of the Bank are not nominated by the Central Government for appointment as per the requirement of the above mentioned Act. However, the matter has been referred to the Ministry of Finance and Department of financial services for filling of the vacant positions. Furthermore, we noted that the Bank is among the top 1000 listed entities, but there was no independent woman director on the Board during the period pursuant to Regulation 17(1)(a) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015.

Bank has constituted Audit Committee of the Board (ACB) as per RBI guidelines. Constitution of Audit Committee is not in compliance with Regulation 18 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, as there were only two Independent Directors and there was shortfall of one Independent Director.

बैंक के बोर्ड पर 01.04.2022 को दो स्वतंत्र निदेशकों की, 02.04.2022 से 21.11.2022 तक एक स्वतंत्र निदेशक की और 22.11.2022 से 31.03.2023 तक दो स्वतंत्र निदेशकों की कमी थी इसलिए, बोर्ड का गठन सेबी एलओडीआर विनियम 2015 के विनियम 17(1)(b) के अनुपालन में नहीं है।

सभी निदेशकों को निदेशक मंडल की बैठकों का विवरण, उसकी कार्यसूची तथा कार्यसूची पर विस्तृत नोट कम-से-कम साथ दिन पहले दे दी जाती है। बैठक में सार्थक सहभागिता हो सके इसके लिए बैठक से पहले कार्यसूची की मर्दों पर और अधिक सूचना तथा स्पष्टीकरण ली जा सके इसकी व्यवस्था विद्यमान है।

निर्णय लिए गए तथा सदस्यों की असहमति नहीं हुई।

इसके आगे हम रिपोर्ट करते हैं कि प्रयोज्य विधियों, नियमों, विनियमों तथा दिशानिर्देशों की निगरानी तथा उनके अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक के आकार तथा परिचालन के अनुरूप प्रणाली तथा प्रक्रिया बैंक में विद्यमान है।

इसके आगे हम रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान बैंक ने उक्त विधियों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों तथा मानकों के अनुसरण में ऐसा कोई विशेष आयोजन/कार्रवाई नहीं की जिसका कोई भारी प्रभाव बैंक पर पड़े सिवा इसके कि:

1. समीक्षाधीन अवधि के दौरान, भारतीय रिज़र्व बैंक ने धारा 47(A)(1)(c) के साथ संबंधित धारा 51 और 46(4)(i) के अनुसार बैंक पर जुर्माना लगाया :
  - i) मुद्रा तिजोरी के परिचालन के लिए रु. 2,41,99,406.01 (दो करोड़ इकतालीस लाख निन्यानबे हजार चार सौ छह और एक पैसे मात्र) है।
  - ii) मुद्रा तिजोरी के परिचालन के अलावा अन्य के लिए दंड राशि रु. 5,87,000/- (पांच लाख सत्तासी हजार रुपये मात्र) है।
2. आरबीआई नियामक के अलावा, रु. 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार मात्र) का जुर्माना लगा था।
3. समीक्षाधीन अवधि के दौरान, बैंक ने 17.03.2023 को 9.50% बासेल III एटी I बांड्स जारी करके रु.500 करोड़ जुटाए।
4. बैंक ने दिनांक 28.12.2022 को बासेल III टियर II बांड की मचोरिटी पर रु.1000 करोड़ का भुगतान किया।

There was a shortfall of two Independent Directors on 01.04.2022, one Independent Director during the period from 02.04.2022 to 21.11.2022 and further shortfall of two Independent Directors during the period from 22.11.2022 to 31.03.2023 on the Board of the Bank. Therefore, the Composition of the Board is not in compliance with Regulation 17(1)(b) of SEBI LODR Regulations 2015.

Adequate notice is given to all directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda were duly sent and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

All decisions were carried through and there was no dissenting members' views.

We further report that there are adequate systems and processes in the Bank commensurate with the size and operations of the Bank to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

We further report that during the Audit Period, the Bank has not incurred any specific event / action that can have a major bearing on the Bank's affairs in pursuance of the above referred laws, rules, regulations, guidelines, standard etc. save and except:-

1. During the period under review The Reserve Bank of India under Section 47(A)(1)(c) read with Section 51 and 46(4)(i) of the Banking Regulation Act, 1949 has imposed penalty on the Bank:
  - i) For Currency Chest Operations Rs. 2,41,99,406.01 (Two Crore Forty One Lacs Ninety Nine Thousand Four Hundred Six and One Paise only)
  - ii) For other than Currency Chest Operation is Rs. 5,87,000/- (Rupees Five Lakh Eighty Seven Thousand only)
2. There was a penalty of Rs. 1,50,000/- (One Lakh Fifty Thousand only) from Other than RBI Regulator.
3. During the period under review, the Bank has raised and allotted 9.50% BASEL III AT I Bonds aggregating to Rs. 500 crore on 17.03.2023.
4. The Bank has redeemed its BASEL III Tier II Bond of Rs.1000 crore on 28.12.2022 on maturity.

कृते एन के एंड एसोसिएट्स  
कंपनी सचिव

ह/-

(नवीन कोठारी)

स्वत्वाधिकारी

एफसीएस सं. 5935

सीपी सं. 3725

दिनांक : 18.05.2023

स्थान : कोलकाता

पीर रीव्यू नं. : 1384/2021

युडीआईएन: F005935E000327586

For N.K & Associates  
Company Secretaries

sd/-

(Navin Kothari)

Proprietor

FCS No. 5935

C P No. 3725

Date : 18.05.2023

Place : Kolkata

Peer Review No. : 1384/2021

UDIN : F005935E000327586

प्रति  
सदस्यगण  
यूको बैंक

विषय: भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (दायित्व का सूचीकरण और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 का विनियमन 34(3) तथा अनुसूची V पैरा सी खंड 10(i) के तहत प्रमाण-पत्र।

हमें दी गई जानकारी और विवरणों तथा सेबी (दायित्व का सूचीकरण और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियमन 34(3) के साथ पठित अनुसूची V पैरा-सी उप खंड 10(i) के संबंध में 31 मार्च, 2023 तक यूको बैंक ("बैंक") के निदेशकों से संबंधित प्रासंगिक अभिलेखों और प्रलेखों के सत्यापन के आधार पर हम प्रमाणित करते हैं कि बैंक के निदेशक मंडल में से कोई भी निदेशक भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड/कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय या ऐसी किसी सांविधिक प्राधिकारी द्वारा निदेशक के रूप में नियुक्त या जारी रखने से वंचित या अयोग्य नहीं हुआ है।

नियुक्ति हेतु पात्रता / बोर्ड में प्रत्येक निदेशक की निरंतरता सुनिश्चित करना बैंक प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारे द्वारा किए गए सत्यापन के आधार पर इनके ऊपर अवधारणा व्यक्त करना हमारा उत्तरदायित्व है। यह प्रमाण पत्र न तो बैंक की भावी सक्षमता का आश्वासन है और न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता का, जिसके द्वारा प्रबंधन ने बैंक का संचालन किया है।

To,  
The Members,  
UCO Bank

Sub: Certificate under Regulation 34(3) and Schedule V Para C clause 10(i) of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Based on information and explanations given to us and on verification of the relevant records and documents related to the Directors of UCO Bank ("the Bank") as on 31st March, 2023 with respect to the regulation 34(3) read with Schedule V Para-C sub clause 10(i) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we certify that none of the directors on the Board of the Bank have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as directors by the Securities and Exchange Board of India /Ministry of Corporate Affairs or any such statutory authority.

Ensuring the eligibility for the appointment / continuity of every Director on the Board is the responsibility of the management of the Bank. Our responsibility is to express an opinion on these based on our verification. This certificate is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor of the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

कृते एन के एंड एसोसिएट्स  
कंपनी सचिव

ह/-

(नवीन कोठारी)  
स्वत्वाधिकारी  
एफसीएस सं. 5935  
सीपी सं. 3725

दिनांक : 16.05.2023  
स्थान : कोलकाता

पीर रीव्यू नं. : 1384/2021  
युडीआईएन: F005935E000315882

For N.K & Associates  
Company Secretaries

sd/-

(Navin Kothari)  
Proprietor  
FCS No. 5935  
C P No. 3725

Date : 16.05.2023  
Place : Kolkata

Peer Review No. : 1384/2021  
UDIN : F005935E000315882



# 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2023

(000' को छोड़ दिया गया है)  
(000's omitted)

पूंजी एवं देयताएं	अनुसूची	31.3.2023 की स्थिति	31.3.2022 की स्थिति
CAPITAL AND LIABILITIES	Schedule	As on 31.3.2023 ₹	As on 31.3.2022 ₹
पूंजी /Capital	1	11955 95 82	11955 95 82
शेयर में लगाई गई राशि Share Application Money			--
आरक्षित निधियां और अधिशेष Reserves & Surplus	2	13808 54 77	11637 53 94
जमा राशियां / Deposits	3	249337 73 70	224072 89 83
उधार Borrowings	4	20501 08 00	13508 14 42
अन्य देयताएं और प्रावधान Other Liabilities & Provisions	5	5259 66 36	6609 47 56
<b>योग /TOTAL</b>		<b>300862 98 65</b>	<b>267784 01 57</b>

कृते खंडेलवाल काकानी एंड कं.  
सनदी लेखाकार, पंजीकरण सं. 001311 सी  
**For KHANDELWAL KAKANI & CO**  
Chartered Accountants  
Registration No. 001311C

(सीए निरंजन पुरंदरे)  
भागीदार  
सदस्यता संख्या 072684  
**(CA NIRANJAN PURANDARE)**  
Partner  
Membership No. 072684

कृते आर गोपाल एंड एसोसिएट्स  
सनदी लेखाकार, पंजीकरण सं. 000846 सी  
**For R GOPAL & ASSOCIATES**  
Chartered Accountants  
Registration No. 000846C

(सीए राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल)  
भागीदार  
सदस्यता संख्या 051979  
**(CA RAJENDRA PRASAD AGARWAL)**  
Partner  
Membership No. 051979

कृते एस के अग्रवाल एंड कं. चार्टर्ड एकाउंटेंट्स एलएलपी  
सनदी लेखाकार, पंजीकरण सं. 306033 ई/ ई300272  
**For S K AGRAWAL AND CO CHARTERED ACCOUNTANTS LLP**  
Chartered Accountants  
Registration No. 306033E/E300272

(सीए संदीप अग्रवाल)  
भागीदार  
सदस्यता संख्या 058553  
**(CA SANDEEP AGRAWAL)**  
Partner  
Membership No. 058553

कृते घोषाल एंड घोषाल  
सनदी लेखाकार, पंजीकरण सं. 304013 ई  
**For GHOSHAL & GHOSAL**  
Chartered Accountants  
Registration No. 304013E

(सीए सोमनाथ बिश्वास)  
भागीदार  
सदस्यता संख्या 064735  
**(CA SOMNATH BISWAS)**  
Partner  
Membership No. 064735

स्थान/Place: कोलकाता /Kolkata  
दिनांक/Dated : 02-05-2023

## 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र (जारी) BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2023 (Contd.)

(000' को छोड़ दिया गया है)  
(000's omitted)

आस्तियां	अनुसूची	31.3.2023 की स्थिति As on 31.3.2023	31.3.2022 की स्थिति As on 31.3.2022
ASSETS	Schedule	₹	₹
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक में अधिशेष			
Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	10300 01 44	10287 54 69
बैंकों में अधिशेष और मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि			
Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	7	18428 08 59	15860 44 41
निवेश/Investments	8	95169 34 52	96873 80 26
अग्रिम/Advances	9	155870 17 87	122784 40 56
अचल आस्तियां/Fixed Assets	10	3509 50 93	3334 92 12
अन्य आस्तियां/Other Assets	11	17585 85 30	18642 89 53
<b>योग /TOTAL</b>		<b>300862 98 65</b>	<b>267784 01 57</b>
आकस्मिक देयताएं/Contingent Liabilities	12	55597 63 27	142556 91 39
वसूली के लिए बिल/Bills for Collection	-	8184 42 76	8039 44 63

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के आनुसूचियां 1 से 18 लेखे के अभिन्न अंग हैं  
The Schedules 1 to 18 form an integral part of the accounts.  
As per our report of even date

सोमा शंकर प्रसाद  
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ  
**SOMA SANKARA PRASAD**  
Managing Director & CEO

श्री राजेन्द्र कुमार साबू  
कार्यपालक निदेशक  
**RAJENDRA KUMAR SABOO**  
Executive Director

डॉ. संजय कुमार  
निदेशक  
**DR. SANJAY KUMAR**  
Director

राजेश कुमार  
निदेशक  
**RAJESH KUMAR**  
Director

अर्जन तालुकदार  
निदेशक  
**ANJAN TALUKDAR**  
Director

रवि कुमार अग्रवाल  
निदेशक  
**RAVI KUMAR AGRAWAL**  
Director

के राजीवन नायर  
निदेशक  
**K RAJIVAN NAIR**  
Director

सुजय दत्ता  
उप महाप्रबंधक  
**SUJOY DUTTA**  
Dy. General Manager

शैलेश नवलखा  
सहायक महाप्रबंधक  
**SHELESH NAVLAKHA**  
Asst. General Manager

स्थान/Place: कोलकाता /Kolkata  
दिनांक/Dated : 02-05-2023

# 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा

## PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2023

(000' को छोड़ दिया गया है)  
(000's omitted)

अनुसूची Schedule	31.3.2023 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.3.2023 ₹	31.3.2022 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.3.2022 ₹
<b>I. आय/INCOME</b>		
अर्जित ब्याज / Interest Earned	13	17650 51 83
अन्य आय /Other Income	14	2508 45 81
<b>योग/TOTAL</b>	<b>20158 97 64</b>	<b>18082 14 57</b>
<b>II. व्यय/EXPENDITURE</b>		
व्यय किया गया ब्याज / Interest Expended	15	10307 39 33
परिचालन व्यय / Operating Expenses	16	5510 91 50
प्रावधान और आकस्मिक व्यय / Provisions & Contingencies		2478 33 05
<b>योग/TOTAL</b>	<b>18296 63 88</b>	<b>17152 38 23</b>
<b>III. लाभ/हानि/PROFIT / LOSS</b>		
वर्ष का निवल लाभ/(हानि) / Net Profit/(Loss) for the Year		1862 33 76
लाभ/(हानि) पिछला अग्रानीत / Net Profit/(Loss) Brought Forward		96 71 62
<b>योग/TOTAL</b>	<b>1959 05 38</b>	<b>929 76 34</b>

कृते खंडेलवाल काकानी एंड कं.  
सनदी लेखाकार, पंजीकरण सं. 001311 सी  
**For KHANDELWAL KAKANI & CO**  
Chartered Accountants  
Registration No. 001311C

(सीए निरंजन पुरंदरे)  
भागीदार  
सदस्यता संख्या 072684  
**(CA NIRANJAN PURANDARE)**  
Partner  
Membership No. 072684

कृते एस के अग्रवाल एंड कं. चार्टर्ड एकाउंटेंट्स एलएलपी  
सनदी लेखाकार, पंजीकरण सं. 306033 ई/ई300272  
**For S K AGRAWAL AND CO CHARTERED ACCOUNTANTS LLP**  
Chartered Accountants  
Registration No. 306033E/E300272

(सीए संदीप अग्रवाल)  
भागीदार  
सदस्यता संख्या 058553  
**(CA SANDEEP AGRAWAL)**  
Partner  
Membership No. 058553

कृते आर गोपाल एंड एसोसिएट्स  
सनदी लेखाकार, पंजीकरण सं. 000846 सी  
**For R GOPAL & ASSOCIATES**  
Chartered Accountants  
Registration No. 000846C

(सीए राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल)  
भागीदार  
सदस्यता संख्या 051979  
**(CA RAJENDRA PRASAD AGARWAL)**  
Partner  
Membership No. 051979

कृते घोषाल एंड घोषाल  
सनदी लेखाकार, पंजीकरण सं. 304013 ई  
**For GHOSHAL & GHOSAL**  
Chartered Accountants  
Registration No. 304013E

(सीए सोमनाथ बिश्वास)  
भागीदार  
सदस्यता संख्या 064735  
**(CA SOMNATH BISWAS)**  
Partner  
Membership No. 064735

स्थान/Place: कोलकाता /Kolkata  
दिनांक/Dated : 02-05-2023

**31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा (जारी)**  
**PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH,**  
**2023 (CONTD.)**

(000' को छोड़ दिया गया है)  
(000's omitted)

अनुसूची को समाप्त वर्ष Schedule	31.3.2023 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.3.2023 ₹	31.3.2022 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.3.2022 ₹
<b>IV. विनियोजन/APPROPRIATIONS</b>		
सांविधिक आरक्षित निधियों में अंतरण / Transfer to Statutory Reserves	465 58 44	232 44 08
पूंजी आरक्षित निधियों में अंतरण / Transfer to Capital Reserves	18 16 65	41 29 90
निवेश अस्थिरता आरक्षित में अंतरण / Transfer from Investment Fluctuation Reserves	- 143 27 00	559 30 74
प्रस्तावित लाभांश / Proposed Dividend		
शेषराशि तुलनपत्र में आगे लाई गई Balance Carried over to Balance Sheet	1618 57 29	96 71 62
<b>योग /TOTAL</b>	<b>1959 05 38</b>	<b>929 76 34</b>
मुख्य लेखा नीतियां / Principal Accounting Policies	17	17
लेखों पर टिप्पणी / Notes on Accounts	18	18
मूल एवं न्युनीकृत ईपीएस (₹) / Basic & Diluted EPS (₹)	₹ 1.56	₹ 0.80

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार अनुसूची 1 से 18 लेखे के अभिन्न अंग हैं  
The Schedules 1 to 18 form an integral part of the accounts  
As per our Report of even date

सोमा शंकर प्रसाद  
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ  
**SOMA SANKARA PRASAD**  
Managing Director & CEO

श्री राजेन्द्र कुमार साबू  
कार्यपालक निदेशक  
**RAJENDRA KUMAR SABOO**  
Executive Director

डॉ. संजय कुमार  
निदेशक  
**DR. SANJAY KUMAR**  
Director

राजेश कुमार  
निदेशक  
**RAJESH KUMAR**  
Director

अर्जन तालुकदार  
निदेशक  
**ANJAN TALUKDAR**  
Director

रवि कुमार अग्रवाल  
निदेशक  
**RAVI KUMAR AGRAWAL**  
Director

के राजीवन नायर  
निदेशक  
**K RAJIVAN NAIR**  
Director

सुजय दत्ता  
उप महाप्रबंधक  
**SUJOY DUTTA**  
Dy. General Manager

शैलेश नवलखा  
सहायक महाप्रबंधक  
**SHELESH NAVLAKHA**  
Asst. General Manager

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र  
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2023

अनुसूची 1 — पूंजी  
Schedule 1 — CAPITAL

(000' को छोड़ दिया गया है)  
(000's omitted)

	31.3.2023 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2023 ₹	31.3.2022 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2022 ₹
<b>प्राधिकृत पूंजी/Authorised Capital</b> प्रत्येक ₹ 10/- के 1500,00,00,000 (1500.00,00,000) ईक्विटी शेयर 1500,00,00,000 (1500,00,00,000) Equity Shares of ₹ 10/- each	15000 00 00  <b><u>15000 00 00</u></b>	15000 00 00  <b><u>15000 00 00</u></b>
<b>निर्गमित, अभिदत्त व प्रदत्त पूंजी</b> <b>Subscribed, Issued and Paid up Capital</b> प्रत्येक ₹ 10/- के 11195,59,58,176 (1195,59,58,176) ईक्विटी शेयर 11195,59,58,176 (1195,59,58,176) Equity Shares of ₹ 10/- each [केन्द्र सरकार द्वारा धारित 1140,49,10,524 (1140,49,10,524) शेयर इसमें शामिल हैं] [includes 1140,49,10,524 (1140,49,10,524) shares held by Central Govt.]	11955 95 82	11955 95 82
<b>योग /TOTAL</b>	<b>11955 95 82</b>	<b>11955 95 82</b>

**31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र  
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2023**

**अनुसूची 2 – आरक्षित निधियां और अधिशेष  
Schedule 2 – RESERVES & SURPLUS**

(000' को छोड़ दिया गया है)  
(000's omitted)

	31.3.2023 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2023		31.3.2022 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2022	
	₹	₹	₹	₹
<b>I. सांविधिक आरक्षित निधियां/Statutory Reserve:</b>				
प्रारंभिक शेष/Opening Balance	2530	11 10	2297	67 02
वर्ष के दौरान परिवर्धन / कटौती				
Addition / Deduction during the year	<u>465</u>	<u>58 44</u>	<u>232</u>	<u>44 08</u>
		2995 69 54		2530 11 10
<b>II. पूंजी आरक्षित निधियां/Capital Reserve :</b>				
क) पूंजीगत प्राप्ति/ a) Capital Gain				
अंतिम लेखे के अनुसार शेष		1 17 00		1 17 00
ख/ब)निवेश/Investment :				
प्रारंभिक शेष/Opening Balance	925	71 44	884	41 54
लाभ और हानि लेखे से अंतरण/				
Transfer from Profit and Loss Account	<u>18</u>	<u>16 65</u>	<u>41</u>	<u>29 90</u>
	943	88 09	925	71 44
		943 88 09		925 71 44
ग) अचल आस्तियों का पुनर्मूल्यन :				
c) Revaluation of Fixed Assets :				
प्रारंभिक शेष/Opening Balance	2732	19 30	2691	44 21
वर्ष के दौरान परिवर्धन				
Addition during the year	<u>95</u>	<u>35 80</u>	<u>69</u>	<u>19 92</u>
वर्ष के दौरान कटौती/	2827	55 10	2760	64 13
Deduction during the year	<u>24</u>	<u>25 21</u>	<u>28</u>	<u>44 83</u>
		2803 29 89		2732 19 30
<b>III. शेयर प्रीमियम/ Share Premium</b>				
प्रारंभिक शेष/ Opening Balance	3625	71 03	15720	36 07
वर्ष के दौरान परिवर्धन/				
Addition during the year			<u>562</u>	<u>38 23</u>
वर्ष के दौरान कटौती/				
Deduction during the year			12657	03 27
		3625 71 03		3625 71 03
<b>IV. राजस्व एवं अन्य आरक्षित निधियां/ Revenue &amp; Other Reserves</b>				
क/अ) सामान्य आरक्षित निधि/ General Reserve :				
प्रारंभिक शेष/ Opening Balance	545	71 75	601	82 72
वर्ष के दौरान परिवर्धन/ Addition during the year	<u>116</u>	<u>24 95</u>	<u>28</u>	<u>27 03</u>
	661	96 70	630	09 75
वर्ष के दौरान कटौती/				
Deduction during the year			<u>84</u>	<u>38 00</u>
		661 96 70		630 09 75
		661 96 70		545 71 75

**31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र**  
**BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2023**

**अनुसूची 2 — आरक्षित निधियां और अधिशेष (जारी)**  
**Schedule 2 — RESERVES & SURPLUS (Contd.)**

(000' को छोड़ दिया गया है)  
(000's omitted)

	31.3.2023 की स्थिति के अनुसार		31.3.2022 की स्थिति के अनुसार	
	As on 31.3.2023		As on 31.3.2022	
	₹	₹	₹	₹
ख) विदेशी मुद्रा अंतरण आरक्षित निधि/ b) Foreign Currency Translation Reserve				
प्रारंभिक शेष/Opening Balance	615 73 18		543 05 21	
जोड़ें : विनिमय उचंत लेखे में अंतरण/ Add: Transfer to/from Exchange Suspense				
वर्ष के दौरान परिवर्धन/ Addition during the year	121 31 52		72 67 97	
	<u>737 04 70</u>		<u>615 73 18</u>	
वर्ष के दौरान कटौती/ Deduction during the year				
		737 04 70		615 73 18
ग) निवेश आरक्षित निधि c) Investment Reserve				
प्रारंभिक शेष/Opening Balance	5 16 79		5 16 79	
लाभ और हानि लेखे से अंतरण/ Transfer to Profit and Loss Account				
		5 16 79		5 16 79
d) Investment Fluctuation Reserve				
प्रारंभिक शेष/Opening Balance	559 30 74			
वर्ष के दौरान परिवर्धन/ Addition during the year	-143 27 00		559 30 74	
		416 03 74		559 30 74
V. लाभ-शेष/Balance of Profit				
प्रारंभिक शेष/Opening Balance	96 71 61		(-)12657 03 27	
शेयर प्रीमियम से अंतरण Transfer from Share Premium			12657 03 27	
लाभ और हानि लेखे से अंतरण/ Transfer from Profit and Loss Account	1521 85 68		96 71 61	
		1618 57 29		96 71 61
<b>TOTAL(I to V)</b>		<b>13808 54 77</b>		<b>11637 53 94</b>

**31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र**  
**BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2023**  
**अनुसूची 3 – जमाराशियां/Schedule 3 – DEPOSITS**

(000' को छोड़ दिया गया है)  
(000's omitted)

	31.3.2023 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2023 ₹	31.3.2022 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2022 ₹
<b>अ/अ. I. मांग जमाराशियां/Demand Deposits</b>		
i) बैंकों से/From Banks	180 22 27	230 84 61
ii) अन्य से/From Others	10447 98 78	10938 29 46
<b>II. बचत बैंक जमाराशियां/Savings Bank Deposits</b>	81095 91 94	77161 76 43
<b>III. मीयादी जमाराशियां/Term Deposits</b>		
i) बैंकों से/From Banks	5827 65 30	4424 24 84
ii) अन्य से/From Others	151785 95 41	131317 74 49
<b>योग/TOTAL (I, II &amp; III)</b>	<b>249337 73 70</b>	<b>224072 89 83</b>
<b>अ/अ. i) भारत में शाखाओं की जमाराशियां/ Deposits of Branches in India</b>	240740 70 83	217719 68 72
ii) भारत के बाहर की शाखाओं की जमाराशियां/ Deposits of Branches outside India	8597 02 87	6353 21 11
<b>योग/TOTAL (i &amp; ii )</b>	<b>249337 73 70</b>	<b>224072 89 83</b>

**अनुसूची 4 – उधार**  
**Schedule 4 – BORROWINGS**

(000 को छोड़ दिया गया है)  
(000's omitted)

	31.3.2023 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2023 ₹	31.3.2022 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2022 ₹
<b>I. भारत में उधार/Borrowings in India</b>		
i) भारतीय रिजर्व बैंक/Reserve Bank of India		
ii) अन्य बैंक/Other Banks	14231 84 39	6912 40 00
iii) * अन्य संस्थाएं और अभिकरण * Other Institutions and Agencies	5983 01 63	5903 25 70
<b>II. भारत के बाहर उधार/Borrowings outside India</b>	286 21 98	692 48 72
<b>योग (I एवं II) TOTAL (I &amp; II)</b>	<b>20501 08 00</b>	<b>13508 14 42</b>
ऊपर I और II में शामिल प्रतिभूत उधार/ Secured borrowings included in I & II above	18214 86 03	10315 53 30
*इसमें शामिल है/* Includes		
सिडबी पुनर्वित्त/SIDBI Refinance	1526 02 00	939 71 00
नाबार्ड पुनर्वित्त/NABARD Refinance	1 11	2 61
एनएचबी पुनर्वित्त/NHB Refinance		
मुद्रा पुनर्वित्त/MUDRA Refinance	157 10 00	370 92 00
गौण ऋण/Subordinated Debt		1000 00 00
अपर टियर II बॉण्ड/Upper Tier II Bond		
बासेल III कंप्लायंट टीयर - II बॉण्ड Basel-III Compliant Tier-II Bonds	1500 00 00	1500 00 00
सीबीएलओ/CBLO	2299 88 53	2092 60 09
एटि-1/AT - 1	500 00 00	



## 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2023

### अनुसूची 5 — अन्य देयताएं और प्रावधान Schedule 5 — OTHER LIABILITIES & PROVISIONS

(000' को छोड़ दिया गया है)  
(000's omitted)

	31.3.2023 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2023	31.3.2022 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2022
₹	₹	
I. संदेय बिल/Bills Payable	539 30 89	607 71 60
II. अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)/ Inter Office Adjustments (Net)	154 68 88	379 17 87
III. प्रोद्भूत ब्याज/Interest Accrued	893 06 07	627 96 31
IV. * अन्य (इसमें प्रावधान शामिल हैं)/ * Others (including provisions)*	3672 60 52	4994 61 78
<b>योग /TOTAL</b>	<b>5259 66 36</b>	<b>6609 47 56</b>
*इसमें शामिल हैं /* Includes		
मानक आस्तियों के एवज में प्रावधान/Provision on Standard Assets	884 02 64	818 05 87

### अनुसूची 6 — भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और अतिशेष Schedule 6 — CASH & BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

(000 को छोड़ दिया गया है)  
(000's omitted)

	31.3.2023 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2023	31.3.2022 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2022
	₹	₹
I. हाथ-नकदी (इसमें विदेशी करेंसी नोट सम्मिलित हैं)/ Cash in hand (including Foreign Currency Notes)	914 23 17	916 70 94
II. भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाशेष/ Balances with Reserve Bank of India		
i) चालू खाते में/In Current Account	9364 29 88	9280 44 69
ii) अन्य खातों में/In Other Accounts	21 48 39	90 39 06
<b>योग (I एवं II)/TOTAL(I &amp; II)</b>	<b>10300 01 44</b>	<b>10287 54 69</b>

**31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र**  
**BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2023**

**अनुसूची 7 — बैंकों में जमाशेष और मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि**  
**Schedule 7 — BALANCES WITH BANKS AND**  
**MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE**

(000' को छोड़ दिया गया है)  
(000's omitted)

	31.3.2023 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2023 ₹	31.3.2022 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2022 ₹
<b>I. भारत में/In India</b>		
i) बैंकों में जमाशेष/Balances with Banks		
क) चालू खातों में		
a) In Current Accounts	2 73 83	10 75 36
ख) अन्य जमा खातों में		
b) In Other Deposit Accounts	13647 27 45	6691 82 19
ii) मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि Money at Call and Short Notice		
क) बैंकों के पास		
a) With Banks		5300 00 00
ख) अन्य संस्थाओं के पास		
b) With Other Institutions		128 20 88
<b>योग / TOTAL</b>	<b>13650 01 28</b>	<b>12130 78 43</b>
<b>II. भारत के बाहर/ Outside India</b>		
i) चालू खातों में/In Current Accounts	183 27 70	184 74 87
ii) अन्य जमा खातों में/In Other Deposit Accounts	3936 13 32	3217 40 66
iii) मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि Money at Call and Short Notice	658 66 29	327 50 45
<b>योग /TOTAL</b>	<b>4778 07 31</b>	<b>3729 65 98</b>
<b>कुल योग (I एवं II)/GRAND TOTAL (I&amp;II)</b>	<b>18428 08 59</b>	<b>15860 44 41</b>

# 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2023

## अनुसूची 8 — निवेश

### Schedule 8 — INVESTMENTS

(000' को छोड़ दिया गया है)

(000's omitted)

	31.3.2023 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2023 ₹	31.3.2022 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2022 ₹
<b>I. भारत में निम्नलिखित में निवेश/ Investments in India in</b>		
i) सरकारी प्रतिभूतियां/Government Securities	67080 45 32	68979 71 13
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां/ Other Approved Securities	-	-
iii) शेयर/Shares	337 36 47	413 11 52
iv) डिबेंचर और बंधपत्र/Debentures and Bonds	23622 80 64	24457 89 67
v) अनुषंगी और/या संयुक्त उद्यम/एसोशिएट्स Investment in Associates	198 55 69	198 55 69
vi) अन्य (इंदिरा विकास पत्र, म्यूचुअल फंड, अन्य / Others	956 29 18	598 72 55
<b>योग/TOTAL</b>	<b>92195 47 30</b>	<b>94648 00 56</b>
<b>II. भारत के बाहर निम्नलिखित में निवेश/ Investments outside India in</b>		
i) सरकारी प्रतिभूतियां (इनमें स्थानीय प्राधिकरण शामिल हैं)/ Government Securities (including Local Authorities)	2973 87 22	2225 79 70
ii) अन्य निवेश / Other Investments		
क/a) शेयर/Shares	-	-
ख/b) डिबेंचर/Debentures	-	-
ग/c) अन्य/Others	-	-
<b>योग/TOTAL</b>	<b>2973 87 22</b>	<b>2225 79 70</b>
<b>कुल योग(I एवं II)*/GRAND TOTAL(I &amp; II)**</b>	<b>95169 34 52</b>	<b>96873 80 26</b>

\*\* निवेशों पर मूल्यहास/अनर्जक निवेशों हेतु प्रावधान /

\*\* Net of provision for Depreciation on Investments & Provision for Non-Performing Investments

निवेश INVESTMENTS	31.3.2023 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2023			31.3.2022 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2022		
	सकल मूल्य Gross Value ₹	प्रावधान # Provision # ₹	निवल मूल्य Net Value ₹	सकल मूल्य Gross Value ₹	प्रावधान # Provision # ₹	निवल मूल्य Net Value ₹
I. भारत में/ In India	94692 51 24	2497 03 94	92195 47 30	96817 76 20	2169 75 64	94648 00 56
II. भारत के बाहर Outside India	2976 01 41	2 14 19	2973 87 22	2227 60 41	1 80 71	2225 79 70
<b>योग/TOTAL</b>	<b>97668 52 65</b>	<b>2499 18 13</b>	<b>95169 34 52</b>	<b>99045 36 61</b>	<b>2171 56 35</b>	<b>96873 80 26</b>

# निवेश पर मूल्यहास/अनर्जक आस्ति निवेशों के लिए प्रावधान

# Provision for Depreciation on Investment & Provision for Non-Performing Investments.

**31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र**  
**BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2023**  
**अनुसूची 9 – अग्रिम**  
**Schedule 9 – ADVANCES**

(000' को छोड़ दिया गया है)  
(000's omitted)

	31.3.2023 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2023 ₹	31.3.2022 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2022 ₹
अ/A. (i) खरीदे और भुनाए गए बिल/ Bills Purchased and Discounted	8995 29 25	4209 82 71
(ii) नकदी ऋण, ओवरड्राफ्ट और मांग पर देय ऋण / Cash Credits, Overdrafts and Loans repayable on demand	62667 06 92	55713 41 21
(iii) मीयादी ऋण/Term Loans	84207 81 70	62861 16 64
<b>योग/TOTAL</b>	<b>155870 17 87</b>	<b>122784 40 56</b>
आ/B. (i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत/ (बही ऋण के एवज में अग्रिम सहित)/ Secured by Tangible Assets (includes advances against book debts)	116942 89 14	97728 30 59
(ii) बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा संरक्षित/ Covered by Bank/Govt. Guarantees	5460 47 35	1629 66 54
(iii) अप्रतिभूत/Unsecured	33466 81 38	23426 43 43
<b>योग/TOTAL</b>	<b>155870 17 87</b>	<b>122784 40 56</b>
इ/C. I. भारत में अग्रिम/Advances in India -		
(i) प्राथमिकता क्षेत्र/Priority Sectors	61429 58 23	52363 02 46
(ii) सार्वजनिक क्षेत्र/Public Sectors	23829 18 24	20046 47 96
(iii) बैंक/Banks	3256 84 02	2052 29 04
(iv) अन्य/Others	45718 43 83	34803 86 87
<b>योग/TOTAL</b>	<b>134234 04 32</b>	<b>109265 66 33</b>
II. भारत के बाहर अग्रिम/Advances outside India -		
(i) बैंकों से प्राप्य/ Due from Banks	-	-
(ii) अन्य से प्राप्य/Due from Others		
(क) खरीदे और भुनाए गए बिल (a) Bills Purchased and Discounted	4492 95 13	2034 78 76
(ख) सामूहिक उधार (b) Syndicated loans	15405 98 28	11370 43 26
(ग) अन्य (c) Others	1737 20 14	113 52 21
<b>योग/TOTAL</b>	<b>21636 13 55</b>	<b>13518 74 23</b>
<b>कुल योग (इ-I एवं इ-II)/GRAND TOTAL (C.I &amp; C.II)</b>	<b>155870 17 87</b>	<b>122784 40 56</b>

**31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र  
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2023**

**अनुसूची 10 — अचल आस्तियां/Schedule 10 — FIXED ASSETS**

(000' को छोड़ दिया गया है)  
(000's omitted)

	31.3.2023 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2023 ₹	31.3.2022 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2022 ₹
<b>I. परिसर/ Premises</b>		
पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर At cost as on 31st March of the preceding year	322 89 64	309 17 35
वर्ष के अंत में प्रचलित दरों पर विदेश स्थित शाखाओं से संबंधित आंकड़ों में परिवर्तन के कारण समायोजन Adjustment on account of conversion of figures relating to Foreign branches at rates as at year end	14 85 55	4 17 54
	<u>337 75 19</u>	<u>313 34 89</u>
वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन Additions/adjustments during the year	5 98 52	9 55 90
	<u>343 73 71</u>	<u>322 90 79</u>
वर्ष के दौरान कटौती/Deduction during the year	21 14	1 15
	<u>343 52 57</u>	<u>322 89 64</u>
आज की तारीख तक पुनर्मूल्यन के कारण परिवर्धन-पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि Additions to date on account of revaluation credited to Revaluation Reserve	3026 88 68	2935 28 52
	<u>3370 41 25</u>	<u>3258 18 16</u>
निपटान हेतु धारित आस्तियों में अंतरण Transferred to Assets Held for Disposal	-	-
	<u>3370 41 25</u>	<u>3258 18 16</u>
अद्यतन मूल्यहास/Depreciation to date	340 88 06	306 90 24
<b>योग/ TOTAL</b>	<u>3029 53 19</u>	<u>2951 27 92</u>
<b>II. अन्य अचल आस्तियां (इनमें फर्नीचर और फिक्सचर शामिल हैं)</b>		
पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर Other Fixed Assets (including Furniture & Fixtures) At cost as on 31st March of the preceding year	2171 94 41	1950 30 32
वर्ष के अंत की स्थिति के अनुसार प्रचलित दरों पर विदेश स्थित शाखाओं से संबंधित आंकड़ों में परिवर्तन के कारण समायोजन Adjustment on account of conversion of figures relating to Foreign branches at rates as at year end	7 93 99	2 22 72
	<u>2179 88 40</u>	<u>1952 53 04</u>
वर्ष के दौरान परिवर्धन/Additions during the year	265 16 82	225 65 80
	<u>2445 05 22</u>	<u>2178 18 84</u>
वर्ष के दौरान कटौती/Deductions during the year	6 35 32	6 24 43
	<u>2438 69 90</u>	<u>2171 94 41</u>
अद्यतन मूल्यहास/Depreciation to date	2023 73 50	1836 13 13
<b>योग/ TOTAL</b>	<u>414 96 40</u>	<u>335 81 28</u>
<b>III. निपटान हेतु धारित आस्तियां/Assets Held for Disposal</b>		
निवल बही मूल्य या निवल वसूली योग्य मूल्य पर, इनमें से जो भी कम हो At Net Book Value or Net Realisable Value whichever is less		
अ/A. परिसर/Premises	-	-
आ/B. अन्य अचल आस्तियां/Other Fixed Assets	-	-
<b>योग/TOTAL</b>	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>IV. चालू पूंजी संकर्म/Capital Work in Progress</b>	65 01 34	47 82 92
<b>योग/TOTAL</b>	<u>65 01 34</u>	<u>47 82 92</u>
<b>कुल योग (I,II और III+IV)/GRAND TOTAL (I,II &amp; III+IV)</b>	<b>3509 50 93</b>	<b>3334 92 12</b>

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र  
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2023

अनुसूची 11 — अन्य आस्तियां  
Schedule 11— OTHER ASSETS

(000' को छोड़ दिया गया है)  
(000's omitted)

	31.3.2023 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2023 ₹	31.3.2022 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2022 ₹
I. अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)/ Inter-Office Adjustments (Net)	-	-
II. प्रोद्भूत ब्याज/Interest Accrued	1981 20 74	1605 23 04
III. अग्रिम रूप से संदत्त कर/स्रोत पर काटा गया कर Tax paid in advance/Tax deducted at source	93 41 01	50 49 31
IV. लेखन सामग्री और स्टॉप/Stationery and Stamps	5 74 90	5 84 09
V. दावों की तुष्टि में प्राप्त की गई गैर-बैंककारी आस्तियां Non-Banking Assets acquired in satisfaction of claims	-	-
VI. आस्थगित कर आस्तियां/Deferred Tax Assets	8209 11 00	9220 18 00
VII. अन्य/Others	7296 37 65	7761 15 09
<b>योग/TOTAL</b>	<b>17585 85 30</b>	<b>18642 89 53</b>

अनुसूची 12 — आकस्मिक देयताएं  
Schedule 12 — CONTINGENT LIABILITIES

(000' को छोड़ दिया गया है)  
(000's omitted)

	31.3.2023 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2023 ₹	31.3.2022 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2022 ₹
I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है Claims Against the Bank not Acknowledged as Debts	199 32 82	202 84 56
II. अंशतः प्रदत्त निवेशों के लिए देयता Liability for partly paid investments	3 26 55	3 11 50
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं की बाबत देयता Liability on account of outstanding Forward Exchange Contracts	36191 75 20	128136 14 88
IV. ग्राहकों की ओर से दी गई गारंटियां/ Guarantees Given on behalf of Constituents - क) भारत में A) In India	5067 35 27	4266 60 16
ख) भारत के बाहर B) Outside India	13 46 33	57 10 32
V. स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व Acceptances, Endorsements and other Obligations	4929 64 05	4091 04 64
VI. अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है Other Items for which the bank is contingently liable #	9192 83 05	5800 05 33
<b>योग/ TOTAL</b>	<b>55597 63 27</b>	<b>142556 91 39</b>
# इसमें आईआरएस शामिल हैं/ Includes IRS	6852 53 05	3340 78 65

## 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा

### PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED

31ST MARCH, 2023

### अनुसूची 13 — अर्जित ब्याज / Schedule 13 — INTEREST EARNED

(000' को छोड़ दिया गया है)/(000's omitted)

	31.3.2023 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2023 ₹	31.3.2022 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2022 ₹
I. ब्याज/अग्रिमों पर बट्टा/बिल/Interest/Discount on Advances/Bills	10343 49 93	8321 69 65
II. निवेशों पर आय/Income on Investments	6223 22 32	6020 42 89
III. भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमाशेष और अन्य अंतर-बैंक निधियों पर ब्याज Interest on Balances with Reserve Bank of India and other Inter-Bank Funds	902 00 40	405 76 09
IV. अन्य/Others	181 79 18	233 45 25
<b>योग/TOTAL</b>	<b>17650 51 83</b>	<b>14981 33 88</b>

### अनुसूची 14 — अन्य आय Schedule 14 — OTHER INCOME

(000' को छोड़ दिया गया है)/(000's omitted)

	31.3.2023 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2023 ₹	31.3.2022 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2022 ₹
I. कमीशन, विनिमय और दलाली (निवल) Commission, Exchange and Brokerage (Net)	228 56 78	189 71 84
II. निवेशों की बिक्री से लाभ Profit on Sale of Investments घटाएं : निवेशों की बिक्री से हानि Less: Loss on Sale of Investments	192 36 82 24 68	564 75 91 5 45 17
III. निवेशों की पुनर्मूल्यांकन से लाभ Profit on Revaluation of Investments घटाएं : निवेशों की पुनर्मूल्यांकन से हानि Less: Loss on Revaluation of Investments	157 41 38 663 49 61	140 78 46 454 46 75
IV. भूमि, भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री से लाभ Profit on Sale of Land, Buildings and Other Assets घटाएं : भूमि, भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री से हानि Less: Loss on Sale of Land, Buildings and Other Assets	89 98 73 42	75 38 23 65
V. विदेशी मुद्रा संव्यवहारों पर लाभ Profit on Exchange Transactions घटाएं : विदेशी मुद्रा संव्यवहारों पर हानि Less: Loss on Exchange Transactions	190 22 34 6 81 03	316 43 73 74 51
VI. भारत/विदेश में स्थापित अनुषंगियों/कंपनियों और/या संयुक्त उद्यमों से लाभांश आदि के रूप में अर्जित आय Income earned by way of Dividends, etc. from Subsidiaries/Companies and/or Joint Ventures abroad/in India	14 28 56	9 43 24
VII. विविध आय/ Miscellaneous Income #	2395 98 69	2339 82 21
<b>योग/TOTAL</b>	<b>2508 45 81</b>	<b>3100 80 69</b>

# इसमें राइट ऑफ अकाउंट्स की रिकवरी शामिल हैं /

# Includes Recovery in Written Off Accounts

1624 39 90

1546 21 80

**31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा**  
**PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2023**

**अनुसूची 15 — व्यय किया गया ब्याज**  
**Schedule 15 — INTEREST EXPENDED**

(000' को छोड़ दिया गया है)/(000's omitted)

	31.3.2023 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2023 ₹	31.3.2022 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2022 ₹
I. जमा राशियों पर ब्याज/Interest on Deposits	9416 65 44	8098 23 16
II. भारतीय रिजर्व बैंक/अंतर-बैंक उधारों पर ब्याज Interest on Reserve Bank of India/Inter-Bank Borrowings	543 92 43	11 59 51
III. अन्य/Others	346 81 46	398 56 28
<b>योग/TOTAL</b>	<b>10307 39 33</b>	<b>8508 38 95</b>

**अनुसूची 16 — परिचालन व्यय**  
**Schedule 16 — OPERATING EXPENSES**

(000' को छोड़ दिया गया है)/(000's omitted)

	31.3.2023 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2023 ₹	31.3.2022 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2022 ₹
I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान Payments to and provisions for employees	3872 74 21	3314 31 05
II. किराया, कर और बिजली/Rent, Taxes and Lighting	293 91 46	267 52 62
III. मुद्रण और लेखन-सामग्री/Printing & Stationery	29 37 55	21 39 74
IV. विज्ञापन और प्रचार/Advertisement and Publicity	8 63 94	6 31 52
V. बैंक की संपत्ति पर मूल्यहास/ Depreciation on Bank's Property	217 52 03	164 95 52
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय/ Directors' fees, allowances and expenses	1 53 79	1 28 62
VII. लेखापरीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा-लेखापरीक्षकों सहित)/ Auditors' fees and expenses (Including Branch Auditors)	41 83 20	37 75 30
VIII. विधि प्रभार/Law Charges	3 20 14	3 18 30
IX. डाक महसूल, तार, टेलीफोन आदि/ Postages, Telegrams, Telephones, etc.	13 81 12	14 63 07
X. मरम्मत और अनुरक्षण/Repairs and Maintenance	19 42 06	14 41 05
XI. बीमा/Insurance	266 45 85	238 97 66
XII. अन्य व्यय/Other Expenditure	742 46 15	691 57 81
<b>योग/TOTAL</b>	<b>5510 91 50</b>	<b>4776 32 26</b>



# अनुसूची 17 - महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

## Schedule 17 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

(31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए एकल वित्तीय विवरण के साथ संलग्न और उसका भाग)  
(Annexed to and Forming Part of Standalone Financial Statement for the year ended 31st March, 2023)

### 1. सामान्य / GENERAL

#### 1.1 लेखांकन का आधार / BASIS OF ACCOUNTING

ये वित्तीय विवरण, जब तक अन्यथा कथित न हो, लाभकारी कारोबारवाली संस्था की संकल्पना के तहत लेखांकन के परंपरागत लागत एवं प्रोद्भूत आधार पर तैयार किए जाते हैं और भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के तात्त्विक परिवर्तन के अनुरूप हैं। इनमें भारत के बैंकिंग उद्योग में प्रयोज्य एवं सामान्यतः प्रचलित रीतियों की सीमा तक भारतीय रिज़र्व बैंक (आर. बी. आई.) द्वारा निर्धारित प्रयोज्य सांविधिक प्रावधान, नियामक मानदंड/दिशानिर्देश, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आई सी ए आई) द्वारा जारी लेखांकन मानक निहित हैं।

विदेशी कार्यालयों/शाखाओं के मामले में, विशेष रूप से उल्लेख किए गए को छोड़कर, विदेशों में लागू सांविधिक प्रावधानों एवं लेखांकन प्रथाओं का अनुपालन किया गया।

The financial statements are prepared under 'going concern' concept on historical cost convention and on accrual basis of accounting unless otherwise stated and conform in all material aspects to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which comprise applicable statutory provisions, regulatory norms/guidelines prescribed by Reserve Bank of India (RBI), Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICA), to the extent applicable and generally the practices prevailing in the banking industry in India.

In respect of foreign offices/branches, statutory provisions and accounting practices prevailing in the respective foreign countries are complied with, except as specified elsewhere.

#### 1.2 अनुमानों का उपयोग / USE OF ESTIMATES

जीएएपी के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने में वित्तीय विवरणों की तारीख को परिसंपत्तियों और देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) तथा समीक्षा अवधि के दौरान आय-व्यय की रिपोर्टिंग करते समय प्रबंधन को अनुमान लगाने होते हैं। प्रबंधन को विश्वास है कि उक्त वित्तीय विवरण तैयार करने में लगाए गये अनुमान सटीक और वाजिब हैं। तथापि वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से अलग हो सकते हैं। लेखा अनुमान मौजूदा एवं भविष्य की अवधियों में प्रत्याशित रूप से चिह्नित किया जाएगा।

The preparation of financial statements in conformity with GAAP requires the Management to make estimates and assumptions while reporting assets and liabilities (including contingent liabilities) as at the date of the financial statements and income and expenses during the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. However, actual results could differ from these estimates. Any revision to the accounting estimates is recognized prospectively in the current and future periods.

### 2. अग्रिम / ADVANCES:

#### 2.1 ऋण एवं अग्रिम का अर्जक एवं अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांत के आधार पर किया जाता है और अग्रिम के लिए प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार किया जाता है।

भारत में अनर्जक अग्रिमों का निर्धारण विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार किया जाता है और भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (इसीजीसी) से प्राप्त / प्राप्य राशियों पर विचार करने के बाद उन्हें 'अवमानक', 'संदिग्ध' एवं 'हानि' आस्तियों में वर्गीकृत करके प्रावधान किए जाते हैं तथा अग्रिम का उल्लेख प्रावधान को घटाने के बाद किया जाता है।

Loans and advances are classified as performing and non-performing based on the guidelines issued by the RBI and provisions for advances are made as per prudential norms of the Reserve Bank of India.

Non-performing advances in India are ascertained as per the prudential norms and provisions are made upon classifying the same into 'Sub-Standard', 'Doubtful', and 'Loss' assets after considering the claims Received / Receivable from ECGC and advances are stated after netting of provisions.

#### 2.2 विदेश स्थित शाखाओं के अनर्जक अग्रिमों के लिए प्रावधान संबंधित विदेशी राज्यों में लागू नियामक अपेक्षाओं या भारतीय रिज़र्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों, इनमें से जो भी अधिक हो, के अनुसार किया जाता है।

Provision on Non-performing advances of foreign branches is made on the basis of regulatory requirement prevailing at the respective foreign countries or RBI guidelines whichever is higher.

#### 2.3 मानक पुनर्संरचित आस्तियों एवं परियोजना ऋण के लिए प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेक सम्मत दिशानिर्देशों एवं निदेशों के अनुसार किया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार ग्लोबल पोर्टफोलियो के आधार पर मानक आस्तियों के लिए सामान्य प्रावधान किए जाते हैं।

Provision on standard restructured assets and project loans have been made as per RBI prudential norms and directives. A general provision on Standard Assets is made on global portfolio basis as per prudential norms of RBI.

#### 2.4 ओवरड्यू के माध्यम से केन्द्र सरकार की गारंटी द्वारा समर्थित ऋण सुविधाओं को केवल तभी एनपीए माना जा सकता है जब सरकार अपनी गारंटी राशि की मांग किए जाने पर इंकार करे।

The credit facilities backed by the guarantee of the Central Government though overdue is treated as NPA only when Government repudiates its guarantee when invoked

- 2.5 समझौता एवं निपटान संबंधी प्रस्तावों के मामले में पूर्ण वसूली के बाद बट्टे खाते डाले जाते हैं।  
In respect of Compromise and Settlement Proposals, write-off is done on complete realization.
- 2.6 खाते को अंशतः विवेकपूर्ण बट्टे खाते डालने का कार्य सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद मामला-दर-मामला आधार पर अप्रतिभूत अंश के लिए किया जाता है।  
Partial prudential write-off of accounts is done upto unsecured portion level on a case to case basis on approval by the Competent Authority.
- 2.7 अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान किए जाने के अतिरिक्त पुनर्संचित/पुनर्निर्धारित आस्तियों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रावधान किया जाता है जिसे पुनर्संचना किए जाने के पहले एवं बाद के ऋण के उचित मूल्य बीच के अंतर को उपलब्ध कराना होता है। शुद्ध अग्रिम का आकलन करते समय उचित मूल्य (डीएफयू) में कमी के लिए प्रावधान एवं उपर्युक्त के फलस्वरूप ब्याज में कमी लाई जाती है।  
For restructured/rescheduled assets, provisions are made in accordance with the guidelines issued by RBI, which require the difference between the fair value of loan before and after restructuring is provided, in addition to provisions for NPAs. The provision for diminution in fair value (DFU) and interest sacrifice arising out of the above is reduced while arriving at net advance.
- 2.8 पूर्ववर्ती वर्षों में बट्टे डाले गए कर्ज में वसूली गई राशि को वसूली वर्ष में राजस्व के रूप में दिखाया जाता है।  
Amount recovered against debts written off in earlier years are recognized as revenue in the year of recovery.
- 2.9 प्रतिभूतिकृत कंपनी (एससी)/ पुनर्संचना कंपनी (आरसी) को वित्तीय आस्ति की बिक्री आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुरूप निर्धारित बोर्ड अनुमोदित नीति के आधार पर की जाती है।  
Sale of Financial asset to Securitized Company (SC) / Reconstruction Company (RC) is done on the basis of Board approved Policy in line with the RBI guidelines.
- 3. निवेश / INVESTMENTS**
- 3.1 बैंक, निवेश संविभाग के वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तैयार किए गये विवेकपूर्ण मानदंडों का पालन करता है।  
Bank follows the prudential norms formulated by Reserve Bank of India for classification, valuation and operation of investment portfolio.
- 3.2 निवेश को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, यथा परिपक्वता तक धारित, विक्रय हेतु उपलब्ध एवं क्रय-विक्रय के लिए धारित तथा उसके बाद उन्हें सरकारी प्रतिभूतियों, अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों, शेयरों, डिबेंचरों एवं बांडों, अनुषंगी एवं संयुक्त उद्यमों और अन्य में निवेश के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है।  
Investments are classified into three categories viz. Held to Maturity, Available for Sale and Held for Trading and are further classified into Investments in Government Securities, Other Approved Securities, Shares, Debentures & Bonds, Subsidiaries and Joint Ventures and Others.
- 3.3 (i) परिपक्वता तक धारित के रूप में वर्गीकृत निवेशों को लागत आधार पर आगे ले जाया जाता है। जहाँ लागत अंकित मूल्य से अधिक होती है वहाँ प्रीमियम को परिपक्वता की शेष अवधि तक के लिए प्रभावी ब्याज दर पद्धति के अनुसार परिशोधित किया जाता है। विक्रय से हुए लाभ को पहले लाभ-हानि लेखे में लिया जाता है और उसके बाद कर तथा सांविधिक आरक्षित निधि में अंतरित की जानेवाली राशि को छोड़कर उसका विनियोजन पूंजी आरक्षित निधि लेखे में किया जाता है। विक्रय से हुई हानि को लाभ-हानि लेखे पर भारित किया जाता है।  
Investments classified as Held to Maturity are carried at cost. Wherever the cost is higher than the face value, the premium is amortized over the remaining period of maturity as per effective interest rate method. Profit on sale is initially taken to Profit and Loss Account and then appropriated to Capital Reserve Account net of taxes and amount required to be transferred to Statutory Reserve. Loss on sale is charged to the Profit and Loss Account.
- (ii) विक्रय हेतु उपलब्ध के रूप में वर्गीकृत निवेशों को बाजार मूल्य के रूप में अंकित किया जाता है। प्रत्येक वर्गीकरण हेतु मूल्यवृद्धि / मूल्यहास का समुच्चयन स्क्रिपवार किया जाता है। हालांकि प्रत्येक वर्गीकरण से संबंधित शुद्ध मूल्यहास को लाभ-हानि लेखे पर भारित किया जाता है, परंतु किसी भी वर्गीकरण से संबंधित शुद्ध मूल्यवृद्धि को नजरअंदाज किया जाता है। इन निवेशों को तुलन-पत्र में मूल्यहास घटाकर दर्शाया जाता है।  
Investments classified as Available for Sale, are marked to market. Scrip-wise appreciation/depreciation is aggregated for each classification. While net depreciation in respect of each classification is charged to Profit & Loss Account, net appreciation in respect of any classification is ignored. These investments are shown, net of depreciation, in the Balance Sheet.
- (iii) क्रय-विक्रय के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत निवेशों को बाजार मूल्य के रूप में अंकित किया जाता है। मूल्यवृद्धि / मूल्यहास का समुच्चयन स्क्रिपवार किया जाता है। हालांकि प्रत्येक वर्गीकरण से संबंधित शुद्ध मूल्यहास को लाभ-हानि लेखे पर भारित किया जाता है, परंतु किसी भी वर्गीकरण से संबंधित शुद्ध मूल्यवृद्धि को नजरअंदाज किया जाता है। इन निवेशों को तुलन-पत्र में मूल्यहास घटाकर दर्शाया जाता है।  
Investments classified as Held for Trading are marked to market. Scrip-wise appreciation/depreciation is aggregated for each classification. While net depreciation in respect of each classification is charged to Profit & Loss Account, net appreciation in respect of any classification is ignored. These investments are shown, net of depreciation, in the Balance Sheet.
- 3.3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, वाणिज्यिक पत्रों तथा ट्रेजरी बिल में निवेशों का मूल्यन रखाव-लागत पर किया जाता है।  
Investments in Regional Rural Banks, Commercial Papers and Treasury Bills are valued at carrying cost.
- 3.4 क्रय-विक्रय / निर्दिष्ट भाववाले निवेशों के संबंध में बाजार मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में उपलब्ध निर्दिष्ट भाव से लिया जाता है। सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यन बाजार मूल्य पर या निर्धारित आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्न संघ (एफआईएमएमडीए) एवं भारतीय प्राथमिक व्यापारी संघ (पीडीएआई) द्वारा संयुक्त रूप से घोषित मूल्य पर किया जाता है।

In respect of traded/quoted Investments, Market price is taken from the quotes available in the stock exchanges. Government securities are valued at Market price or price declared by Primary Dealers Association of India (PDAI) jointly with Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA).

- 3.5 अनकोटेड निवेश के मामले में : नवीनतम तुलनपत्र के अनुसार (12 माह से अधिक पुराना नहीं) विश्लेषित मूल्य (पुनर्मूल्यन आरक्षित, यदि कोई हो, पर विचार किया किए बिना) अन्यथा प्रति कंपनी ₹1।

In respect of unquoted investments:- at breakup value (without considering Revaluation Reserve, if any) as per the latest Balance sheet (not more than 12 months old) otherwise ₹ 1 per company.

- 3.6 बैंक द्वारा प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कंपनी को बेची गई वित्तीय परिसंपत्तियों की बाबत प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों को बैंक बहियों में प्रतिभूति रसीद के मोचन मूल्य और वित्तीय परिसंपत्तियों के निवल बही मूल्य से निम्नतर पर अग्रणीत किया जाता है। आर.बी.आई द्वारा निर्धारित गैर एस.एल.आर. निवेशों पर लागू मूल्यांकन, वर्गीकरण एवं अन्य मानदंड एसी/आर सी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों में बैंक के निवेश पर लागू होते हैं।

Security receipts issued by securitization / reconstruction company (SC/RC) in respect of financial assets sold by the Bank to the SC/RC are carried in the books at lower of redemption value of the security receipt and the Net Book Value of the financial assets. Valuation, classification and other norms applicable to investment in non-SLR Investments prescribed by RBI are applied to Bank's investment in Security Receipts issued by SC/RC.

- 3.7 निवेश लेन-देन पर कमीशन, दलाली, खंडित अवधि का ब्याज नामे किया जाता है और / या लेन-देन के वर्ष में आय-व्यय खाते को जमा किया जाता है। ऋण लिखतों पर खंडित अवधि के लिए प्रदत्त / प्राप्त ब्याज लागत / बिक्री की नियत राशि से अलग रखा जाता है।

Commission, brokerage, broken period interest on investment transactions are debited and /or credited to Profit and Loss Account in the year of transaction. Broken period interest paid/received on debt instruments are excluded from cost/sale consideration.

- 3.8 बैंक अनुप्रयोज्य निवेश की पहचान एवं प्रावधान तथा निवेश से मान्य आय हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों का अनुसरण करता है।

The bank follows the prudential norms for recognition income from investments and for ascertaining and provisioning non-performing investments.

#### 4. संपदा, सयंत्र एवं उपकरण / PROPERTY, PLANT & EQUIPMENT

- 4.1 भूमि तथा भवन को छोड़ कर संपदा, सयंत्र एवं उपकरण की मदों के लिए लागत मॉडल का उपयोग कर संचित मूल्य ह्रास को घटाते हुए ऐतिहासिक लागत पर दर्शाया गया है। पुनर्मूल्यांकन पर होने वाले अधिशेष को पुनर्मूल्यांकित आरक्षित नीधि में जमा किया गया है।

Items of property, plant & equipment except land and building are stated at historical cost less accumulated depreciation using cost model. Land and building are stated at revalued amount less accumulated depreciation using revaluation model. Surplus arising on revaluation is credited to Revaluation Reserve.

- 4.2 भारत में स्थित स्थिर परिसंपत्तियों के संबंध में प्रबंधन द्वारा उचित मानी गई अवमूल्यन की दर तथा उसे भारत करने की पद्धति निम्नानुसार हैं :-

The rates of depreciation and method of charging depreciation as considered appropriate by the management in respect of fixed assets situated in India are as below:-

परिसंपत्ति की श्रेणी / CATEGORY OF ASSETS	अवमूल्यन / Depreciation		मॉडल / Model
	दर / Rate	पद्धति / Method	
दीर्घावधि अथवा बेमीयादी/नवीकरणीय पट्टे के अंतर्गत भूमि सहित भूमि Land including land held under long-term or perpetual/renewable lease	शून्य/NIL	लागू नहीं/NA	पुनर्मूल्यांकन Revaluation
दीर्घावधि अथवा बेमीयादी/नवीकरणीय पट्टे के अंतर्गत धारित भूमि पर भवन सहित भवन Building including building on land held under long-term or perpetual/renewable lease	शेष उपयोगी जीवन में परिशोधित Amortized over remaining useful life	एस एल एम SLM	पुनर्मूल्यांकन Revaluation
अन्य पट्टाधृत भूमि एवं भवन तथा ऐसी पट्टाधृत भूमि पर भवन Other lease-hold land & building and building on such leasehold land	पट्टे की अवधि में परिशोधित Amortized over lease period	एस एल एम SLM	लागत Cost
फर्नीचर और उपस्कर / Furniture and Fixtures	18.10	डब्ल्यूडीवी WDV	लागत Cost
कार्यालय उपकरण / Office Equipment	20.00	डब्ल्यूडीवी WDV	लागत Cost
इलेक्ट्रिकल इंस्टालेशन, वातानुकूलन मशीनरी, रेफ्रिजरेटर, फोटो कॉपी मशीन इत्यादि Electrical Installation, Air-conditioning Machinery, Refrigerator, Photo copying Machine etc.	20.00	डब्ल्यूडीवी WDV	लागत Cost

परिसंपत्ति की श्रेणी / CATEGORY OF ASSETS	अवमूल्यन / Depreciation		मॉडेल / Model
	दर / Rate	पद्धति / Method	
मशीनरी जैसे, फ्रैंकिंग मशीन, ऑफिस मशीनरी, तोलन मशीन, टाइप राईटर, एडिंग मशीन, डुप्लिकेटिंग मशीन Machinery e.g. Franking machine, office machinery, weighing machine typewriter, adding machine, Duplicating Machine	13.91	डब्ल्यूडीवी WDV	लागत Cost
मोटर वाहन / Motor Vehicle	25.89	डब्ल्यूडीवी WDV	लागत Cost
साइकिल / Cycle	20.00	डब्ल्यूडीवी WDV	लागत Cost
कंप्यूटर एवं कंप्यूटर के सहायक उपकरण (आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार) * Computers and computer peripherals (as per RBI guidelines) *	33.33	एस एल एम SLM	लागत Cost

\* कंप्यूटर हार्डवेयर के आंतरिक हिस्सा वाले सॉफ्टवेयर तथा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पर मूल्यह्रास का प्रावधान सीधी कटौती प्रणाली पर 33.33% की दर पर किया जाता है।

\* Depreciation on computer software including the software forming integral part of computer hardware is provided at Straight Line Method at the rate of 33.33%.

4.3 भारत के बाहर स्थित अचल आस्तियों की बाबत मूल्यह्रास का प्रावधान संबंधित देश की स्थानीय विधि के अनुसार सीधी कटौती प्रणाली / अवलिखित मूल्य पद्धति के आधार पर किया जाता है।

Depreciation in respect of fixed assets situated outside India is provided on straight line/written down value method as per the local laws of respective country.

4.4 पुनर्मूल्यन के कारण अतिरिक्त मूल्यह्रास की सममूल्य राशि पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि से राजस्व आस्ति निधि में अंतरित की जाती है।

Equivalent amount of additional depreciation arising out of revaluation is transferred from Revaluation Reserve to Revenue Reserve.

4.5 कम मूल्य की संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की मदें जिनकी लागत ₹1000/- तक है को प्रभारित किया गया है जबकि ऐसी मदें जिनकी लागत ₹1001/- से लेकर ₹5000/- है प्रत्येक को जिस तिमाही में इसे क्रया किया गया है 100% की दर से मूल्यह्रास प्रभारित किया गया है।

Items of property, plant and equipment of small value costing upto Rs.1000 each are charged off whereas items costing between Rs.1001 and Rs.5000 each are depreciated @ 100% in the quarter in which the same are purchased.

4.6 30 सितंबर तक के लिए योग पर मूल्यह्रास संपूर्ण दर पर तथा इसके बाद योग पर आधे दर पर मूल्यह्रास किया गया है।

Depreciation is provided at full rate on additions made upto 30th September and at half the rate on additions made thereafter.

## 5. विदेशी मुद्रा दर में परिवर्तन का प्रभाव / EFFECT OF CHANGES IN FOREIGN EXCHANGE RATE

### 5.1 विदेशी मुद्रा का लेनदेन / FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS

i) विदेशी मुद्रा में लेनदेन की तारीख को रिपोर्टिंग मुद्रा और विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर लागू करके रिपोर्टिंग मुद्रा में प्रारंभिक पहचान पर विदेशी मुद्रा लेनदेन रिकार्ड किए जाते हैं।

Foreign currency transactions are recorded on initial recognition in the reporting currency by applying to the foreign currency amount the exchange rate between the reporting currency and the foreign currency on the date of transaction.

ii) विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों की रिपोर्ट भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (एफईडीएआई) की बंद / हाजिर दर का उपयोग करके की जाती है।

Foreign currency monetary items are reported using the Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) closing/spot rate.

iii) विदेशी मुद्रा गैर-मौद्रिक मदों की, जो परंपरागत लागत आधार बिक्री के लिए उपलब्ध कराई जाती है, रिपोर्ट लेनदेन की तारीख को विनिमय दर का उपयोग करके की जाती है।

Foreign currency non-monetary items, which are carried in terms at historical cost, are reported using the exchange rate at the date of the transaction.

iv) विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित आकस्मिक देयताओं की रिपोर्ट भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ की बंद हाजिर दर का उपयोग करके की जाती है।

Contingent Liabilities denominated in foreign currency are reported using the FEDAI closing spot rates.

v) मौद्रिक मदों के निपटान पर ऐसी दरों पर उत्पन्न होनेवाले अंतर को, जो प्रारंभ में रिकार्ड की गई दरों से भिन्न है, उस अवधि में आय या व्यय माना जाता है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं।

Exchange differences arising on settlement of monetary items at rates different from those at which they were initially recorded are recognised as income or as expense in the period in which they arise.

vi) बकाया विदेशी मुद्रा संविदा एवं बिल का पुनर्मूल्यन भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ की दरों के अनुसार किया जाता है और परिणामी लाभ/हानि को प्रत्येक माह के अंत में राजस्व में ले जाया जाता है।

Outstanding forward exchange contracts are revalued every month as per month end FEDAI rates applicable based on maturity date of the forward contracts and the resultant gain/loss is taken to profit and loss at the end of each month.

- vii) जो विदेशी विनिमय स्वैप व्यापार के लिए धारित नहीं किए जाते हैं उन्हें मार्केट टू मार्केट नहीं किया जाता है। ऐसे स्वैप पर अदा या प्राप्त प्रीमियम, स्वैप की नियत अवधि पर खर्च के रूप में परिशोधित अथवा आय के रूप में ग्रहण किए जाते हैं।

The foreign exchange swaps which are not held for trading are not marked to market. The premium paid or received on such swaps are amortized as expense or accreted as income over the life of the swap.

## 5.2 विदेशी परिचालन / FOREIGN OPERATIONS

बैंक की विदेशी स्थित शाखाओं और प्रतिनिधि कार्यालयों को गैर-समाकलित परिचालन के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

Foreign Branches and representative offices of the Bank have been classified as non-integral operations.

### अदला-बदली / Translation

- i) मौद्रिक एवं गैर-मौद्रिक विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों एवं देयताओं तथा गैर-समाकलित विदेशी परिचालन की आकस्मिक देयताओं को तुलन-पत्र की तारीख को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ द्वारा अधिसूचित बंदी विनिमय दरों पर परिणत किया जाता है।

Both monetary and non-monetary foreign currency assets and liabilities including contingent liabilities of non-integral foreign operations are translated at closing exchange rates notified by FEDAI at the balance sheet date.

- ii) गैर-समाकलित विदेशी परिचालन संबंधी आय एवं व्यय को तिमाही औसत बंद दरों पर परिणत किया जाता है।

Income and expenditure of non-integral foreign operations are translated at quarterly average closing rates.

- iii) गैर-समाकलित विदेशी परिचालन में निवल निवेश पर उत्पन्न विनिमय अंतर को निवल निवेश के निपटान तक विदेशी मुद्रा परिणत आरक्षित में संचित किया जाता है।

Exchange differences arising on net investment in non-integral foreign operations are accumulated in Foreign Currency Translation Reserve until the disposal of the net investment.

## 6. कर्मचारी हितलाभ / EMPLOYEE BENEFITS

### 6.1 अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ / Short Term Employee Benefits

कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई सेवा के एवज में सेवावधि के दौरान उनकी सेवा के लिए कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा, आकस्मिक छुट्टी आदि अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ अदा / जमा किया जाता है।

Short-term employee benefits, such as medical benefits, casual leave etc. which are paid in exchange for the services rendered by employees are recognized during the period when the employee renders the service.

### 6.2 दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ / Long Term Employee Benefits

#### सेवोपरांत हितलाभ / Post-employment Benefits

#### अ/आ) निर्धारित अंशदान योजना / Defined Contribution Plan

क/अ) एनपीएस भविष्य निधि जैसी निर्धारित अंशदान योजना में अंशदान को लाभ-हानि लेखा में भारित किया जाता है। जिन कर्मचारियों ने पेंशन हितलाभ का विकल्प नहीं लिया है उनका भविष्य निधि अंशदान बैंक द्वारा संचालित ट्रस्ट को किया जाता है।

Contributions to Defined Contribution Schemes such as NPS, Provident Fund etc., are charged to the Profit & Loss Account as and when incurred. In respect of certain employees who have not opted for Pension Benefits, Provident Fund Contributions are made to a Trust administered by the Bank.

ख/ब) 1 अप्रैल, 2010 या उसके बाद बैंक सेवा में किए जानेवाले कर्मचारियों को एक निर्धारित अंशदायी पेंशन योजना में शामिल किया जाता है जिसमें कर्मचारी वेतन के 10% एवं डीए का अंशदान करते हैं तथा बैंक भी उतना ही अंशदान करता है। यह योजना केन्द्र सरकार के कर्मचारियों हेतु 01 जनवरी, 2004 से प्रारंभ की गई अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधानों के अधीन है तथा समय-समय पर संशोधित की जाती है।

The employees joining the services of the bank on or after 1st April 2010 are covered by a defined contributory pension scheme where the employees contribute 10% of pay plus DA and the bank makes a matching contribution. The scheme is governed by the provisions of the contributory pension scheme introduced for the employees of central government w.e.f 1st January 2004 and modified from time to time.

#### आ/ब) निर्धारित हितलाभ योजना / Defined Benefit Plan

बैंक निर्धारित हितलाभ योजनाओं के अंतर्गत उपदान एवं पेंशन योजना चलाता है।

The bank operates gratuity and pension schemes which are defined benefit plans.

बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को उपदान प्रदान करता है। इसके अंतर्गत उन सभी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर, नौकरी के दौरान मृत्यु पर, या नौकरी की समाप्ति पर एकमुश्त राशि/एकबारगी भुगतान इस प्रकार किया जाता है i) ₹20,00,000 की अधिकतम सीमा के अध्यक्षीन सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिनों का वेतन (मूल + डीए) या ii) सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिनों का वेतन (केवल मूल वेतन), इनमें से जो भी अधिक हो। पाँच वर्ष/ दस वर्ष की सेवा (यथा प्रयोज्य) पूरी करने के उपरांत यह लाभ प्रदान किया जाता है। नियमित अंतराल पर किए गए स्वतंत्र बाह्य बीमांकिक द्वारा मूल्यांकन के आधार पर बैंक न्यासियों द्वारा संचालित निधि में वार्षिक अंशदान करता है।

The Bank provides for gratuity to all eligible employees. The benefit is in the form of lump sum / onetime payment to vested employees on retirement, on death while in employment, or on termination of employment, for an amount equivalent to (i) 15 days salary (Basic + DA) payable for each completed year of service, subject to a maximum amount of Rs.20,00,000 or (ii) 15 days salary (Basic only) for each completed year of service, whichever is higher. Vesting occurs upon completion of five years / ten years (as applicable) of service. The Bank makes annual contributions to a fund administered by Trustees based on an independent external actuarial valuation carried out at regular intervals.

बैंक सभी पात्र कर्मचारियों के लिए पेंशन का प्रावधान करता है। नियमानुसार यह लाभ पात्र कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर, नौकरी के दौरान मृत्यु पर या नौकरी की समाप्ति पर, जैसा कि इस विनियम में प्रावधान है, मासिक भुगतान के रूप में दिया जाता है। नियमानुसार विभिन्न स्तर पर यह

लाभ प्रदान किया जाता है। वेतन के 10% प्रतिमाह की दर से अंशदान के अलावा नियमित अंतराल पर किए गए स्वतंत्र बाह्य बीमांकिक द्वारा मूल्यांकन के आधार पर बैंक न्यासियों द्वारा संचालित निधि में अतिरिक्त वार्षिक अंशदान करता है।

The Bank provides for pension to all eligible employees. The benefit is in the form of monthly payments as per rules and regular payments to vested employees on retirement, on death while in employment, or on termination of employment as provided under regulation. Vesting occurs at different stages as per rules. The Bank makes additional annual contributions to funds administered by trustees based on an independent external actuarial valuation carried out at regular intervals besides monthly contribution @ 10% of pay per month.

निर्धारित प्रसुविधा प्रदान किए जाने की लागत का अवधारण बीमांकिक मूल्यांकन द्वारा प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड आधार पर किया जाता है जो साधारणतया तुलन-पत्र की तारीख को किया जाता है। निवल देयता को आस्थगित नहीं किया जाता है और उसे तत्काल लाभ-हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

The cost of providing defined benefits is determined by actuarial valuation using the projected unit credit method which is normally carried out on quarterly basis. Net liabilities are immediately recognized in the statement of profit and loss and are not deferred.

### इ/क) अन्य दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ / Other Long Term Employee benefits

क/अ. बैंक के सभी पात्र कर्मचारी प्रतिपूरक अनुपस्थिति एवं छुट्टी यात्रा रियायत के हकदार हैं। इस प्रकार के दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ लागत की निधि बैंक द्वारा आंतरिक रूप से प्रदान की जाती है।

All eligible employees of the bank are entitled to compensated absences; leave travel concession. The costs of such long-term employee benefits are internally funded by the Bank.

ख/ब. इस प्रकार के अन्य निर्धारित दीर्घावधि हितलाभ प्रदान करने की लागत का अवधारण बीमांकिक मूल्यांकन द्वारा प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड आधार पर किया जाता है जो साधारणतया तुलन-पत्र की तारीख को किया जाता है। पश्च सेवा लागत को आस्थगित नहीं किया जाता है और उसे तत्काल लाभ-हानि लेखे में मान्यता दी जाती है।

The cost of providing these other long term benefits is determined by actuarial valuation using the projected unit credit method which is normally carried out on quarterly basis. Past service cost is immediately recognized in the statement of profit and loss and is not deferred.

ग/क. पूर्णकालिक निदेशकों को सेवानिवृत्ति के पश्चात सेवोपरांत चिकित्सा सुविधा के रूप में चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है। लागत का आकलन एवं निर्धारण बीमांकिक मूल्यांकन द्वारा प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड आधार पर किया जाता है और ऐसा मूल्यांकन सेवानिवृत्ति के साथ-साथ कार्यरत पूर्णकालिक निदेशकों के लिए तुलन-पत्र की तारीख को किया जाता है। इस देयता को तत्काल लाभ-हानि विवरण में मान्यता दी जाती है और इसे आस्थगित नहीं रखा जाता है।

Medical benefits are extended to full time Directors, after their retirement as post-retirement medical benefits. The cost is ascertained and determined by actuarial valuation using the projected unit credit method and such valuation is carried out on quarterly basis for retired as well as in service full time Directors. The liability is immediately recognized in the statement of profit & loss and not deferred.

6.3 विदेशी शाखाओं में नियुक्त कर्मचारियों के कर्मचारी हित लाभ का मूल्यांकन एवं लेखा जोखा संबंधित स्थानिय विधि/विनियमों के अनुसार किया जाता है। Employee benefits relating to employees employed at foreign branches and offices are valued and accounted for as per the respective local laws/regulations.

### 7. ब्याज दर स्वाप / INTEREST RATE SWAPS

7.1 बचाव व्यवस्था के लिए किए गए ब्याज दर स्वैप लेन-देन की गणना उपचय आधार पर की जाती है तथा क्रय-विक्रय संबंधी लेन-देन के बाजार मूल्य को बहियों में अंकित किया जाता है तथा निवल मूल्यहास के लिए, यदि कोई हो, प्रावधान किया जाता है, जबकि मूल्यवृद्धि को, यदि हो, नजरअंदाज किया जाता है।

The Interest Rate Swap transactions undertaken for hedging are accounted for on accrual basis and transactions for trading are marked to market and net depreciation is provided for whereas appreciation, if any, is ignored.

7.2 बचाव व्यवस्था के लिए किए गए समाप्त ब्याज दर स्वाप पर लाभ या हानि को आस्थगित रखा जाता है और उसकी पहचान स्वैप की संविदागत शेष अवधि अथवा आस्तित्व या देयता की शेष अवधि, इनमें से जो भी कम हो, में की जाती है।

Gain or loss on terminated interest rate swap transactions undertaken for hedging is deferred and recognized over the shorter of the remaining contractual life of the swap or remaining life of the asset or liability.

7.3 क्रय-विक्रय स्वैप से संबंधित आय और व्यय की पहचान निपटान की तारीख को की जाती है।

Income and expenses relating to the trading swaps are recognized on the settlement date.

7.4 क्रय-विक्रय स्वैप की समाप्ति पर हुए लाभ या हानि को तत्काल आय या व्यय के रूप में रिकार्ड किया जाता है।

Gain or losses on the termination of the trading swaps are recorded as income or expense immediately.

### 8. आस्तियों की अनर्जकता / IMPAIRMENT OF ASSETS

जब कभी भी घटनाओं या स्थितियों में हुए परिवर्तन के कारण ऐसा लगे कि किसी आस्तित्व की रख-रखाव राशि की वसूली नहीं हो सकती है, तब अनर्जकता के आकलन हेतु संपदा सयंत्र एवं उपकरण की समीक्षा की जाती है। धारित और उपयोग की जानेवाली आस्तियों की वसूली योग्यता का आकलन किसी आस्तित्व की रख-रखाव राशि की तुलना में आस्तित्व द्वारा उत्पन्न होनेवाले आगामी निवल बड़ाकृत नकदी प्रवाह से करके किया जाता है। यदि ऐसी आस्तित्वों को अनर्जक माना जाता है तो उसकी अनर्जकता का आकलन आस्तित्व के रख-रखाव की उस राशि से किया जाता है जो आस्तित्व के उचित मूल्य से अधिक होती है।

Items of property, plant and equipment are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances warrant that the carrying amount of an asset may not be recoverable. Recoverability of assets to be held and used is measured by a comparison of the carrying amount of an asset to future net discounted cash flows expected to be generated by the asset. If such assets are considered to be impaired, the impairment, to be recognized, is measured by the amount by which the carrying amount of the asset exceeds the fair value of the asset.

## 9. गैर बैंकिंग परिसंपत्तियां / NON-BANKING ASSETS

गैर बैंकिंग परिसंपत्तियों को लागत के रूप में वर्णित किया जाता है / Non-Banking Assets are stated at cost.

## 10. राजस्व की पहचान/REVENUE RECOGNITION

10.1 उपचय आधार पर आय की पहचान की जाती है, जब तक अन्यथा न कहा जाए।

Income is recognized on accrual basis, unless otherwise stated.

10.2 विदेशी कार्यालयों के मामले में स्थानीय नियम/संबंधित देश के मानकों अनुसार आय की पहचान की जाती है।

In respect of foreign offices, income is recognized as per local laws/ standards of respective country.

10.3 भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार अनर्जक आस्तियों निवेशों से आय की पहचान वसूली आधार पर की जाती है।

Income from non-performing assets/investments is recognized on realization basis in terms of RBI guidelines.

10.4 साख पत्र/बैंक गारंटी जारी करने पर प्राप्त कमीशन का निर्धारण साख पत्र/बैंक गारंटी की आवधि के आधार पर होता है। लाभांश का दिसाब उसके प्राप्ति के अधिकार के सुस्थापित होने पर किया जाता है।

Commission on issuance of Letters of Credit/ Bank Guarantees is recognized over the tenure of LC/BG. Dividend is accounted when the right to receive the same is established.

10.5 लॉकर किराया, किराया आय, म्यूचुअल फंडों एवं विभिन्न जमा खातों के सेवा प्रभार से प्राप्त आय की पहचान वसूली के आधार पर की जाती है।  
Locker Rent, Rental Income, Income on Units of Mutual Funds and Service Charges on various Deposit Accounts are recognized on realization basis.

10.6 आयकर रिफंड पर ब्याज की पहचान वर्ष के दौरान वास्तविक प्राप्तियों के आधार पर की जाती है।

Interest on Income-tax refund is recognized in the year it was actually received.

10.7 निवेशों की बिक्री से प्राप्त लाभ या हानि की पहचान भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार की जाती है।

Profit or loss on sale of investments is recognized as per RBI guidelines.

10.8 बड़े खाते डाले गए अग्रिमों में वसूली/निवेश का लेखा जोखा "विविध आय" में रखा जाता है।

Recoveries in Written off Advances / Investments are accounted for as 'Miscellaneous Income'.

## 11. पट्टा / LEASE

ए एस 19 के अनुसार-पट्टे, परिचालन पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियों के पट्टे के भुगतान की पहचान पट्टे की अवधि हेतु लाभ और हानि खाते में की जाती है तथा वित्तीय पट्टे के मामले में परिसंपत्तियों की पहचान पट्टे के प्रीमियम के लागत के रूप में लेखा बही में की जाती है तथा यह पट्टे की अवधि के साथ परिशोधित हो जाती है।

In accordance with AS 19 - Leases, lease payments for assets taken on operating lease are recognized in the profit & loss account over the period of lease and in respect of assets taken on finance lease, the asset is recognized in the books taking the lease premium as the cost and the same is amortized over the period of the lease.

## 12. आय पर कर / TAXES ON INCOME

### 12.1 चालू कर / Current Tax

लागू कर नियमों, न्यायिक उद्घोषणाओं/वैधिक मतों एवं विगत मूल्यांकन के आधार पर कर योग्य निर्धारित आय पर, लागू ब्याज दर के अनुसार चालू कर उपलब्ध कराया जाता है।

Current tax is provided using applicable tax rates on the taxable income determined on the basis of applicable tax laws, judicial pronouncements / legal opinions and the past assessments.

### 12.2 आस्थगित कर / Deferred Tax

क/अ) आस्थगित कर, कर योग्य आय एवं लेखा आय में होने वाले एक समय अंतर को यथोचित रूप में लेने तथा एक या अधिक परवर्ती अवधि में प्रत्यावर्तित किए जाने को संकेतित करने वाला मान्य विषय है।

Deferred Tax is recognized subject to consideration of prudence, on timing difference, representing the difference between the taxable income and accounting income that originated in one period and are capable of reversal in one or more subsequent periods.

ख/ब) आय पर कर के हेतु लेखा मानक 22 द्वारा अधिनियमित अथवा तुलन पत्र की तारीख पर अधिनियमित कर दर का उपयोग करते हुए आस्थगित कर परिसंपत्तियां/देयताओं की पहचान की जाती है।

Deferred tax asset or liability is recognized using the tax rates that have been enacted or substantially enacted by the Balance Sheet date as per Accounting Standard 22 Accounting for Taxes on Income.

ग/क) प्रबंधन का निर्णय के अनुसार आस्थगित कर/देयताओं की वसूली निश्चित रूप से होगी या नहीं इसके आधार पर प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख पर इनका पुनर्मूल्यांकन किया जाता है।

Deferred tax assets/liabilities are re-assessed at each reporting date, based upon management's judgement as to whether their realisation is considered as reasonably certain.

घ/द) असमाविष्ट मूल्य ह्रास एवं कर हानि को आगे बढ़ाने से आस्थगित कर संपत्तियों की पहचान तभी होगी जब विश्वसनिय प्रभावयुक्त अमूर्त निश्चितता हो ताकि इस प्रकार की आस्थगित कर परिसंपत्ति को भविष्य में होने वाले लाभ से प्राप्त किया जा सके।

Deferred Tax Assets on carry forward of unabsorbed depreciation and tax losses are recognized only if there is virtual certainty supported by convincing evidence that such deferred tax assets can be realised against future profits.

### 13. प्रति शेयर अर्जन / EARNINGS PER SHARE

13.1 बैंक एस 20 —'प्रति शेयर अर्जन', के अनुसार प्रति शेयर मूल और न्यूनीकृत अर्जन की रिपोर्ट करता है। प्रति शेयर मूल अर्जन का निर्धारण कर पश्चात निवल लाभ तथा अधिमानी शेयरों पर लाभांश को वर्ष में बकाया ईक्विटी शेयरों की औसत भारिता से भाग देकर किया जाता है। The Bank reports basic and diluted earnings per share in accordance with AS 20 - 'Earnings per Share'. Basic earnings per share computed by dividing the net profit after tax and dividend on preferential shares by weighted average number of equity shares outstanding for the year.

13.2 प्रति शेयर अर्जन में कमी उस संभाव्य कमी को प्रकट करती है जो वर्ष के दौरान प्रतिभूति या ईक्विटी शेयर जारी करने हेतु अन्य संविदा जारी या परिवर्तित करने पर होती है। प्रति शेयर अर्जन में कमी का निर्धारण वर्ष के अंत में बकाया ईक्विटी शेयरों की औसत भारित संख्या और कम होनेवाले संभाव्य ईक्विटी शेयरों का उपयोग कर किया जाता है।

Diluted earnings per share reflect the potential dilution that could occur if securities or other contracts to issue equity shares were exercised or converted during the year. Diluted earnings per share are computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding at year end.

### 14. व्युत्पन्न (डेरिवेटिव्स) / Derivatives

बैंक बहुत कम ही डेरिवेटिव्स यथा विदेशी वायदा संविदा, ब्याज-दर एवं मुद्रा डेरिवेटिव्स का काम करता है। रुपया ब्याज दर स्वैप, विदेशी मुद्रा ब्याज दर स्वैप, वायदा दर करार एवं व्याज दर फ्यूचर बैंक के साथ संव्यवहार करने वाले ब्याज-दर डेरिवेटिव्स हैं। मुद्रा स्वैप एवं मुद्रा फ्यूचर बैंक के साथ मुद्रा डेरिवेटिव्स संव्यवहार करने वाले विकल्प हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार डेरिवेटिव्स का मूल्यंकन निम्नप्रकार से किया जाता है:

The Bank rarely deals in derivatives i e Forex Forward Contracts, interest rate and currency derivatives. The interest rate derivatives dealt with by the Bank are Rupee Interest Rate Swaps, Foreign Currency Interest Rate Swaps, Forward Rate Agreements and Interest Rate Futures. Currency Derivatives dealt with by the Bank are Options, Currency Swaps and Currency Futures. Based on RBI guidelines, Derivatives are valued as under:

(क/a) बचाव-व्यवस्था पर आय/व्यय का आकलन उपचय आधार पर किया जाता है।

Income/expenditure on hedging derivatives are accounted on accrual basis.

(ख/b) विदेशी वायदा संविदा बाजार के लिए चिह्नित होता है और परिणामी मुनाफा तथा हानि को लाभ एवं हानि लेखा में शामिल किया जाता है। Forex forward contracts are Marked to market and the resultant gains and losses are recognized in the profit and loss account.

(ग/c) विनिमय व्यापार अनुबंध व्यापार उद्देश्य से किया जाता है जिसका मूल्यंकन विदेशी मुद्रा द्वारा निर्धारित दर के आधार पर मौजूदा बाजार के अनुसार किया जाता है और परिणामी मुनाफा तथा हानि को लाभ एवं हानि लेखा में शामिल किया जाता है।

Exchange Traded Contracts entered into for trading purposes are valued at prevailing market rates based on rates given by the Exchange and the resultant gains and losses are recognized in the Profit and Loss Account.

(घ/d) व्यापार स्वैप के समाप्ति से होने वाले हानि/लाभ को समाप्ति की तारीख में आय/व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है। प्रतिरक्षा स्वैप की समाप्ति से होने वाले किसी लाभ/हानि को आस्थगित रखा है और स्वैप की बची हुई संविदागत अवधि या नामित आरिस्त/देयताओं की शेष बची हुई अवधि के अनुसार चिह्नित किया जाता है।

Gains/ losses on termination of the trading swaps are recorded on the termination date as income/ expenditure. Any gain/ loss on termination of hedging swaps are deferred and recognised over the shorter of the remaining contractual life of the swap or the remaining life of the designated assets/liabilities.

(ङ/e) लाभ एवं हानि लेखे में देय रहने पर मुद्रा विकल्प के लिए प्रदत्त एवं प्राप्त प्रीमियम को लेखे में शामिल किया जाता है।

Premium paid and received on currency options is accounted when due in the profit and loss account.

### 15. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आरिस्त संबंधी लेखा विधि

#### ACCOUNTING FOR PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS

आईसीएआई द्वारा इस संबंध में जारी एस 29 "प्रावधान, आकस्मिक देयताओं एवं आकस्मिक आरिस्तों" के अनुरूप बैंक प्रावधान की पहचान तभी करता है जब अतीत की किसी घटना के फलस्वरूप उसका वर्तमान दायित्व हो, संभव है कि आर्थिक लाभ को सन्निहित करनेवाले संसाधनों का बहिर्गमन दायित्व का निपटान करने हेतु अपेक्षित हो, और तब दायित्व की राशि का विश्वसनीय प्राक्कलन किया जा सके।

In conformity with Accounting Standard AS 29, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets", the Bank recognizes provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate of the amount of the obligation can be made. Contingent Assets are not recognized in the financial statements.

### 16. खंड रिपोर्टिंग / Segment Reporting

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार एवं आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 17 अनुपालन कर व्यवसायिक खंड को प्राथमिक खंड रिपोर्टिंग के रूप में एवं भौगोलिक खंड को गौण मान्यता प्रदान करता है।

The Bank recognizes the Business segment as the Primary reporting segment and Geographical segment as the Secondary reporting segment, in accordance with the RBI guidelines and in compliance with the Accounting Standard 17 issued by ICAI.



## अनुसूची / SCHEDULE 18

### अनुबंध III / Annexure III

#### लेखे के संबंध में टिप्पणियां / NOTES ON ACCOUNTS

(31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए एकल वित्तीय विवरण के साथ संलग्न और उसका भाग)

(Annexed to and Forming Part of Standalone Financial Statement for the year ended 31st March, 2023)

#### 1. विनियामक पूंजी / Regulatory Capital:

##### ए/अ) नियामक पूंजी की संरचना/Composition of Regulatory Capital

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

मर्दे/Items	चालू वर्ष/ Current Year	पिछला वर्ष/ Previous Year
	बासेल/Basel-III	बासेल/Basel-III
(i) सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी (सीईटी 1)/ चुकता शेयर पूंजी और आरक्षित निधियां (कटौती का शुद्ध, यदि कोई हो) Common Equity Tier 1 capital (CET 1) / Paid up share capital and reserves (net of deductions, if any)	14934.41	11469.81
(ii) अतिरिक्त टियर 1 पूंजी / अन्य टियर 1 पूंजी Additional Tier 1 capital/ Other Tier 1 capital	500.00	0.00
(iii) टियर 1 पूंजी/Tier 1 capital (i + ii)	15434.41	11469.81
(iv) टियर 2 पूंजी/Tier 2 Capital	2817.97	2894.92
(v) कुल पूंजी (टियर 1 + टियर 2)/ Total capital (Tier 1+Tier 2)	18252.38	14364.73
(vi) कुल जोखिम अनिर्धारित आस्तियां (आरडब्ल्यूए) Total Risk Weighted Assets (RWAs)	110557.73	104519.05
(vii) सीईटी 1 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में सीईटी 1) / आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में चुकता शेयर पूंजी और आरक्षित निधियां CET 1 Ratio (CET 1 as a percentage of RWAs)* / Paid-up share capital and reserves as percentage of RWAs)	13.51	10.97
(viii) टियर 1 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में टियर 1 पूंजी) Tier 1 Ratio (Tier 1 capital as a percentage of RWAs)	13.51	10.97
(ix) टियर 2 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में टियर 2 पूंजी) Tier 2 Ratio (Tier 2 capital as a percentage of RWAs)	2.55	2.77
(x) पूंजी-जोखिम अनिर्धारित परिसंपत्ति अनुपात (सीआरएआर) (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में कुल पूंजी) Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) (Total Capital as a percentage of RWAs)	16.51	13.74
(xi) उत्तोलन अनुपात/Leverage Ratio		
(xii) भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत Percentage of the shareholding of Government of India	95.39	95.39
(xiii) वर्ष के दौरान जुटाई गई प्रदत्त इक्विटी पूंजी की राशि Amount of paid-up equity capital raised during the year	-	-
(xiv) वर्ष के दौरान जुटाई गई गैर-इक्विटी टियर 1 पूंजी की राशि; जिसमें से Amount of non-equity Tier 1 capital raised during the year; out of which	500	-
अ) बासेल III अनुपालन स्थायी गैर-संचयी अधिमानी शेयर (पीएनसीपीएस)/ a) Basel III compliant Perpetual Non-Cumulative Preference Shares (PNCPS)		
ख) बासेल III अनुपालन स्थायी ऋण लिखत (पीडीआई) b) Basel III compliant Perpetual Debt Instrument (PDI):	500	
(xv) वर्ष के दौरान जुटाई गई टियर 2 पूंजी की राशि; जिसमें से Amount of Tier 2 capital raised during the year; of which	-	500
अ) स्थायी गैर-संचयी वरीयता शेयर a) Basel III compliant Tier II Bonds		500

बैंक ने वर्ष 2022-23 में बासेल III अतिरिक्त टियर I बॉन्ड के माध्यम से 500 करोड़ रुपये जुटाए हैं। बैंक ने वर्ष 2022-23 में म्यूच्युअरिटी पर बासेल III टियर II बॉन्ड के 1000 करोड़ रुपये का भुगतान किया है।

Bank has raised Rs.500 crore through Private Placement of BASEL III Additional Tier I Bond during the year 2022-23. Bank has also redeemed its BASEL III Tier II Bond of Rs.1000 crore on maturity during the year 2022-23.

बी) रिज़र्व से ड्रॉ डाउन - शून्य

b) Draw Down from Reserves - Nil

## 2. आस्ति देयता प्रबंध/Asset Liability Management

ए) दिनांक 31.03.2023 को आस्तियों एवं देयताओं की कुछ मदों की परिपक्वता का स्वरूपः/

a) Maturity pattern of certain items of asset and liabilities as on 31.3.2023:

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण	1 दिन	2 से 7 दिन तक	8 से 14 दिन तक	15 से 30 दिन तक	31 दिन से 2 माह तक	2 माह से अधिक से लेकर 3 माह तक	3 माह से अधिक से लेकर 6 माह तक	6 माह से अधिक से लेकर 1 वर्ष तक	1 वर्ष अधिक से लेकर 3 वर्ष तक	3 वर्ष तक अधिक से लेकर 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
PARTICULARS	1 Day	2 to 7 days	8 to 14 days	15 to 30 days	31 days to 2 months	Over 2 months and upto 3 months	Over 3 months and upto 6 months	Over 6 months and upto 1 year	Over 1 year and upto 3 years	Over 3 years and upto 5 year	Over 5 years	Total
जमा/Deposits	2599 (3150)	4034 (4053)	3933 (3284)	7582 (7567)	12198 (9019)	13665 (11396)	28324 (23640)	45963 (41164)	47343 (32054)	19898 (18837)	63798 (69908)	249338 (224073)
अग्रिम / Advances	1010 (428)	2069 (1595)	2602 (1393)	6712 (2492)	7014 (2726)	5955 (3883)	11599 (7354)	12118 (16597)	26674 (15745)	23837 (14564)	62039 (63000)	161629 (129777)
निवेश / Investments	- -	124 (100)	94 -	264 (707)	464 (218)	783 (1024)	893 (1657)	2124 (3082)	11262 (5165)	10804 (13763)	70857 (73327)	97669 (99045)
उधार/Borrowings	1903 (293)	2095 (2851)	1472 (1056)	3246 (1834)	1062 (602)	7252 (2821)	802 (744)	358 (1335)	811 (473)	- -	1500 (1500)	20501 (13508)
विदेशी मुद्रा आस्तियां Foreign Currency Assets	474 (1755)	6420 (4167)	2087 (1479)	9374 (16782)	6557 (16379)	9487 (5448)	6906 (11379)	3506 (26439)	7754 (3576)	6365 (2042)	2830 (2286)	61760 (91732)
विदेशी मुद्रा देयताएं Foreign Currency Liabilities	399 (1804)	5394 (4670)	1901 (1428)	9088 (16980)	6330 (15488)	10224 (6486)	5475 (11170)	5663 (25636)	10230 (4744)	4877 (1767)	2468 (1824)	62050 (91999)

ख) चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) /b) LIQUIDITY COVERAGE RATIO (LCR)

प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण/Quantitative Disclosure:

चलनिधि कवरेज अनुपात/Liquidity Coverage Ratio:

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

	30.06.2022 को समाप्त तिमाही Quarter ended 30.06.2022		30.09.2022 को समाप्त तिमाही Quarter ended 30.09.2022		31.12.2022 को समाप्त तिमाही Quarter ended 31.12.2022		31.03.2023 को समाप्त तिमाही Quarter ended 31.03.2023	
	कुल अभासित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (Average)	कुल अभासित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (Average)	कुल अभासित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (Average)	कुल अभासित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (Average)
<b>उच्च गुणवत्तायुक्त चल परिसंपत्तियां/ High Quality Liquid Assets</b>								
1 कुल उच्च गुणवत्तायुक्त चल परिसंपत्तिया (HQLA) Total High quality Liquid Assets(HQLA)		75964.02		74,663.38		75,800.93		72,689.01
<b>नकदी निकासी/Cash Outflows</b>								
2 खुदरा जमा और छोटे व्यवसाय के ग्राहकों से प्राप्त जमा, जिनमें से Retail Deposit and deposits from small business customers, of which	1,57,235.90	15,607.98	1,47,695.76	14,652.35	1,52,987.08	15,190.27	1,64,916.42	16,387.71
(i) स्थिर जमा /Stable Deposit	2,311.61	115.58	2,344.48	117.22	2,168.72	108.44	2,078.56	103.93
(ii) अल्प स्थिर जमा/Less Stable Deposit	1,54,546.40	15,454.64	1,45,351.27	14,535.13	1,50,818.36	15,081.84	1,62,837.86	16,283.79
3 अरक्षित थोक वित्त पोषण, जिनमें से Unsecured Wholesale Funding, of which	43,928.66	18,290.13	45,109.70	21,498.54	48,059.66	19,565.57	53,536.43	21,550.06
(i) परिचालन जमा (सभी प्रतिपक्षी पार्टियां) Operational Deposits ( All Counter Parties)	0	0	0	0	0	0	0	0
(ii) गैर-परिचालन जमा (सभी प्रतिपक्षी पार्टियां) Non- Operational Deposits ( All Counter Parties)	41,884.71	17,318.85	45,109.70	21,498.54	49,059.65	19,565.57	53,536.43	21,550.06
(iii) अप्रतिभूत ऋण/Unsecured Debt	-	-	-	-	-	-	-	-
4 प्रतिभूत थोक निधियन / Secured Wholesale Funding								
5 अतिरिक्त जस्तें, जिनमें/ Additional Requirements, of Which	10,184.83	1,831.03	12,489.56	2,341.15	16,519.53	2,539.59	14,183.04	1,862.61
(i) व्युत्पन्न एक्सपोजर एवं अन्य संपार्श्विक जस्तों से संबंधित निकासी Outflows related to derivative exposures and other Collateral Requirements	1,142.85	1,142.85	1,543.52	1,543.52	1,521.48	1,521.48	971.44	971.44

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

	30.06.2022 को समाप्त तिमाही Quarter ended 30.06.2022		30.09.2022 को समाप्त तिमाही Quarter ended 30.09.2022		31.12.2022 को समाप्त तिमाही Quarter ended 31.12.2022		31.03.2023 को समाप्त तिमाही Quarter ended 31.03.2023	
	कुल अभासित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (Average)	कुल अभासित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (Average)	कुल अभासित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (Average)	कुल अभासित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (Average)
(ii) ऋण उत्पादों पर निधियन हानि से संबंधित निकासी Outflows related to loss of funding on debt Products	-	-	-	-	-	-	-	-
(iii) ऋण एवं चलनिधि सुविधाएं Credit and Liquidity facilities	9,027.01	634.00	10,946.04	797.63	14,998.05	1,018.11	13,211.60	891.17
6 अन्य सविदा निधियन दायित्व Other Contractual funding Obligations	4,012.25	4,012.25	4,837.40	4,837.40	6,976.93	6,976.93	6,496.76	6,496.76
7 अन्य आकस्मिक निधियन दायित्व Other Contingent Funding Obligations	8,894.77	289.77	6,696.92	220.90	2,047.35	79.24	2,142.61	88.88
8 कुल नकदी निकासी/ Total Cash Outflows		39,939.22		43,550.54		44,351.60		46,386.02
<b>नकदी आगमन/ Cash Inflows</b>								
9 प्रतिभूत उधार (उदा. रिवर्स रेपो) Secured Lending (eg. Reverse Repos )	2,481.86	-	569.27	-	321.34	-	462.44	-
10 पूर्णतः अजक एलसपोज़र से आगमन Inflows from Fully Performing Exposures	3,780.34	2,562.07	5,227.99	3,741.55	7,205.13	4,635.91	7,573.39	5,015.52
11 अन्य नकदी आगमन/ Other Cash inflows	1,062.71	588.19	1,094.04	572.02	352.59	196.17	726.80	397.05
<b>12 कुल नकदी आगमन/Total Cash Inflows</b>	7,086.56	3,213.36	6,891.29	4,313.58	7,879.06	4,832.08	8,762.64	5,412.58
	कुल समायोजित मूल्य/Total Adjusted Value		कुल समायोजित मूल्य/Total Adjusted Value		कुल समायोजित मूल्य/Total Adjusted Value	कुल समायोजित मूल्य/Total Adjusted Value	कुल समायोजित मूल्य/Total Adjusted Value	
13 कुल एचक्यूएलए/ Total HQLA		75,964.02		74,663.38		75,800.93		72,689.01
14 कुल निवल नकदी निकासी/ Total Net Cash Outflow		36,725.86		39,236.76		39,519.92		40,973.45
15 चलनिधि कवरेज अनुपात/ Liquidity Coverage Ratio (%)		206.84%		190.29%		191.81%		178.90%

\* चालू वर्ष का औसत एलसीआर यानी 191.96%/Average of Daily LCR of Current Year i.e. 191.96%

\*\* पिछले वर्ष का औसत एलसीआर यानी 217.45% /Average of Daily LCR of Previous Year i.e. 217.45%

## एलसीआर डाटा की गुणवत्ता मूल्यांकन एवं परिणाम:

चल निधि कवरेज, बैंक को संभावी चल निधि के अव्यवस्थित होने पर यह सुनिश्चित करते हुए कि बैंक में उच्च स्तरीय चल निधि परिसंपत्तियां हैं जिन्हें 30 दिनों की अत्यधिक कठिन आर्थिक स्थितियों से उबरने हेतु चलनिधि की आवश्यकता को पूरा करने के लिए नकद में परिवर्तित किया जा सकता है, लघु अवधि हेतु संवर्धित करता है। एलसीआर का परिकलन अगले 30 कैलेंडर दिनों में कठिन आर्थिक परिस्थितियों में निवल नकद बहिर्गमन के अनुपात में उच्च स्तरीय चल निधि संपत्तियों के आधार पर किया जाता है।

## पर्याप्त एलसीआर के निर्धारक तत्व

बैंक द्वारा लगातार एकल एवं समेकित आधार पर एलसीआर को नियामक की अपेक्षाओं से भी अधिक अनुरक्षित किया जा रहा है जिसके मुख्य निर्धारक तत्व हैं:

तत्व / Drivers	विवरण/Particulars
उच्च गुणवत्ता चल परिसंपत्तियों (एचक्यूएलए) का सुविधाजनक स्तर  Comfortable level of High Quality Liquid Assets (HQLA)	बैंक द्वारा बाध्यकारी एसएलआर जरूरतों से अधिक अतिरिक्त सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में एचक्यूएलए का सुविधाजनक स्तर बनाए रखा जा रहा है, जिसे संकटग्रस्त परिस्थितियों में जल्द तरलता उपलब्ध करने के लिए आसानी से बेचा या रेपो उधार के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।  The Bank is maintaining comfortable level of HQLA in the form of Government Securities in excess over the mandatory SLR requirement which can be easily sold or could be used for repo borrowings to avail quick liquidity in stressed conditions.
न्यून रन ऑफ वाली निकासियों पर ध्यान देना  Focus on Outflows having lower run-off	बैंक 5%/10% के न्यून रन ऑफ घटक युक्त रिटेल जमा पर ध्यान केंद्रित कर रहा है तथा कॉर्पोरेट जमा एवं बैंक/एफआई/एनबीएफसी से प्राप्त जमाओं पर निर्भरता कम कर रहा है जिनका 40%/100% तक उच्च रन ऑफ घटक रहता है।  The bank is focusing on accretion of retail deposits as they have lower run off factor of 5%/10% and is reducing dependence on corporate deposits and deposits from bank / FI / NBFC having higher run off factor of 40%/100%

**उच्च गुणवत्ता चल परिसंपत्तियां (एचक्यूएलए):** हमारे एचक्यूएलए में निम्नांकित शामिल हैं:

- स्तर 1 की परिसंपत्तियां
  1. उपलब्ध तैयार नकदी जिसमें सीआरआर के अतिरिक्त मौजूद नकदी रिजर्व शामिल है।
  2. बाध्यकारी एसएलआर के अतिरिक्त मौजूद सरकारी प्रतिभूतियां।
  3. एसएलआर प्रतिभूतियों के रूप में शुद्ध मांग एवं मीयादी देयताओं के 2% तक की सीमांत स्थायी सुविधा।
  4. एसएलआर प्रतिभूतियों के रूप में शुद्ध मांग एवं मीयादी देयताओं के 16% तक तरलता कवरेज अनुपात के लिए तरलता प्राप्ति की सुविधा।
- स्तर 2 की परिसंपत्तियां (बैंकों/वित्तीय संस्था द्वारा जारी न की गई)
- स्तर 2ए परिसंपत्तियों के अंतर्गत -
  1. सॉवरेन सार्वजनिक क्षेत्र के निकायों (पीएसई) पर दावों या उनके द्वारा गारंटीकृत दावों का प्रतिनिधित्व करनेवाली विक्रय योग्य प्रतिभूतियां जिनका बासेल II के तहत जोखिम भार 20% का है।
  2. कारपोरेट बॉन्ड एवं वाणिज्यिक कागजात जिनकी न्यूनतम रेटिंग एए- है।

## Qualitative Assessment of LCR data and Result: Risk Management

The Liquidity Coverage Ratio (LCR) promotes short term resilience of banks to potential liquidity disruptions by ensuring that they have sufficient High Quality Liquid Assets (HQLA) that can be converted into cash to meet their liquidity needs under a significantly severe stress scenario lasting for 30 days. The LCR is calculated as the ratio of High Quality Liquid Assets (HQLA) to Net Cash Outflows under stressed conditions over the next 30 calendar days.

## Drivers of a Comfortable LCR:

The Bank has been maintaining the LCR well above the regulatory requirement on an ongoing basis on solo as well as consolidated basis the main drivers of which are as under:

**High Quality liquid Assets (HQLA):** Our HQLA comprises of following

- Level 1 Assets
  1. Cash in hand including Cash Reserve in excess of CRR
  2. Govt. Securities in Excess of Mandatory SLR
  3. Marginal standing Facility up to 2% of Net Demand and Time Liabilities in the form of SLR securities.
  4. Facility to Avail Liquidity for liquidity Coverage Ratio up to 16% of Net Demand and Time Liabilities in the form of SLR securities.
- Level 2 Assets (Not issued by Banks/Financial Institution)
- Under Level 2A assets - With Haircut of 15%
  1. Marketable securities representing claims on or claims guaranteed by Sovereigns Public Sector Entities (PSEs) having risk weight 20% under the Basel II
  2. Corporate Bonds and Commercial Papers having minimum rating of AA-

● स्तर 2बी परिसंपत्तियों के अंतर्गत

1. सॉवरेन द्वारा निर्गमित या गारंटीकृत प्रतिभूतियां जिनका जोखिम भार 20% से अधिक परंतु 50% से अधिक नहीं है (जैसे एए एवं ए रेटिंग के बॉन्ड)।
2. कॉर्पोरेट कर्ज प्रतिभूतियां (वाणिज्यिक कागजात सहित) जिनकी बाह्य रेटिंग ए+ से बीबीबी- के मध्य है।
3. एनएसई सीएनएक्स निफ्टी सूचकांक और/या एस एंड पी बीएसई सेन्सेक्स सूचकांक में शामिल कॉमन ईक्विटी शेयर

**निधियन स्रोतों का संकेन्द्रण :** विविधतापूर्ण देयताओं से युक्त हमारे निधियन स्रोतों का आधार सुविस्तृत है जिसमें मुख्यतः शामिल हैं

- चालू जमा एवं बचत जमा, और
- मीयादी जमा (सामान्य एवं थोक)

बैंक निम्न स्थिरता वाली निधियों के संकेन्द्रण पर निगरानी रखने/कम करने के उद्देश्य से नियमित अंतराल पर निधि स्रोतों की निगरानी रख रहा है। बैंक ने थोक जमा को कम किया है तथा चालू एवं बचत जमा की अभिवृद्धि पर ध्यान दिया है। बैंक नियमित अंतराल पर 20 सबसे बड़े जमाकर्ताओं के संकेन्द्रण पर भी नज़र रखता है।

हमारे कोई सामूहिक निकाय नहीं हैं तथा एकल स्तर पर तरलता का प्रबंधन केंद्रीयकृत रूप से किया जाता है।

● Under Level 2B assets - With Haircut of 50%

1. Securities issued or guaranteed by sovereigns having risk weight higher than 20% but not higher than 50% (i.e. Bonds with Rating AA & A)
2. Corporate Debt Securities (including Commercial Paper) having external rating between A+ and BBB-
3. Common Equity Shares Included in NSE CNX Nifty index and/or S&P BSE Sensex index

**Concentration of Funding Sources:** Our Funding sources is well spread with diversified liabilities portfolio comprising mainly of

- Current Deposit and Saving Deposit and
- Term Deposit ( normal and Bulk)

The bank is monitoring the funding sources on regular interval with the objective to monitor / reduce the concentration of funds having lower stability. The bank has reduced the bulk deposits and focused on accretion of current and Savings deposits. The bank also monitors the concentration of top 20 depositors on regular intervals.

We do not have any group entities and liquidity at solo level is being managed centrally.

ग) निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफआर):

एनएसएफआर प्रकटीकरण टेम्पलेट:

	तिमाही 1				तिमाही 2				तिमाही 3				तिमाही 4			
	अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा अधिधारित मूल्य				अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा अधिधारित मूल्य				अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा अधिधारित मूल्य				अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा अधिधारित मूल्य			
	कोई परिपक्वता नहीं*	< 6 माह	6 माह से < 1 वर्ष	≥ 1 वर्ष	कोई परिपक्वता नहीं*	< 6 माह	6 माह से < 1 वर्ष	≥ 1 वर्ष	कोई परिपक्वता नहीं*	< 6 माह	6 माह से < 1 वर्ष	≥ 1 वर्ष	कोई परिपक्वता नहीं*	< 6 माह	6 माह से < 1 वर्ष	≥ 1 वर्ष
एनएसएफ मर																
1 मुंबई (2+3)	-	-	-	58,961	-	-	-	59,669	-	-	-	66,668	-	-	-	73,086
2 विनियामक सूची	-	-	-	14,519	-	-	-	13,873	-	-	-	15,522	-	-	-	15,726
3 अन्य पूर्वी खान	-	-	-	44,442	-	-	-	45,796	-	-	-	51,346	-	-	-	57,361
4 खुदरा जमा और छेदे खाबराय के प्राक्कों के जमा: (5 अ 6)	80,654	-	69,786	-	83,104	-	69,525	-	83,775	-	70,855	-	85,719	-	67,742	-
5 स्थिर जमा	35,506	-	20,070	-	52,797	-	41,990	-	36,448	-	41,217	-	37,316	-	39,428	-
6 अल्प स्थिर जमा	45,149	-	49,716	-	85,379	-	27,535	-	47,327	-	29,638	-	48,403	-	28,314	-
7 शोक वित्त पोषण: (8+9)	5,549	316	29,048	-	17,289	4,327	34,111	-	19,459	4,050	35,175	-	21,399	4,285	38,261	-
8 प्रचालनात्मक जमा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 अन्य शोक वित्त पोषण	5,549	316	29,048	-	17,289	4,327	34,111	-	19,459	4,050	35,175	-	21,399	4,285	38,261	-
10 अन्य देवदार: (11 + 12)	6,582	-	-	-	9,776	-	-	-	11,589	-	-	-	22,363	-	-	-
11 एनएसएफआर खुदरा देवदार	4,460	-	-	-	6,556	-	-	-	4,127	-	-	-	4,574	-	-	-
12 अन्य सभी देवदार और हिविटी जो कि उर्ध्वक श्रेणियों में शामिल नहीं की गई हैं	2,122	-	-	-	3,221	-	-	-	7,472	-	-	-	17,790	-	-	-
13 कुल एनएसएफ (1+4+7+10)				2,14,435	97,207	477	1,03,636	59,583	2,20,396.39	99,424	1,248	1,06,031	66,780	2,31,048	1,12,368	73,000
14 कुल एनएसएफआर उच्च गुणवत्ता वाली चल संपत्ति (एनएसएफआर)				4,810				5,344					4,220	60,149	2,691	
15 परिवारल प्रयोजनों के लिए अन्य वित्तीय संस्थानों में रखी गई जमाएं	98	-	-	49	74			37	40				20	44		22
16 अर्जक ऋण और प्रतिभूतियां: (17 + 18 + 19 + 21 + 23)	-	3,400	37,413	62,703	68,622	-	4,645	44,069	60,283	70,785	8,787	34,211	63,065	68,604	6,613	41,048
17 स्तर 1 एनएसएफआर द्वारा खरीत वित्तीय संस्थानों के अर्जक ऋण और वित्तीय संस्थानों के अर्जक ऋण।							4,645				2,689					
18 स्तर 1 एनएसएफआर द्वारा खरीत वित्तीय संस्थानों के अर्जक ऋण और वित्तीय संस्थानों को अनुखरीत अर्जक ऋण				510				4,242			6,088				6,613	
																982

अन्य एनएसएफ मर

एनएसएफआर प्रकटीकरण टेम्पलेट:

	तिमाही 1												तिमाही 2												तिमाही 3												तिमाही 4			
	अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा अनिर्धारित मूल्य				निर्धारित मूल्य				अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा अनिर्धारित मूल्य				निर्धारित मूल्य				अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा अनिर्धारित मूल्य				निर्धारित मूल्य				अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा अनिर्धारित मूल्य				निर्धारित मूल्य											
	कई परिपक्वता नहीं*	< 6 माह	6 माह से < 1 वर्ष	≥ 1 वर्ष	कई परिपक्वता नहीं*	< 6 माह	6 माह से < 1 वर्ष	≥ 1 वर्ष	कई परिपक्वता नहीं*	< 6 माह	6 माह से < 1 वर्ष	≥ 1 वर्ष	कई परिपक्वता नहीं*	< 6 माह	6 माह से < 1 वर्ष	≥ 1 वर्ष	कई परिपक्वता नहीं*	< 6 माह	6 माह से < 1 वर्ष	≥ 1 वर्ष	कई परिपक्वता नहीं*	< 6 माह	6 माह से < 1 वर्ष	≥ 1 वर्ष	कई परिपक्वता नहीं*	< 6 माह	6 माह से < 1 वर्ष	≥ 1 वर्ष												
एएसएफ मर																																								
19	नेच-वितीय कोर्पोरेट ग्राहकों, खुदरा और लघु व्यवसाय ग्राहकों के अर्जक ऋण, और संपु, केंद्रीयकों और सार्वजनिक उपक्रमों के अर्जक ऋण, जिनमें से:	-	-	37,413	9,412	25,053					4,242	2,757																												
20	ऋण जोखिम के लिए बसल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर के जोखिम भार के साथ	-	-	-	8,761	5,694						44,577																												
21	अर्जक आवासीय ऋण, जिनमें से:	-	-	-	53,290	43,059						11,696	7,602																											
22	केडिट जोखिम के लिए बसल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर के जोखिम भार के साथ	-	-	-	11,188	7,272						846	719																											
23	प्रतिभूतियां जो डिफॉल्ट रूप से नहीं हैं और एक्सचेंज-ट्रैडेड इतिवदी सहित एक्सचूएलर के रूप में योग्य नहीं हैं	-	-	-	-	-						53,523	54,052																											
24	अन्य संपत्तियां (25 से 29 पंक्तियों का योग)	595	-	-	49,638	50,178											592																							
25	सोने सहित मौलिक व्यापार वाली वस्तुएं	-	-	-	-	-							321																											
26	युएन अनुबंधों और सीपीपी के डिफॉल्ट फंड में अधिदायों के लिए प्रारंभिक मॉडल के रूप में प्रविष्ट की गई अस्तियां	371	-	-	-	316											380																							
27	एनएसएफआर युएन अस्तियां	-	-	-	-	-							208																											
28	प्रविष्ट किए गए वट-बढ़ मॉडल की कटौती से पूर्व एनएसएफआर युएन देयताएं	224	-	-	-	224						53,523	53,523				212																							
29	अन्य सभी संपत्तियां जो उपर्युक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं	-	-	-	49,638	49,638																																		
30	कुल पत्र में शामिल नहीं होने वाली मं.	8,321				416	5,116						256																											
31	कुल आरएसएफ	66,819	5,000	37,413	1,12,341	1,24,075	66,657	6,465	44,069	1,13,807	1,30,473	65,929	11,302	34,211	1,09,598	1,20,168	65,965	9,304	41,048	1,14,604	1,30,302																			
32	निवल रिश्त निश्चिन अनुपात (%)					172.83%						168.92%				192.27%																								



**c) Net Stable Funding Ratio(NSFR):**

NSFR Disclosure Template:																	
	QUARTER 1				QUARTER 2				QUARTER 3				QUARTER 4				
	Unweighted value by residual maturity		Weighted value		Unweighted value by residual maturity		Weighted value		Unweighted value by residual maturity		Weighted value		Unweighted value by residual maturity		Weighted value		
(₹ in Crore)	No maturity*	< 6 months	6 months to < 1yr	≥ 1yr	No maturity*	< 6 months	6 months to < 1yr	≥ 1yr	No maturity*	< 6 months	6 months to < 1yr	≥ 1yr	No maturity*	< 6 months	6 months to < 1yr	≥ 1yr	
ASF Item																	
1	Capital: (2+3)	-	-	58,961	58,961	-	-	58,969	58,969	-	-	68,688	68,688	-	-	73,086	73,086
2	Regulatory capital	-	-	14,519	14,519	-	-	13,873	13,873	-	-	15,522	15,522	-	-	15,726	15,726
3	Other capital instruments	-	-	44,442	44,442	-	-	45,796	45,796	-	-	51,346	51,346	-	-	57,361	57,361
4	Retail deposits and deposits from small business customers: (5+6)	80,654	68,786	-	1,38,175	83,104	68,525	-	1,41,268	83,775	70,855	-	1,42,782	85,719	67,742	-	1,41,390
5	Stable deposits	35,506	20,070	-	52,797	36,037	41,990	-	74,125	36,448	41,217	-	73,738	37,316	39,428	-	72,127
6	Less stable deposits	45,149	48,716	-	85,379	47,068	27,535	-	67,142	47,327	29,638	-	69,043	48,403	28,314	-	69,263
7	Wholesale funding: (8+9)	5,549	29,048	-	17,299	4,327	477	34,111	19,459	4,050	1,248	35,175	21,399	4,285	1,234	38,261	23,285
8	Operational deposits	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Other wholesale funding	5,549	29,048	-	17,299	4,327	477	34,111	19,459	4,050	1,248	35,175	21,399	4,285	1,234	38,261	23,055
10	Other liabilities: (11+12)	6,582	-	-	-	9,776	-	-	11,599	-	-	-	-	22,363	-	-	-
11	NSFR derivative liabilities	4,460	-	-	-	6,556	-	-	4,127	-	-	-	-	4,574	-	-	-
12	All other liabilities and equity not included in the above categories	2,122	-	-	-	3,221	-	-	7,472	-	-	-	-	17,790	-	-	-
13	Total ASF (1+4+7+10)				2,14,435	97,207	477	1,03,636	59,583	99,424	1,248	1,06,031	66,790	1,12,368	1,234	1,06,003	73,000
14	Total NSFR high-quality liquid assets (HQLA)				4,810				5,344					60,149	2,681		6,552
15	Deposits held at other financial institutions for operational purposes	88	-	-	49	74			37	40	-	-	-	44	-	-	22
16	Performing loans and securities: (17+18+19+21+ 23)	-	3,400	37,413	62,703	-	4,645	44,069	60,283	-	8,787	34,211	63,065	-	6,613	41,048	74,466
17	Performing loans to financial institutions secured by Level 1 HQLA and unsecured performing loan to financial institutions.	-	-	-	-	-	4,645	-	697	-	2,689	-	-	-	-	-	-
18	Performing loans to financial institutions secured by non-Level 1 HQLA and unsecured performing loans to financial institutions	-	3,400	-	510	-	-	44,069	4,242	-	6,088	-	-	-	6,613	-	992

RSF Item



गुणात्मक चर्चा :

पृष्ठभूमि :

**चलनिधि पर बासेल III नियम पाठ - "बासेल III: चलनिधि जोखिम माप, मानकों और निगरानी के लिए अंतर्राष्ट्रीय रूपरेखा"** दिसंबर 2010 में जारी की गई थी जिसमें चलनिधि पर वैश्विक नियामक मानकों का विवरण प्रस्तुत किया गया था।

दो अलग-अलग लेकिन पूरक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बासेल समिति द्वारा चलनिधि के वित्तपोषण के लिए दो न्यूनतम मानक; अर्थात् चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) और शुद्ध स्थिर निधि अनुपात (एनएसएफआर) निर्धारित किए गए थे।

एलसीआर बैंकों के संभावित चलनिधि अवरोधों के लिए अल्पकालिक आघात-सहनीयता को बढ़ावा देता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनके पास 30 दिनों तक चलने वाले तीव्र दबाव परिदृश्य से बचने के लिए पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्तियां (एचक्यूएलए) हैं। एनएसएफआर बैंकों को अपनी गतिविधियों को निरंतर आधार पर वित्तपोषण के अधिक स्थिर स्रोतों के साथ वित्तपोषित करने की आवश्यकता हेतु दीर्घ अवधि के क्षितिज पर आघात-सहनीयता को बढ़ावा देता है।

**एनएसएफआर का उद्देश्य:**

एनएसएफआर का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक अपनी परिसंपत्तियों की संरचना और तुलन पत्र से इतर गतिविधियों के संबंध में एक स्थिर फंडिंग प्रोफाइल बनाए रखे। एक स्थायी वित्त पोषण संरचना का उद्देश्य बैंक के वित्त पोषण के नियमित स्रोतों में व्यवधान के कारण बैंक की तरलता की स्थिति के क्षरण की संभावना को कम करना है जिससे इसकी विफलता का जोखिम बढ़ जाएगा और संभावित रूप से व्यापक प्रणालीगत तनाव हो सकता है।

**एनएसएफआर की परिभाषा:**

एनएसएफआर को आवश्यक स्थिर वित्तपोषण की राशि के सापेक्ष उपलब्ध स्थिर वित्तपोषण की राशि के रूप में परिभाषित किया गया है।

**"उपलब्ध स्थिर वित्तपोषण" (एएसएफ)** को पूँजी और देयताएं के हिस्से के रूप में परिभाषित किया गया है और एनएसएफआर द्वारा विचार किए गए समय क्षितिज पर विश्वसनीय होने की उम्मीद है, जो एक वर्ष तक बढ़ा है।

**उदाहरण :**

क) कुल विनियामक पूँजी (एक वर्ष से कम की अवशिष्ट परिपक्वता वाली टियर 2 लिखतों को छोड़कर)।

ख) एक वर्ष या उससे अधिक की प्रभावी अवशिष्ट परिपक्वता के साथ अन्य पूँजीगत लिखत और देयताएं।

ग) रिटेल एवं लघु व्यवसाय ग्राहकों (इसे बड़े कॉर्पोरेट/ संस्थान से जमा राशि की तुलना में अधिक स्थिर माना जाता है) द्वारा प्रदान की गई स्थिर और कम स्थिर गैर-परिपक्वता (मांग) जमा राशि तथा एक वर्ष से कम की अवशिष्ट परिपक्वता के साथ सावधि जमा

घ) सरकारी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और बहुपक्षीय और राष्ट्रीय विकास बैंकों से एक वर्ष से कम की अवशिष्ट परिपक्वता के साथ वित्तपोषण।

किसी विशिष्ट संस्थान के लिए आवश्यक स्थिर वित्तपोषण ("**आवश्यक स्थिर वित्तपोषण**") (आरएसएफ) उस संस्था द्वारा धारित विभिन्न परिसंपत्तियों की चलनिधि विशेषताओं और अवशिष्ट परिपक्वताओं के साथ-साथ इसके तुलन-पत्र से इतर जोखिमों का एक कार्य है।

**उदाहरण :**

क) भार रहित स्तर 1 की परिसंपत्तियां, सिक्कों, बैंक नोटों, सीआरआर और एसएलआर प्रतिभूतियों को छोड़कर

**Qualitative discussion:**

**Background:**

The **Basel III rules text on liquidity** - "Basel III: International framework for Liquidity Risk measurement, standards and monitoring" was issued in December 2010 which presented the details of global regulatory standards on liquidity.

Two minimum standards, viz., Liquidity Coverage Ratio (LCR) and Net Stable Funding Ratio (NSFR) for funding liquidity were prescribed by the Basel Committee for achieving two separate but complementary objectives.

The LCR promotes short-term resilience of banks to potential liquidity disruptions by ensuring that they have sufficient High Quality Liquid Assets (HQLAs) to survive an acute stress scenario lasting for 30 days. **The NSFR promotes resilience over a longer-term time horizon by requiring banks to fund their activities with more stable sources of funding on an ongoing basis.**

**Objective of NSFR:**

The objective of NSFR is to ensure that Bank maintains a stable funding profile in relation to the composition of their assets and off-balance sheet activities. A sustainable funding structure is intended to reduce the probability of erosion of bank's liquidity position due to disruptions in bank's regular sources of funding that would increase the risk of its failure and potentially lead to broader systemic stress.

**Definition of NSFR:**

The NSFR is defined as the amount of **available stable funding relative to the amount of required stable funding.**

**"Available Stable Funding" (ASF)** is defined as the portion of capital and liabilities expected to be reliable over the time horizon considered by the NSFR, which extends to one year.

**Example:**

- Total regulatory capital (excluding Tier 2 instruments with residual maturity of less than one year).
- Other capital instruments and liabilities with effective residual maturity of one year or more.
- Stable & less stable non-maturity (demand) deposits and term deposits with residual maturity of less than one year provided by **retail and small business customers (it is considered more stable than deposits from large corporates/ institution)**
- Funding with residual maturity of less than one year from sovereigns, PSEs, and multilateral and national development banks.

**Stable funding required ("Required Stable Funding") (RSF)** of a specific institution is a function of the liquidity characteristics and residual maturities of the various assets held by that institution as well as those of its Off-Balance Sheet (OBS) exposures.

**Example:**

- Unencumbered Level 1 assets, excluding coins, banknotes, CRR and SLR Securities

- ख) भार रहित स्तर 2ए एवं स्तर 2बी परिसंपत्तियां
- ग) अन्य सभी परिसंपत्तियां जो एक वर्ष से कम की अवशिष्ट परिपक्वता वाली उपर्युक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं, जिसमें गैर-वित्तीय कॉरपोरेट ग्राहकों को 'मानक' ऋण, रिटेल और लघु व्यवसाय ग्राहकों को और सरकारी एवं सार्वजनिक उपक्रमों को 'मानक' ऋण शामिल हैं।
- घ) एक वर्ष या उससे अधिक की अवशिष्ट परिपक्वता के साथ भार रहित 'मानक' आवासीय बंधक और मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत न्यूनतम जोखिम भार निर्धारित किया गया।
- ङ) मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से अधिक जोखिम भार वाले अन्य भार रहित निष्पादन ऋण तथा एक वर्ष या उससे अधिक की अवशिष्ट परिपक्वता, वित्तीय संस्थानों के ऋण को छोड़कर।

गैर-निष्पादित ऋण, एक वर्ष या उससे अधिक की अवशिष्ट परिपक्वता के साथ वित्तीय संस्थानों को ऋण, गैर-विनिमय-व्यापारिक इक्विटी, अचल परिसंपत्तियां, नियामक पूंजी से कटौती की गई मर्दे, प्रतिधारित ब्याज, बीमा परिसंपत्तियां, सहायक हितों एवं चूक प्रतिभूतियों सहित उपर्युक्त श्रेणियों में शामिल अन्य सभी परिसंपत्तियां शामिल नहीं हैं।

#### एनएसएफआर की गणना :

एनएसएफआर की गणना निम्न प्रकार से की जाती है:-

$$\text{एनएसएफआर} = \frac{\text{उपलब्ध स्थिर निधीयन}}{\text{आवश्यक स्थिर निधीयन}} \geq 100\%$$

उपर्युक्त अनुपात चालू आधार पर कम से कम 100% के बराबर होना चाहिए। एनएसएफआर बैंकों पर दिनांक 01.10.2021 से प्रभावी है और आरबीआई की पोर्टल पर तिमाही फाइलिंग अनिवार्य है।

तदनुसार, हमें दिनांक 31.03.2023 के लिए आरबीआई की पोर्टल पर एनएसएफआर को अपलोड कर दिया है।

#### यूको बैंक की स्थिति:

बैंक न्यूनतम नियामकीय आवश्यक अनुपात से बहुत ऊपर एनएसएफआर को बनाए रख रहा है, जो दर्शाता है कि बैंक के पास अपनी निधि आवश्यकता को प्रबंधित करने के लिए पर्याप्त स्थिर स्रोत हैं।

- b) Unencumbered Level 2A & Level 2B assets
- c) All other assets not included in the above categories with residual maturity of less than one year, including 'standard' loans to non-financial corporate clients, to retail and small business customers, and 'standard' loans to sovereigns and PSEs
- d) Unencumbered 'standard' residential mortgages with a residual maturity of one year or more and assigned the minimum risk weight under the Standardized Approach
- e) Other unencumbered performing loans with risk weights greater than 35% under the Standardized Approach and residual maturities of one year or more, excluding loans to financial institutions

All other assets not included in the above categories, including non-performing loans, loans to financial institutions with a residual maturity of one year or more, non-exchange-traded equities, fixed assets, items deducted from regulatory capital, retained interest, insurance assets, subsidiary interests and defaulted securities

#### Computation of NSFR:

The NSFR is computed as follows:

$$\text{NSFR} = \frac{\text{Available Stable Funding}}{\text{Required Stable Funding}} \geq 100\%$$

The above ratio should be equal to at least 100% on an ongoing basis. The NSFR is binding on Banks w.e.f 01.10.2021 and quarterly filing in RBI portal is mandatory.

Accordingly, we have uploaded NSFR in RBI portal for 31.03.2023

#### UCO Bank's Position:

Bank is maintaining NSFR much above the maximum regulatory required ratio, which shows Bank has sufficient stable source of fund to manage its fund requirement.

## 3. निवेश/Investments:

## ए/अ) निवेश पोर्टफोलियो की संरचना / Composition of Investment Portfolio:

As on 31.03.2023

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

	भारत में निवेश / Investments in India						भारत के बाहर निवेश / Investments outside India						कुल निवेश Total Investments
	सरकारी प्रतिभूतियाँ Government Securities	अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियाँ Other Approved Securities	शेयर Shares	डिबेंचर और बांड Debentures and Bonds	सहायक कंपनियों और/या संयुक्त उपक्रम Subsidiaries and/or joint ventures	अन्य Others	भारत में कुल निवेश Total investments in India	सरकारी प्रतिभूतियाँ (स्थानीय प्राधिकरण सहित) Government securities (including local authorities)	सहायक कंपनियों और/या संयुक्त उपक्रम Subsidiaries and/or joint ventures	अन्य Others	भारत के बाहर कुल निवेश Total Investments outside India		
	71511.03	0.00	0.00	1825.84	198.56	0.00	73535.43	1976.40	0.00	0.02	1976.42	75511.85	
परिपक्वता के लिए धारित / Held to Maturity													
सकल/Gross	71511.03	0.00	0.00	1825.84	198.56	0.00	73535.43	1976.40	0.00	0.02	1976.42	75511.85	
घटाएँ : अनर्जक निवेशों के लिए प्रावधान Less: Provision for non-performing investments (NPI)	0.00	0.00	0.00	116.16	0.00	0.00	116.16	0.00	0.00	0.00	0.00	116.16	
निवल/Net	71511.03	0.00	0.00	1709.68	198.56	0.00	73419.27	1976.40	0.00	0.02	1976.42	75395.69	
विक्री के लिए उपलब्ध/ Available for Sale													
सकल/ Gross	16705.10	0.00	904.22	1877.11	0.00	1670.65	21157.08	999.58	0.00	0.00	999.58	22156.66	
घटाएँ : मूल्यहास तथा अनर्जक निवेशों के लिए Less: Provision for depreciation and NPI	491.84	0.00	566.86	519.92	0.00	917.94	2496.56	2.12	0.00	0.00	2.12	2498.68	
निवल/Net	16213.26	0.00	337.36	1357.19	0.00	752.71	18660.52	997.46	0.00	0.00	997.46	19657.98	
Held for Trading													
सकल/Gross	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
घटाएँ : मूल्यहास तथा अनर्जक निवेशों के लिए Less: Provision for depreciation and NPI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
निवल/Net	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
कुल निवेश / Total Investments	88216.13	0.00	904.22	3702.95	198.56	1670.65	94692.51	2975.99	0.00	0.02	2973.89	97666.39	
घटाएँ : अनर्जक निवेशों के लिए प्रावधान Less: Provision for non-performing investments	0.00	0.00	566.86	371.78	0.00	0.00	938.64	0.00	0.00	0.00	0.00	938.64	
घटाएँ : मूल्यहास तथा अनर्जक निवेशों के लिए Less: Provision for depreciation and NPI	491.84	0.00	0.00	264.30	0.00	917.94	1674.08	2.12	0.00	0.02	2.14	1676.22	
निवल/Net	87724.29	0.00	337.36	3066.87	198.56	752.71	92079.79	2973.87	0.00	0.00	2971.75	95051.53	

	भारत में निवेश / Investments in India						भारत के बाहर निवेश / Investments outside India						कुल निवेश Total Investments
	सरकारी प्रतिभूतियाँ Government Securities	अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियाँ Other Approved Securities	शेयर Shares	डिबेंचर और बांड Debentures and Bonds	सहायक कंपनियों और/या संयुक्त उपक्रम Subsidiaries and/or joint ventures	अन्य Others	भारत में कुल निवेश Total investments in India	सरकारी प्रतिभूतियाँ (स्थानीय प्राधिकरण सहित) Government securities (including local authorities)	सहायक कंपनियों और/या संयुक्त उपक्रम Subsidiaries and/or joint ventures	अन्य Others	भारत के बाहर कुल निवेश Total Investments outside India		
	64864.92	0.00	0.00	2150.96	198.56	0.12	67214.55	1196.27	0.00	0.02	1196.29		
<b>परिपक्वता के लिए धारित / Held to Maturity</b>													
सकल/Gross	64864.92	0.00	0.00	2150.96	198.56	0.12	67214.55	1196.27	0.00	0.02	1196.29	68410.84	
घटाएँ : अनर्जक निवेशों के लिए प्रावधान Less: Provision for non-performing investments (NPI)	0.00	0.00	0.00	130.05725	0.00	0.00	130.06	0.00	0.00	0.02	0.02	130.08	
निवल/Net	64864.92	0.00	0.00	2020.90	198.56	0.12	67084.50	1196.27	0.00	0.00	1196.27	68280.77	
<b>विक्री के लिए उपलब्ध/ Available for Sale</b>													
सकल/ Gross	25910.07	0.00	1086.25	1385.95	0.00	1346.84	29729.12	1031.37	0.00	0.00	1031.37	30760.49	
घटाएँ : मूल्यहास तथा अनर्जक निवेशों के लिए Less: Provision for depreciation and NPI	191.19	0.00	673.14	427.14	0.00	748.24	2039.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2039.70	
निवल/Net	25718.89	0.00	413.12	958.81	0.00	598.61	27689.42	1031.37	0.00	0.00	1031.37	28720.79	
<b>Held for Trading</b>													
सकल/Gross	-125.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-125.91	0.00	0.00	0.00	0.00	-125.91	
घटाएँ : मूल्यहास तथा अनर्जक निवेशों के लिए Less: Provision for depreciation and NPI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
निवल/Net	-125.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-125.91	0.00	0.00	0.00	0.00	-125.91	
<b>कुल निवेश / Total Investments</b>	90649.09	0.00	1086.25	3536.90	198.56	1346.96	96817.76	2227.64	0.00	0.02	2227.66	99045.42	
घटाएँ : अनर्जक निवेशों के लिए प्रावधान Less: Provision for non-performing investments	0.00	0.00	673.14	296.75	0.00	0.00	969.89	0.02	0.00	0.00	0.02	969.91	
घटाएँ : मूल्यहास तथा अनर्जक निवेशों के लिए Less: Provision for depreciation and NPI	191.19	0.00	0.00	260.44	0.00	748.24	1199.87	1.77	0.00	0.00	1.77	1201.64	
निवल/Net	90457.90	0.00	413.12	2979.71	198.56	598.73	94648.01	2225.85	0.00	0.02	2225.87	96873.88	

बी/b) मूल्यहास और निवेश में उतार-चढ़ाव रिजर्व के प्रावधानों का संचलन / Movement of Provisions for Depreciation and Investment Fluctuation Reserve

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

क्र.सं. Sl. no	विवरण / Particulars	चालू वर्ष/ Current Year	गत वर्ष/ Previous Year
i)	निवेश पर मूल्यहास की दिशा में धारित प्रावधानों का संचलन Movement of provisions held towards depreciation on investments		
	(क)/(a) प्रारंभिक शेष / Opening balance	1201.64	1274.41
	(ख)/(b) जोड़ें : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान / Add: Provisions made during the year	667.68	379.63
	(ग)/(c) घटाएं : बड़े खाते /वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेखन / Less: Write off / write back of excess provisions during the year	193.31	456.54
	(घ)/(d) विनिमय अन्तर / Exchange Difference	0.19	4.14
	(इ)/(e) अंतिम शेष / Closing Balance	1676.24	1201.64
ii)	निवेश उतार-चढ़ाव रिजर्व का संचलन / Movement of Investment Fluctuation Reserve		
	(क)/(a) प्रारंभिक शेष / Opening balance	559.31	0.00
	(ख)/(b) जोड़ें : वर्ष के दौरान अंतरित राशि / Add: Amount transferred during the year	0	559.31
	(ग)/(c) घटाएं: आहरण / Less: Drawdown	143.27	0.00
	(घ)/(d) अंतिम शेष / Closing Balance	416.04	559.31
iii)	एफएस और एचएफटी/वर्तमान श्रेणी में निवेश के अन्तिम शेष के प्रतिशत के रूप में आईएफआर में अन्तिम शेष राशि Closing balance in IFR as a percentage of closing balance of investments in AFS and HFT/Current category	2.00%	1.90%

सी) एचटीएम श्रेणी में/से बिक्री एवं अंतरण :

एचटीएम श्रेणी में/से बिक्री एवं अंतरण का मूल्य वर्ष के आरंभ में एचटीएम श्रेणी में रखे गए निवेशों के बही मूल्य के 5% से अधिक नहीं हुआ है। इसमें निदेशक मंडल के अनुमोदन से बैंक द्वारा ली गई प्रतिभूतियों का एकबारगी अंतरण शामिल नहीं है।

डी) गैर सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश संविभाग :

(i) अनर्जक गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश -

c) Sale and transfers to/from HTM category:

The value of sales and transfers of securities to/from HTM Category, excluding the one-time transfer of securities undertaken by the Bank with the approval of Board of Directors, has not exceeded 5 % of the book value of Investments held in HTM Category at the beginning of the year.

d) Non-SLR Investment Portfolio:

(i) Non performing Non-SLR investments -

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण / Particulars	31.03.2023	31.03.2022
प्रारंभिक शेष / Opening balance	1061.71	933.40
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	73.91	269.13
वर्ष के दौरान कमी / Reductions during the above period	174.64	149.22
विनिमय का अंतर / Exchange Difference	0.02	8.39
अंतिम शेष / Closing balance	961.00	1061.71
किए गए कुल प्रावधान / Total provisions held	938.66	941.77

ii) गैर सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश के जारीकर्ताओं की संरचना/ Issuer composition of Non SLR investments

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

सं. No.	जारीकर्ता Issuer	राशि Amount		निजी तौर पर शेयर आवंटन की सीमा Extent of Private Placement		'निवेश श्रेणी से निम्न' प्रतिभूतियों की सीमा Extent of 'Below Investment Grade' Securities		'रेटिंग से इतर' प्रतिभूतियों की सीमा Extent of 'Unrated' Securities		'असूचीबद्ध' प्रतिभूतियों की सीमा Extent of 'Unlisted' Securities	
		चालू वर्ष/ Current Year	पिछले वर्ष/ Previous Year	चालू वर्ष/ Current Year	पिछले वर्ष/ Previous Year	चालू वर्ष/ Current Year	पिछले वर्ष/ Previous Year	चालू वर्ष/ Current Year	पिछले वर्ष/ Previous Year	चालू वर्ष/ Current Year	पिछले वर्ष/ Previous Year
क/अ)	स.क्षे.के उपक्रम/ PSUs	22679.33	23924.88	22126.82	23808.01	0.00	0.80	20643.86	21611.22	18420.57	18425.40
ख/ब)	वित्तीय संस्थाएं / FIs	1237.16	902.76	1229.81	897.25	365.19	897.25	0.00	5.50	21.60	155.22
ग/क)	बैंक / Banks	584.25	29.33	34.35	29.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
घ/द)	निजी कंपनियां / Private Corporates	1323.61	1281.31	639.46	203.37	379.00	197.39	1083.58	1083.58	853.93	863.53
ड/े)	अनुषंगी/संयुक्त उद्यम/सम्बद्ध Subsidiaries/ Joint Ventures/ Associates	198.56	198.56	198.56	198.56	0.00	0.00	194.86	198.56	198.56	198.56
च/फ)	अन्य /Others	1097.34	1310.05	1097.34	1310.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1097.34	1310.05
छ/ग)	घटाएं- मूल्यहास के प्रति किया गया प्रावधान Less Provision held towards depreciation	2005.24	1978.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>योग / Total</b>	<b>25115.01</b>	<b>25668.29</b>	<b>25326.34</b>	<b>26446.57</b>	<b>744.19</b>	<b>1095.44</b>	<b>21922.30</b>	<b>22898.86</b>	<b>20592.00</b>	<b>20952.76</b>

ड/े) रेपो लेनदेन / Repo transactions (in face value terms):

	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया Minimum outstanding during the year	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया Maximum outstanding during the year	वर्ष के दौरान दैनिक औसत Daily Average outstanding during the year	31 मार्च 2023 को As on 31 <sup>st</sup> March 2023
<b>रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियाँ</b> <b>Securities sold under Repos</b>				
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ/Government securities		1,900.00	242.24	930.00
ii) कारपोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ/ Corporate debt securities				
iii. अन्य प्रतिभूतियाँ / Any other security				
<b>रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियाँ</b> <b>Securities purchased under reverse Repos</b>				
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ/Government securities		5,897.00	277.86	-
ii) कारपोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ/ Corporate debt securities				
iii. अन्य प्रतिभूतियाँ / Any other security				



4. आस्ति गुणवत्ता :

क) धारित अग्रिमों और प्रावधानों का वर्गीकरण

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

के अनुसार 31.03.2023

	मानक	अनर्जक				कुल
		अवमानक	संदिग्ध	कुल मानक अग्रिम	कुल अनर्जक अग्रिम	
	कुल मानक अग्रिम					
<b>सकल मानक अग्रिम तथा अनर्जक अस्तित्वों</b>	119539.91	2282.62	7289.63	665.18	10237.43	129777.34
प्रारंभिक जमा राशि					2096.03	
जोड़ें: वर्ष के दौरान योग					4607.00	
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियां					7726.46	
अंतिम शेष राशि	153902.99	999.90	6228.55	498.01		161629.45
*सकल एनपीए में कमी का कारण:						
i) उन्मथन छद्म					678.13	
ii) वसूली (उन्मथित खातों में वसूली के अतिरिक्त वसूली					1354.10	
iii) तकनीकी / विवेकपूर्ण बड़े खाते					2214.98	
iv) बिंदु (iii) के अलावा बड़े खाते डालना					359.79	
<b>प्रावधान (excluding Floating Provisions)</b>	818.06	681.22	4679.56	665.18	6025.96	6844.02
धारित प्रावधानों का प्रारंभिक जमा					1353.17	
जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए नए प्रावधान					2574.77	
घटाएं: लौटार गए अतिरिक्तप्रावधान/बट्टा खातेडाले गए ऋण					4804.36	
धारित प्रावधानों का अंतिम जमशोध	884.03	165.88	4140.47	498.01	2018.02	5688.39
<b>निवल अनर्जक संपत्तियां</b>					3315.78	
प्रारंभिक जमा शेष		1601.40	1714.38	0.00	1781.62	
जोड़ें: वर्ष के दौरान नए योग					3079.38	
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती					2018.02	
अंतिम जमा शेष		834.02	1184.00	0.00		
<b>स्वमान प्रावधान</b>						6025.96
प्रारंभिक जमा शेष						1353.17
जोड़ें: वर्ष के दौरान परिवर्धित प्रावधान						2574.77
घटाएं: वर्ष के दौरान निकाले गए प्रावधान						4804.36
स्वमान प्रावधान का अंतिम जमा शेष						4804.36
<b>तकनीकी बड़े खाते तथा उनपर किए गए वसूली</b>						28514.84
तकनीकी/अधिशेष बड़े खातों का प्रारंभिक जमाशेष						2214.98
जोड़ें : वर्ष के दौरान तकनीकी/अधिशेष बड़े खाते						1602.53
घटाएं: वर्ष के दौरान पहले के तकनीकी/						28955.72
अधिशेष बड़े खातों में वसूली						
अंतिम जमशोध						

	मानक		अनर्जक				कुल
	कुल मानक	अग्रिम	अवमानक	संदिग्ध	कुल मानक अग्रिम	कुल अनर्जक अग्रिम	
<p><b>सकल मानक अग्रिम तथा अनर्जक अस्तित्वों</b></p> <p>प्रारंभिक जमा राशि</p> <p>जोड़ें: वर्ष के दौरान योग</p> <p>घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियां</p> <p>अंतिम शेष राशि</p> <p>*सकल एनपीए में कमी का कारण:</p> <p>i) उन्नयन छद्म</p> <p>ii) वसूली (उन्नयित खातों में वसूली के अतिरिक्त वसूली</p> <p>iii) तकनीकी / विवेकपूर्ण बड़े खाते</p> <p>iv) बिंदु (iii) के अलावा बड़े खाते खोलना</p> <p><b>प्रावधान (excluding Floating Provisions)</b></p> <p>धारित प्रावधानों का प्रारंभिक जमा</p> <p>जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए नए प्रावधान</p> <p>घटाएं: लौटए गए अतिरिक्तप्रावधान/बिड़ा खातेडाले गए ऋण</p> <p>धारित प्रावधानों का अंतिम जमशोध</p> <p><b>निवल अनर्जक संपत्तियां</b></p> <p>प्रारंभिक जमा शेष</p> <p>जोड़ें: वर्ष के दौरान नए योग</p> <p>घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती</p> <p>अंतिम जमा शेष</p> <p><b>प्लवमान प्रावधान</b></p> <p>प्रारंभिक जमा शेष</p> <p>जोड़ें: वर्ष के दौरान परिवर्धित प्रावधान</p> <p>घटाएं: वर्ष के दौरान निकाले गए प्रावधान</p> <p>प्लवमान प्रावधान का अंतिम जमा शेष</p> <p><b>तकनीकी बड़े खाते तथा उनपर किए गए वसूली</b></p> <p>तकनीकी/अधिशेष बड़े खातों का प्रारंभिक जमाशोध</p> <p>जोड़ें: वर्ष के दौरान तकनीकी/अधिशेष बड़े खाते</p> <p>घटाएं: वर्ष के दौरान पहले के तकनीकी/अधिशेष बड़े खातों में वसूली</p> <p>अंतिम जमशोध</p>	107052.84	119539.91	2678.75	7508.70	1164.52	11351.97	118404.81
			2282.62	7289.63	665.18	10237.43	129777.34
	478.14		557.61	4826.99	665.18	6049.78	6557.92
	818.06		681.22	4679.56	665.18	6025.96	6844.02
			2121.14	2268.37	0.00	4389.51	
			1601.40	1714.38	0.00	3396.29	
						3315.78	70.46
							0.00
							0.00
							70.46
							26501.85
							3667.96
							1654.97
							28514.84

**4. Asset Quality:**  
a) Classification of advances and provisions held

As on 31.03.2023 (राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

	Standard	Non-Performing			Total
		Sub-standard	Doubtful	Loss	
	<b>Total Standard Advances</b>				<b>Total Non-Performing Advances</b>
<b>Gross Standard Advances and NPAs</b>	119539.91	2282.62	7289.63	665.18	10237.43
Opening Balance					2096.03
Add: Additions during the year					4607.00
Less: Reductions during the year		999.90	6228.55	498.01	7726.46
Closing balance	153902.99				161629.45
*Reductions in Gross NPAs due to:					
i) Up gradation					678.13
ii) Recoveries (excluding recoveries from upgraded accounts)					1354.10
iii) Technical/ Prudential Write-offs					2214.98
iv) Write-offs other than those under (iii) above					359.79
<b>Provisions (excluding Floating Provisions)</b>	818.06	681.22	4679.56	665.18	6025.96
Opening balance of provisions held					1353.17
Add: Fresh provisions made during the year					2574.77
Less: Excess provision reversed/ Write-off loans		165.88	4140.47	498.01	4804.36
Closing balance of provisions held	884.03				2018.02
<b>Net NPAs</b>		1601.40	1714.38	0.00	3315.78
Opening Balance					1781.62
Add: Fresh additions during the year					3079.38
Less: Reductions during the year		834.02	1184.00	0.00	2018.02
Closing Balance					
<b>Floating Provisions</b>					
Opening Balance					6025.96
Add: Additional provisions made during the year					1353.17
Less: Amount drawn down during the year					2574.77
Closing balance of floating provisions					4804.36
<b>Technical write-offs and the recoveries made thereon</b>					
Opening balance of Technical/ Prudential written-off accounts					28514.84
Add: Technical/ Prudential write-offs during the year					2214.98
Less: Recoveries made from previously technical/ prudential written-off accounts during the year					1602.53
Closing balance					28955.72

	Standard		Non-Performing			Total
	Total Standard Advances	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total Non-Performing Advances	
<b>Gross Standard Advances and NPAs</b>						
Opening Balance	107052.84	2678.75	7508.70	1164.52	11351.97	118404.81
Add: Additions during the year					6122.62	
Less: Reductions during the year					7237.16	
Closing balance	119539.91	2282.62	7289.63	665.18	10237.43	129777.34
* Reductions in Gross NPAs due to:						
i) Up gradation					2087.08	
ii) Recoveries (excluding recoveries from upgraded accounts)					1298.85	
iii) Technical/ Prudential Write-offs					3667.96	
iv) Write-offs other than those under (iii) above					183.27	
<b>Provisions (excluding Floating Provisions)</b>						
Opening balance of provisions held	478.14	557.61	4826.99	665.18	6049.78	6557.92
Add: Fresh provisions made during the year					3827.41	
Less: Excess provision reversed/ Write-off loans					3851.23	
Closing balance of provisions held	818.06	681.22	4679.56	665.18	6025.96	6844.02
<b>Net NPAs</b>						
Opening Balance		2121.14	2268.37	0.00	4389.51	
Add: Fresh additions during the year					2322.56	
Less: Reductions during the year					3396.29	
Closing Balance		1601.40	1714.38	0.00	3315.78	
Floating Provisions						70.46
Opening Balance						0.00
Add: Additional provisions made during the year						0.00
Less: Amount drawn down during the year						0.00
Closing balance of floating provisions						70.46
Technical write-offs and the recoveries made thereon						
Opening balance of Technical/ Prudential written-off accounts						26501.85
Add: Technical/ Prudential write-offs during the year						3667.96
Less: Recoveries made from previously technical/ prudential written-off accounts during the year						1654.97
Closing balance						28514.84

अनुपात (प्रतिशत में) Ratios (in per cent)	चालू वर्ष/ Current Year	पिछले वर्ष/ Previous Year
सकल अनर्जक अस्ति से सकल अग्रिम / Gross NPA to Gross Advances	4.78	7.89
निवल अनर्जक अस्ति से निवल अग्रिम / Net NPA to Net Advances	1.29	2.70
प्रावधान व्याप्ति अनुपात / Provision coverage ratio	94.50%	91.44%

B) Sector-wise Advances and Gross NPAs:

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

क्र. सं. Sl. No.	क्षेत्र /Sector	चालू वर्ष/Current Year (31.03.2023)			पिछले वर्ष/Previous Year (31.03.2022)		
		कुल बकाया अग्रिम/ Outstanding Total Advances	सकल एनपीए/ Gross NPAs	उस क्षेत्र में कुल अग्रिम की तुलना में सकल एनपीए का प्रतिशत/ Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector	कुल बकाया अग्रिम/ Outstanding Total Advances	सकल एनपीए/ Gross NPAs	उस क्षेत्र में कुल अग्रिम की तुलना में सकल एनपीए का प्रतिशत/ Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector
<b>i)</b>	<b>प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र (आरआईडीएफ सहित) / Priority Sector(excluding RIDF)</b>						
क)	कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप/ Agriculture and allied activities	21773.00	3323.48	15.26%	18835.30	3913.10	20.78%
ख)	प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार के लिए पात्र उद्योग क्षेत्र को अग्रिम/ Advances to industries sector eligible as priority sector lending	1520.98	92.56	6.09%	1641.06	227.45	13.86%
ग/क)	सेवा क्षेत्र/Services	26963.41	2080.01	7.71%	22787.55	2371.60	10.41%
घ/द)	वैयक्तिक ऋण /Personal loans उप-योग / Sub-total (i)	13717.14 63974.53	327.41 5823.46	2.39% 9.10%	12885.17 56149.08	367.05 6879.19	2.85% 12.25%
<b>ii)</b>	<b>गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र Non-priority Sector</b>						
क)	कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप/ Agriculture and allied activities	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
ख/ब)	उद्योग/Industry	19252.47	543.22	2.82%	28164.86	1107.22	3.93%
ग/क)	सेवा क्षेत्र/Services	51214.76	1046.31	2.04%	25363.27	1874.40	7.39%
घ/द)	वैयक्तिक ऋण /Personal loans उप-योग / Sub-total (ii)	27187.69 97654.92	313.47 1903.00	1.15% 1.95%	20100.13 73628.26	376.62 3358.24	1.87% 4.56%
	<b>कुल/Total (I + ii)</b>	<b>161629.45</b>	<b>7726.46</b>	<b>4.78%</b>	<b>129777.34</b>	<b>10237.43</b>	<b>7.89%</b>

सी/क) विदेश स्थित आस्तियां, अनर्जक आस्तियां और राजस्व /Overseas Assets, NPA's and Revenue

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण/Particulars	चालू वर्ष/ Current Year	पिछले वर्ष/ Previous Year
कुल आस्तियां/Total Assets	27520.06	18919.88
कुल अनर्जक आस्तियां/Total NPA's	561.37	718.59
कुल राजस्व/Total revenue	884.19	218.18

**घ) समाधान योजना एवं नवीनीकरण विवरण**

- 1) दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण ढांचे पर आरबीआई के परिपत्र डीबीआर संख्या बीपी बीसी 45/21.04.048/2018-19 दिनांक 07.06.2019 के अनुसार बैंक के पास 8 खातों में कुल रु. 366.69 करोड़ का 31.03.2023 अतिरिक्त प्रावधान है।

**ङ) आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधान में विचलन**

भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर दिशा-निर्देश संख्या DOR.ACC.REC.No.45/21.04.2018/2021-22 दिनांक 30.08.2021 (15.11.2021 को अपडेट किया गया) के अनुसार वित्तीय विवरण-प्रस्तुति और प्रकटीकरण, बैंक में विचलन निर्धारित सीमा के अन्दर हैं। इसलिए, भारतीय रिजर्व बैंक की वार्षिक पर्यवेक्षण प्रक्रिया के संबंध में कोई प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है।

**च) ऋण अन्तरण प्रकृतिकरण**

ऋण एक्सपोजर के हस्तांतरण पर भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर निर्देश दिनांक 24.09.2021 के तहत 31.03.2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान हस्तांतरित/अधिग्रहित ऋणों का विवरण निम्नलिखित है :-

- i) बैंक ने एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋणों का अधिग्रहण नहीं किया है। हस्तांतरित अनर्जक आस्तियों (एनपीए) का विवरण निम्नानुसार है :-

**d) Particulars of resolution plan and restructuring**

1. In accordance with RBI circular DBR No BP BC 45/21.04.048/2018-19 dated 07.06.2019 on prudential framework for resolution of stressed assets, Bank holds additional provision of Rs. 366.69 Crore in 8 accounts as on 31.03.2023.

**e) Divergence in Asset Classification and Provisioning:**

As per RBI Master Direction No DOR.ACC.REC.No.45/21.04.2018/2021-22 dated 30.08.2021 (updated on 15.11.2021) on financial statements-presentation and disclosures, divergences are within threshold limits in the bank. Hence, no disclosure is required with respect to RBI's annual supervisory process.

**f) Disclosure of transfer of loan exposures:**

Details of loans transferred/acquired during the financial year ended on 31.03.2023 under the RBI Master Direction on Transfer of Loan Exposures dated 24.09.2021 are given below:-

- i) The details of Non-Performing Assets (NPAs) transferred are as under:

Particulars (all amounts in ₹ crore except number of accounts)	To ARCs	To permitted transferees	To other transferees (please specify)
खातों की संख्या / No: of accounts	1	शून्य/NIL	शून्य/NIL
हस्तांतरित ऋणों का कुल मूलधन			
Aggregate principal outstanding of loans transferred	31.22	शून्य/NIL	शून्य/NIL
हस्तांतरित ऋणों की भारित औसत अवधि			
Weighted average residual tenor of the loans transferred	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL
हस्तांतरित ऋणों का शुद्ध बही मूल्य (हस्तांतरण के समय)			
Net book value of loans transferred (at the time of transfer)	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL
कुल प्रतिफल राशि			
Aggregate consideration	16.38	शून्य/NIL	शून्य/NIL
पूर्व के वर्षों में हस्तांतरित खातों के संबंध में अतिरिक्त प्रतिफल की वसूली			
Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	318.43	शून्य/NIL	शून्य/NIL

- ii) बैंक ने विशेष वर्णित खाते (एसएमए) के रूप में वर्गीकृत ऋणों का अधिग्रहण और हस्तांतरण नहीं किया है।

- ii) Bank has not acquired and transferred loans classified as Special Mention Account (SMA).

iii) समनुदेशन के माध्यम से चूक के रूप से नहीं प्राप्त ऋणों का विवरण निम्नलिखित है :-

iii) The details of loans not in default acquired through assignment is given below:

विवरण Particulars	दिनांक 31.03.2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान During Financial Year ended on 31.03.2023
अधिग्रहित ऋण की कुल राशि (करोड़ रुपये में) Aggregate amount of loans acquired (Rs. in crore)	933.55
भारित औसत शेष परिपक्वता (माह में) Weighted average residual maturity (in months)	28.37
प्रवर्तक द्वारा भारित औसत होल्डिंग अवधि (माह में) Weighted average holding period by originator (in months)	6.63
लाभकारी आर्थिक हितों का प्रतिधारण Retention of beneficial economic interest	10%
मूर्त जमानत व्याप्ति Tangible security coverage	1.14
मूल्यांकित ऋणों का रेटिंग के आधार पर वितरण* Rating wise distribution of rated loans*	शून्य/NIL*

\* अर्जित ऋणों का मूल्यांकन नहीं किया जाता है क्योंकि ये गैर-कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं से संबंधित होते हैं।

\* Loans acquired are not rated as these relate to non-corporate borrowers.

iv) दिनांक 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा ऐसे एसआर को सौंपी गई वसूली रेटिंग की विभिन्न श्रेणियों में धारित एसआर के वितरण का विवरण: -

iv) Details of the distribution of the SRs held across various categories of Recovery Ratings assigned to such SRs by the credit rating agencies as on 31.03.2023:

वसूली रेटिंग बैंड Recovery Rating Band	बही लागत (राशि करोड़ में) Book Cost (amount in crores)
आरआर/RR1	63.27
आरआर/RR2	26.56
आरआर/RR3	200.38
आरआर/RR4	19.77
आरआर/RR5	101.22
एनआर/NR4	1.47
एनआर/NR6	455.12
आहरित/Withdrawn	229.54
कुल/Grand Total	1097.34

छ) कपट खाते :

g )Fraud accounts :

विवरण Particulars	चालू वर्ष/ Current year	पिछले वर्ष/ Previous year
रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी की संख्या/ Number of frauds reported	219	114
शामिल राशि (₹ करोड़)/ Amount involved in fraud (₹ crore)	1163.45	611.53
इस तरह की धोखाधड़ी के लिए प्रावधान की राशि (₹ करोड़)/ Amount of provision made for such frauds (₹ crore)	1161.76	518.22
वर्ष के अंत में 'अन्य भंडार' से डेबिट किए गए असशोधित प्रावधान की राशि (₹ करोड़) Amount of Unamortised provision debited from 'other reserves' as at the end of the year (₹ crore)	शून्य/Nil	शून्य/Nil

**ज) कोविड-19 से संबंधित दबाव के लिए समाधान ढांचे के तहत प्रकटीकरण:**

भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र दिनांक 06.08.2020 (रिज़ॉल्यूशन फ्रेमवर्क 1.0) और 05.05.2021 (रिज़ॉल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0) के अनुसार कोविड - 19 संबंधित दबाव के लिए संकल्प ढाँचा के तहत कार्यान्वित समाधान योजना का विवरण निम्नलिखित है:-

**h) Disclosure under Resolution Framework for COVID-19-related Stress:**

Details of resolution plan implemented under Resolution Framework for COVID 19 related stress as per RBI circular dated 06.08.2020 (Resolution Framework 1.0) and 05.05.2021 (Resolution Framework 2.0) are given below:

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

उधारकर्ता के प्रकार Type of Borrower	समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों में एक्सपोजर- पिछले छमाही के अंत में स्थिति (ए) Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan - Position as at the end of the previous half-year (A)	(ए) में से, कुल ऋण जो छमाही के दौरान एनपीए में फिसल गया Of (A), aggregate debt that slipped into NPA during the half-year	(ए) छमाही के दौरान बढ़े खाते में डाली गई राशि Of (A) amount written off during the half-year	(ए) छमाही के दौरान उधारकर्ताओं द्वारा भुगतान की गई राशि Of (A) amount paid by the borrowers during the half-year	Of (A) amount increased in the account during the half-year	Of (A) amount in closed account during the half-year	समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों के लिए एक्सपोजर - इस छमाही के अंत में स्थिति Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan - Position as at the end of this half-year
वैयक्तिक ऋण / Personal Loans	1160.75	42.34	0.00	37.80	10.32	30.36	1060.57
कारपोरेट व्यक्ति / Corporate Persons*	492.64	0.00	0.00	25.46	29.67	0.00	496.85
एमएसएमई / MSME's	1357.16	70.57	0.00	103.15	34.26	17.04	1200.66
अन्य / Others	199.22	8.70	0.00	11.75	2.50	3.96	177.31
<b>कुल / Total</b>	<b>3209.77</b>	<b>121.61</b>	<b>0.00</b>	<b>178.16</b>	<b>76.75</b>	<b>51.36</b>	<b>2935.39</b>
* दिवाला एवं शोधन अक्षमता कोड, 2016 की धारा 3(7) में विश्लेषित यथा *As defined in Section 3(7) of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016							



**5. ऋण/Exposure:**

क) स्थावर-संपदा क्षेत्र को ऋण / Exposure to Real Estate Sector

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण/Category	2022-23	2021-22
<b>i) प्रत्यक्ष ऋण/Direct exposure</b>		
क) आवासीय संपत्ति बंधक - ऐसी आवासीय संपत्ति को बंधक रखकर दिए गए पूर्णतः प्रतिभूत उधार जो उधारकर्ता के दखल में है या होगी या जो किराए पर दी गई हो (प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिम में शामिल करने योग्य वैयक्तिक आवास ऋण अलग से दर्शाए जाएं) एक्सपोजर में गैर-निधि आधारित (एनएफबी) सीमाएं भी शामिल होंगी		
(a) Residential Mortgages - Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented; (Individual housing loans eligible for inclusion in priority sector advances may be shown separately);. Exposure would also include non-fund based (NFB) limits	26374.58 14905.23	20669.27 12289.69
ख) वाणिज्यिक स्थावर संपदा को (कार्यालय भवन, खुदरा कारोबार का स्थान, बहु-उद्देशीय वाणिज्यिक परिसर, बहु-परिवार आवासीय भवन, बहु-किराए वाले वाणिज्यिक परिसर, उद्योग या वेयर हाउस के लिए खाली स्थान, भूमि अधिग्रहण, विकास एवं विनिर्माण आदि) बंधक रखकर दिए गए प्रतिभूत उधार। एक्सपोजर में गैर-निधि आधारित (एनएफबी) सीमा भी शामिल है।		
(b) Commercial Real Estate - Lending secured by mortgages on commercial real estate's (office buildings retail space multi-purpose commercial premises multi-family residential buildings multi-tenanted commercial premises industrial or warehouse space land acquisition development and construction etc.). Exposure would also include non-fund based (NFB) limits;	464.19	608.73
(सी) बंधक समर्थित प्रतिभूति (एमबीएस) एवं अन्य प्रतिभूत ऋणों में निवेश -		
(c) Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitized exposures -		
i. आवासीय / Residential		-
ii. वाणिज्यिक स्थावर संपदा /Commercial Real Estate.		-
<b>ii) अप्रत्यक्ष ऋण / Indirect Exposure</b>		
राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) एवं हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (एचएफसी) को निधि आधारित एवं गैर-निधि आधारित ऋण Fund based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs).	9411.71	6348.49
<b>स्थावर-संपदा क्षेत्र को कुल ऋण / Total Exposure to Real Estate Sector</b>	<b>36250.48</b>	<b>27626.49</b>

**ख/ब पूंजी बाजार को एक्सपोजर/Exposure to Capital Market**

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

	विवरण/Particulars	2022-23	2021-22
(i)	ऐसे इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी अभिमुख म्यूचुअल फंड के यूनिटों में प्रत्यक्ष निवेश, जिसकी आधारभूत निधि का पूर्णतः निवेश कार्पोरेट ऋण में न किया गया हो; Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;	209.16	360.39
(ii)	शेयरों (आईपीओ/ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी अभिमुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों में निवेश हेतु व्यक्तियों को शेयर/बांड/डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियों के प्रति या निर्बंध आधार पर अग्रिम; Advances against shares/ bonds/debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity-oriented mutual funds;		--
(iii)	किन्हीं अन्य प्रयोजनों के लिए अग्रिम, जहां शेयर या परिवर्तनीय बांड या परिवर्तनीय डिबेंचर या इक्विटी अभिमुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति माना जाता है; Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;		--
(iv)	किन्हीं अन्य प्रयोजन के लिए उस सीमा तक अग्रिम, जो शेयर या परिवर्तनीय बांड या परिवर्तनीय डिबेंचर या इक्विटी अभिमुख म्यूचुअल फंड के यूनिटों की संपाश्विक प्रतिभूति द्वारा प्रतिभूत हो यानी जहां शेयर/परिवर्तनीय बांड, परिवर्तनीय डिबेंचर/इक्विटी अभिमुख म्यूचुअल फंड के यूनिट से भिन्न प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिम को पूरी तरह संरक्षित न करती हो; Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/convertible bonds/ convertible debentures/units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances;		--
(v)	शेयर दलालों को दिए जाने वाले प्रतिभूत एवं अप्रतिभूत अग्रिम तथा शेयर दलालों एवं शेयर संतुलनकर्ताओं की ओर से जारी गारंटी; Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers;	192.62	192.09
(vi)	संसाधन जुटाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की इक्विटी में प्रवर्तक के अंशदान को पूरा करने के लिए शेयर/बांड/डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियों के प्रति या निर्बंध आधार पर कंपनियों को संस्वीकृत ऋण; Loans sanctioned to corporate against the security of shares /bonds/ debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources;		--
(vii)	प्रत्याशित इक्विटी प्रवाह/निर्गम के प्रति कंपनियों को दिए गए पूरक ऋण; Bridge loans to companies against expected equity flows/issues;		--
(viii)	शेयर या परिवर्तनीय बांड या परिवर्तनीय डिबेंचर या इक्विटी अभिमुख म्यूचुअल फंड के यूनिटों के प्राथमिक निर्गम की बाबत बैंकों द्वारा की गई हामीदारी प्रतिबद्धता; Underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;		--
(ix)	मार्जिन ट्रेडिंग के लिए शेयर दलालों को वित्तपोषण/financing to stockbrokers for margin trading;		--
(x)	वेंचर कैपिटल फंड (रजिस्ट्रीकृत एवं अरजिस्ट्रीकृत दोनों) सभी एक्सपोजर All exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)	39.22	39.71
	<b>पूंजी बाजार को कुल एक्सपोजर /Total exposure to Capital Market</b>	<b>441.00</b>	<b>592.19</b>

सी/स) जोखिम श्रेणीवार कंट्री एक्सपोजर / Risk Category wise Country Exposure

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

जोखिम श्रेणी Risk Category	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार ऋण (निवल) Exposure (net) as at 31st March 2023	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार किया गया प्रावधान Provision held as at 31st March 2023	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार ऋण (निवल) Exposure (net) as at 31st March 2022	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार किया गया प्रावधान Provision held as at 31st March 2022
महत्वहीन/Insignificant	15118.51	7.72	13144.84	9.8094
कम/Low	11729.99	8.30	10639.60	8.1611
मामूली रूप से कम/ Moderately low	19.51	0.00	5.31	0.0000
संतुलित /Moderate	4.02	0.00	11.62	0.0000
माध्यम उच्च/ Moderately high	1.66	0.00	4.36	0.0000
उच्च /High	0.00	0.00	0.31	0.0000
अत्यंत उच्च / Very High	0.00	0.00	0.00	0.0000
<b>कुल/TOTAL</b>	<b>26873.69</b>	<b>16.02</b>	<b>23806.04</b>	<b>17.9705</b>

डी/द अप्रतिभूत अग्रिम/Unsecured Advances

(राशि करोड़ ₹. में / Amount in ₹ Crore)

विवरण/Particulars	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार/ As at 31st March 2023	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार/ As at 31st March 2022
बैंक के कुल अप्रतिभूत अग्रिम Total Unsecured Advances of the Bank	29838.81	20303.36
क) उपरोक्त में से, अग्रिम की राशि जिसके लिए अमूर्त प्रतिभूतियां जैसे अधिकार, लाइसेंस, प्राधिकरण, आदि पर प्रभार लिया गया है a) Out of the above, amount of advances for which intangible securities such as charge over the rights, licenses, authority, etc. have been taken	शून्य/Nil	शून्य/Nil
ख) ऐसी अमूर्त प्रतिभूतियों का आनुमानिक मूल्य b) The estimated value of such intangible securities	शून्य/Nil	शून्य/Nil

ड) अंतः समूह एक्सपोजर - शून्य

च) फैक्ट्रिंग एक्सपोजर्स - शून्य

छ) अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर

आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, हमारे बैंक ने एसएमई एवं कारपोरेट सहित उधारकर्ताओं के अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर पर नीति बनाई है जिसे निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया है। इस नीति में अन्य बातों के अलावा निम्न प्रावधान हैं:

- एसएमई सहित सभी ग्राहकों के अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर (यूएफसीई) की निगरानी एवं समीक्षा।
- अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर युक्त निकायों के एक्सपोजर के लिए वृद्धिशील पूंजी एवं प्रावधानगत आवश्यकताएं।
- संरक्षण प्रदान करने के लिए यूएफसीई प्रभार का निर्धारण और यूएफसीई रखनेवाले निकायों को हतोत्साहित करना।

भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्रों तथा हमारे निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीति के अनुरूप उनके घटकों के लिए उपलब्ध आंकड़ों, वित्तीय विवरणों और उधारकर्ताओं से प्राप्त घोषणा के आधार पर बैंक ने पूंजी अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर (यूएफसीई) हेतु 31.03.2023 को ₹96.83 लाख की देयता का अनुमान लगाया है।

ए) Intra-group exposures - Nil

फ) Factoring Exposures - Nil

ग) Unhedged foreign currency exposure

In terms of RBI Guidelines, our Bank has framed a policy on 'Unhedged Foreign Exchange Exposure by borrowers including SMEs and Corporates duly approved by the Board. The policy inter-alia provides for:

- Monitoring and review of Unhedged Foreign Currency Exposure (UFCE) of all customers including SMEs.
- Incremental capital and provisioning requirements for exposures to entities with Unhedged Foreign Currency Exposure.
- Stipulation of UFCE Charge in order to provide protection and discourage entities having UFCE.

Based on the available data and financial statements and the declaration from borrowers, the bank has estimated the liability of Rs. 96.83 lakhs as on 31.03.2023 on Unhedged Foreign Currency Exposure (UFCE) to their constituents in terms of RBI Circulars and our Board approved policy and provision for the same has been provided in the books.

6. जमा, अग्रिम, ऋण का संकेंद्रण एवं एनपीए /Concentration of deposits, advances, exposures and NPAs

क) जमा राशियों का संकेंद्रण/Concentration of deposits

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण / Particulars	दिनांक 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31.03.2023 (Current Year)	दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (पिछले वर्ष) As on 31.03.2022 (Previous Year)
बीस अत्यधिक बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमा राशियां Total deposits of the twenty largest depositors	31451.29	25720.19
कुल जमा राशियों के % के अनुपात में बीस अत्यधिक बड़े जमाकर्ता/ Percentage of deposits of twenty largest depositors to total deposits of the bank	12.61%	11.48%

ख) अग्रिमों का संकेंद्रण

b) Concentration of Advances

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण / Particulars	चालू वर्ष/ Current Year 2022-23	पिछले वर्ष/ Previous Year 2021-22
बीस अत्यधिक बड़े उधारकर्ताओं को कुल अग्रिम / Total advances to twenty largest borrowers	37052.01	27676.08
बैंक के कुल अग्रिम की तुलना में बीस अत्यधिक बड़े उधारकर्ताओं के अग्रिम का प्रतिशत/ Percentage of advances to twenty largest borrowers to total advances of the Bank	22.92%	21.33%

ग) ऋण का संकेंद्रण

c) Concentration of Exposures

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

	चालू वर्ष/Current Year 2022-23	पिछले वर्ष/Previous Year 2021-22
बीस अत्यधिक बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों को दिए गए कुल ऋण Total exposure to twenty largest borrowers/customers	38999.30	30427.22
बैंक के उधारकर्ताओं/ग्राहकों को दिए गए कुल ऋण की तुलना में बीस अत्यधिक बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों को दिए गए ऋण का प्रतिशत Percentage of exposures to twenty largest borrowers/customers to total exposure of the Bank on borrowers/customers	19.47%	18.31%

घ) अनर्जक आस्तियों का संकेंद्रण

d) Concentration of NPAs

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण / Particulars	2022-23	2021-22
शीर्ष बीस एनपीए खातों में कुल एक्सपोजर Total Exposure to the top twenty NPA accounts	1393.20	2286.60
सकल एनपीए में से शीर्ष बीस एनपीए एक्सपोजर का प्रतिशत। Percentage of exposures to the twenty largest NPA exposure to total Gross NPAs.	18.03%	22.33%

## 7. व्युत्पन्न / Derivatives

### क/अ) वायदा दर करार/ब्याज दर स्वाप / Forward rate agreement/Interest rate swap

(राशि करोड़ ₹ में)/Amount in ₹ Crore)

मर्दे / Items	2022-23	2021-22
i) स्वाप करार का आनुमानिक मूलधन The notional principal of swap agreements	6.852.63	3340.78
ii) करार के अंतर्गत काउंटर पार्टियों द्वारा अपने दायित्वों को पूरा करने में चूक किए जाने पर उठाई जानेवाली हानि Losses which would be incurred if counter parties failed to fulfill their obligations under the agreements	95.12	18.08
iii) स्वाप में शामिल होने पर बैंक द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक Collateral required by the bank upon entering into swaps	0.00	0.00
iv) स्वाप से उत्पन्न ऋण जोखिम का संकेंद्रण Concentration of credit risk arising from the swaps	0.00	0.00
v) स्वाप बही का उचित मूल्य The fair value of the swap book	2.99	-13.02

नोट : कृपया अनुसूची 17 के बिंदु 14 का संदर्भ लें।

Note : Please refer to Point 14 of Schedule 17.

### ब) विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न / Exchange Traded Interest Rate Derivatives:

(राशि करोड़ ₹ में)/Amount in ₹ Crore)

क्र.सं. Sr. No.	विवरण Particulars	2022-23	2021-22
i)	वर्ष के दौरान प्रारंभ किए गए विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न की आनुमानिक मूल राशि (लिखतवार) Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument wise)	शून्य/Nil	शून्य/Nil
ii)	दिनांक 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार बकाया विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न की आनुमानिक मूल राशि (लिखतवार) Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31st March 2022(instrument wise)	शून्य/Nil	शून्य/Nil
iii)	ऐसे विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न की आनुमानिक मूल राशि (लिखतवार) जो बकाया हैं परंतु "अत्यंत प्रभावी" नहीं हैं Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not 'highly effective' (instrument wise)	शून्य/Nil	शून्य/Nil
iv)	ऐसे विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न का दैनिक बाजार मूल्य (लिखतवार) जो बकाया हैं परंतु "अत्यंत प्रभावी" नहीं हैं Mark to market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not 'highly effective' (instrument wise)	शून्य/Nil	शून्य/Nil

### सी) व्युत्पन्न में ऋण जोखिम का प्रकटीकरण

### c) Disclosures on risk exposure in derivatives

#### 1) गुणात्मक प्रकटीकरण

#### 1) Qualitative disclosures-

- i) व्युत्पन्न लेनदेन में जोखिम प्रबंध की संरचना और गठन :

संगठनात्मक ढांचे के अंतर्गत कॉर्पोरेट स्तर पर निवेश स्कंध है जो कार्यपालक निदेशकगण अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा अंततः निदेशक मंडल को रिपोर्ट करता है। लेन देन के समय उनके बारे में जोखिम प्रबंध विभाग को सूचित किया जाता है।

- ii) जोखिम मूल्यांकन, जोखिम सूचना और जोखिम निगरानी प्रणालियों का क्षेत्र और स्वरूप:

- i) The Structure and organization for management of risk in derivatives trading:

The organization structure consists of Investment Wing at the Corporate level which report to the Executive Directors, Chairman & Managing Director and ultimately to the Board. Risk Management Department is informed of the transactions as and when they take place.

- ii) The scope and nature of risk measurement, risk reporting and risk monitoring systems:

- क) बैंक द्वारा किए गए ब्याज दर स्वाप (आईआरएस) संबंधी लेनदेन केवल बचाव व्यवस्था एवं क्रयविक्रय के प्रयोजनार्थ किए जाते हैं। व्युत्पन्न भी एक उत्पाद के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों के अनुसार ग्राहकों को दिए जाते हैं। ये लेन देन भारिबैंक की नीतियों के आधार पर बनाई गई बैंक की नीतियों के अनुसार किए जाते हैं।
- ख) ब्याज दर स्वैप संविदाओं की शेष अवधि के लिए बेंच मार्क ब्याज दरों की उतार चढ़ाव के आधार पर ब्याज दर व्युत्पन्न लेन देन पर जोखिम का मूल्यांकन किया जाता है। सभी ब्याजदर व्युत्पन्न लेनदेन को जोखिम मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ शामिल किया गया है। जोखिम का मूल्यांकन किया जाता है और इसकी रिपोर्ट प्र.नि एवं मु.का.अ./का.नि. के समक्ष प्रतिदिन और निदेशक मंडल के समक्ष आवधिक रूप से प्रस्तुत की जाती है। ब्याज दर व्युत्पन्न लेन-देन की मार्क टू मार्केट स्थिति के आधार पर जोखिम की निगरानी की जाती है।
- (iii) जोखिम से बचाव और/या उसके शमन के लिए नीतियां तथा बचाव/शमन की निरंतर प्रभाविता की निगरानी रखने हेतु कार्यनीति एवं प्रक्रिया:
- परिसंपत्तियों या देयताओं के वास्तविक ब्याज भार के लिए ब्याज दर स्वाप किया जाता है। अनुमानिक मूल धन और बचाव की परिपक्वता निहित परिसंपत्ति/देयता के मूल्य/परिपक्वता से अधिक नहीं होती है। बकाया ब्याज दर स्वाप संविदाओं की मार्क टू मार्केट स्थिति के आधार पर जोखिम पर निगरानी रखी जाती है तथा तदनुसार बचाव की प्रभाविता निर्धारित की जाती है।
- ब्याज दर स्वाप करने पर अपेक्षित संपार्श्विक शून्य है। पूंजी अपेक्षा अवधारित करने के लिए सुसंगत परिवर्तनकारक से गुणा की गई ब्याज दर स्वाप की अनुमानिक मूल राशि और प्रति पार्टी की संबंधित जोखिम भारिता को हिसाब में ले लिया गया है।
- iv) बचाव और गैर-बचाव लेनदेन रिकॉर्डिंग के लिए लेखांकन नीति; आय, प्रीमियम और छूट की मान्यता; बकाया अनुबंधों का मूल्यांकन; प्रावधान, संपार्श्विक और ऋण जोखिम न्यूनीकरण:
- स्वॉप्स को रिकॉर्ड करने के लिए लेखांकन नीतियां हमारी मौजूदा डेरिवेटिव्स नीति के अनुसार हैं। यह विभिन्न लेखांकन प्रविष्टियों को परिभाषित करती है जो व्यापार तिथि, ब्याज एकत्रीकरण, अंतरालिक ब्याज निपटान तिथि, पुनरावृत्ति तिथि और समाप्ति तिथि पर किए जाने चाहिए।
- आय की पहचान, प्रीमियम और डिस्काउंट, असमाप्त अनुबंधों का मूल्यांकन, प्रावधान, कोलेटरल और केडिट रिस्क मिटिगेशन हमारे बैंक की डेरिवेटिव्स नीति के अनुसार है।
- v) ब्याज दर अदला- बदली (स्वैप) हेतु अन्य प्रकटीकरण :
- बैंक ने अंतर्निहित आस्तियों एवं देयताओं पर नियत से अस्थिर और अस्थिर से नियत ब्याज दर स्वैप का कार्य किया है। यदि प्रतिपक्ष अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहते हैं, तो उपर्युक्त आईआरएस पर आय का नुकसान रु. 95.12 करोड़ होगा। आईआरएस लेनदेन से उत्पन्न होने वाले ऋण जोखिम की कोई संकेद्रण नहीं है क्योंकि प्रतिपक्ष भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड है और एक्सपोजर की अनुमति सीमा के भीतर है।
- a) The Interest Rate Swap (IRS) transactions undertaken by the Bank are for hedging and trading purposes. Derivative as a product is also offered to the customer as per RBI norms. Such transactions are undertaken as per policies of the Bank formulated based on RBI guidelines.
- b) The risk is measured in the interest rate derivative transactions depending on the movement of benchmark interest rates for the remaining life of the interest rate swap contracts. All interest rate derivative transactions are included for the purpose of risk measurement. The risk is evaluated and reports are placed to the CMD/ED daily and Board periodically. Risk is monitored based on the mark to market position of the interest rate derivative transactions.
- (iii) Policies for hedging and /or mitigating risk and strategies and processes for monitoring the continuing effectiveness of hedges/ mitigates:
- IRS is undertaken on the actual interest bearing underlying assets or liabilities. The notional principal amount and maturity of the hedge does not exceed the value and maturity of underlying asset/liability. The risk is monitored on the mark to market basis of the outstanding interest rate swap contracts and accordingly the effectiveness of the hedge is determined.
- Collateral required upon entering into IRS is Nil. Notional principal amount of IRS multiplied by the relevant conversion factor and the respective risk weight of the counter party has been taken into account for determining the capital requirements.
- (iv) Accounting policy for recording hedge and non-hedge transactions; recognition of income, premiums and discounts; valuation of outstanding contracts; provisioning, collateral and credit risk mitigation:
- The accounting policies for recording swaps is as per our extant derivative policy. It defines accounting entries to be undertaken on trade date, interest accrual, intermittent interest settlement date, revolution date and termination date.
- For recognition of income, premiums and discounts, valuation of outstanding contracts, provisioning, collateral and credit risk mitigation is as per our Bank's Derivative Policy.
- (vi) Other Disclosures for Interest Rate Swaps:
- The Bank has undertaken fixed to floating and floating to fixed interest rate swaps on underlying assets and liabilities. The loss of income on the above IRS will be Rs. 95.12 Cr, in case counter-parties fail to fulfill their obligations. There is no concentration of credit risk arising from IRS transactions undertaken as the counter-parties are the Clearing Corporation of India Ltd. and the exposure is within the exposure limit permitted.

II) प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण/Quantitative disclosures-

(राशि करोड़ ₹ में)/Amount in ₹ Crore)

क्र.सं. विवरण Sl.No. Particulars	2022-2023		2021-2022	
	मुद्रा व्युत्पन्न Currency Derivatives	ब्याज दर व्युत्पन्न Interest Rate Derivatives	मुद्रा व्युत्पन्न Currency Derivatives	ब्याज दर व्युत्पन्न Interest Rate Derivatives
1 व्युत्पन्न (आनुमानिक मूलधन राशि) Derivatives (Notional Principal Amount)				
क)/a) बचाव के लिए / For Hedging	8896.66	1320.00	8017.25	920.00
ख)/b) क्रय-विक्रय के लिए / For Trading	27295.09	5532.63	120118.90	2420.78
2 मार्केट टू मार्केट स्थिति / Marked to Market Positions [1]				
क)/a) आस्ति (+) / Assets (+)	-13.26	2.99	6.20	-13.02
ख)/b) देयता (-) / Liabilities (-)	0.96	0.00	18.85	0.00
3 ऋण एक्सपोजर / Credit Exposure	837.44	95.12	367.37	18.08
4 ब्याज दर में एक प्रतिशत परिवर्तन का संभावित प्रभाव (100*पीवी01) Likely impact of one percentage change in Interest rate (100*PV01)				
क) / a) बचाव व्युत्पन्न पर / On hedging derivatives				
अधिकतम / Maximum (+1%)	लागू नहीं/NA	23.69	लागू नहीं/NA	3.34
न्यूनतम / Minimum (-1%)	लागू नहीं/NA	-10.95	लागू नहीं/ NA	-37.51
ख)/b) क्रय-विक्रय व्युत्पन्न पर / Trading derivatives				
अधिकतम / Maximum (+1%)	लागू नहीं/NA	2.60	लागू नहीं/NA	3.97
न्यूनतम / Minimum (-1%)	लागू नहीं/NA	4.16	लागू नहीं/NA	4.16
5 वर्ष के दौरान 100*पीवी01 के अधिकतम और न्यूनतम निम्नलिखित पर पाए गए Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year				
क) / a) बचाव-व्यवस्था पर- / On hedging				
अधिकतम / Maximum	लागू नहीं/NA	15.42	लागू नहीं/NA	-15.35
न्यूनतम / Minimum	लागू नहीं/NA	-25.65	लागू नहीं/NA	-38.43
ख)/b) क्रय-विक्रय पर / On trading				
अधिकतम / Maximum	लागू नहीं/NA	4.39	लागू नहीं/NA	4.05
न्यूनतम / Minimum	लागू नहीं/NA	5.91	लागू नहीं/NA	3.93

\* उपरोक्त आईआरएस पर आय का नुकसान अगर प्रतिपक्षी अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल हो तो वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए ₹95.12 करोड़ (वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए ₹18.08 करोड़) होगा।

\*The loss of income on above IRS if counterparties fail to fulfill their obligation will be Rs. 95.12 crores for F.Y. 2022-23 (Rs. 18.08 crores for the F.Y. 2021-22)

सी) क्रेडिट चूक विनिमय

बैंक का दिनांक 31.03.2023 को क्रेडिट चूक विनिमय पर कोई एक्सपोजर नहीं है।

c) Credit default swaps

Bank has no exposure on Credit Default Swap as on 31.03.2023.

8. प्रतिभूतिकरण के संबंध में प्रकटीकरण

8. Disclosures relating to securitisation

क्र.सं. विवरण SI. Particulars No.	मार्च 31/ Mar 31 2023	मार्च 31/ Mar 31 2022
1. प्रवर्तक द्वारा उत्पन्न प्रतिभूतिकरण लेनदेन के लिए संपत्ति रखने वाले एसपीई की संख्या (यहां केवल बकाया प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर से संबंधित एसपीवी की सूचना दी जाएगी) No of SPEs holding assets for securitisation transactions originated by the originator (only the SPVs relating to outstanding securitization exposures)	शून्य/NIL	शून्य/NIL
2. एसपीई के बहीखातों के अनुसार प्रतिभूत संपत्ति की कुल राशि Total amount of securitised assets as per books of the SPEs	शून्य/NIL	शून्य/NIL
3. तुलन पत्र की तिथि को एमआरआर का अनुपालन करने के लिए प्रवर्तक द्वारा बनाए गए एक्सपोजर की कुल राशि Total amount of exposures retained by the originator to comply with MRR as on the date of balance sheet	शून्य/NIL	शून्य/NIL
ए/अ) तुलन पत्र के अलावा एक्सपोजर / Off-balance sheet exposures <ul style="list-style-type: none"> <li>● पहला नुकसान/First loss</li> <li>● अन्य /Others</li> </ul>	शून्य/NIL	शून्य/NIL
ब) तुलनपत्र पर एक्सपोजर / On-balance sheet exposures <ul style="list-style-type: none"> <li>● पहला नुकसान/First loss</li> <li>● अन्य/Others</li> </ul>	शून्य/NIL	शून्य/NIL
4. एमआरआर के अलावा अन्य प्रतिभूतिकरण लेनदेन में एक्सपोजर की राशि Amount of exposures to securitisation transactions other than MRR ए/अ) तुलन पत्र के अलावा एक्सपोजर / Off-balance sheet exposures	शून्य/NIL	शून्य/NIL
i) Exposure to own securitisations <ul style="list-style-type: none"> <li>● पहला नुकसान/First loss</li> <li>● अन्य/Others</li> </ul>		
ii) Exposure to third party securitisations <ul style="list-style-type: none"> <li>● पहला नुकसान/First loss</li> <li>● अन्य/Others</li> </ul>	शून्य/NIL	शून्य/NIL
बी/ब) तुलन पत्र के अलावा एक्सपोजर / On-balance sheet exposures i) Exposure to own securitisations <ul style="list-style-type: none"> <li>● पहला नुकसान/First loss</li> <li>● अन्य/Others</li> </ul>		
ii) तीसरे पक्ष की प्रतिभूतियों का एक्सपोजर / Exposure to third party securitisations <ul style="list-style-type: none"> <li>● पहला नुकसान/First loss</li> <li>● अन्य/Others</li> </ul>	शून्य/NIL	शून्य/NIL
5. प्रतिभूतिकृत आस्तियों के लिए प्राप्त बिक्री प्रतिफल और प्रतिभूतिकरण के कारण बिक्री पर लाभ/हानि Sale consideration received for the securitised assets and gain/loss on sale on account of securitisation	शून्य/NIL	शून्य/NIL
6. नकदी सहायता, प्रतिभूतिकरण के उपरांत अस्तित्व-शोधन आदि के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं का प्रकार और मात्रा (बकाया मूल्य) Form and quantum (outstanding value) of services provided by way of, liquidity support, post-securitisation asset servicing, etc.	शून्य/NIL	शून्य/NIL



क्र.सं. विवरण SI. Particulars No.	मार्च 31/ Mar 31 2023	मार्च 31/ Mar 31 2022
7. प्रदान की गई सुविधा का प्रदर्शन। कृपया प्रत्येक सुविधा के लिए अलग से प्रदान करें अर्थात्। ऋण वृद्धि, चलनिधि सहायता, सर्विसिंग एजेंट आदि। प्रदान की गई सुविधा के कुल मूल्य के रूप में कोष्ठक में प्रतिशत का उल्लेख करें। Performance of facility provided. Please provide separately for each facility viz. Credit enhancement, liquidity support, servicing agent etc. Mention per cent in bracket as of total value of facility provided. ए/अ) भुगतान की गई राशि/Amount paid बी/ब) चुकौती प्राप्त/Repayment received सी/स) बकाया राशि/Outstanding amount	शून्य/NIL	शून्य/NIL
8. पूर्व में देखे गए पोर्टफोलियो की औसत चूक दर। कृपया प्रत्येक परिसंपत्ति वर्ग अर्थात् आरएमबीएस, वाहन ऋण आदि के लिए अलग से विवरण प्रदान करें। Average default rate of portfolios observed in the past. Please provide breakup separately for each asset class i.e. RMBS, Vehicle Loans etc	शून्य/NIL	शून्य/NIL
9. समान अंतर्निहित आस्ति पर दिए गए अतिरिक्त/टॉप अप ऋण की राशि और संख्या। कृपया प्रत्येक परिसंपत्ति वर्ग अर्थात् आरएमबीएस, वाहन ऋण इत्यादि के लिए अलग से विवरण प्रदान करें। Amount and number of additional/top up loan given on same underlying asset. Please provide breakup separately for each asset class i.e. RMBS, Vehicle Loans, etc.	शून्य/NIL	शून्य/NIL
10. निवेशकों की शिकायतें/Investor complaints ए/अ) प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त और;/Directly/Indirectly received and; बी/ब) बकाया शिकायतें/Complaints outstanding	शून्य/NIL	शून्य/NIL

9. तुलन-पत्र से इतर प्रायोजित एसपीवी (जिन्हें लेखांकन मानदंड के अनुसार समेकित किया जाना है)

बैंक ने किसी एसपीवी को प्रायोजित नहीं किया है।

9. Off balance sheet SPVs sponsored (which are required to be consolidated as per accounting norms)

Bank has not sponsored any SPVs.

10. जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता निधि (डीईएएफ) में राशि अंतरण

10. Transfers to Depositor Education and Awareness Fund (DEAF Fund)

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण/Particulars	चालू वर्ष/Current Year	पिछले वर्ष/ Previous Year
डीईएएफ को अंतरित राशि का प्रारंभिक शेष Opening balance of amounts transferred to DEAF	499.94	409.14
जोड़ें : वर्ष के दौरान डीईएएफ को अंतरित राशि Add: Amount transferred to DEAF during the year	101.06	93.99
घटाएं : दावों हेतु डीईएएफ द्वारा प्रतिपूरित राशि Less: Amount reimbursed by DEAF towards claims	6.03	3.19
डीईएएफ को अंतरित राशि का अंत शेष Closing balance of amounts transferred to DEAF	594.97	499.94

**11. शिकायतों का प्रकटन**

ए) बैंक को ग्राहकों और ओम्बड्समैन के कार्यालय से प्राप्त शिकायतों पर संक्षिप्त जानकारी

**11. Disclosure of complaints**

a) Summary information on complaints received by the bank from customers and from the Offices of Ombudsman

क्र.सं. Sr. No	विवरण Particulars	चालू वर्ष/ Current year	पिछले वर्ष/ Previous year
1.	बैंक को उसके ग्राहकों द्वारा प्राप्त शिकायतें Complaints received by the bank from its customers वर्ष के प्रारम्भ में लंबित शिकायतों की संख्या Number of complaints pending at beginning of the year	30	231
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या Number of complaints received during the year	34146	16220
3.	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या Number of complaints disposed during the year	32744	16421
3.1	उनमें से बैंक द्वारा अस्वीकार की गई शिकायतों की संख्या Of which, number of complaints rejected by the bank	2421	00
4.	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या Number of complaints pending at the end of the year	1432	30
5.	ओम्बड्समैन कार्यालय से बैंक को प्राप्त संपोषणीय शिकायतें Maintainable complaints received by the bank from Office of Ombudsman ओम्बड्समैन से बैंक को प्राप्त संपोषणीय शिकायतों की संख्या Number of maintainable complaints received by the bank from Office of Ombudsman	2669	1949
5.1.	मद 5 में से ओम्बड्समैन द्वारा बैंक के पक्ष में निपटाई गई शिकायतों की संख्या Of 5, number of complaints resolved in favour of the bank by Office of Ombudsman	1401	1702
5.2	मद 5 में से ओम्बड्समैन द्वारा जारी समझौता/ मध्यस्थता/परामर्श के माध्यम से निपटाई गई शिकायतों की संख्या Of 5, number of complaints resolved through conciliation/mediation/advisories issued by Office of Ombudsman	1267	247
5.3	मद 5 में से ओम्बड्समैन द्वारा बैंक के विरुद्ध पारित दण्ड के पश्चात निपटाई गई शिकायतों की संख्या Of 5, number of complaints resolved after passing of Awards by Office of Ombudsman against the bank	01	00
6.	निर्धारित समय के भीतर लागू नहीं किए गए दंडों की संख्या (अपील किए गये के अलावा) Number of Awards unimplemented within the stipulated time (other than those appealed)	00	00

नोट : संपोषणीय शिकायतें ओम्बड्समैन योजना 2006 में विशेष रूप से उल्लिखित आधारों पर शिकायतों को संदर्भित करती हैं और इस योजना के दायरे में आती हैं।

Note: Maintainable complaints refer to complaints on the grounds specifically mentioned in Integrated Ombudsman Scheme, 2021 (Previously Banking Ombudsman Scheme, 2006) and covered within the ambit of the Scheme.

b) ग्राहकों से बैंक को प्राप्त शिकायतों के उच्च पाँच आधार /

**Top Five Grounds of Complaints by the bank from Customers**

ग्राहकों से बैंक को प्राप्त शिकायतों के उच्च पाँच आधार / Top Five Grounds of Complaints received by the bank from customers					
शिकायतों के आधार (से संबंधित शिकायतें) Grounds of complaints, (i.e. complaints relating to)	वर्ष के प्रारम्भ में लंबित शिकायतों की संख्या Number of Complaints pending at the beginning of the year	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतें Number of Complaints received during the year	पिछले वर्ष की तुलना में प्राप्त शिकायतों की संख्या में वृद्धि/कमी का % % increase/decrease in the number of complaints received over the previous year	वर्ष की समाप्ति में लंबित शिकायतों की संख्या Number of Complaints pending at the end of the year	मद सं. 5 में 30 दिनों से अधिक लंबित शिकायतों की संख्या Of 5, number of complaints pending beyond 30 days
1	2	3	4	5	6
<b>चालू वर्ष/Current Year 2022-23*</b>					
इंटरनेट मोबाइल/ इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग Internet/Mobile/ Electronic Banking	7	20403	247%	1310	522
एटीएम/डेबिट कार्ड/ ATM/Debit Card	2	3240	51%	68	14
ऋण एवं अग्रिम/ Loans and advances	3	1572	1%	8	4
खाता खुलवाना/खाते के संचालन में दिक्कत/ Account Opening / difficulty in operation of accounts	5	1472	-43%	1	0
पूर्वज्ञाति के बिना शुल्क का लगाया जाना / अत्यधिक शुल्क / पूर्व-बंदी शुल्क Levy of charges without prior notice / excessive charges / foreclosure charges	1	794	78%	0	0
अन्य / Others	12	6665	84%	45	9
अन्य / Total	30	34146	111%	1432	549

ग्राहकों से बैंक को प्राप्त शिकायतों के उच्च पाँच आधार / Top Five Grounds of Complaints received by the bank from customers					
शिकायतों के आधार (से संबंधित शिकायतें) Grounds of complaints, (i.e. complaints relating to)	वर्ष के प्रारम्भ में लंबित शिकायतों की संख्या Number of Complaints pending at the beginning of the year	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या Number of Complaints received during the year	पिछले वर्ष की तुलना में प्राप्त शिकायतों की संख्या में वृद्धि/कमी का % % increase/ decrease in the number of complaints received over the previous year	वर्ष की समाप्ति में लंबित शिकायतों की संख्या Number of Complaints pending at the end of the year	मद सं. 5 में 30 दिनों से अधिक लंबित शिकायतों की संख्या Of 5, number of complaints pending beyond 30 days
1	2	3	4	5	6
<b>विगत वर्ष/Previous Year 2021-22*</b>					
इंटरनेट मोबाइल/ इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग Internet/Mobile/ Electronic Banking	54	5877	-7.49%	7	0
खाता खुलवाना/खाते के संचालन में दिक्कत/ Account Opening / difficulty in operation of accounts	31	2564	4.95%	5	0
एटीएम/डेबिट कार्ड/ ATM/Debit Card	23	2141	-40.35%	2	0
ऋणों एवं अग्रिमों से संबंधित / Loans & Advances	33	1562	-11.85%	3	0
शाखा आने वाले ग्राहकों के लिए सुविधा/शाखा द्वारा निर्धारित कार्य समय का अनुपालन / Facilities for customers visiting the branch/ adherence to prescribed working hours by the branch, etc	16	1180	-12.72%	4	0
अन्य / Others	74	2896	0.70%	9	0
अन्य / Total	231	16220	-11.78%	30	0

\* वित्त वर्ष 2022-23 के लिए शिकायतों का वर्गीकरण आरबीआई परिपत्र के अनुसार किया गया है। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए शिकायतों का वर्गीकरण बैंक के शिकायत निवारण तंत्र के आधार पर किया गया है।

\*Note: For FY 2022-23 complaints have been classified/categorised as per RBI Circular. For FY 2021-22 complaints were classified/categorised as per Bank's Complaint Redressal Module.

## 12. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिशोधित जुर्माने का प्रकटन

वित्तीय वर्ष 01-04-2022 से 31.03.2023 तक, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 की धारा 47(A)(1)(c) के तहत अधिकार प्राप्त करने के उपयोग में होने वाले शक्तियों के प्रयोग के संबंध में, अन्य मुद्रा चेस्ट ऑपरेशन के अलावा रुपये 5,87,000/- (पांच लाख अस्सी-सात हजार) का दंड लगाया है। अन्य भारतीय रिजर्व नियामक से रुपये 1,50,000 (एक लाख पचास हजार) का दंड है।

वित्तीय वर्ष 01-04-2022 से 31.03.2023 तक, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 की धारा 47(A)(1)(c) के तहत अधिकार प्राप्त करने के उपयोग में होने वाले शक्तियों के प्रयोग के संबंध में, मुद्रा चेस्ट ऑपरेशन के लिए रुपये 2,41,99,406.01 (दो करोड़ इक्कीस लाख निम्नानवे हजार चार सौ छह रुपये एक पैसे) का दंड लगाया है।

## 13. पारिश्रमिक पर प्रकटीकरण

कार्यपालक निदेशक/ प्रबंध निदेशक को स्वीकार्य वेतन और भते डीएफएस से प्राप्त होते हैं और सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार के निर्णय के आलोक में हैं।

## 14. अन्य प्रकटीकरण

### ए) कारोबार अनुपात

विवरण/ Particulars	चालू वर्ष/ Current Year	पिछले वर्ष/ Previous Year
i) कार्यकारी निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय/ Interest Income as a percentage to Working Funds	5.88	5.5
ii) कार्यकारी निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याजेतर आय/ Non-interest income as a percentage to Working Funds	0.84	1.14
iii) जमा मूल्य / Cost of Deposits	4.06	3.81
iv) निवल ब्याज मार्जिन /Net Interest Margin	2.87	2.55
v) कार्यकारी निधियों के प्रतिशत के रूप में परिचालन आय Operating Profit as a percentage to Working Funds	1.45	1.75
vi) आस्तियों पर आय / Return on Assets	0.62	0.34
vii) प्रति कर्मचारी कारोबार (जमा व अग्रिम) (करोड़ ₹ में) / Business (deposits plus advances) per employee(in ₹ crore)	0.1890	0.1633
viii) प्रति कर्मचारी लाभ (लाखों ₹ में) / Profit per employee (in ₹ crore)	0.08	0.04

### बी) बैंकाश्योरेंस से कारोबार :

बैंक, बैंकाश्योरेंस लाइफ कारोबार के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एवं एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और बैंकाश्योरेंस नॉन-लाइफ कारोबार के लिए ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का कॉर्पोरेट एजेंट है। बैंकाश्योरेंस से आय का विवरण निम्नलिखित है :

## 12. Disclosure of penalties imposed by the Reserve Bank of India

During the Financial Year from 01-04-2022 to 31.03.2023, Reserve Bank of India, in exercise of powers conferred under Section 47(A)(1)(c) read with Section 51 and 46(4)(i) of the Banking Regulation Act, 1949, has imposed a penalty of Rs. 5,87,000/- (Rupees Five Lakh Eighty Seven Thousand only) for other than currency chest operations. There is a penalty of Rs. 1,50,000(One Lakh Fifty Thousand only) from Other than RBI Regulator.

During the Financial Year from 01-04-2022 to 31.03.2023, Reserve Bank of India, in exercise of powers conferred under Section 47(A)(1)(c) read with Section 51 and 46(4)(i) of the Banking Regulation Act, 1949, has imposed a penalty of Rs. 2,41,99,406.01 (Two Crore Forty One Lacs Ninety Nine Thousand Four Hundred Six and One Paise only) for Currency Chest Operations only.

## 13. Disclosures on remuneration

The pay and allowances admissible to ED/MD is as received from DFS and in light of Government decision on the recommendations of the Seventh Central Pay Commission.

## 14. Other Disclosures

### a) Business Ratios

### b) Bancassurance business:

Bank is a Corporate Agent of Life Insurance Corporation of India, ICICI Prudential Life Insurance Co and SBI Life Insurance Co Ltd for Bancassurance Life and The Oriental Insurance Co. Ltd, SBI General Insurance Company Ltd and Future Generali India Insurance Co Ltd for Bancassurance Non-Life business. Details of income from Bancassurance is given below:

(राशि करोड़ ₹ में)/Amount in ₹ Crore)

क्र.सं./Sl. No.	कारोबार का प्रकार / Type of Business	2022-23	2021-22
1	लाइफ/Life	34.75	15.51
2	नॉन-लाइफ/Non-Life	12.04	8.68

b) मार्केटिंग और वितरण/Marketing and distribution:

फ़िस्टम के माध्यम से वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स का डिजिटल वितरण /

Digital distribution of Wealth Management Products through Fisdom

(राशि करोड़ ₹ में)/Amount in ₹ Crore)

कारोबार का प्रकार / Type of Business	वित्तीय वर्ष/FY 2022-23	वित्तीय वर्ष/FY 2021-22
वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स/Wealth Management Products	1.07	0.24

यूको-एसबीआई को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के उपयोग के माध्यम से अर्जित क्रेडिट कार्ड कमीशन  
Credit Card Commission earned through usage of UCO-SBI Co-Branded Credit Card

(राशि करोड़ ₹ में)/Amount in ₹ Crore)

कारोबार का प्रकार / Type of Business	वित्तीय वर्ष/FY 2022-23	वित्तीय वर्ष/FY 2021-22
क्रेडिट कार्ड / Credit Card	7.90	2.60

डी) प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के उधार प्रमाणपत्रों (पीएसएलसी) के संबंध में प्रकटीकरण

- वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल पीएसएलसी-कृषि खरीद: रु. 475.00 करोड़
- वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल पीएसएलसी-सूक्ष्म बिक्री: रु. 5000 करोड़

इ) प्रावधान एवं आकस्मिकताएं

d) Disclosures regarding Priority Sector Lending Certificates (PSLCs)

- Total PSLC- Agriculture purchase in FY 2022-23: Rs. 475.00 Crore
- Total PSLC- Micro Sell in FY 2022-23: Rs. 5000.00 Crore

e) Provisions and contingencies

(राशि करोड़ ₹ में)/Amount in ₹ Crore)

लाभ और हानि खाते में नाम (डेबिट) किया गया प्रावधान Provision debited to Profit and Loss Account	चालू वर्ष/ Current Year	पिछले वर्ष/ Previous Year
एनपीआई के लिए प्रावधान / Provision towards NPI	324.43	206.72
एनपीए के प्रति प्रावधान /Provision towards NPA	1295.57	3800.06
आयकर के लिए किया गया प्रावधान/Provision made towards Income Tax	31.70	2.89
अन्य प्रावधान और आकस्मिक व्यय:-/Other Provisions and Contingencies :-		
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान/Provision towards Standard Assets	58.63	337.93
कानूनी मामले/आकस्मिक व्यय/धोखाधड़ी/Legal Cases / Contingencies/Frauds	2.54	0.04
उचित मूल्य में कमी /Diminution in Fair Value	0	3.67
आस्थगित कर आस्तियां /Deferred Tax Assets	1011.07	817.71
बकाया वेतन संशोधन /Arrear Wage Revision	40	0
विविध प्रावधान /Miscellaneous Provision	-285.61	1301.35

एफ) आईएफआरएस अभिसरण भारतीय लेखा मानकों (इंड एस) पृष्ठभूमि का कार्यान्वयन

पृष्ठभूमि:

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को छोड़कर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी), को भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र दिनांक 11 फरवरी, 2016 के अनुसार 1 अप्रैल, 2018 से भारतीय लेखा मानक (आईएनडी एस) लागू करना था। तथापि आरबीआई द्वारा यथासंस्तुत वैधानिक संशोधनों के कारण भारत सरकार की दिनांक 22.03.2019 की अधिसूचना द्वारा विचाराधीन होने के कारण आरबीआई ने आईएनडी एस के कार्यान्वयन को अगले आदेश तक आस्थगित रखा है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने ईमेल दिनांक 8 अगस्त, 2021 के माध्यम से भारतीय लेखा मानक प्रोफार्मा में वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने की आवृत्ति को तिमाही से घटाकर अर्धवार्षिक करने का निर्णय लिया है। तदनुसार, बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे 30 सितंबर को समाप्त होने वाली छमाही के लिए प्रोफार्मा भारतीय लेखा मानक आधारित वित्तीय विवरण और 31 मार्च के लिए पूर्ण वर्षीय प्रोफार्मा भारतीय लेखा मानक आधारित वित्तीय विवरण प्रस्तुत करें।

f) Implementation of IFRS converged Indian Accounting Standard (IND AS)

Background:

Scheduled Commercial Banks (SCBs), excluding Regional Rural Banks (RRBs), were required to implement Indian Accounting Standards (Ind AS) from April 1, 2018 vide RBI Circular dated February 11, 2016. However RBI has deferred implementation of Ind AS till further notice due to the legislative amendments as recommended by RBI are under consideration of the Government of India vide its notification dated 22.03.2019. RBI vide email dated 8th August'2021 decided to reduce the frequency of Ind AS proforma financial statement submission from quarterly to half yearly. Accordingly, Banks are advised to submit proforma Ind AS based financial statements for the half year ending September 30 and full year proforma Ind AS based financial statements for March 31.

### आईएनडी एस के कार्यान्वयन की कार्यनीति:

बैंक ने कार्यपालक निदेशक के नेतृत्व में आईएनडी एस की तकनीकी आवश्यकताओं, प्रणाली एवं प्रक्रिया बदलावों, कारोबार प्रभाव, संसाधनों के आकलन एवं परियोजना प्रबंधन की आयोजना के लिए आईएनडी एस संचालन समिति गठित किया है।

बैंक ने अपने भीतर ही आईएनडी एस कार्यदल भी गठित किया है जो आईएनडी एस संस्थापन परियोजना पर काम करेगा जिसमें भांति भांति के कार्य करनेवाले विभागों के अधिकारी शामिल हैं।

### आईएनडी एस के कार्यान्वयन की प्रगति:

बैंक ने त्रैमासिक आधार पर ईक्विटी और लाभ परिवर्तनों को समायोजित कराते हुए प्रोफॉर्मा आईएनडी-एस वित्तीय विवरण भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत कर दिया है। पिछले जीएपी आंकड़ों की तुलनात्मक स्थिति दर्शाते हुए 31 दिसंबर, 2022 को समाप्त नौ माह की स्थिति के अनुसार इसे अंतिम बार 26 फरवरी, 2022 को प्रस्तुत किया गया।

### छ) डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान

क्र.सं. Sr. No.	विवरण/ Particulars	चालू वर्ष/ Current Year	पिछले वर्ष/ Previous Year
i)	डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान /Payment of DICGC Insurance Premium	280.07	254.41
ii)	डीआईसीजीसी प्रीमियम के भुगतान में बकाया/Arrears in payment of DICGC premium	शून्य/Nil	शून्य/Nil

(राशि करोड़ ₹ में)/Amount in ₹ Crore)

### ज) बैंकों के कर्मचारियों की पारिवारिक पेंशन में वृद्धि के कारण व्यय के परिशिोधन पर प्रकटीकरण

आईबीए के संयुक्त नोट दिनांक 11.11.2020 के अनुसार पारिवारिक पेंशन में संशोधन के कारण बैंक ने 560.49 करोड़ रुपये की अतिरिक्त देयता का अनुमान लगाया है। हालांकि, भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने परिपत्र आरबीआई/2021-22/105/डीओआर.एसीसी.आरईसी.57/21.04.018/2021-22 दिनांक 04.10.2021 के माध्यम से 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष से शुरू होने वाले पांच वर्ष से अधिक की अवधि के लिए उक्त अतिरिक्त देयता में परिशिोधन करने की अनुमति दी है। तदनुसार, बैंकों ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान 290 करोड़ रुपये के प्रावधानों को मान्यता दी है (31 मार्च, 2022 को समाप्त तिमाही के दौरान कोई प्रावधान नहीं किया गया) और शेष 270.49 करोड़ रुपये के अपरिशोधित व्यय को आगे बढ़ाया गया है।

### इ) एमएसएमई पुनर्रचित खाते

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र - अग्रिमों की पुनर्रचना पर आरबीआई सर्कुलर क्रमांक DBR No. BP. BC. 18/ 21.04.048/2018-19 दिनांक 01.01.2019, DOR No. BP.BC.34/ 21.04.048/2019-20 दिनांक 11.02.2020 and DOR. No. BO.BC/4/ 21.04.048/2019-20 दिनांक 05.05.2021 के अनुसार, एमएसएमई पुनर्रचित खातों का विवरण 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान निम्नानुसार है:

### Strategy of IND AS Implementation:

Bank has constituted IND AS steering committee headed by Executive Director to plan the IND AS technical requirements, System & Process Changes, Business Impact, evaluation of Resources and project management.

Bank has also constituted IND AS working group within the bank who will be working on IND AS implantation project which comprises of officers from cross functional department.

### Progress on IND AS implementation:

Bank has submitted the Proforma IND-AS Financial statements to Reserve Bank of India with reconciliation of change in Equity & profit on half yearly basis and last submitted on November 30, 2022 for the half year ended September, 2022 compared with the previous GAAP figures.

### g) Payment of DICGC Insurance Premium Strategic Planning

### h) Disclosure on amortisation of expenditure on account of enhancement in family pension of employees of banks

Bank has estimated the additional liability of Rs.560.49 crore on account of revision in family pension as per IBA joint noted dated 11.11.2020. However, RBI vide their circular RBI/2021-22/105/DOR.ACC.REC.57/21.04.018/2021-22 dated 04.10.2021 has permitted to amortise the said additional liabilities over the period not exceeding five years, beginning with financial year ending 31st March, 2022. Accordingly, Banks has recognised provisions of Rs. 290 crore during the year ended 31st March, 2022 (no provision made during the quarter ended 31st March, 2022) and the balance unamortized expenses of Rs. 270.49 crore has been amortised during the year ended 31st March 2023. No unamortised pension has been carried forward.

### इ) MSME Restructured Accounts:

In accordance with the RBI Cir. No. DBR.No.BP.BC.18/21.04.048/2018-19 dated 01.01.2019, DOR.No.BP.BC.34/21.04.048/2019-20 dated 11.02.2020 and RBI/2020-21/17 DOR.No.BP.BC/4/21.04.048/2020-21 dated 06.08.2020 and RBI circular DOR.STR.REC.12/21.04.048/2021-22 dated 05.05.2021 on "Micro, Small and Medium Enterprises(MSME) sector - Restructuring of Advances", the details of MSME restructured accounts under the scheme as on 31st March, 2023 are as under:

(राशि करोड़ ₹ में)/Amount in ₹ Crore)

पुनर्रचित खातों की संख्या / No. of Accounts Restructured	Outstanding as on 31.03.2023
21,083	2549.84

### झ) आकस्मिक देयताएं

- क) तुलन-पत्र की अनुसूची 12 के क्रम सं. (1) यथाउल्लिखित देयताएं क्रमशः न्यायालय के निर्णय, माध्यस्थ पंचाट, न्यायालय से परे निपटारा, अपील के निपटान, मांगी गई राशि, संविदागत दायित्व की शर्तें, न्यागत होने और संबंधित पार्टियों द्वारा की गई मांग पर निर्भर करती है तथा जहां बैंक के विरुद्ध दावा तर्कसंगत हो तो उस स्थिति में आवश्यक प्रावधान किया जाता है।
- ख) आयकर विभाग द्वारा पारित आदेशों के अनुसार विवादित मांग एवं आयकर, टीडीएस, शास्ति, ब्याज एवं ब्याज कर हेतु ट्रेसेस (आय कर की वेबसाइट) में प्रदर्शित मांग राशि ₹9.19 करोड़ (₹16.10 करोड़) को आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत अनुसूची 12 में दर्शाया गया है; प्रबंधन द्वारा इसका प्रावधान किया जाना आवश्यक नहीं समझा गया है क्योंकि ये मामले विभिन्न सक्षम प्राधिकारियों के समक्ष अपील के लिए लंबित हैं।
15. कोष्ठक में दिखाए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं। पिछले वर्ष के आंकड़ों को जैसा आवश्यक समझा गया है पुनः समूहित/ पुनःव्यवस्थित/ पुनः निर्धारित किया गया है।

### ज) Contingent Liabilities

- a) Such liabilities as mentioned at Serial No. (1) of Schedule 12 of Balance Sheet are dependent upon the judgment of court, arbitration award, out of court settlement, disposal of appeals, the amount being called up, terms of contractual obligations, devolvement and raising of demand by concerned parties, respectively and necessary provision is made where claim against the Bank is tenable.
- b) Disputed demand as per orders passed by Income Tax Department and demand displayed at TRACES (Income Tax Website) on account of Income Tax, TDS, Penalty, Interest amounting to Rs. 9.19 Crore (Rs. 16.10 Crore) has been shown in Schedule 12 under Contingent Liability. No provision has been considered necessary by the Management as the matters are pending for disposal before various competent Authorities.
15. The bracketed figures indicate previous year's figures. Previous year's figures have been re-grouped /re-arranged/ re-casted wherever considered necessary.



**अनुलग्नक II / Annexure II**  
**पार्ट बी / Part B**

लेखा मानक के अनुसार प्रकटन अपेक्षाएं

**1 अवधि के लिए निवल लाभ या हानि, अवधि पूर्व मदें तथा लेखा नीतियों में परिवर्तन (एएस-5)**

लाभ-हानि लेखा में कोई 'अवधि पूर्व मद' शामिल नहीं की गई है, जिसे भा.रि. बैंक के दिशानिर्देशों के साथ पठित आईसीएआई द्वारा जारी एएस-5 के अनुसार प्रकट किया जाना अपेक्षित है। पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 की तुलना में 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण लेखा नीतियों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

**2 राजस्व को मान्यता (एएस-9):**

राजस्व को मान्यता अनुसूची-17 की लेखांकन नीति सं. 10 के अनुसार दी गई है।

**3 एएस-11: विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव:**

i) क) एकीकृत विदेशी परिचालन : प्रतिनिधि कार्यालय, तेहरान, ईरान

ख) गैर-एकीकृत विदेशी परिचालन: सिंगापुर केंद्र और हांगकांग केंद्र

**ii) गैर-एकीकृत केंद्र के लिए विनिमय दरें**

एसजीडी	61.7925
एचकेडी	10.4675

**iii) लेखाबंदी दर**

एसजीडी	61.7925
एचकेडी	10.4675

**iv) विदेशी मुद्रा अंतरण आरक्षित (एफसीटीआर)**

बैंक ने लाभ और हानि खाते में विदेशी परिचालन से लाभ के प्रत्यावर्तन पर विदेशी मुद्रा अंतरण आरक्षित में रखे गए आनुपातिक विनिमय लाभ या हानि को मान्यता नहीं दी है।

**Disclosures Requirement as per Accounting Standards:**

1. Net Profit or Loss for the period, prior period items and changes in accounting policies (AS-5):

There were no material "prior period item" included in Profit and Loss account required to be disclosed as per AS - 5 issued by ICAI read with RBI guidelines. There is no change in the Significant Accounting Policies adopted during the year ended 31st March 2023 as compared to those followed in the previous financial year 2022-23.

**2. Revenue Recognition (AS-9):**

Revenue is recognized as per accounting policy No. 10 of Schedule -17.

**3. AS-11: The Effects of changes in foreign Exchange Rates:**

i) a) Intergral Foreign Operations : Representative Office, Tehran, Iran

b) Non - Integral Foreign Operations: Singapore Centre & Hong Kong Centre

**ii) Exchange rates for Non - Integral Centre**

SGD	61.7925
HKD	10.4675

**iii) Closing Rate**

SGD	61.7925
HKD	10.4675

**iv) Foreign Currency Translation Reserve (FCTR)**

Bank has not recognized in profit and loss account the proportionate exchange gains or losses held in foreign currency translation reserve on repatriation of profits from overseas operations.

4 सेगमेंट रिपोर्टिंग (एएस-17) / Segment Reporting (AS- 17)

भाग-अ : कारोबार सेगमेंट / Part A: Business Segment

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

कारोबार सेगमेंट Business Segment	ट्रेजरी Treasury		कारपोरेट/होलसेल बैंकिंग Corporate/Wholesale Banking		रिटेल बैंकिंग Retail Banking		अन्य बैंकिंग परिचालन Other Banking Operations		योग Total	
	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
राजस्व Revenue	7333.54	7099.39	5665.13	5926.35	7110.45	5013.99	49.85	42.43	20158.98	18082.15
परिणाम Result	2375.26	2938.66	186.93	-697.74	293.08	-532.99	49.85	42.43	2905.11	1750.37
अनावंटित व्यय Unallocated Expenses									0.00	0.00
परिचालन लाभ Operating Profit									4340.67	4797.43
आयकर Income Tax									1042.77	820.60
असामान्य लाभ/हानि Extraordinary Profit/Loss	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निवल लाभ Net Profit									1862.34	929.76
अन्य सूचना Other Information										
सेगमेंट आस्तियां Segment Assets	130690.24	129457.64	75572.53	75050.09	94046.52	62846.54	553.69	429.75	300862.99	267784.02
अनावंटित आस्तियां Unallocated assets									0.00	0.00
कुल आस्तियां Total Assets									300862.99	267784.02
सेगमेंट देयताएं Segment Liabilities	112129.24	114969.29	84088.94	83169.25	104644.80	69645.47	0	0.00	300862.99	267784.02
अनावंटित देयताएं Unallocated Liabilities									0.00	0.00
कुल देयताएं Total Liabilities									300862.99	267784.02

भाग-आ : भौगोलिक सेगमेंट / Part B: Geographic segment (राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण/Particulars	देशी/Domestic		अंतरराष्ट्रीय/International		योग/Total	
	चालू वर्ष/ Current Year 2022-23	पिछला वर्ष/ Previous Year 2021-22	चालू वर्ष/ Current Year 2022-23	पिछला वर्ष/ Previous Year 2021-22	चालू वर्ष/ Current Year 2022-23	पिछला वर्ष/ Previous Year 2021-22
राजस्व/Revenue	19274.79	17863.97	884.19	218.18	20158.98	18082.15
आस्तियां/Assets	273342.93	248864.13	27520.06	18919.88	300862.99	267784.02

5 संबंधित पार्टी प्रकटीकरण (एएस-18) :

क) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

i) प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

श्री सोमा शंकर प्रसाद (01.04.2022 - 31.03.2023)

ii) कार्यपालक निदेशकगण

श्री इशराक अली खान (01.04.2022 - 31.03.2023)

श्री राजेंद्र कुमार साबू (21.11.2022-31.03.2023)

श्री अजय व्यास (01.04.2022-02.04.2022)

5. Related Party Disclosures (AS-18):

a) Key Management Personnel

i) Managing Director (MD) & CEO

Shri Soma Sankara Prasad (01.04.2022 - 31.03.2023)

ii) Executive Directors (ED)

Shri Ishraq Ali Khan (01.04.2022 -31.03.2023)

Shri Rajendra Kumar Saboo (21.11.2022-31.03.2023)

Shri Ajay Vyas (01.04.2022-02.04.2022)

प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के लेनदेन / b) Transactions with Key Management Personnel

(राशि लाख ₹ में / Amount in ₹ lakh)

प्रमुख प्रबंधन कार्मिक/ Key Management Personnel	अवधि/ Period	मदें/ Items	Amount (during the FY 22-23)	As on 31.03.2023
श्री सोमा शंकर प्रसाद प्रबंध निदेशक एवं सीईओ Shri Soma Sankara Prasad (MD & CEO)	01.04.2022 से/to 31.03.2023	पारिश्रमिक, परिलब्धियां एवं प्रोत्साहन/ Remuneration, perquisites & Incentive  Reimbursements यूको बैंक के शेयरों में निवेश/ Investments in UCO Shares	36.64  - -	-  - -
श्री इशराक अली खान कार्यपालक निदेशक Shri Ishraq Ali Khan (ED)	01.04.2022 से/to 31.03.2023	पारिश्रमिक, परिलब्धियां एवं प्रोत्साहन/ Remuneration, perquisites & Incentive  Reimbursements यूको बैंक के शेयरों में निवेश/ Investments in UCO Shares	36.84  - -	-  - -
श्री राजेंद्र कुमार साबू कार्यपालक निदेशक Shri Rajendra Saboo (ED)	21.11.2022 से/to 31.12.2023	पारिश्रमिक, परिलब्धियां एवं प्रोत्साहन/ Remuneration, perquisites & Incentive  Reimbursements यूको बैंक के शेयरों में निवेश/ Investments in UCO Shares	11.79  - -	-  - -
श्री अजय व्यास कार्यपालक निदेशक Shri Ajay Vyas (ED)	01.04.2022 से/to 02.04.2022	पारिश्रमिक, परिलब्धियां एवं प्रोत्साहन/ Remuneration, perquisites & Incentive  Reimbursements यूको बैंक के शेयरों में निवेश/ Investments in UCO Shares	4.17  - -	-  - -

नोट: एएस 18 के पैराग्राफ 5 के अनुसार, बैंक-ग्राहक संबंधों की प्रकृति में लेनदेन का खुलासा नहीं किया गया है, जिसमें प्रमुख प्रबंधन कर्मियों के साथ लेनदेन शामिल हैं।

Note: In terms of Paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of Banker-Customer relationship have not been disclosed including those with Key Management Personnel.

## सी) सहयोगी

### क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)

यूको बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, पश्चिम बंगा ग्रामीण बैंक (पीबीजीबी) है जिसका मुख्यालय हावड़ा, पश्चिम बंगाल में है, दिनांक 31.03.2023 तक इसके चार क्षेत्रीय कार्यालय और 230 शाखाएं हैं।

### आरआरबी की पूंजी की स्थिति

पश्चिम बंगा ग्रामीण बैंक की दिनांक 31.03.2023 को कुल पूंजी 567.31 करोड़ रुपये की थी, जिसमें भारत सरकार से 283.66 करोड़ रुपये, यूको बैंक (प्रायोजक बैंक के रूप में) से 198.56 करोड़ रुपये और पश्चिम बंगाल राज्य सरकार से 85.09 करोड़ रुपये शामिल हैं।

**वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान आरआरबी का कार्यनिष्पादन निम्नानुसार है:-**

#### पश्चिम बंगा ग्रामीण बैंक

पश्चिम बंगा ग्रामीण बैंक की अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के अनुसार दिनांक 31.03.2023 को कुल जमा राशि 5.09 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 6569.91 करोड़ रुपये है। दिनांक 31.03.2023 तक 8.97 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के साथ कुल अग्रिम 3747.95 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया है। सीडी अनुपात 31.03.2022 को 57.05% है जो 31.03.2021 को 55.01% था।

सकल एनपीए 31.03.2023 को 351.11 करोड़ रुपये है जो 31.03.2022 को 358.24 करोड़ रुपये था। सकल एनपीए से सकल अग्रिम 31.03.2023 को 9.37% रहा है जबकि 31.03.2022 को यह 10.42% था। आरआरबी का निवल एनपीए अनुपात 31.03.2023 को 3.94% है जो 31.03.2022 को 4.74% था।

पश्चिम बंगा ग्रामीण बैंक ने 31.03.2022 को 99.95 करोड़ रुपये के परिचालन लाभ की तुलना में 31.03.2023 को 55.01 करोड़ रुपये का परिचालन लाभ अर्जित किया है।

### 6. एसएस-21 और 23 की प्रयोज्यता :

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी मानक 21 - 'समेकित वित्तीय विवरण' और लेखा मानक 23 - 'समेकित वित्तीय विवरणों में सहायक प्रतिष्ठानों में निवेश हेतु लेखांकन' के अनुसार समेकित वित्तीय विवरण तैयार किये गए हैं।

समेकित वित्तीय विवरण को तैयार करने में सहायक प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2023 के अनुसार बनाये गये हैं।

### 7. अमूर्त आस्तियां (एस-26) :

अचल आस्तियों में कंप्यूटर साफ्टवेयर शामिल है जिसे आईसीएआई द्वारा जारी एस-26 के अनुसार अमूर्त आस्तियां माना गया है। साफ्टवेयर आस्ति की घट-बढ़ नीचे दी गई है:

## c) Associates

### Regional Rural Banks (RRBs)

UCO Bank sponsored RRB namely, Paschim Banga Gramin Bank (PBGB) is head quartered at Howrah, West Bengal with four regional offices and 230 branches as on 31.03.2023.

### Capital position of RRB

The total capital of Paschim Banga Gramin Bank as on 31.03.2023 stood at Rs.567.31 Cr. comprising Rs. 283.66 Cr. from Govt. of India, Rs.198.56 Cr. from UCO Bank (as sponsor Bank) & Rs. 85.09 Cr. from West Bengal State Govt.

### Performance of RRBs during 2022-23

#### Paschim Banga Gramin Bank:

As per audited financial results, total deposit of Paschim Banga Gramin Bank stood at Rs.6569.91 Cr. as on 31.03.2023, registering growth of 5.09%. Total advance reached a level of Rs.3747.95 Cr. with an annual growth of 8.97% 31.03.2023. CD ratio stood at 57.05% as on 31.03.2023 as against 55.01% on 31.03.2022.

The gross NPA stood at Rs.351.11 Cr. as on 31.03.2023 vis-avis Rs. 358.24 Cr. as on 31.03.2022. Gross NPA to Gross Advance stood at 9.37% as on 31.03.2023 as against 10.42% as of 31.03.2022. The net NPA ratio of the RRB stood at 3.94% as on 31.03.2023 as against 4.74% as of 31.03.2022.

Paschim Banga Gramin Bank has recorded a net loss of Rs.55.01 Cr. as on 31.03.2023 as compared to net loss of Rs.99.95 Cr. as on 31.03.2022.

### 6. APPLICABILITY OF AS- 21 and 23:

The Consolidated Financial Statements have been prepared in accordance with Accounting Standard 21-" Consolidated Financial Statements" and Accounting Standard 23-" Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements", issued by the ICAI.

The financial statement of the associate considered in preparation of Consolidated Financial Statement are drawn upto 31st March 2023.

### 7. Intangible Assets (AS-26):

Fixed Assets include computer software, which has been considered as intangible assets as per AS-26 issued by the ICAI. The movement in software asset is given below:

दिनांक 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार अमूर्त आस्तियां/Intangible Assets as on 31.03.2023

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

क्रम. सं. SI. No	विवरण Particulars	दिनांक 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2023	दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2022
1	वर्ष के प्रारंभ में सकल ब्लॉक Gross Block at the beginning of the year	82.77	56.94
2	घटाएं : पिछले वर्ष के एमओसी के खातों का समाधान Less: Adjustment on account of MOC of the previous year	0	0
3	वर्ष के आरंभ में निवल अवरुद्ध Net Block at the beginning of the year	-	-
4	वर्ष के दौरान परिवर्धन/Addition during the year	74.74	39.14
5	घटाएं: अमूर्त आस्तियों का पूर्णतः परिशोधित विमोचन Less: Retirement of intangibles fully amortised	43.74	13.31
6	योग/Total	113.77	82.77
7	घटाएं: अदयतित परिशोधन (परिशोधित आस्तियों की नेट ऑफ राशि) Less: Amortization up to date (Net of amount on assets retired)	38.05	44.13
8	घटाएं: अपसामान्य हानि / Less: Impairment Loss	-	-
9	वर्ष के अंत में निवल ब्लॉक Net Block at the end of the year	75.72	38.64

दिनांक 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार अमूर्त आस्तियां-परिशोधन/Intangible Assets - Amortization as on 31.03.2023

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

परिशोधन Amortization	दिनांक 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2023	दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2022
10 सकल प्रारंभिक शेष/Gross Opening balance	44.13	30.75
11 घटाएं : पिछले वर्ष के एमओसी के कारण समायोजन Less: Adjustment on account of MOC of the previous year	0	0
12 शुद्ध प्रारंभिक शेष /Net Opening Balance	44.13	30.75
13 जोड़ें: अपसामान्य हानि/Add: Impairment Loss	-	-
14 जोड़ें: वर्ष के दौरान मान्य परिशोधन/ Add: Amortization recognised during the year	37.66	26.69
15 घटाएं: विमोचित आस्तियों पर विनियोजन/ Less: Appropriation on assets retired	43.74	13.31
16 अंतिम शेष/Closing Balance	38.05	44.13

8. आस्तियों की अनर्जकता (एस-28) :

लेखा मानक-28 "आस्तियों की अनर्जकता" के खंड 5 से खंड 13 तक के अर्थान्तर्गत तात्त्विक अनर्जकता के लक्षण नहीं दिखाई देने की बात को ध्यान में रखते हुए चालू वित्तीय वर्ष की बाबत अचल आस्तियों की अनर्जकता अपेक्षित नहीं है।

9. एस-24, 27 की प्रयोज्यता

चूंकि सहयोगियों/संयुक्त उद्यमों में बैंक का सहयोगी या नियंत्रक हित नहीं है, असतत परिचालन-एस 24 और संयुक्त उद्यमों में हित की वित्तीय रिपोर्टिंग एस 27 बैंक पर लागू नहीं हैं।

10. एस-15-कर्मचारी हितलाभ (संशोधित) :

- बैंक द्वारा दिनांक 1 अप्रैल, 2007 से भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 15 (संशोधित) 'कर्मचारी लाभ' को अपनाया गया।
- लेखा मानक -15 (संशोधित) के अनुसार आवश्यक लाभ और हानि खाते और तुलन पत्र (बैलेंस शीट) में मान्यता प्राप्त रोजगार पूर्व

8. Impairment of Assets (AS-28):

In view of the absence of the indication of material impairment within the meaning of clause 5 to clause 13 of Accounting Standard - 28 "Impairment of Assets" no impairment of fixed assets is required in respect of current financial year.

9. APPLICABILITY OF AS- 24, 27.

As the Bank does not have Subsidiaries or controlling interest in Associates/Joint Ventures, AS-24 - Discontinuing Operations and AS 27 - Financial Reporting of Interest in Joint Ventures issued by the ICAI are not applicable to the Bank.

10. AS - 15 -Employee Benefits (Revised):

- The Bank had adopted Accounting Standard 15 (Revised) "Employees Benefits" issued by the Institute of Chartered Accountants of India, with effect from 1st April, 2007.
- The summarized position of Post-employment benefits and long term employee benefits recognized in the Profit

लाभों और दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों की सारांश स्थिति निम्नानुसार है: -

& Loss Account and Balance sheet as required in accordance with Accounting Standard -15 (Revised) are as under:-

**परिभाषित हितलाभ योजनाएं**

**Defined Benefit Schemes:**

**(ए) दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन**

**(a) Changes in the present value of the obligations**

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण Particulars	निधिक/FUNDED				अनिधिक/UNFUNDED							
	पेंशन Pension		उपदान Gratuity		छुट्टी का नकदीकरण Leave Encashment		एलएफसी/ एलटीसी LFC/ LTC		बीमारी छुट्टी Sick Leave		निदेशकों को चिकित्सा सुविधा Medical Benefits to Directors	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
वर्ष के आरंभ में दायित्व का वर्तमान मूल्य Present Value of obligation as at the beginning of the year	8692.34	8053.46	718.27	784.57	649.08	640.19	41.99	40.91	16.77	16.92	2.12	1.50
ब्याज लागत Interest Cost	604.79	522.74	49.79	50.34	48.75	46.42	3.15	2.96	1.26	1.23	0.16	0.11
चालू सेवा लागत Current Service Cost	503.37	299.23	54.09	59.03	135.70	124.04	0	0	3.91	3.85	0	0
प्रदत्त हितलाभ Benefit Paid	1127.00	1128.50	110.55	180.50	0	0	0	0	0	0	0	0
बीमांकिक हानि/(लाभ) दायित्व Actuarial loss/(gain) on Obligations	(401.14)	(945.41)	(12.78)	(4.83)	206.87	161.57	2.99	1.88	4.36	5.23	(0.20)	(0.51)
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य Present Value of Obligation at year end	9074.64	8692.34	698.82	718.27	626.66	649.08	42.15	41.99	17.58	16.77	2.48	2.12

**(b) (बी) योजना आस्ति के उचित मूल्य में परिवर्तन**

**(b) Change in Fair Value of Plan Asset**

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण/ Particulars	पेंशन/ Pension 2023	पेंशन/ Pension 2022	उपदान/ Gratuity 2023	उपदान/ Gratuity 2022
वर्ष के आरंभ में योजना आस्ति के उचित मूल्य Fair Value of Plan Assets at the beginning of the year	8517.74	7867.97	697.81	732.88
योजना आस्ति पर अनुमानित प्रतिफल Expected return on Plan Assets	672.90	612.91	55.12	57.09
नियोक्ता अंशदान /Employer's contribution	821.79	1194.45	50.32	78.73
प्रदत्त हितलाभ /Benefit Paid	1127.00	1128.50	110.55	180.50
दायित्व पर बीमांकिक लाभ/(हानि) Actuarial gain/(loss) on Obligation	(20.90)	(29.09)	14.21	9.62
वर्ष के अंत में योजना आस्ति का उचित मूल्य Fair Value of Plan Asset at the end of the year	8864.53	8517.74	678.49	697.81

(सी) तुलन-पत्र में मान्यता प्राप्त राशि

(c) Amount recognized in Balance Sheet

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण Particulars	निधिक/FUNDED				अनिधिक/UNFUNDED							
	पेंशन Pension		उपदान Gratuity		छुट्टी का नकदीकरण Leave Encashment		एलएफसी/ एलटीसी LFC/ LTC		बीमारी छुट्टी Sick Leave		निदेशकों को चिकित्सा सुविधा Medical Benefits to Directors	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
वर्ष के अंत में दायित्वों का अनुमानित वर्तमान मूल्य Estimated Present value of obligations as at the end of the year	9074.64	8692.34	698.82	718.27	626.66	649.08	42.15	41.99	17.58	16.77	2.48	2.12
वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का वास्तविक उचित मूल्य Actual Fair value of Plan Assets as at the end of the year	8864.53	8517.74	678.49	697.81	607.25	647.21	41.99	40.91	16.77	15.92	2.12	1.50
तुलन-पत्र में मान्यता प्राप्त निवल देयताए/आस्ति Net Liability /Asset recognized in Balance Sheet	210.11	174.60	20.33	20.46	19.41	1.87	0.16	1.08	0.81	0.85	0.36	0.62

(d) लाभ-हानि लेखा विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय/Expenses Recognized in the Profit and Loss Account

(राशि करोड़ ₹ में / ₹ in Crore)

	पेंशन		उपदान		छुट्टी का नकदीकरण		एलएफसी/एलटीसी		बीमारी छुट्टी		निदेशकों को चिकित्सा प्रसुविधा		
	Pension		Gratuity		Leave Encashment		LFC / LTC		Sick Leave		Medical Benefits to Directors		
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	
चालू सेवा लागत (ए) Current Service Cost (A)	503.37	299.23	54.09	59.03	135.70	124.04	0	0	3.91	3.85	0	0	
ब्याज लागत (बी) / Interest Cost (B)	604.79	522.75	49.79	50.34	48.75	46.41	3.15	2.96	1.26	1.23	0.16	0.11	
योजना आस्ति पर प्रत्याशित प्रतिफल (सी) Expected Return on Plan Asset (C)	672.90	612.92	55.13	57.09	0	0	0	0	0	0	0	0	
वर्ष में मान्यता प्राप्त शुद्ध बीमाकिक हानि/लाभ (डी) Net Actuarial Loss/Gain Recognized in the Year (D)	422.03	974.50	1.43	(4.79)	(206.87)	(161.57)	(2.99)	(1.88)	(4.36)	(5.23)	0.20	0.51	
राशि /Amount (A+B-C+D)	<b>857.29</b>	<b>1183.56</b>	<b>50.18</b>	<b>47.49</b>	<b>(22.42)</b>	<b>8.88</b>	<b>0.16</b>	<b>1.08</b>	<b>0.81</b>	<b>(0.15)</b>	<b>0.36</b>	<b>0.62</b>	
वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान लाभ-हानि लेखा विवरणी में व्यय को शामिल किया गया  Expenses Recognized in Statement of Profit/Loss during the FY 2022-23	प्रावधान खाता के माध्यम से - नोट 1(ए) Through Provision Account-Note 1 (A)	857.29	1183.56	50.18	47.49	(22.42)	8.88	0.16	1.08	0.81	(0.15)	0.36	0.62
	बैंक का सामान्य अंशदान (बी) Banks Ordinary Contribution (B)	0	30.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों के अनुसार, As per RBI direction, (C)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>कुल/Total (A+B+C)</b>	<b>857.29</b>	<b>1183.56</b>	<b>50.18</b>	<b>47.49</b>	<b>(22.42)</b>	<b>8.88</b>	<b>0.16</b>	<b>1.08</b>	<b>0.81</b>	<b>(0.15)</b>	<b>0.36</b>	<b>0.62</b>



बीमांकिक लाभ/हानि समाधान/ **Actuarial Gain/Loss Reconciliation**

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण Particulars	निधिक/FUNDED				अनिधिक/UNFUNDED							
	पेंशन Pension		उपदान Gratuity		छुट्टी का नकदीकरण Leave Encashment		एलएफसी/ एलटीसी LFC/ LTC		बीमारी छुट्टी Sick Leave		निदेशकों को चिकित्सा प्रसुविधा Medical Benefits to Directors	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
वर्ष के लिए बीमांकिक हानि/(लाभ)- दायित्व Actuarial Loss/(Gain) for the Year - Obligation	(401.14)	(945.41)	(12.78)	(4.83)	206.87	161.57	2.99	1.88	4.36	5.23	(0.20)	0.51
वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/ (हानि)- आस्ति योजना Actuarial Gain/(Loss) for the Year - Plan Asset	(422.03)	(29.09)	1.43	9.62	0	0	0	0	0	0	0	0
वर्ष के लिए कुल हानि/(लाभ) Total Loss /(Gain) for the Year	(823.17)	(974.50)	(11.35)	4.79	206.87	161.57	2.99	1.88	4.36	5.23	(0.20)	0.51
वर्ष के दौरान मान्य बीमांकिक हानि/(लाभ) Actuarial Loss/(Gain) Recognized in the Year	(823.17)	(974.50)	(11.35)	4.79	206.87	161.57	2.99	1.88	4.36	5.23	(0.20)	0.51

**निवेश के ब्योरे :**

- क) उपदान निधि के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम में निवेश - 100%  
 ख) पेंशन निधि की बाबत उचित मूल्य के प्रतिशत के रूप में योजना आस्तियों की प्रमुख श्रेणियाँ

**Investment Details:**

- a) Investment with LIC of India for Gratuity Fund - 100%  
 b) Major Categories of Plan assets as percentage of Fair Value in respect of Pension Fund

निवेश की प्रकृति /Nature of Investment	% of Total Investment
ईक्विटी /Equities	0%
नियत आय एवं ऋण प्रतिभूतियां Fixed income & debt securities	100.00%
विशेष जमा / Special Deposit	-
अन्य आस्तियां एन्युटी कांटेक्टर Other Assets / Annuity contractor	-
<b>कुल/Total</b>	<b>100.00%</b>

**मूल बीमांकिक अनुमान / Principal Actuarial Assumptions :**

मृत्यु दर तालिका/Mortality Rate Table	जीवन बीमा निगम/LICI (1994-96)
अधिवर्षिता आयु/Superannuation Age	60 वर्ष/60 Years
समयपूर्व सेवानिवृत्ति और विकलांगता/Early Retirement & Disablement	10 प्रतिवर्ष प्रति हजार / 10 Per Thousand Per Annum 45 वर्ष की आयु से अधिक के 6 / 6 Above age 45 29 से 45 वर्ष के बीच के 3 / 3 between 29 and 45 29 वर्ष से कम आयु के 1 / 1 below age 29
रियायती दर/Discount Rate	7.44% ( पेंशन हेतु/For Pension) 7.51% ( उपदान हेतु/For Gratuity)
मुद्रास्फीति दर/Inflation Rate	6.00 %
योजना आस्तित पर प्रतिफल/Return on Plan Asset	7.90% ( पेंशन हेतु/For Pension) 7.90% ( उपदान हेतु/For Gratuity)
शेष सक्रिय जीवन/Remaining Working Life	औसतन 22 वर्ष (उपदान)/22 Years on an average (Gratuity) औसतन 10 वर्ष (पेंशन)/10 Years on an average (Pension)
प्रयुक्त सूत्र/Formula Used	अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति/Projected Unit Credit Method

11. प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस) का परिकलन-(एस-20) / Earnings Per Share (EPS)- (AS-20): :

Calculation of EPS

	As on 31.3.2023	As on 31.3.2022
ईक्विटी शेयरधारकों के लिए उपलब्ध कर के बाद निवल लाभ (करोड़ ₹ में) Net profit after tax available for equity shareholders (₹ in crore)	1862.34	929.76
ईक्विटी शेयरों की संख्या Number of equity shares	11955958176	11955958176
जोखिम धारित ईक्विटी शेयरों की संख्या Weighted Number of equity shares	11955958176	11637754887
प्रति शेयर सांकेतिक मूल्य (राशि ₹ में) Nominal Value per Share (Amount in ₹)	10.00	10.00
प्रति शेयर बेसिक एवं डाइल्यूटेड अर्जन (राशि ₹ में) Basic & Diluted Earnings per Share (Amount in ₹)	1.56 1.56	0.78 0.80

12. आय पर कर का लेखांकन (एस-22)

क) बैंक का वर्ष के दौरान कोई वर्तमान आयकर दायित्व नहीं है। वर्ष के दौरान लेखा मानक एस-22 के अनुसार ₹1011.07 करोड़ (वित्तीय वर्ष 2021-22 ₹817.71 करोड़) की निवल राशि की पहचान डेफर्ड टैक्स एसेट के रूप में की गई है।

12. Accounting for Taxes on Income (AS-22) :

a) The Bank does not have any current Income Tax obligation during the year. During the year net amount of Rs. 1011.07 Crore (Rs. 817.71 Crore has been reversed for FY 2021-22) has been reversed as Deferred Tax Assets as per accounting standard AS-22.

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण Particulars	दिनांक 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2023	दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2022
<b>आस्थगित कर आस्तियां / Deferred Tax Assets</b>		
आगे ले जायी गई हानि / Carried Forward Loss	7411.44	8277.94
छुट्टी के नकदीकरण के लिए प्रावधान / Provision for leave encashment	218.98	226.81
उचित मूल्य में ह्रास / Diminution in fair value	0.00	0.00
कर्मचारियों के लाभ के लिए प्रावधान/ Provision for Employee Benefits	13.98	0.00
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान / Provision for Standard Assets	308.91	285.49
निवेश मूल्यांकन में अंतर / Difference in investment valuation	0.00	-
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास / Depreciation on Fixed Assets	70.33	80.49
/Provision held for Contingent Liabilities/Others	185.47	349.45
<b>योग:/TOTAL :</b>	<b>8209.11</b>	<b>9220.18</b>

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण Particulars	दिनांक 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2023	दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2022
<b>आस्थगित कर देयताएं/Deferred Tax Liabilities</b>		
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास / Depreciation on Fixed Assets	--	--
निवेश मूल्यन में अंतर / Difference in Investment valuations	--	--
<b>योग:/TOTAL:</b>	--	--
<b>आस्थगित कर आस्तियां (निवल) / Deferred Tax Assets (Net)</b>	<b>8209.11</b>	<b>9220.18</b>

भारत सरकार ने करधान कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2019 के माध्यम से आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115 बीएए की घोषणा की है, जो घरेलू कंपनियों को कुछ शर्तों के अनुपालन के अधीन 1 अप्रैल 2019 से प्रभावी दर से कम दर पर कॉर्पोरेट कर का भुगतान करने का एक गैर-प्रतिवर्ती विकल्प प्रदान करता है। बैंक वर्तमान में इस विकल्प के मूल्यांकन की प्रक्रिया में है और आयकर अधिनियम, 1961 के पहले के प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आय पर करों की पहचान करना जारी है।

The Government of India has pronounced Section 115BAA of Income Tax Act, 1961 through Taxation Laws (Amendment) Ordinance, 2019 which provides domestic companies a non-reversible option to pay corporate tax at reduced rate effective from 1st April, 2019 subject to compliance of certain conditions. Bank is currently in the process of evaluating this option and continues to recognize the taxes on income for the year ended 31st March, 2023 as per the earlier provisions of the Income Tax Act, 1961.

13. आरबीआई सर्कुलर संख्या डीओआर.एसीसी.आरईसी. सं.91/21.04.018/2022-23 दिनांक 13.12.2022 के अनुसार, "अनुसूची 14-अन्य आय" शीर्षक के तहत उपशीर्षक "विविध आय" के तहत आइटम से संबंधित प्रकटीकरण कुल आय के एक प्रतिशत से अधिक, निम्नानुसार हैं:

13. In terms of RBI Circular No. DOR.ACC.REC.No.91/21.04.018/2022-23 dated 13.12.2022, the disclosure relating to item under subhead "Miscellaneous Income" under the head "Schedule 14-Other Income" exceeds one percent of total income, are as under:

प्रमुख/उप-शीर्षक का विवरण Particulars of Head/ Sub-Head	उप-शीर्षक के अंतर्गत मद Item under the Sub-Head	राशि (करोड़ रुपये में) Amount (Rs. In Crore)	% In Percentage Terms
अनुसूची 14-अन्य आय उप शीर्षक- विविध आय Schedule 14-Other Income Sub Head- Misc Income	बट्टे खाते में वसूली Recovery in Written off	1624.40	8.06

14. कोष्ठक में दिखाए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं। पिछले वर्ष के आंकड़ों को जैसा आवश्यक समझा गया है पुनः समूहित/ पुनःव्यवस्थित/ पुनः निर्धारित किया गया है।

14. The bracketed figures indicate previous year's figures. Previous year's figures have been re-grouped /re-arranged/ re-casted wherever considered necessary.

## स्वतंत्र लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में

यूको बैंक के सदस्यों

एकल वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट

अभिमत

1. हमने यूको बैंक (बैंक) की संलग्न एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2023 के तुलन-पत्र, एवं लाभ और हानि लेखे तथा तत्संबंधी समाप्त वर्ष के नकदी प्रवाह विवरण महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के सार सहित वित्तीय विवरणों पर नोट तथा अन्य विवेचनात्मक सूचना सम्मिलित है।

इनमें:

- प्रधान कार्यालय, 43 जून, 1 ट्रेज़री शाखा को शामिल करते हुए 21 शाखाओं की लेखापरीक्षा हमने की है,
- 752 शाखाओं (सेवा शाखाओं को शामिल करते हुए) की लेखा परीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षकों ने की है
- 2 विदेशी शाखाओं की लेखा परीक्षा स्थानीय विदेशी लेखा परीक्षकों ने की है।

हमारे तथा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा जिन शाखाओं की लेखा परीक्षा की गई है उन शाखाओं का चयन बैंक के द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक को दिए गए दिशानिर्देश के अनुसार किया गया है। इसी में 2432 शाखाओं से प्राप्त तुलनपत्र तथा लाभ-हानि खाते को भी, जिनका लेखा परीक्षण नहीं किया गया है, इसमें शामिल हैं। जिन शाखाओं की लेखा परीक्षा नहीं हुई है उन शाखाओं से 23.09% अग्रिम का, 58.91% जमा का, 18.39% ब्याज आय का तथा 55.52% ब्याज व्यय का कारोबार होता है।

हमारे विचार से तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार उक्त वित्तीय विवरणी बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के द्वारा बैंक के संबंध में यथा अपेक्षित, यथारूप अपेक्षित सूचना देता है तथा वह भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप है और यह निम्नलिखित बातों की जानकारी देता है:

क) 31.03.2023 को तुलन पत्र तथा बैंक की स्थिति की सही तथा साफ छवि की

ख) उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि खाते में हानि के सही अतिशेष की तथा

ग) उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह की सही तथा साफ छवि की ।

अभिमत का आधार

2. हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणों की अपनी लेखापरीक्षा की है जिसमें महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों का सार तथा अन्य व्याख्यात्मक नोट शामिल किए गए हैं। उन मानकों के तहत हमारे अन्य दायित्वों का विवरण हमारी रिपोर्ट के एकल वित्तीय विवरणी भाग में लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों के दायित्व के अंतर्गत दिया गया है। हम इंस्टीच्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स आफ इंडिया के द्वारा जारी कोड ऑफ एथिक्स के साथ एकल वित्तीय विवरणी की हमारे द्वारा लेखा परीक्षा करने के लिए संगत अपेक्षित आचार के अनुसार हम बैंक से स्वतंत्र हैं तथा हमने इन अपेक्षाओं तथा कोड ऑफ एथिक्स की अपेक्षाओं को पूरा किया है। हम विश्वास करते हैं कि लेखा परीक्षा के लिए हमने जो साक्ष्य प्राप्त किया है वह हमारे विचार को अभिव्यक्त करने के लिए पर्याप्त तथा समुचित है।

प्रमुख लेखा परीक्षा मामले

3. मूल लेखा परीक्षा मामले वे मामले हैं जो हमारे पेशागत निर्णय में चालू अवधि की एकल वित्तीय विवरणी की हमारी लेखा परीक्षा के लिए अत्यधिक महत्व के थे। इन मामलों को एकल वित्तीय विवरणी की हमारी समग्र लेखा परीक्षा तथा उसपर अपना अभिमत बनाने के क्रम में बरता गया है तथा इन मामलों पर हम अलग से अपना कोई मत व्यक्त नहीं करते। नीचे दिए गए मामलों को अपनी रिपोर्ट में दर्ज करने के लिए हमने उसे मूल लेखा परीक्षा मामला माना है:

### प्रमुख लेखा परीक्षा मामले

### प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों पर लेखापरीक्षकों की प्रतिक्रिया

**अग्रिमों का वर्गीकरण, अनर्जक अग्रिमों की पहचान करना और उनका प्रावधान अग्रिमों के अंतर्गत**

खरीदे एवं भुनाए गए बिल, नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट, मांग पर चुकाए जाने वाले ऋण और मीयादी ऋण। इन्हें बैंक / सरकारी गारंटी और असुरक्षित अग्रिमों के रूप में कवर की गई मूर्त संपत्ति (बुक डेट के बदले अग्रिम) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

हमने आरिस्त वर्गीकरण और इसके प्रावधान के संबंध में बैंक के सॉफ्टवेयर, भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्रों दिशानिर्देशों तथा निदेशों और बैंक के आंतरिक निर्देशों और प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की और निम्नलिखित लेखापरीक्षा प्रक्रिया अपनाई।

हमने अग्रिमों की निगरानी, पहचान / वर्गीकरण जिसमें संगत डाटा गुणता की जांच भी शामिल है, के संबंध में आईटी सॉफ्टवेयर नियंत्रण तथा अन्य महत्वपूर्ण आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की गुणवत्ता तथा सॉफ्टवेयर में प्रविष्ट डाटा की समीक्षा, मूल्यांकन एवं जांच की।

अग्रिमों को अर्जक और अनर्जक अग्रिमों के रूप में वर्गीकृत किया गया है और उन पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के आधार पर प्रावधान किया जाता है। वर्गीकरण तथा प्रावधान बैंक के कोर बैंकिंग सौल्यूशन (सीबीएस) के तहत बैंक के आईटी साफ्टवेयर द्वारा किया जाता है। विवेकपूर्ण मानदंड के अनुसार एनपीए के लिए प्रावधान मुख्यतः उसके एनपीए होने की अवधि तथा उसके एवज में रखी हुई प्रतिभूति की वसूलीयोग्यता पर निर्भर है।

क्योंकि प्रतिभूति के मूल्यांकन में अनुमान और निर्णय का उच्च स्तर शामिल होता है, विवेकपूर्ण मानदंडों के किसी भी अनुचित आवेदन या प्रतिभूति के अवास्तविक मूल्य पर विचार करने की स्थिति में, अग्रिमों का अभिव्यक्त मूल्य व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से गलत तरीके से कहा जा सकता है और वित्तीय विवरणियों में अग्रिमों की राशि के महत्व को देखते हुए, अग्रिमों का वर्गीकरण तथा उन पर प्रावधानीकरण को हमारी लेखा परीक्षा में लेखापरीक्षा के प्रमुख विषय माना गया है।

वृहद और दबावग्रस्त अग्रिमों के टेस्ट जांच द्वारा परिचालनों / कार्यनिष्पादनो और निगरानी की समीक्षा, एवं दस्तावेज़ीकरण ताकि किसी भी अग्रिम खाते में असंतोषजनक आचरण या कमजोरी का पता लगाया जा सके, यह सत्यापित किया जा सके कि इसका वर्गीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंड के अनुरूप है। इसके अलावा, हमने आंतरिक / विनियामक निरीक्षण, समवर्ती लेखा परीक्षकों आदि की कई रिपोर्टों का भी उल्लेख किया है और बैंक के अग्रिम पोर्टफोलियो पर इसकी टिप्पणियों के परिणामी प्रभाव का मूल्यांकन किया है।

### निवेश का वर्गीकरण और मूल्यांकन, अनर्जक निवेश की पहचान और प्रावधान

निवेश में विभिन्न सरकारी प्रतिभूतियों, बांडों, डिबेंचर, शेयरों, प्रतिभूति रसीदों और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में बैंक द्वारा किए गए निवेश शामिल हैं।

ये आरबीआई के परिपत्रों और निर्देशों के अधीन प्रचालित होते हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक के ये निर्देश, अन्य बातों के साथ-साथ निवेश का मूल्यांकन, निवेश का वर्गीकरण, गैर-निष्पादित निवेश की पहचान, आय की संगत गैर-मान्यता और इसके एवज में किए प्रावधान को शामिल किए जाते हैं।

उपर्युक्त प्रतिभूतियों की प्रत्येक श्रेणी (प्रकार) का मूल्यांकन आरबीआई द्वारा जारी किए गए परिपत्रों और निर्देशों में निर्धारित विधि के अनुसार किया जाना है, जिसमें विभिन्न स्रोतों से डेटा / सूचना का संग्रह शामिल है, जैसे बीएसई / एनएसई द्वारा उद्धृत दरें, असूचीबद्ध कंपनियों के वित्तीय विवरण इत्यादि का मूल्यांकन, लेनदेन की मात्रा, त्वरित निवेश और विनियामक फोकस की डिग्री, जटिलताओं और निर्णय की सीमा को ध्यान में रखते हुए, इसे एक प्रमुख लेखा परीक्षा मानदंड के रूप में निर्धारित किया गया है।

तदनुसार, हमारा ऑडिट मूल रूप से निवेश के मूल्यांकन, वर्गीकरण, गैर-निष्पादित निवेश की पहचान और निवेश से संबंधित प्रावधान पर केंद्रित था।

निवेश के प्रति हमारा लेखा परीक्षा दृष्टिकोण भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र / निर्देशों के संदर्भ में मूल्यांकन, वर्गीकरण, अनर्जक निवेशों की पहचान (एनपीआई), निवेश से संबंधित प्रावधान / मूल्यहास के संबंध में आंतरिक नियंत्रण और टोस लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं की समझ शामिल है।

हमने बैंक के आंतरिक नियंत्रण तंत्र का मूल्यांकन किया और देखा कि वर्गीकरण, एनपीआई की पहचान, निवेश से संबंधित प्रावधान / मूल्यहास के संबंध में प्रासंगिक आरबीआई निर्देशों का अनुपालन किया जाता है या नहीं।

हमने इन निवेशों का उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए विभिन्न स्रोतों जैसे एफआईएमएमडीए दरों, बीएसई / एनएसई आदि पर उद्धृत दरों से जानकारी एकत्र करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का आकलन और मूल्यांकन किया;

वर्तमान निवेश के चयनित नमूने के लिए, हमने आरबीआई के मास्टर परिपत्रों एवं निहित दिशा-निर्देश के साथ सटीकता और अनुपालन हेतु प्रत्येक वर्ग की प्रतिभूति का पुनर्मूल्यांकन कर परीक्षण किया।

हमने एनपीआई की पहचान की प्रक्रिया का और इसके विपरीत आय और प्रावधान के सृजन के उलट का आकलन और मूल्यांकन भी किया;

उपर्युक्त के अलावा, हमने आरबीआई के परिपत्रों और निर्देशों के अनुसार प्रावधान को बनाए रखने और मूल्यहास की फिर से गणना करने के लिए महत्वपूर्ण ऑडिट प्रक्रियाएं भी कीं। हमने आरबीआई के निर्देशों के संदर्भ में विभिन्न निवेश पोर्टफोलियो से जुड़े खुलासों की प्रस्तुतियों का भी मूल्यांकन किया।

प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों सहित कुछ मुकदमों के संबंध में प्रावधान और आकरिमिक देनदारियों का आकलन, अन्य पार्टियों द्वारा दायर विभिन्न दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाना

बैंक कई कराधान और अन्य विवादों में शामिल है, जिसके अंतिम परिणामों की आसानी से भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है और जिसके परिणामस्वरूप भारी देनदारियां हो सकती हैं। मुकदमों से जुड़े जोखिमों का मूल्यांकन जटिल धारणाओं पर आधारित है, जिसके लिए निर्णय करने की आवश्यकता होती है और इस तरह के निर्णय, मुख्य रूप से, कार्यवाही के परिणाम की भविष्यवाणी से जुड़ी अनिश्चितताओं के आकलन और वित्तीय वक्तव्यों में खुलासे की पर्याप्तता से संबंधित होते हैं। आवश्यक निर्णय, इस तरह के मुकदमों का महत्व और मूल्यांकन प्रक्रिया की जटिलता के कारण यह क्षेत्र हमारे ऑडिट के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया था।

इस प्रमुख लेखा परीक्षा के मामले के प्रत्युत्तर में हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया में शामिल था :

- कानूनी और कर मुकदमों, और लंबित प्रशासनिक कार्यवाही की पहचान करने के लिए लागू प्रक्रिया और प्रासंगिक नियंत्रण का आकलन।
- विधिक पूर्वोदाहरणों तथा समान वादों के अन्य रूढ़िगों का विचार करते हुए बैंक द्वारा संभावित विधिक तथा कर जोखिमों के मूल्यांकन हेतु उपयोग की गई धारणा का आकलन।
- सबसे महत्वपूर्ण विवादों की स्थिति और प्रमुख प्रासंगिक प्रलेखों के निरीक्षण के बारे में कानूनी विभाग के साथ पूछताछ।
- जहां कहीं उपलब्ध हो विशेषज्ञों से प्राप्त विचारों का विश्लेषण।
- वित्तीय विवरणी के नोट में प्रकटन की पर्याप्तता की समीक्षा।

## अन्य बातें

4. क) इन एकल वित्तीय विवरणों में 754 शाखाओं की प्रासंगिक विवरणियां शामिल हैं, जिनमें इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से नियुक्त अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षा की गई जिसमें 2 विदेशी शाखाएं शामिल हैं। अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित इन शाखाओं में 31 मार्च 2023 को 32.32% अग्रिम, 32.66% जमा और 25.46% गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां और 31 मार्च, 2023 को समाप्त तिमाही के लिए राजस्व का 20.30%/19.05%/प्रथम अवधि अर्थात् एक अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक के लिए शामिल हैं। इन शाखाओं के वित्तीय विवरणों/सूचनाओं की लेखापरीक्षा सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है, जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है, और जहाँ तक यह शाखाओं के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित है, हमारी राय में, पूरी तरह से ऐसे शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित हैं।

ख) अपनी लेखापरीक्षा के संचालन में, हमने 31 मार्च, 2023 तक 2432 शाखाओं के संबंध में अलेखापरीक्षित रिटर्न पर ध्यान दिया है, जिसमें 23.09% अग्रिम, 58.91% जमा और 13.36% गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां और 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 की अवधि के लिए/ 31 मार्च, 2023 को समाप्त तिमाही के लिए राजस्व का 17.66%/18.06% शामिल हैं।

इस मामले के संबंध में हमारी राय में संशोधन नहीं किया गया है।

## एकल वित्तीय विवरणी तथा उसपर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट से इतर सूचना

5. बैंक का निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। अन्य सूचनाओं में प्रबंधन विमर्श और विश्लेषण, निदेशक की रिपोर्ट, बासेल III के तहत आधार 3 प्रकटन, लिवरेज अनुपात, तरलता कवरेज अनुपात, कॉर्पोरेट प्रशासन और शेयरधारकों की जानकारी शामिल है। लेकिन उसमें वित्तीय विवरण और उसपर हमारे लेखा परीक्षण की रिपोर्ट शामिल नहीं है, जो उस तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

वित्तीय वक्तव्यों पर हमारी राय अन्य जानकारी को कवर नहीं करती है और बेसल III के तहत स्तम्भ 3 प्रकटीकरण और हम उसपर कोई आश्वासन निष्कर्ष नहीं देते हैं।

एकल वित्तीय विवरणों के ऑडिट के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी उपर्युक्त में पहचान की गई अन्य जानकारी को पढ़ने की है और ऐसा करते हुए, हमें विचार करना है कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों के साथ गंभीर रूप से असंगत है या ऑडिट के संबंध में हमारी जानकारी, या और कोई बात प्रधान रूप से गलत रूप से कही (मिसस्टेमेंट) गई प्रतीत होती है।

यदि, इस लेखा परीक्षा की रिपोर्ट की तारीख से पहले प्राप्त की गई अन्य जानकारी पर हमने जो काम किया है, उसके आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी में कुछ महत्वपूर्ण गलत कथन (मिसस्टेमेंट) है। हमसे उस तथ्य की रिपोर्ट करने की अपेक्षा है। इस संबंध में हमारे पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

जब हम निदेशकों की रिपोर्ट पढ़ते हैं, जिसमें वार्षिक रिपोर्ट में अनुलग्नक, यदि कोई हो, तो, यदि हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि इसमें कोई सामग्री गलत है, तो हमें इस मामले को इससे संबंधित विभाग को बताना होगा।

## प्रबंधन तथा एकल वित्तीय विवरणी के गवर्नेस के लिए प्रभारीजनों का दायित्व

6. बैंक के निदेशक मंडल इन एकल वित्तीय विवरणियों जो आमतौर पर भारत में स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तथा आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक, और समय-समय पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र और दिशानिर्देश को शामिल करते हुए वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और बैंक के नकदी प्रवाह के बारे में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देता है, की प्रस्तुति के संबंध में जिम्मेदार हैं। इस जिम्मेदारी में बैंक की आस्तियों की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव, उचित लेखांकन नीतियों का चयन और उसका प्रयोग; जो उचित और विवेकपूर्ण हैं जैसे निर्णय करना और धारणा बनाना और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन करना, कार्यान्वयन और रखरखाव करना, जो कि लेखांकन के रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो वित्तीय वक्तव्यों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक है जो एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और जिसमें चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण ही सही खास बातों का गलत कथन नहीं हो, भी शामिल है।

वित्तीय विवरणी तैयार करने में प्रबंधन का यह दायित्व है कि वह यथा प्रयोज्य रूप में चल संस्थान के संबंध में मामलों को प्रकट करते हुए यदि प्रबंधन लिक्विडेट करने, परिचालन बंद करने अथवा ऐसा करने के अतिरिक्त उसके पास कोई वास्तविक विकल्प न बचा हो इनमें से किसी प्रकार की योजना न हो तो चल संस्थान लेखाकरण आधारों का उपयोग करते हुए यह सुनिश्चित करे कि बैंक एक चल संस्थान के रूप में कारोबार करने में सक्षम है।

## वित्तीय विवरणी की लेखा परीक्षा में लेखा परीक्षकों के दायित्व

7. हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या संपूर्ण रूप से वित्तीय विवरण चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण ही क्यों न हो, प्रमुख रूप से गलत कथन से मुक्त हैं, और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी ओपीनियन भी शामिल होगी। तर्कसंगत आश्वासन एक उच्च स्तरीय आश्वासन है, लेकिन यह इस बात की गारंटी नहीं है कि एएसए के अनुसार की गई परीक्षा यदि विद्यमान हो तो, किसी महत्वपूर्ण गलत कथन (मिस स्टेटमेंट) का पता हमेशा लगा ही लेगी। गलत कथन (मिस स्टेटमेंट) धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और इन्हें मेटेरियल तभी माना जाता है जब व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप में इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने से समर्थ हों।

इस के अनुसार किसी लेखा परीक्षा के एक अंग के रूप में हम संपूर्ण लेखा परीक्षा के दौरान पेशेवर निर्णय लेते हैं तथा पेशेवर संशयवादिता रखते हैं। हम यह भी कहते हैं:

- वित्तीय विवरणी के महत्वपूर्ण मिसस्टेटमेंट के जोखिम की पहचान तथा उसका आकलन चाहे वे कपट के कारण हुए हों या त्रुटि वश। हम अपनी लेखा परीक्षा को उन जोखिमों के प्रति अनुक्रियाशील बनाने के लिए डिजाइन तथा उसे पूरा करते हैं तथा ऐसा लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारे अभिमत को आधार देने में पर्याप्त तथा समुचित सिद्ध हों। चूंकि कपट में मिलीभगत, कपट, धोखाधड़ी, जानबूझ कर की गई चूक, मिस रिप्रेजेंटेशन अथवा इंटरनेट नियंत्रण की अवहेलना शामिल है, कपट के कारण हुए महत्वपूर्ण मिसस्टेटमेंट के जोखिम का पता न लगा पाना त्रुटि के कारण हुए महत्वपूर्ण मिसस्टेटमेंट के जोखिम का पता न लगा पाने से ज्यादा गंभीर बात है।
- लेखा परीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करें ताकि उन परिस्थितियों में उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं का अभिकल्पन किया जा सके, लेकिन बैंक के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता पर राय व्यक्त करने के उद्देश्य से नहीं।
- प्रयुक्त लेखाकरण मानदंडों की समुचितता का मूल्यांकन करना तथा प्रबंधन द्वारा किए गए लेखाकरण प्राक्कलन तथा संबंधित प्रकटन की तार्किकता का पता लगाना।
- लेखाकरण के गोडिंग कंसर्न आधार के प्रबंधन प्रयोग की तर्कसंगतता पर निष्कर्ष व्यक्त करना तथा प्राप्त किए गए लेखाकरण साक्ष्यों के आधार पर एक चल संस्थान के रूप में बैंक के बने रहने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह उत्पन्न करनेवाली महत्वपूर्ण अनिश्चयता है या नहीं यह बताना। यदि हम यह निष्कर्ष दें कि एक महत्वपूर्ण अनिश्चितता है तो हमें अपने लेखापरीक्षण रिपोर्ट में वित्तीय विवरणी में संबंधित प्रकटन के अंतर्गत इस ओर ध्यान खींचना होगा, यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हुए तो हमें अपने अभिमत में आशोधन करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित है। तथापि, भविष्य की घटनाएं तथा परिस्थितियां बैंक को एक चल संस्थान (गोडिंग कंसर्न) के रूप में जारी रहने से रोक भी सकती हैं।
- प्रकटनों सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन, और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस तरह से दर्शाते हैं कि निष्पक्ष प्रस्तुति हो सके।

भौतिकता एकल वित्तीय विवरणों में गलत बयानों का परिमाण है, जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, यह संभव बनाता है कि एकल वित्तीय विवरणों के एक उचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं (i) हमारे लेखापरीक्षा कार्य के क्षेत्र की योजना बनाना और हमारे कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करना; और (ii) एकल वित्तीय विवरणों में किसी भी चिन्हित किए गए गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए।

जो गवर्नेस के दायित्व में हैं हम उन लोगों से अन्य मामलों के साथ-साथ, लेखापरीक्षा के योजनाबद्ध क्षेत्र एवं समय तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों जिसमें हमारे द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान प्रकाश में आई आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की महत्वपूर्ण कमियां भी शामिल हैं, के विषय में बातचीत करते हैं।



जो गवर्नेस के दायित्व में हैं हम उन लोगों को स्वतंत्रता के ऊपर बनाई गई वह विवरणी भी उपलब्ध कराते हैं जिसे हमने संगत आचारगत अपेक्षाओं के साथ तैयार किया है तथा उनसे हम उन संबंधों तथा अन्य बातों के विषय में भी बताते हैं जिनका प्रभाव हमारी स्वतंत्रता पर पड़ता हुआ समझा जा सकता है। जहां आवश्यक हुआ हम संबंधित सुरक्षा के विषय में भी बताते हैं।

जो गवर्नेस के प्रभार में हैं उनसे हुई बातों से हमने उन बातों का निश्चय किया जो चालू अवधि के वित्तीय विवरणी की लेखापरीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और इस प्रकार वे महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले (की ऑडिट मैटर) हैं। यदि हमें विधि एवं विनियम मामले को सार्वजनिक प्रकटन से वारित न करें अथवा जब अत्यंत विरल दशा में हमें किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में प्रकट न करने का निर्णय करें करें क्योंकि ऐसा करने का विपरीत प्रभाव वैसे संवाद के लोकहित लाभ पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा, हम इन बातों को अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में रिपोर्ट करते हैं।

### अन्य विधिक तथा विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

8. बैलेंस शीट और लाभ और हानि खाता बैकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुसार तैयार किया गया है;
9. उक्त पैराग्राफ 5 एवं 6 में दर्शित लेखापरीक्षा की सीमाओं के अध्यक्षीन तथा बैंककारी कम्पनी ( उपक्रमों का अर्जन तथा अंतरण) अधिनियम 1970/1980 तथा उसमें अभिव्यक्त प्रकटन की सीमाओं के अध्यक्षीन जैसा कि बैकिंग विनियमन, 1949 की धारा 30 की उपधारा (3) के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि:
  - क) हमने वे सभी जानकारियां और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारे ऑडिट के उद्देश्यों के लिए आवश्यक थे और हमने उन्हें संतोषजनक पाया है;
  - ख) बैंक के जो लेन देन जो हमारे संज्ञान में आए हैं, बैंक की शक्तियों के भीतर हुए हैं; तथा
  - ग) हमारे ऑडिट के उद्देश्यों के लिए बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त रिटर्न पर्याप्त पाए गए हैं ।

### 10. इसके आगे हम रिपोर्ट करते हैं कि

- क) हमारी राय में, विधि द्वारा यथावश्यक खातों की उचित बहियां बैंक द्वारा तक रखी गई हैं, जैसा कि उन पुस्तकों की हमारी परीक्षा से प्रकट होता है और जिन शाखाओं का हमने दौरा नहीं किया उन शाखाओं से प्राप्त विवरणियां हमारी लेखा परीक्षा उद्देश्य के लिए पर्याप्त है;
- ख) इस रिपोर्ट में बरता गया तुलनपत्र, लाभ और हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरणी, खाते की बहियों के साथ और हमारे द्वारा दौरा नहीं की गई शाखाओं/कार्यालयों से प्राप्त विवरणियों के साथ संगत हैं;
- ग) शाखा कार्यालयों के खातों पर रिपोर्ट जिनका लेखा परीक्षण बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 29 के अनुसरण के प्रावधान के अनुसार में बैंक के लेखापरीक्षकों ने किया है जो हमारे पास भेजे गए हैं, इस रिपोर्ट को तैयार करते समय उन्हें भली-भांति बरता गया है।
- घ) हमारी राय में, तुलनपत्र, लाभ और हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरणी प्रयोज्य लेखाकरण मानकों का अनुपालन करते हैं, जहां तक वे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखाकरण नीतियों के साथ असंगत नहीं हैं।

11. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षकों (एससीए) की नियुक्ति - वित्तीय वर्ष 2019-20 से एससीए के लिए दायित्वों की रिपोर्टिंग, के साथ पठित बाद में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी संचार दिनांक 19 मई, 2020, के संबंध में पत्र सं. सीओएस.एआरजी.सं.6270/08.91.001/2019-20 दिनांक 17 मार्च, 2020 की आवश्यकता के अनुसार आगे हम उपर्युक्त पत्र में निर्दिष्ट मामलों पर रिपोर्ट प्रस्तुत हैं जो इस प्रकार है:

- क) हमारे विचार में, उपर्युक्त वित्तीय विवरण आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानकों का प्रत्येक दृष्टिकोण से अनुपालन करते हैं और वे आरबीआई द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं हैं।
- ख) वित्तीय लेनदेन या उन मामलों पर कोई अवलोकन या टिप्पणी नहीं है जिनका बैंक के कामकाज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
- ग) 31 मार्च, 2023 तक निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उप-धारा (2) के अनुसार 31 मार्च, 2023 तक किसी भी निदेशक को निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने से अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

घ) खातों के रखरखाव और संबंधित अन्य मामलों से संबंधित कोई योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।

ड) इस रिपोर्ट के साथ बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के परिचालन प्रभावशीलता संबंधी हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट अनुलग्नक-ए में दिया गया है। हमारी रिपोर्ट दिनांक 31 मार्च, 2023 के अनुसार बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के परिचालन प्रभावशीलता पर असंशोधित राय व्यक्त करता है।

**कृते खंडेलवाल काकानी एंड कं.**  
सनदी लेखाकार,  
पंजीकरण सं. 001311 सी  
(सीए निरंजन पुरंदरे)  
भागीदार  
सदस्यता संख्या 072684  
यूडीआईएन: 23072684BGWUZM7950

**कृते आर गोपाल एंड एसोसिएट्स**  
सनदी लेखाकार,  
पंजीकरण सं. 000846 सी  
(सीए राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल)  
भागीदार  
सदस्यता संख्या 051979  
यूडीआईएन: 23051979BGXFGM4164

**कृते एस के अग्रवाल एंड कं. चार्टर्ड एकाउंटेंट्स एलएलपी**  
सनदी लेखाकार,  
पंजीकरण सं. 306033 ई/ ई300272  
(सीए संदीप अग्रवाल)  
भागीदार  
सदस्यता संख्या 058553  
यूडीआईएन: 23058553BGYOGU2397

**कृते घोषाल एंड घोषाल**  
सनदी लेखाकार,  
पंजीकरण सं. 304013 ई  
(सीए सोमनाथ विश्वास)  
भागीदार  
सदस्यता संख्या 064735  
यूडीआईएन: 23064735BGSLDU3419

स्थान/Place: कोलकाता /Kolkata  
दिनांक/Dated : 02-05-2023

## Independent Auditors' Report

To  
The Members of UCO Bank  
**Report on Audit of the Standalone Financial Statements**

### Opinion

1. We have audited the accompanying Standalone Financial Statements of UCO Bank("the Bank"), which comprises the Balance Sheet as at 31st March, 2023, and the Statement of Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement for the year then ended, and notes to the standalone financial statements including a summary of significant accounting policies and other explanatory information in which are incorporated the returns for the year ended on that date of:

- i) the Head Office, 43 Zones, 21 branches inclusive of 1 treasury branch audited by us
- ii) 752 branches (including Service branches) audited by statutory branch auditors
- iii) 2 overseas branches audited by overseas local auditors.

The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also incorporated in the Balance Sheet and the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement are the returns from 2432 branches which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 23.09% of advances, 58.91% of deposits, 18.39% of interest income and 55.52% of interest expenses.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid standalone financial statements give the information required by the Banking Regulation Act, 1949 in the manner so required for bank and are in conformity with accounting principles generally accepted in India and give:

- a. true and fair view in case of the Balance sheet, of the state of affairs of the Bank as at 31st March, 2023;
- b. true balance of profit in case of the Profit and loss account for the year ended on that date; and
- c. true and fair view of cash flows in case of statement of cash flows for the year ended on that date.

### Basis for Opinion

2. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the standalone financial statements section of our report. We are independent of the Bank in accordance with the code of ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with ethical requirements that are relevant to our audit of the standalone financial statements and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the code of ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

### 3. Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the standalone financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the standalone financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the key audit matters to be communicated in our report:

Key Audit Matters	Auditor's Response to Key Audit Matters
<b>Classification of Advances, Identification and Provisioning for non-performing advances</b>  Advances include Bills purchased and discounted, Cash credits, Overdrafts, Loans repayable on demand and Term loans. These are further categorized as secured by Tangible assets (including advances against Book Debts), covered by Bank/ Government Guarantees and Unsecured advances.	<p>We obtained an understanding of the Bank's Software, circulars, guidelines and directives of the RBI and the Bank's internal instructions and procedures in respect of asset classification and its provisioning and adopted the following audit procedures:</p> <p>We evaluated and tested of the effectiveness of the IT software controls and other key internal control mechanisms with respect to the advances monitoring, identification/ classification, including testing of relevant data quality, and review of the data entered in the software.</p>

---

**Key Audit Matters****Auditor's Response to Key Audit Matters**

---

The advances are classified as performing and non-performing advances (NPA) and provisioning thereon is made in accordance with the prudential norms as prescribed by the Reserve Bank of India (RBI). The classification and provisioning is done by Bank's IT software under its Core Banking Solution (CBS). The extent of provisioning of NPA under the prudential norms are mainly based on its ageing and recoverability of the underlined security.

In the event of any improper application of the prudential norms or consideration of the incorrect value of the security, as the valuation of the security involves high degree of estimation and judgement, the carrying value of the advances could be materially misstated either individually or collectively, and in view of the significance of the amount of advances in financial statements, the classification of the advances and provisioning thereon has been considered as Key Audit Matter in our audit.

Review of the documentations, operations/ performance and monitoring of the advance accounts, on test check basis of the large and stressed advances, to ascertain any overdue unsatisfactory conduct or weakness in any advance account, to verify that its classification is in accordance with the prudential norms of RBI. Further, we have also referred many of the reports of the internal/regulatory inspection, concurrent auditors etc. and evaluated the consequent impact of the observations therein on the advance portfolio of the Bank.

---

**Classification and Valuation of Investments, Identification of and provisioning for Non-Performing Investments**

Investments include investments made by the Bank in various Government Securities, Bonds, Debentures, Shares, Security receipts and other approved securities.

These are governed by the circulars and directives of the RBI. These directions of RBI, inter-alia, cover valuation of investments, classification of investments, identification of non-performing investments, the corresponding non-recognition of income and provision there against.

The valuation of each category (type) of the aforesaid securities is to be done as per the method prescribed in circulars and directives issued by the RBI which involves collection of data/information from various sources such as FIMMDA rates, rates quoted on BSE/NSE, financial statements of unlisted companies etc. Considering the complexities and extent of judgement involved in the valuation, volume of transactions, investments on hand and degree of regulatory focus, this has been determined as a Key Audit Matter.

Accordingly, our audit was focused on valuation of investments, classification, identification of non-performing investments and provisioning related to investments.

Our audit approach towards Investments with reference to the RBI Circulars/directives included the understanding of internal controls and substantive audit procedures in relation to valuation, classification, identification of non-performing investments (NPIs), provisioning/depreciation related to Investments.

We evaluated and made an understanding of the Bank's internal control mechanism to comply with relevant RBI directions regarding valuation, classification, identification of NPIs, provisioning/depreciation related to investments;

We also assessed and evaluated the process adopted for collection of information from various sources like FIMMDA rates, rates quoted on BSE/NSE etc., for determining fair value of these investments;

For the selected sample of investments in hand, we tested accuracy and compliance with the RBI Master Circulars and directions by re-performing valuation for each category of the security.

We also assessed and evaluated the process of identification of NPIs and corresponding reversal of income and creation of provision thereagainst;

In addition to above, we also carried out substantive audit procedures to re-compute independently the provision to be maintained and depreciation to be provided in accordance with the circulars and directives of the RBI. We also evaluated the presentations of the various investment portfolio related disclosures in terms of RBI directions.

---

**Assessment of Provisions and Contingent liabilities in respect of certain litigations including Direct and Indirect Taxes, various claims filed by other parties not acknowledged as debt**

The Bank is involved in a number of taxation and other disputes for which final outcomes cannot be easily predicted and which could potentially result in significant liabilities. The assessment of the risks associated with the litigations is based on complex assumptions, which require the use of judgement and such judgement relates, primarily, to the assessment of the uncertainties connected to the prediction of the outcome of the proceedings and to the adequacy of the disclosures in the financial statements. Because of the judgement required, the materiality of such litigations and the complexity of the assessment process, the area was considered a key matter for our audit.

Our audit procedure in response to this key Audit Matter included

- Assessment of the process and relevant controls implemented to identify legal and tax litigations, and pending administrative proceedings.
- Assessment of assumptions used in the evaluation of potential legal and tax risks performed by the Bank considering the legal precedence and other rulings in similar cases.
- Inquiry with the legal department regarding the status of the most significant disputes and inspection of the key relevant documentation.
- Analysis of opinion received from the experts where ever available.
- Review of the adequacy of the disclosures in the notes to the financial statements.

---

**4. Other Matters**

- A) These standalone financial statements incorporate the relevant returns of 754 branches including 2 foreign branches audited by the other auditors specially appointed for this purpose. These branches audited by other auditors cover 32.32% of advances, 32.66% of deposits and 25.46% of Non-performing assets as on 31st March 2023 and 20.30% /19.05% of revenue for the quarter ended 31st March, 2023/ for the year ended 31st March 2023. The financial statements/ information of these branches have been audited by the Statutory Branch Auditors whose reports have been furnished to us, and in our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of branches, are based solely on the report of such branch auditors.
- B) In conduct of our audit, we have taken note of the unaudited returns in respect of 2432 branches cover 23.09% of advances, 58.91% of deposits and 13.36% of Non- Performing assets as on 31st March, 2023 and 17.66%/18.06% of revenue for the quarter ended 31st March, 2023/ for the year ended 31st March 2023.

Our opinion is not modified in respect of this matter.

**Information other than the Standalone Financial Statements and Auditors' Report thereon**

5. The Bank's Board of Directors is responsible for the other information. The other information primarily comprises the information included in the Management Discussion and Analysis, Director's Report, Pillar 3 Disclosures under Basel III, Leverage Ratio, Liquidity Coverage Ratio, Corporate Governance and Shareholders Information but does not include the financial statements and our auditor's report thereon, which is expected to be made available to us after that date.

Our opinion on the standalone financial statements does not cover the other information and Pillar 3 disclosures under the Basel III disclosure and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the standalone financial statements, our responsibility is to read the other information identified above and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the standalone financial statements or our knowledge in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

If, based on the work we have performed on the other information that we obtained prior to the date of this auditors' report, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

When we read the other information, including annexures in annual report, if any, thereon, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance.

## **Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Standalone Financial Statements**

6. The Bank's Board of Directors is responsible with respect to the preparation of this standalone financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Bank in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards issued by ICAI, and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

## **Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements**

7. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements. As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:
- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
  - Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Bank's internal control.
  - Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
  - Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the bank to cease to continue as a going concern.
  - Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Materiality is the magnitude of misstatements in the standalone financial statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of standalone financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the standalone financial statements.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

### **Report on Other Legal and Regulatory Requirements**

8. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949;
9. Subject to the limitations of the audit indicated in above paragraphs and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, and subject also to the limitations of disclosure required therein as required by sub-section (3) of section 30 of the Banking Regulation, 1949, we report that:
  - a) We have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;
  - b) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank; and
  - c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.
10. We further report that:
  - a) in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purpose of our audit have been received from branches/offices not visited by us;
  - b) the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement dealt with by this report are in agreement with the books of account and with the returns received from the branches not visited by us;
  - c) the reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank as per the provisions under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report; and
  - d) In our opinion, the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI.
11. As required by letter No. DOS.ARG.No.6270/08.91.001/2019-20 dated March 17, 2020 on "Appointment of Statutory Central Auditors (SCAs) in Public Sector Banks - Reporting obligations for SCAs from FY 2019-20", read with subsequent communication dated May 19, 2020 issued by the RBI, we further report on the matters as specified in the aforesaid letter as under:
  - a) In our opinion, the aforesaid Financial Statements comply with the Accounting Standards issued by ICAI, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by the RBI.
  - b) There are no observations or comments on financial transactions or matters which have any adverse effect on the functioning of the bank.
  - c) On the basis of the written representations received from the directors as on March 31, 2023, none of the directors is disqualified as on March 31, 2023 from being appointed as a director in terms of sub-section (2) of Section 164 of the Companies Act, 2013.

- d) There are no qualifications, reservations or adverse remarks relating to the maintenance of accounts and other matters connected therewith.
- e) Our audit report on the operating effectiveness of the internal financial controls over financial reporting of the Bank is given in Annexure A to this report. Our report expresses an unmodified opinion on the operating effectiveness of internal financial controls over financial reporting of the Bank as at 31st March 2023.

**For KHANDELWAL KAKANI & CO**  
Chartered Accountants  
Registration No. 001311C

**(CA NIRANJAN PURANDARE)**  
Partner  
Membership No. 072684  
UDIN: 23072684BGWUZM7950

**For R GOPAL & ASSOCIATES**  
Chartered Accountants  
Registration No. 000846C

**(CA RAJENDRA PRASAD AGARWAL)**  
Partner  
Membership No. 051979  
UDIN: 23051979BGXFGM4164

**For S K AGRAWAL AND CO CHARTERED ACCOUNTANTS LLP**  
Chartered Accountants  
Registration No. 306033E/E300272

**(CA SANDEEP AGRAWAL)**  
Partner  
Membership No. 058553  
UDIN: 23058553BGYOGU2397

**For GHOSHAL & GHOSAL**  
Chartered Accountants  
Registration No. 304013E

**(CA SOMNATH BISWAS)**  
Partner  
Membership No. 064735  
UDIN: 23064735BGSLDU3419

स्थान/Place: कोलकाता /Kolkata  
दिनांक/Dated : 02-05-2023



# 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण

## CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2023

(000 को छोड़ दिया गया है)  
(000's omitted)

ब्योरे/Particulars	31.3.2023 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2023 ₹	31.3.2022 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2022 ₹
<b>अ. परिचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाह:</b>		
<b>A. Cash Flow from Operating Activities :</b>		
कर पूर्व निवल लाभ /Net Profit before taxes	29051125	17503654
<b>समायोजन/Adjustments for :</b>		
अचल आस्तियों पर अवक्षयण/ Depreciation on fixed assets	2175203	1649552
निवेश पर अवक्षयण/प्रावधान/Depreciation/Provision on investments	8305077	5204065
अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान/Provision for non-performing assets	12955704	38000598
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान/Provision for Standard Assets	586330	3379266
अन्य मदों के लिए प्रावधान/Provision for other items	7679969	(4799318)
अचल आस्तियों की बिक्री पर (लाभ)/ हानि/(Profit)/Loss on sale of fixed assets	(1656)	(5173)
गौण ऋण पर ब्याज के भुगतान/प्रावधान (इसे अलग माना गया)		
Interest paid on subordinated debt (treated separately)	2062909	2769807
अनुबंधित/अन्य से प्राप्त लाभांश/Dividend Received	(142856)	(94324)
<b>उप-योग/Sub-total</b>	<b>62671804</b>	<b>63608127</b>
घटाव : प्रदत्त प्रत्यक्ष कर/Less: Direct Tax Paid	0	0
	62671804	63608127
<b>समायोजन/Adjustments for :</b>		
निवेश में (वृद्धि)/कमी हेतु / (Increase)/Decrease in investments	8739497	(36112592)
अग्रिम में (वृद्धि)/कमी हेतु /(Increase)/Decrease in advances	(343813435)	(152299245)
अन्य आस्तियों में (वृद्धि)/कमी हेतु /(Increase)/Decrease in other assets	459723	19195368
उधार में (वृद्धि)/कमी हेतु /Increase/(Decrease) in borrowings	71204608	(5149280)
जमा में (वृद्धि)/कमी हेतु /Increase/(Decrease) in deposits	252648387	181535039
अन्य देनदारियों एवं प्रावधान में (वृद्धि)/कमी हेतु		
Increase/(Decrease) in other liabilities & provisions	(22081468)	(26790802)
<b>परिचालन कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह (अ)</b>	<b>29829116</b>	<b>43986615</b>
<b>Net Cash Flow from Operating Activities (A)</b>	<b>29829116</b>	<b>43986615</b>
<b>आ. निवेश कार्यकलापों से नकदी प्रवाह:</b>		
<b>B. Cash Flow from Investing Activities :</b>		
अचल आस्तियों की खरीद/Purchase of fixed assets	(2883376)	(2160186)
अचल आस्तियों की बिक्री/निपटान/Sale/disposal of fixed assets	67302	67731
प्राप्त लाभांश/Dividend Received	142856	94324
<b>निवेश क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह (आ)</b>	<b>(2673218)</b>	<b>(1998131)</b>
<b>Net Cash Flow from Investing Activities (B)</b>	<b>(2673218)</b>	<b>(1998131)</b>

**31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण (जारी)**  
**STATEMENT OF CASH FLOW FOR THE YEAR**  
**ENDED 31ST MARCH, 2023 (Contd.)**

(000' को छोड़ दिया गया है)  
(000's omitted)

ब्योरे/Particulars	31.3.2023 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2023	31.3.2022 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2022
	₹	₹
<b>इ. वित्तपोषण कार्यकलापों से नकदी प्रवाह/</b>		
<b>C. Cash Flow from Financing Activities :</b>		
ईक्विटी शेयरों का अधिमानी निर्गम/Preferential allotment of Equity Shares	0	20376177
ईक्विटी शेयरों के निर्गम पर शेयर प्रीमियम /Share Premium on issue of Equity Shares	0	5623823
भारत सरकार द्वारा दी गई पूँजी (शेयर एप्लिकेशन मुद्रा में रखा गया) Capital infusion by GOI (Kept in Share Application Money)	0	(26000000)
इएसपीएस आवेदन धन की राशि / Amount of ESPS Application Money		
एटी - 1 बॉन्ड को जारी करना / Issue of AT-1 Bonds	5000000	0
बासेल -III अनुपालित टियर-2 बॉण्ड जारी करना / Issue of Basel-III compliant Tier 2 Bonds	0	5000000
एटी - 1 बॉन्ड का भुगतान/Redemption of AT-1 Bonds	0	0
अपर टियर-2 बॉण्डों का मोचन/Redemption of Upper Tier-2 Bonds	(10000000)	(10000000)
गौण ऋण का भुगतान/Redemption of Subordinated Debts	0	0
नाबार्ड / सिडबी/एनएचबी से पुनर्वित्त प्राप्त/ को मोचन / Refinance from / Redemption to - NABARD/SIDBI/NHB	3724750	(8595601)
एटी -1 बॉन्ड पर भुगतान किया गया ब्याज / Interest paid on AT-1 Bonds	(19521)	0
अपर टियर - 2 ऋण योजनाओं पर भुगतान किया गया ब्याज Interest paid on Upper T-2 Debt Instruments	0	0
गौण ऋण पर दिया गया ब्याज/ Interest paid on subordinated debts	(2062909)	(2769807)
<b>वित्तपोषण कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह ( इ )</b>		
<b>Net Cash Flow from Financing Activities ( C )</b>	<b>(3357680)</b>	<b>(16365408)</b>
<b>नकदी और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि (अ+आ+इ)</b>		
<b>Net increase in Cash &amp; Cash Equivalents (A+B+C)</b>	<b>23798218</b>	<b>25623076</b>

सोमा शंकर प्रसाद

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

**SOMA SANKARA PRASAD**

Managing Director & CEO

श्री राजेन्द्र कुमार साबू

कार्यपालक निदेशक

**RAJENDRA KUMAR SABOO**

Executive Director

डॉ. संजय कुमार

निदेशक

**DR SANJAY KUMAR**

Director

राजेश कुमार

निदेशक

**RAJESH KUMAR**

Director

अर्जन तालुकदार

निदेशक

**ANJAN TALUKDAR**

Director

रवि कुमार अग्रवाल

निदेशक

**RAVI KUMAR AGRAWAL**

Director

के राजीवन नायर

निदेशक

**K RAJIVAN NAIR**

Director

सुजय दत्ता

उप महाप्रबंधक

**SUJOY DUTTA**

Dy. General Manager

शैलेश नवलखा

सहायक महाप्रबंधक

**SHELESH NAVLAKHA**

Asst. General Manager

स्थान/Place: कोलकाता /Kolkata

दिनांक/Dated : 02-05-2023

**31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण (जारी)**  
**STATEMENT OF CASH FLOW FOR THE YEAR**  
**ENDED 31ST MARCH, 2023 (Contd.)**

(000' को छोड़ दिया गया है)  
(000's omitted)

व्योरे/Particulars	31.3.2023 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2023 ₹	31.3.2022 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2022 ₹
विदेशी मुद्रा की घट-बढ़ के लिए समायोजन (ई)/ Adjustment for Foreign Exchange Fluctuation (D)	2002875	(145605)
नकदी और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि (अ+आ+इ+ई)/ <b>Net increase in Cash &amp; Cash Equivalents (A+B+C+D)</b>	<b>25801093</b>	<b>25477471</b>
क्रमशः 1 अप्रैल 2022 और 2021 की स्थिति के अनुसार नकदी एवं नकदी समतुल्य <b>Cash and Cash Equivalents as on April 1, 2022 &amp; 2021 respectively</b>	<b>261479910</b>	<b>236002439</b>
क्रमशः 31 मार्च 2023 और 2023 की स्थिति के अनुसार नकदी एवं नकदी समतुल्य <b>Cash and Cash Equivalents as on March 31, 2023 &amp; 2022 respectively</b>	<b>287281003</b>	<b>261479910</b>
<b>ई. वर्ष के आरंभ में नकदी और नकदी समतुल्य</b>		
<b>D Cash and Cash Equivalents at the beginning of the Year</b> हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोट एवं स्वर्ण सहित) Cash in Hand (including foreign currency notes and gold)	9167094	8096269
भारतीय रिजर्व बैंक में जमाराशियां/Balance with Reserve Bank of India	93708375	86357875
बैंकों में जमाराशियां तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि <b>Balance with Banks and Money at Call and Short Notice</b>	<b>158604441</b>	<b>141548295</b>
	261479910	236002439
<b>उ. वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य</b>		
<b>E Cash and Cash Equivalents at the end of the Year</b> हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोट एवं स्वर्ण सहित) Cash in Hand (including foreign currency notes and gold)	9142317	9167094
भारतीय रिजर्व बैंक में जमाराशियां/Balance with Reserve Bank of India	93857827	93708375
बैंकों में जमाराशियां तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि <b>Balance with Banks and Money at Call and Short Notice</b>	<b>184280859</b>	<b>158604441</b>
	<b>287281003</b>	<b>261479910</b>

कृते खंडेलवाल काकानी एंड कं.  
सनदी लेखाकार, पंजीकरण सं. 001311 सी  
**For KHANDELWAL KAKANI & CO**  
Chartered Accountants  
Registration No. 001311C

(सीए निरंजन पुरंदरे)  
भागीदार  
सदस्यता संख्या 072684  
**(CA NIRANJAN PURANDARE)**  
Partner  
Membership No. 072684

कृते एस के अग्रवाल एंड कं. चार्टर्ड एकाउंटेंट्स एलएलपी  
सनदी लेखाकार, पंजीकरण सं. 306033 ई/ ई300272  
**For S K AGRAWAL AND CO CHARTERED ACCOUNTANTS LLP**  
Chartered Accountants  
Registration No. 306033E/E300272

(सीए संदीप अग्रवाल)  
भागीदार  
सदस्यता संख्या 058553  
**(CA SANDEEP AGRAWAL)**  
Partner  
Membership No. 058553

कृते आर गोपाल एंड एसोसिएट्स  
सनदी लेखाकार, पंजीकरण सं. 000846 सी  
**For R GOPAL & ASSOCIATES**  
Chartered Accountants  
Registration No. 000846C

(सीए राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल)  
भागीदार  
सदस्यता संख्या 051979  
**(CA RAJENDRA PRASAD AGARWAL)**  
Partner  
Membership No. 051979

कृते घोषाल एंड घोषाल  
सनदी लेखाकार, पंजीकरण सं. 304013 ई  
**For GHOSHAL & GHOSAL**  
Chartered Accountants  
Registration No. 304013E

(सीए सोमनाथ विश्वास)  
भागीदार  
सदस्यता संख्या 064735  
**(CA SOMNATH BISWAS)**  
Partner  
Membership No. 064735

स्थान/Place: कोलकाता /Kolkata  
दिनांक/Dated : 02-05-2023

# 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलन-पत्र

## CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2023

(000' को छोड़ दिया गया है)  
(000's omitted)

पूंजी एवं देयताएं	अनुसूची	31.3.2023 की स्थिति	31.3.2022 की स्थिति
CAPITAL AND LIABILITIES	Schedule	As on 31.3.2023 ₹	As on 31.3.2022 ₹
पूंजी /Capital	1	11955 95 82	11955 95 82
शेयर में लगाई गई राशि Share Application Money		-	-
आरक्षित निधियां और अधिशेष Reserves & Surplus	2	13647 73 75	11512 78 22
जमा राशियां / Deposits	3	249337 73 70	224072 89 83
उधार Borrowings	4	20501 08 00	13508 14 42
अन्य देयताएं और प्रावधान Other Liabilities & Provisions	5	5259 66 36	6609 47 56
<b>योग /TOTAL</b>		<b>300702 17 63</b>	<b>267659 25 85</b>

कृते खंडेलवाल काकानी एंड कं.  
सनदी लेखाकार, पंजीकरण सं. 001311 सी  
**For KHANDELWAL KAKANI & CO**  
Chartered Accountants  
Registration No. 001311C

(सीए निरंजन पुरंदरे)  
भागीदार  
सदस्यता संख्या 072684  
**(CA NIRANJAN PURANDARE)**  
Partner  
Membership No. 072684

कृते एस के अग्रवाल एंड कं. चार्टर्ड एकाउंटेंट्स एलएलपी  
सनदी लेखाकार, पंजीकरण सं. 306033 ई/ई300272  
**For S K AGRAWAL AND CO CHARTERED ACCOUNTANTS LLP**  
Chartered Accountants  
Registration No. 306033E/E300272

(सीए संदीप अग्रवाल)  
भागीदार  
सदस्यता संख्या 058553  
**(CA SANDEEP AGRAWAL)**  
Partner  
Membership No. 058553

कृते आर गोपाल एंड एसोसिएट्स  
सनदी लेखाकार, पंजीकरण सं. 000846 सी  
**For R GOPAL & ASSOCIATES**  
Chartered Accountants  
Registration No. 000846C

(सीए राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल)  
भागीदार  
सदस्यता संख्या 051979  
**(CA RAJENDRA PRASAD AGARWAL)**  
Partner  
Membership No. 051979

कृते घोषाल एंड घोषाल  
सनदी लेखाकार, पंजीकरण सं. 304013 ई  
**For GHOSHAL & GHOSAL**  
Chartered Accountants  
Registration No. 304013E

(सीए सोमनाथ विश्वास)  
भागीदार  
सदस्यता संख्या 064735  
**(CA SOMNATH BISWAS)**  
Partner  
Membership No. 064735

स्थान/Place: कोलकाता /Kolkata  
दिनांक/Dated : 02-05-2023

# 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलन-पत्र (जारी)

## CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2023 (Contd.)

(000' को छोड़ दिया गया है)  
(000's omitted)

आस्तियां	अनुसूची	31.3.2023	31.3.2022
ASSETS	Schedule	की स्थिति As on 31.3.2023	की स्थिति As on 31.3.2022
		₹	₹
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक में अधिशेष			
Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	10300 01 44	10287 54 69
बैंकों में अधिशेष और मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि			
Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	7	18428 08 59	15860 44 41
निवेश/Investments	8	95008 53 50	96749 04 54
अग्रिम/Advances	9	155870 17 87	122784 40 56
अचल आस्तियां/Fixed Assets	10	3509 50 93	3334 92 12
अन्य आस्तियां/Other Assets	11	17585 85 30	18642 89 53
<b>योग /TOTAL</b>		<b>300702 17 63</b>	<b>267659 25 85</b>
आकस्मिक देयताएं/Contingent Liabilities	12	55597 63 27	142556 91 39
वसूली के लिए बिल/Bills for Collection	-	8184 42 76	8039 44 63

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के आनुसूचियां 1 से 18 लेखे के अभिन्न अंग हैं  
The Schedules 1 to 18 form an integral part of the accounts.  
As per our report of even date

**सोमा शंकर प्रसाद**

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

**SOMA SANKARA PRASAD**

Managing Director & CEO

**श्री राजेन्द्र कुमार साबू**

कार्यपालक निदेशक

**RAJENDRA KUMAR SABOO**

Executive Director

**डॉ. संजय कुमार**

निदेशक

**DR. SANJAY KUMAR**

Director

**राजेश कुमार**

निदेशक

**RAJESH KUMAR**

Director

**अजंन तालुकदार**

निदेशक

**ANJAN TALUKDAR**

Director

**रवि कुमार अग्रवाल**

निदेशक

**RAVI KUMAR AGRAWAL**

Director

**के राजीवन नायर**

निदेशक

**K RAJIVAN NAIR**

Director

**सुजय दत्ता**

उप महाप्रबंधक

**SUJOY DUTTA**

Dy. General Manager

**शैलेश नवलखा**

सहायक महाप्रबंधक

**SHELESH NAVLAKHA**

Asst. General Manager

स्थान/Place: कोलकाता /Kolkata

दिनांक/Dated : 02-05-2023

# 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ और हानि लेखा

## CONSOLIDATED PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2023

(000' को छोड़ दिया गया है)  
(000's omitted)

अनुसूची Schedule	31.3.2023 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.3.2023 ₹	31.3.2022 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.3.2022 ₹
<b>I. आय/INCOME</b>		
अर्जित ब्याज / Interest Earned	13	17650 51 83
अन्य आय /Other Income	14	2508 45 81
<b>योग/TOTAL</b>	<b>20158 97 64</b>	<b>18082 14 57</b>
<b>II. व्यय/EXPENDITURE</b>		
व्यय किया गया ब्याज / Interest Expended	15	10307 39 33
परिचालन व्यय / Operating Expenses	16	5510 91 50
प्रावधान और आकस्मिक व्यय / Provisions & Contingencies		2478 33 05
<b>योग/TOTAL</b>	<b>18296 63 88</b>	<b>17152 38 23</b>
<b>III. लाभ/हानि/PROFIT / LOSS</b>		
सहयोगी में लाभ/हानि का हिस्सा/Share of earnings / loss in Associates	- 36 05 30	- 34 84 25
वर्ष का निवल लाभ/(हानि)/Net Profit/(Loss) for the Year	1862 33 76	929 76 34
निवल लाभ/(हानि) पिछला अग्रानीत/Net Profit/(Loss) Brought Forward	- 28 04 10	- 89 91 47
<b>योग/TOTAL</b>	<b>1798 24 36</b>	<b>805 00 62</b>

कृते खंडेलवाल काकानी एंड कं.  
सनदी लेखाकार, पंजीकरण सं. 001311 सी  
**For KHANDELWAL KAKANI & CO**  
Chartered Accountants  
Registration No. 001311C

(सीए निरंजन पुरंदरे)  
भागीदार  
सदस्यता संख्या 072684  
**(CA NIRANJAN PURANDARE)**  
Partner  
Membership No. 072684

कृते एस के अग्रवाल एंड कं. चार्टर्ड एकाउंटेंट्स एलएलपी  
सनदी लेखाकार, पंजीकरण सं. 306033 ई/ ई300272  
**For S K AGRAWAL AND CO CHARTERED ACCOUNTANTS LLP**  
Chartered Accountants  
Registration No. 306033E/E300272

(सीए संदीप अग्रवाल)  
भागीदार  
सदस्यता संख्या 058553  
**(CA SANDEEP AGRAWAL)**  
Partner  
Membership No. 058553

कृते आर गोपाल एंड एसोसिएट्स  
सनदी लेखाकार, पंजीकरण सं. 000846 सी  
**For R GOPAL & ASSOCIATES**  
Chartered Accountants  
Registration No. 000846C

(सीए राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल)  
भागीदार  
सदस्यता संख्या 051979  
**(CA RAJENDRA PRASAD AGARWAL)**  
Partner  
Membership No. 051979

कृते घोषाल एंड घोषाल  
सनदी लेखाकार, पंजीकरण सं. 304013 ई  
**For GHOSHAL & GHOSAL**  
Chartered Accountants  
Registration No. 304013E

(सीए सोमनाथ बिश्वास)  
भागीदार  
सदस्यता संख्या 064735  
**(CA SOMNATH BISWAS)**  
Partner  
Membership No. 064735

स्थान/Place: कोलकाता /Kolkata  
दिनांक/Dated : 02-05-2023

## 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ और हानि लेखा (जारी)

### CONSOLIDATED PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2023 (CONTD.)

(000' को छोड़ दिया गया है)  
(000's omitted)

अनुसूची	31.3.2023	31.3.2022
Schedule	Year Ended 31.3.2023	Year Ended 31.3.2022
	₹	₹
<b>IV. विनियोजन/APPROPRIATIONS</b>		
सांविधिक आरक्षित निधियों में अंतरण / Transfer to Statutory Reserves	4655844	2324408
पूंजी आरक्षित निधियों में अंतरण / Transfer to Capital Reserves	181665	412990
निवेश अस्थिरता आरक्षित में अंतरण / Transfer to Investment Fluctuation Reserves	-1432700	5593074
प्रस्तावित लाभांश / Proposed Dividend		
शेषराशि तुलनपत्र में आगे लाई गई		
Balance Carried over to Balance Sheet	1457 76 27	- 28 04 10
<b>योग /TOTAL</b>	<b>1798 24 36</b>	<b>805 00 62</b>
मुख्य लेखा नीतियां / Principal Accounting Policies	17	
लेखों पर टिप्पणी / Notes on Accounts	18	
मूल एवं न्युनीकृत ईपीएस (₹) / Basic & Diluted EPS (₹)	₹ 1.53	₹ 0.77
हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार अनुसूची 1 से 18 लेख के अभिन्न अंग हैं The Schedules 1 to 18 form an integral part of the accounts As per our Report of even date		

सोमा शंकर प्रसाद  
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ  
**SOMA SANKARA PRASAD**  
Managing Director & CEO

श्री राजेन्द्र कुमार सावू  
कार्यपालक निदेशक  
**RAJENDRA KUMAR SABOO**  
Executive Director

डॉ. संजय कुमार  
निदेशक  
**DR. SANJAY KUMAR**  
Director

राजेश कुमार  
निदेशक  
**RAJESH KUMAR**  
Director

अर्जन तालुकदार  
निदेशक  
**ANJAN TALUKDAR**  
Director

रवि कुमार अग्रवाल  
निदेशक  
**RAVI KUMAR AGRAWAL**  
Director

के राजीवन नायर  
निदेशक  
**K RAJIVAN NAIR**  
Director

सुजय दत्ता  
उप महाप्रबंधक  
**SUJOY DUTTA**  
Dy. General Manager

शैलेश नवलखा  
सहायक महाप्रबंधक  
**SHELESH NAVLAKHA**  
Asst. General Manager

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलन-पत्र  
**CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2023**

**अनुसूची 1 — पूंजी**  
**Schedule 1 — CAPITAL**

(000' को छोड़ दिया गया है)  
 (000's omitted)

	31.3.2023 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2023 ₹	31.3.2022 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2022 ₹
<b>प्राधिकृत पूंजी/Authorised Capital</b>		
प्रत्येक ₹ 10/- के 1500,00,00,000 (1500.00,00,000) ईक्विटी शेयर 1500,00,00,000 (1500,00,00,000) Equity Shares of ₹ 10/- each	15000 00 00	15000 00 00
	<b><u>15000 00 00</u></b>	<b><u>15000 00 00</u></b>
<b>निर्गमित, अभिदत्त व प्रदत्त पूंजी</b> <b>Subscribed, Issued and Paid up Capital</b>		
प्रत्येक ₹ 10/- के 11195,59,58,176 (1195,59,58,176) ईक्विटी शेयर 11195,59,58,176 (1195,59,58,176) Equity Shares of ₹ 10/- each [केन्द्र सरकार द्वारा धारित 1140,49,10,524 (1140,49,10,524) शेयर इसमें शामिल हैं] [includes 1140,49,10,524 (1140,49,10,524) shares held by Central Govt.]	11955 95 82	11955 95 82
<b>योग /TOTAL</b>	<b>11955 95 82</b>	<b>11955 95 82</b>



31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलन-पत्र  
**CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2023**

**अनुसूची 2 – आरक्षित निधियां और अधिशेष**  
**Schedule 2 – RESERVES & SURPLUS**

(000' को छोड़ दिया गया है)  
(000's omitted)

	31.3.2023 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2023		31.3.2022 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2022	
	₹	₹	₹	₹
<b>I. सांविधिक आरक्षित निधियां/Statutory Reserve:</b>				
प्रारंभिक शेष/Opening Balance	2530 11 10		2297 67 02	
वर्ष के दौरान परिवर्धन / कटौती				
Addition / Deduction during the year	<u>465 58 44</u>		<u>232 44 08</u>	
		2995 65 54		2530 11 10
<b>II. पूंजी आरक्षित निधियां/Capital Reserve :</b>				
क) पूंजीगत प्राप्ति/ a) Capital Gain				
अंतिम लेखे के अनुसार शेष				
Balance as per last account		1 17 00		1 17 00
ख/ब)निवेश/Investment :				
प्रारंभिक शेष/Opening Balance	925 71 44		884 41 54	
लाभ और हानि लेखे से अंतरण/				
Transfer from Profit and Loss Account	<u>18 16 65</u>		<u>41 29 90</u>	
	934 88 09		925 71 44	
		943 88 09		925 71 44
ग) अचल आस्तियों का पुनर्मूल्यन :				
क) Revaluation of Fixed Assets :				
प्रारंभिक शेष/Opening Balance	2732 19 30		2691 44 21	
वर्ष के दौरान परिवर्धन				
Addition during the year	<u>95 35 80</u>		<u>69 19 92</u>	
वर्ष के दौरान कटौती/	2827 55 10		2760 64 13	
Deduction during the year	<u>24 25 21</u>		<u>28 44 83</u>	
		2803 29 89		2732 19 30
<b>III. शेयर प्रीमियम/ Share Premium</b>				
प्रारंभिक शेष/ Opening Balance	3625 71 03		15720 36 07	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/				
Addition during the year	<u>3625 71 03</u>		<u>562 38 23</u>	
			16282 74 30	
वर्ष के दौरान कटौती/				
Deduction during the year			<u>12657 03 27</u>	
		3625 71 03		3625 71 03
<b>IV. राजस्व एवं अन्य आरक्षित निधियां/ Revenue &amp; Other Reserves</b>				
क/अ) सामान्य आरक्षित निधि/ General Reserve :				
प्रारंभिक शेष/ Opening Balance	545 71 75		601 82 72	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/ Addition during the year	<u>116 24 95</u>		<u>28 27 03</u>	
	661 96 70		630 09 75	
वर्ष के दौरान कटौती/				
Deduction during the year			<u>84 38 00</u>	
		661 96 70		545 71 75

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलन-पत्र  
**CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2023**

अनुसूची 2 — आरक्षित निधियां और अधिशेष (जारी)  
**Schedule 2 — RESERVES & SURPLUS (Contd.)**

(000' को छोड़ दिया गया है)  
 (000's omitted)

	31.3.2023 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2023		31.3.2022 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2022	
	₹	₹	₹	₹
ख) विदेशी मुद्रा अंतरण आरक्षित निधि/ b) Foreign Currency Translation Reserve				
प्रारंभिक शेष/Opening Balance	615 73 18		543 05 21	
जोड़ें : विनिमय उचंच लेखे में अंतरण/ Add: Transfer to/from Exchange Suspense				
वर्ष के दौरान परिवर्धन/ Addition during the year	<u>121 31 52</u>		<u>72 67 97</u>	
	737 04 70		615 73 18	
वर्ष के दौरान कटौती/ Deduction during the year			<u>23 01 18</u>	
		737 04 70		615 73 18
ग) निवेश आरक्षित निधि c) Investment Reserve				
प्रारंभिक शेष/Opening Balance	5 16 79		5 16 79	
लाभ और हानि लेखे से अंतरण/ Transfer to Profit and Loss Account				
		5 16 79		5 16 79
d) निवेश अस्थिरता आरक्षित/ Investment Fluctuation Reserve				
प्रारंभिक शेष/Opening Balance	559 30 74			
वर्ष के दौरान परिवर्धन/कटौती Addition/deduction during the year	<u>-143 27 00</u>		<u>559 30 74</u>	
		416 03 74		559 30 74
V. लाभ-शेष/Balance of Profit				
प्रारंभिक शेष/Opening Balance	(-) 28 04 11		(-)12746 94 74	
लाभ और हानि लेखे से अंतरण/ Transfer from Profit and Loss Account	<u>1485 80 38</u>		<u>12718 90 63</u>	
		1457 76 27		(-)28 04 11
<b>कुल/TOTAL(I to V)</b>		<b>13647 73 75</b>		<b>11512 78 22</b>

# 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलन-पत्र CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2023

## अनुसूची 3 — जमाराशियां/Schedule 3 — DEPOSITS

(000' को छोड़ दिया गया है)  
(000's omitted)

	31.3.2023 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2023 ₹	31.3.2022 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2022 ₹
<b>अ/A. I. मांग जमाराशियां/Demand Deposits</b>		
i) बैंकों से/From Banks	180 22 27	230 84 61
ii) अन्य से/From Others	10447 98 78	10938 29 46
<b>II. बचत बैंक जमाराशियां/Savings Bank Deposits</b>	81095 91 94	77161 76 43
<b>III. मीयादी जमाराशियां/Term Deposits</b>		
i) बैंकों से/From Banks	5827 65 30	4424 24 84
ii) अन्य से/From Others	151785 95 41	131317 74 49
<b>योग/TOTAL(I, II &amp; III)</b>	<b>249337 73 70</b>	<b>224072 89 83</b>
<b>आ/B. i) भारत में शाखाओं की जमाराशियां/ Deposits of Branches in India</b>	240740 70 83	217719 68 72
ii) भारत के बाहर की शाखाओं की जमाराशियां/ Deposits of Branches outside India	8597 02 87	6353 21 11
<b>योग/TOTAL (i &amp; ii)</b>	<b>249337 73 70</b>	<b>224072 89 83</b>

## अनुसूची 4 — उधार Schedule 4 — BORROWINGS

(000 को छोड़ दिया गया है)  
(000's omitted)

	31.3.2023 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2023 ₹	31.3.2022 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2022 ₹
<b>I. भारत में उधार/Borrowings in India</b>		
i) भारतीय रिजर्व बैंक/Reserve Bank of India		
ii) अन्य बैंक/Other Banks	14231 84 39	6912 40 00
iii) * अन्य संस्थाएं और अभिकरण * Other Institutions and Agencies	5983 01 63	5903 25 70
<b>II. भारत के बाहर उधार/Borrowings outside India</b>	286 21 98	692 48 72
<b>योग (I एवं II) TOTAL (I &amp; II)</b>	<b>20501 08 00</b>	<b>13508 14 42</b>
ऊपर I और II में शामिल प्रतिभूत उधार/ Secured borrowings included in I & II above	18214 86 03	10315 53 30
*इसमें शामिल है/* Includes		
सिडबी पुनर्वित्त/SIDBI Refinance	1526 02 00	939 71 00
नाबार्ड पुनर्वित्त/NABARD Refinance	1 11	2 61
एनएचबी पुनर्वित्त/NHB Refinance		
मुद्रा पुनर्वित्त/MUDRA Refinance	157 10 00	370 92 00
गौण ऋण/Subordinated Debt		1000 00 00
अपर टियर II बॉण्ड/Upper Tier II Bond		
बासेल III कंप्लायंट टीयर - II बॉण्ड Basel-III Compliant Tier-II Bonds	1500 00 00	1500 00 00
सीबीएलओ/CBLO	2299 88 53	2092 60 09
एटि-1/AT - 1	500 00 00	

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलन-पत्र  
**CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2023**

**अनुसूची 5 — अन्य देयताएं और प्रावधान**  
**Schedule 5 — OTHER LIABILITIES & PROVISIONS**

(000' को छोड़ दिया गया है)  
(000's omitted)

	31.3.2023 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2023 ₹	31.3.2022 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2022 ₹
I. संदेय बिल/Bills Payable	539 30 89	607 71 60
II. अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)/ Inter Office Adjustments (Net)	154 68 88	379 17 87
III. प्रोद्भूत ब्याज/Interest Accrued	893 06 07	627 96 31
IV. अन्य (इसमें प्रावधान शामिल हैं)/ Others (including provisions)*	3672 60 52	4994 61 78
<b>योग /TOTAL</b>	<b>5259 66 36</b>	<b>6609 47 56</b>
*इसमें शामिल हैं /* Includes मानक आस्तियों के एवज में प्रावधान/Provision on Standard Assets	884 02 64	818 05 87

**अनुसूची 6 — भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और अतिशेष**  
**Schedule 6 — CASH & BALANCES**  
**WITH RESERVE BANK OF INDIA**

(000 को छोड़ दिया गया है)  
(000's omitted)

	31.3.2023 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2023 ₹	31.3.2022 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2022 ₹
I. हाथ-नकदी (इसमें विदेशी करेंसी नोट सम्मिलित हैं)/ Cash in hand (including Foreign Currency Notes)	914 23 17	916 70 94
II. भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाशेष/ Balances with Reserve Bank of India		
i) चालू खाते में/In Current Account	9364 29 88	9280 44 69
ii) अन्य खातों में/In Other Accounts	21 48 39	90 39 06
<b>योग (I एवं II)/TOTAL(I &amp; II)</b>	<b>10300 01 44</b>	<b>10287 54 69</b>

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलन-पत्र  
**CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2023**

अनुसूची 7 — बैंकों में जमाशेष और मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि  
**Schedule 7 — BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE**

(000' को छोड़ दिया गया है)  
 (000's omitted)

	31.3.2023 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2023 ₹	31.3.2022 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2022 ₹
<b>I. भारत में/In India</b>		
i) बैंकों में जमाशेष/Balances with Banks		
क) चालू खातों में		
a) In Current Accounts	2 73 83	10 75 36
ख) अन्य जमा खातों में		
b) In Other Deposit Accounts	13647 27 45	6691 82 19
ii) मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि Money at Call and Short Notice		
क) बैंकों के पास		
a) With Banks		5300 00 00
ख) अन्य संस्थाओं के पास		
b) With Other Institutions		128 20 88
<b>योग / TOTAL</b>	<b><u>13650 01 28</u></b>	<b><u>12130 78 43</u></b>
<b>II. भारत के बाहर/ Outside India</b>		
i) चालू खातों में/In Current Accounts	183 27 70	184 74 87
ii) अन्य जमा खातों में/In Other Deposit Accounts	3936 13 32	3217 40 66
iii) मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि Money at Call and Short Notice	658 66 29	327 50 45
<b>योग /TOTAL</b>	<b><u>4778 07 31</u></b>	<b><u>3729 65 98</u></b>
<b>कुल योग (I एवं II)/GRAND TOTAL (I&amp;II)</b>	<b>18428 08 59</b>	<b>15860 44 41</b>

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलन-पत्र  
**CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2023**  
**अनुसूची 8 – निवेश/ Schedule 8 – INVESTMENTS**

(000' को छोड़ दिया गया है)  
(000's omitted)

	31.3.2023 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2023 ₹	31.3.2022 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2022 ₹
<b>I. भारत में निम्नलिखित में निवेश/ Investments in India in</b>		
i) सरकारी प्रतिभूतियां/Government Securities	67080 45 32	68979 71 13
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां/ Other Approved Securities	-	-
iii) शेयर/Shares	337 36 47	413 11 52
iv) डिबेंचर और बंधपत्र/Debentures and Bonds	23622 80 64	24457 89 67
v) अनुषंगी और/या संयुक्त उद्यम/एसोशिएट्स* Investment in Associates*	37 74 67	73 79 97
vi) अन्य (इंदिरा विकास पत्र, म्यूचुअल फंड, अन्य / Others	956 29 18	598 72 55
<b>योग/TOTAL</b>	<b>92034 66 28</b>	<b>94523 24 84</b>
<b>II. भारत के बाहर निम्नलिखित में निवेश/ Investments outside India in</b>		
i) सरकारी प्रतिभूतियां (इनमें स्थानीय प्राधिकरण शामिल हैं)/ Government Securities (including Local Authorities)	2973 87 22	2225 79 70
ii) अन्य निवेश / Other Investments		
क/a) शेयर/Shares	-	-
ख/b) डिबेंचर/Debentures	-	-
ग/c) अन्य/Others	-	-
<b>योग/TOTAL</b>	<b>2973 87 22</b>	<b>2225 79 70</b>
<b>कुल योग(I एवं II)*/GRAND TOTAL(I &amp; II)**</b>	<b>95008 53 50</b>	<b>96749 04 54</b>

\*\*निवेशों पर मूल्यहास/अनर्जक निवेशों हेतु प्रावधान /

\*\* Net of provision for Depreciation on Investments & provision for Non-Performing Investments

निवेश INVESTMENTS	31.3.2023 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2023			31.3.2022 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2022		
	सकल मूल्य Gross Value ₹	प्रावधान # Provision # ₹	निवल मूल्य Net Value ₹	सकल मूल्य Gross Value ₹	प्रावधान # Provision # ₹	निवल मूल्य Net Value ₹
I. भारत में/ In India	94531 70 22	2497 03 94	92034 66 28	96693 00 48	2169 75 64	94523 24 84
II. भारत के बाहर Outside India	2976 01 41	2 14 19	2973 87 22	2227 60 41	1 80 71	2225 79 70
<b>योग/TOTAL</b>	<b>97507 71 63</b>	<b>2499 18 13</b>	<b>95008 53 50</b>	<b>98920 60 89</b>	<b>2171 56 35</b>	<b>96749 04 54</b>

# निवेश पर मूल्यहास/अनर्जक आस्ति निवेशों के लिए प्रावधान/ # Provision for Depreciation on Investment & Provision for Non-Performing Investments.

*Investment in Associates	₹ '000	₹ '000
<b>Total Investment/ Cost of Investment in Associates</b>	<b>198 55 69</b>	<b>198 55 69</b>
Add: Post-acquisition profit/(Loss) and Reserve of Associates (Equity method)	-160 81 02	-124 75 72
<b>योग/Total</b>	<b>37 74 67</b>	<b>73 79 97</b>

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलन-पत्र  
**CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2023**  
**अनुसूची 9 – अग्रिम**  
**Schedule 9 – ADVANCES**

(000' को छोड़ दिया गया है)  
(000's omitted)

	31.3.2023 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2023 ₹	31.3.2022 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2022 ₹
अ/A. (i) खरीदे और भुनाए गए बिल/ Bills Purchased and Discounted	8995 29 25	4209 82 71
(ii) नकदी ऋण, ओवरड्राफ्ट और मांग पर देय ऋण / Cash Credits, Overdrafts and Loans repayable on demand	62667 06 92	55713 41 21
(iii) मीयादी ऋण/Term Loans	84207 81 70	62861 16 64
<b>योग/TOTAL</b>	<b>155870 17 87</b>	<b>122784 40 56</b>
आ/B. (i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत/ (बही ऋण के एवज में अग्रिम सहित)/ Secured by Tangible Assets (includes advances against book debts)	116942 89 14	97728 30 59
(ii) बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा संरक्षित/ Covered by Bank/Govt. Guarantees	5460 47 35	1629 66 54
(iii) अप्रतिभूत/Unsecured	33466 81 38	23426 43 43
<b>योग/TOTAL</b>	<b>155870 17 87</b>	<b>122784 40 56</b>
इ/C. I. भारत में अग्रिम/Advances in India -		
(i) प्राथमिकता क्षेत्र/Priority Sectors	61429 58 23	52363 02 46
(ii) सार्वजनिक क्षेत्र/Public Sectors	23829 18 24	20046 47 96
(iii) बैंक/Banks	3256 84 02	2052 29 04
(iv) अन्य/Others	45718 43 83	34803 86 87
<b>योग/TOTAL</b>	<b>134234 04 32</b>	<b>109265 66 33</b>
II. भारत के बाहर अग्रिम/Advances outside India -		
(i) बैंकों से प्राप्त/Due from Banks	-	-
(ii) अन्य से प्राप्त/Due from Others		
(क) खरीदे और भुनाए गए बिल (a) Bills Purchased and Discounted	4492 95 13	2034 78 76
(ख) सामूहिक उधार (b) Syndicated loans	15405 98 28	11370 43 26
(ग) अन्य (c) Others	1737 20 14	113 52 21
<b>योग/TOTAL</b>	<b>21636 13 55</b>	<b>13518 74 23</b>
<b>कुल योग (इ-I एवं इ-II)/GRAND TOTAL (C.I &amp; C.II)</b>	<b>155870 17 87</b>	<b>122784 40 56</b>

**31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलन-पत्र**  
**CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2023**  
**अनुसूची 10 — अचल आस्तियां/Schedule 10 — FIXED ASSETS**

(000' को छोड़ दिया गया है)  
(000's omitted)

	31.3.2023 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2023 ₹	31.3.2022 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2022 ₹
<b>I. परिसर/ Premises</b>		
पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर At cost as on 31st March of the preceding year	322 89 64	309 17 35
वर्ष के अंत में प्रचलित दरों पर विदेश स्थित शाखाओं से संबंधित आंकड़ों में परिवर्तन के कारण समायोजन Adjustment on account of conversion of figures relating to Foreign branches at rates as at year end	14 85 55	4 17 54
	<u>337 75 19</u>	<u>313 34 89</u>
वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन Additions/adjustments during the year	5 98 52	9 55 90
	<u>343 73 71</u>	<u>322 90 79</u>
वर्ष के दौरान कटौती/Deduction during the year	21 14	1 15
	<u>343 52 57</u>	<u>322 89 64</u>
आज की तारीख तक पुनर्मूल्यन के कारण परिवर्धन-पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि Additions to date on account of revaluation credited to Revaluation Reserve	3026 88 68	2935 28 52
	<u>3370 41 25</u>	<u>3258 18 16</u>
निपटान हेतु धारित आस्तियों में अंतरण Transferred to Assets Held for Disposal	-	-
	<u>3370 41 25</u>	<u>3258 18 16</u>
अद्यतन मूल्यहास/Depreciation to date	340 88 06	306 90 24
<b>योग/ TOTAL</b>	<u>3029 53 19</u>	<u>2951 27 92</u>
<b>II. अन्य अचल आस्तियां (इनमें फर्नीचर और फिक्सचर शामिल हैं)</b>		
पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर Other Fixed Assets (including Furniture & Fixtures) At cost as on 31st March of the preceding year	2171 94 41	1950 30 32
वर्ष के अंत की स्थिति के अनुसार प्रचलित दरों पर विदेश स्थित शाखाओं से संबंधित आंकड़ों में परिवर्तन के कारण समायोजन Adjustment on account of conversion of figures relating to Foreign branches at rates as at year end	7 93 99	2 22 72
	<u>2179 88 40</u>	<u>1952 53 04</u>
वर्ष के दौरान परिवर्धन/Additions during the year	265 16 82	225 65 80
	<u>2445 05 22</u>	<u>2178 18 84</u>
वर्ष के दौरान कटौती/Deductions during the year	6 35 32	6 24 43
	<u>2438 69 90</u>	<u>2171 94 41</u>
अद्यतन मूल्यहास/Depreciation to date	2023 73 50	1836 13 13
<b>योग/ TOTAL</b>	<u>414 96 40</u>	<u>335 81 28</u>
<b>III. निपटान हेतु धारित आस्तियां/Assets Held for Disposal</b>		
निवल बही मूल्य या निवल वसूली योग्य मूल्य पर, इनमें से जो भी कम हो At Net Book Value or Net Realisable Value whichever is less		
अ/A. परिसर/Premises	-	-
आ/B. अन्य अचल आस्तियां/Other Fixed Assets	-	-
<b>योग/TOTAL</b>	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>IV. चालू पूंजी संकर्म/Capital Work in Progress</b>	65 01 34	47 82 92
<b>योग/TOTAL</b>	<u>65 01 34</u>	<u>47 82 92</u>
<b>कुल योग (I,II और III+IV)/GRAND TOTAL (I,II &amp; III+IV)</b>	<b>3509 50 93</b>	<b>3334 92 12</b>



## 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलन-पत्र CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2023

### अनुसूची 11 — अन्य आस्तियां Schedule 11— OTHER ASSETS

(000' को छोड़ दिया गया है)  
(000's omitted)

	31.3.2023 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2023 ₹	31.3.2022 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2022 ₹
I. अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)/ Inter-Office Adjustments (Net)	-	-
II. प्रोद्भूत ब्याज/Interest Accrued	1981 20 74	1605 23 04
III. अग्रिम रूप से संदत्त कर/स्रोत पर काटा गया कर Tax paid in advance/Tax deducted at source	93 41 01	50 49 31
IV. लेखन सामग्री और स्टॉप/Stationery and Stamps	5 74 90	5 84 09
V. दावों की तुष्टि में प्राप्त की गई गैर-बैंककारी आस्तियां Non-Banking Assets acquired in satisfaction of claims	-	-
VI. आस्थगित कर आस्तियां/Deferred Tax Assets	8209 11 00	9220 18 00
VII. अन्य/Others	7296 37 65	7761 15 09
<b>योग/TOTAL</b>	<b>17585 85 30</b>	<b>18642 89 53</b>

### अनुसूची 12 — आकस्मिक देयताएं Schedule 12 — CONTINGENT LIABILITIES

(000' को छोड़ दिया गया है)  
(000's omitted)

	31.3.2023 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2023 ₹	31.3.2022 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2022 ₹
I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है Claims Against the Bank not Acknowledged as Debts	199 32 82	202 84 56
II. अंशतः प्रदत्त निवेशों के लिए देयता Liability for partly paid investments	3 26 55	3 11 50
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं की बाबत देयता Liability on account of outstanding Forward Exchange Contracts	36191 75 20	128136 14 88
IV. ग्राहकों की ओर से दी गई गारंटियां/ Guarantees Given on behalf of Constituents - क) भारत में A) In India	5067 35 27	4266 60 16
ख) भारत के बाहर B) Outside India	13 46 33	57 10 32
V. स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व Acceptances, Endorsements and other Obligations	4929 64 05	4091 04 64
VI. अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है Other Items for which the bank is contingently liable #	9192 83 05	5800 05 33
<b>योग/ TOTAL</b>	<b>55597 63 27</b>	<b>142556 91 39</b>
# इसमें आईआरएस शामिल हैं/ Includes IRS	6852 53 05	3340 78 65

**31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ और हानि लेखा**  
**CONSOLIDATED PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED**  
**31ST MARCH, 2023**

**अनुसूची 13 — अर्जित ब्याज / Schedule 13 — INTEREST EARNED**

(000' को छोड़ दिया गया है)/(000's omitted)

	31.3.2023 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2023 ₹	31.3.2022 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2022 ₹
I. ब्याज/अग्रिमों पर बट्टा/बिल/Interest/Discount on Advances/Bills	10343 49 93	8321 69 65
II. निवेशों पर आय/Income on Investments	6223 22 32	6020 42 89
III. भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमाशेष और अन्य अंतर-बैंक निधियों पर ब्याज Interest on Balances with Reserve Bank of India and other Inter-Bank Funds	902 00 40	405 76 09
IV. अन्य/Others	181 79 18	233 45 25
<b>योग/TOTAL</b>	<b>17650 51 83</b>	<b>14981 33 88</b>

**अनुसूची 14 — अन्य आय**  
**Schedule 14 — OTHER INCOME**

(000' को छोड़ दिया गया है)/(000's omitted)

	31.3.2023 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2023 ₹	31.3.2022 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2022 ₹
I. कमीशन, विनिमय और दलाली (निवल) Commission, Exchange and Brokerage (Net)	228 56 78	189 71 84
II. निवेशों की बिक्री से लाभ Profit on Sale of Investments घटाएं : निवेशों की बिक्री से हानि Less: Loss on Sale of Investments	192 36 82 24 68	564 75 91 5 45 17
III. निवेशों की पुनर्मूल्यांकन से लाभ Profit on Revaluation of Investments घटाएं : निवेशों की पुनर्मूल्यांकन से हानि Less: Loss on Revaluation of Investments	157 41 38 663 49 61	140 78 46 454 46 75
IV. भूमि, भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री से लाभ Profit on Sale of Land, Buildings and Other Assets घटाएं : भूमि, भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री से हानि Less: Loss on Sale of Land, Buildings and Other Assets	89 98 73 42	75 38 23 65
V. विदेशी मुद्रा संव्यवहारों पर लाभ Profit on Exchange Transactions घटाएं : विदेशी मुद्रा संव्यवहारों पर हानि Less: Loss on Exchange Transactions	190 22 34 6 81 03	316 43 73 74 51
VI. भारत/विदेश में स्थापित अनुषंगियों/कंपनियों और/या संयुक्त उद्यमों से लाभांश आदि के रूप में अर्जित आय Income earned by way of Dividends, etc. from Subsidiaries/Companies and/or Joint Ventures abroad/in India	14 28 56	9 43 24
VII. विविध आय/ Miscellaneous Income #	2395 98 69	2339 82 21
<b>योग/TOTAL</b>	<b>2508 45 81</b>	<b>3100 80 69</b>
# इसमें राइट ऑफ अकाउंट्स की रिकवरी शामिल हैं / # Includes Recovery in Written Off Accounts	1624 39 90	1546 21 80

**31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ और हानि लेखा**  
**CONSOLIDATED PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST**  
**MARCH, 2023**  
**अनुसूची 15 — व्यय किया गया ब्याज**  
**Schedule 15 — INTEREST EXPENDED**

(000' को छोड़ दिया गया है)/(000's omitted)

	31.3.2023 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2023 ₹	31.3.2022 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2022 ₹
I. जमाराशियों पर ब्याज/Interest on Deposits	9416 65 44	8098 23 16
II. भारतीय रिजर्व बैंक/अंतर-बैंक उधारों पर ब्याज Interest on Reserve Bank of India/Inter-Bank Borrowings	543 92 43	11 59 51
III. अन्य/Others	346 81 46	398 56 28
<b>योग/TOTAL</b>	<b>10307 39 33</b>	<b>8508 38 95</b>

**अनुसूची 16 — परिचालन व्यय**  
**Schedule 16 — OPERATING EXPENSES**

(000' को छोड़ दिया गया है)/(000's omitted)

	31.3.2023 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2023 ₹	31.3.2022 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2022 ₹
I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान Payments to and provisions for employees	3872 74 21	3314 31 05
II. किराया, कर और बिजली/Rent, Taxes and Lighting	293 91 46	267 52 62
III. मुद्रण और लेखन-सामग्री/Printing & Stationery	29 37 55	21 39 74
IV. विज्ञापन और प्रचार/Advertisement and Publicity	8 63 94	6 31 52
V. बैंक की संपत्ति पर मूल्यहास/ Depreciation on Bank's Property	217 52 03	164 95 52
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय/ Directors' fees, allowances and expenses	1 53 79	1 28 62
VII. लेखापरीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा-लेखापरीक्षकों सहित)/ Auditors' fees and expenses (Including Branch Auditors)	41 83 20	37 75 30
VIII. विधि प्रभार/Law Charges	3 20 14	3 18 30
IX. डाक महसूल, तार, टेलीफोन आदि/ Postages, Telegrams, Telephones, etc.	13 81 12	14 63 07
X. मरम्मत और अनुरक्षण/Repairs and Maintenance	19 42 06	14 41 05
XI. बीमा/Insurance	266 45 85	238 97 66
XII. अन्य व्यय/Other Expenditure	742 46 15	691 57 81
<b>योग/TOTAL</b>	<b>5510 91 50</b>	<b>4776 32 26</b>

# अनुसूची 17 - महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

## Schedule 17 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

(31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण के साथ संलग्न और उसका भाग)

(Annexed to and Forming Part of Consolidated Financial Statement for the year ended 31st March, 2023)

### 1. सामान्य / GENERAL

#### 1.1 वित्तीय विवरणों को तैयार करने का आधार / BASIS OF PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS :

ये समेकित वित्तीय विवरण, जब तक अन्यथा कथित न हो, परंपरागत लागत प्रथाओं के आधार पर तैयार किये गए हैं और भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के तात्त्विक परिवर्तन के अनुरूप हैं जिसमें लागू होने वाले वैधानिक प्रावधान, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा निर्धारित नियामक मानदंड, आरबीआई द्वारा समय - समय पर जारी परिपत्र और दिशानिर्देश, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, लेखा मानक (एएस) और भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी किए गए घोषणाएं, जहां तक लागू हो एवं आम तौर पर भारत में बैंकिंग उद्योग में प्रचलित प्रथाओं का अनुपालन किया गया है।

विदेशी कार्यालयों/शाखाओं के मामले में, विशेष रूप से उल्लेख किए गए को छोड़कर, विदेशों में लागू सांविधिक प्रावधानों एवं लेखांकन प्रथाओं का अनुपालन किया गया।

The consolidated financial statements have been prepared on historical cost basis and conform, in all material aspects, to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, unless otherwise stated, encompassing applicable statutory provisions, regulatory norms prescribed by Reserve Bank of India (RBI), circulars and guidelines issued by RBI from time to time, Banking Regulation Act 1949, Accounting Standards (AS) and pronouncements issued by The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) to the extent applicable and generally the practices prevailing in Banking industry in India.

In respect of foreign offices/branches, statutory provisions and accounting practices prevailing in the respective foreign countries are complied with, except as specified elsewhere.

यह वित्तीय विवरण, जब तक अन्यथा कथित न हो, प्रोद्भव अवधारणा के साथ चालू व्यापार के आधार पर एवं लेखांकन नीतियों और प्रथाओं के अनुसार तैयार किया गया है।

The financial statements have been prepared on going concern basis with accrual concept and in accordance with the accounting policies and practices consistently followed unless otherwise stated.

समूह के समेकित वित्तीय विवरण निम्न आधार पर तैयार किए गए हैं:-

Consolidated Financial Statements of the Group have been prepared on the basis of:-

##### i) यूको बैंक का लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण

Audited financial statement of UCO Bank

##### ii) आईसीएआई द्वारा जारी 'समेकित वित्तीय विवरणों में सहायक प्रतिष्ठानों में निवेश हेतु लेखांकन' लेखा मानक 23 के अनुसार 'इक्विटी पद्धति के तहत 'सहायक प्रतिष्ठानों' में निवेश हेतु लेखांकन।

Accounting for investment in 'Associates' under 'Equity Method' as per AS 23 "Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements" issued by the ICAI.

समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के दौरान सहायक प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरणों में कोई समायोजन नहीं किया गया है।

No adjustments have been made to the financial statements of associate enterprise, when they are used in preparing consolidated financial statements.

समेकित वित्तीय विवरण को तैयार करने में सहायक प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2023 के अनुसार बनाये गये हैं।

The financial statements of associate considered in preparation of Consolidated Financial Statement are drawn upto 31st March, 2023.

#### 1.2 अनुमानों का उपयोग / USE OF ESTIMATES

जीएएपी के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने में वित्तीय विवरणों की तारीख को परिसंपत्तियों और देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) तथा समीक्षा अवधि के दौरान आय-व्यय की रिपोर्टिंग करते समय प्रबंधन को अनुमान लगाने होते हैं। प्रबंधन को विश्वास है कि उक्त वित्तीय विवरण तैयार करने में लगाए गये अनुमान सटीक और वाजिब हैं। तथापि वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से अलग हो सकते हैं। लेखा अनुमान मौजूदा एवं भविष्य की अवधियों में प्रत्याशित रूप से चिह्नित किया जाएगा।

The preparation of financial statements in conformity with GAAP requires the Management to make estimates and assumptions while reporting assets and liabilities (including contingent liabilities) as at the date of the financial statements and income and expenses during the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. However, actual results could differ from these estimates. Any revision to the accounting estimates is recognized prospectively in the current and future periods.

### 2. समेकन प्रक्रियाएं/CONSOLIDATION PROCEDURES:

#### मूल इकाई/Parent Entity:

वित्तीय विवरण यूको बैंक, मूल इकाई और इसके सहायक प्रतिष्ठान को शामिल कर समेकित किये गए हैं।

The Financial statements are consolidated for UCO Bank, the parent entity and its associate enterprise.

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी मानक 21 - 'समेकित वित्तीय विवरण' और लेखा मानक 23 - 'समेकित वित्तीय विवरणों में सहायक प्रतिष्ठानों में निवेश हेतु लेखांकन' के अनुसार समेकित वित्तीय विवरण तैयार किये गए हैं

The Consolidated Financial Statements have been prepared in accordance with Accounting Standard 21 - "Consolidated Financial Statements" and Accounting Standard 23 - "Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements", issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

सहयोगी इकाई/Associate Entity:

लेखा मानक 23- 'समेकित वित्तीय विवरणों में सहायक प्रतिष्ठानों में निवेश हेतु लेखांकन' के अनुसार 'इक्विटी पद्धति से निम्नलिखित सहायक प्रतिष्ठान का लेखांकन किया गया है

Following associate enterprise has been accounted for under the Equity Method as per Accounting Standard 23- "Accounting for investments in Associates in Consolidated Financial Statements"

कंपनी का नाम Name of the Company	देश / आवास Country/Residence	सम्बन्ध Relationship	मालिकाना हित Ownership Interest
पश्चिम बंगा ग्रामीण बैंक Paschim Banga Gramin Bank	भारत India	सहायक प्रतिष्ठान Associate Enterprise	35%

## SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES FOLLOWED BY THE PARENT ENTITY

### 3. अग्रिम / ADVANCES:

3.1 ऋण एवं अग्रिम का अर्जक एवं अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांत के आधार पर किया जाता है और अग्रिम के लिए प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार किया जाता है।

भारत में अनर्जक अग्रिमों का निर्धारण विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार किया जाता है और भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (इसीजीसी) से प्राप्त / प्राप्य राशियों पर विचार करने के बाद उन्हें 'अवमानक', 'संदिग्ध' एवं 'हानि' आस्तियों में वर्गीकृत करके प्रावधान किए जाते हैं तथा अग्रिम का उल्लेख प्रावधान को घटाने के बाद किया जाता है।

Loans and advances are classified as performing and non-performing based on the guidelines issued by the RBI and provisions for advances are made as per prudential norms of the Reserve Bank of India.

Non-performing advances in India are ascertained as per the prudential norms and provisions are made upon classifying the same into 'Sub-Standard', 'Doubtful', and 'Loss' assets after considering the claims Received / Receivable from ECGC and advances are stated after netting of provisions.

3.2 विदेश स्थित शाखाओं के अनर्जक अग्रिमों के लिए प्रावधान संबंधित विदेशी राज्यों में लागू नियामक अपेक्षाओं या भारतीय रिज़र्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों, इनमें से जो भी अधिक हो, के अनुसार किया जाता है।

Provision on Non-performing advances of foreign branches is made on the basis of regulatory requirement prevailing at the respective foreign countries or RBI guidelines whichever is higher.

3.3 मानक पुनर्संरचित आस्तियों एवं परियोजना ऋण के लिए प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेक सम्मत दिशानिर्देशों एवं निदेशों के अनुसार किया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार ग्लोबल पोर्टफोलियो के आधार पर मानक आस्तियों के लिए सामान्य प्रावधान किए जाते हैं।

Provision on standard restructured assets and project loans have been made as per RBI prudential norms and directives. A general provision on Standard Assets is made on global portfolio basis as per prudential norms of RBI.

3.4 ओवरड्यू के माध्यम से केन्द्र सरकार की गारंटी द्वारा समर्थित ऋण सुविधाओं को केवल तभी एनपीए माना जा सकता है जब सरकार अपनी गारंटी राशि की मांग किए जाने पर इंकार करे।

The credit facilities backed by the guarantee of the Central Government though overdue is treated as NPA only when Government repudiates its guarantee when invoked

3.5 समझौता एवं निपटान संबंधी प्रस्तावों के मामले में पूर्ण वसूली के बाद बड़े खाते डाले जाते हैं।

In respect of Compromise and Settlement Proposals, write-off is done on complete realization.

3.6 खाते को अंशतः विवेकपूर्ण बड़े खाते डालने का कार्य सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद मामला-दर-मामला आधार पर अप्रतिभूत अंश के लिए किया जाता है।

Partial prudential write-off of accounts is done upto unsecured portion level on a case to case basis on approval by the Competent Authority.

3.7 अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान किए जाने के अतिरिक्त पुनर्संरचित/पुनर्निर्धारित आस्तियों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रावधान किया जाता है जिसे पुनर्संरचना किए जाने के पहले एवं बाद के ऋण के उचित मूल्य बीच के अंतर को उपलब्ध कराना होता है। शुद्ध अग्रिम का आकलन करते समय उचित मूल्य (डीएफयू) में कमी के लिए प्रावधान एवं उपर्युक्त के फलस्वरूप ब्याज में कमी लाई जाती है।

For restructured/rescheduled assets, provisions are made in accordance with the guidelines issued by RBI, which require the difference between the fair value of loan before and after restructuring is provided, in addition to provisions for NPAs. The provision for diminution in fair value (DFU) and interest sacrifice arising out of the above is reduced while arriving at net advance.

- 3.8 पूर्ववर्ती वर्षों में बड़े डाले गए कर्ज में वसूली गई राशि को वसूली वर्ष में राजस्व के रूप में दिखाया जाता है।

Amount recovered against debts written off in earlier years are recognized as revenue in the year of recovery.

- 3.9 प्रतिभूतिकृत कंपनी (एससी)/ पुनर्संरचना कंपनी (आरसी) को वित्तीय आस्ति की बिक्री आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुरूप निर्धारित बोर्ड अनुमोदित नीति के आधार पर की जाती है।

Sale of Financial asset to Securitized Company (SC) / Reconstruction Company (RC) is done on the basis of Board approved Policy in line with the RBI guidelines.

#### 4. निवेश / INVESTMENTS

- 4.1 बैंक, निवेश संविभाग के वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तैयार किए गये विवेकपूर्ण मानदंडों का पालन करता है।

Bank follows the prudential norms formulated by Reserve Bank of India for classification, valuation and operation of investment portfolio.

- 4.2 निवेश को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, यथा परिपक्वता तक धारित, विक्रय हेतु उपलब्ध एवं क्रय-विक्रय के लिए धारित तथा उसके बाद उन्हें सरकारी प्रतिभूतियों, अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों, शेयरों, डिबेंचरों एवं बांडों, अनुषंगी एवं संयुक्त उद्यमों और अन्य में निवेश के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है।

Investments are classified into three categories viz. Held to Maturity, Available for Sale and Held for Trading and are further classified into Investments in Government Securities, Other Approved Securities, Shares, Debentures & Bonds, Subsidiaries and Joint Ventures and Others.

- 4.3 (i) परिपक्वता तक धारित के रूप में वर्गीकृत निवेशों को लागत आधार पर आगे ले जाया जाता है। जहाँ लागत अंकित मूल्य से अधिक होती है वहाँ प्रीमियम को परिपक्वता की शेष अवधि तक के लिए प्रभावी ब्याज दर पद्धति के अनुसार परिशोधित किया जाता है। विक्रय से हुए लाभ को पहले लाभ-हानि लेखे में लिया जाता है और उसके बाद कर तथा सांविधिक आरक्षित निधि में अंतरित की जानेवाली राशि को छोड़कर उसका विनियोजन पूंजी आरक्षित निधि लेखे में किया जाता है। विक्रय से हुई हानि को लाभ-हानि लेखे पर भारित किया जाता है।

Investments classified as Held to Maturity are carried at cost. Wherever the cost is higher than the face value, the premium is amortized over the remaining period of maturity as per effective interest rate method. Profit on sale is initially taken to Profit and Loss Account and then appropriated to Capital Reserve Account net of taxes and amount required to be transferred to Statutory Reserve. Loss on sale is charged to the Profit and Loss Account.

- (ii) विक्रय हेतु उपलब्ध के रूप में वर्गीकृत निवेशों को बाजार मूल्य के रूप में अंकित किया जाता है। प्रत्येक वर्गीकरण हेतु मूल्यवृद्धि / मूल्यहास का समुच्चयन स्क्रिपवार किया जाता है। हालांकि प्रत्येक वर्गीकरण से संबंधित शुद्ध मूल्यहास को लाभ-हानि लेखे पर भारित किया जाता है, परंतु किसी भी वर्गीकरण से संबंधित शुद्ध मूल्यवृद्धि को नजरअंदाज किया जाता है। इन निवेशों को तुलन-पत्र में मूल्यहास घटाकर दर्शाया जाता है।

Investments classified as Available for Sale, are marked to market. Scrip-wise appreciation/depreciation is aggregated for each classification. While net depreciation in respect of each classification is charged to Profit & Loss Account, net appreciation in respect of any classification is ignored. These investments are shown, net of depreciation, in the Balance Sheet.

- (iii) क्रय-विक्रय के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत निवेशों को बाजार मूल्य के रूप में अंकित किया जाता है। मूल्यवृद्धि / मूल्यहास का समुच्चयन स्क्रिपवार किया जाता है। हालांकि प्रत्येक वर्गीकरण से संबंधित शुद्ध मूल्यहास को लाभ-हानि लेखे पर भारित किया जाता है, परंतु किसी भी वर्गीकरण से संबंधित शुद्ध मूल्यवृद्धि को नजरअंदाज किया जाता है। इन निवेशों को तुलन-पत्र में मूल्यहास घटाकर दर्शाया जाता है।

Investments classified as Held for Trading are marked to market. Scrip-wise appreciation/depreciation is aggregated for each classification. While net depreciation in respect of each classification is charged to Profit & Loss Account, net appreciation in respect of any classification is ignored. These investments are shown, net of depreciation, in the Balance Sheet.

- 4.4 वाणिज्यिक पत्रों तथा ट्रेजरी बिल में निवेशों का मूल्यन रखाव-लागत पर किया जाता है।

Investments in Commercial Papers and Treasury Bills are valued at carrying cost.

- 4.5 क्रय-विक्रय / निर्दिष्ट भाववाले निवेशों के संबंध में बाजार मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में उपलब्ध निर्दिष्ट भाव से लिया जाता है। सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यन बाजार मूल्य पर या निर्धारित आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्न संघ (एफआईएमएमडीए) एवं भारतीय प्राथमिक व्यापारी संघ (पीडीएआई) द्वारा संयुक्त रूप से घोषित मूल्य पर किया जाता है।

In respect of traded/quoted Investments, Market price is taken from the quotes available in the stock exchanges. Government securities are valued at Market price or price declared by Primary Dealers Association of India (PDAI) jointly with Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA).

- 4.6 अनकोटेड निवेश के मामले में : नवीनतम तुलनपत्र के अनुसार (12 माह से अधिक पुराना नहीं) विश्लेषित मूल्य (पुनर्मूल्यन आरक्षित, यदि कोई हो, पर विचार किया किए बिना) अन्यथा प्रति कंपनी ₹1।

In respect of unquoted investments:- at breakup value (without considering Revaluation Reserve, if any) as per the latest Balance sheet (not more than 12 months old) otherwise ₹ 1 per company.

- 4.7 बैंक द्वारा प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कंपनी को बेची गई वित्तीय परिसंपत्तियों की बाबत प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों को बैंक बहियों में प्रतिभूति रसीद के मोचन मूल्य और वित्तीय परिसंपत्तियों के निवल बही मूल्य से निम्नतर पर अग्रेनीत किया जाता है। आर.बी.आई द्वारा निर्धारित गैर एस.एल.आर. निवेशों पर लागू मूल्यांकन, वर्गीकरण एवं अन्य मानदंड एसी/आर सी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों में बैंक के निवेश पर लागू होते हैं।

Security receipts issued by securitization / reconstruction company (SC/RC) in respect of financial assets sold by the Bank to the SC/RC are carried in the books at lower of redemption value of the security receipt and the Net Book Value of the financial assets. Valuation, classification and other norms applicable to investment in non-SLR Investments prescribed by RBI are applied to Bank's investment in Security Receipts issued by SC/RC.

- 4.8 निवेश लेन-देन पर कमीशन, दलाली, खंडित अवधि का ब्याज नामे किया जाता है और / या लेन-देन के वर्ष में आय-व्यय खाते को जमा किया जाता है। ऋण लिखतों पर खंडित अवधि के लिए प्रदत्त / प्राप्त ब्याज लागत / बिक्री की नियत राशि से अलग रखा जाता है।

Commission, brokerage, broken period interest on investment transactions are debited and /or credited to Profit and Loss Account in the year of transaction. Broken period interest paid/received on debt instruments are excluded from cost/sale consideration.

- 4.9 बैंक अनुप्रयोज्य निवेश की पहचान एवं प्रावधान तथा निवेश से मान्य आय हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों का अनुसरण करता है।

The bank follows the prudential norms for recognition income from investments and for ascertaining and provisioning non-performing investments.

#### 5. संपदा, सयंत्र एवं उपकरण / PROPERTY, PLANT & EQUIPMENT

- 5.1 भूमि तथा भवन को छोड़ कर संपदा, सयंत्र एवं उपकरण की मर्दों के लिए लागत मॉडल का उपयोग कर संचित मूल्य हास को घटाते हुए ऐतिहासिक लागत पर दर्शाया गया है। पुनर्मूल्यांकन पर होने वाले अधिशेष को पुनर्मूल्यांकित आरक्षित नीधि में जमा किया गया है।

Items of property, plant & equipment except land and building are stated at historical cost less accumulated depreciation using cost model. Land and building are stated at revalued amount less accumulated depreciation using revaluation model. Surplus arising on revaluation is credited to Revaluation Reserve.

- 5.2 भारत में स्थित स्थिर परिसंपत्तियों के संबंध में प्रबंधन द्वारा उचित मानी गई अवमूल्यन की दर तथा उसे भारित करने की पद्धति निम्नानुसार हैं :-

The rates of depreciation and method of charging depreciation as considered appropriate by the management in respect of fixed assets situated in India are as below:-

परिसंपत्ति की श्रेणी / CATEGORY OF ASSETS	अवमूल्यन / Depreciation		मॉडल / Model
	दर / Rate	पद्धति / Method	
दीर्घावधि अथवा बेमियादी/नवीकरणीय पट्टे के अंतर्गत भूमि सहित भूमि Land including land held under long-term or perpetual/renewable lease	शून्य/NIL	लागू नहीं/NA	पुनर्मूल्यांकन Revaluation
दीर्घावधि अथवा बेमियादी/नवीकरणीय पट्टे के अंतर्गत धारित भूमि पर भवन सहित भवन Building including building on land held under long-term or perpetual/renewable lease	शेष उपयोगी जीवन में परिशोधित Amortized over remaining useful life	एस एल एम SLM	पुनर्मूल्यांकन Revaluation
अन्य पट्टाधृत भूमि एवं भवन तथा ऐसी पट्टाधृत भूमि पर भवन Other lease-hold land & building and building on such leasehold land	पट्टे की अवधि में परिशोधित Amortized over lease period	एस एल एम SLM	लागत Cost
फर्नीचर और उपस्कर / Furniture and Fixtures	18.10	डब्ल्यूडीवी WDV	लागत Cost
कार्यालय उपकरण / Office Equipment	20.00	डब्ल्यूडीवी WDV	लागत Cost
इलेक्ट्रिकल इंस्टालेशन, वातानुकूलन मशीनरी, रेफ्रिजरेटर, फोटो कॉपी मशीन इत्यादि Electrical Installation, Air-conditioning Machinery, Refrigerator, Photo copying Machine etc.	20.00	डब्ल्यूडीवी WDV	लागत Cost

परिसंपत्ति की श्रेणी / CATEGORY OF ASSETS	अवमूल्यन / Depreciation		मॉडेल / Model
	दर / Rate	पद्धति / Method	
मशीनरी जैसे, फ्रैंकिंग मशीन, ऑफिस मशीनरी, तोलन मशीन, टाइप राईटर, एडिंग मशीन, डुप्लिकेटिंग मशीन Machinery e.g. Franking machine, office machinery, weighing machine typewriter, adding machine, Duplicating Machine	13.91	डब्ल्यूडीवी WDV	लागत Cost
मोटर वाहन / Motor Vehicle	25.89	डब्ल्यूडीवी WDV	लागत Cost
साइकिल / Cycle	20.00	डब्ल्यूडीवी WDV	लागत Cost
कंप्यूटर एवं कंप्यूटर के सहायक उपकरण (आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार) * Computers and computer peripherals (as per RBI guidelines) *	33.33	एस एल एम SLM	लागत Cost

\* कंप्यूटर हार्डवेयर के आंतरिक हिस्सा वाले सॉफ्टवेयर तथा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पर मूल्यहास का प्रावधान सीधी कटौती प्रणाली पर 33.33% की दर पर किया जाता है।

\* Depreciation on computer software including the software forming integral part of computer hardware is provided at Straight Line Method at the rate of 33.33%.

5.3 भारत के बाहर स्थित अचल आस्तियों की बाबत मूल्यहास का प्रावधान संबंधित देश की स्थानीय विधि के अनुसार सीधी कटौती प्रणाली / अवलिखित मूल्य पद्धति के आधार पर किया जाता है।

Depreciation in respect of fixed assets situated outside India is provided on straight line/written down value method as per the local laws of respective country.

5.4 पुनर्मूल्यन के कारण अतिरिक्त मूल्यहास की सममूल्य राशि पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि से राजस्व आस्ति निधि में अंतरित की जाती है।

Equivalent amount of additional depreciation arising out of revaluation is transferred from Revaluation Reserve to Revenue Reserve.

5.5 कम मूल्य की संपत्ति, सयंत्र एवं उपकरण की मदें जिनकी लागत ₹1000/- तक है को प्रभारित किया गया है जबकि ऐसी मदें जिनकी लागत ₹1001/- से लेकर ₹5000/- हे प्रत्येक को जिस तिमाही में इसे क्रया किया गया है 100% की दर से मूल्यहास प्रभारित किया गया है।

Items of property, plant and equipment of small value costing upto Rs.1000 each are charged off whereas items costing between Rs.1001 and Rs.5000 each are depreciated @ 100% in the quarter in which the same are purchased.

5.6 30 सितंबर तक के लिए योग पर मूल्यहास संपूर्ण दर पर तथा इसके बाद योग पर आधे दर पर मूल्यहास किया गया है।

Depreciation is provided at full rate on additions made upto 30th September and at half the rate on additions made thereafter.

## 6. विदेशी मुद्रा दर में परिवर्तन का प्रभाव / EFFECT OF CHANGES IN FOREIGN EXCHANGE RATE

### 5.1 विदेशी मुद्रा का लेनदेन / FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS

i) विदेशी मुद्रा में लेनदेन की तारीख को रिपोर्टिंग मुद्रा और विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर लागू करके रिपोर्टिंग मुद्रा में प्रारंभिक पहचान पर विदेशी मुद्रा लेनदेन रिकार्ड किए जाते हैं।

Foreign currency transactions are recorded on initial recognition in the reporting currency by applying to the foreign currency amount the exchange rate between the reporting currency and the foreign currency on the date of transaction.

ii) विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों की रिपोर्ट भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (एफईडीएआई) की बंद / हाजिर दर का उपयोग करके की जाती है।

Foreign currency monetary items are reported using the Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) closing/spot rate.

iii) विदेशी मुद्रा गैर-मौद्रिक मदों की, जो परंपरागत लागत आधार बिक्री के लिए उपलब्ध कराई जाती है, रिपोर्ट लेनदेन की तारीख को विनिमय दर का उपयोग करके की जाती है।

Foreign currency non-monetary items, which are carried in terms at historical cost, are reported using the exchange rate at the date of the transaction.

iv) विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित आकस्मिक देयताओं की रिपोर्ट भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ की बंद हाजिर दर का उपयोग करके की जाती है।

Contingent Liabilities denominated in foreign currency are reported using the FEDAI closing spot rates.

v) मौद्रिक मदों के निपटान पर ऐसी दरों पर उत्पन्न होनेवाले अंतर को, जो प्रारंभ में रिकार्ड की गई दरों से भिन्न है, उस अवधि में आय या व्यय माना जाता है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं।

Exchange differences arising on settlement of monetary items at rates different from those at which they were initially recorded are recognised as income or as expense in the period in which they arise.

vi) बकाया विदेशी मुद्रा संविदा एवं बिल का पुनर्मूल्यन भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ की दरों के अनुसार किया जाता है और परिणामी लाभ/हानि को प्रत्येक माह के अंत में राजस्व में ले जाया जाता है।

Outstanding forward exchange contracts are revalued every month as per month end FEDAI rates applicable based on maturity date of the forward contracts and the resultant gain/loss is taken to profit and loss at the end of each month.



- vii) जो विदेशी विनिमय स्वैप व्यापार के लिए धारित नहीं किए जाते हैं उन्हें मार्केट टू मार्केट नहीं किया जाता है। ऐसे स्वैप पर अदा या प्राप्त प्रीमियम, स्वैप की नियत अवधि पर खर्च के रूप में परिशोधित अथवा आय के रूप में ग्रहण किए जाते हैं।

The foreign exchange swaps which are not held for trading are not marked to market. The premium paid or received on such swaps are amortized as expense or accreted as income over the life of the swap.

## 6.2 विदेशी परिचालन / FOREIGN OPERATIONS

बैंक की विदेश स्थित शाखाओं और प्रतिनिधि कार्यालयों को गैर-समाकलित परिचालन के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

Foreign Branches and representative offices of the Bank have been classified as non-integral operations.

### अदला-बदली / Translation

- i) मौद्रिक एवं गैर-मौद्रिक विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों एवं देयताओं तथा गैर-समाकलित विदेशी परिचालन की आकस्मिक देयताओं को तुलन-पत्र की तारीख को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ द्वारा अधिसूचित बंदी विनिमय दरों पर परिणत किया जाता है।

Both monetary and non-monetary foreign currency assets and liabilities including contingent liabilities of non-integral foreign operations are translated at closing exchange rates notified by FEDAI at the balance sheet date.

- ii) गैर-समाकलित विदेशी परिचालन संबंधी आय एवं व्यय को तिमाही औसत बंद दरों पर परिणत किया जाता है।

Income and expenditure of non-integral foreign operations are translated at quarterly average closing rates.

- iii) गैर-समाकलित विदेशी परिचालन में निवल निवेश पर उत्पन्न विनिमय अंतर को निवल निवेश के निपटान तक विदेशी मुद्रा परिणत आरक्षित में संघित किया जाता है।

Exchange differences arising on net investment in non-integral foreign operations are accumulated in Foreign Currency Translation Reserve until the disposal of the net investment.

## 7. कर्मचारी हितलाभ / EMPLOYEE BENEFITS

### 7.1 अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ / Short Term Employee Benefits

कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई सेवा के एवज में सेवावधि के दौरान उनकी सेवा के लिए कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा, आकस्मिक छुट्टी आदि अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ अदा / जमा किया जाता है।

Short-term employee benefits, such as medical benefits, casual leave etc. which are paid in exchange for the services rendered by employees are recognized during the period when the employee renders the service.

### 7.2 दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ / Long Term Employee Benefits

#### सेवोपरांत हितलाभ / Post-employment Benefits

#### अ/A) निर्धारित अंशदान योजना / Defined Contribution Plan

क/अ) एनपीएस भविष्य निधि जैसी निर्धारित अंशदान योजना में अंशदान को लाभ-हानि लेखा में भारित किया जाता है। जिन कर्मचारियों ने पेंशन हितलाभ का विकल्प नहीं लिया है उनका भविष्य निधि अंशदान बैंक द्वारा संचालित ट्रस्ट को किया जाता है।

Contributions to Defined Contribution Schemes such as NPS, Provident Fund etc., are charged to the Profit & Loss Account as and when incurred. In respect of certain employees who have not opted for Pension Benefits, Provident Fund Contributions are made to a Trust administered by the Bank.

ख/ब) 1 अप्रैल, 2010 या उसके बाद बैंक सेवा में किए जानेवाले कर्मचारियों को एक निर्धारित अंशदायी पेंशन योजना में शामिल किया जाता है जिसमें कर्मचारी वेतन के 10% एवं डीए का अंशदान करते हैं तथा बैंक भी उतना ही अंशदान करता है। यह योजना केन्द्र सरकार के कर्मचारियों हेतु 01 जनवरी, 2004 से प्रारंभ की गई अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधानों के अधीन है तथा समय-समय पर संशोधित की जाती है।

The employees joining the services of the bank on or after 1st April 2010 are covered by a defined contributory pension scheme where the employees contribute 10% of pay plus DA and the bank makes a matching contribution. The scheme is governed by the provisions of the contributory pension scheme introduced for the employees of central government w.e.f 1st January 2004 and modified from time to time.

#### आ/B) निर्धारित हितलाभ योजना / Defined Benefit Plan

बैंक निर्धारित हितलाभ योजनाओं के अंतर्गत उपदान एवं पेंशन योजना चलाता है।

The bank operates gratuity and pension schemes which are defined benefit plans.

बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को उपदान प्रदान करता है। इसके अंतर्गत उन सभी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर, नौकरी के दौरान मृत्यु पर, या नौकरी की समाप्ति पर एकमुश्त राशि/एकबारगी भुगतान इस प्रकार किया जाता है i) ₹20,00,000 की अधिकतम सीमा के अध्यक्षीन सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिनों का वेतन (मूल + डीए) या ii) सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिनों का वेतन (केवल मूल वेतन), इनमें से जो भी अधिक हो। पाँच वर्ष/ दस वर्ष की सेवा (यथा प्रयोज्य) पूरी करने के उपरांत यह लाभ प्रदान किया जाता है। नियमित अंतराल पर किए गए स्वतंत्र बाह्य बीमांकिक द्वारा मूल्यांकन के आधार पर बैंक न्यासियों द्वारा संचालित निधि में वार्षिक अंशदान करता है।

The Bank provides for gratuity to all eligible employees. The benefit is in the form of lump sum / onetime payment to vested employees on retirement, on death while in employment, or on termination of employment, for an amount equivalent to (i) 15 days salary (Basic + DA) payable for each completed year of service, subject to a maximum amount of Rs.20,00,000 or (ii) 15 days salary (Basic only) for each completed year of service, whichever is higher. Vesting occurs upon completion of five years / ten years (as applicable) of service. The Bank makes annual contributions to a fund administered by Trustees based on an independent external actuarial valuation carried out at regular intervals.

बैंक सभी पात्र कर्मचारियों के लिए पेंशन का प्रावधान करता है। नियमानुसार यह लाभ पात्र कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर, नौकरी के दौरान मृत्यु पर या नौकरी की समाप्ति पर, जैसा कि इस विनियम में प्रावधान है, मासिक भुगतान के रूप में दिया जाता है। नियमानुसार विभिन्न स्तर पर यह

लाभ प्रदान किया जाता है। वेतन के 10% प्रतिमाह की दर से अंशदान के अलावा नियमित अंतराल पर किए गए स्वतंत्र बाह्य बीमांकिक द्वारा मूल्यांकन के आधार पर बैंक न्यासियों द्वारा संचालित निधि में अतिरिक्त वार्षिक अंशदान करता है।

The Bank provides for pension to all eligible employees. The benefit is in the form of monthly payments as per rules and regular payments to vested employees on retirement, on death while in employment, or on termination of employment as provided under regulation. Vesting occurs at different stages as per rules. The Bank makes additional annual contributions to funds administered by trustees based on an independent external actuarial valuation carried out at regular intervals besides monthly contribution @ 10% of pay per month.

निर्धारित प्रसुविधा प्रदान किए जाने की लागत का अवधारण बीमांकिक मूल्यांकन द्वारा प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड आधार पर किया जाता है जो साधारणतया तुलन-पत्र की तारीख को किया जाता है। निवल देयता को आस्थगित नहीं किया जाता है और उसे तत्काल लाभ-हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

The cost of providing defined benefits is determined by actuarial valuation using the projected unit credit method which is normally carried out on quarterly basis. Net liabilities are immediately recognized in the statement of profit and loss and are not deferred.

### इ/सी) अन्य दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ / Other Long Term Employee benefits

क/अ. बैंक के सभी पात्र कर्मचारी प्रतिपूरक अनुपस्थिति एवं छुट्टी यात्रा रियायत के हकदार हैं। इस प्रकार के दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ लागत की निधि बैंक द्वारा आंतरिक रूप से प्रदान की जाती है।

All eligible employees of the bank are entitled to compensated absences; leave travel concession. The costs of such long-term employee benefits are internally funded by the Bank.

ख/ब. इस प्रकार के अन्य निर्धारित दीर्घावधि हितलाभ प्रदान करने की लागत का अवधारण बीमांकिक मूल्यांकन द्वारा प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड आधार पर किया जाता है जो साधारणतया तुलन-पत्र की तारीख को किया जाता है। पश्च सेवा लागत को आस्थगित नहीं किया जाता है और उसे तत्काल लाभ-हानि लेखे में मान्यता दी जाती है।

The cost of providing these other long term benefits is determined by actuarial valuation using the projected unit credit method which is normally carried out on quarterly basis. Past service cost is immediately recognized in the statement of profit and loss and is not deferred.

ग/सी. पूर्णकालिक निदेशकों को सेवानिवृत्ति के पश्चात सेवोपरांत चिकित्सा सुविधा के रूप में चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है। लागत का आकलन एवं निर्धारण बीमांकिक मूल्यांकन द्वारा प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड आधार पर किया जाता है और ऐसा मूल्यांकन सेवानिवृत्ति के साथ-साथ कार्यरत पूर्णकालिक निदेशकों के लिए तुलन-पत्र की तारीख को किया जाता है। इस देयता को तत्काल लाभ-हानि विवरण में मान्यता दी जाती है और इसे आस्थगित नहीं रखा जाता है।

Medical benefits are extended to full time Directors, after their retirement as post-retirement medical benefits. The cost is ascertained and determined by actuarial valuation using the projected unit credit method and such valuation is carried out on quarterly basis for retired as well as in service full time Directors. The liability is immediately recognized in the statement of profit & loss and not deferred.

7.3 विदेशी शाखाओं में नियुक्त कर्मचारियों के कर्मचारी हित लाभ का मूल्यांकन एवं लेखा जोखा संबंधित स्थानिय विधि/विनियमों के अनुसार किया जाता है। Employee benefits relating to employees employed at foreign branches and offices are valued and accounted for as per the respective local laws/regulations.

### 8. ब्याज दर स्वाप / INTEREST RATE SWAPS

8.1 बचाव व्यवस्था के लिए किए गए ब्याज दर स्वैप लेन-देन की गणना उपचय आधार पर की जाती है तथा क्रय-विक्रय संबंधी लेन-देन के बाजार मूल्य को बहियों में अंकित किया जाता है तथा निवल मूल्यहास के लिए, यदि कोई हो, प्रावधान किया जाता है, जबकि मूल्यवृद्धि को, यदि हो, नजरअंदाज किया जाता है।

The Interest Rate Swap transactions undertaken for hedging are accounted for on accrual basis and transactions for trading are marked to market and net depreciation is provided for whereas appreciation, if any, is ignored.

8.2 बचाव व्यवस्था के लिए किए गए समाप्त ब्याज दर स्वाप पर लाभ या हानि को आस्थगित रखा जाता है और उसकी पहचान स्वैप की संविदागत शेष अवधि अथवा आस्तित्व या देयता की शेष अवधि, इनमें से जो भी कम हो, में की जाती है।

Gain or loss on terminated interest rate swap transactions undertaken for hedging is deferred and recognized over the shorter of the remaining contractual life of the swap or remaining life of the asset or liability.

8.3 क्रय-विक्रय स्वैप से संबंधित आय और व्यय की पहचान निपटान की तारीख को की जाती है।

Income and expenses relating to the trading swaps are recognized on the settlement date.

8.4 क्रय-विक्रय स्वैप की समाप्ति पर हुए लाभ या हानि को तत्काल आय या व्यय के रूप में रिकार्ड किया जाता है।

Gain or losses on the termination of the trading swaps are recorded as income or expense immediately.

### 9. आस्तियों की अनर्जकता / IMPAIRMENT OF ASSETS

जब कभी भी घटनाओं या स्थितियों में हुए परिवर्तन के कारण ऐसा लगे कि किसी आस्तित्व की रख-रखाव राशि की वसूली नहीं हो सकती है, तब अनर्जकता के आकलन हेतु संपदा सयंत्र एवं उपकरण की समीक्षा की जाती है। धारित और उपयोग की जानेवाली आस्तित्वों की वसूली योग्यता का आकलन किसी आस्तित्व की रख-रखाव राशि की तुलना में आस्तित्व द्वारा उत्पन्न होनेवाले आगामी निवल बट्टाकृत नकदी प्रवाह से करके किया जाता है। यदि ऐसी आस्तित्वों को अनर्जक माना जाता है तो उसकी अनर्जकता का आकलन आस्तित्व के रख-रखाव की उस राशि से किया जाता है जो आस्तित्व के उचित मूल्य से अधिक होती है।

Items of property, plant and equipment are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances warrant that the carrying amount of an asset may not be recoverable. Recoverability of assets to be held and used is measured by a comparison of the carrying amount of an asset to future net discounted cash flows expected to be generated by the asset. If such assets are considered to be impaired, the impairment, to be recognized, is measured by the amount by which the carrying amount of the asset exceeds the fair value of the asset.

**10. गैर बैंकिंग परिसंपत्तियां / NON-BANKING ASSETS**

गैर बैंकिंग परिसंपत्तियों को लागत के रूप में वर्णित किया जाता है / Non-Banking Assets are stated at cost.

**11. राजस्व की पहचान/REVENUE RECOGNITION**

11.1 उपचय आधार पर आय की पहचान की जाती है, जब तक अन्यथा न कहा जाए।

Income is recognized on accrual basis, unless otherwise stated.

11.2 विदेशी कार्यालयों के मामले में स्थानीय नियम/संबंधित देश के मानकों अनुसार आय की पहचान की जाती है।

In respect of foreign offices, income is recognized as per local laws/ standards of respective country.

11.3 भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार अनर्जक आस्तियों निवेशों से आय की पहचान वसूली आधार पर की जाती है।

Income from non-performing assets/investments is recognized on realization basis in terms of RBI guidelines.

11.4 साख पत्र/बैंक गारंटी जारी करने पर प्राप्त कमीशन का निर्धारण साख पत्र/बैंक गारंटी की आवधि के आधार पर होता है। लाभांश का दिसाब उसके प्राप्ति के अधिकार के सुस्थापित होने पर किया जाता है।

Commission on issuance of Letters of Credit/ Bank Guarantees is recognized over the tenure of LC/BG. Dividend is accounted when the right to receive the same is established.

11.5 लॉकर किराया, किराया आय, म्यूचुअल फंडों एवं विभिन्न जमा खातों के सेवा प्रभार से प्राप्त आय की पहचान वसूली के आधार पर की जाती है।

Locker Rent, Rental Income, Income on Units of Mutual Funds and Service Charges on various Deposit Accounts are recognized on realization basis.

11.6 आयकर रिफंड पर ब्याज की पहचान वर्ष के दौरान वास्तविक प्राप्तियों के आधार पर की जाती है।

Interest on Income-tax refund is recognized in the year it was actually received.

11.7 निवेशों की बिक्री से प्राप्त लाभ या हानि की पहचान भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार की जाती है।

Profit or loss on sale of investments is recognized as per RBI guidelines.

11.8 बड़े खाते डाले गए अग्रिमों में वसूली/निवेश का लेखा जोखा "विविध आय" में रखा जाता है।

Recoveries in Written off Advances / Investments are accounted for as 'Miscellaneous Income'.

**12. पट्टा / LEASE**

ए एस 19 के अनुसार-पट्टे, परिचालन पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियों के पट्टे के भुगतान की पहचान पट्टे की अवधि हेतु लाभ और हानि खाते में की जाती है तथा वित्तीय पट्टे के मामले में परिसंपत्तियों की पहचान पट्टे के प्रिमीयम के लागत के रूप में लेखा बही में की जाती है तथा यह पट्टे की अवधि के साथ परिशोधित हो जाती है।

In accordance with AS 19 - Leases, lease payments for assets taken on operating lease are recognized in the profit & loss account over the period of lease and in respect of assets taken on finance lease, the asset is recognized in the books taking the lease premium as the cost and the same is amortized over the period of the lease.

**13. आय पर कर / TAXES ON INCOME**

**13.1 चालू कर / Current Tax**

लागू कर नियमों, न्यायिक उद्घोषणाओं/वैधिक मतों एवं विगत मूल्यांकन के आधार पर कर योग्य निर्धारित आय पर, लागू ब्याज दर के अनुसार चालू कर उपलब्ध करवाया जाता है।

Current tax is provided using applicable tax rates on the taxable income determined on the basis of applicable tax laws, judicial pronouncements / legal opinions and the past assessments.

**13.2 आस्थगित कर / Deferred Tax**

क/अ) आस्थगित कर, कर योग्य आय एवं लेखा आय में होने वाले एक समय अंतर को यथोचित रूप में लेने तथा एक या अधिक परवर्ती अवधि में प्रत्यावर्तित किए जाने को संकेतित करने वाला मान्य विषय है।

Deferred Tax is recognized subject to consideration of prudence, on timing difference, representing the difference between the taxable income and accounting income that originated in one period and are capable of reversal in one or more subsequent periods.

ख/ब) आय पर कर के हेतु लेखा मानक 22 द्वारा अधिनियमित अथवा तुलन पत्र की तारीख पर अधिनियमित कर दर का उपयोग करते हुए आस्थगित कर परिसंपत्तियां/देयताओं की पहचान की जाती है।

Deferred tax asset or liability is recognized using the tax rates that have been enacted or substantially enacted by the Balance Sheet date as per Accounting Standard 22 Accounting for Taxes on Income.

ग/क) प्रबंधन का निर्णय के अनुसार आस्थगित कर/देयताओं की वसूली निश्चित रूप से होगी या नहीं इसके आधार पर प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख पर इनका पुनर्मूल्यांकन किया जाता है।

Deferred tax assets/liabilities are re-assessed at each reporting date, based upon management's judgement as to whether their realisation is considered as reasonably certain.

घ/द) असमाविष्ट मूल्य ह्रास एवं कर हानि को आगे बढ़ाने से आस्थगित कर संपत्तियों की पहचान तभी होगी जब विश्वसनिय प्रभावयुक्त अमूर्त निश्चितता हो ताकि इस प्रकार की आस्थगित कर परिसंपत्ति को भविष्य में होने वाले लाभ से प्राप्त किया जा सके।

Deferred Tax Assets on carry forward of unabsorbed depreciation and tax losses are recognized only if there is virtual certainty supported by convincing evidence that such deferred tax assets can be realised against future profits.

#### 14. प्रति शेयर अर्जन / EARNINGS PER SHARE

14.1 बैंक एएस 20 —'प्रति शेयर अर्जन', के अनुसार प्रति शेयर मूल और न्यूनीकृत अर्जन की रिपोर्ट करता है। प्रति शेयर मूल अर्जन का निर्धारण कर पश्चात निवल लाभ तथा अधिमानी शेयरों पर लाभांश को वर्ष में बकाया ईक्विटी शेयरों की औसत भारिता से भाग देकर किया जाता है।

The Bank reports basic and diluted earnings per share in accordance with AS 20 - 'Earnings per Share'. Basic earnings per share computed by dividing the net profit after tax and dividend on preferential shares by weighted average number of equity shares outstanding for the year.

14.2 प्रति शेयर अर्जन में कमी उस संभाव्य कमी को प्रकट करती है जो वर्ष के दौरान प्रतिभूति या ईक्विटी शेयर जारी करने हेतु अन्य संविदा जारी या परिवर्तित करने पर होती है। प्रति शेयर अर्जन में कमी का निर्धारण वर्ष के अंत में बकाया ईक्विटी शेयरों की औसत भारित संख्या और कम होनेवाले संभाव्य ईक्विटी शेयरों का उपयोग कर किया जाता है।

Diluted earnings per share reflect the potential dilution that could occur if securities or other contracts to issue equity shares were exercised or converted during the year. Diluted earnings per share are computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding at year end.

#### 15. व्युत्पन्न (डेरिवेटिव्स) / Derivatives

बैंक बहुत कम ही डेरिवेटिव्स यथा विदेशी वायदा संविदा, ब्याज-दर एवं मुद्रा डेरिवेटिव्स का काम करता है। रुपया ब्याज दर स्वैप, विदेशी मुद्रा ब्याज दर स्वैप, वायदा दर करार एवं व्याज दर फ्यूचर बैंक के साथ संव्यवहार करने वाले ब्याज-दर डेरिवेटिव्स हैं। मुद्रा स्वैप एवं मुद्रा फ्यूचर बैंक के साथ मुद्रा डेरिवेटिव्स संव्यवहार करने वाले विकल्प हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार डेरिवेटिव्स का मूल्यंकन निम्नप्रकार से किया जाता है:

The Bank rarely deals in derivatives i e Forex Forward Contracts, interest rate and currency derivatives. The interest rate derivatives dealt with by the Bank are Rupee Interest Rate Swaps, Foreign Currency Interest Rate Swaps, Forward Rate Agreements and Interest Rate Futures. Currency Derivatives dealt with by the Bank are Options, Currency Swaps and Currency Futures. Based on RBI guidelines, Derivatives are valued as under:

(क/अ) बचाव-व्यवस्था पर आय/व्यय का आकलन उपचय आधार पर किया जाता है।

Income/expenditure on hedging derivatives are accounted on accrual basis.

(ख/ब) विदेशी वायदा संविदा बाजार के लिए चिह्नित होता है और परिणामी मुनाफा तथा हानि को लाभ एवं हानि लेखा में शामिल किया जाता है।

Forex forward contracts are Marked to market and the resultant gains and losses are recognized in the profit and loss account.

(ग/क) विनिमय व्यापार अनुबंध व्यापार उद्देश्य से किया जाता है जिसका मूल्यांकन विदेशी मुद्रा द्वारा निर्धारित दर के आधार पर मौजूदा बाजार के अनुसार किया जाता है और परिणामी मुनाफा तथा हानि को लाभ एवं हानि लेखा में शामिल किया जाता है।

Exchange Traded Contracts entered into for trading purposes are valued at prevailing market rates based on rates given by the Exchange and the resultant gains and losses are recognized in the Profit and Loss Account.

(घ/द) व्यापार स्वैप के समाप्ति से होने वाले हानि/लाभ को समाप्ति की तारीख में आय/व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है। प्रतिरक्षा स्वैप की समाप्ति से होने वाले किसी लाभ/हानि को आस्थगित रखा है और स्वैप की बची हुई संविदागत अवधि या नामित आस्तित्व/देयताओं की शेष बची हुई अवधि के अनुसार चिह्नित किया जाता है।

Gains/ losses on termination of the trading swaps are recorded on the termination date as income/ expenditure. Any gain/ loss on termination of hedging swaps are deferred and recognised over the shorter of the remaining contractual life of the swap or the remaining life of the designated assets/liabilities.

(ङ/े) लाभ एवं हानि लेखे में देय रहने पर मुद्रा विकल्प के लिए प्रदत्त एवं प्राप्त प्रीमियम को लेखे में शामिल किया जाता है।

Premium paid and received on currency options is accounted when due in the profit and loss account.

#### 16. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तित्व संबंधी लेखा विधि

##### ACCOUNTING FOR PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS

आईसीएआई द्वारा इस संबंध में जारी एएस 29 "प्रावधान, आकस्मिक देयताओं एवं आकस्मिक आस्तित्वों" के अनुरूप बैंक प्रावधान की पहचान तभी करता है जब अतीत की किसी घटना के फलस्वरूप उसका वर्तमान दायित्व हो, संभव है कि आर्थिक लाभ को सन्निहित करनेवाले संसाधनों का बहिर्गमन दायित्व का निपटान करने हेतु अपेक्षित हो, और तब दायित्व की राशि का विश्वसनीय प्राक्कलन किया जा सके।

In conformity with Accounting Standard AS 29, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets", the Bank recognizes provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate of the amount of the obligation can be made. Contingent Assets are not recognized in the financial statements.

#### 17. खंड रिपोर्टिंग / Segment Reporting

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार एवं आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 17 अनुपालन कर व्यवसायिक खंड को प्राथमिक खंड रिपोर्टिंग के रूप में एवं भौगोलिक खंड को गौण मान्यता प्रदान करता है।

The Bank recognizes the Business segment as the Primary reporting segment and Geographical segment as the Secondary reporting segment, in accordance with the RBI guidelines and in compliance with the Accounting Standard 17 issued by ICAI.

## अनुसूची / SCHEDULE 18

### अनुबंध III / Annexure III

#### लेखे के संबंध में टिप्पणियां / NOTES ON ACCOUNTS

(31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण के साथ संलग्न और उसका भाग)

(Annexed to and Forming Part of Consolidated Financial Statement for the year ended 31st March, 2023)

#### 1. विनियामक पूंजी / Regulatory Capital:

##### ए/अ) नियामक पूंजी की संरचना/Composition of Regulatory Capital

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

मर्दे/Items	चालू वर्ष/ Current Year	पिछला वर्ष/ Previous Year
	बासेल/Basel-III	बासेल/Basel-III
(i) सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी (सीईटी 1)/ चुकता शेयर पूंजी और आरक्षित निधियां (कटौती का शुद्ध, यदि कोई हो) Common Equity Tier 1 capital (CET 1) / Paid up share capital and reserves (net of deductions, if any)	14773.60	11469.81
(ii) अतिरिक्त टियर 1 पूंजी / अन्य टियर 1 पूंजी Additional Tier 1 capital/ Other Tier 1 capital	500.00	0.00
(iii) टियर 1 पूंजी/Tier 1 capital (i + ii)	15273.60	11469.81
(iv) टियर 2 पूंजी/Tier 2 Capital	2817.97	2894.92
(v) कुल पूंजी (टियर 1 + टियर 2)/ Total capital (Tier 1+Tier 2)	18091.57	14364.73
(vi) कुल जोखिम अनिर्धारित आस्तियां (आरडब्ल्यूए) Total Risk Weighted Assets (RWAs)	110557.73	104519.05
(vii) सीईटी 1 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में सीईटी 1) / आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में चुकता शेयर पूंजी और आरक्षित निधियां CET 1 Ratio (CET 1 as a percentage of RWAs)* / Paid-up share capital and reserves as percentage of RWAs)	13.41	10.97
(viii) टियर 1 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में टियर 1 पूंजी) Tier 1 Ratio (Tier 1 capital as a percentage of RWAs)	13.41	10.97
(ix) टियर 2 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में टियर 2 पूंजी) Tier 2 Ratio (Tier 2 capital as a percentage of RWAs)	2.56	2.77
(x) पूंजी-जोखिम अनिर्धारित परिसंपत्ति अनुपात (सीआरएआर) (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में कुल पूंजी) Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) (Total Capital as a percentage of RWAs)	16.42	13.74
(xi) उत्तोलन अनुपात/Leverage Ratio		
(xii) भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत Percentage of the shareholding of Government of India	95.39	95.39
(xiii) वर्ष के दौरान जुटाई गई प्रदत्त इक्विटी पूंजी की राशि Amount of paid-up equity capital raised during the year	-	-
(xiv) वर्ष के दौरान जुटाई गई गैर-इक्विटी टियर 1 पूंजी की राशि; जिसमें से Amount of non-equity Tier 1 capital raised during the year; out of which	500	-
अ) बासेल III अनुपालन स्थायी गैर-संचयी अधिमानी शेयर (पीएनसीपीएस)/ a) Basel III compliant Perpetual Non-Cumulative Preference Shares (PNCPS)		
ख) बासेल III अनुपालन स्थायी ऋण लिखत (पीडीआई) b) Basel III compliant Perpetual Debt Instrument (PDI):	500	
(xv) वर्ष के दौरान जुटाई गई टियर 2 पूंजी की राशि; जिसमें से Amount of Tier 2 capital raised during the year; of which	-	500
अ) स्थायी गैर-संचयी वरीयता शेयर a) Basel III compliant Tier II Bonds		500

बैंक ने वर्ष 2022-23 में बासेल III अतिरिक्त टियर I बॉन्ड के माध्यम से 500 करोड़ रुपये जुटाए हैं। बैंक ने वर्ष 2022-23 में म्यूच्युअरिटी पर बासेल III टियर II बॉन्ड के 1000 करोड़ रुपये का भुगतान किया है।

Bank has raised Rs.500 crore through Private Placement of BASEL III Additional Tier I Bond during the year 2022-23. Bank has also redeemed its BASEL III Tier II Bond of Rs.1000 crore on maturity during the year 2022-23.

बी) रिज़र्व से ड्रॉ डाउन - शून्य

b) Draw Down from Reserves - Nil

## 2. आस्ति देयता प्रबंध/Asset Liability Management

ए) दिनांक 31.03.2023 को आस्तियों एवं देयताओं की कुछ मदों की परिपक्वता का स्वरूपः/

a) Maturity pattern of certain items of asset and liabilities as on 31.3.2023:

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण	1 दिन	2 से 7 दिन तक	8 से 14 दिन तक	15 से 30 दिन तक	31 दिन से 2 माह तक	2 माह से अधिक से लेकर 3 माह तक	3 माह से अधिक से लेकर 6 माह तक	6 माह से अधिक से लेकर 1 वर्ष तक	1 वर्ष अधिक से लेकर 3 वर्ष तक	3 वर्ष तक अधिक से लेकर 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
PARTICULARS	1 Day	2 to 7 days	8 to 14 days	15 to 30 days	31 days to 2 months	Over 2 months and upto 3 months	Over 3 months and upto 6 months	Over 6 months and upto 1 year	Over 1 year and upto 3 years	Over 3 years and upto 5 year	Over 5 years	Total
जमा/Deposits	2599 (3150)	4034 (4053)	3933 (3284)	7582 (7567)	12198 (9019)	13665 (11396)	28324 (23640)	45963 (41164)	47343 (32054)	19898 (18837)	63798 (69908)	249338 (224073)
अग्रिम / Advances	1010 (428)	2069 (1595)	2602 (1393)	6712 (2492)	7014 (2726)	5955 (3883)	11599 (7354)	12118 (16597)	26674 (15745)	23837 (14564)	62039 (63000)	161629 (129777)
निवेश / Investments	- -	124 (100)	94 -	264 (707)	464 (218)	783 (1024)	893 (1657)	2124 (3082)	11262 (5165)	10804 (13763)	70857 (73327)	97669 (99045)
उधार/Borrowings	1903 (293)	2095 (2851)	1472 (1056)	3246 (1834)	1062 (602)	7252 (2821)	802 (744)	358 (1335)	811 (473)	- -	1500 (1500)	20501 (13508)
विदेशी मुद्रा आस्तियां Foreign Currency Assets	474 (1755)	6420 (4167)	2087 (1479)	9374 (16782)	6557 (16379)	9487 (5448)	6906 (11379)	3506 (26439)	7754 (3576)	6365 (2042)	2830 (2286)	61760 (91732)
विदेशी मुद्रा देयताएं Foreign Currency Liabilities	399 (1804)	5394 (4670)	1901 (1428)	9088 (16980)	6330 (15488)	10224 (6486)	5475 (11170)	5663 (25636)	10230 (4744)	4877 (1767)	2468 (1824)	62050 (91999)

ख) चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) /b) LIQUIDITY COVERAGE RATIO (LCR)

प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण/Quantitative Disclosure:

चलनिधि कवरेज अनुपात/Liquidity Coverage Ratio:

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

	30.06.2022 को समाप्त तिमाही Quarter ended 30.06.2022		30.09.2022 को समाप्त तिमाही Quarter ended 30.09.2022		31.12.2022 को समाप्त तिमाही Quarter ended 31.12.2022		31.03.2023 को समाप्त तिमाही Quarter ended 31.03.2023	
	कुल अभासित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल भासित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (Average)	कुल अभासित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल भासित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (Average)	कुल अभासित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल भासित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (Average)	कुल अभासित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल भासित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (Average)
<b>उच्च गुणवत्तायुक्त चल परिसंपत्तियाँ/ High Quality Liquid Assets</b>								
1 कुल उच्च गुणवत्तायुक्त चल परिसंपत्तिया (HQLA) Total High quality Liquid Assets(HQLA)		75964.02		74,663.38		75,800.93		72,689.01
<b>नकदी निकासी/Cash Outflows</b>								
2 खुदरा जमा और छोटे व्यवसाय के ग्राहकों से प्राप्त जमा, जिनमें से Retail Deposit and deposits from small business customers, of which	1,57,235.90	15,607.98	1,47,695.76	14,652.35	1,52,987.08	15,190.27	1,64,916.42	16,387.71
(i) स्थिर जमा /Stable Deposit	2,311.61	115.58	2,344.48	117.22	2,168.72	108.44	2,078.56	103.93
(ii) अल्प स्थिर जमा/Less Stable Deposit	1,54,546.40	15,454.64	1,45,351.27	14,535.13	1,50,818.36	15,081.84	1,62,837.86	16,283.79
3 अरक्षित थोक वित्त पोषण, जिनमें से Unsecured Wholesale Funding, of which	43,928.66	18,290.13	45,109.70	21,498.54	48,059.66	19,565.57	53,536.43	21,550.06
(i) परिचालन जमा (सभी प्रतिपक्षी पार्टियाँ) Operational Deposits ( All Counter Parties)	0	0	0	0	0	0	0	0
(ii) गैर-परिचालन जमा (सभी प्रतिपक्षी पार्टियाँ) Non- Operational Deposits ( All Counter Parties)	41,884.71	17,318.85	45,109.70	21,498.54	49,059.65	19,565.57	53,536.43	21,550.06
(iii) अप्रतिभूत ऋण/Unsecured Debt	-	-	-	-	-	-	-	-
4 प्रतिभूत थोक निधियन / Secured Wholesale Funding								
5 अतिरिक्त जरूरतें, जिनमें/ Additional Requirements, of Which	10,184.83	1,831.03	12,489.56	2,341.15	16,519.53	2,539.59	14,183.04	1,862.61
(i) व्युत्पन्न एक्सपोजर एवं अन्य संपार्श्विक जरूरतों से संबंधित निकासी Outflows related to derivative exposures and other Collateral Requirements	1,142.85	1,142.85	1,543.52	1,543.52	1,521.48	1,521.48	971.44	971.44

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

	30.06.2022 को समाप्त तिमाही Quarter ended 30.06.2022		30.09.2022 को समाप्त तिमाही Quarter ended 30.09.2022		31.12.2022 को समाप्त तिमाही Quarter ended 31.12.2022		31.03.2023 को समाप्त तिमाही Quarter ended 31.03.2023	
	कुल अभासित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (Average)	कुल अभासित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (Average)	कुल अभासित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (Average)	कुल अभासित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (Average)
(ii) ऋण उत्पादों पर निधियन हानि से संबंधित निकासी Outflows related to loss of funding on debt Products	-	-	-	-	-	-	-	-
(iii) ऋण एवं चलनिधि सुविधाएं Credit and Liquidity facilities	9,027.01	634.00	10,946.04	797.63	14,998.05	1,018.11	13,211.60	891.17
6 अन्य सविदा निधियन दायित्व Other Contractual funding Obligations	4,012.25	4,012.25	4,837.40	4,837.40	6,976.93	6,976.93	6,496.76	6,496.76
7 अन्य आकस्मिक निधियन दायित्व Other Contingent Funding Obligations	8,894.77	289.77	6,696.92	220.90	2,047.35	79.24	2,142.61	88.88
8 कुल नकदी निकासी/ Total Cash Outflows		39,939.22		43,550.54		44,351.60		46,386.02
<b>नकदी आगमन/ Cash Inflows</b>								
9 प्रतिभूत उधार (उदा. रिवर्स रेपो) Secured Lending (eg. Reverse Repos )	2,481.86	-	569.27	-	321.34	-	462.44	-
10 पूर्णतः अजक एलसपोज़र से आगमन Inflows from Fully Performing Exposures	3,780.34	2,562.07	5,227.99	3,741.55	7,205.13	4,635.91	7,573.39	5,015.52
11 अन्य नकदी आगमन/ Other Cash inflows	1,062.71	588.19	1,094.04	572.02	352.59	196.17	726.80	397.05
<b>12 कुल नकदी आगमन/Total Cash Inflows</b>	7,086.56	3,213.36	6,891.29	4,313.58	7,879.06	4,832.08	8,762.64	5,412.58
	कुल समायोजित मूल्य/Total Adjusted Value		कुल समायोजित मूल्य/Total Adjusted Value		कुल समायोजित मूल्य/Total Adjusted Value	कुल समायोजित मूल्य/Total Adjusted Value	कुल समायोजित मूल्य/Total Adjusted Value	
13 कुल एचक्यूएलए/ Total HQLA		75,964.02		74,663.38		75,800.93		72,689.01
14 कुल निवल नकदी निकासी/ Total Net Cash Outflow		36,725.86		39,236.76		39,519.92		40,973.45
15 चलनिधि कवरेज अनुपात/ Liquidity Coverage Ratio (%)		206.84%		190.29%		191.81%		178.90%

\* चालू वर्ष का औसत एलसीआर यानी 191.96%/Average of Daily LCR of Current Year i.e. 191.96%

\*\* पिछले वर्ष का औसत एलसीआर यानी 217.45% /Average of Daily LCR of Previous Year i.e. 217.45%



## एलसीआर डाटा की गुणवत्ता मूल्यांकन एवं परिणाम:

चल निधि कवरेज, बैंक को संभावी चल निधि के अव्यवस्थित होने पर यह सुनिश्चित करते हुए कि बैंक में उच्च स्तरीय चल निधि परिसंपत्तियां हैं जिन्हें 30 दिनों की अत्यधिक कठिन आर्थिक स्थितियों से उबरने हेतु चलनिधि की आवश्यकता को पूरा करने के लिए नकद में परिवर्तित किया जा सकता है, लघु अवधि हेतु संवर्धित करता है। एलसीआर का परिकलन अगले 30 कैलेंडर दिनों में कठिन आर्थिक परिस्थितियों में निवल नकद बहिर्गमन के अनुपात में उच्च स्तरीय चल निधि संपत्तियों के आधार पर किया जाता है।

### पर्याप्त एलसीआर के निर्धारक तत्व

बैंक द्वारा लगातार एकल एवं समेकित आधार पर एलसीआर को नियामक की अपेक्षाओं से भी अधिक अनुरक्षित किया जा रहा है जिसके मुख्य निर्धारक तत्व हैं:

तत्व / Drivers	विवरण/Particulars
उच्च गुणवत्ता चल परिसंपत्तियों (एचक्यूएलए) का सुविधाजनक स्तर  Comfortable level of High Quality Liquid Assets (HQLA)	बैंक द्वारा बाध्यकारी एसएलआर जरूरतों से अधिक अतिरिक्त सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में एचक्यूएलए का सुविधाजनक स्तर बनाए रखा जा रहा है, जिसे संकटग्रस्त परिस्थितियों में जल्द तरलता उपलब्ध करने के लिए आसानी से बेचा या रेपो उधार के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।  The Bank is maintaining comfortable level of HQLA in the form of Government Securities in excess over the mandatory SLR requirement which can be easily sold or could be used for repo borrowings to avail quick liquidity in stressed conditions.
न्यून रन ऑफ वाली निकसियों पर ध्यान देना  Focus on Outflows having lower run-off	बैंक 5%/10% के न्यून रन ऑफ घटक युक्त रिटेल जमा पर ध्यान केंद्रित कर रहा है तथा कॉर्पोरेट जमा एवं बैंक/एफआई/एनबीएफसी से प्राप्त जमाओं पर निर्भरता कम कर रहा है जिनका 40%/100% तक उच्च रन ऑफ घटक रहता है।  The bank is focusing on accretion of retail deposits as they have lower run off factor of 5%/10% and is reducing dependence on corporate deposits and deposits from bank / FI / NBFC having higher run off factor of 40%/100%

**उच्च गुणवत्ता चल परिसंपत्तियां (एचक्यूएलए):** हमारे एचक्यूएलए में निम्नांकित शामिल हैं:

- स्तर 1 की परिसंपत्तियां
  1. उपलब्ध तैयार नकदी जिसमें सीआरआर के अतिरिक्त मौजूद नकदी रिजर्व शामिल है।
  2. बाध्यकारी एसएलआर के अतिरिक्त मौजूद सरकारी प्रतिभूतियां।
  3. एसएलआर प्रतिभूतियों के रूप में शुद्ध मांग एवं मियादी देयताओं के 2% तक की सीमांत स्थायी सुविधा।
  4. एसएलआर प्रतिभूतियों के रूप में शुद्ध मांग एवं मीयादी देयताओं के 16% तक तरलता कवरेज अनुपात के लिए तरलता प्राप्ति की सुविधा।
- स्तर 2 की परिसंपत्तियां (बैंकों/वित्तीय संस्था द्वारा जारी न की गई)
- स्तर 2ए परिसंपत्तियों के अंतर्गत -
  1. सॉवरेन सार्वजनिक क्षेत्र के निकार्यों (पीएसई) पर दावों या उनके द्वारा गारंटीकृत दावों का प्रतिनिधित्व करनेवाली विक्रय योग्य प्रतिभूतियां जिनका बासेल II के तहत जोखिम भार 20% का है।
  2. कारपोरेट बॉन्ड एवं वाणिज्यिक कागजात जिनकी न्यूनतम रेटिंग एए- है।

## Qualitative Assessment of LCR data and Result: Risk Management

The Liquidity Coverage Ratio (LCR) promotes short term resilience of banks to potential liquidity disruptions by ensuring that they have sufficient High Quality Liquid Assets (HQLA) that can be converted into cash to meet their liquidity needs under a significantly severe stress scenario lasting for 30 days. The LCR is calculated as the ratio of High Quality Liquid Assets (HQLA) to Net Cash Outflows under stressed conditions over the next 30 calendar days.

### Drivers of a Comfortable LCR:

The Bank has been maintaining the LCR well above the regulatory requirement on an ongoing basis on solo as well as consolidated basis the main drivers of which are as under:

**High Quality liquid Assets (HQLA):** Our HQLA comprises of following

- Level 1 Assets
  1. Cash in hand including Cash Reserve in excess of CRR
  2. Govt. Securities in Excess of Mandatory SLR
  3. Marginal standing Facility up to 2% of Net Demand and Time Liabilities in the form of SLR securities.
  4. Facility to Avail Liquidity for liquidity Coverage Ratio up to 16% of Net Demand and Time Liabilities in the form of SLR securities.
- Level 2 Assets (Not issued by Banks/Financial Institution)
- Under Level 2A assets - With Haircut of 15%
  1. Marketable securities representing claims on or claims guaranteed by Sovereigns Public Sector Entities (PSEs) having risk weight 20% under the Basel II
  2. Corporate Bonds and Commercial Papers having minimum rating of AA-

- स्तर 2बी परिसंपत्तियों के अंतर्गत

1. सॉवरेन द्वारा निर्गमित या गारंटीकृत प्रतिभूतियां जिनका जोखिम भार 20% से अधिक परंतु 50% से अधिक नहीं है (जैसे एए एवं ए रेटिंग के बॉन्ड)।
2. कॉर्पोरेट कर्ज प्रतिभूतियां (वाणिज्यिक कागजात सहित) जिनकी बाह्य रेटिंग ए+ से बीबीबी- के मध्य है।
3. एनएसई सीएनएक्स निफ्टी सूचकांक और/या एस एंड पी बीएसई सेन्सेक्स सूचकांक में शामिल कॉमन ईक्विटी शेयर

**निधियन स्रोतों का संकेन्द्रण :** विविधतापूर्ण देयताओं से युक्त हमारे निधियन स्रोतों का आधार सुविस्तृत है जिसमें मुख्यतः शामिल हैं

- चालू जमा एवं बचत जमा, और
- मीयादी जमा (सामान्य एवं थोक)

बैंक निम्न स्थिरता वाली निधियों के संकेन्द्रण पर निगरानी रखने/कम करने के उद्देश्य से नियमित अंतराल पर निधि स्रोतों की निगरानी रख रहा है। बैंक ने थोक जमा को कम किया है तथा चालू एवं बचत जमा की अभिवृद्धि पर ध्यान दिया है। बैंक नियमित अंतराल पर 20 सबसे बड़े जमाकर्ताओं के संकेन्द्रण पर भी नज़र रखता है।

हमारे कोई सामूहिक निकाय नहीं हैं तथा एकल स्तर पर तरलता का प्रबंधन केंद्रीयकृत रूप से किया जाता है।

- Under Level 2B assets - With Haircut of 50%

1. Securities issued or guaranteed by sovereigns having risk weight higher than 20% but not higher than 50% (i.e. Bonds with Rating AA & A)
2. Corporate Debt Securities (including Commercial Paper) having external rating between A+ and BBB-
3. Common Equity Shares Included in NSE CNX Nifty index and/or S&P BSE Sensex index

**Concentration of Funding Sources:** Our Funding sources is well spread with diversified liabilities portfolio comprising mainly of

- Current Deposit and Saving Deposit and
- Term Deposit ( normal and Bulk)

The bank is monitoring the funding sources on regular interval with the objective to monitor / reduce the concentration of funds having lower stability. The bank has reduced the bulk deposits and focused on accretion of current and Savings deposits. The bank also monitors the concentration of top 20 depositors on regular intervals.

We do not have any group entities and liquidity at solo level is being managed centrally.

ग) निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफआर):

	एनएसएफआर प्रकटीकरण टेम्पलेट:																					
	तिमाही 1				तिमाही 2				तिमाही 3				तिमाही 4									
	अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा अधिधारित मूल्य				अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा अधिधारित मूल्य				अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा अधिधारित मूल्य				अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा अधिधारित मूल्य									
	कोई परिपक्वता नहीं*	< 6 माह	6 माह से < 1 वर्ष	≥ 1 वर्ष	निधारित मूल्य	कोई परिपक्वता नहीं*	< 6 माह	6 माह से < 1 वर्ष	≥ 1 वर्ष	निधारित मूल्य	कोई परिपक्वता नहीं*	< 6 माह	6 माह से < 1 वर्ष	≥ 1 वर्ष	निधारित मूल्य	कोई परिपक्वता नहीं*	< 6 माह	6 माह से < 1 वर्ष	≥ 1 वर्ष	निधारित मूल्य		
एनएसएफ मर																						
1 मुंजी (2+3)	-	-	-	58,961	59,669	-	-	-	59,669	59,669	-	-	-	66,668	66,668	-	-	-	73,086	73,086	-	-
2 विनिमांक पूंजी	-	-	-	14,519	13,873	-	-	-	13,873	13,873	-	-	-	15,522	15,522	-	-	-	15,726	15,726	-	-
3 अन्य पूंजी खान	-	-	-	44,442	44,442	-	-	-	45,796	45,796	-	-	-	51,346	51,346	-	-	-	57,361	57,361	-	-
4 खुदरा जमा और छोटे व्यवसाय के प्राक्कों के जमा: (5 अ 6)	80,654	-	69,786	-	1,38,175	83,104	-	69,525	-	1,41,268	83,775	-	70,855	-	1,42,782	85,719	-	67,742	-	1,41,390	-	
5 स्थिर जमा	35,506	-	20,070	-	52,797	36,037	-	41,990	-	74,125	36,448	-	41,217	-	73,738	37,316	-	39,428	-	72,127	-	
6 अन्य स्थिर जमा	45,149	-	49,716	-	85,379	47,068	-	27,535	-	67,142	47,327	-	29,638	-	69,043	48,403	-	28,314	-	69,263	-	
7 शोक वित्त पोषण: (8+9)	5,549	316	29,048	-	17,289	4,327	477	34,111	-	19,459	4,050	1,248	35,175	-	21,399	4,285	1,234	38,261	-	23,285	-	
8 प्रचलनात्मक जमा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9 अन्य शोक वित्त पोषण	5,549	316	29,048	-	17,289	4,327	477	34,111	-	19,459	4,050	1,248	35,175	-	21,399	4,285	1,234	38,261	-	23,055	-	
10 अन्य देवदार: (11 + 12)	6,582	-	-	-	-	9,776	-	-	-	-	11,589	-	-	-	-	22,363	-	-	-	-	-	
11 एनएसएफआर खुदरा देवदार	4,460	-	-	-	-	6,556	-	-	-	-	4,127	-	-	-	-	4,574	-	-	-	-	-	
12 अन्य सभी देवदार और हिविटी जो कि उर्ध्वक श्रेणियों में शामिल नहीं की गई हैं	2,122	-	-	-	-	3,221	-	-	-	-	7,472	-	-	-	-	17,790	-	-	-	-	-	
13 कुल एनएसएफ (1+4+7+10)					2,14,435	97,207	477	1,03,636	59,583	2,20,396.39	99,424	1,248	1,06,031	66,790	2,31,048	1,12,368	1,234	1,06,003	73,000	2,37,761		
अन्य एनएसएफ मर																						
14 कुल एनएसएफआर कुल गुणवत्ता वाली चल संपत्ति (एनएसएफएल)					4,810					5,344					4,220	60,149	2,691				6,552	
15 परिवारल प्रयोजनों के लिए अन्य वित्तीय संस्थानों में रखी गई जमाएं	98	-	-	-	49	74	-	-	-	37	40	-	-	-	20	44	-	-	-	-	22	
16 अर्धक ऋण और प्रतिभूतियां: (17 + 18 + 19 + 21 + 23)	-	3,400	37,413	62,703	68,622	-	4,645	44,069	60,283	70,785	-	8,787	34,211	63,065	68,604	-	6,613	41,048	66,154	74,466		
17 स्तर 1 एनएसएफएल द्वारा खरीत वित्तीय संस्थानों के अर्धक ऋण और वित्तीय संस्थानों के अर्धरक्षित अर्धक ऋण।								4,645		687		2,689			269							
18 स्तर-स्तर 1 एनएसएफएल द्वारा खरीत वित्तीय संस्थानों के अर्धक ऋण और वित्तीय संस्थानों को अनुसूचित अर्धक ऋण					510				4,4069	24,792		6,088			915						982	



**c) Net Stable Funding Ratio(NSFR):**

NSFR Disclosure Template:																		
(₹ in Crore)	QUARTER 1				QUARTER 2				QUARTER 3				QUARTER 4					
	Unweighted value by residual maturity			Weighted value	Unweighted value by residual maturity			Weighted value	Unweighted value by residual maturity			Weighted value	Unweighted value by residual maturity			Weighted value		
	No maturity*	< 6 months	6 months to < 1yr		>= 1yr	No maturity*	< 6 months		6 months to < 1yr	>= 1yr	No maturity*		< 6 months	6 months to < 1yr	>= 1yr		No maturity*	< 6 months
ASF Item																		
1	Capital: (2+3)	-	-	58,961	58,969	-	-	58,969	58,969	-	-	68,688	68,688	-	-	73,086	73,086	
2	Regulatory capital	-	-	14,519	13,873	-	-	13,873	13,873	-	-	15,522	15,522	-	-	15,726	15,726	
3	Other capital instruments	-	-	44,442	45,796	-	-	45,796	45,796	-	-	51,346	51,346	-	-	57,361	57,361	
4	Retail deposits and deposits from small business customers: (5+6)	80,654	68,786	-	68,525	83,104	-	83,775	1,42,268	83,775	-	70,855	1,42,782	85,719	67,742	-	1,41,390	
5	Stable deposits	35,506	20,070	-	41,990	36,037	-	36,448	74,125	36,448	-	41,217	73,738	37,316	39,428	-	72,127	
6	Less stable deposits	45,149	48,716	-	27,535	47,068	-	47,327	67,142	47,327	-	29,638	69,043	48,403	28,314	-	69,263	
7	Wholesale funding: (8+9)	5,549	29,048	-	17,299	4,327	477	34,111	19,459	4,050	1,248	35,175	21,399	4,285	1,234	38,261	23,285	
8	Operational deposits	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Other wholesale funding	5,549	29,048	-	17,299	4,327	477	34,111	19,459	4,050	1,248	35,175	21,399	4,285	1,234	38,261	23,055	
10	Other liabilities: (11+12)	6,582	-	-	9,776	-	-	11,599	-	-	-	-	-	22,963	-	-	-	
11	NSFR derivative liabilities	4,460	-	-	6,556	-	-	4,127	-	-	-	-	-	4,574	-	-	-	
12	All other liabilities and equity not included in the above categories	2,122	-	-	3,221	-	-	7,472	-	-	-	-	-	17,790	-	-	-	
13	Total ASF (1+4+7+10)			2,14,435	97,207	477	1,03,636	59,583	2,20,396.39	99,424	1,248	1,06,031	66,790	1,12,368	1,234	1,06,003	73,000	2,37,761
RSF Item																		
14	Total NSFR high-quality liquid assets (HQLA)			4,810					5,344					60,149	2,681			6,552
15	Deposits held at other financial institutions for operational purposes	88	-	-	74				37	40	-	-	-	44	-	-	-	22
16	Performing loans and securities: (17+18+19+21+ 23)	-	3,400	62,703	44,069	4,645	60,283	70,785	70,785	-	8,787	34,211	63,065	-	6,613	41,048	66,154	74,466
17	Performing loans to financial institutions secured by Level 1 HQLA and unsecured performing loan to financial institutions.	-	-	-	4,645	-	-	697	697	-	2,689	-	-	-	-	-	-	-
18	Performing loans to financial institutions secured by non-Level 1 HQLA and unsecured performing loans to financial institutions	-	3,400	-	44,069	4,242	44,069	24,792	24,792	-	6,098	-	-	-	6,613	-	-	992



गुणात्मक चर्चा :  
पृष्ठभूमि :

**चलनिधि पर बासेल III नियम पाठ - "बासेल III: चलनिधि जोखिम माप, मानकों और निगरानी के लिए अंतर्राष्ट्रीय रूपरेखा"** दिसंबर 2010 में जारी की गई थी जिसमें चलनिधि पर वैश्विक नियामक मानकों का विवरण प्रस्तुत किया गया था।

दो अलग-अलग लेकिन पूरक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बासेल समिति द्वारा चलनिधि के वित्तपोषण के लिए दो न्यूनतम मानक; अर्थात् चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) और शुद्ध स्थिर निधि अनुपात (एनएसएफआर) निर्धारित किए गए थे।

एलसीआर बैंकों के संभावित चलनिधि अवरोधों के लिए अल्पकालिक आघात-सहनीयता को बढ़ावा देता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनके पास 30 दिनों तक चलने वाले तीव्र दबाव परिदृश्य से बचने के लिए पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्तियां (एचक्यूएलए) हैं। एनएसएफआर बैंकों को अपनी गतिविधियों को निरंतर आधार पर वित्तपोषण के अधिक स्थिर स्रोतों के साथ वित्तपोषित करने की आवश्यकता हेतु दीर्घ अवधि के क्षितिज पर आघात-सहनीयता को बढ़ावा देता है।

#### एनएसएफआर का उद्देश्य:

एनएसएफआर का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक अपनी परिसंपत्तियों की संरचना और तुलन पत्र से इतर गतिविधियों के संबंध में एक स्थिर फंडिंग प्रोफाइल बनाए रखे। एक स्थायी वित्त पोषण संरचना का उद्देश्य बैंक के वित्त पोषण के नियमित स्रोतों में व्यवधान के कारण बैंक की तरलता की स्थिति के क्षरण की संभावना को कम करना है जिससे इसकी विफलता का जोखिम बढ़ जाएगा और संभावित रूप से व्यापक प्रणालीगत तनाव हो सकता है।

#### एनएसएफआर की परिभाषा:

एनएसएफआर को आवश्यक स्थिर वित्तपोषण की राशि के सापेक्ष उपलब्ध स्थिर वित्तपोषण की राशि के रूप में परिभाषित किया गया है।

"उपलब्ध स्थिर वित्तपोषण" (एएसएफ) को पूँजी और देयताएं के हिस्से के रूप में परिभाषित किया गया है और एनएसएफआर द्वारा विचार किए गए समय क्षितिज पर विश्वसनीय होने की उम्मीद है, जो एक वर्ष तक बढ़ा है।

#### उदाहरण :

- कुल विनियामक पूँजी (एक वर्ष से कम की अवशिष्ट परिपक्वता वाली टियर 2 लिखतों को छोड़कर)।
- एक वर्ष या उससे अधिक की प्रभावी अवशिष्ट परिपक्वता के साथ अन्य पूँजीगत लिखत और देयताएं।
- रिटेल एवं लघु व्यवसाय ग्राहकों (इसे बड़े कॉर्पोरेट/ संस्थान से जमा राशि की तुलना में अधिक स्थिर माना जाता है) द्वारा प्रदान की गई स्थिर और कम स्थिर गैर-परिपक्वता (मांग) जमा राशि तथा एक वर्ष से कम की अवशिष्ट परिपक्वता के साथ सावधि जमा
- सरकारी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और बहुपक्षीय और राष्ट्रीय विकास बैंकों से एक वर्ष से कम की अवशिष्ट परिपक्वता के साथ वित्तपोषण।

किसी विशिष्ट संस्थान के लिए आवश्यक स्थिर वित्तपोषण ("आवश्यक स्थिर वित्तपोषण") (आरएसएफ) उस संस्था द्वारा धारित विभिन्न परिसंपत्तियों की चलनिधि विशेषताओं और अवशिष्ट परिपक्वताओं के साथ-साथ इसके तुलन-पत्र से इतर जोखिमों का एक कार्य है।

#### उदाहरण :

- भार रहित स्तर 1 की परिसंपत्तियां, सिक्कों, बैंक नोटों, सीआरआर और एसएलआर प्रतिभूतियों को छोड़कर

#### Qualitative discussion:

#### Background:

The **Basel III rules text on liquidity** - "Basel III: International framework for Liquidity Risk measurement, standards and monitoring" was issued in December 2010 which presented the details of global regulatory standards on liquidity.

Two minimum standards, viz., Liquidity Coverage Ratio (LCR) and Net Stable Funding Ratio (NSFR) for funding liquidity were prescribed by the Basel Committee for achieving two separate but complementary objectives.

The LCR promotes short-term resilience of banks to potential liquidity disruptions by ensuring that they have sufficient High Quality Liquid Assets (HQLAs) to survive an acute stress scenario lasting for 30 days. **The NSFR promotes resilience over a longer-term time horizon by requiring banks to fund their activities with more stable sources of funding on an ongoing basis.**

#### Objective of NSFR:

The objective of NSFR is to ensure that Bank maintains a stable funding profile in relation to the composition of their assets and off-balance sheet activities. A sustainable funding structure is intended to reduce the probability of erosion of bank's liquidity position due to disruptions in bank's regular sources of funding that would increase the risk of its failure and potentially lead to broader systemic stress.

#### Definition of NSFR:

The NSFR is defined as the amount of **available stable funding relative to the amount of required stable funding.**

"**Available Stable Funding**" (ASF) is defined as the portion of capital and liabilities expected to be reliable over the time horizon considered by the NSFR, which extends to one year.

#### Example:

- Total regulatory capital (excluding Tier 2 instruments with residual maturity of less than one year).
- Other capital instruments and liabilities with effective residual maturity of one year or more.
- Stable & less stable non-maturity (demand) deposits and term deposits with residual maturity of less than one year provided by **retail and small business customers (it is considered more stable than deposits from large corporates/ institution)**
- Funding with residual maturity of less than one year from sovereigns, PSEs, and multilateral and national development banks.

**Stable funding required ("Required Stable Funding") (RSF)** of a specific institution is a function of the liquidity characteristics and residual maturities of the various assets held by that institution as well as those of its Off-Balance Sheet (OBS) exposures.

#### Example:

- Unencumbered Level 1 assets, excluding coins, banknotes, CRR and SLR Securities

- ख) भार रहित स्तर 2ए एवं स्तर 2बी परिसंपत्तियां
- ग) अन्य सभी परिसंपत्तियां जो एक वर्ष से कम की अवशिष्ट परिपक्वता वाली उपर्युक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं, जिसमें गैर-वित्तीय कॉरपोरेट ग्राहकों को 'मानक' ऋण, रिटेल और लघु व्यवसाय ग्राहकों को और सरकारी एवं सार्वजनिक उपक्रमों को 'मानक' ऋण शामिल हैं।
- घ) एक वर्ष या उससे अधिक की अवशिष्ट परिपक्वता के साथ भार रहित 'मानक' आवासीय बंधक और मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत न्यूनतम जोखिम भार निर्धारित किया गया।
- ङ) मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से अधिक जोखिम भार वाले अन्य भार रहित निष्पादन ऋण तथा एक वर्ष या उससे अधिक की अवशिष्ट परिपक्वता, वित्तीय संस्थानों के ऋण को छोड़कर।

गैर-निष्पादित ऋण, एक वर्ष या उससे अधिक की अवशिष्ट परिपक्वता के साथ वित्तीय संस्थानों को ऋण, गैर-विनिमय-व्यापारिक इक्विटी, अचल परिसंपत्तियां, नियामक पूंजी से कटौती की गई मर्दे, प्रतिधारित ब्याज, बीमा परिसंपत्तियां, सहायक हितों एवं चूक प्रतिभूतियों सहित उपर्युक्त श्रेणियों में शामिल अन्य सभी परिसंपत्तियां शामिल नहीं हैं।

#### एनएसएफआर की गणना :

एनएसएफआर की गणना निम्न प्रकार से की जाती है:-

$$\text{एनएसएफआर} = \frac{\text{उपलब्ध स्थिर निधीयन}}{\text{आवश्यक स्थिर निधीयन}} \geq 100\%$$

उपर्युक्त अनुपात चालू आधार पर कम से कम 100% के बराबर होना चाहिए। एनएसएफआर बैंकों पर दिनांक 01.10.2021 से प्रभावी है और आरबीआई की पोर्टल पर तिमाही फाइलिंग अनिवार्य है।

तदनुसार, हमें दिनांक 31.03.2023 के लिए आरबीआई की पोर्टल पर एनएसएफआर को अपलोड कर दिया है।

#### यूको बैंक की स्थिति:

बैंक न्यूनतम नियामकीय आवश्यक अनुपात से बहुत ऊपर एनएसएफआर को बनाए रख रहा है, जो दर्शाता है कि बैंक के पास अपनी निधि आवश्यकता को प्रबंधित करने के लिए पर्याप्त स्थिर स्रोत हैं।

- b) Unencumbered Level 2A & Level 2B assets
- c) All other assets not included in the above categories with residual maturity of less than one year, including 'standard' loans to non-financial corporate clients, to retail and small business customers, and 'standard' loans to sovereigns and PSEs
- d) Unencumbered 'standard' residential mortgages with a residual maturity of one year or more and assigned the minimum risk weight under the Standardized Approach
- e) Other unencumbered performing loans with risk weights greater than 35% under the Standardized Approach and residual maturities of one year or more, excluding loans to financial institutions

All other assets not included in the above categories, including non-performing loans, loans to financial institutions with a residual maturity of one year or more, non-exchange-traded equities, fixed assets, items deducted from regulatory capital, retained interest, insurance assets, subsidiary interests and defaulted securities

#### Computation of NSFR:

The NSFR is computed as follows:

$$\text{NSFR} = \frac{\text{Available Stable Funding}}{\text{Required Stable Funding}} \geq 100\%$$

The above ratio should be equal to at least 100% on an ongoing basis. The NSFR is binding on Banks w.e.f 01.10.2021 and quarterly filing in RBI portal is mandatory.

Accordingly, we have uploaded NSFR in RBI portal for 31.03.2023

#### UCO Bank's Position:

Bank is maintaining NSFR much above the maximum regulatory required ratio, which shows Bank has sufficient stable source of fund to manage its fund requirement.





	भारत में निवेश / Investments in India						भारत के बाहर निवेश / Investments outside India					कुल निवेश Total Investments
	सरकारी प्रतिभूतियाँ Government Securities	अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियाँ Other Approved Securities	शेयर Shares	डिबेंचर और बांड Debentures and Bonds	सहायक कंपनियों और/या संयुक्त उपक्रम Subsidiaries and/or joint ventures	अन्य Others	भारत में कुल निवेश Total investments in India	सरकारी प्रतिभूतियाँ (स्थानीय प्राधिकरण सहित) Government securities (including local authorities)	सहायक कंपनियों और/या संयुक्त उपक्रम Subsidiaries and/or joint ventures	अन्य Others	भारत के बाहर कुल निवेश Total Investments outside India	
	64864.92	0.00	0.00	2150.96	198.56	0.12	67214.55	1196.27	0.00	0.02	1196.29	
<b>परिपक्वता के लिए धारित / Held to Maturity</b>												
सकल/Gross	64864.92	0.00	0.00	2150.96	198.56	0.12	67214.55	1196.27	0.00	0.02	1196.29	68410.84
घटाएँ : अनर्जक निवेशों के लिए प्रावधान Less: Provision for non-performing investments (NPI)	0.00	0.00	0.00	130.05725	0.00	0.00	130.06	0.00	0.00	0.02	0.02	130.08
निवल/Net	64864.92	0.00	0.00	2020.90	198.56	0.12	67084.50	1196.27	0.00	0.00	1196.27	68280.77
<b>विक्री के लिए उपलब्ध/ Available for Sale</b>												
सकल/ Gross	25910.07	0.00	1086.25	1385.95	0.00	1346.84	29729.12	1031.37	0.00	0.00	1031.37	30760.49
घटाएँ : मूल्यहास तथा अनर्जक निवेशों के लिए Less: Provision for depreciation and NPI	191.19	0.00	673.14	427.14	0.00	748.24	2039.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2039.70
निवल/Net	25718.89	0.00	413.12	958.81	0.00	598.61	27689.42	1031.37	0.00	0.00	1031.37	28720.79
<b>Held for Trading</b>												
सकल/Gross	-125.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-125.91	0.00	0.00	0.00	0.00	-125.91
घटाएँ : मूल्यहास तथा अनर्जक निवेशों के लिए Less: Provision for depreciation and NPI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निवल/Net	-125.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-125.91	0.00	0.00	0.00	0.00	-125.91
<b>कुल निवेश / Total Investments</b>	90649.09	0.00	1086.25	3536.90	198.56	1346.96	96817.76	2227.64	0.00	0.02	2227.66	99045.42
घटाएँ : अनर्जक निवेशों के लिए प्रावधान Less: Provision for non-performing investments	0.00	0.00	673.14	296.75	0.00	0.00	969.89	0.02	0.00	0.00	0.02	969.91
घटाएँ : मूल्यहास तथा अनर्जक निवेशों के लिए Less: Provision for depreciation and NPI	191.19	0.00	0.00	260.44	0.00	748.24	1199.87	1.77	0.00	0.00	1.77	1201.64
निवल/Net	90457.90	0.00	413.12	2979.71	198.56	598.73	94648.01	2225.85	0.00	0.02	2225.87	96873.88

बी/b) मूल्यह्रास और निवेश में उतार-चढ़ाव रिजर्व के प्रावधानों का संचलन / Movement of Provisions for Depreciation and Investment Fluctuation Reserve

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

क्र.सं. Sl. no	विवरण / Particulars	चालू वर्ष/ Current Year	गत वर्ष/ Previous Year
i)	निवेश पर मूल्यह्रास की दिशा में धारित प्रावधानों का संचलन Movement of provisions held towards depreciation on investments		
	(क)/(a) प्रारंभिक शेष / Opening balance	1201.64	1274.41
	(ख)/(b) जोड़ें : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान / Add: Provisions made during the year	667.68	379.63
	(ग)/(c) घटाएं : बड़े खाते /वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेखन / Less: Write off / write back of excess provisions during the year	193.31	456.54
	(घ)/(d) विनिमय अन्तर / Exchange Difference	0.19	4.14
	(इ)/(e) अंतिम शेष / Closing Balance	1676.24	1201.64
ii)	निवेश उतार-चढ़ाव रिजर्व का संचलन / Movement of Investment Fluctuation Reserve		
	(क)/(a) प्रारंभिक शेष / Opening balance	559.31	0.00
	(ख)/(b) जोड़ें : वर्ष के दौरान अंतरित राशि / Add: Amount transferred during the year	0	559.31
	(ग)/(c) घटाएं: आहरण / Less: Drawdown	143.27	0.00
	(घ)/(d) अंतिम शेष / Closing Balance	416.04	559.31
iii)	एफएस और एचएफटी/वर्तमान श्रेणी में निवेश के अन्तिम शेष के प्रतिशत के रूप में आईएफआर में अन्तिम शेष राशि Closing balance in IFR as a percentage of closing balance of investments in AFS and HFT/Current category	2.00%	1.90%

सी) एचटीएम श्रेणी में/से बिक्री एवं अंतरण :

एचटीएम श्रेणी में/से बिक्री एवं अंतरण का मूल्य वर्ष के आरंभ में एचटीएम श्रेणी में रखे गए निवेशों के बही मूल्य के 5% से अधिक नहीं हुआ है। इसमें निदेशक मंडल के अनुमोदन से बैंक द्वारा ली गई प्रतिभूतियों का एकबारगी अंतरण शामिल नहीं है।

डी) गैर सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश संविभाग :

(i) अनर्जक गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश -

c) Sale and transfers to/from HTM category:

The value of sales and transfers of securities to/from HTM Category, excluding the one-time transfer of securities undertaken by the Bank with the approval of Board of Directors, has not exceeded 5 % of the book value of Investments held in HTM Category at the beginning of the year.

d) Non-SLR Investment Portfolio:

(i) Non performing Non-SLR investments -

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण / Particulars	31.03.2023	31.03.2022
प्रारंभिक शेष / Opening balance	1061.71	933.40
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	73.91	269.13
वर्ष के दौरान कमी / Reductions during the above period	174.64	149.22
विनिमय का अंतर / Exchange Difference	0.02	8.39
अंतिम शेष / Closing balance	961.00	1061.71
किए गए कुल प्रावधान / Total provisions held	938.66	941.77

ii) गैर सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश के जारीकर्ताओं की संरचना/ Issuer composition of Non SLR investments

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

सं. No.	जारीकर्ता Issuer	राशि Amount		निजी तौर पर शेयर आवंटन की सीमा Extent of Private Placement		‘निवेश श्रेणी से निम्न’ प्रतिभूतियों की सीमा Extent of ‘Below Investment Grade’ Securities		‘रेटिंग से इतर’ प्रतिभूतियों की सीमा Extent of ‘Unrated’ Securities		‘असूचीबद्ध’ प्रतिभूतियों की सीमा Extent of ‘Unlisted’ Securities	
		चालू वर्ष/ Current Year	पिछले वर्ष/ Previous Year	चालू वर्ष/ Current Year	पिछले वर्ष/ Previous Year	चालू वर्ष/ Current Year	पिछले वर्ष/ Previous Year	चालू वर्ष/ Current Year	पिछले वर्ष/ Previous Year	चालू वर्ष/ Current Year	पिछले वर्ष/ Previous Year
क/अ)	स.क्षे.के उपक्रम/ PSUs	22679.33	23924.88	22126.82	23808.01	0.00	0.80	20643.86	21611.22	18420.57	18425.40
ख/ब)	वित्तीय संस्थाएं / FIs	1237.16	902.76	1229.81	897.25	365.19	897.25	0.00	5.50	21.60	155.22
ग/क)	बैंक / Banks	584.25	29.33	34.35	29.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
घ/द)	निजी कंपनियां / Private Corporates	1323.61	1281.31	639.46	203.37	379.00	197.39	1083.58	1083.58	853.93	863.53
ड/े)	अनुषंगी/संयुक्त उद्यम/सम्बद्ध Subsidiaries/ Joint Ventures/ Associates	198.56	198.56	198.56	198.56	0.00	0.00	194.86	198.56	198.56	198.56
च/फ)	अन्य /Others	1097.34	1310.05	1097.34	1310.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1097.34	1310.05
छ/ग)	घटाएं- मूल्यहास के प्रति किया गया प्रावधान Less Provision held towards depreciation	2005.24	1978.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>योग / Total</b>	<b>25115.01</b>	<b>25668.29</b>	<b>25326.34</b>	<b>26446.57</b>	<b>744.19</b>	<b>1095.44</b>	<b>21922.30</b>	<b>22898.86</b>	<b>20592.00</b>	<b>20952.76</b>

ड/े) रेपो लेनदेन / Repo transactions (in face value terms):

	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया Minimum outstanding during the year	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया Maximum outstanding during the year	वर्ष के दौरान दैनिक औसत Daily Average outstanding during the year	31 मार्च 2023 को As on 31 <sup>st</sup> March 2023
<b>रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियाँ</b> <b>Securities sold under Repos</b>				
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ/Government securities		1,900.00	242.24	930.00
ii) कारपोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ/ Corporate debt securities				
iii. अन्य प्रतिभूतियाँ / Any other security				
<b>रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियाँ</b> <b>Securities purchased under reverse Repos</b>				
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ/Government securities		5,897.00	277.86	-
ii) कारपोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ/ Corporate debt securities				
iii. अन्य प्रतिभूतियाँ / Any other security				

4. आस्ति गुणवत्ता :

क) धारित अग्रिमों और प्रावधानों का वर्गीकरण

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

के अनुसार 31.03.2023

	मानक	अनर्जक				कुल
		अवमानक	संदिग्ध	कुल मानक अग्रिम	कुल अनर्जक अग्रिम	
	कुल मानक अग्रिम					
<b>सकल मानक अग्रिम तथा अनर्जक अस्तियाँ</b>						
प्रारंभिक जमा राशि	119539.91	2282.62	7289.63	665.18	10237.43	129777.34
जोड़ें: वर्ष के दौरान योग					2096.03	
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियाँ					4607.00	
अंतिम शेष राशि	153902.99	999.90	6228.55	498.01	7726.46	161629.45
*सकल एनपीए में कमी का कारण:						
i) उन्मथन छद्म					678.13	
ii) वसूली (उन्मथित खातों में वसूली के अतिरिक्त वसूली					1354.10	
iii) तकनीकी / विवेकपूर्ण बड़े खाते					2214.98	
iv) बिंदु (iii) के अलावा बड़े खाते डालना					359.79	
<b>प्रावधान (excluding Floating Provisions)</b>						
धारित प्रावधानों का प्रारंभिक जमा	818.06	681.22	4679.56	665.18	6025.96	6844.02
जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए नए प्रावधान					1353.17	
घटाएं: लौटार गए अतिरिक्तप्रावधान/बट्टा खातेडाले गए ऋण					2574.77	
धारित प्रावधानों का अंतिम जमशोध	884.03	165.88	4140.47	498.01	4804.36	5688.39
<b>निवल अनर्जक संपत्तियाँ</b>						
प्रारंभिक जमा शेष		1601.40	1714.38	0.00	3315.78	
जोड़ें: वर्ष के दौरान नए योग					1781.62	
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती					3079.38	
अंतिम जमा शेष		834.02	1184.00	0.00	2018.02	
<b>स्वमान प्रावधान</b>						
प्रारंभिक जमा शेष					6025.96	
जोड़ें: वर्ष के दौरान परिवर्धित प्रावधान					1353.17	
घटाएं: वर्ष के दौरान निकाले गए प्रावधान					2574.77	
स्वमान प्रावधान का अंतिम जमा शेष					4804.36	
<b>तकनीकी बड़े खाते तथा उनपर किए गए वसूली</b>						
तकनीकी/अधिशेष बड़े खातों का प्रारंभिक जमाशेष					28514.84	
जोड़ें : वर्ष के दौरान तकनीकी/अधिशेष बड़े खाते					2214.98	
घटाएं: वर्ष के दौरान पहले के तकनीकी/					1602.53	
अधिशेष बड़े खातों में वसूली					28955.72	
अंतिम जमशोध						

	मानक		अनर्जक				कुल
	कुल मानक अग्रिम	अवमानक	संदिग्ध	कुल मानक अग्रिम	कुल अनर्जक अग्रिम	कुल	
<p><b>सकल मानक अग्रिम तथा अनर्जक अस्तित्वों</b></p> <p>प्रारंभिक जमा राशि</p> <p>जोड़ें: वर्ष के दौरान योग</p> <p>घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियां</p> <p>अंतिम शेष राशि</p> <p>* सकल एनपीए में कमी का कारण:</p> <p>i) उन्नयन छद्म</p> <p>ii) वसूली (उन्नयित खातों में वसूली के अतिरिक्त वसूली</p> <p>iii) तकनीकी / विवेकपूर्ण बड़े खाते</p> <p>iv) बिंदु (iii) के अलावा बड़े खाते खोलना</p> <p><b>प्रावधान (excluding Floating Provisions)</b></p> <p>धारित प्रावधानों का प्रारंभिक जमा</p> <p>जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए नए प्रावधान</p> <p>घटाएं: लौटए गए अतिरिक्तप्रावधान/बिड़ा खातेडाले गए ऋण</p> <p>धारित प्रावधानों का अंतिम जमशोध</p> <p><b>निवल अनर्जक संपत्तियां</b></p> <p>प्रारंभिक जमा शेष</p> <p>जोड़ें: वर्ष के दौरान नए योग</p> <p>घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती</p> <p>अंतिम जमा शेष</p> <p><b>प्लवमान प्रावधान</b></p> <p>प्रारंभिक जमा शेष</p> <p>जोड़ें: वर्ष के दौरान परिवर्धित प्रावधान</p> <p>घटाएं: वर्ष के दौरान निकाले गए प्रावधान</p> <p>प्लवमान प्रावधान का अंतिम जमा शेष</p> <p><b>तकनीकी बड़े खाते तथा उनपर किए गए वसूली</b></p> <p>तकनीकी/अधिशेष बड़े खातों का प्रारंभिक जमाशेष</p> <p>जोड़ें: वर्ष के दौरान तकनीकी/अधिशेष बड़े खाते</p> <p>घटाएं: वर्ष के दौरान पहले के तकनीकी/अधिशेष बड़े खातों में वसूली</p> <p>अंतिम जमशोध</p>	107052.84	2678.75	7508.70	1164.52	11351.97	118404.81	
	119539.91	2282.62	7289.63	665.18	10237.43	129777.34	
	478.14	557.61	4826.99	665.18	6049.78	6557.92	
	818.06	681.22	4679.56	665.18	6025.96	6844.02	
		2121.14	2268.37	0.00	4389.51	70.46	
		1601.40	1714.38	0.00	3396.29	0.00	
					3315.78	70.46	
						0.00	
						0.00	
						70.46	
						26501.85	
						3667.96	
						1654.97	
						28514.84	

**4. Asset Quality:**  
a) Classification of advances and provisions held

As on 31.03.2023 (राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

	Standard	Non-Performing			Total
		Sub-standard	Doubtful	Loss	
	<b>Total Standard Advances</b>				<b>Total Non-Performing Advances</b>
<b>Gross Standard Advances and NPAs</b>	119539.91	2282.62	7289.63	665.18	10237.43
Opening Balance					2096.03
Add: Additions during the year					4607.00
Less: Reductions during the year		999.90	6228.55	498.01	7726.46
Closing balance	153902.99				161629.45
*Reductions in Gross NPAs due to:					
i) Up gradation					678.13
ii) Recoveries (excluding recoveries from upgraded accounts)					1354.10
iii) Technical/ Prudential Write-offs					2214.98
iv) Write-offs other than those under (iii) above					359.79
<b>Provisions (excluding Floating Provisions)</b>	818.06	681.22	4679.56	665.18	6025.96
Opening balance of provisions held					1353.17
Add: Fresh provisions made during the year					2574.77
Less: Excess provision reversed/ Write-off loans		165.88	4140.47	498.01	4804.36
Closing balance of provisions held	884.03				2018.02
<b>Net NPAs</b>		1601.40	1714.38	0.00	3315.78
Opening Balance					1781.62
Add: Fresh additions during the year					3079.38
Less: Reductions during the year		834.02	1184.00	0.00	2018.02
Closing Balance					
<b>Floating Provisions</b>					
Opening Balance					6025.96
Add: Additional provisions made during the year					1353.17
Less: Amount drawn down during the year					2574.77
Closing balance of floating provisions					4804.36
<b>Technical write-offs and the recoveries made thereon</b>					
Opening balance of Technical/ Prudential written-off accounts					28514.84
Add: Technical/ Prudential write-offs during the year					2214.98
Less: Recoveries made from previously technical/ prudential written-off accounts during the year					1602.53
Closing balance					28955.72

	Standard		Non-Performing			Total
	Total Standard Advances	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total Non-Performing Advances	
<b>Gross Standard Advances and NPAs</b>						
Opening Balance	107052.84	2678.75	7508.70	1164.52	11351.97	118404.81
Add: Additions during the year					6122.62	
Less: Reductions during the year					7237.16	
Closing balance	119539.91	2282.62	7289.63	665.18	10237.43	129777.34
* Reductions in Gross NPAs due to:						
i) Up gradation					2087.08	
ii) Recoveries (excluding recoveries from upgraded accounts)					1298.85	
iii) Technical/ Prudential Write-offs					3667.96	
iv) Write-offs other than those under (iii) above					183.27	
<b>Provisions (excluding Floating Provisions)</b>						
Opening balance of provisions held	478.14	557.61	4826.99	665.18	6049.78	6557.92
Add: Fresh provisions made during the year					3827.41	
Less: Excess provision reversed/ Write-off loans					3851.23	
Closing balance of provisions held	818.06	681.22	4679.56	665.18	6025.96	6844.02
<b>Net NPAs</b>						
Opening Balance		2121.14	2268.37	0.00	4389.51	70.46
Add: Fresh additions during the year					2322.56	0.00
Less: Reductions during the year					3396.29	0.00
Closing Balance		1601.40	1714.38	0.00	3315.78	70.46
Floating Provisions						
Opening Balance						
Add: Additional provisions made during the year						
Less: Amount drawn down during the year						
Closing balance of floating provisions						
Technical write-offs and the recoveries made thereon						
Opening balance of Technical/ Prudential written-off accounts						26501.85
Add: Technical/ Prudential write-offs during the year						3667.96
Less: Recoveries made from previously technical/ prudential written-off accounts during the year						1654.97
Closing balance						28514.84



अनुपात (प्रतिशत में) Ratios (in per cent)	चालू वर्ष/ Current Year	पिछले वर्ष/ Previous Year
सकल अनर्जक अस्ति से सकल अग्रिम / Gross NPA to Gross Advances	4.78	7.89
निवल अनर्जक अस्ति से निवल अग्रिम / Net NPA to Net Advances	1.29	2.70
प्रावधान व्याप्ति अनुपात / Provision coverage ratio	94.50%	91.44%

B) Sector-wise Advances and Gross NPAs:

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

क्र. सं. Sl. No.	क्षेत्र /Sector	चालू वर्ष/Current Year (31.03.2023)			पिछले वर्ष/Previous Year (31.03.2022)		
		कुल बकाया अग्रिम/ Outstanding Total Advances	सकल एनपीए/ Gross NPAs	उस क्षेत्र में कुल अग्रिम की तुलना में सकल एनपीए का प्रतिशत/ Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector	कुल बकाया अग्रिम/ Outstanding Total Advances	सकल एनपीए/ Gross NPAs	उस क्षेत्र में कुल अग्रिम की तुलना में सकल एनपीए का प्रतिशत/ Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector
<b>i)</b>	<b>प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र (आरआईडीएफ सहित) / Priority Sector(excluding RIDF)</b>						
क)	कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप/ Agriculture and allied activities	21773.00	3323.48	15.26%	18835.30	3913.10	20.78%
ख)	प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार के लिए पात्र उद्योग क्षेत्र को अग्रिम/ Advances to industries sector eligible as priority sector lending	1520.98	92.56	6.09%	1641.06	227.45	13.86%
ग/क)	सेवा क्षेत्र/Services	26963.41	2080.01	7.71%	22787.55	2371.60	10.41%
घ/द)	वैयक्तिक ऋण /Personal loans उप-योग / Sub-total (i)	13717.14 63974.53	327.41 5823.46	2.39% 9.10%	12885.17 56149.08	367.05 6879.19	2.85% 12.25%
<b>ii)</b>	<b>गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र Non-priority Sector</b>						
क)	कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप/ Agriculture and allied activities	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
ख/ब)	उद्योग/Industry	19252.47	543.22	2.82%	28164.86	1107.22	3.93%
ग/क)	सेवा क्षेत्र/Services	51214.76	1046.31	2.04%	25363.27	1874.40	7.39%
घ/द)	वैयक्तिक ऋण /Personal loans उप-योग / Sub-total (ii)	27187.69 97654.92	313.47 1903.00	1.15% 1.95%	20100.13 73628.26	376.62 3358.24	1.87% 4.56%
	<b>कुल/Total (I + ii)</b>	<b>161629.45</b>	<b>7726.46</b>	<b>4.78%</b>	<b>129777.34</b>	<b>10237.43</b>	<b>7.89%</b>

सी/क) विदेश स्थित आस्तियां, अनर्जक आस्तियां और राजस्व /Overseas Assets, NPA's and Revenue

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण/Particulars	चालू वर्ष/ Current Year	पिछले वर्ष/ Previous Year
कुल आस्तियां/Total Assets	27520.06	18919.88
कुल अनर्जक आस्तियां/Total NPA's	561.37	718.59
कुल राजस्व/Total revenue	884.19	218.18

**घ) समाधान योजना एवं नवीनीकरण विवरण**

- 1) दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण ढांचे पर आरबीआई के परिपत्र डीबीआर संख्या बीपी बीसी 45/21.04.048/2018-19 दिनांक 07.06.2019 के अनुसार बैंक के पास 8 खातों में कुल रु. 366.69 करोड़ का 31.03.2023 अतिरिक्त प्रावधान है।

**ङ) आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधान में विचलन**

भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर दिशा-निर्देश संख्या DOR.ACC.REC.No.45/21.04.2018/2021-22 दिनांक 30.08.2021 (15.11.2021 को अपडेट किया गया) के अनुसार वित्तीय विवरण-प्रस्तुति और प्रकटीकरण, बैंक में विचलन निर्धारित सीमा के अन्दर हैं। इसलिए, भारतीय रिजर्व बैंक की वार्षिक पर्यवेक्षण प्रक्रिया के संबंध में कोई प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है।

**च) ऋण अन्तरण प्रकृतिकरण**

ऋण एक्सपोजर के हस्तांतरण पर भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर निर्देश दिनांक 24.09.2021 के तहत 31.03.2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान हस्तांतरित/अधिग्रहित ऋणों का विवरण निम्नलिखित है :-

- i) बैंक ने एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋणों का अधिग्रहण नहीं किया है। हस्तांतरित अनर्जक आस्तियों (एनपीए) का विवरण निम्नानुसार है :-

**d) Particulars of resolution plan and restructuring**

1. 1. In accordance with RBI circular DBR No BP BC 45/21.04.048/2018-19 dated 07.06.2019 on prudential framework for resolution of stressed assets, Bank holds additional provision of Rs. 366.69 Crore in 8 accounts as on 31.03.2023.

**e) Divergence in Asset Classification and Provisioning:**

As per RBI Master Direction No DOR.ACC.REC.No.45/21.04.2018/2021-22 dated 30.08.2021 (updated on 15.11.2021) on financial statements-presentation and disclosures, divergences are within threshold limits in the bank. Hence, no disclosure is required with respect to RBI's annual supervisory process.

**f) Disclosure of transfer of loan exposures:**

Details of loans transferred/acquired during the financial year ended on 31.03.2023 under the RBI Master Direction on Transfer of Loan Exposures dated 24.09.2021 are given below:-

- i) The details of Non-Performing Assets (NPAs) transferred are as under:

Particulars (all amounts in ₹ crore except number of accounts)	To ARCs	To permitted transferees	To other transferees (please specify)
खातों की संख्या / No: of accounts	1	शून्य/NIL	शून्य/NIL
हस्तांतरित ऋणों का कुल मूलधन			
Aggregate principal outstanding of loans transferred	31.22	शून्य/NIL	शून्य/NIL
हस्तांतरित ऋणों की भारित औसत अवधि			
Weighted average residual tenor of the loans transferred	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL
हस्तांतरित ऋणों का शुद्ध बही मूल्य (हस्तांतरण के समय)			
Net book value of loans transferred (at the time of transfer)	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL
कुल प्रतिफल राशि			
Aggregate consideration	16.38	शून्य/NIL	शून्य/NIL
पूर्व के वर्षों में हस्तांतरित खातों के संबंध में अतिरिक्त प्रतिफल की वसूली			
Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	318.43	शून्य/NIL	शून्य/NIL

- ii) बैंक ने विशेष वर्णित खाते (एसएमए) के रूप में वर्गीकृत ऋणों का अधिग्रहण और हस्तांतरण नहीं किया है।

- ii) Bank has not acquired and transferred loans classified as Special Mention Account (SMA).

iii) समनुदेशन के माध्यम से चूक के रूप से नहीं प्राप्त ऋणों का विवरण निम्नलिखित है :-

iii) The details of loans not in default acquired through assignment is given below:

विवरण Particulars	दिनांक 31.03.2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान During Financial Year ended on 31.03.2023
अधिग्रहित ऋण की कुल राशि (करोड़ रुपये में) Aggregate amount of loans acquired (Rs. in crore)	933.55
भारित औसत शेष परिपक्वता (माह में) Weighted average residual maturity (in months)	28.37
प्रवर्तक द्वारा भारित औसत होल्डिंग अवधि (माह में) Weighted average holding period by originator (in months)	6.63
लाभकारी आर्थिक हितों का प्रतिधारण Retention of beneficial economic interest	10%
मूर्त जमानत ब्याप्ति Tangible security coverage	1.14
मूल्यांकित ऋणों का रेटिंग के आधार पर वितरण* Rating wise distribution of rated loans*	शून्य/NIL*

\* अर्जित ऋणों का मूल्यांकन नहीं किया जाता है क्योंकि ये गैर-कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं से संबंधित होते हैं।

\* Loans acquired are not rated as these relate to non-corporate borrowers.

iv) दिनांक 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा ऐसे एसआर को सौंपी गई वसूली रेटिंग की विभिन्न श्रेणियों में धारित एसआर के वितरण का विवरण: -

iv) Details of the distribution of the SRs held across various categories of Recovery Ratings assigned to such SRs by the credit rating agencies as on 31.03.2023:

वसूली रेटिंग बैंड Recovery Rating Band	बही लागत (राशि करोड़ में) Book Cost (amount in crores)
आरआर/RR1	63.27
आरआर/RR2	26.56
आरआर/RR3	200.38
आरआर/RR4	19.77
आरआर/RR5	101.22
एनआर/NR4	1.47
एनआर/NR6	455.12
आहरित/Withdrawn	229.54
<b>कुल/Grand Total</b>	<b>1097.34</b>

छ) कपट खाते :

g )Fraud accounts :

विवरण Particulars	चालू वर्ष/ Current year	पिछले वर्ष/ Previous year
रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी की संख्या/ Number of frauds reported	219	114
शामिल राशि (₹ करोड़)/ Amount involved in fraud (₹ crore)	1163.45	611.53
इस तरह की धोखाधड़ी के लिए प्रावधान की राशि (₹ करोड़)/ Amount of provision made for such frauds (₹ crore)	1161.76	518.22
वर्ष के अंत में 'अन्य भंडार' से डेबिट किए गए असशोधित प्रावधान की राशि (₹ करोड़) Amount of Unamortised provision debited from 'other reserves' as at the end of the year (₹ crore)	शून्य/Nil	शून्य/Nil

**ज) कोविड-19 से संबंधित दबाव के लिए समाधान ढांचे के तहत प्रकटीकरण:**

भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र दिनांक 06.08.2020 (रिज़ॉल्यूशन फ्रेमवर्क 1.0) और 05.05.2021 (रिज़ॉल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0) के अनुसार कोविड - 19 संबंधित दबाव के लिए संकल्प ढाँचा के तहत कार्यान्वित समाधान योजना का विवरण निम्नलिखित है:-

**h) Disclosure under Resolution Framework for COVID-19-related Stress:**

Details of resolution plan implemented under Resolution Framework for COVID 19 related stress as per RBI circular dated 06.08.2020 (Resolution Framework 1.0) and 05.05.2021 (Resolution Framework 2.0) are given below:

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

उधारकर्ता के प्रकार Type of Borrower	समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों में एक्सपोजर- पिछले छमाही के अंत में स्थिति (ए) Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan - Position as at the end of the previous half-year (A)	(ए) में से, कुल ऋण जो छमाही के दौरान एनपीए में फिसल गया Of (A), aggregate debt that slipped into NPA during the half-year	(ए) छमाही के दौरान बढ़े खाते में डाली गई राशि Of (A) amount written off during the half-year	(ए) छमाही के दौरान उधारकर्ताओं द्वारा भुगतान की गई राशि Of (A) amount paid by the borrowers during the half-year	Of (A) amount increased in the account during the half-year	Of (A) amount in closed account during the half-year	समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों के लिए एक्सपोजर - इस छमाही के अंत में स्थिति Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan - Position as at the end of this half-year
वैयक्तिक ऋण / Personal Loans	1160.75	42.34	0.00	37.80	10.32	30.36	1060.57
कारपोरेट व्यक्ति / Corporate Persons*	492.64	0.00	0.00	25.46	29.67	0.00	496.85
एमएसएमई / MSME's	1357.16	70.57	0.00	103.15	34.26	17.04	1200.66
अन्य / Others	199.22	8.70	0.00	11.75	2.50	3.96	177.31
<b>कुल / Total</b>	<b>3209.77</b>	<b>121.61</b>	<b>0.00</b>	<b>178.16</b>	<b>76.75</b>	<b>51.36</b>	<b>2935.39</b>
* दिवाला एवं शोधन अक्षमता कोड, 2016 की धारा 3(7) में विश्लेषित यथा *As defined in Section 3(7) of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016							

**5. ऋण/Exposure:**

क) स्थावर-संपदा क्षेत्र को ऋण / Exposure to Real Estate Sector

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण/Category	2022-23	2021-22
<b>i) प्रत्यक्ष ऋण/Direct exposure</b>		
क) आवासीय संपत्ति बंधक - ऐसी आवासीय संपत्ति को बंधक रखकर दिए गए पूर्णतः प्रतिभूत उधार जो उधारकर्ता के दखल में है या होगी या जो किराए पर दी गई हो (प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिम में शामिल करने योग्य वैयक्तिक आवास ऋण अलग से दर्शाए जाएं) एक्सपोजर में गैर-निधि आधारित (एनएफबी) सीमाएं भी शामिल होंगी		
(a) Residential Mortgages - Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented; (Individual housing loans eligible for inclusion in priority sector advances may be shown separately);. Exposure would also include non-fund based (NFB) limits	26374.58 14905.23	20669.27 12289.69
ख) वाणिज्यिक स्थावर संपदा को (कार्यालय भवन, खुदरा कारोबार का स्थान, बहु-उद्देशीय वाणिज्यिक परिसर, बहु-परिवार आवासीय भवन, बहु-किराए वाले वाणिज्यिक परिसर, उद्योग या वेयर हाउस के लिए खाली स्थान, भूमि अधिग्रहण, विकास एवं विनिर्माण आदि) बंधक रखकर दिए गए प्रतिभूत उधार। एक्सपोजर में गैर-निधि आधारित (एनएफबी) सीमा भी शामिल है।		
(b) Commercial Real Estate - Lending secured by mortgages on commercial real estate's (office buildings retail space multi-purpose commercial premises multi-family residential buildings multi-tenanted commercial premises industrial or warehouse space land acquisition development and construction etc.). Exposure would also include non-fund based (NFB) limits;	464.19	608.73
(सी) बंधक समर्थित प्रतिभूति (एमबीएस) एवं अन्य प्रतिभूत ऋणों में निवेश -		
(c) Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitized exposures -		
i. आवासीय / Residential		-
ii. वाणिज्यिक स्थावर संपदा /Commercial Real Estate.		-
<b>ii) अप्रत्यक्ष ऋण / Indirect Exposure</b>		
राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) एवं हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (एचएफसी) को निधि आधारित एवं गैर-निधि आधारित ऋण Fund based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs).	9411.71	6348.49
<b>स्थावर-संपदा क्षेत्र को कुल ऋण / Total Exposure to Real Estate Sector</b>	<b>36250.48</b>	<b>27626.49</b>

**ख/ब पूंजी बाजार को एक्सपोजर/Exposure to Capital Market**

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

	विवरण/Particulars	2022-23	2021-22
(i)	ऐसे इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी अभिमुख म्यूचुअल फंड के यूनिटों में प्रत्यक्ष निवेश, जिसकी आधारभूत निधि का पूर्णतः निवेश कार्पोरेट ऋण में न किया गया हो; Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;	209.16	360.39
(ii)	शेयरों (आईपीओ/ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी अभिमुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों में निवेश हेतु व्यक्तियों को शेयर/बांड/डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियों के प्रति या निर्बंध आधार पर अग्रिम; Advances against shares/ bonds/debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity-oriented mutual funds;		--
(iii)	किन्हीं अन्य प्रयोजनों के लिए अग्रिम, जहां शेयर या परिवर्तनीय बांड या परिवर्तनीय डिबेंचर या इक्विटी अभिमुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति माना जाता है; Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;		--
(iv)	किन्हीं अन्य प्रयोजन के लिए उस सीमा तक अग्रिम, जो शेयर या परिवर्तनीय बांड या परिवर्तनीय डिबेंचर या इक्विटी अभिमुख म्यूचुअल फंड के यूनिटों की संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा प्रतिभूत हो यानी जहां शेयर/परिवर्तनीय बांड, परिवर्तनीय डिबेंचर/इक्विटी अभिमुख म्यूचुअल फंड के यूनिट से भिन्न प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिम को पूरी तरह संरक्षित न करती हो; Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/convertible bonds/ convertible debentures/units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances;		--
(v)	शेयर दलालों को दिए जाने वाले प्रतिभूत एवं अप्रतिभूत अग्रिम तथा शेयर दलालों एवं शेयर संतुलनकर्ताओं की ओर से जारी गारंटी; Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers;	192.62	192.09
(vi)	संसाधन जुटाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की इक्विटी में प्रवर्तक के अंशदान को पूरा करने के लिए शेयर/बांड/डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियों के प्रति या निर्बंध आधार पर कंपनियों को संस्वीकृत ऋण; Loans sanctioned to corporate against the security of shares /bonds/ debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources;		--
(vii)	प्रत्याशित इक्विटी प्रवाह/निर्गम के प्रति कंपनियों को दिए गए पूरक ऋण; Bridge loans to companies against expected equity flows/issues;		--
(viii)	शेयर या परिवर्तनीय बांड या परिवर्तनीय डिबेंचर या इक्विटी अभिमुख म्यूचुअल फंड के यूनिटों के प्राथमिक निर्गम की बाबत बैंकों द्वारा की गई हामीदारी प्रतिबद्धता; Underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;		--
(ix)	मार्जिन ट्रेडिंग के लिए शेयर दलालों को वित्तपोषण/financing to stockbrokers for margin trading;		--
(x)	वेंचर कैपिटल फंड (रजिस्ट्रीकृत एवं अरजिस्ट्रीकृत दोनों) सभी एक्सपोजर All exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)	39.22	39.71
	<b>पूंजी बाजार को कुल एक्सपोजर /Total exposure to Capital Market</b>	<b>441.00</b>	<b>592.19</b>

सी/स) जोखिम श्रेणीवार कंट्री एक्सपोजर / Risk Category wise Country Exposure

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

जोखिम श्रेणी Risk Category	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार ऋण (निवल) Exposure (net) as at 31st March 2023	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार किया गया प्रावधान Provision held as at 31st March 2023	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार ऋण (निवल) Exposure (net) as at 31st March 2022	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार किया गया प्रावधान Provision held as at 31st March 2022
महत्वहीन/Insignificant	15118.51	7.72	13144.84	9.8094
कम/Low	11729.99	8.30	10639.60	8.1611
मामूली रूप से कम/ Moderately low	19.51	0.00	5.31	0.0000
संतुलित /Moderate	4.02	0.00	11.62	0.0000
माध्यम उच्च/ Moderately high	1.66	0.00	4.36	0.0000
उच्च /High	0.00	0.00	0.31	0.0000
अत्यंत उच्च / Very High	0.00	0.00	0.00	0.0000
<b>कुल/TOTAL</b>	<b>26873.69</b>	<b>16.02</b>	<b>23806.04</b>	<b>17.9705</b>

डी/द अप्रतिभूत अग्रिम/Unsecured Advances

(राशि करोड़ ₹. में / Amount in ₹ Crore)

विवरण/Particulars	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार/ As at 31st March 2023	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार/ As at 31st March 2022
बैंक के कुल अप्रतिभूत अग्रिम Total Unsecured Advances of the Bank	29838.81	20303.36
क) उपरोक्त में से, अग्रिम की राशि जिसके लिए अमूर्त प्रतिभूतियां जैसे अधिकार, लाइसेंस, प्राधिकरण, आदि पर प्रभार लिया गया है a) Out of the above, amount of advances for which intangible securities such as charge over the rights, licenses, authority, etc. have been taken	शून्य/Nil	शून्य/Nil
ख) ऐसी अमूर्त प्रतिभूतियों का आनुमानिक मूल्य b) The estimated value of such intangible securities	शून्य/Nil	शून्य/Nil

ड) अंतः समूह एक्सपोजर - शून्य

च) फैक्ट्रिंग एक्सपोजर्स - शून्य

छ) अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर

आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, हमारे बैंक ने एसएमई एवं कारपोरेट सहित उधारकर्ताओं के अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर पर नीति बनाई है जिसे निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया है। इस नीति में अन्य बातों के अलावा निम्न प्रावधान हैं:

- एसएमई सहित सभी ग्राहकों के अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर (यूएफसीई) की निगरानी एवं समीक्षा।
- अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर युक्त निकायों के एक्सपोजर के लिए वृद्धिशील पूंजी एवं प्रावधानगत आवश्यकताएं।
- संरक्षण प्रदान करने के लिए यूएफसीई प्रभार का निर्धारण और यूएफसीई रखनेवाले निकायों को हतोत्साहित करना।

भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्रों तथा हमारे निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीति के अनुरूप उनके घटकों के लिए उपलब्ध आंकड़ों, वित्तीय विवरणों और उधारकर्ताओं से प्राप्त घोषणा के आधार पर बैंक ने पूंजी अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर (यूएफसीई) हेतु 31.03.2023 को ₹96.83 लाख की देयता का अनुमान लगाया है।

ए) Intra-group exposures - Nil

फ) Factoring Exposures - Nil

ग) Unhedged foreign currency exposure

In terms of RBI Guidelines, our Bank has framed a policy on 'Unhedged Foreign Exchange Exposure by borrowers including SMEs and Corporates duly approved by the Board. The policy inter-alia provides for:

- Monitoring and review of Unhedged Foreign Currency Exposure (UFCE) of all customers including SMEs.
- Incremental capital and provisioning requirements for exposures to entities with Unhedged Foreign Currency Exposure.
- Stipulation of UFCE Charge in order to provide protection and discourage entities having UFCE.

Based on the available data and financial statements and the declaration from borrowers, the bank has estimated the liability of Rs. 96.83 lakhs as on 31.03.2023 on Unhedged Foreign Currency Exposure (UFCE) to their constituents in terms of RBI Circulars and our Board approved policy and provision for the same has been provided in the books.

6. जमा, अग्रिम, ऋण का संकेंद्रण एवं एनपीए /Concentration of deposits, advances, exposures and NPAs

क) a) जमाराशियों का संकेंद्रण/Concentration of deposits

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण / Particulars	दिनांक 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31.03.2023 (Current Year)	दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (पिछले वर्ष) As on 31.03.2022 (Previous Year)
बीस अत्यधिक बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशियां Total deposits of the twenty largest depositors	31451.29	25720.19
कुल जमाराशियों के % के अनुपात में बीस अत्यधिक बड़े जमाकर्ता/ Percentage of deposits of twenty largest depositors to total deposits of the bank	12.61%	11.48%

ख) अग्रिमों का संकेंद्रण

b) Concentration of Advances

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण / Particulars	चालू वर्ष/ Current Year 2022-23	पिछले वर्ष/ Previous Year 2021-22
बीस अत्यधिक बड़े उधारकर्ताओं को कुल अग्रिम / Total advances to twenty largest borrowers	37052.01	27676.08
बैंक के कुल अग्रिम की तुलना में बीस अत्यधिक बड़े उधारकर्ताओं के अग्रिम का प्रतिशत/ Percentage of advances to twenty largest borrowers to total advances of the Bank	22.92%	21.33%

ग) ऋण का संकेंद्रण

c) Concentration of Exposures

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

	चालू वर्ष/Current Year 2022-23	पिछले वर्ष/Previous Year 2021-22
बीस अत्यधिक बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों को दिए गए कुल ऋण Total exposure to twenty largest borrowers/customers	38999.30	30427.22
बैंक के उधारकर्ताओं/ग्राहकों को दिए गए कुल ऋण की तुलना में बीस अत्यधिक बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों को दिए गए ऋण का प्रतिशत Percentage of exposures to twenty largest borrowers/customers to total exposure of the Bank on borrowers/customers	19.47%	18.31%

घ) अनर्जक आस्तियों का संकेंद्रण

d) Concentration of NPAs

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण / Particulars	2022-23	2021-22
शीर्ष बीस एनपीए खातों में कुल एक्सपोजर Total Exposure to the top twenty NPA accounts	1393.20	2286.60
सकल एनपीए में से शीर्ष बीस एनपीए एक्सपोजर का प्रतिशत। Percentage of exposures to the twenty largest NPA exposure to total Gross NPAs.	18.03%	22.33%



## 7. व्युत्पन्न / Derivatives

### क/अ) वायदा दर करार/ब्याज दर स्वाप / Forward rate agreement/Interest rate swap

(राशि करोड़ ₹ में)/Amount in ₹ Crore)

मर्दे / Items	2022-23	2021-22
i) स्वाप करार का आनुमानिक मूलधन The notional principal of swap agreements	6.852.63	3340.78
ii) करार के अंतर्गत काउंटर पार्टियों द्वारा अपने दायित्वों को पूरा करने में चूक किए जाने पर उठाई जानेवाली हानि Losses which would be incurred if counter parties failed to fulfill their obligations under the agreements	95.12	18.08
iii) स्वाप में शामिल होने पर बैंक द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक Collateral required by the bank upon entering into swaps	0.00	0.00
iv) स्वाप से उत्पन्न ऋण जोखिम का संकेंद्रण Concentration of credit risk arising from the swaps	0.00	0.00
v) स्वाप बही का उचित मूल्य The fair value of the swap book	2.99	-13.02

नोट : कृपया अनुसूची 17 के बिंदु 14 का संदर्भ लें।

Note : Please refer to Point 14 of Schedule 17.

### ब) विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न / Exchange Traded Interest Rate Derivatives:

(राशि करोड़ ₹ में)/Amount in ₹ Crore)

क्र.सं. Sr. No.	विवरण Particulars	2022-23	2021-22
i)	वर्ष के दौरान प्रारंभ किए गए विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न की आनुमानिक मूल राशि (लिखतवार) Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument wise)	शून्य/Nil	शून्य/Nil
ii)	दिनांक 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार बकाया विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न की आनुमानिक मूल राशि (लिखतवार) Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31st March 2022 (instrument wise)	शून्य/Nil	शून्य/Nil
iii)	ऐसे विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न की आनुमानिक मूल राशि (लिखतवार) जो बकाया हैं परंतु "अत्यंत प्रभावी" नहीं हैं Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not 'highly effective' (instrument wise)	शून्य/Nil	शून्य/Nil
iv)	ऐसे विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न का दैनिक बाजार मूल्य (लिखतवार) जो बकाया हैं परंतु "अत्यंत प्रभावी" नहीं हैं Mark to market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not 'highly effective' (instrument wise)	शून्य/Nil	शून्य/Nil

### सी) व्युत्पन्न में ऋण जोखिम का प्रकटीकरण

### c) Disclosures on risk exposure in derivatives

#### 1) गुणात्मक प्रकटीकरण

#### 1) Qualitative disclosures-

- i) व्युत्पन्न लेनदेन में जोखिम प्रबंध की संरचना और गठन :

संगठनात्मक ढांचे के अंतर्गत कॉर्पोरेट स्तर पर निवेश स्कंध है जो कार्यपालक निदेशकगण अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा अंततः निदेशक मंडल को रिपोर्ट करता है। लेन देन के समय उनके बारे में जोखिम प्रबंध विभाग को सूचित किया जाता है।

- ii) जोखिम मूल्यांकन, जोखिम सूचना और जोखिम निगरानी प्रणालियों का क्षेत्र और स्वरूप:

- i) The Structure and organization for management of risk in derivatives trading:

The organization structure consists of Investment Wing at the Corporate level which report to the Executive Directors, Chairman & Managing Director and ultimately to the Board. Risk Management Department is informed of the transactions as and when they take place.

- ii) The scope and nature of risk measurement, risk reporting and risk monitoring systems:

- क) बैंक द्वारा किए गए ब्याज दर स्वाप (आईआरएस) संबंधी लेनदेन केवल बचाव व्यवस्था एवं क्रयविक्रय के प्रयोजनार्थ किए जाते हैं। व्युत्पन्न भी एक उत्पाद के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों के अनुसार ग्राहकों को दिए जाते हैं। ये लेन देन भारिबैंक की नीतियों के आधार पर बनाई गई बैंक की नीतियों के अनुसार किए जाते हैं।
- ख) ब्याज दर स्वैप संविदाओं की शेष अवधि के लिए बेंच मार्क ब्याज दरों की उतार चढ़ाव के आधार पर ब्याज दर व्युत्पन्न लेन देन पर जोखिम का मूल्यांकन किया जाता है। सभी ब्याजदर व्युत्पन्न लेनदेन को जोखिम मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ शामिल किया गया है। जोखिम का मूल्यांकन किया जाता है और इसकी रिपोर्ट प्र.नि एवं मु.का.अ./का.नि. के समक्ष प्रतिदिन और निदेशक मंडल के समक्ष आवधिक रूप से प्रस्तुत की जाती है। ब्याज दर व्युत्पन्न लेन-देन की मार्क टू मार्केट स्थिति के आधार पर जोखिम की निगरानी की जाती है।
- (iii) जोखिम से बचाव और/या उसके शमन के लिए नीतियां तथा बचाव/शमन की निरंतर प्रभाविता की निगरानी रखने हेतु कार्यनीति एवं प्रक्रिया:
- परिसंपत्तियों या देयताओं के वास्तविक ब्याज भार के लिए ब्याज दर स्वाप किया जाता है। अनुमानिक मूल धन और बचाव की परिपक्वता निहित परिसंपत्ति/देयता के मूल्य/परिपक्वता से अधिक नहीं होती है। बकाया ब्याज दर स्वाप संविदाओं की मार्क टू मार्केट स्थिति के आधार पर जोखिम पर निगरानी रखी जाती है तथा तदनुसार बचाव की प्रभाविता निर्धारित की जाती है।
- ब्याज दर स्वाप करने पर अपेक्षित संपार्श्विक शून्य है। पूंजी अपेक्षा अवधारित करने के लिए सुसंगत परिवर्तनकारक से गुणा की गई ब्याज दर स्वाप की अनुमानिक मूल राशि और प्रति पार्टी की संबंधित जोखिम भारिता को हिसाब में ले लिया गया है।
- iv) बचाव और गैर-बचाव लेनदेन रिकॉर्डिंग के लिए लेखांकन नीति; आय, प्रीमियम और छूट की मान्यता; बकाया अनुबंधों का मूल्यांकन; प्रावधान, संपार्श्विक और ऋण जोखिम न्यूनीकरण:
- स्वॉप्स को रिकॉर्ड करने के लिए लेखांकन नीतियां हमारी मौजूदा डेरिवेटिव्स नीति के अनुसार हैं। यह विभिन्न लेखांकन प्रविष्टियों को परिभाषित करती है जो व्यापार तिथि, ब्याज एकत्रीकरण, अंतरालिक ब्याज निपटान तिथि, पुनरावृत्ति तिथि और समाप्ति तिथि पर किए जाने चाहिए।
- आय की पहचान, प्रीमियम और डिस्काउंट, असमाप्त अनुबंधों का मूल्यांकन, प्रावधान, कोलेटरल और केडिट रिस्क मिटिगेशन हमारे बैंक की डेरिवेटिव्स नीति के अनुसार है।
- v) ब्याज दर अदला- बदली (स्वैप) हेतु अन्य प्रकटीकरण :
- बैंक ने अंतर्निहित आस्तियों एवं देयताओं पर नियत से अस्थिर और अस्थिर से नियत ब्याज दर स्वैप का कार्य किया है। यदि प्रतिपक्ष अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहते हैं, तो उपर्युक्त आईआरएस पर आय का नुकसान रु. 95.12 करोड़ होगा। आईआरएस लेनदेन से उत्पन्न होने वाले ऋण जोखिम की कोई संकेद्रण नहीं है क्योंकि प्रतिपक्ष भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड है और एक्सपोजर की अनुमति सीमा के भीतर है।
- a) The Interest Rate Swap (IRS) transactions undertaken by the Bank are for hedging and trading purposes. Derivative as a product is also offered to the customer as per RBI norms. Such transactions are undertaken as per policies of the Bank formulated based on RBI guidelines.
- b) The risk is measured in the interest rate derivative transactions depending on the movement of benchmark interest rates for the remaining life of the interest rate swap contracts. All interest rate derivative transactions are included for the purpose of risk measurement. The risk is evaluated and reports are placed to the CMD/ED daily and Board periodically. Risk is monitored based on the mark to market position of the interest rate derivative transactions.
- (iii) Policies for hedging and /or mitigating risk and strategies and processes for monitoring the continuing effectiveness of hedges/ mitigates:
- IRS is undertaken on the actual interest bearing underlying assets or liabilities. The notional principal amount and maturity of the hedge does not exceed the value and maturity of underlying asset/liability. The risk is monitored on the mark to market basis of the outstanding interest rate swap contracts and accordingly the effectiveness of the hedge is determined.
- Collateral required upon entering into IRS is Nil. Notional principal amount of IRS multiplied by the relevant conversion factor and the respective risk weight of the counter party has been taken into account for determining the capital requirements.
- (iv) Accounting policy for recording hedge and non-hedge transactions; recognition of income, premiums and discounts; valuation of outstanding contracts; provisioning, collateral and credit risk mitigation:
- The accounting policies for recording swaps is as per our extant derivative policy. It defines accounting entries to be undertaken on trade date, interest accrual, intermittent interest settlement date, revolution date and termination date.
- For recognition of income, premiums and discounts, valuation of outstanding contracts, provisioning, collateral and credit risk mitigation is as per our Bank's Derivative Policy.
- (vi) Other Disclosures for Interest Rate Swaps:
- The Bank has undertaken fixed to floating and floating to fixed interest rate swaps on underlying assets and liabilities. The loss of income on the above IRS will be Rs. 95.12 Cr, in case counter-parties fail to fulfill their obligations. There is no concentration of credit risk arising from IRS transactions undertaken as the counter-parties are the Clearing Corporation of India Ltd. and the exposure is within the exposure limit permitted.

II) प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण/Quantitative disclosures-

(राशि करोड़ ₹ में)/Amount in ₹ Crore)

क्र.सं. विवरण Sl.No. Particulars	2022-2023		2021-2022	
	मुद्रा व्युत्पन्न Currency Derivatives	ब्याज दर व्युत्पन्न Interest Rate Derivatives	मुद्रा व्युत्पन्न Currency Derivatives	ब्याज दर व्युत्पन्न Interest Rate Derivatives
1 व्युत्पन्न (आनुमानिक मूलधन राशि) Derivatives (Notional Principal Amount)				
क)/a) बचाव के लिए / For Hedging	8896.66	1320.00	8017.25	920.00
ख)/b) क्रय-विक्रय के लिए / For Trading	27295.09	5532.63	120118.90	2420.78
2 मार्केट टू मार्केट स्थिति / Marked to Market Positions [1]				
क)/a) आस्ति (+) / Assets (+)	-13.26	2.99	6.20	-13.02
ख)/b) देयता (-) / Liabilities (-)	0.96	0.00	18.85	0.00
3 ऋण एक्सपोजर / Credit Exposure	837.44	95.12	367.37	18.08
4 ब्याज दर में एक प्रतिशत परिवर्तन का संभावित प्रभाव (100*पीवी01) Likely impact of one percentage change in Interest rate (100*PV01)				
क) / a) बचाव व्युत्पन्न पर / On hedging derivatives				
अधिकतम / Maximum (+1%)	लागू नहीं/NA	23.69	लागू नहीं/NA	3.34
न्यूनतम / Minimum (-1%)	लागू नहीं/NA	-10.95	लागू नहीं/ NA	-37.51
ख)/b) क्रय-विक्रय व्युत्पन्न पर / Trading derivatives				
अधिकतम / Maximum (+1%)	लागू नहीं/NA	2.60	लागू नहीं/NA	3.97
न्यूनतम / Minimum (-1%)	लागू नहीं/NA	4.16	लागू नहीं/NA	4.16
5 वर्ष के दौरान 100*पीवी01 के अधिकतम और न्यूनतम निम्नलिखित पर पाए गए Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year				
क) / a) बचाव-व्यवस्था पर- / On hedging				
अधिकतम / Maximum	लागू नहीं/NA	15.42	लागू नहीं/NA	-15.35
न्यूनतम / Minimum	लागू नहीं/NA	-25.65	लागू नहीं/NA	-38.43
ख)/b) क्रय-विक्रय पर / On trading				
अधिकतम / Maximum	लागू नहीं/NA	4.39	लागू नहीं/NA	4.05
न्यूनतम / Minimum	लागू नहीं/NA	5.91	लागू नहीं/NA	3.93

\* उपरोक्त आईआरएस पर आय का नुकसान अगर प्रतिपक्षी अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल हो तो वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए ₹95.12 करोड़ (वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए ₹18.08 करोड़) होगा।

\*The loss of income on above IRS if counterparties fail to fulfill their obligation will be Rs. 95.12 crores for F.Y. 2022-23 (Rs. 18.08 crores for the F.Y. 2021-22)

सी) क्रेडिट चूक विनिमय

बैंक का दिनांक 31.03.2023 को क्रेडिट चूक विनिमय पर कोई एक्सपोजर नहीं है।

c) Credit default swaps

Bank has no exposure on Credit Default Swap as on 31.03.2023.

8. प्रतिभूतिकरण के संबंध में प्रकटीकरण

8. Disclosures relating to securitisation

क्र.सं. विवरण SI. Particulars No.	मार्च 31/ Mar 31 2023	मार्च 31/ Mar 31 2022
1. प्रवर्तक द्वारा उत्पन्न प्रतिभूतिकरण लेनदेन के लिए संपत्ति रखने वाले एसपीई की संख्या (यहां केवल बकाया प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर से संबंधित एसपीवी की सूचना दी जाएगी) No of SPEs holding assets for securitisation transactions originated by the originator (only the SPVs relating to outstanding securitization exposures)	शून्य/NIL	शून्य/NIL
2. एसपीई के बहीखातों के अनुसार प्रतिभूत संपत्ति की कुल राशि Total amount of securitised assets as per books of the SPEs	शून्य/NIL	शून्य/NIL
3. तुलन पत्र की तिथि को एमआरआर का अनुपालन करने के लिए प्रवर्तक द्वारा बनाए गए एक्सपोजर की कुल राशि Total amount of exposures retained by the originator to comply with MRR as on the date of balance sheet	शून्य/NIL	शून्य/NIL
ए/अ) तुलन पत्र के अलावा एक्सपोजर / Off-balance sheet exposures <ul style="list-style-type: none"> <li>● पहला नुकसान/First loss</li> <li>● अन्य /Others</li> </ul>	शून्य/NIL	शून्य/NIL
ब) तुलनपत्र पर एक्सपोजर / On-balance sheet exposures <ul style="list-style-type: none"> <li>● पहला नुकसान/First loss</li> <li>● अन्य/Others</li> </ul>	शून्य/NIL	शून्य/NIL
4. एमआरआर के अलावा अन्य प्रतिभूतिकरण लेनदेन में एक्सपोजर की राशि Amount of exposures to securitisation transactions other than MRR ए/अ) तुलन पत्र के अलावा एक्सपोजर / Off-balance sheet exposures	शून्य/NIL	शून्य/NIL
i) Exposure to own securitisations <ul style="list-style-type: none"> <li>● पहला नुकसान/First loss</li> <li>● अन्य/Others</li> </ul>		
ii) Exposure to third party securitisations <ul style="list-style-type: none"> <li>● पहला नुकसान/First loss</li> <li>● अन्य/Others</li> </ul>	शून्य/NIL	शून्य/NIL
बी/ब) तुलन पत्र के अलावा एक्सपोजर / On-balance sheet exposures i) Exposure to own securitisations <ul style="list-style-type: none"> <li>● पहला नुकसान/First loss</li> <li>● अन्य/Others</li> </ul>		
ii) तीसरे पक्ष की प्रतिभूतियों का एक्सपोजर / Exposure to third party securitisations <ul style="list-style-type: none"> <li>● पहला नुकसान/First loss</li> <li>● अन्य/Others</li> </ul>	शून्य/NIL	शून्य/NIL
5. प्रतिभूतिकृत आस्तियों के लिए प्राप्त बिक्री प्रतिफल और प्रतिभूतिकरण के कारण बिक्री पर लाभ/हानि Sale consideration received for the securitised assets and gain/loss on sale on account of securitisation	शून्य/NIL	शून्य/NIL
6. नकदी सहायता, प्रतिभूतिकरण के उपरांत अस्तित्व-शोधन आदि के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं का प्रकार और मात्रा (बकाया मूल्य) Form and quantum (outstanding value) of services provided by way of, liquidity support, post-securitisation asset servicing, etc.	शून्य/NIL	शून्य/NIL

क्र.सं. विवरण SI. Particulars No.	मार्च 31/ Mar 31 2023	मार्च 31/ Mar 31 2022
7. प्रदान की गई सुविधा का प्रदर्शन। कृपया प्रत्येक सुविधा के लिए अलग से प्रदान करें अर्थात। ऋण वृद्धि, चलनिधि सहायता, सर्विसिंग एजेंट आदि। प्रदान की गई सुविधा के कुल मूल्य के रूप में कोष्ठक में प्रतिशत का उल्लेख करें। Performance of facility provided. Please provide separately for each facility viz. Credit enhancement, liquidity support, servicing agent etc. Mention per cent in bracket as of total value of facility provided. ए/अ) भुगतान की गई राशि/Amount paid बी/ब) चुकौती प्राप्त/Repayment received सी/स) बकाया राशि/Outstanding amount	शून्य/NIL	शून्य/NIL
8. पूर्व में देखे गए पोर्टफोलियो की औसत चूक दर। कृपया प्रत्येक परिसंपत्ति वर्ग अर्थात आरएमबीएस, वाहन ऋण आदि के लिए अलग से विवरण प्रदान करें। Average default rate of portfolios observed in the past. Please provide breakup separately for each asset class i.e. RMBS, Vehicle Loans etc	शून्य/NIL	शून्य/NIL
9. समान अंतर्निहित आस्ति पर दिए गए अतिरिक्त/टॉप अप ऋण की राशि और संख्या। कृपया प्रत्येक परिसंपत्ति वर्ग अर्थात आरएमबीएस, वाहन ऋण इत्यादि के लिए अलग से विवरण प्रदान करें। Amount and number of additional/top up loan given on same underlying asset. Please provide breakup separately for each asset class i.e. RMBS, Vehicle Loans, etc.	शून्य/NIL	शून्य/NIL
10. निवेशकों की शिकायतें/Investor complaints ए/अ) प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त और;/Directly/Indirectly received and; बी/ब) बकाया शिकायतें/Complaints outstanding	शून्य/NIL	शून्य/NIL

9. तुलन-पत्र से इतर प्रायोजित एसपीवी (जिन्हें लेखांकन मानदंड के अनुसार समेकित किया जाना है)

बैंक ने किसी एसपीवी को प्रायोजित नहीं किया है।

9. Off balance sheet SPVs sponsored (which are required to be consolidated as per accounting norms)

Bank has not sponsored any SPVs.

10. जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता निधि (डीईएएफ) में राशि अंतरण

10. Transfers to Depositor Education and Awareness Fund (DEAF Fund)

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण/Particulars	चालू वर्ष/Current Year	पिछले वर्ष/ Previous Year
डीईएएफ को अंतरित राशि का प्रारंभिक शेष Opening balance of amounts transferred to DEAF	499.94	409.14
जोड़ें : वर्ष के दौरान डीईएएफ को अंतरित राशि Add: Amount transferred to DEAF during the year	101.06	93.99
घटाएं : दावों हेतु डीईएएफ द्वारा प्रतिपूरित राशि Less: Amount reimbursed by DEAF towards claims	6.03	3.19
डीईएएफ को अंतरित राशि का अंत शेष Closing balance of amounts transferred to DEAF	594.97	499.94

**11. शिकायतों का प्रकटन**

ए) बैंक को ग्राहकों और ओम्बड्समैन के कार्यालय से प्राप्त शिकायतों पर संक्षिप्त जानकारी

**11. Disclosure of complaints**

a) Summary information on complaints received by the bank from customers and from the Offices of Ombudsman

क्र.सं. Sr. No	विवरण Particulars	चालू वर्ष/ Current year	पिछले वर्ष/ Previous year
1.	बैंक को उसके ग्राहकों द्वारा प्राप्त शिकायतें Complaints received by the bank from its customers वर्ष के प्रारम्भ में लंबित शिकायतों की संख्या Number of complaints pending at beginning of the year	30	231
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या Number of complaints received during the year	34146	16220
3.	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या Number of complaints disposed during the year	32744	16421
3.1	उनमें से बैंक द्वारा अस्वीकार की गई शिकायतों की संख्या Of which, number of complaints rejected by the bank	2421	00
4.	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या Number of complaints pending at the end of the year	1432	30
5.	ओम्बड्समैन कार्यालय से बैंक को प्राप्त संपोषणीय शिकायतें Maintainable complaints received by the bank from Office of Ombudsman ओम्बड्समैन से बैंक को प्राप्त संपोषणीय शिकायतों की संख्या Number of maintainable complaints received by the bank from Office of Ombudsman	2669	1949
5.1.	मद 5 में से ओम्बड्समैन द्वारा बैंक के पक्ष में निपटाई गई शिकायतों की संख्या Of 5, number of complaints resolved in favour of the bank by Office of Ombudsman	1401	1702
5.2	मद 5 में से ओम्बड्समैन द्वारा जारी समझौता/ मध्यस्थता/परामर्श के माध्यम से निपटाई गई शिकायतों की संख्या Of 5, number of complaints resolved through conciliation/mediation/advisories issued by Office of Ombudsman	1267	247
5.3	मद 5 में से ओम्बड्समैन द्वारा बैंक के विरुद्ध पारित दण्ड के पश्चात निपटाई गई शिकायतों की संख्या Of 5, number of complaints resolved after passing of Awards by Office of Ombudsman against the bank	01	00
6.	निर्धारित समय के भीतर लागू नहीं किए गए दंडों की संख्या (अपील किए गये के अलावा) Number of Awards unimplemented within the stipulated time (other than those appealed)	00	00

नोट : संपोषणीय शिकायतें ओम्बड्समैन योजना 2006 में विशेष रूप से उल्लिखित आधारों पर शिकायतों को संदर्भित करती हैं और इस योजना के दायरे में आती हैं।

Note: Maintainable complaints refer to complaints on the grounds specifically mentioned in Integrated Ombudsman Scheme, 2021 (Previously Banking Ombudsman Scheme, 2006) and covered within the ambit of the Scheme.

b) ग्राहकों से बैंक को प्राप्त शिकायतों के उच्च पाँच आधार /

**Top Five Grounds of Complaints by the bank from Customers**

ग्राहकों से बैंक को प्राप्त शिकायतों के उच्च पाँच आधार / Top Five Grounds of Complaints received by the bank from customers					
शिकायतों के आधार (से संबंधित शिकायतें) Grounds of complaints, (i.e. complaints relating to)	वर्ष के प्रारम्भ में लंबित शिकायतों की संख्या Number of Complaints pending at the beginning of the year	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतें Number of Complaints received during the year	पिछले वर्ष की तुलना में प्राप्त शिकायतों की संख्या में वृद्धि/कमी का % % increase/decrease in the number of complaints received over the previous year	वर्ष की समाप्ति में लंबित शिकायतों की संख्या Number of Complaints pending at the end of the year	मद सं. 5 में 30 दिनों से अधिक लंबित शिकायतों की संख्या Of 5, number of complaints pending beyond 30 days
1	2	3	4	5	6
<b>चालू वर्ष/Current Year 2022-23*</b>					
इंटरनेट मोबाइल/ इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग Internet/Mobile/ Electronic Banking	7	20403	247%	1310	522
एटीएम/डेबिट कार्ड/ ATM/Debit Card	2	3240	51%	68	14
ऋण एवं अग्रिम/ Loans and advances	3	1572	1%	8	4
खाता खुलवाना/खाते के संचालन में दिक्कत/ Account Opening / difficulty in operation of accounts	5	1472	-43%	1	0
पूर्वज्ञाति के बिना शुल्क का लगाया जाना / अत्यधिक शुल्क / पूर्व-बंदी शुल्क Levy of charges without prior notice / excessive charges / foreclosure charges	1	794	78%	0	0
अन्य / Others	12	6665	84%	45	9
अन्य / Total	30	34146	111%	1432	549

ग्राहकों से बैंक को प्राप्त शिकायतों के उच्च पाँच आधार / Top Five Grounds of Complaints received by the bank from customers					
शिकायतों के आधार (से संबंधित शिकायतें) Grounds of complaints, (i.e. complaints relating to)	वर्ष के प्रारम्भ में लंबित शिकायतों की संख्या Number of Complaints pending at the beginning of the year	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या Number of Complaints received during the year	पिछले वर्ष की तुलना में प्राप्त शिकायतों की संख्या में वृद्धि/कमी का % % increase/ decrease in the number of complaints received over the previous year	वर्ष की समाप्ति में लंबित शिकायतों की संख्या Number of Complaints pending at the end of the year	मद सं. 5 में 30 दिनों से अधिक लंबित शिकायतों की संख्या Of 5, number of complaints pending beyond 30 days
1	2	3	4	5	6
<b>विगत वर्ष/Previous Year 2021-22*</b>					
इंटरनेट मोबाइल/ इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग Internet/Mobile/ Electronic Banking	54	5877	-7.49%	7	0
खाता खुलवाना/खाते के संचालन में दिक्कत/ Account Opening / difficulty in operation of accounts	31	2564	4.95%	5	0
एटीएम/डेबिट कार्ड/ ATM/Debit Card	23	2141	-40.35%	2	0
ऋणों एवं अग्रिमों से संबंधित / Loans & Advances	33	1562	-11.85%	3	0
शाखा आने वाले ग्राहकों के लिए सुविधा/शाखा द्वारा निर्धारित कार्य समय का अनुपालन / Facilities for customers visiting the branch/ adherence to prescribed working hours by the branch, etc	16	1180	-12.72%	4	0
अन्य / Others	74	2896	0.70%	9	0
अन्य / Total	231	16220	-11.78%	30	0

\* वित्त वर्ष 2022-23 के लिए शिकायतों का वर्गीकरण आरबीआई परिपत्र के अनुसार किया गया है। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए शिकायतों का वर्गीकरण बैंक के शिकायत निवारण तंत्र के आधार पर किया गया है।

\*Note: For FY 2022-23 complaints have been classified/categorised as per RBI Circular. For FY 2021-22 complaints were classified/categorised as per Bank's Complaint Redressal Module.



## 12. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिशोधित जुर्माने का प्रकटन

वित्तीय वर्ष 01-04-2022 से 31.03.2023 तक, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 की धारा 47(A)(1)(c) के तहत अधिकार प्राप्त करने के उपयोग में होने वाले शक्तियों के प्रयोग के संबंध में, अन्य मुद्रा चेस्ट ऑपरेशन के अलावा रुपये 5,87,000/- (पांच लाख अस्सी-सात हजार) का दंड लगाया है। अन्य भारतीय रिजर्व नियामक से रुपये 1,50,000 (एक लाख पचास हजार) का दंड है।

वित्तीय वर्ष 01-04-2022 से 31.03.2023 तक, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 की धारा 47(A)(1)(c) के तहत अधिकार प्राप्त करने के उपयोग में होने वाले शक्तियों के प्रयोग के संबंध में, मुद्रा चेस्ट ऑपरेशन के लिए रुपये 2,41,99,406.01 (दो करोड़ इक्कीस लाख निम्नानवे हजार चार सौ छह रुपये एक पैसे) का दंड लगाया है।

## 13. पारिश्रमिक पर प्रकटीकरण

कार्यपालक निदेशक/ प्रबंध निदेशक को स्वीकार्य वेतन और भते डीएफएस से प्राप्त होते हैं और सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार के निर्णय के आलोक में हैं।

## 14. अन्य प्रकटीकरण

### ए) कारोबार अनुपात

विवरण/ Particulars	चालू वर्ष/ Current Year	पिछले वर्ष/ Previous Year
i) कार्यकारी निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय/ Interest Income as a percentage to Working Funds	5.88	5.5
ii) कार्यकारी निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याजेतर आय/ Non-interest income as a percentage to Working Funds	0.84	1.14
iii) जमा मूल्य / Cost of Deposits	4.06	3.81
iv) निवल ब्याज मार्जिन /Net Interest Margin	2.87	2.55
v) कार्यकारी निधियों के प्रतिशत के रूप में परिचालन आय Operating Profit as a percentage to Working Funds	1.45	1.75
vi) आस्तियों पर आय / Return on Assets	0.61	0.33
vii) प्रति कर्मचारी कारोबार (जमा व अग्रिम) (करोड़ ₹ में) / Business (deposits plus advances) per employee(in ₹ crore)	0.1890	0.1633
viii) प्रति कर्मचारी लाभ (लाखों ₹ में) / Profit per employee (in ₹ crore)	0.08	0.04

### बी) बैंकाश्योरेंस से कारोबार :

बैंक, बैंकाश्योरेंस लाइफ कारोबार के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एवं एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और बैंकाश्योरेंस नॉन-लाइफ कारोबार के लिए ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का कॉर्पोरेट एजेंट है। बैंकाश्योरेंस से आय का विवरण निम्नलिखित है :

## 12. Disclosure of penalties imposed by the Reserve Bank of India

During the Financial Year from 01-04-2022 to 31.03.2023, Reserve Bank of India, in exercise of powers conferred under Section 47(A)(1)(c) read with Section 51 and 46(4)(i) of the Banking Regulation Act, 1949, has imposed a penalty of Rs. 5,87,000/- (Rupees Five Lakh Eighty Seven Thousand only) for other than currency chest operations. There is a penalty of Rs. 1,50,000(One Lakh Fifty Thousand only) from Other than RBI Regulator.

During the Financial Year from 01-04-2022 to 31.03.2023, Reserve Bank of India, in exercise of powers conferred under Section 47(A)(1)(c) read with Section 51 and 46(4)(i) of the Banking Regulation Act, 1949, has imposed a penalty of Rs. 2,41,99,406.01 (Two Crore Forty One Lacs Ninety Nine Thousand Four Hundred Six and One Paise only) for Currency Chest Operations only.

## 13. Disclosures on remuneration

The pay and allowances admissible to ED/MD is as received from DFS and in light of Government decision on the recommendations of the Seventh Central Pay Commission.

## 14. Other Disclosures

### a) Business Ratios

### b) Bancassurance business:

Bank is a Corporate Agent of Life Insurance Corporation of India, ICICI Prudential Life Insurance Co and SBI Life Insurance Co Ltd for Bancassurance Life and The Oriental Insurance Co. Ltd, SBI General Insurance Company Ltd and Future Generali India Insurance Co Ltd for Bancassurance Non-Life business. Details of income from Bancassurance is given below:

(राशि करोड़ ₹ में)/Amount in ₹ Crore)

क्र.सं./Sl. No.	कारोबार का प्रकार / Type of Business	2022-23	2021-22
1	लाइफ/Life	34.75	15.51
2	नॉन-लाइफ/Non-Life	12.04	8.68

b) मार्केटिंग और वितरण/Marketing and distribution:

फ़िस्डम के माध्यम से वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स का डिजिटल वितरण /

Digital distribution of Wealth Management Products through Fisdom

(राशि करोड़ ₹ में)/Amount in ₹ Crore)

कारोबार का प्रकार/Type of Business	वित्तीय वर्ष/FY 2022-23	वित्तीय वर्ष/FY 2021-22
वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स/Wealth Management Products	1.07	0.24

यूको-एसबीआई को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के उपयोग के माध्यम से अर्जित क्रेडिट कार्ड कमीशन  
Credit Card Commission earned through usage of UCO-SBI Co-Branded Credit Card

(राशि करोड़ ₹ में)/Amount in ₹ Crore)

कारोबार का प्रकार / Type of Business	वित्तीय वर्ष/FY 2022-23	वित्तीय वर्ष/FY 2021-22
क्रेडिट कार्ड/Credit Card	7.90	2.60

डी) प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के उधार प्रमाणपत्रों (पीएसएलसी) के संबंध में प्रकटीकरण

- वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल पीएसएलसी-कृषि खरीद: रु. 475.00 करोड़
- वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल पीएसएलसी-सूक्ष्म बिक्री: रु. 5000 करोड़

इ) प्रावधान एवं आकस्मिकताएं

d) Disclosures regarding Priority Sector Lending Certificates (PSLCs)

- Total PSLC- Agriculture purchase in FY 2022-23: Rs. 475.00 Crore
- Total PSLC- Micro Sell in FY 2022-23: Rs. 5000.00 Crore

e) Provisions and contingencies

(राशि करोड़ ₹ में)/Amount in ₹ Crore)

लाभ और हानि खाते में नामे (डेबिट) किया गया प्रावधान Provision debited to Profit and Loss Account	चालू वर्ष/ Current Year	पिछले वर्ष/ Previous Year
एनपीआई के लिए प्रावधान / Provision towards NPI	324.43	206.72
एनपीए के प्रति प्रावधान /Provision towards NPA	1295.57	3800.06
आयकर के लिए किया गया प्रावधान/Provision made towards Income Tax	31.70	2.89
अन्य प्रावधान और आकस्मिक व्यय:-/Other Provisions and Contingencies :-		
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान/Provision towards Standard Assets	58.63	337.93
कानूनी मामले/आकस्मिक व्यय/धोखाधड़ी/Legal Cases / Contingencies/Frauds	2.54	0.04
उचित मूल्य में कमी /Diminution in Fair Value	0	3.67
आस्थगित कर आस्तियां /Deferred Tax Assets	1011.07	817.71
बकाया वेतन संशोधन /Arrear Wage Revision	40	0
विविध प्रावधान /Miscellaneous Provision	-285.61	1301.35

एफ) आईएफआरएस अभिसरण भारतीय लेखा मानकों (इंड एस) पृष्ठभूमि का कार्यान्वयन

पृष्ठभूमि:

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को छोड़कर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी), को भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र दिनांक 11 फरवरी, 2016 के अनुसार 1 अप्रैल, 2018 से भारतीय लेखा मानक (आईएनडी एस) लागू करना था। तथापि आरबीआई द्वारा यथासंस्तुत वैधानिक संशोधनों के कारण भारत सरकार की दिनांक 22.03.2019 की अधिसूचना द्वारा विचाराधीन होने के कारण आरबीआई ने आईएनडी एस के कार्यान्वयन को अगले आदेश तक आस्थगित रखा है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने ईमेल दिनांक 8 अगस्त, 2021 के माध्यम से भारतीय लेखा मानक प्रोफार्मा में वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने की आवृत्ति को तिमाही से घटाकर अर्धवार्षिक करने का निर्णय लिया है। तदनुसार, बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे 30 सितंबर को समाप्त होने वाली छमाही के लिए प्रोफार्मा भारतीय लेखा मानक आधारित वित्तीय विवरण और 31 मार्च के लिए पूर्ण वर्षीय प्रोफार्मा भारतीय लेखा मानक आधारित वित्तीय विवरण प्रस्तुत करें।

f) Implementation of IFRS converged Indian Accounting Standard (IND AS)

Background:

Scheduled Commercial Banks (SCBs), excluding Regional Rural Banks (RRBs), were required to implement Indian Accounting Standards (Ind AS) from April 1, 2018 vide RBI Circular dated February 11, 2016. However RBI has deferred implementation of Ind AS till further notice due to the legislative amendments as recommended by RBI are under consideration of the Government of India vide its notification dated 22.03.2019. RBI vide email dated 8th August'2021 decided to reduce the frequency of Ind AS proforma financial statement submission from quarterly to half yearly. Accordingly, Banks are advised to submit proforma Ind AS based financial statements for the half year ending September 30 and full year proforma Ind AS based financial statements for March 31.

### आईएनडी एस के कार्यान्वयन की कार्यनीति:

बैंक ने कार्यपालक निदेशक के नेतृत्व में आईएनडी एस की तकनीकी आवश्यकताओं, प्रणाली एवं प्रक्रिया बदलावों, कारोबार प्रभाव, संसाधनों के आकलन एवं परियोजना प्रबंधन की आयोजना के लिए आईएनडी एस संचालन समिति गठित किया है।

बैंक ने अपने भीतर ही आईएनडी एस कार्यदल भी गठित किया है जो आईएनडी एस संस्थापन परियोजना पर काम करेगा जिसमें भांति भांति के कार्य करनेवाले विभागों के अधिकारी शामिल हैं।

### आईएनडी एस के कार्यान्वयन की प्रगति:

बैंक ने त्रैमासिक आधार पर ईक्विटी और लाभ परिवर्तनों को समायोजित कराते हुए प्रोफॉर्मा आईएनडी-एस वित्तीय विवरण भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत कर दिया है। पिछले जीएपी आंकड़ों की तुलनात्मक स्थिति दर्शाते हुए 31 दिसंबर, 2022 को समाप्त नौ माह की स्थिति के अनुसार इसे अंतिम बार 26 फरवरी, 2022 को प्रस्तुत किया गया।

### छ) डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान

क्र.सं. Sr. No.	विवरण/ Particulars	चालू वर्ष/ Current Year	पिछले वर्ष/ Previous Year
i)	डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान /Payment of DICGC Insurance Premium	280.07	254.41
ii)	डीआईसीजीसी प्रीमियम के भुगतान में बकाया/Arrears in payment of DICGC premium	शून्य/Nil	शून्य/Nil

(राशि करोड़ ₹ में)/Amount in ₹ Crore)

### ज) बैंकों के कर्मचारियों की पारिवारिक पेंशन में वृद्धि के कारण व्यय के परिशिोधन पर प्रकटीकरण

आईबीए के संयुक्त नोट दिनांक 11.11.2020 के अनुसार पारिवारिक पेंशन में संशोधन के कारण बैंक ने 560.49 करोड़ रुपये की अतिरिक्त देयता का अनुमान लगाया है। हालांकि, भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने परिपत्र आरबीआई/2021-22/105/डीओआर.एसीसी.आरईसी.57/21.04.018/2021-22 दिनांक 04.10.2021 के माध्यम से 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष से शुरू होने वाले पांच वर्ष से अधिक की अवधि के लिए उक्त अतिरिक्त देयता में परिशिोधन करने की अनुमति दी है। तदनुसार, बैंकों ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान 290 करोड़ रुपये के प्रावधानों को मान्यता दी है (31 मार्च, 2022 को समाप्त तिमाही के दौरान कोई प्रावधान नहीं किया गया) और शेष 270.49 करोड़ रुपये के अपरिशोधित व्यय को आगे बढ़ाया गया है।

### i) एमएसएमई पुनर्रचित खाते

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र - अग्रिमों की पुनर्रचना पर आरबीआई सर्कुलर क्रमांक DBR No. BP. BC. 18/ 21.04.048/2018-19 दिनांक 01.01.2019, DOR No. BP.BC.34/ 21.04.048/2019-20 दिनांक 11.02.2020 and DOR. No. BO.BC/4/ 21.04.048/2019-20 दिनांक 05.05.2021 के अनुसार, एमएसएमई पुनर्रचित खातों का विवरण 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान निम्नानुसार है:

### Strategy of IND AS Implementation:

Bank has constituted IND AS steering committee headed by Executive Director to plan the IND AS technical requirements, System & Process Changes, Business Impact, evaluation of Resources and project management.

Bank has also constituted IND AS working group within the bank who will be working on IND AS implantation project which comprises of officers from cross functional department.

### Progress on IND AS implementation:

Bank has submitted the Proforma IND-AS Financial statements to Reserve Bank of India with reconciliation of change in Equity & profit on half yearly basis and last submitted on November 30, 2022 for the half year ended September, 2022 compared with the previous GAAP figures.

### g) Payment of DICGC Insurance Premium Strategic Planning

### h) Disclosure on amortisation of expenditure on account of enhancement in family pension of employees of banks

Bank has estimated the additional liability of Rs.560.49 crore on account of revision in family pension as per IBA joint noted dated 11.11.2020. However, RBI vide their circular RBI/2021-22/105/DOR.ACC.REC.57/21.04.018/2021-22 dated 04.10.2021 has permitted to amortise the said additional liabilities over the period not exceeding five years, beginning with financial year ending 31st March, 2022. Accordingly, Banks has recognised provisions of Rs. 290 crore during the year ended 31st March, 2022 (no provision made during the quarter ended 31st March, 2022) and the balance unamortized expenses of Rs. 270.49 crore has been amortised during the year ended 31st March 2023. No unamortised pension has been carried forward.

### i) MSME Restructured Accounts:

In accordance with the RBI Cir. No. DBR.No.BP.BC.18/21.04.048/2018-19 dated 01.01.2019, DOR.No.BP.BC.34/21.04.048/2019-20 dated 11.02.2020 and RBI/2020-21/17 DOR.No.BP.BC/4/21.04.048/2020-21 dated 06.08.2020 and RBI circular DOR.STR.REC.12/21.04.048/2021-22 dated 05.05.2021 on "Micro, Small and Medium Enterprises(MSME) sector - Restructuring of Advances", the details of MSME restructured accounts under the scheme as on 31st March, 2023 are as under:

(राशि करोड़ ₹ में)/Amount in ₹ Crore)

पुनर्रचित खातों की संख्या / No. of Accounts Restructured	Outstanding as on 31.03.2023
21,083	2549.84

### झ) आकस्मिक देयताएं

- क) तुलन-पत्र की अनुसूची 12 के क्रम सं. (1) यथाउल्लिखित देयताएं क्रमशः न्यायालय के निर्णय, माध्यस्थ पंचाट, न्यायालय से परे निपटारा, अपील के निपटान, मांगी गई राशि, संविदागत दायित्व की शर्तें, न्यागत होने और संबंधित पार्टियों द्वारा की गई मांग पर निर्भर करती है तथा जहां बैंक के विरुद्ध दावा तर्कसंगत हो तो उस स्थिति में आवश्यक प्रावधान किया जाता है।
- ख) आयकर विभाग द्वारा पारित आदेशों के अनुसार विवादित मांग एवं आयकर, टीडीएस, शास्ति, ब्याज एवं ब्याज कर हेतु ट्रेसेस (आय कर की वेबसाइट) में प्रदर्शित मांग राशि ₹9.19 करोड़ (₹16.10 करोड़) को आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत अनुसूची 12 में दर्शाया गया है; प्रबंधन द्वारा इसका प्रावधान किया जाना आवश्यक नहीं समझा गया है क्योंकि ये मामले विभिन्न सक्षम प्राधिकारियों के समक्ष अपील के लिए लंबित हैं।
15. कोष्ठक में दिखाए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं। पिछले वर्ष के आंकड़ों को जैसा आवश्यक समझा गया है पुनः समूहित/ पुनःव्यवस्थित/ पुनः निर्धारित किया गया है।

### ज) Contingent Liabilities

- a) Such liabilities as mentioned at Serial No. (1) of Schedule 12 of Balance Sheet are dependent upon the judgment of court, arbitration award, out of court settlement, disposal of appeals, the amount being called up, terms of contractual obligations, devolvement and raising of demand by concerned parties, respectively and necessary provision is made where claim against the Bank is tenable.
- b) Disputed demand as per orders passed by Income Tax Department and demand displayed at TRACES (Income Tax Website) on account of Income Tax, TDS, Penalty, Interest amounting to Rs. 9.19 Crore (Rs. 16.10 Crore) has been shown in Schedule 12 under Contingent Liability. No provision has been considered necessary by the Management as the matters are pending for disposal before various competent Authorities.
15. The bracketed figures indicate previous year's figures. Previous year's figures have been re-grouped /re-arranged/ re-casted wherever considered necessary.

**अनुलग्नक II / Annexure II**  
**पार्ट बी / Part B**

लेखा मानक के अनुसार प्रकटन अपेक्षाएं

**1 अवधि के लिए निवल लाभ या हानि, अवधि पूर्व मदें तथा लेखा नीतियों में परिवर्तन (एएस-5)**

लाभ-हानि लेखा में कोई 'अवधि पूर्व मद' शामिल नहीं की गई है, जिसे भा.रि. बैंक के दिशानिर्देशों के साथ पठित आईसीएआई द्वारा जारी एएस-5 के अनुसार प्रकट किया जाना अपेक्षित है। पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 की तुलना में 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण लेखा नीतियों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

**2 राजस्व को मान्यता (एएस-9):**

राजस्व को मान्यता अनुसूची-17 की लेखांकन नीति सं. 10 के अनुसार दी गई है।

**3 एएस-11: विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव:**

i) क) एकीकृत विदेशी परिचालन : प्रतिनिधि कार्यालय, तेहरान, ईरान

ख) गैर-एकीकृत विदेशी परिचालन: सिंगापुर केंद्र और हांगकांग केंद्र

**ii) गैर-एकीकृत केंद्र के लिए विनिमय दरें**

एसजीडी	61.7925
एचकेडी	10.4675

**iii) लेखाबंदी दर**

एसजीडी	61.7925
एचकेडी	10.4675

**iv) विदेशी मुद्रा अंतरण आरक्षित (एफसीटीआर)**

बैंक ने लाभ और हानि खाते में विदेशी परिचालन से लाभ के प्रत्यावर्तन पर विदेशी मुद्रा अंतरण आरक्षित में रखे गए आनुपातिक विनिमय लाभ या हानि को मान्यता नहीं दी है।

**Disclosures Requirement as per Accounting Standards:**

1. Net Profit or Loss for the period, prior period items and changes in accounting policies (AS-5):

There were no material "prior period item" included in Profit and Loss account required to be disclosed as per AS - 5 issued by ICAI read with RBI guidelines. There is no change in the Significant Accounting Policies adopted during the year ended 31st March 2023 as compared to those followed in the previous financial year 2022-23.

**2. Revenue Recognition (AS-9):**

Revenue is recognized as per accounting policy No. 10 of Schedule -17.

**3. AS-11: The Effects of changes in foreign Exchange Rates:**

i) a) Intergral Foreign Operations : Representative Office, Tehran, Iran

b) Non - Integral Foreign Operations: Singapore Centre & Hong Kong Centre

**ii) Exchange rates for Non - Integral Centre**

SGD	61.7925
HKD	10.4675

**iii) Closing Rate**

SGD	61.7925
HKD	10.4675

**iv) Foreign Currency Translation Reserve (FCTR)**

Bank has not recognized in profit and loss account the proportionate exchange gains or losses held in foreign currency translation reserve on repatriation of profits from overseas operations.

4 सेगमेंट रिपोर्टिंग (एएस-17) / Segment Reporting (AS- 17)

भाग-अ : कारोबार सेगमेंट / Part A: Business Segment

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

कारोबार सेगमेंट Business Segment	ट्रेजरी Treasury		कारपोरेट/होलसेल बैंकिंग Corporate/Wholesale Banking		रिटेल बैंकिंग Retail Banking		अन्य बैंकिंग परिचालन Other Banking Operations		योग Total	
	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
राजस्व Revenue	7333.54	7099.39	5665.13	5926.35	7110.45	5013.99	49.85	42.43	20158.98	18082.15
परिणाम Result	2375.26	2938.66	186.93	-697.74	293.08	-532.99	49.85	42.43	2905.11	1750.37
अनावंटित व्यय Unallocated Expenses									0	0.00
परिचालन लाभ Operating Profit									4340.67	4797.43
आयकर Income Tax									1042.77	820.60
असामान्य लाभ/हानि Extraordinary Profit/Loss	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
निवल लाभ Net Profit									1862.34	929.76
Add: Share in Profit of Associate									-36.05	-34.84
Consolidated Net Profit(+)/Loss (-)for the period									1826.28	894.92
अन्य सूचना Other Information										
सेगमेंट आस्तियां Segment Assets	130529.43	129332.88	75572.53	75050.09	94046.52	62846.54	553.69	429.75	300702.18	267659.26
अनावंटित आस्तियां Unallocated assets									0.00	0.00
कुल आस्तियां Total Assets									300702.18	267659.26
सेगमेंट देयताएं Segment Liabilities	112129.24	114969.29	84017.30	83101.35	104555.64	69588.61	0	0.00	300702.18	267659.26
अनावंटित देयताएं Unallocated Liabilities									0.00	0.00
कुल देयताएं Total Liabilities									300702.18	267659.26

भाग-आ : भौगोलिक सेगमेंट / Part B: Geographic segment (राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण/Particulars	देशी/Domestic		अंतरराष्ट्रीय/International		योग/Total	
	चालू वर्ष/ Current Year 2022-23	पिछला वर्ष/ Previous Year 2021-22	चालू वर्ष/ Current Year 2022-23	पिछला वर्ष/ Previous Year 2021-22	चालू वर्ष/ Current Year 2022-23	पिछला वर्ष/ Previous Year 2021-22
राजस्व/Revenue	19274.79	17863.97	884.19	218.18	20158.98	18082.15
आस्तियां/Assets	273182.12	248739.37	27520.06	18919.88	300702.18	267659.26

5 संबंधित पार्टी प्रकटीकरण (एएस-18) :

क) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

i) प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

श्री सोमा शंकर प्रसाद (01.04.2022 - 31.03.2023)

ii) कार्यपालक निदेशकगण

श्री इशराक अली खान (01.04.2022 - 31.03.2023)

श्री राजेंद्र कुमार साबू (21.11.2022-31.03.2023)

श्री अजय व्यास (01.04.2022-02.04.2022)

5. Related Party Disclosures (AS-18):

a) Key Management Personnel

i) Managing Director (MD) & CEO

Shri Soma Sankara Prasad (01.04.2022 - 31.03.2023)

ii) Executive Directors (ED)

Shri Ishraq Ali Khan (01.04.2022 -31.03.2023)

Shri Rajendra Kumar Saboo (21.11.2022-31.03.2023)

Shri Ajay Vyas (01.04.2022-02.04.2022)

प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के लेनदेन / b) Transactions with Key Management Personnel

(राशि लाख ₹ में / Amount in ₹ lakh)

प्रमुख प्रबंधन कार्मिक/ Key Management Personnel	अवधि/ Period	मदें/ Items	Amount (during the FY 22-23)	As on 31.03.2023
श्री सोमा शंकर प्रसाद प्रबंध निदेशक एवं सीईओ Shri Soma Sankara Prasad (MD & CEO)	01.04.2022 से/to 31.03.2023	पारिश्रमिक, परिलब्धियां एवं प्रोत्साहन/ Remuneration, perquisites & Incentive  Reimbursements यूको बैंक के शेयरों में निवेश/ Investments in UCO Shares	36.64  - -	-  - -
श्री इशराक अली खान कार्यपालक निदेशक Shri Ishraq Ali Khan (ED)	01.04.2022 से/to 31.03.2023	पारिश्रमिक, परिलब्धियां एवं प्रोत्साहन/ Remuneration, perquisites & Incentive  Reimbursements यूको बैंक के शेयरों में निवेश/ Investments in UCO Shares	36.84  - -	-  - -
श्री राजेंद्र कुमार साबू कार्यपालक निदेशक Shri Rajendra Saboo (ED)	21.11.2022 से/to 31.12.2023	पारिश्रमिक, परिलब्धियां एवं प्रोत्साहन/ Remuneration, perquisites & Incentive  Reimbursements यूको बैंक के शेयरों में निवेश/ Investments in UCO Shares	11.79  - -	-  - -
श्री अजय व्यास कार्यपालक निदेशक Shri Ajay Vyas (ED)	01.04.2022 से/to 02.04.2022	पारिश्रमिक, परिलब्धियां एवं प्रोत्साहन/ Remuneration, perquisites & Incentive  Reimbursements यूको बैंक के शेयरों में निवेश/ Investments in UCO Shares	4.17  - -	-  - -

नोट: एएस 18 के पैराग्राफ 5 के अनुसार, बैंक-ग्राहक संबंधों की प्रकृति में लेनदेन का खुलासा नहीं किया गया है, जिसमें प्रमुख प्रबंधन कर्मियों के साथ लेनदेन शामिल हैं।

Note: In terms of Paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of Banker-Customer relationship have not been disclosed including those with Key Management Personnel.

## सी) सहयोगी

### क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)

यूको बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, पश्चिम बंगा ग्रामीण बैंक (पीबीजीबी) है जिसका मुख्यालय हावड़ा, पश्चिम बंगाल में है, दिनांक 31.03.2023 तक इसके चार क्षेत्रीय कार्यालय और 230 शाखाएं हैं।

### आरआरबी की पूंजी की स्थिति

पश्चिम बंगा ग्रामीण बैंक की दिनांक 31.03.2023 को कुल पूंजी 567.31 करोड़ रुपये की थी, जिसमें भारत सरकार से 283.66 करोड़ रुपये, यूको बैंक (प्रायोजक बैंक के रूप में) से 198.56 करोड़ रुपये और पश्चिम बंगाल राज्य सरकार से 85.09 करोड़ रुपये शामिल हैं।

**वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान आरआरबी का कार्यनिष्पादन निम्नानुसार है:-**

#### पश्चिम बंगा ग्रामीण बैंक

पश्चिम बंगा ग्रामीण बैंक की अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के अनुसार दिनांक 31.03.2023 को कुल जमा राशि 5.09 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 6569.91 करोड़ रुपये है। दिनांक 31.03.2023 तक 8.97 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के साथ कुल अग्रिम 3747.95 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया है। सीडी अनुपात 31.03.2022 को 57.05% है जो 31.03.2021 को 55.01% था।

सकल एनपीए 31.03.2023 को 351.11 करोड़ रुपये है जो 31.03.2022 को 358.24 करोड़ रुपये था। सकल एनपीए से सकल अग्रिम 31.03.2023 को 9.37% रहा है जबकि 31.03.2022 को यह 10.42% था। आरआरबी का निवल एनपीए अनुपात 31.03.2023 को 3.94% है जो 31.03.2022 को 4.74% था।

पश्चिम बंगा ग्रामीण बैंक ने 31.03.2022 को 99.95 करोड़ रुपये के परिचालन लाभ की तुलना में 31.03.2023 को 55.01 करोड़ रुपये का परिचालन लाभ अर्जित किया है।

### 6. एसएस-21 और 23 की प्रयोज्यता :

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी मानक 21 - 'समेकित वित्तीय विवरण' और लेखा मानक 23 - 'समेकित वित्तीय विवरणों में सहायक प्रतिष्ठानों में निवेश हेतु लेखांकन' के अनुसार समेकित वित्तीय विवरण तैयार किये गए हैं।

समेकित वित्तीय विवरण को तैयार करने में सहायक प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2023 के अनुसार बनाये गये हैं।

### 7. अमूर्त आस्तियां (एस-26) :

अचल आस्तियों में कंप्यूटर साफ्टवेयर शामिल है जिसे आईसीएआई द्वारा जारी एस-26 के अनुसार अमूर्त आस्तियां माना गया है। साफ्टवेयर आस्ति की घट-बढ़ नीचे दी गई है:

## c) Associates

### Regional Rural Banks (RRBs)

UCO Bank sponsored RRB namely, Paschim Banga Gramin Bank (PBGB) is head quartered at Howrah, West Bengal with four regional offices and 230 branches as on 31.03.2023.

### Capital position of RRB

The total capital of Paschim Banga Gramin Bank as on 31.03.2023 stood at Rs.567.31 Cr. comprising Rs. 283.66 Cr. from Govt. of India, Rs.198.56 Cr. from UCO Bank (as sponsor Bank) & Rs. 85.09 Cr. from West Bengal State Govt.

### Performance of RRBs during 2022-23

#### Paschim Banga Gramin Bank:

As per audited financial results, total deposit of Paschim Banga Gramin Bank stood at Rs.6569.91 Cr. as on 31.03.2023, registering growth of 5.09%. Total advance reached a level of Rs.3747.95 Cr. with an annual growth of 8.97% 31.03.2023. CD ratio stood at 57.05% as on 31.03.2023 as against 55.01% on 31.03.2022.

The gross NPA stood at Rs.351.11 Cr. as on 31.03.2023 vis-avis Rs. 358.24 Cr. as on 31.03.2022. Gross NPA to Gross Advance stood at 9.37% as on 31.03.2023 as against 10.42% as of 31.03.2022. The net NPA ratio of the RRB stood at 3.94% as on 31.03.2023 as against 4.74% as of 31.03.2022.

Paschim Banga Gramin Bank has recorded a net loss of Rs.55.01 Cr. as on 31.03.2023 as compared to net loss of Rs.99.95 Cr. as on 31.03.2022.

### 6. APPLICABILITY OF AS- 21 and 23:

The Consolidated Financial Statements have been prepared in accordance with Accounting Standard 21-" Consolidated Financial Statements" and Accounting Standard 23-" Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements", issued by the ICAI.

The financial statement of the associate considered in preparation of Consolidated Financial Statement are drawn upto 31st March 2023.

### 7. Intangible Assets (AS-26):

Fixed Assets include computer software, which has been considered as intangible assets as per AS-26 issued by the ICAI. The movement in software asset is given below:



दिनांक 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार अमूर्त आस्तियां/Intangible Assets as on 31.03.2023

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

क्रम. सं. SI. No	विवरण Particulars	दिनांक 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2023	दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2022
1	वर्ष के प्रारंभ में सकल ब्लॉक Gross Block at the beginning of the year	82.77	56.94
2	घटाएं : पिछले वर्ष के एमओसी के खातों का समाधान Less: Adjustment on account of MOC of the previous year	0	0
3	वर्ष के आरंभ में निवल अवरुद्ध Net Block at the beginning of the year	-	-
4	वर्ष के दौरान परिवर्धन/Addition during the year	74.74	39.14
5	घटाएं: अमूर्त आस्तियों का पूर्णतः परिशोधित विमोचन Less: Retirement of intangibles fully amortised	43.74	13.31
6	योग/Total	113.77	82.77
7	घटाएं: अदयतित परिशोधन (परिशोधित आस्तियों की नेट ऑफ राशि) Less: Amortization up to date (Net of amount on assets retired)	38.05	44.13
8	घटाएं: अपसामान्य हानि / Less: Impairment Loss	-	-
9	वर्ष के अंत में निवल ब्लॉक Net Block at the end of the year	75.72	38.64

दिनांक 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार अमूर्त आस्तियां-परिशोधन/Intangible Assets - Amortization as on 31.03.2023

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

परिशोधन Amortization	दिनांक 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2023	दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2022
10 सकल प्रारंभिक शेष/Gross Opening balance	44.13	30.75
11 घटाएं : पिछले वर्ष के एमओसी के कारण समायोजन Less: Adjustment on account of MOC of the previous year	0	0
12 शुद्ध प्रारंभिक शेष /Net Opening Balance	44.13	30.75
13 जोड़ें: अपसामान्य हानि/Add: Impairment Loss	-	-
14 जोड़ें: वर्ष के दौरान मान्य परिशोधन/ Add: Amortization recognised during the year	37.66	26.69
15 घटाएं: विमोचित आस्तियों पर विनियोजन/ Less: Appropriation on assets retired	43.74	13.31
16 अंतिम शेष/Closing Balance	38.05	44.13

8. आस्तियों की अनर्जकता (एस-28) :

लेखा मानक-28 "आस्तियों की अनर्जकता" के खंड 5 से खंड 13 तक के अर्थान्तर्गत तात्त्विक अनर्जकता के लक्षण नहीं दिखाई देने की बात को ध्यान में रखते हुए चालू वित्तीय वर्ष की बाबत अचल आस्तियों की अनर्जकता अपेक्षित नहीं है।

9. एस-24, 27 की प्रयोज्यता

चूंकि सहयोगियों/संयुक्त उद्यमों में बैंक का सहयोगी या नियंत्रक हित नहीं है, असतत परिचालन-एस 24 और संयुक्त उद्यमों में हित की वित्तीय रिपोर्टिंग एस 27 बैंक पर लागू नहीं हैं।

10. एस-15-कर्मचारी हितलाभ (संशोधित) :

- बैंक द्वारा दिनांक 1 अप्रैल, 2007 से भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 15 (संशोधित) 'कर्मचारी लाभ' को अपनाया गया।
- लेखा मानक -15 (संशोधित) के अनुसार आवश्यक लाभ और हानि खाते और तुलन पत्र (बैलेंस शीट) में मान्यता प्राप्त रोजगार पूर्व

8. Impairment of Assets (AS-28):

In view of the absence of the indication of material impairment within the meaning of clause 5 to clause 13 of Accounting Standard - 28 "Impairment of Assets" no impairment of fixed assets is required in respect of current financial year.

9. APPLICABILITY OF AS- 24, 27.

As the Bank does not have Subsidiaries or controlling interest in Associates/Joint Ventures, AS-24 - Discontinuing Operations and AS 27 - Financial Reporting of Interest in Joint Ventures issued by the ICAI are not applicable to the Bank.

10. AS - 15 -Employee Benefits (Revised):

- The Bank had adopted Accounting Standard 15 (Revised) "Employees Benefits" issued by the Institute of Chartered Accountants of India, with effect from 1st April, 2007.
- The summarized position of Post-employment benefits and long term employee benefits recognized in the Profit

लाभों और दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों की सारांश स्थिति निम्नानुसार है: -

& Loss Account and Balance sheet as required in accordance with Accounting Standard -15 (Revised) are as under:-

**परिभाषित हितलाभ योजनाएं**

**Defined Benefit Schemes:**

**(ए) दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन**

**(a) Changes in the present value of the obligations**

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण Particulars	निधिक/FUNDED				अनिधिक/UNFUNDED							
	पेंशन Pension		उपदान Gratuity		छुट्टी का नकदीकरण Leave Encashment		एलएफसी/ एलटीसी LFC/ LTC		बीमारी छुट्टी Sick Leave		निदेशकों को चिकित्सा सुविधा Medical Benefits to Directors	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
वर्ष के आरंभ में दायित्व का वर्तमान मूल्य Present Value of obligation as at the beginning of the year	8692.34	8053.46	718.27	784.57	649.08	640.19	41.99	40.91	16.77	16.92	2.12	1.50
ब्याज लागत Interest Cost	604.79	522.74	49.79	50.34	48.75	46.42	3.15	2.96	1.26	1.23	0.16	0.11
चालू सेवा लागत Current Service Cost	503.37	299.23	54.09	59.03	135.70	124.04	0	0	3.91	3.85	0	0
प्रदत्त हितलाभ Benefit Paid	1127.00	1128.50	110.55	180.50	0	0	0	0	0	0	0	0
बीमाकिक हानि/(लाभ) दायित्व Actuarial loss/(gain) on Obligations	(401.14)	(945.41)	(12.78)	(4.83)	206.87	161.57	2.99	1.88	4.36	5.23	(0.20)	(0.51)
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य Present Value of Obligation at year end	9074.64	8692.34	698.82	718.27	626.66	649.08	42.15	41.99	17.58	16.77	2.48	2.12

**(b) (बी) योजना आस्ति के उचित मूल्य में परिवर्तन**

**(b) Change in Fair Value of Plan Asset**

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण/ Particulars	पेंशन/ Pension 2023	पेंशन/ Pension 2022	उपदान/ Gratuity 2023	उपदान/ Gratuity 2022
वर्ष के आरंभ में योजना आस्ति के उचित मूल्य Fair Value of Plan Assets at the beginning of the year	8517.74	7867.97	697.81	732.88
योजना आस्ति पर अनुमानित प्रतिफल Expected return on Plan Assets	672.90	612.91	55.12	57.09
नियोक्ता अंशदान /Employer's contribution	821.79	1194.45	50.32	78.73
प्रदत्त हितलाभ /Benefit Paid	1127.00	1128.50	110.55	180.50
दायित्व पर बीमाकिक लाभ/(हानि) Actuarial gain/(loss) on Obligation	(20.90)	(29.09)	14.21	9.62
वर्ष के अंत में योजना आस्ति का उचित मूल्य Fair Value of Plan Asset at the end of the year	8864.53	8517.74	678.49	697.81

(सी) तुलन-पत्र में मान्यता प्राप्त राशि

(c) Amount recognized in Balance Sheet

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण Particulars	निधिक/FUNDED				अनिधिक/UNFUNDED							
	पेंशन Pension		उपदान Gratuity		छुट्टी का नकदीकरण Leave Encashment		एलएफसी/ एलटीसी LFC/ LTC		बीमारी छुट्टी Sick Leave		निदेशकों को चिकित्सा सुविधा Medical Benefits to Directors	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
वर्ष के अंत में दायित्वों का अनुमानित वर्तमान मूल्य Estimated Present value of obligations as at the end of the year	9074.64	8692.34	698.82	718.27	626.66	649.08	42.15	41.99	17.58	16.77	2.48	2.12
वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का वास्तविक उचित मूल्य Actual Fair value of Plan Assets as at the end of the year	8864.53	8517.74	678.49	697.81	607.25	647.21	41.99	40.91	16.77	15.92	2.12	1.50
तुलन-पत्र में मान्यता प्राप्त निवल देयताए/आस्ति Net Liability /Asset recognized in Balance Sheet	210.11	174.60	20.33	20.46	19.41	1.87	0.16	1.08	0.81	0.85	0.36	0.62

(d) लाभ-हानि लेखा विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय/Expenses Recognized in the Profit and Loss Account

(राशि करोड़ ₹ में / ₹ in Crore)

	पेंशन		उपदान		छुट्टी का नकदीकरण		एलएफसी/एलटीसी		बीमारी छुट्टी		निदेशकों को चिकित्सा प्रसुविधा		
	Pension		Gratuity		Leave Encashment		LFC / LTC		Sick Leave		Medical Benefits to Directors		
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	
चालू सेवा लागत (ए) Current Service Cost (A)	503.37	299.23	54.09	59.03	135.70	124.04	0	0	3.91	3.85	0	0	
ब्याज लागत (बी) / Interest Cost (B)	604.79	522.75	49.79	50.34	48.75	46.41	3.15	2.96	1.26	1.23	0.16	0.11	
योजना आस्ति पर प्रत्याशित प्रतिफल (सी) Expected Return on Plan Asset (C)	672.90	612.92	55.13	57.09	0	0	0	0	0	0	0	0	
वर्ष में मान्यता प्राप्त शुद्ध बीमांकिक हानि/लाभ (डी) Net Actuarial Loss/Gain Recognized in the Year (D)	422.03	974.50	1.43	(4.79)	(206.87)	(161.57)	(2.99)	(1.88)	(4.36)	(5.23)	0.20	0.51	
राशि /Amount (A+B-C+D)	<b>857.29</b>	<b>1183.56</b>	<b>50.18</b>	<b>47.49</b>	<b>(22.42)</b>	<b>8.88</b>	<b>0.16</b>	<b>1.08</b>	<b>0.81</b>	<b>(0.15)</b>	<b>0.36</b>	<b>0.62</b>	
वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान लाभ-हानि लेखा विवरणी में व्यय को शामिल किया गया  Expenses Recognized in Statement of Profit/Loss during the FY 2022-23	प्रावधान खाता के माध्यम से - नोट 1(ए) Through Provision Account-Note 1 (A)	857.29	1183.56	50.18	47.49	(22.42)	8.88	0.16	1.08	0.81	(0.15)	0.36	0.62
	बैंक का सामान्य अंशदान (बी) Banks Ordinary Contribution (B)	0	30.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों के अनुसार, As per RBI direction, (C)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>कुल/Total (A+B+C)</b>	<b>857.29</b>	<b>1183.56</b>	<b>50.18</b>	<b>47.49</b>	<b>(22.42)</b>	<b>8.88</b>	<b>0.16</b>	<b>1.08</b>	<b>0.81</b>	<b>(0.15)</b>	<b>0.36</b>	<b>0.62</b>

बीमांकिक लाभ/हानि समाधान/ **Actuarial Gain/Loss Reconciliation**

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण Particulars	निधिक/FUNDED				अनिधिक/UNFUNDED							
	पेंशन Pension		उपदान Gratuity		छुट्टी का नकदीकरण Leave Encashment		एलएफसी/ एलटीसी LFC/ LTC		बीमारी छुट्टी Sick Leave		निदेशकों को चिकित्सा प्रसुविधा Medical Benefits to Directors	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
वर्ष के लिए बीमांकिक हानि/(लाभ)- दायित्व Actuarial Loss/(Gain) for the Year - Obligation	(401.14)	(945.41)	(12.78)	(4.83)	206.87	161.57	2.99	1.88	4.36	5.23	(0.20)	0.51
वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/ (हानि)- आस्ति योजना Actuarial Gain/(Loss) for the Year - Plan Asset	(422.03)	(29.09)	1.43	9.62	0	0	0	0	0	0	0	0
वर्ष के लिए कुल हानि/(लाभ) Total Loss /(Gain) for the Year	(823.17)	(974.50)	(11.35)	4.79	206.87	161.57	2.99	1.88	4.36	5.23	(0.20)	0.51
वर्ष के दौरान मान्य बीमांकिक हानि/(लाभ) Actuarial Loss/(Gain) Recognized in the Year	(823.17)	(974.50)	(11.35)	4.79	206.87	161.57	2.99	1.88	4.36	5.23	(0.20)	0.51

**निवेश के ब्योरे :**

- क) उपदान निधि के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम में निवेश - 100%  
 ख) पेंशन निधि की बाबत उचित मूल्य के प्रतिशत के रूप में योजना आस्तियों की प्रमुख श्रेणियाँ

**Investment Details:**

- a) Investment with LIC of India for Gratuity Fund - 100%  
 b) Major Categories of Plan assets as percentage of Fair Value in respect of Pension Fund

निवेश की प्रकृति /Nature of Investment	% of Total Investment
ईक्विटी /Equities	0%
नियत आय एवं ऋण प्रतिभूतियां Fixed income & debt securities	100.00%
विशेष जमा / Special Deposit	-
अन्य आस्तियां एन्युटी कांटेक्टर Other Assets / Annuity contractor	-
<b>कुल/Total</b>	<b>100.00%</b>

**मूल बीमांकिक अनुमान / Principal Actuarial Assumptions :**

मृत्यु दर तालिका/Mortality Rate Table	जीवन बीमा निगम/LICI (1994-96)
अधिवर्षिता आयु/Superannuation Age	60 वर्ष/60 Years
समयपूर्व सेवानिवृत्ति और विकलांगता/Early Retirement & Disablement	10 प्रतिवर्ष प्रति हजार / 10 Per Thousand Per Annum 45 वर्ष की आयु से अधिक के 6 / 6 Above age 45 29 से 45 वर्ष के बीच के 3 / 3 between 29 and 45 29 वर्ष से कम आयु के 1 / 1 below age 29
रियायती दर/Discount Rate	7.44% ( पेंशन हेतु/For Pension) 7.51% ( उपदान हेतु/For Gratuity)
मुद्रास्फीति दर/Inflation Rate	6.00 %
योजना आस्तित पर प्रतिफल/Return on Plan Asset	7.90% ( पेंशन हेतु/For Pension) 7.90% ( उपदान हेतु/For Gratuity)
शेष सक्रिय जीवन/Remaining Working Life	औसतन 22 वर्ष (उपदान)/22 Years on an average (Gratuity) औसतन 10 वर्ष (पेंशन)/10 Years on an average (Pension)
प्रयुक्त सूत्र/Formula Used	अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति/Projected Unit Credit Method

11. प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस) का परिकलन-(एस-20) / Earnings Per Share (EPS)- (AS-20): :

Calculation of EPS

	As on 31.3.2023	As on 31.3.2022
ईक्विटी शेयरधारकों के लिए उपलब्ध कर के बाद निवल लाभ (करोड़ ₹ में) Net profit after tax available for equity shareholders (₹ in crore)	1826.28	894.92
ईक्विटी शेयरों की संख्या Number of equity shares	11955958176	11955958176
जोखिम धारित ईक्विटी शेयरों की संख्या Weighted Number of equity shares	11955958176	11637754887
प्रति शेयर सांकेतिक मूल्य (राशि ₹ में) Nominal Value per Share (Amount in ₹)	10.00	10.00
प्रति शेयर बेसिक एवं डाइल्यूटेड अर्जन (राशि ₹ में) Basic & Diluted Earnings per Share (Amount in ₹)	1.53 0.77	1.53 0.77

12. आय पर कर का लेखांकन (एस-22)

क) बैंक का वर्ष के दौरान कोई वर्तमान आयकर दायित्व नहीं है। वर्ष के दौरान लेखा मानक एस-22 के अनुसार ₹1011.07 करोड़ (वित्तीय वर्ष 2021-22 ₹817.71 करोड़) की निवल राशि की पहचान डेफर्ड टैक्स एसेट के रूप में की गई है।

12. Accounting for Taxes on Income (AS-22) :

a) The Bank does not have any current Income Tax obligation during the year. During the year net amount of Rs. 1011.07 Crore (Rs. 817.71 Crore has been reversed for FY 2021-22) has been reversed as Deferred Tax Assets as per accounting standard AS-22.

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण Particulars	दिनांक 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2023	दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2022
<b>आस्थगित कर आस्तियां / Deferred Tax Assets</b>		
आगे ले जायी गई हानि / Carried Forward Loss	7411.44	8277.94
छुट्टी के नकदीकरण के लिए प्रावधान / Provision for leave encashment	218.98	226.81
उचित मूल्य में ह्रास / Diminution in fair value	0.00	0.00
कर्मचारियों के लाभ के लिए प्रावधान/ Provision for Employee Benefits	13.98	0.00
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान / Provision for Standard Assets	308.91	285.49
निवेश मूल्यांकन में अंतर / Difference in investment valuation	0.00	-
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास / Depreciation on Fixed Assets	70.33	80.49
/Provision held for Contingent Liabilities/Others	185.47	349.45
<b>योग:/TOTAL :</b>	<b>8209.11</b>	<b>9220.18</b>

(राशि करोड़ ₹ में / Amount in ₹ Crore)

विवरण Particulars	दिनांक 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2023	दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2022
<b>आस्थगित कर देयताएं/Deferred Tax Liabilities</b>		
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास / Depreciation on Fixed Assets	--	--
निवेश मूल्यन में अंतर / Difference in Investment valuations	--	--
<b>योग:/TOTAL:</b>	--	--
<b>आस्थगित कर आस्तियां (निवल) / Deferred Tax Assets (Net)</b>	<b>8209.11</b>	<b>9220.18</b>

भारत सरकार ने करधान कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2019 के माध्यम से आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115 बीएए की घोषणा की है, जो घरेलू कंपनियों को कुछ शर्तों के अनुपालन के अधीन 1 अप्रैल 2019 से प्रभावी दर से कम दर पर कॉर्पोरेट कर का भुगतान करने का एक गैर-प्रतिवर्ती विकल्प प्रदान करता है। बैंक वर्तमान में इस विकल्प के मूल्यांकन की प्रक्रिया में है और आयकर अधिनियम, 1961 के पहले के प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आय पर करों की पहचान करना जारी है।

The Government of India has pronounced Section 115BAA of Income Tax Act, 1961 through Taxation Laws (Amendment) Ordinance, 2019 which provides domestic companies a non-reversible option to pay corporate tax at reduced rate effective from 1st April, 2019 subject to compliance of certain conditions. Bank is currently in the process of evaluating this option and continues to recognize the taxes on income for the year ended 31st March, 2023 as per the earlier provisions of the Income Tax Act, 1961.

13. आरबीआई सर्कुलर संख्या डीओआर.एसीसी.आरईसी. सं.91/21.04.018/2022-23 दिनांक 13.12.2022 के अनुसार, "अनुसूची 14-अन्य आय" शीर्षक के तहत उपशीर्षक "विविध आय" के तहत आइटम से संबंधित प्रकटीकरण कुल आय के एक प्रतिशत से अधिक, निम्नानुसार हैं:

13. In terms of RBI Circular No. DOR.ACC.REC.No.91/21.04.018/2022-23 dated 13.12.2022, the disclosure relating to item under subhead "Miscellaneous Income" under the head "Schedule 14-Other Income" exceeds one percent of total income, are as under:

प्रमुख/उप-शीर्षक का विवरण Particulars of Head/ Sub-Head	उप-शीर्षक के अंतर्गत मद Item under the Sub-Head	राशि (करोड़ रुपये में) Amount (Rs. In Crore)	% In Percentage Terms
अनुसूची 14-अन्य आय उप शीर्षक- विविध आय Schedule 14-Other Income Sub Head- Misc Income	बट्टे खाते में वसूली Recovery in Written off	1624.40	8.06

14. कोष्ठक में दिखाए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं। पिछले वर्ष के आंकड़ों को जैसा आवश्यक समझा गया है पुनः समूहित/ पुनःव्यवस्थित/ पुनः निर्धारित किया गया है।

14. The bracketed figures indicate previous year's figures. Previous year's figures have been re-grouped /re-arranged/ re-casted wherever considered necessary.



## स्वतंत्र लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में

यूको बैंक के सदस्यों

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट

### अभिमत

- हमने यूको बैंक ('बैंक') के समेकित वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण किया है, जिसमें 31 मार्च, 2023 तक समेकित तुलन-पत्र और उस समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि खाते का समेकित विवरण और समेकित नकदी प्रवाह विवरण शामिल है, और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी (इसके बाद 'समेकित वित्तीय विवरण' के रूप में संदर्भित) के सारांश सहित समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स, जिसमें शामिल हैं:
  - यूको बैंक (बैंक) के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण, जिनका लेखा परीक्षण सभी चार सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों अर्थात् हमारे द्वारा किया गया है।
  - एक सहयोगी (पश्चिम बंगा ग्रामीण बैंक) के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण अन्य लेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षित की गई है।
- हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, और बैंक के अलग-अलग लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण / वित्तीय जानकारी और सहयोगी के लेखा परीक्षित वित्तीय पर अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार के आधार पर, जैसा कि बैंक प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत किया गया है, उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरण बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानकों, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रासंगिक प्रावधानों के लिए आवश्यक जानकारी देता है। भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर जारी किए गए परिपत्रों, दिशानिर्देशों और निर्देशों ('आरबीआई दिशानिर्देश') को आवश्यक तरीके से और भारत में आम तौर पर स्वीकार किए जाने वाले लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च, 2023 को बैंक के समेकित लाभ की उनकी समेकित स्थिति, और उसके बाद समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह का एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देता है।

### 3. अभिमत का आधार

हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार अपना लेखापरीक्षा किया है।

उन मानकों के तहत हमारे उत्तरदायित्व को हमारी रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरण अनुभाग की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की उत्तरदायित्व में आगे वर्णित किया गया है। हम नैतिक आवश्यकताओं के साथ भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार बैंक से स्वतंत्र हैं। समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपने अन्य नैतिक उत्तरदायित्वों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं। हम विश्वास करते हैं कि लेखा परीक्षा के लिए हमने जो साक्ष्य प्राप्त किया है वह हमारे विचार को अभिव्यक्त करने के लिए पर्याप्त तथा समुचित है।

### 4. मूल लेखा परीक्षा मामले

मूल लेखा परीक्षा मामले वे मामले हैं जो हमारे पेशागत निर्णय में चालू अवधि की वित्तीय विवरणी की हमारी लेखा परीक्षा के लिए अत्यधिक महत्व के थे। इन मामलों को वित्तीय विवरणी की हमारी समग्र लेखा परीक्षा तथा उसपर अपना अभिमत बनाने के क्रम में बरता गया है तथा इन मामलों पर हम अलग से अपना कोई मत व्यक्त नहीं करते। नीचे दिए गए मामलों को अपनी रिपोर्ट में दर्ज करने के लिए हमने उसे मूल लेखा परीक्षा मामला माना है:

#### प्रमुख लेखा परीक्षा मामले

#### प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों पर लेखापरीक्षकों की प्रतिक्रिया

##### अग्रिमों का वर्गीकरण, अनर्जक अग्रिमों की पहचान करना और उनका प्रावधान अग्रिमों के अंतर्गत

खरीदे एवं भुनाए गए बिल, नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट, मांग पर चुकाए जाने वाले ऋण और मीयादी ऋण। इन्हें बैंक / सरकारी गारंटी और असुरक्षित अग्रिमों के रूप में कवर की गई मूर्त संपत्ति (बुक देट के बदले अग्रिम) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

अग्रिमों को अर्जक और अनर्जक अग्रिमों के रूप में वर्गीकृत किया गया है और उन पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के आधार पर प्रावधान किया जाता है। वर्गीकरण तथा प्रावधान बैंक के कोर बैंकिंग सौल्यूशन (सीबीएस) के तहत बैंक के आईटी साफ्टवेयर द्वारा किया जाता है। विवेकपूर्ण मानदंड के अनुसार एनपीए के लिए प्रावधान मुख्यतः उसके एनपीए होने की अवधि तथा उसके एवज में रखी हुई प्रतिभूति की वसूलीयोग्यता पर निर्भर है।

हमने आसित वर्गीकरण और इसके प्रावधान के संबंध में बैंक के सॉफ्टवेयर, भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्रों दिशानिर्देशों तथा निदेशों और बैंक के आंतरिक निर्देशों और प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की और निम्नलिखित लेखापरीक्षा प्रक्रिया अपनाई।

हमने अग्रिमों की निगरानी, पहचान / वर्गीकरण जिसमें संगत डाटा गुणता की जांच भी शामिल है, के संबंध में आईटी सॉफ्टवेयर नियंत्रण तथा अन्य महत्वपूर्ण आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की गुणवत्ता तथा सॉफ्टवेयर में प्रविष्ट डाटा की समीक्षा, मूल्यांकन एवं जांच की।

वृहद और दबावग्रस्त अग्रिमों के टेस्ट जांच द्वारा परिचालनों / कार्यनिष्पादनों और निगरानी की समीक्षा, एवं दस्तावेज़ीकरण ताकि किसी भी अग्रिम खाते में असंतोषजनक आचरण या कमजोरी का पता लगाया जा सके, यह सत्यापित किया जा सके कि इसका वर्गीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंड के अनुरूप है। इसके अलावा, हमने आंतरिक / विनियामक निरीक्षण, समवर्ती लेखा परीक्षकों आदि की कई रिपोर्टों का भी उल्लेख किया है और बैंक के अग्रिम पोर्टफोलियो पर इसकी टिप्पणियों के परिणामी प्रभाव का मूल्यांकन किया है।

क्योंकि प्रतिभूति के मूल्यांकन में अनुमान और निर्णय का उच्च स्तर शामिल होता है, विवेकपूर्ण मानदंडों के किसी भी अनुचित आवेदन या प्रतिभूति के अवास्तविक मूल्य पर विचार करने की स्थिति में, अग्रिमों का अभिव्यक्त मूल्य व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से गलत तरीके से कहा जा सकता है और वित्तीय विवरणियों में अग्रिमों की राशि के महत्व को देखते हुए, अग्रिमों का वर्गीकरण तथा उन पर प्रावधानीकरण को हमारी लेखा परीक्षा में लेखापरीक्षा के प्रमुख विषय माना गया है।

### निवेश का वर्गीकरण और मूल्यांकन, अनर्जक निवेश की पहचान और प्रावधान

निवेश में विभिन्न सरकारी प्रतिभूतियों, बांडों, डिबेंचर, शेयरों, प्रतिभूति रसीदों और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में बैंक द्वारा किए गए निवेश शामिल हैं।

ये आरबीआई के परिपत्रों और निर्देशों के अधीन प्रचालित होते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के ये निर्देश, अन्य बातों के साथ-साथ निवेश का मूल्यांकन, निवेश का वर्गीकरण, गैर-निष्पादित निवेश की पहचान, आय की संगत गैर-मान्यता और इसके एवज में किए प्रावधान को शामिल किए जाते हैं।

उपर्युक्त प्रतिभूतियों की प्रत्येक श्रेणी (प्रकार) का मूल्यांकन आरबीआई द्वारा जारी किए गए परिपत्रों और निर्देशों में निर्धारित विधि के अनुसार किया जाना है, जिसमें विभिन्न स्रोतों से डेटा / सूचना का संग्रह शामिल है, जैसे बीएसई / एनएसई द्वारा उद्धृत दरें, असूचीबद्ध कंपनियों के वित्तीय विवरण इत्यादि का मूल्यांकन, लेनदेन की मात्रा, त्वरित निवेश और विनियामक फोकस की डिग्री, जटिलताओं और निर्णय की सीमा को ध्यान में रखते हुए, इसे एक प्रमुख लेखा परीक्षा मानदंड के रूप में निर्धारित किया गया है।

तदनुसार, हमारा ऑडिट मूल रूप से निवेश के मूल्यांकन, वर्गीकरण, गैर-निष्पादित निवेश की पहचान और निवेश से संबंधित प्रावधान पर केंद्रित था।

निवेश के प्रति हमारा लेखा परीक्षा दृष्टिकोण भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र / निर्देशों के संदर्भ में मूल्यांकन, वर्गीकरण, अनर्जक निवेशों की पहचान (एनपीआई), निवेश से संबंधित प्रावधान / मूल्यहास के संबंध में आंतरिक नियंत्रण और ठोस लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं की समझ शामिल है।

हमने बैंक के आंतरिक नियंत्रण तंत्र का मूल्यांकन किया और देखा कि वर्गीकरण, एनपीआई की पहचान, निवेश से संबंधित प्रावधान / मूल्यहास के संबंध में प्रासंगिक आरबीआई निर्देशों का अनुपालन किया जाता है या नहीं।

हमने इन निवेशों का उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए विभिन्न स्रोतों जैसे एफआईएमएमडीए दरों, बीएसई / एनएसई आदि पर उद्धृत दरों से जानकारी एकत्र करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का आकलन और मूल्यांकन किया;

वर्तमान निवेश के चयनित नमूने के लिए, हमने आरबीआई के मास्टर परिपत्रों एवं निहित दिशा-निर्देश के साथ सटीकता और अनुपालन हेतु प्रत्येक वर्ग की प्रतिभूति का पुनर्मूल्यांकन कर परीक्षण किया।

हमने एनपीआई की पहचान की प्रक्रिया का और इसके विपरीत आय और प्रावधान के सृजन के उलट का आकलन और मूल्यांकन भी किया;

उपर्युक्त के अलावा, हमने आरबीआई के परिपत्रों और निर्देशों के अनुसार प्रावधान को बनाए रखने और मूल्यहास की फिर से गणना करने के लिए महत्वपूर्ण ऑडिट प्रक्रियाएं भी कीं। हमने आरबीआई के निर्देशों के संदर्भ में विभिन्न निवेश पोर्टफोलियो से जुड़े खुलासों की प्रस्तुतियों का भी मूल्यांकन किया।

प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों सहित कुछ मुकदमों के संबंध में प्रावधान और आकरिमक देनदारियों का आकलन, अन्य पार्टियों द्वारा दायर विभिन्न दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाना

बैंक कई कराधान और अन्य विवादों में शामिल है, जिसके अंतिम परिणामों की आसानी से भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है और जिसके परिणामस्वरूप भारी देनदारियां हो सकती हैं। मुकदमों से जुड़े जोखिमों का मूल्यांकन जटिल धारणाओं पर आधारित है, जिसके लिए निर्णय करने की आवश्यकता होती है और इस तरह के निर्णय, मुख्य रूप से, कार्यवाही के परिणाम की भविष्यवाणी से जुड़ी अनिश्चितताओं के आकलन और वित्तीय वक्तव्यों में खुलासे की पर्याप्तता से संबंधित होते हैं। आवश्यक निर्णय, इस तरह के

इस प्रमुख लेखा परीक्षा के मामले के प्रत्युत्तर में हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया में शामिल था :

- कानूनी और कर मुकदमों, और लंबित प्रशासनिक कार्यवाही की पहचान करने के लिए लागू प्रक्रिया और प्रासंगिक नियंत्रण का आकलन।
- विधिक पूर्वोदाहरणों तथा समान वादों के अन्य रुझानों का विचार करते हुए बैंक द्वारा संभावित विधिक तथा कर जोखिमों के मूल्यांकन हेतु उपयोग की गई धारणा का आकलन।

मुकदमों का महत्व और मूल्यांकन प्रक्रिया की जटिलता के कारण यह क्षेत्र हमारे ऑडिट के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया था।

- सबसे महत्वपूर्ण विवादों की स्थिति और प्रमुख प्रासंगिक प्रलेखों के निरीक्षण के बारे में कानूनी विभाग के साथ पूछताछ।
- जहां कहीं उपलब्ध हो विशेषज्ञों से प्राप्त विचारों का विश्लेषण।
- वित्तीय विवरणों के नोट में प्रकटन की पर्याप्तता की समीक्षा।

## 5. अन्य बातें

संलग्न समेकित वित्तीय विवरण में एक (01) सहयोगी के संबंध में लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण और अन्य वित्तीय जानकारी शामिल है, जिसका वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कर के बाद 36.05 करोड़ रुपये की शुद्ध हानि को दर्शाता है, जैसा कि वित्तीय परिणाम/वित्तीय विवरण समेकित वित्तीय विवरण में माना गया है। अन्य वित्तीय जानकारी की लेखापरीक्षा उनके संबंधित स्वतंत्र लेखा परीक्षक द्वारा की गई है, जिनकी लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत की गई है, और हमारी राय पूरी तरह से उक्त लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है। हमारी राय में और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, ये वित्तीय विवरण समूह के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं।

31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए तुलनात्मक वित्तीय विवरण की लेखा-परीक्षा हमारे द्वारा नहीं की गई है और इसे प्रबंधन द्वारा तैयार किया गया है। हमारी राय में और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, यह तुलनात्मक जानकारी समेकन के उद्देश्य से तैयार की गई है।

उपरोक्त मामले के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

## 6. समेकित वित्तीय विवरणों और उन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

बैंक का निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। अन्य सूचनाओं में प्रबंधन विमर्श और विश्लेषण, निदेशक की रिपोर्ट, बासेल III के तहत आधार 3 प्रकटन, लिवरेज अनुपात, तरलता कवरेज अनुपात, कॉर्पोरेट प्रशासन और शेयरधारकों की जानकारी शामिल है। लेकिन उसमें वित्तीय विवरण और उसपर हमारे लेखा परीक्षण की रिपोर्ट शामिल नहीं है, जो उस तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

समेकित वित्तीय वक्तव्यों पर हमारी राय अन्य जानकारी को कवर नहीं करती है और बेसल III के तहत स्तम्भ 3 प्रकटीकरण और हम उसपर कोई आश्वासन निष्कर्ष नहीं देते हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों के ऑडिट के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी उपर्युक्त में पहचान की गई अन्य जानकारी को पढ़ने की है और ऐसा करते हुए, हमें विचार करना है कि क्या अन्य जानकारी समेकित वित्तीय विवरणों के साथ गंभीर रूप से असंगत है या ऑडिट के संबंध में हमारी जानकारी, या और कोई बात प्रधान रूप से गलत रूप से कही (मिसस्टेमेंट) गई प्रतीत होती है।

यदि, इस लेखा परीक्षा की रिपोर्ट की तारीख से पहले प्राप्त की गई अन्य जानकारी पर हमने जो काम किया है, उसके आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी में कुछ महत्वपूर्ण गलत कथन (मिसस्टेमेंट) है। हमसे उस तथ्य की रिपोर्ट करने की अपेक्षा है। इस संबंध में हमारे पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

जब हम निदेशकों की रिपोर्ट पढ़ते हैं, जिसमें वार्षिक रिपोर्ट में अनुलग्नक, यदि कोई हो, तो, यदि हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि इसमें कोई सामग्री गलत है, तो हमें इस मामले को इससे संबंधित विभाग को बताना होगा।

## 7. समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व और उन पर अभिशासन का दायित्व

बैंक का निदेशक मंडल इन समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में उत्तरदायी है जो समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय प्रदान और बैंक और उसके सहयोगी के समेकित नकदी प्रवाह का एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं, जो भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार हैं। जिसमें आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक, और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधान और भारतीय रिजर्व बैंक ('आरबीआई') द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र और दिशानिर्देश शामिल हैं। संबंधित निदेशक मंडल बैंक और उसके सहयोगी इसके लिए उत्तरदायी हैं। इस जिम्मेदारी में बैंक की आस्तियों की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव, उचित लेखांकन नीतियों का चयन और उसका प्रयोग; जो उचित और विवेकपूर्ण हैं वैसे निर्णय करना और धारणा बनाना और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन करना, कार्यान्वयन और रखरखाव करना, जो कि लेखांकन के रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो वित्तीय वक्तव्यों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक है जो एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और जिसमें चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण ही सही खास बातों का गलत कथन नहीं हो, भी शामिल है।

समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में, बैंक के संबंधित निदेशक मंडल और उसके सहयोगी, बैंक और उसके सहयोगी से संबंधित जो तथ्य लागू हो, उन्हें प्रकट करना है। यह एक संस्था के रूप में जारी रखने की क्षमता का आकलन करने के लिए उत्तरदायी हैं। जब तक प्रबंधन बैंक और उसके सहयोगी को समाप्त करने या परिचालन बंद करने नहीं चाहता है, तो ऐसा करने के अतिरिक्त कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

बैंक और उसके सहयोगी के संबंधित निदेशक मंडल भी बैंक और उसके सहयोगी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी के लिए उत्तरदायी हैं।

## 8. वित्तीय विवरणी की लेखा परीक्षा में लेखा परीक्षकों के दायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या संपूर्ण रूप से समेकित वित्तीय विवरण चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण ही क्यों न हो, प्रमुख रूप से गलत कथन से मुक्त हैं, और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी ओपीनियन भी शामिल होगी। तर्कसंगत आश्वासन एक उच्च स्तरीय आश्वासन है, लेकिन यह इस बात की गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार की गई परीक्षा यदि विद्यमान हो तो, किसी महत्वपूर्ण गलत कथन (मिस स्टेटमेंट) का पता हमेशा लगा ही लेगी। गलत कथन (मिस स्टेटमेंट) धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और इन्हें मेटेरियल तभी माना जाता है जब व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप में इन समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने से समर्थ हों।

इस के अनुसार किसी लेखा परीक्षा के एक अंग के रूप में हम संपूर्ण लेखा परीक्षा के दौरान पेशेवर निर्णय लेते हैं तथा पेशेवर संशयवादिता रखते हैं। हम यह भी कहते हैं:

- समेकित वित्तीय विवरणी के महत्वपूर्ण मिसस्टेटमेंट के जोखिम की पहचान तथा उसका आकलन चाहे वे कपट के कारण हुए हों या त्रुटि वश। हम अपनी लेखा परीक्षा को उन जोखिमों के प्रति अनुक्रियाशील बनाने के लिए डिजाइन तथा उसे पूरा करते हैं तथा ऐसा लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारे अभिमत को आधार देने में पर्याप्त तथा समुचित सिद्ध हों। चूंकि कपट में मिलीभगत, कपट, धोखाधड़ी, जानबूझ कर की गई चूक, मिस रिप्रेसेंटेशन अथवा इंटरनेट नियंत्रण की अवहेलना शामिल है, कपट के कारण हुए महत्वपूर्ण मिसस्टेटमेंट के जोखिम का पता न लगा पाना त्रुटि के कारण हुए महत्वपूर्ण मिसस्टेटमेंट के जोखिम का पता न लगा पाने से ज्यादा गंभीर बात है।
- लेखा परीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करें ताकि उन परिस्थितियों में उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं का अभिकल्पन किया जा सके, लेकिन बैंक के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता पर राय व्यक्त करने के उद्देश्य से नहीं।
- प्रयुक्त लेखाकरण मानदंडों की समुचितता का मूल्यांकन करना तथा प्रबंधन द्वारा किए गए लेखाकरण प्राक्कलन तथा संबंधित प्रकटन की तार्किकता का पता लगाना।
- लेखाकरण के गोडिंग कंसर्न आधार के प्रबंधन प्रयोग की तर्कसंगतता पर निष्कर्ष व्यक्त करना तथा प्राप्त किए गए लेखाकरण साक्ष्यों के आधार पर एक चल संस्थान के रूप में बैंक के बने रहने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह उत्पन्न करनेवाली महत्वपूर्ण अनिश्चयता है या नहीं यह बताना। यदि हम यह निष्कर्ष दें कि एक महत्वपूर्ण अनिश्चितता है तो हमें अपने लेखापरीक्षण रिपोर्ट में वित्तीय विवरणी में संबंधित प्रकटन के अंतर्गत इस ओर ध्यान खींचना होगा, यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हुए तो हमें अपने अभिमत में आशोधन करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित है। तथापि, भविष्य की घटनाएं तथा परिस्थितियां बैंक को एक चल संस्थान (गोडिंग कंसर्न) के रूप में जारी रहने से रोक भी सकती हैं।
- प्रकटनों सहित समेकित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन, और क्या समेकित वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस तरह से दर्शाते हैं कि निष्पक्ष प्रस्तुति हो सके।
- भौतिकता समेकित वित्तीय विवरणों में गलत बयानों का परिमाण है, जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, यह संभव बनाता है कि समेकित वित्तीय विवरणों के एक उचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं (i) हमारे लेखापरीक्षा कार्य के क्षेत्र की योजना बनाना और हमारे कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करना; और (ii) समेकित वित्तीय विवरणों में किसी भी चिन्हित किए गए गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए।
- जो गवर्नर्स के प्रभार में हैं हम उन लोगों से अन्य मामलों के साथ-साथ, लेखापरीक्षा के योजनाबद्ध क्षेत्र एवं समय तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों जिसमें हमारे द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान प्रकाश में आई आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की महत्वपूर्ण कमियां भी शामिल हैं, के विषय में बातचीत करते हैं।
- जो गवर्नर्स के प्रभार में हैं हम उन लोगों को स्वतंत्रता के ऊपर बनाई गई वह समेकित विवरणी भी उपलब्ध कराते हैं जिसे हमने संगत आचारगत अपेक्षाओं के साथ तैयार किया है तथा उनसे हम उन संबंधों तथा अन्य बातों के विषय में भी बताते हैं जिनका प्रभाव हमारी स्वतंत्रता पर पड़ता हुआ समझा जा सकता है। जहां आवश्यक हुआ हम संबंधित सुरक्षा के विषय में भी बताते हैं।
- जो गवर्नर्स के प्रभार में हैं उनसे हुई बातों से हमने उन बातों का निश्चय किया जो चालू अवधि के समेकित वित्तीय विवरणी की लेखापरीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और इस प्रकार वे महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले (की ऑडिट मैटर) हैं। यदि हमें विधि एवं विनियम मामले को सार्वजनिक प्रकटन से वारित न करें अथवा जब अत्यंत विरल दशा में हमें किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में प्रकट न करने का निर्णय करें करें क्योंकि ऐसा करने का विपरीत प्रभाव वैसे संवाद के लोकहित लाभ पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा, हम इन बातों को अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में रिपोर्ट करते हैं।

## 9. अन्य विधिक तथा विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

समेकित बैलेंस शीट और समेकित लाभ और हानि खाते का विवरण बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुसार तैयार किया गया है :

उक्त पैराग्राफ में दर्शित लेखापरीक्षा की सीमाओं के अध्यक्षीन तथा बैंककारी कम्पनी ( उपक्रमों का अर्जन तथा अंतरण) अधिनियम 1970/1980 तथा उसमें अभिव्यक्त प्रकटन की सीमाओं के अध्यक्षीन जैसा कि बैंकिंग विनियमन, 1949 की धारा 30 की उपधारा (3) के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि:

- क) हमने वे सभी जानकारियां और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारे ऑडिट के उद्देश्यों के लिए आवश्यक थे और हमने उन्हें संतोषजनक पाया है;
- ख) हमारी राय में, उक्त समोक्त वित्तीय विवरण प्रयोज्य लेखाकरण मानकों का अनुपालन करते हैं, जहां तक वे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखाकरण नीतियों के साथ असंगत नहीं हैं।

**कृते खंडेलवाल काकानी एंड कं.**

सनदी लेखाकार,  
पंजीकरण सं. 001311 सी

**(सीए निरंजन पुरंदरे)**

भागीदार  
सदस्यता संख्या 072684  
यूडीआईएन: 23072684BGWUZN9632

**कृते आर गोपाल एंड एसोसिएट्स**

सनदी लेखाकार,  
पंजीकरण सं. 000846 सी

**(सीए राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल)**

भागीदार  
सदस्यता संख्या 051979  
यूडीआईएन: 23051979BGXFGN2109

**कृते एस के अग्रवाल एंड कं. चार्टर्ड एकाउंटेंट्स एलएलपी**

सनदी लेखाकार,  
पंजीकरण सं. 306033 ई/ ई300272

**(सीए संदीप अग्रवाल)**

भागीदार  
सदस्यता संख्या 058553  
यूडीआईएन: 23058553BGYOGV6137

**कृते घोषाल एंड घोषाल**

सनदी लेखाकार,  
पंजीकरण सं. 304013 ई

**(सीए सोमनाथ विश्वास)**

भागीदार  
सदस्यता संख्या 064735  
यूडीआईएन: 23064735BGS�DV1637

स्थान/Place: कोलकाता /Kolkata

दिनांक/Dated : 02-05-2023

## Independent Auditors' Report

To  
The Members of UCO Bank  
**Report on the Audit of the Consolidated Financial Statements**

### Opinion

1. We have audited the accompanying consolidated financial statements of UCO Bank (the "Bank") & its associate ("together referred to as Group"), which comprises the consolidated Balance Sheet as at 31st March, 2023, and the consolidated Statement of Profit and Loss Account and the consolidated Cash Flow Statement for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements including a summary of significant accounting policies and other explanatory information (hereinafter referred to as "the Consolidated financial statements") which includes:
  - i) Audited Financial Statements of UCO Bank (the Bank), which have been audited by all the four Statutory Central Auditors i.e. by us.
  - ii) Audited Financial Statements of one associate (Paschim Banga Gramin Bank) audited by other Auditor.
2. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, and based on consideration of reports of the other auditors on separate audited financial statement/ financial information of Bank and audited financials of associate as furnished by the management, the aforesaid consolidated financial statement give the information required by the provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949, the Accounting Standards issued by Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), the relevant provisions of Banking Regulation Act, 1949, the circulars, guidelines and directions issued by the Reserve Bank of India (RBI) from time to time ("RBI Guidelines") in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, of their consolidated state of affairs of the Bank as at 31st March, 2023, of consolidated profit, and its consolidated Cash flows for the year then ended.

### 3. Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the consolidated financial statements section of our report. We are independent of the Bank in accordance with the code of ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the code of ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

### 4. Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the key audit matters to be communicated in our report:

Key Audit Matters	Auditor's Response to Key Audit Matters
<p><b>Classification of Advances, Identification and Provisioning for non-performing advances</b></p> <p>Advances include Bills purchased and discounted, Cash credits, Overdrafts, Loans repayable on demand and Term loans. These are further categorized as secured by Tangible assets (including advances against Book Debts), covered by Bank/ Government Guarantees and Unsecured advances.</p> <p>The advances are classified as performing and non-performing advances (NPA) and provisioning thereon is made in accordance with the prudential norms as prescribed by the Reserve Bank of India (RBI). The classification and provisioning is done by Bank's IT software under its Core Banking Solution (CBS). The extent of provisioning of NPA under the prudential norms are mainly based on its ageing and recoverability of the underlined security.</p>	<p>We obtained an understanding of the Bank's Software, circulars, guidelines and directives of the RBI and the Bank's internal instructions and procedures in respect of asset classification and its provisioning and adopted the following audit procedures:</p> <p>We evaluated and tested of the effectiveness of the IT software controls and other key internal control mechanisms with respect to the advances monitoring, identification/ classification, including testing of relevant data quality, and review of the data entered in the software.</p> <p>Review of the documentations, operations/ performance and monitoring of the advance accounts, on test check basis of the large and stressed advances, to ascertain any overdue unsatisfactory conduct or weakness in any advance account, to verify that its classification is in accordance with the prudential norms of RBI. Further, we have also referred many of the reports of the internal/regulatory inspection, concurrent auditors etc. and evaluated the consequent impact of the observations therein on the advance portfolio of the Bank.</p>

---

**Key Audit Matters****Auditor's Response to Key Audit Matters**

---

In the event of any improper application of the prudential norms or consideration of the incorrect value of the security, as the valuation of the security involves high degree of estimation and judgement, the carrying value of the advances could be materially misstated either individually or collectively, and in view of the significance of the amount of advances in financial statements, the classification of the advances and provisioning thereon has been considered as Key Audit Matter in our audit.

**Classification and Valuation of Investments, Identification of and provisioning for Non-Performing Investments**

Investments include investments made by the Bank in various Government Securities, Bonds, Debentures, Shares, Security receipts and other approved securities.

These are governed by the circulars and directives of the RBI. These directions of RBI, inter-alia, cover valuation of investments, classification of investments, identification of non-performing investments, the corresponding non-recognition of income and provision there against.

The valuation of each category (type) of the aforesaid securities is to be done as per the method prescribed in circulars and directives issued by the RBI which involves collection of data/information from various sources such as FIMMDA rates, rates quoted on BSE/NSE, financial statements of unlisted companies etc. Considering the complexities and extent of judgement involved in the valuation, volume of transactions, investments on hand and degree of regulatory focus, this has been determined as a Key Audit Matter.

Accordingly, our audit was focused on valuation of investments, classification, identification of non-performing investments and provisioning related to investments.

Our audit approach towards Investments with reference to the RBI Circulars/directives included the understanding of internal controls and substantive audit procedures in relation to valuation, classification, identification of non-performing investments (NPIs), provisioning/depreciation related to Investments.

We evaluated and made an understanding of the Bank's internal control mechanism to comply with relevant RBI directions regarding valuation, classification, identification of NPIs, provisioning/depreciation related to investments;

We also assessed and evaluated the process adopted for collection of information from various sources like FIMMDA rates, rates quoted on BSE/NSE etc, for determining fair value of these investments;

For the selected sample of investments in hand, we tested accuracy and compliance with the RBI Master Circulars and directions by re-performing valuation for each category of the security.

We also assessed and evaluated the process of identification of NPIs and corresponding reversal of income and creation of provision there against;

In addition to above, we also carried out substantive audit procedures to re-compute independently the provision to be maintained and depreciation to be provided in accordance with the circulars and directives of the RBI. We also evaluated the presentations of the various investment portfolio related disclosures in terms of RBI directions.

---

**Assessment of Provisions and Contingent liabilities in respect of certain litigations including Direct and Indirect Taxes, various claims filed by other parties not acknowledged as debt**

The Bank is involved in a number of taxation and other disputes for which final outcomes cannot be easily predicted and which could potentially result in significant liabilities. The assessment of the risks associated with the litigations is based on complex assumptions, which require the use of judgement and such judgement relates, primarily, to the assessment of the uncertainties connected to the prediction of the outcome of the proceedings

Our audit procedure in response to this key Audit Matter included

- Assessment of the process and relevant controls implemented to identify legal and tax litigations, and pending administrative proceedings.
- Assessment of assumptions used in the evaluation of potential legal and tax risks performed by the Bank considering the legal precedence and other rulings in similar cases.

and to the adequacy of the disclosures in the financial statements. Because of the judgement required, the materiality of such litigations and the complexity of the assessment process, the area was considered a key matter for our audit.

- Inquiry with the legal department regarding the status of the most significant disputes and inspection of the key relevant documentation.
- Analysis of opinion received from the experts where ever available.
- Review of the adequacy of the disclosures in the notes to the financial statements.

---

## 5. Other Matters

The accompanying Consolidated Financial Statements includes the audited financial statements and other financial information, in respect of one (01) associate whose financial reflect net loss after tax of Rs. 36.05 crore for the year ended 31st March, 2023, as considered in the consolidated financial statements whose financial results/financial statements, other financial information have been audited by their independent auditor whose audit report have been furnished by the Management, and our opinion is based solely on the reports of the said auditor. In our opinion and according to the information and explanations given to us by the Management, these financial statements are not material to the Group.

The comparative financial statement for the year ended 31st March 2022 has not been audited by us and same has been prepared by the management. In our opinion and according to the information and explanations given to us by the Management, these comparative information has been prepared for the purpose of the consolidation.

Our opinion is not modified in respect of above matter.

## 6. Information other than the Consolidated Financial Statements and Auditors' Report thereon

The Bank's Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the Corporate Governance Report (but does not include the financial statements and our auditor's report thereon), which we obtained prior to the date of this auditor's report, and Directors' Report, including annexures, if any, thereon, which is expected to be made available to us after that date.

Our opinion on the Consolidated financial statements does not cover the other information and Pillar 3 disclosures under the Basel III disclosure and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the Consolidated financial statements, our responsibility is to read the other information identified above and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

If, based on the work we have performed on the other information that we obtained prior to the date of this auditors' report, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

When we read the other information, including annexures in annual report, if any, thereon, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance.

## 7. Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

The Bank's Board of Directors is responsible with respect to the preparation of these consolidated financial statements that give a true and fair view of the consolidated financial position, consolidated financial performance and consolidated cash flows of the Bank and its associate in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards issued by ICAI, and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time. The respective Board of Directors of the Bank and its associate are responsible for maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the consolidated financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.



In preparing the consolidated financial statements, respective Board of Directors of the Bank and its associate is responsible for assessing the ability of the Bank and its associate to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Bank and its associate or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The respective Board of directors of the Bank and its associate are also responsible for overseeing the financial reporting process of the Bank and its associate.

## **8. Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements**

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements. As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Bank's internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the ability of the Bank and its associate to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the bank to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
- Materiality is the magnitude of misstatements in the consolidated financial statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the consolidated financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the consolidated financial statements.
- We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.
- We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.
- From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

## 9. Report on Other Legal and Regulatory Requirements

The Consolidated Balance Sheet and the Consolidated Statement of Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949;

Subject to the limitations of the audit indicated in above paragraphs and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, and subject also to the limitations of disclosure required therein as required by sub-section (3) of section 30 of the Banking Regulation, 1949, we report that:

- a) We have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;
- b) In our opinion, the aforesaid consolidated financial statements comply with the applicable Accounting Standards issued by ICAI to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI.
- c) The Bank's internal financial controls over financial reporting is not applicable on the Consolidated Financial Statement

**For KHANDELWAL KAKANI & CO**

Chartered Accountants  
Registration No. 001311C

**(CA NIRANJAN PURANDARE)**

Partner  
Membership No. 072684  
UDIN: 23072684BGWUZ9632

**For R GOPAL & ASSOCIATES**

Chartered Accountants  
Registration No. 000846C

**(CA RAJENDRA PRASAD AGARWAL)**

Partner  
Membership No. 051979  
UDIN: 23051979BGXFGN2109

**For S K AGRAWAL AND CO CHARTERED ACCOUNTANTS LLP**

Chartered Accountants  
Registration No. 306033E/E300272

**(CA SANDEEP AGRAWAL)**

Partner  
Membership No. 058553  
UDIN: 23058553BGYOGV6137

**For GHOSHAL & GHOSAL**

Chartered Accountants  
Registration No. 304013E

**(CA SOMNATH BISWAS)**

Partner  
Membership No. 064735  
UDIN: 23064735BGSOLDV1637

स्थान/Place: कोलकाता /Kolkata  
दिनांक/Dated : 02-05-2023

# 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष का समेकित नकदी प्रवाह विवरण

## CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2023

(000 को छोड़ दिया गया है)  
(000's omitted)

ब्योरे/Particulars	31.3.2023 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2023 ₹	31.3.2022 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2022 ₹
<b>अ. परिचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाह:</b>		
<b>A. Cash Flow from Operating Activities :</b>		
कर पूर्व निवल लाभ/Net Profit before taxes	28690595	17155229
<b>समायोजन/Adjustments for :</b>		
अचल आस्तियों पर अवक्षयण/Depreciation on fixed assets	2175203	1649552
निवेश पर अवक्षयण/प्रावधान/Depreciation/Provision on investments	8305077	5204065
अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान/Provision for non-performing assets	12955704	38000598
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान/Provision for Standard Assets	586330	3379266
अन्य मदों के लिए प्रावधान/Provision for other items	7679969	(4799318)
अचल आस्तियों की बिक्री पर (लाभ)/ हानि/(Profit)/Loss on sale of fixed assets	(1656)	(5173)
गौण ऋण पर ब्याज के भुगतान/प्रावधान (इसे अलग माना गया)		
Interest paid on subordinated debt (treated separately)	2062909	2769807
अनुषंगियों/अन्य से प्राप्त लाभांश/Dividend Received	(142856)	(94324)
<b>उप-योग/Sub-total</b>	<b>62311274</b>	<b>63259702</b>
घटाव : प्रदत्त प्रत्यक्ष कर/Less: Direct Tax Paid	0	0
	62311274	63259702
<b>समायोजन/Adjustments for :</b>		
निवेश में (वृद्धि)/कमी हेतु / (Increase)/Decrease in investments	9100027	(35764167)
अग्रिम में (वृद्धि)/कमी हेतु /(Increase)/Decrease in advances	(343813435)	(152299245)
अन्य आस्तियों में (वृद्धि)/कमी हेतु /(Increase)/Decrease in other assets	459723	19195368
उधार में (वृद्धि)/कमी हेतु /Increase/(Decrease) in borrowings	71204608	(5149280)
जमा में (वृद्धि)/कमी हेतु /Increase/(Decrease) in deposits	252648387	181535039
अन्य देनदारियों एवं प्रावधान में (वृद्धि)/कमी हेतु		
Increase/(Decrease) in other liabilities & provisions	(22081468)	(26790802)
<b>परिचालन कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह (अ)</b>	<b>29829116</b>	<b>43986615</b>
<b>Net Cash Flow from Operating Activities (A)</b>	<b>29829116</b>	<b>43986615</b>
<b>आ. निवेश कार्यकलापों से नकदी प्रवाह:</b>		
<b>B. Cash Flow from Investing Activities :</b>		
अचल आस्तियों की खरीद/Purchase of fixed assets	(2883376)	(2160186)
अचल आस्तियों की बिक्री/निपटान/Sale/disposal of fixed assets	67302	67731
प्राप्त लाभांश/Dividend Received	142856	94324
निवेश क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह (आ)		
<b>Net Cash Flow from Investing Activities (B)</b>	<b>(2673218)</b>	<b>(1998131)</b>

**31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष का समेकित नकदी प्रवाह विवरण (जारी)**  
**CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOW FOR THE YEAR**  
**ENDED 31ST MARCH, 2023 (Contd.)**

(000' को छोड़ दिया गया है)  
(000's omitted)

ब्योरे/Particulars	31.3.2023 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2023	31.3.2022 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2022
	₹	₹
<b>इ. वित्तपोषण कार्यकलापों से नकदी प्रवाह/</b>		
<b>C. Cash Flow from Financing Activities :</b>		
ईक्विटी शेयरों का अधिमानी निर्गम/Preferential allotment of Equity Shares	0	20376177
ईक्विटी शेयरों के निर्गम पर शेयर प्रीमियम/Share Premium on issue of Equity Shares	0	5623823
भारत सरकार द्वारा दी गई पूँजी (शेयर एप्लिकेशन मुद्रा में रखा गया)/ Capital infusion by GOI (Kept in Share Application Money)	0	(26000000)
इएसपीएस आवेदन धन की राशि /Amount of ESPS Application Money		
एटी - 1 बॉन्ड को जारी करना / Issue of AT-1 Bonds	5000000	
बासेल -III अनुपालित टीयर-2 बॉण्ड जारी करना / Issue of Basel-III compliant Tier 2 Bonds	0	5000000
एटी - 1 बॉन्ड का भुगतान/Redemption of AT-1 Bonds	0	0
अपर टियर-2 बॉण्डों का मोचन/Redemption of Upper Tier-2 Bonds	(10000000)	(10000000)
गौण ऋण का भुगतान/Redemption of Subordinated Debts	0	0
नाबार्ड / सिडबी/एनएचबी से पुनर्वित्त प्राप्त/ को मोचन / Refinance from / Redemption to - NABARD/SIDBI/NHB	3724750	(8595601)
एटी -1 बॉन्ड पर भुगतान किया गया ब्याज /Interest paid on AT-1 Bonds	(19521)	0
अपर टियर - 2 ऋण योजनाओं पर भुगतान किया गया ब्याज Interest paid on Upper T-2 Debt Instruments	0	0
गौण ऋण पर दिया गया ब्याज/ Interest paid on subordinated debts	(2062909)	(2769807)
वित्तपोषण कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह (इ)/ <b>Net Cash Flow from Financing Activities ( C )</b>	<b>(3357680)</b>	<b>(16365408)</b>
<b>नकदी और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि (अ+आ+इ)</b> <b>Net increase in Cash &amp; Cash Equivalents (A+B+C)</b>	<b>23798218</b>	<b>25623076</b>

सोमा शंकर प्रसाद

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

**SOMA SANKARA PRASAD**

Managing Director & CEO

श्री राजेन्द्र कुमार साबू

कार्यपालक निदेशक

**RAJENDRA KUMAR SABOO**

Executive Director

डॉ. संजय कुमार

निदेशक

**DR SANJAY KUMAR**

Director

राजेश कुमार

निदेशक

**RAJESH KUMAR**

Director

अजंन तालुकदार

निदेशक

**ANJAN TALUKDAR**

Director

रवि कुमार अग्रवाल

निदेशक

**RAVI KUMAR AGRAWAL**

Director

के राजीवन नायर

निदेशक

**K RAJIVAN NAIR**

Director

सुजय दत्ता

उप महाप्रबंधक

**SUJOY DUTTA**

Dy. General Manager

शैलेश नवलखा

सहायक महाप्रबंधक

**SHELESH NAVLAKHA**

Asst. General Manager

स्थान/Place: कोलकाता /Kolkata

दिनांक/Dated : 02-05-2023

**31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष का समेकित नकदी प्रवाह विवरण (जारी)**  
**CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOW FOR THE YEAR**  
**ENDED 31ST MARCH, 2023 (Contd.)**

(000' को छोड़ दिया गया है)  
(000's omitted)

व्योरे/Particulars	31.3.2023 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2023 ₹	31.3.2022 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2022 ₹
विदेशी मुद्रा की घट-बढ़ के लिए समायोजन / Adjustment for Foreign Exchange Fluctuation	2002875	(145605)
<b>नकदी और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि</b> <b>Net increase in Cash &amp; Cash Equivalents</b>	<b>25801093</b>	<b>25477471</b>
क्रमशः 1 अप्रैल 2022 और 2021 की स्थिति के अनुसार नकदी एवं नकदी समतुल्य <b>Cash and Cash Equivalents as on April 1, 2022 &amp; 2021 respectively</b>	<b>261479910</b>	<b>236002439</b>
क्रमशः 31 मार्च 2023 और 2022 की स्थिति के अनुसार नकदी एवं नकदी समतुल्य <b>Cash and Cash Equivalents as on March 31, 2023 &amp; 2022 respectively</b>	<b>287281003</b>	<b>261479910</b>
<b>वर्ष के आरंभ में नकदी और नकदी समतुल्य</b> <b>D Cash and Cash Equivalents at the beginning of the Year</b>		
हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोट एवं स्वर्ण सहित) Cash in Hand (including foreign currency notes and gold)	9167094	8096269
भारतीय रिजर्व बैंक में जमाराशियां/Balance with Reserve Bank of India	93708375	86357875
बैंकों में जमाराशियां तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि Balance with Banks and Money at Call and Short Notice	158604441	141548295
	<b>261479910</b>	<b>236002439</b>
<b>वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य</b> <b>E Cash and Cash Equivalents at the end of the Year</b>		
हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोट एवं स्वर्ण सहित) Cash in Hand (including foreign currency notes and gold)	9142317	9167094
भारतीय रिजर्व बैंक में जमाराशियां/Balance with Reserve Bank of India	93857827	93708375
बैंकों में जमाराशियां तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि Balance with Banks and Money at Call and Short Notice	184280859	158604441
	<b>287281003</b>	<b>261479910</b>

कृते खंडेलवाल काकानी एंड कं.  
सनदी लेखाकार, पंजीकरण सं. 001311 सी  
**For KHANDELWAL KAKANI & CO**  
Chartered Accountants  
Registration No. 001311C

(सीए निरंजन पुरंदरे)  
भागीदार  
सदस्यता संख्या 072684  
**(CA NIRANJAN PURANDARE)**  
Partner  
Membership No. 072684

कृते एस के अग्रवाल एंड कं. चार्टर्ड एकाउंटेंट्स एलएलपी  
सनदी लेखाकार, पंजीकरण सं. 306033 ई/ ई300272  
**For S K AGRAWAL AND CO CHARTERED ACCOUNTANTS LLP**  
Chartered Accountants  
Registration No. 306033E/E300272

(सीए संदीप अग्रवाल)  
भागीदार  
सदस्यता संख्या 058553  
**(CA SANDEEP AGRAWAL)**  
Partner  
Membership No. 058553

कृते आर गोपाल एंड एसोसिएट्स  
सनदी लेखाकार, पंजीकरण सं. 000846 सी  
**For R GOPAL & ASSOCIATES**  
Chartered Accountants  
Registration No. 000846C

(सीए राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल)  
भागीदार  
सदस्यता संख्या 051979  
**(CA RAJENDRA PRASAD AGARWAL)**  
Partner  
Membership No. 051979

कृते घोषाल एंड घोषाल  
सनदी लेखाकार, पंजीकरण सं. 304013 ई  
**For GHOSHAL & GHOSAL**  
Chartered Accountants  
Registration No. 304013E

(सीए सोमनाथ विश्वास)  
भागीदार  
सदस्यता संख्या 064735  
**(CA SOMNATH BISWAS)**  
Partner  
Membership No. 064735

स्थान/Place: कोलकाता /Kolkata  
दिनांक/Dated : 02-05-2023

## लाभांश वितरण दिशानिर्देश / DIVIDEND DISTRIBUTION GUIDELINES

बैंक के शेयरधारकों को लाभांश के वितरण के समय बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक के निम्नलिखित दिशानिर्देशों का पालन करता है:

Bank follows the following guidelines issued by RBI while making payment of Dividend to the shareholders of the Bank:

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने परिपत्र सं आरबीआई/451/2005 डीबीओडी/सं बीपी.बीसी 88/21.02.067/2004-05 दिनांक 4 मई, 2005 के माध्यम से बताया था कि बैंक यदि पूंजी पर्याप्तता, निवल एनपीए, बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 15 एवं 17 के संबंध में विशेषीकृत पात्रता मानदंडों का अनुपालन करता है तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश के अनुसार अपनी आस्तियों में क्षय, स्टाफ अनुलाभ, लाभ की प्रारक्षितियों में अंतरण आदि के लिए प्रावधान कर के रखता है तो उसे लाभांश की घोषणा करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं होगी।

Reserve Bank of India vide Circular No. RBI/451/2005 DBOD. NO. BP.BC. 88/21.02.067/2004-05 dated 4th May, 2005 advised that prior approval of Reserve Bank of India is not necessary for declaration of Dividend, if the Bank complies with the specified eligibility criteria regarding capital adequacy, Net NPA, Compliance of provision of Sec. 15 & 17 of Banking Regulation Act, and makes provision for impairment of assets, staff benefits, transfer of profit to reserve etc. as per RBI guidelines.

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने उक्त परिपत्र में आगे कहा है कि लाभांश का भुगतान चालू वर्ष के लाभ से ही किया जाए। अधिकतम अनुमत लाभांश पेआउट अनुपात रेंज के लिए मानदंड मैट्रिक्स का जो विवरण नीचे दिया जा रहा है वह भी भारतीय रिज़र्व बैंक के उक्त परिपत्र में विहित है :

RBI in their aforesaid circular have further stipulated that the dividend should be paid out of the current year's profit. The matrix of criteria for maximum permissible range of Dividend pay-out ratio as detailed below has also been stipulated in the aforesaid RBI circular:

कोटि Category	सीआरएआर /CRAR	निवल एनपीए अनुपात/Net NPA Ratio			
		शून्य Zero	शून्य से अधिक पर 3% से कम More than Zero but less than 3%	3% से लेकर 5% से कम तक From 3% to less than 5%	5% से लेकर 7% से कम तक From 5% to less than 7%
लाभांश पेआउट अनुपात का रेंज ( कर के बाद लाभ का %) Range of Dividend Pay out Ratio (% of Profit after Tax)					
क/A	प्रत्येक विगत 3 वर्षों के लिए 11% अथवा उससे अधिक 11% or more for each of last 3 years	40 तक Upto 40	35 तक Upto 35	25 तक Upto 25	15 तक Upto 15
ख/B	प्रत्येक विगत 3 वर्षों के लिए 10% अथवा उससे अधिक 10% or more for each of last 3 years	35 तक Upto 35	30 तक Upto 30	20 तक Upto 20	10 तक Upto 10
ग/C	प्रत्येक विगत 3 वर्षों के लिए 9% अथवा उससे अधिक 9% or more for each of last 3 years	30 तक Upto 30	25 तक Upto 25	15 तक Upto 15	5 तक Upto 5
घ/D	चालू वर्ष में 9% अथवा उससे अधिक 9% or more in the current year	10 तक Upto 10		5 तक Upto 5	निरंक NIL

**31.03.2023 की स्थिति के अनुसार यूको बैंक का**

**बासेल III पिलर 3 प्रकटीकरण**

**तालिका डीएफ - 1:**

**प्रयोज्यता का कार्य-विस्तार**

**बैंकिंग समूह के प्रमुख का नाम जिस पर संरचनागत ढाँचा प्रयोज्य है: यूको बैंक**

**(i) गुणात्मक प्रकटीकरण:**

निकाय का नाम/ जिस देश में शामिल है	क्या निकाय समेकन के लेखांकन कार्यक्षेत्र में शामिल है (हाँ/नहीं)	समेकन की कार्यविधि का विवेचन करें	क्या निकाय समेकन के नियमनकारी कार्यक्षेत्र में शामिल है	समेकन की कार्यविधि का विवेचन करें	समेकन की कार्यविधि में अंतर के कारणों का विवेचन करें	यदि समेकन के कार्यक्षेत्रों में से सिर्फ एक के तहत समेकन किया गया है तो इसके कारण का विवेचन करें
पश्चिम बंगा ग्रामिण बैंक	हाँ	आईसीएआई द्वारा जारी एएस-23 के अनुसार इक्विटी पद्धति आधार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	यह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, एक सहायक संस्था, अतः विनियामक समेकन के दायरे से बाहर है। निवेश 250% जोखिम भारित है

**क. समेकन के लिए ग्रहण किए गए समूह निकायों की सूची - पश्चिम बंगा ग्रामिण बैंक**

**ख. लेखांकन एवं नियमनकारी दोनों कार्यक्षेत्रों के अंतर्गत समेकन के लिए ग्रहण नहीं किए गए समूह निकायों की सूची**

निकाय का नाम/ जिस देश में शामिल है	निकाय की प्रमुख गतिविधि	कुल तुलन पत्र इक्विटी (विधिक निकाय के लेखांकन तुलन पत्र के उल्लेख अनुसार)	कुल इक्विटी में बैंक की धारिता का %	निकाय की पूँजी लिखत में बैंक के निवेशों का नियमनकारी उपचार	कुल तुलन पत्र इक्विटी (विधिक निकाय के लेखांकन तुलन पत्र के उल्लेख अनुसार)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

**(ii) प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण :**

**ग. समेकन के लिए ग्रहण किए गए समूह निकायों की सूची**

निकाय का नाम/जिस देश में शामिल है (उपर्युक्त (i) क. के अनुसार)	निकाय की प्रमुख गतिविधि	कुल तुलन पत्र इक्विटी (विधिक निकाय के लेखांकन तुलन पत्र के उल्लेख अनुसार)	कुल तुलन पत्र आस्तियाँ (विधिक निकाय के लेखांकन तुलन पत्र के उल्लेख अनुसार)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

**घ. सभी अनुबंधियों में पूँजीगत कमियों की समग्र राशि, जो समेकन के नियमनकारी कार्यक्षेत्र में शामिल नहीं की जाती, यानी जिसकी कटौती की जाती है:**

अनुबंधियों का नाम/जिस देश में शामिल हैं	निकाय की प्रमुख गतिविधि	कुल तुलन पत्र इक्विटी (विधिक निकाय के लेखांकन तुलन पत्र के उल्लेख अनुसार)	कुल इक्विटी में बैंक की धारिता का %	पूँजी की कमी
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

**ङ. बीमा निकायों में बैंक के कुल हितों की समग्र राशियाँ (उदाहरण-चालू बही मूल्य), जो जोखिम भारित हैं:**

बीमा निकायों का नाम/जिस देश में शामिल हैं	निकाय की प्रमुख गतिविधि	कुल तुलन पत्र इक्विटी (विधिक निकाय के लेखांकन तुलन पत्र के उल्लेख अनुसार)	कुल इक्विटी/मत देने की शक्ति के अनुपात में बैंक की धारिता का %	नियमनकारी पूँजी पर प्रमात्रात्मक प्रभाव, जोखिम भार देने की कार्यविधि बनाम पूर्ण कटौती कार्यविधि का उपयोग
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

**च. बैंकिंग समूह के दायरे में निधियों या नियमनकारी पूँजी के अंतरण में प्रतिबंध या अवरोध:**

**बैंकिंग समूह के भीतर निधियों के अंतरण अथवा विनियामक पूँजी पर दिनांक 31 मार्च 2023 को कोई प्रतिबन्ध अथवा अवरोध नहीं है**

**BASEL III PILLAR 3 DISCLOSURE AS ON 31.03.2023**

**UCO BANK**

**Table DF - 1:  
Scope of Application**

Name of the head of the banking group to which the framework applies UCO BANK.						
<b>(i) Qualitative Disclosures:</b>						
Name of the entity / Country of incorporation	Whether the entity is included under accounting scope of consolidation (yes / no)	Explain the method of consolidation	Whether the entity is included under regulatory scope of consolidation (yes / no)	Explain the method of consolidation	Explain the reasons for difference in the method of consolidation	Explain the reasons if consolidated under only one of the scopes of consolidation
Paschim Banga Gramin Bank (PBGB)	Yes	Equity Method basis as per AS-23 issued by ICAI	No	NA	NA	Entity is Regional Rural Bank, an associate, hence outside the purview of regulatory consolidation. Investment is risk weighted at 250%
<b>a. List of group entities considered for consolidation – Paschim Banga Gramin Bank (PBGB)</b>						
<b>b. List of group entities not considered for consolidation both under the accounting and regulatory scope of consolidation</b>						
Name of the entity / country of incorporation	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	% of bank's holding in the total equity	Regulatory treatment of bank's investments in the capital instruments of the entity	Total balance sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	
NA	NA	NA	NA	NA	NA	
<b>(ii) Quantitative Disclosures:</b>						
<b>c. List of group entities considered for consolidation</b>						
Name of the entity /country of incorporation (as indicated in (i)a. above)	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)		Total balance sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)		
NA	NA	NA		NA		
<b>d. The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries which are not included in the regulatory scope of consolidation i.e. that are deducted:</b>						
Name of the subsidiaries / country of incorporation	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	% of bank's holding in the total equity	Capital deficiencies		
NA	NA	NA	NA	NA		
<b>e. The aggregate amounts (e.g. current book value) of the bank's total interests in insurance entities, which are risk-weighted:</b>						
Name of the insurance entities / country of incorporation	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	% of bank's holding in the total equity / proportion of voting power	Quantitative impact on regulatory capital of using risk weighting method versus using the full deduction method		
NA	NA	NA	NA	NA		

**f. Any restrictions or impediments on transfer of funds or regulatory capital within the banking group:**

There is no restriction or impediments on transfer of funds or regulatory capital within banking group as of March 31, 2023.



## तालिका डी एफ - 2

### पूँजी पर्याप्तता

गुणात्मक प्रकटीकरण	
(क)	विद्यमान क्रियाकलापों एवं भावी क्रियाकलापों को समर्थन करने हेतु अपेक्षित विभिन्न पूँजीगत लिखतों को जारी करने के लिए बैंक की योजना से निदेशक मंडल को समय-समय पर अवगत कराया जाता है। निदेशक मंडल द्वारा इसकी आवधिक समीक्षा भी की जाती है।
<b>प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण</b>	(₹ करोड़ में)
(ख)	ऋण जोखिम के लिए पूँजीगत आवश्यकता:
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● मानकीकृत दृष्टिकोण के अध्यक्षीन पोर्टफोलियो 9876.54</li> <li>● प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर शून्य</li> </ul>
(ग)	बाजार जोखिम के लिए पूँजीगत आवश्यकता:
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण 944.65</li> <li>● ब्याज दर जोखिम 790.09</li> <li>● विदेशी मुद्रा जोखिम (स्वर्ण सहित) 5.18</li> <li>● ईक्विटी जोखिम 103.92</li> </ul>
(घ)	परिचालनगत जोखिम के लिए पूँजीगत आवश्यकता:
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● बुनियादी सूचक दृष्टिकोण 1892.95</li> <li>● मानकीकृत दृष्टिकोण (यदि लागू हों) -</li> </ul>
(ङ)	सामान्य ईक्विटी टियर 1, टियर 1 एवं कुल पूँजी अनुपात :
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● सामान्य ईक्विटी टियर 1 13.51%</li> <li>● टियर 1 13.51%</li> <li>● कुल पूँजी अनुपात 16.51%</li> </ul>
	शीर्षस्थ समेकित समूह के लिए लागू नहीं
	महत्वपूर्ण बैंक अनुषंगियों हेतु (स्टैंड अलोन या लागू नहीं
	उप-समेकित, जो इस पर निर्भर करेगा कि
	फ्रेमवर्क किस तरह लागू किया गया है।)

**Table DF - 2**  
**Capital Adequacy**

Qualitative Disclosures		
(a)	Board is apprised periodically of Bank's plan for raising different Capital instruments needed for supporting current activities and future activities. This is also reviewed periodically by the Board.	
<b>Quantitative Disclosures</b>		
	(₹ in crore)	
(b)	Capital requirements for Credit Risk : <ul style="list-style-type: none"> <li>● Portfolio subject to Standardized Approach</li> <li>● Securitization Exposures</li> </ul>	9876.54 Nil
(c)	Capital requirements for Market Risk : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Standardized Duration Approach</li> <li>● Interest Rate Risk</li> <li>● Foreign Exchange Risk (including Gold)</li> <li>● Equity Risk</li> </ul>	944.65 790.09 5.18 103.92
(d)	Capital requirements for Operational Risk : <ul style="list-style-type: none"> <li>● Basic Indicator Approach</li> <li>● The Standardised Approach (if applicable)</li> </ul>	1892.95
(e)	Common Equity Tier 1, Tier 1 and Total Capital ratios: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Common Equity Tier I</li> <li>● Tier I</li> <li>● Total Capital ratios</li> <li>- For the top consolidated group</li> <li>- For significant bank subsidiaries(stand alone or sub-consolidated depending on how the Framework is applied)</li> </ul>	13.51% 13.51% 16.51% Not Applicable Not Applicable

## तालिका डीएफ - 3

### ऋण जोखिम : सभी बैंकों हेतु सामान्य प्रकटीकरण

#### गुणात्मक प्रकटीकरण

#### क) पिछला बकाया एवं अनर्जक खाते (लेखांकन प्रयोजन हेतु)

निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित बैंक की अनर्जक आस्ति प्रबंध नीति के अनुसार किसी आस्ति को निम्नांकित स्थिति में पिछला बकाया/अनर्जक आस्ति माना जाता है -

- i. मीयादी ऋण के मामले में ब्याज और/या मूल धन की किस्त 90 दिनों से अधिक समय तक बकाया रहती है।
- ii. ओवरड्राफ्ट/नकदी ऋण (ओडी/सीसी) के मामले में, नीचे दिए गए पैरा के अनुसार खाता 90 दिनों से अधिक समय तक 'आउट ऑफ ऑर्डर' रहता है।
- iii. खरीदे गए बिल एवं भुनाए गए बिल के मामले में, बिल 90 दिनों से अधिक समय तक बकाया रहता है।
- iv. अल्पावधि की फसलों के लिए मूल धन की किस्त या उस पर ब्याज दो फसलों के मौसम तक बकाया रहता है।
- v. दीर्घावधि की फसलों के लिए मूल धन की किस्त या उस पर ब्याज एक फसल के मौसम तक बकाया रहता है।

किसी खाते को अनियमित माना जाता है जब

- i. बकाया शेष लगातार स्वीकृति सीमा-आहरण अधिकार से अधिक बना रहता है, तो खातों को अनियमित माना जाता है।
- ii. बकाया शेष लगातार स्वीकृति सीमा-आहरण अधिकार से कम होता है किंतु लगातार 90 दिनों तक कोई राशि जमा नहीं की जाती है या जमा की गई राशि नामे किए गए ब्याज के लिए पूरी नहीं होती है।

#### ख) बैंक की ऋण जोखिम प्रबंध नीति

बैंक की ऋण जोखिम प्रबंध पद्धति निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित नीतिगत निदेशों पर आधारित है, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं :

- i. ऋण जोखिम अधिग्रहण - कार्यनीति एवं नीतियां
- ii. ऋण अनुमोदन प्रक्रिया
- iii. ऋण जोखिम निगरानी प्रक्रिया
- iv. ऋण जोखिम नियंत्रण प्रक्रिया

ऋण जोखिम के प्रबंध की सारी जिम्मेदारी निदेशक मंडल की होती है और निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंध समिति ऋण जोखिम प्रबंध एवं रिपोर्टिंग हेतु दिशानिर्देश निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी है और वह नीति के अनुरूप ऋण जोखिम प्रबंध प्रक्रिया, विवेकपूर्ण सीमा का निर्धारण तथा उसकी समय-समय पर समीक्षा एवं जोखिम के मापांक की सुदृढ़ता सुनिश्चित करती है। ऋण जोखिम प्रबंध समिति ऋण नीति एवं प्रक्रिया से संबंधित मुद्दों को निपटाने तथा पूरे बैंक के आधार पर ऋण जोखिम की निगरानी तथा नियंत्रण के विश्लेषण हेतु उत्तरदायी है।

बैंक का ऋण जोखिम प्रबंध विभाग बैंक द्वारा निर्धारित जोखिम मानदंडों और विवेकपूर्ण ऋण सीमा लागू कराने और उसके अनुपालन की निगरानी करता है। यह विभाग जोखिम मूल्यांकन पद्धति का निर्धारण तथा ऋण संविभाग की गुणवत्ता की निगरानी, समस्याओं की पहचान तथा त्रुटियों का सुधार और संविभाग मूल्यांकन सहित इस प्रयोजन हेतु एमआईएस का विकास भी करता है। ऋण जोखिम प्रबंध विभाग की ऋण संसाधन एवं ऋण निगरानी विभाग से अलग एक स्वतंत्र सत्ता है।

ऋण जोखिम मूल्यांकन द्वि-आयामी ऋण रेटिंग प्रणाली के जरिए और एक पुख्ता ढंग से ऋण के निर्णय लेने के लिए किया जाता है। कृषि एवं एमएसई ऋणों के मामले में यह ऋण रेटिंग प्रणाली ₹25 लाख (योजनाबद्ध एवं रिटेल ऋण को छोड़ कर) से अधिक एवं ₹1 करोड़ तक की कुल ऋण सीमाओं वाले ऋण खातों पर लागू की जा रही है। बैंक श्रेणी निर्धारण माइग्रेशन का ध्यान रखता है तथा उसने सभी श्रेणी निर्धारण के लिए आंतरिक चूक दरें विकसित की हैं। चूक दरें ऐसे सभी ऋण प्रस्ताव ऋण स्कोरिंग मॉडलों के जरिए मूल्यांकन के अधीन लाई जाती हैं जो ऋण रेटिंग प्रणाली के अंतर्गत न आती हों।

बैंक, जहाँ कहीं संभव और अपेक्षित होता है, उपयुक्त संपार्श्विक या गारंटीकर्ताओं के माध्यम से ऋण खातों से जुड़े जोखिमों को कम करने की हर संभव कोशिश करता है। इसके अतिरिक्त जिन शर्तों एवं निबंधनों के अधीन ऋण स्वीकृत किए जाते हैं, वे भी ऋण से जुड़े जोखिमों को कम करने में सहायक होते हैं। जोखिमों को कम करने में खातों की नियमित निगरानी एवं नियंत्रण भी सहायक होते हैं। जोखिमों को कम करने के लिए बैंक ने सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए निर्यात ऋण गारंटी निगम एवं ऋण गारंटी निधि न्यास से योग्य खातों का आवश्यक बीमा भी करवाया है।

#### गुणात्मक प्रकटीकरण

(सभी आंकड़े ₹ करोड़ में)

प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण (सभी राशियां करोड़ में )	संवितरण	
	निधि आधारित	गैर निधि आधारित
(क) कुल सकल ऋण एक्सपोजर	161629.45	10929.96
(ख) ऋणों का भौगोलिक संवितरण		
देशी	139431.95	10304.98
विदेशी	22197.50	624.98

ग) ऋणों के उद्योगवार संवितरण		
उद्योग का नाम	एक्सपोजर	
	निधि आधारित	गैर निधि आधारित
क. खदान और उत्खनन (क.1 + क.2)	302.53	126.46
क.1 कोयला	33.52	120.55
क.2 अन्य	269.01	5.92
<b>ख. खाद्य प्रसंस्करण (ख.1 से ख.5)</b>	<b>1,420.49</b>	<b>342.25</b>
ख.1 चीनी	101.11	6.24
ख.2 खाद्य तेल एवं वनस्पति	243.60	220.37
ख.3 चाय	257.04	6.92
ख.4 कॉफी	0.00	0.00
ख.5 अन्य	818.74	108.72
<b>ग. मादक पेय (चाय व कॉफी छोड़कर) एवं तंबाकू</b>	<b>72.76</b>	<b>15.39</b>
जिसमें से तंबाकू और तंबाकू उत्पाद	49.56	0.00
<b>घ. वस्त्र (क से च तक)</b>	<b>731.99</b>	<b>168.70</b>
क. सूती वस्त्र	346.97	77.08
ख. जूट	6.80	2.82
ग. हथकरघा/खादी (गैर प्राथमिक)	0.00	0.00
घ. सिल्क	0.00	0.00
ङ. ऊनी	0.00	0.00
च. अन्य	378.21	88.81
घ (अर्थात् कुल वस्त्रोद्योग) में से कताई मिलों को	0.00	0.00
<b>ड. चर्म एवं चर्म उत्पाद</b>	<b>26.88</b>	<b>0.01</b>
<b>च. लकड़ी एवं लकड़ी उत्पाद</b>	<b>42.27</b>	<b>3.08</b>
<b>छ. कागज एवं कागज उत्पाद</b>	<b>168.47</b>	<b>71.93</b>
<b>ज. पेट्रोलियम (गैर-प्राथमिक), कोयला उत्पाद (गैर-खनन) और आणविक ऊर्जा</b>	<b>348.15</b>	<b>53.80</b>
<b>झ. रसायन एवं रसायन उत्पाद (रंग, रंगलेप आदि) (1.1 से 1.4)</b>	<b>517.00</b>	<b>171.59</b>
झ.1 उर्वरक	2.12	0.16
झ.2 औषध एवं फार्मास्यूटिकल्स	187.61	15.75
झ.3 पेट्रो-केमिकल्स (बुनियादी ढांचाको छोड़कर)	18.68	53.46
झ.4 अन्य	308.60	102.23
<b>ञ. रबड़, प्लास्टिक एवं उनके उत्पाद</b>	<b>130.33</b>	<b>25.33</b>
<b>ट. काँच एवं काँच के सामान</b>	<b>49.59</b>	<b>0.00</b>
<b>ठ. सीमेंट एवं सीमेंट उत्पाद</b>	<b>110.21</b>	<b>42.00</b>
<b>ड. धातु एवं धातु उत्पाद (ड. 1 + ड.2)</b>	<b>2,839.49</b>	<b>734.45</b>
ड.1 लोहा एवं इस्पात	2,375.00	579.07
ड.2 अन्य धातु एवं धातु उत्पाद	464.48	155.38
<b>ण. समस्त इंजीनियरिंग (ण.1 + ण.2)</b>	<b>994.77</b>	<b>922.04</b>
ण.1 इलेक्ट्रॉनिक्स	131.89	163.23
ण.2 अन्य	862.89	758.81
<b>त. मोटरयान, यान के कलपुर्जे और यातायात उपकरण</b>	<b>25.05</b>	<b>0.00</b>
<b>थ. रत्न एवं जेवर</b>	<b>106.23</b>	<b>0.02</b>
<b>द. विनिर्माण</b>	<b>584.30</b>	<b>1516.39</b>
<b>घ. आधार संरचना क्षेत्र (क से घ)</b>	<b>16,779.70</b>	<b>2,402.40</b>
क. यातायात (क.1 से क.6)	2,920.99	759.70
क.1 पथ एवं पुल निर्माण	2754.93	759.70
क.2 बंदरगाह	47.76	0.00
क.3 अंतर्देशीय जलपथ	0.00	0.00
क.4 हवाईअड्डा	0.00	0.00
क.5 रेल पथ, सुरंग, वायडक्ट, पुल	118.30	0.00
क.6 शहरी सार्वजनिक यातायात (शहरी पथ यातायात के मामले में रोलिंग स्टॉक को छोड़कर)		

(राशी ₹ करोड़ में)

उद्योग का नाम	एक्सपोजर	
	निधि आधारित	गैर निधि आधारित
ख. ऊर्जा (ख.1 से ख.6)	11,988.34	1,050.76
ख.1 बिजली (उत्पादन)	4854.68	810.32
ख.1.1 केंद्रीय सरकार के उपक्रम	1408.16	0.00
ख.1.2 राज्य सरकार के उपक्रम (रा.बि. बोर्ड सहित)	221.47	616.73
ख.1.3 निजी क्षेत्र	3225.05	193.59
ख.2 बिजली (संचारण)	985.55	0.00
ख.2.1 केंद्रीय सरकार के उपक्रम	0.00	0.00
ख.2.2 राज्य सरकार के उपक्रम (रा.बि. बोर्ड सहित)	981.77	0.00
ख.2.3 निजी क्षेत्र	3.78	0.00
ख.3 बिजली (वितरण)	1771.28	240.44
ख.3.1 केंद्रीय सरकार के उपक्रम	0.00	0.00
ख.3.2 राज्य सरकार के उपक्रम (रा.बि. बोर्ड सहित)	1771.28	240.44
ख.3.3 निजी क्षेत्र	0.00	0.00
ख.4 तेल पाईपलाइन	368.06	0.00
ख.5 तेल/गैस/तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) भंडारण सुविधा	4008.77	0.00
ख.6 गैस पाईपलाइन	0.00	0.00
ग. जल एवं सफाई का प्रबंध (ग.1 से ग.6)	295.28	141.80
ग.1 ठोस अपशिष्ट प्रबंध	0.00	0.00
ग.2 जल-आपूर्ति पाईपलाईन	270.27	0.00
ग.3 जलशोधन संयंत्र	25.01	141.80
ग.4 अपशिष्ट संग्रहण, शोधन एवं निपटान प्रणाली	0.00	0.00
ग.5 सिंचाई (बांध, नहर, तटबंध आदि)	0.00	0.00
ग.6 बाढ़ जल निकासी प्रणाली	0.00	0.00
घ. संचार (घ.1 से घ.2)	60.54	0.00
घ.1 दूरसंचार (नियत नेटवर्क)	0.00	0.00
घ.2 दूरसंचार टॉवर	60.54	0.00
ङ. सामाजिक एवं व्यावसायिक बुनियादी सुविधाएं (ङ.1 से ङ.9)	1514.55	450.14
ङ.1 शिक्षण संस्थाएं (पूँजी स्टॉक)	97.55	11.36
ङ.2 अस्पताल (पूँजी स्टॉक)	117.14	0.82
ङ.3 1 लाख से अधिक आबादी वाले नगरों के बाहर स्थित तीन सितारे वाले वर्गीकृत होटल	0.00	0.00
ङ.4 औद्योगिक पार्क, एसइजेड पर्यटन सुविधा एवं कृषि बाजार के लिए सामान्य बुनियादी सुविधाएं	1255.95	437.64
ङ.5 उर्वरक (पूँजी निवेश)	0.00	0.00
ङ.6 बागान एवं कृषि उत्पाद के भंडारण के लिए फसल कटाई के बाद कोल्ड स्टोरेज सहित भंडारणगत बुनियादी सुविधाएं	43.90	0.31
ङ.7 अंतिम बाजार	0.00	0.00
ङ.8 मिट्टी परीक्षण	0.00	0.00
ङ.9 शीत भंडारण की शृंखला	0.00	0.00
न. अन्य उद्योग	0.00	0.00
<b>समस्त उद्योग (क से न तक)</b>	<b>25,250.22</b>	<b>6,595.85</b>

घ) परिसंपत्तियों एवं देयताएं की अवशिष्ट निविदागत परिपक्वता वर्गीकरण

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	जमा	सकल अग्रिम	निवेश	ऋण	विदेशी मुद्रा आस्तियां	विदेशी मुद्रा देयताएं
१ दिन	2599	1010	-	1903	474	399
२ से ७ दिन तक	4034	2069	124	2095	6420	5394
८ से १४ दिन तक	3933	2602	94	1472	2087	1901
१५ से ३० दिन तक	7582	6712	264	3246	9374	9088
३१ दिन से २ माह तक	12198	7014	464	1062	6557	6330
२ माह से अधिक परंतु ३ माह तक	13665	5955	783	7252	9487	10224
३ माह से अधिक परंतु ६ माह तक	28324	11599	893	802	6906	5475
६ माह से अधिक परंतु १ वर्ष तक	45963	12118	2124	358	3506	5663
१ वर्ष से अधिक परंतु ३ वर्ष तक	47343	26674	11262	811	7754	10230
३ वर्ष से अधिक परंतु ५ वर्ष तक	19898	23837	10804	-	6365	4877
५ वर्ष से अधिक	63798	62039	70857	1500	2830	2468
<b>Total</b>	<b>249338</b>	<b>161629</b>	<b>97669</b>	<b>20501</b>	<b>61760</b>	<b>62050</b>

घ) एनपीए की राशि (सकल)	:	7726.46	करोड़
• अवमानक	:	999.90	करोड़
• संदिग्ध 1	:	1492.24	करोड़
• संदिग्ध 2	:	2203.24	करोड़
• संदिग्ध 3	:	2533.07	करोड़
• हानि	:	498.01	करोड़
छ) शुद्ध एनपीए	:	2018.02	करोड़
ज) एनपीए अनुपात: -			
• सकल अग्रिम पर सकल एनपीए	:	4.78%	
• शुद्ध अग्रिम पर शुद्ध एनपीए	:	1.29%	
झ) एनपीए की घट-बढ़ (सकल)			
• प्रारंभिक शेष	:	10237.43	करोड़
• वृद्धि	:	2096.03	करोड़
• कमी	:	4607.00	करोड़
• अंत शेष	:	7726.46	करोड़

झ) विशेष एवं सामान्य प्रावधान की घट-बढ़

(₹ राशि करोड़ में)

प्रावधानों की घट-बढ़	विशेष प्रावधान #	सामान्य प्रावधान @
प्रारंभिक शेष	6025.96	818.06
अवधि के दौरान किए गए प्रावधान	1315.33	68.98
बट्टे खाते डालना	2574.77	शून्य
अतिरिक्त प्रावधानों को बट्टे खाते से निकालना	19.76	10.35
विनिमय अंतर	57.60	7.34
अंत शेष	4804.36	884.03

#एनपीए प्रावधान प्रदर्शित करता है, @मानक अग्रिमों के लिए प्रावधान प्रदर्शित करता है

ज) बड़े डाले गए ऐसे खाते एवं वसूली जो सीधे आय विवरण बही में शामिल की गई हैं

बड़े डाले गए ऐसे खाते जो सीधे आय विवरण बही में शामिल किए गए हैं (बड़े डाले गए खातों में) वसूली जो सीधे आय विवरण बही में शामिल की गई हैं	— ₹1624.40 करोड़
--	---------------------

ट) अनर्जक निवेशों की राशि	:	1164.61 करोड़
ठ) अनर्जक निवेशों हेतु धारित प्रावधानों की राशि	:	1142.25 करोड़
ड) निवेश अवमूल्यन के प्रावधानों की घट-बढ़		
• प्रारंभिक शेष	:	1201.67 करोड़
• अवधि के दौरान किए गए प्रावधान	:	303.70 करोड़
• बड़े खाते डालना	:	शून्य
• विनिमय अंतराल	:	8.97 करोड़
• अतिरिक्त प्रावधानों को वापस खाते में लेना	:	157.41 करोड़
• अंत शेष	:	1356.93 करोड़

ढ) उद्योगवार एनपीए एवं प्रावधान

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	उद्योग का नाम	एनपीए	विशेष एवं सामान्य प्रावधान
1	खदान और उत्खनन	3.90	1.54
2	खाद्य प्रसंस्करण	55.72	81.41
3	वस्त्र	42.54	33.61
4	चर्म एवं चर्म उत्पाद	1.85	1.51
5	लकड़ी एवं लकड़ी उत्पाद	5.69	4.48
6	कागज एवं कागज उत्पाद	1.28	0.67
7	पेट्रोलियम (गैर-प्राथमिक), कोयला उत्पाद (गैर-खनन) और आणविक ईंधन	0	0
8	रसायन एवं रसायन उत्पाद	0.61	0.25
9	रबड़, प्लास्टिक एवं उनके उत्पाद	21.14	15.54
10	कांच एवं कांच के सामान	0	0
11	सीमेंट एवं सीमेंट उत्पाद	18.43	8.61
12	मूल धातु एवं धातु उत्पाद	16.44	7.63
13	समस्त इंजीनियरिंग	66.62	35.12
14	मोटरयान, यान के कलपुर्जे और यातायात उपकरण	0.76	0.34
15	रत्न एवं आभूषण	3.77	3.77
16	निर्माण	122.31	75.71

ण) भूगोल-वार एनपीए एवं प्रावधान

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	घरेलू	विदेशी	कुल
कुल एनपीए	7165.09	561.37	7726.46
एनपीए के लिए प्रावधान	4242.99	561.37	4804.36
मानक अग्रिमों के प्रावधान	795.05	88.98	884.03

**Table DF - 3**  
**Credit Risk: General Disclosures for All Banks**

**Qualitative Disclosure**

**a) Past Due and Impaired Accounts (for accounting purpose):**

In terms of Bank's NPA Management Policy duly approved by the Board of Directors, an asset is treated as Past due/impaired asset where -

- i. Interest and/or installment of principal remain overdue for a period of more than 90 days in respect of a term loan.
- ii. The account remains 'out of order' for a period of more than 90 days as given in para below, in respect of an overdraft/cash credit (OD/CC).
- iii. The bill remains overdue for a period of more than 90 days in the case of bills purchased and discounted,
- iv. The installment of principal or interest thereon remains overdue for two crop seasons for short duration crops.
- v. The installment of principal or interest thereon remains overdue for one crop season for long duration crops.

An account is considered out of order when

- i. The outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/drawing power; the account is treated as out of order.
- ii. The balance outstanding is less than the sanctioned limit/drawing power but there are no credits continuously for 90 days or the credits are not sufficient to cover the interest debited.

**b) Bank's Credit Risk Management Policy:**

Bank's Credit Risk Management practices are based on policy directives duly approved by the Board which, inter-alia, encompasses the following:

- i. Credit Risk acquisition - strategies & policies,
- ii. Credit approval processes.
- iii. Credit Risk monitoring processes.
- iv. Credit Risk control processes.

Board of Directors has over all responsibility for management of Credit risk and Risk Management Committee of the Board is responsible for setting up guidelines for Credit Risk Management and reporting, ensuring that Credit Risk Management processes conform to the policy, setting up prudential limit and its periodical review and ensuring robustness of risk modules. Credit Risk Management Committee is responsible to deal with issues relating to Credit policy and procedures and to analyze monitoring and control credit risk on bank wide basis.

Credit Risk Management Department of the Bank enforces and monitors compliance of the risk parameters and prudential limits set by the Bank. They also lay down risk assessment system, monitor quality of loan portfolio, identify problems and correct deficiencies, develop MIS for the purpose including portfolio evaluation. Credit Risk Management Department is independent of Credit Processing & Credit Monitoring Departments.

Credit Risk Assessment is done through two dimensional credit rating system and for taking credit decisions in a consistent manner. The credit rating system is being applied to loan accounts with total limits above ₹ 25 lacs (other than Schematic and Retail Loans) and above ₹ 1 Cr in case of Agriculture and MSE loans. Bank tracks rating migration and has developed internal default rates across rating. The mapping of default rates is also carried out with default rate of established rating agencies. All credit proposals which are not under Credit Rating System are subjected to be evaluated through Credit Scoring models.

The bank makes all possible efforts to mitigate risks associated with credit accounts through suitable collaterals or guarantors wherever it is considered feasible and desirable. In addition to that, terms and conditions under which credit is sanctioned also go a long way to mitigate risks associated with credit. Regular monitoring and control of accounts also add to the risk mitigation. In order to mitigate risk, the Bank has taken necessary cover for eligible accounts from Export Credit Guarantee Corporation and Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises.

**Quantitative disclosures**

(All figures in ₹ in Crores)

Quantitative Disclosures		
	Fund Based	Non Fund Based
a) Total Gross Credit Exposure	161629.45	10929.96
b) Geographical Distribution of Exposure		
Domestic	139431.95	10304.98
Overseas	22197.50	624.98



c) Industry type distribution of Exposures		(Amount in ₹ Cr)	
Industry Name	Exposures		
	Funded	Non-Funded	
<b>A. Mining and Quarrying (A.1 + A.2)</b>	302.53	126.46	
A.1 Coal	33.52	120.55	
A.2 Others	269.01	5.92	
<b>B. Food Processing (B.1 to B.5)</b>	<b>1,420.49</b>	<b>342.25</b>	
B.1 Sugar	101.11	6.24	
B.2 Edible Oils and Vanaspati	243.60	220.37	
B.3 Tea	257.04	6.92	
B.4 Coffee	0.00	0.00	
B.5 Others	818.74	108.72	
<b>C. Beverages (excluding Tea &amp; Coffee) and Tobacco</b>	<b>72.76</b>	<b>15.39</b>	
Of which Tobacco and tobacco products	49.56	0.00	
<b>D. Textiles (a to f)</b>	<b>731.99</b>	<b>168.70</b>	
a. Cotton	346.97	77.08	
b. Jute	6.80	2.82	
c. Handicraft/Khadi (Non Priority)	0.00	0.00	
d. Silk	0.00	0.00	
e. Woolen	0.00	0.00	
f. Others	378.21	88.81	
Out of D (i.e., Total Textiles) to Spinning Mills	0.00	0.00	
<b>E. Leather and Leather products</b>	<b>26.88</b>	<b>0.01</b>	
<b>F. Wood and Wood Products</b>	<b>42.27</b>	<b>3.08</b>	
<b>G. Paper and Paper Products</b>	<b>168.47</b>	<b>71.93</b>	
<b>H. Petroleum (non-infra), Coal Products (non-mining) and Nuclear Fuels</b>	<b>348.15</b>	<b>53.80</b>	
<b>I. Chemicals and Chemical Products (Dyes, Paints, etc.) (I.1 to I.4)</b>	<b>517.00</b>	<b>171.59</b>	
I.1 Fertilizers	2.12	0.16	
I.2 Drugs and Pharmaceuticals	187.61	15.75	
I.3 Petro-chemicals (excluding under Infrastructure)	18.68	53.46	
I.4 Others	308.60	102.23	
<b>J. Rubber, Plastic and their Products</b>	<b>130.33</b>	<b>25.33</b>	
<b>K. Glass &amp; Glassware</b>	<b>49.59</b>	<b>0.00</b>	
<b>L. Cement and Cement Products</b>	<b>110.21</b>	<b>42.00</b>	
<b>M. Basic Metal and Metal Products (M.1 + M.2)</b>	<b>2,839.49</b>	<b>734.45</b>	
M.1 Iron and Steel	2,375.00	579.07	
M.2 Other Metal and Metal Products	464.48	155.38	
<b>N. All Engineering (N.1 + N.2)</b>	<b>994.77</b>	<b>922.04</b>	
N.1 Electronics	131.89	163.23	
N.2 Others	862.89	758.81	
<b>O. Vehicles, Vehicle Parts and Transport Equipments</b>	<b>25.05</b>	<b>0.00</b>	
<b>P. Gems and Jewellery</b>	<b>106.23</b>	<b>0.02</b>	
<b>Q. Construction</b>	<b>584.30</b>	<b>1516.39</b>	
<b>R. Infrastructure (a to d)</b>	<b>16,779.70</b>	<b>2,402.40</b>	
a. Transport (a.1 to a.6)	2,920.99	759.70	
a.1 Roads and Bridges	2754.93	759.70	
a.2 Ports	47.76	0.00	
a.3 Inland Waterways	0.00	0.00	
a.4 Airport	0.00	0.00	
a.5 Railway Track, tunnels, viaducts, bridges	118.30	0.00	
a.6 Urban Public Transport (except rolling stock in case of urban road transport)			

(Amount in ₹ Cr)

Industry Name	Exposure	
	Funded	Non-Funded
b. Energy (b.1 to b.6)	11,988.34	1,050.76
b.1 Electricity (Generation)	4854.68	810.32
b.1.1 Central Govt PSUs	1408.16	0.00
b.1.2 State Govt PSUs (incl. SEBs)	221.47	616.73
b.1.3 Private Sector	3225.05	193.59
b.2 Electricity (Transmission)	985.55	0.00
b.2.1 Central Govt PSUs	0.00	0.00
b.2.2 State Govt PSUs (incl. SEBs)	981.77	0.00
b.2.3 Private Sector	3.78	0.00
b.3 Electricity (Distribution)	1771.28	240.44
b.3.1 Central Govt PSUs	0.00	0.00
b.3.2 State Govt PSUs (incl. SEBs)	1771.28	240.44
b.3.3 Private Sector	0.00	0.00
b.4 Oil pipelines	368.06	0.00
b.5 Oil/Gas/Liquefied Natural Gas (LNG) storage facility	4008.77	0.00
b.6 Gas pipelines	0.00	0.00
c. Water and Sanitation (c.1 to c.6)	295.28	141.80
c.1 Solid Waste Management	0.00	0.00
c.2 Water supply pipelines	270.27	0.00
c.3 Water treatment plants	25.01	141.80
c.4 Sewage collection, treatment and disposal system	0.00	0.00
c.5 Irrigation (dams, channels, embankments etc)	0.00	0.00
c. 6 Storm Water Drainage System	0.00	0.00
d. Communication (d.1 to d.2)	60.54	0.00
d.1 Telecommunication (Fixed network)	0.00	0.00
d.2 Telecommunication towers	60.54	0.00
e. Social and Commercial Infrastructure (e.1 to e.9)	1514.55	450.14
e.1 Education Institutions (capital stock)	97.55	11.36
e.2 Hospitals (capital stock)	117.14	0.82
e.3 Three-star or higher category classified hotels located outside cities with population of more than 1 million	0.00	0.00
e.4 Common infrastructure for industrial parks, SEZ, tourism facilities and agriculture markets	1255.95	437.64
e.5 Fertilizer (Capital investment)	0.00	0.00
e.6 Post harvest storage infrastructure for agriculture and horticultural produce including cold storage	43.90	0.31
e.7 Terminal markets	0.00	0.00
e.8 Soil-testing laboratories	0.00	0.00
e.9 Cold Chain	0.00	0.00
<b>T. Other Industries</b>	0.00	0.00
<b>All Industries (A to T)</b>	<b>25,250.22</b>	<b>6,595.85</b>

**d) Residual contractual maturity breakdown of assets and Liabilities (₹ in Cr)**

Particulars	Deposit	Advance Gross	Investment Gross	Borrowing	Foreign Currency-Asset	Foreign Currency-Liability
1 Day	2599	1010	-	1903	474	399
2-7 days	4034	2069	124	2095	6420	5394
8-14 Days	3933	2602	94	1472	2087	1901
15-30 Days	7582	6712	264	3246	9374	9088
31 days to 2 Month	12198	7014	464	1062	6557	6330
Over 2 Months upto 3 Month	13665	5955	783	7252	9487	10224
Over 3 Months upto 6 Month	28324	11599	893	802	6906	5475
Over 6 Months upto 1 Year	45963	12118	2124	358	3506	5663
Over 1 Year upto 3 Year	47343	26674	11262	811	7754	10230
Over 3 Year upto 5 Year	19898	23837	10804	-	6365	4877
Over 5 Year	63798	62039	70857	1500	2830	2468
<b>Total</b>	<b>249338</b>	<b>161629</b>	<b>97669</b>	<b>20501</b>	<b>61760</b>	<b>62050</b>

e) Amount of NPAs (Gross)	:	7726.46 Cr
● Substandard	:	999.90 Cr
● Doubtful 1	:	1492.24 Cr
● Doubtful 2	:	2203.24 Cr
● Doubtful 3	:	2533.07 Cr
● Loss	:	498.01 Cr
f) Net NPAs	:	2018.02 Cr
g) NPA Ratios: -		
● Gross NPAs to gross advances	:	4.78%
● Net NPAs to net advances	:	1.29 %
h) Movement of NPAs (Gross)		
● Opening balance	:	10237.43 Cr
● Additions	:	2096.03 Cr
● Reductions	:	4607.00 Cr
● Closing balance	:	7726.46 Cr

i) Movement of Specific & General Provision

(₹ in Crore)

Movement of provisions	Specific Provisions#	General Provisions@
Opening balance	6025.96	818.06
Provisions made during the period	1315.33	68.98
Write-off	2574.77	NIL
Write-back of excess provisions	19.76	10.35
Exchange difference	57.60	7.34
Closing balance	4804.36	884.03

#Represents provisions for NPA, @Represents provisions for Standard Advances

j. Details of write offs and recoveries that have been booked directly to the income statement

Write offs that have been booked directly to the income statement	—
Recoveries (in written-off) that have been booked directly to the income statement	₹1624.40 crore

k) Amount of Non-Performing Investments:	1164.61 Cr
l) Amount of provisions held for non-performing investments: -	1142.25 Cr
m) Movement of provisions for depreciation on investments	
• Opening balance	: 1201.67 Cr
• Provisions made during the period	: 303.70 Cr
• Write-off	: NIL
• Exchange Difference	: 8.97 Cr
• Write-back of excess provisions	: 157.41 Cr
• Closing balance	: 1356.93 Cr

n) Industry wise NPA and provisions

(₹ in Cr.)

Sl. No.	Industry Name	NPA	Specific and General Provisions
1	Mining and Quarrying	3.90	1.54
2	Food Processing	55.72	81.41
3	Textiles	42.54	33.61
4	Leather and Leather products	1.85	1.51
5	Wood and Wood Products	5.69	4.48
6	Paper and Paper Products	1.28	0.67
7	Petroleum (non-infra), Coal Products (non-mining) and Nuclear Fuels	0	0
8	Chemicals and Chemical Products	0.61	0.25
9	Rubber, Plastic and their Products	21.14	15.54
10	Glass & Glassware	0	0
11	Cement and Cement Products	18.43	8.61
12	Basic Metal and Metal Products	16.44	7.63
13	All Engineering	66.62	35.12
14	Vehicles, Vehicle Parts and Transport Equipments	0.76	0.34
15	Gems and Jewellery	3.77	3.77
16	Construction	122.31	75.71

o) Geography Wise NPA & Provisions

(₹ in Crore)

Particulars	Domestic	Overseas	Total
Gross NPA	7165.09	561.37	7726.46
Provisions for NPA	4242.99	561.37	4804.36
Provisions for Standard Advances	795.05	88.98	884.03

## तालिका डीएफ - 4

### ऋण जोखिम : मानक दृष्टिकोण के अध्यक्षीन संविभागों हेतु प्रकटीकरण

#### गुणात्मक प्रकटीकरण :

निम्नलिखित श्रेणी निर्धारक एजेंसियों द्वारा किए गए ऋण श्रेणी-निर्धारण का उपयोग, मानक दृष्टिकोण के अधीन हमारे ऋण खातों के जोखिम भार-निर्धारण हेतु किया जाता है :

- 1) सीएआरई
- 2) सीआरआईएसआईएल
- 3) इंडिया रेटिंग
- 4) इन्फोमेरिक्स
- 5) आईसीआरए
- 6) एक्यूट रेटिंग

(अकारादि क्रम से सूचीबद्ध)

- श्रेणी-निर्धारक एजेंसियों ने कार्पोरेट एक्सपोजर का श्रेणी-निर्धारण किया है।
- उपर उल्लिखित श्रेणी निर्धारक एजेंसियों द्वारा प्रदत्त सार्वजनिक निर्गम की श्रेणी पर आधारित खातों का श्रेणी-निर्धारण करने में बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों का पालन किया है।

#### प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण :

मानक दृष्टिकोण में जोखिम को कम करने के बाद एक्सपोजर

1) 100% से कम का जोखिम भार	- ₹1,64,957.35 करोड़
2) 100% जोखिम भार	- ₹26,281.44 करोड़
3) 100% से अधिक का जोखिम भार	- ₹8,666.23 करोड़
4) कटौती	- ₹0.00 करोड़
<b>योग</b>	<b>- ₹1,99,905.02 करोड़</b>

**Table DF - 4**

**Credit Risk: Disclosures for Portfolios Subject to the Standardised Approach**

**Qualitative disclosure:**

Credit rating accorded by the following credit rating agencies has been used in assigning risk weights to our credit accounts under standardized approach:

- 1) CARE
- 2) CRISIL
- 3) INDIA RATINGS
- 4) Infomerics
- 5) ICRA
- 6) Acuite Rating

(Listed in alphabetical order)

- Rating agencies have rated corporate exposures.
- In assigning rating to accounts based on public issue rating given by the above mentioned rating agencies, bank has followed the guidelines of Reserve Bank of India.

**Quantitative disclosure:**

**Exposure after risk mitigation in standardized approach:**

1) Below 100% risk weight	- ₹ 1,64,957.35 Cr.
2) 100% risk weight	- ₹ 26,281.44 Cr.
3) More than 100% risk weight	- ₹ 8,666.23 Cr.
4) Deduction	- ₹ 0.00 Cr.
<b>Total</b>	<b>- ₹ 1,99,905.02 Cr.</b>

## तालिका डीएफ - 5

### ऋण जोखिम प्रशमन : मानकीकृत दृष्टिकोण हेतु प्रकटीकरण

#### गुणात्मक प्रकटीकरण :

(अ) तुलन पत्र और उसके इतर के समायोजन का उपयोग जिस सीमा तक बैंक द्वारा किया जाता है उसका सूचक तथा उसके लिए नीति एवं प्रक्रिया

#### ऋण जोखिम प्रशमन तकनीक - तुलन पत्र के समायोजन संबंधी

बैंक इस शर्त के अध्यक्ष निवल ऋण एक्सपोजर के आधार पर पूंजी आवश्यकता की गणना करता है कि -

- बैंक के पास यह निष्कर्ष निकालने का एक सुनिश्चित विधिक आधार है कि चाहे काउंटर पार्टी दिवालिया अथवा शोधन अक्षम है अथवा नहीं, प्रत्येक संगत क्षेत्राधिकार में नेटिंग या ऑफसेटिंग करार प्रवर्तनीय है।
- बैंक किसी भी समय उसी काउंटरपार्टी के ऋण/अग्रिम एवं जमाराशियों को निर्धारित कर सकता है जो नेटिंग व्यवस्था के अध्यक्ष है।
- बैंक निवल आधार पर संगत एक्सपोजर पर निगरानी रखता है और उनपर नियंत्रण करता है, ऋणों और अग्रिमों को एक्सपोजर के रूप में माना जाता है और जमाराशि को संपार्श्विक प्रतिभूत के रूप में माना जाता है।

#### ऋण जोखिम प्रशमन तकनीक- गारंटी

- गारंटी को प्रत्यक्ष, स्पष्ट, अपरिवर्तनीय एवं शर्तरहित होना चाहिए।
- प्रतिस्थापन व्यवस्था लागू की जाएगी। इस प्रकार काउंटरपार्टी की तुलना में कम जोखिम भार वाली कंपनी द्वारा जारी गारंटी से पूंजी भार कम होगा क्योंकि काउंटरपार्टी एक्सपोजर के संरक्षित अंश में गारंटीकर्ता का जोखिम भार समनुदेशित है जबकि असंरक्षित अंश में मूल काउंटरपार्टी का जोखिम भार प्रतिधारित है।

iii) गारंटी के लिए परिचालन अपेक्षाएं अवश्य पूरी की जानी चाहिए।

iv) योग्य गारंटीकर्ताओं (काउंटर गारंटीकर्ताओं) की श्रेणी

निम्नलिखित संस्था द्वारा दिए गए ऋण संरक्षण को मान्यता दी जाएगी:

- सरकार, सरकारी कंपनी (बीआईएस, आईएमएफ, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, एमबीडी, एससीजीसी और सीजीटीएसएमई) बैंक एवं काउंटरपार्टी की तुलना में कम जोखिम भार वाले प्राथमिक व्यापारी;
- 'ए' या उससे बेहतर रेटिंग वाली अन्य कंपनियां : इसमें मूल, सहायक एवं संबद्ध कंपनियों द्वारा दिया गया गारंटी कवर उस स्थिति में शामिल होगा, जब उनका जोखिम भार बाध्यताधारी से कम हो।

v) संरक्षित अंश में संरक्षण प्रदाता का जोखिम भार समनुदेशित है।

#### (आ) संपार्श्विक मूल्यांकन एवं प्रबंध के लिए पद्धति एवं प्रक्रिया

यदि संपत्ति को बिक्री के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो एक बैंकर के रूप में हम संपत्ति के उस बाजार मूल्य को ध्यान में रखते हैं, जिसकी उम्मीद क्रेता से की जाती है। मूल्यांकन आर्स्टि मूल्यांकन पद्धति द्वारा किया जाता है, जो प्रतिभूति के रूप में ली जाने वाली मूर्त आस्तियों के बाजार मूल्य को ध्यान में रखती है।

#### विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों के मूल्यांकन की पद्धति

##### (i) भूमि एवं भवन का मूल्यांकन

बैंक की चालू सूची में शामिल पंजीकृत मूल्यांकनों द्वारा सभी भू-संपत्तियों का मूल्यांकन किया जाए। भूमि का मूल्य अलग से लगाया जाएगा और नगरपालिका निकायों सहित सरकारी प्राधिकरणों द्वारा दर्ज मूल्यांकन से उसकी तुलना की जाएगी। उस भूमि पर किए गए निर्माण कार्य का मूल्यांकन अलग से किया जाएगा तथा उस संपत्ति का बीमा करने पर लगाए गए मूल्य से उसकी तुलना की जाएगी।

निम्नलिखित मदों को ध्यान में रखा जाएगा :

- निर्माण की प्रकृति
- भवन की आयु तथा उसकी विद्यमान मजबूती
- किराया से होने वाली आय
- निर्धारित /प्रदत्त कर की राशि
- भूमि एवं भवन का क्षेत्र
- निर्माण की लागत
- जगह का मूल्य

##### (ii) जंगम संपत्तियों का मूल्यांकन

दृष्टिबंधकित /गिरवी रखी गई आस्तियों का मूल्यांकन करते समय मूल्यांकन का आधार बीजक में दिए गए मूल्य या बाजार मूल्य को, इनमें से जो भी कम हो, ध्यान में रखा जाए।

##### (iii) शेयरों का मूल्यांकन :

बाजार मूल्य का परिकलन निम्न प्रकार से किया जाता है :

(क) शेयर का मौजूदा बाजार मूल्य

(ख) पिछले 52 सप्ताह के दौरान प्रतिभूति के उच्चतम एवं निम्नतम मूल्यों में से जो भी कम हो उसका औसत। म्यूचुअल फंड के यूनिट के मामले में (अनुमोदित सूची में केवल मास्टर शेयरों को शामिल किया गया है) निवल आर्स्टि मूल्य (एनएवी)/पुनर्क्रय कीमत या बाजार मूल्य में से जो भी कम हो, को लिया जाए।

**(iv) एल आई सी पॉलिसी का मूल्यांकन**

**पॉलिसी का वर्तमान समर्पण मूल्य**

जो भी प्रतिभूति ली जाती हो, इस बात का ध्यान रखा जाए कि उसे पर्याप्त रूप से प्रभारित किया गया है और सभी आवश्यक विधिक औपचारिकताएं पूरी की गई हैं ताकि आपात स्थिति पैदा होने पर उसे बिना किसी कठिनाई के वसूला जा सके। इसके अतिरिक्त अग्रिम के विद्यमान रहने तक प्रतिभूति पर लगातार निगरानी रखना जरूरी है।

**(ग) बैंक द्वारा लिए जाने वाले प्रमुख संपार्श्विक निम्नलिखित हैं :**

- (i) भूमि एवं भवन जैसी स्थावर संपत्तियों का साम्यिक बंधक/रजिस्ट्रीकृत बंधक
- (ii) संयंत्र एवं मशीनरी, फर्नीचर/जुड़नार जैसी जंगम आस्तियों का दृष्टिबंधन
- (iii) शेयरों/डिबेंचरों/ईक्विटीयों/म्युचुअल फंड यूनिटों को गिरवी रखना
- (iv) एलआईसी पालिसी का समनुदेशन
- (v) बैंक की अपनी सावधि जमा रसीदों पर ग्रहणाधिकार
- (vi) एनएससी/केवीपी को गिरवी रखना

**(घ) प्रमुख प्रकार के गारंटीकर्ता काउंटरपार्टी एवं उनकी ऋण शोधक्षमता**

सामान्यतः बैंक निम्नलिखित प्रकार के गारंटीकर्ता काउंटरपार्टी लेने हेतु अनुरोध करता है :

- i) भागीदारों/गैर-पेशेवर निदेशकों/अन्य पक्षकारों की वैयक्तिक गारंटी
- ii) कार्पोरेट गारंटी
- iii) राज्य सरकार की गारंटी

बैंक अपने स्वविवेक से मूल/धारक कंपनी से उस स्थिति में गारंटी प्राप्त कर सकता है जब ऋण सुविधा उसी समूह के उधारकर्ता यूनिटों को प्रदान की जाती है।

जब वैयक्तिक गारंटी मांगी जाती है तो व्यक्ति की अनुमानित अर्थक्षमता के औचित्यपूर्ण अनुपात को ध्यान में रखा जाए।

**(ङ) प्रशमन के भीतर ऋण जोखिम संकेंद्रण के बारे में सूचना :**

ऋण जोखिम को कम करने हेतु एक्सपोजर को पूर्णतः या अंशतः नकदी, प्रतिभूति या उसी काउंटरपार्टी से जमाराशियों, किसी तृतीय पक्ष की गारंटी द्वारा केन्द्रीकृत किया जाता है।

बाजार मूल्य में उतार-चढ़ाव के कारण बाजार जोखिम उत्पन्न होता है, जिसे बिक्री संविदा, उपभोक्ता को वित्तपोषण, वापसी खरीद शर्त एवं त्रुटि करार के माध्यम से कम किया जाता है।

**प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण:**

मानक दृष्टिकोण के अधीन मार्जिन को लागू करने के बाद योग्य वित्तीय संपार्श्विक द्वारा कुल ₹13553.39 करोड़ के एक्सपोजर को सुरक्षित किया गया।

**तालिका डीएफ - 6**

**प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर : मानकीकृत दृष्टिकोण हेतु प्रकटीकरण**

लागू नहीं क्योंकि यूको बैंक के पास कोई प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर नहीं है।



## Table DF - 5

### Credit Risk Mitigation: Disclosures for Standardised Approaches

#### Qualitative disclosure:

#### **(a) Policies and processes for, and an indication of the extent to which the bank makes use of, on and off balance sheet netting**

##### **Credit risk mitigation techniques- On Balance Sheet netting**

The Bank computes capital requirements on the basis of net credit exposure subject to the conditions that the bank

- i) has a well founded legal basis for concluding that the netting or off setting agreement is enforceable in each relevant jurisdiction regardless of whether the counterparty is insolvent or bankrupt;
- ii) is able any time to determine loans/advances and deposits with the same counterparty that are subject to the netting arrangement;
- iii) monitors and controls the relevant exposures on a net basis;

Loans and advances are treated as exposure and deposits are treated as collaterals.

##### **Credit risk mitigation techniques- Guarantees**

- i) Guarantees should be direct, explicit, irrevocable and unconditional.
- ii) Substitution approach will be applied. Thus guarantees issued by entities with lower risk weight than the counterparty will lead to reduce capital charge since the protected portion of the counterparty exposure is assigned the risk weight of the guarantor, whereas the uncover portion retain the risk weight of the underlying counterparty.
- iii) Operational requirement for guarantees must be met.
- iv) Range of eligible guarantors (counter guarantors)

Credit protection given by the following entities will be recognized:

- a) Sovereigns, sovereign entities (including BIS, IMF, European Central Bank, MBDs, SCGC and CGTSME), Banks and Primary dealers with a lower risk weights than the counter party;
- b) Other entities rated AA- better. This would include guarantee covered provided by parent, subsidiary and affiliated companies when they have a lower risk weight than the obligor.
- v) Protected portion is assigned the risk weight of the protection provider.

#### **(b) Policies and processes for collateral valuation and Management**

As a banker we are concerned with market value of the property that can be expected from a buyer if the property is put to sale. So valuation is made by Asset Valuation Methodology which takes into consideration the market value of tangible assets taken as security.

##### **Method of valuation of various types of securities:**

##### **(i) Valuation of land and building**

All landed properties must be valued by Registered valuers who are in the current empanelled list of bank. The value of the land will be assessed separately and would be compared with valuation on record by Govt. Authorities including Municipal Bodies. Construction on the said land would be valued separately and compared with value of insurance taken to cover the said property.

The following points are taken into consideration:

- i) Nature of construction
- ii) Age of the building and its present strength
- iii) Rental yield
- iv) Tax amount assessed/paid
- v) Area of land and building
- vi) Cost of construction
- vii) Value of site

**(ii) Valuation of Movable properties:**

In valuation of hypothecated/pledged assets, basis of valuation is invoice price or market price whichever is lower.

**(iii) Valuation of shares:**

Market value is calculated as below:

- a) Current market price of the share
- b) Average of high and low prices of security during last 52 weeks whichever is lower. In case of units of mutual funds (only Master Share has been included in the approved list) Net Asset Value (NAV)/Repurchase price or the market price, whichever is less, has to be taken.

**(iv) Valuation of LIC Policy:**

**Present surrender value of the policy**

Whatever security is obtained, care should be taken to see that it is adequately charged and all necessary legal formalities are completed so that it can be realized without any difficulty, whenever an emergency arises. Moreover, during the lifetime of an advance constant watch over the security is necessary.

**(c) Main types of collateral taken by Bank are -**

- i) Equitable Mortgage/ Registered Mortgage of immovable properties like land and building.
- ii) Hypothecation of movable fixed assets like plant & machinery furniture/fixtures.
- iii) Pledge of shares/debentures/equities/units of Mutual Funds
- iv) Assignment of LIC Policies
- v) Lien over Bank's own Fixed Deposit receipts
- vi) Pledge of NSCs/KVPs

**(d) The main types of guarantor counterparty and their credit worthiness**

Normally Bank insists on following types of guarantor counterparty-

- i) Personal guarantee of partners/non-professional directors/third parties,
- ii) Corporate Guarantee
- iii) Guarantees of State Government

The bank may also obtain guarantees at its discretion from parent/holding Company when credit facilities are extended to borrowing units in the same group.

When personal guarantees are warranted, they should bear reasonable proportion to the estimated worth of the person.

**(e) Information about credit risk concentrations within the mitigation taken -**

In order to mitigate the credit risks, exposures are collateralized in whole or in part by cash, securities, deposits from the same counterparty, guarantee of a third party.

Market risks arise from movements in market prices which are mitigated through sales contacts, consumer financing, buy back clause and deficiency agreement.

**Quantitative disclosure:**

Total exposure covered by eligible financial collaterals after application of haircut under standardized approach- ₹13553.39 Cr.

**Table DF - 6**

**Securitisation Exposures: Disclosure for Standardised Approach**

Not Applicable as UCO Bank is not having any securitization exposure.

## तालिका डीएफ - 7

### क्रय-विक्रय बहियों में बाजार जोखिम

#### गुणात्मक प्रकटीकरण :

##### 1. उद्देश्य एवं नीतियां:

निवेश और विदेशी मुद्रा लिखतों में बाजार जोखिम को सीमित करने हेतु। इसके लिए बैंक ने देशी और विदेशी शाखाओं हेतु बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियां अपनाई हैं।

##### 2. कार्यनीति एवं प्रक्रिया:

यह नीति एकसपोजर पर विभिन्न सीमाओं का प्रावधान करती है। विदेश स्थित केन्द्रों के लिए अनुमोदित नीति के अनुसार विदेश स्थित केन्द्रों की स्थानीय एएलसीओ समिति कार्यनीति और प्रक्रिया पर ध्यान देती है।

##### 3. संबंधित जोखिम प्रबंधन कार्य की संरचना एवं संगठन:

निवेश से संबंधित निर्णय कार्पोरेट निवेश समिति द्वारा लिए जाते हैं। इस समिति में कार्यपालक निदेशक व फ्लैगशिप कार्पोरेट ऋण, मिड कार्पोरेट, वित्त एवं कोष शाखा, मुंबई के महाप्रबंधकगण शामिल हैं। विदेश स्थित केंद्रों पर केंद्रों के मुख्य कार्यपालकों के अधीन स्थानीय समिति निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार निर्णय लेती है। बैंक में कठोर कार्यात्मक अलगाव हेतु फ्रंट ऑफिस, मिड ऑफिस एवं बैक ऑफिस कार्यरत हैं। जोखिम प्रबंधन विभाग, प्रधान कार्यालय समग्र संविभाग के लिए मिड ऑफिस के रूप में कार्य करता है।

##### 4. जोखिम की रिपोर्टिंग और/या माप पद्धति का कार्यक्षेत्र एवं स्वरूप

देशी एवं विदेशी शाखाओं द्वारा दिए गए बैंक ऋण का पूरा विवरण समय-समय पर प्रधान कार्यालय को भेजा जाता है। जोखिमों के मूल्यांकन के साथ तिमाही आधार पर रिपोर्टिंग भी की जाती है। बैंक द्वारा तय की गई विभिन्न विवेकपूर्ण एवं अन्य सीमाओं से किसी तरह के विचलन की सूचना भी आवश्यक अनुमोदन हेतु प्रधान कार्यालय को दी जाती है।

##### 5. जोखिमों से बचाव और/या उसे कम करने के लिए नीतियां एवं बचाव/कमी की अनवरत प्रभावकारिता पर निगरानी रखने हेतु कार्यनीति एवं प्रक्रियाएँ :

बैंक की नीति है कि विदेशी मुद्रा में लगभग समान स्थिति बनाए रखी जाए। तथापि, संबंधित करेंसियों में दिनरात, रातभर जैसी विभिन्न सीमाओं तथा समग्र रुपयों से बैंक के भारतीय रुपयों में रातभर की मुक्त स्थिति सीमा का निर्धारण किया गया है और उसकी निगरानी समय-समय पर की जाने वाली रिपोर्टिंग के आधार पर की जाती है।

#### प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण :

निम्नलिखित के लिए पूंजी की आवश्यकता	(₹ करोड़ में)
ब्याज दर जोखिम	790.09
ईक्विटी स्थिति जोखिम	103.92
विदेशी मुद्रा जोखिम	5.18

## TABLE DF - 7

### Market Risk in Trading Book

#### Qualitative Disclosure:

##### **1. Objective & Policies:**

To limit the market risk in Investment and Forex instruments. For this the Bank adopted policies approved by the Board for Domestic as well as Overseas Branches.

##### **2. Strategies and Processes:**

Policy provides various limits on exposures. Local ALCO Committee of overseas centers takes care of strategies and processes as per approved policy for overseas centers.

##### **3. Structure and organization of the relevant risk management function:**

Investment decisions are taken by Corporate Investment Committee comprising of Executive Director, General Managers of Corporate Credit, Finance, Risk Management, International and Treasury Branch, Mumbai. At overseas centers local committee under Chief Executives of the centers takes decision as per guidelines approved by the Board. The Bank has front office, mid office and back office for strict functional segregation. Risk Management Department at Head Office performs the function of mid office for overall portfolio.

##### **4. The scope and nature of risk reporting and/or measurement system:**

Periodic Reporting of full details of Bank's exposure undertaken by the domestic and overseas branches are sent to Head Office. Quarterly reporting with evaluation of risks are also made. Any breaches from various prudential and other limits fixed by the Bank are also referred to H.O for necessary approval.

##### **5. Policies for hedging and/or mitigating risk and strategies and processes for monitoring the continuing effectiveness of hedge/s militants:**

The Bank's policy is to maintain near square position in Forex. However various limits like daylight, overnight in respective currencies as well as overnight open position limit in Indian rupees for the Bank as a whole have been fixed and the same is monitored through periodic reporting.

#### Quantitative Disclosures:

(₹ in crore)

Capital requirements for :	
Interest Rate Risk	790.09
Equity Position Risk	103.92
Foreign Exchange Risk	5.18

## तालिका डीएफ - 8

### परिचालनगत जोखिम

#### गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक ने निम्नलिखित के लिए पद्धति, प्रक्रिया एवं निगरानी व्यवस्था कायम की है –

- सभी महत्वपूर्ण उत्पादों, क्रियाकलापों, प्रक्रियाओं और पद्धतियों में विद्यमान परिचालनगत जोखिमों की पहचान तथा मूल्यांकन
- परिचालनगत जोखिम प्रोफाइल तथा हानि के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण एक्सपोजर पर निगरानी रखना तथा वरिष्ठ प्रबंधन एवं निदेशक मंडल को आवश्यक सूचनाएं प्रदान करना
- महत्वपूर्ण परिचालनगत जोखिमों को नियंत्रित करने तथा कम करने हेतु नीतियों, प्रक्रियाओं एवं कार्यप्रणाली का निर्माण करना

**परिचालनगत जोखिम प्रबंधन के लिए संगठनात्मक ढांचा निम्न प्रकार से है –**

- निदेशक मंडल
- निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी)
- परिचालनगत जोखिम प्रबंधन कक्ष (ओआरएमसी)
- कारबार परिचालनगत जोखिम प्रबंधन (बीओआरएम)
- परिचालनगत जोखिम प्रबंधन विशेषज्ञ(ओआरएमएस)
- जोखिम प्रबंधन विभाग

निदेशक मंडल सभी उत्पादों, क्रियाकलापों, प्रक्रियाओं एवं पद्धतियों में परिचालनगत जोखिम के प्रबंध हेतु परिचालनगत जोखिम प्रबंध ढांचा और उसके कार्यान्वयन एवं नीतियों, प्रक्रियाओं एवं कार्यप्रणालियों का अनुमोदन करता है।

#### **जोखिम की सूचना और/या माप पद्धति का कार्यक्षेत्र एवं स्वरूप**

बैंक की स्थापित नीतियों एवं प्रक्रियाओं की पर्याप्तता के स्वतंत्र मूल्यांकन एवं अनुपालन हेतु निरंतर निगरानी के अंग के रूप में पर्याप्त आंतरिक लेखापरीक्षा की जाती है। निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति लेखापरीक्षा कार्यक्रम के कार्यक्षेत्र एवं आवधिकता सुनिश्चित करती है। निरीक्षण विभाग आंतरिक कार्य का विकास एवं पर्यवेक्षण करता है।

सभी वित्तीय विभागों/कारोबार इकाइयों को सूचित किया गया है कि वे आरएमडी को नई गतिविधियों, नई पहलों, उत्पादों एवं परिचालनगत परिवर्तनों के बारे में पूरी तरह अवगत कराएं ताकि किसी भी आरंभिक स्थिति में सभी संबंधित जोखिमों की पहचान की जा सके।

बैंक और अधिक विकसित मापन दृष्टिकोणों की आवश्यकता पूरी करने के लिए हानि की घटना के प्रकार-वार और कारोबार प्रवृत्ति-वार परिचालन जोखिम हानि के प्रासंगिक आंकड़े एकत्रित करता रहा है। बाहरी हानि के आंकड़े प्राप्त करने के लिए बैंक ने कॉर्डेक्स की सदस्यता हासिल कर ली है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशानुसार बैंक मूलभूत संकेतक दृष्टिकोण (बीआईए) के अंतर्गत परिचालन जोखिम के अनुरूप पूंजी रख रहा है। 31.03.2023 की स्थिति को बीआईए के अनुसार पूंजी आवश्यकता ₹1892.95 करोड़ की है।

## Table DF – 8

### Operational Risk

#### Qualitative disclosure:

The Bank has put in place systems, processes and monitoring mechanism for -

- Identification and assessment of operational Risks inherent in all material products, activities, processes and systems,
- Monitoring operational risk profiles and material exposure to losses and reporting pertinent information to Senior Management and Board of Directors.
- Framing policies, processes and procedures to control and mitigate material operational risk.

The Organizational set up for operational risk management is as follows:

- The Board of Directors
- Risk Management Committee of the Board (RMCB)
- Operational Risk Management Cell (ORMC)
- Business Operational Risk Managers (BORM)
- Operational Risk Management Specialists (ORMS)
- Risk Management Department

Board of Directors approves Operational Risk Management framework, implementation and policies, processes and procedures for managing operational risk in all products, activities, processes and systems.

Scope and nature of Risk Reporting and/or measurement system:

In order to provide independent assessment of adequacy and compliance with bank's established policies and procedures, adequate internal audit coverage is in place as a part of ongoing monitoring. The Audit committee of the Board ensures the scope and frequency of the audit programme. The Inspection department develops and oversees the internal function.

All financial departments/business units have been informed to keep the RMD fully informed of new developments, initiatives, products and operational changes to identify all associated risks at an early stage.

The Bank has been collecting the relevant operational risk loss data loss event types and business lines wise to meet the requirement of Advanced Measurement Approaches. Bank has obtained membership of CORDEX for accessing the external loss data.

As per RBI directives, the bank has been maintaining capital for operational risk under Basic Indicator approach (BIA). The capital requirement as per BIA is ₹1892.95 crores as on 31.03.2023.

## तालिका डीएफ - 9

### बैंकिंग बहियों में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

#### गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक ने अपनी आस्ति देयता प्रबंध नीति तैयार की है जो बैंकिंग की बहियों में ब्याज दर जोखिम से संबंधित मुद्दों का निपटान करती है। बैंक चालू वित्तीय वर्ष की शेष अवधि और साथ ही एक वर्ष की अवधि के लिए जोखिम पर अर्जन (ईएआर) के प्रयोजन एवं आकलन हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार ब्याज दर अस्थिरता के बारे में प्रत्येक माह विवरण तैयार करता है। बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस प्रयोजन हेतु दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार संशोधित अवधि का विवरण भी प्रत्येक महीने तैयार करता है और ईक्विटी में परिवर्तन का आकलन करता है। दोनों ही विवरणों की समीक्षा बैंक के निदेशक मंडल की आस्ति देयता प्रबंधन समिति/जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा की जाती है।

#### प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण

1) 100 आधार अंक के निम्नगामी (ऊर्ध्वगामी) दर शॉक के लिए अर्जन में अनुमानित वृद्धि (कमी)	+/- ₹13.17 करोड़
2) 100 आधार अंक के निम्नगामी (ऊर्ध्वगामी) दर शॉक के लिए आर्थिक मूल्य में अनुमानित वृद्धि (ह्रास)	+/- ₹223.99 करोड़

Table DF-9

### Interest Rate Risk in the Banking Books (IRRBB)

#### Qualitative disclosure:

Bank has in place Asset Liability Management policy that addresses issues related to Interest rate risk in Banking Books. Bank draws every month statement of Interest Rate sensitivity in accordance with the guidelines given by Reserve Bank of India for the purpose and estimates of Earnings at Risk (EaR) for the remaining period of the current financial year and as well as over one year horizon. Bank also draws every month statement of modified duration in accordance with the guidelines given for this purpose by Reserve bank of India and estimates Equity Var. Both the statements are reviewed by Bank's Asset Liability Management Committee/ Risk management Committee of the Board.

#### Quantitative disclosure :

1) Estimated increase (decline) in earnings for Downward (upward) rate shock of 100 basis point	+/- ₹13.17 Cr.
2) Estimated increase (decline) in economic value for Downward (upward) rate shock of 100 basis point	+/- ₹223.99 Cr.

## तालिका डीएफ-10

### काउंटरपार्टी ऋण जोखिम से संबंधित एक्सपोजर का सामान्य प्रकटीकरण

#### गुणात्मक प्रकटीकरण

##### i) डेरिवेटिव कारोबार में जोखिम प्रबंधन की संरचना एवं संगठन:

संरचनागत ढांचे में कारपोरेट स्तर पर निवेश स्कंध निहित है जो कार्यपालक निदेशकों और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा अंततः निदेशक मंडल को रिपोर्ट करता है। जोखिम प्रबंधन विभाग को, जब भी इस प्रकार के लेन-देन किए जाते हैं, उनके बारे में सूचित किया जाता है।

##### ii) जोखिम प्रबंधन, जोखिम रिपोर्टिंग एवं जोखिम निगरानी प्रणालियों का कार्यक्षेत्र एवं प्रकृति:

क) बैंक द्वारा संपन्न किए जाने वाले ब्याज दर स्वाप (आईआरएस), बचाव एवं कारोबार के प्रयोजन से हैं। उत्पाद के रूप में डेरिवेटिव की पेशकश आरबीआई मानदंडों के अनुसार ग्राहक को भी की जाती है। ऐसे लेन-देन आरबीआई के दिशानिर्देशों के आधार पर बनाई गई बैंक नीतियों के अनुरूप संपन्न किए जाते हैं।

ख) ब्याज दर स्वाप संविदाओं की शेष अवधि की बेंचमार्क ब्याज दरों के उतार-चढ़ाव के अनुसार ब्याज दर डेरिवेटिव लेन-देन में जोखिम की माप की जाती है। जोखिम को मापने के प्रयोजन से सभी ब्याज दर डेरिवेटिव लेन-देन को शामिल किया जाता है। जोखिम आकलन करके प्राप्त रिपोर्टों को प्रतिदिन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / कार्यपालक निदेशकों तथा नियत अवधि में निदेशक मंडल के समक्ष रखा जाता है। ब्याज दर डेरिवेटिव लेन-देन की मार्क टू मार्केट स्थिति पर जोखिम की निगरानी आधारित की जाती है।

##### iii) जोखिम से बचाव और/या प्रशमन की नीतियां तथा बचावों/प्रशमनों की निरंतर सक्रिय प्रभावशीलता की निगरानी हेतु कार्यनीतियां एवं प्रक्रियाएं :

आईआरएस को वास्तविक ब्याज दर, जिसमें अस्तित्वां या देयताएं अंतर्निहित होती हैं, आकलित किया जाता है। नोशनल मूल राशि एवं बचाव की परिपक्वता राशि, सन्निहित आस्ति/देयता के मूल्य एवं परिपक्वता से अधिक नहीं होती है। जोखिम की निगरानी बकाया ब्याज दर स्वाप संविदाओं के मार्क टू मार्केट आधार पर की जाती है तथा तदनुसार ही बचाव की प्रभावशीलता का निर्धारण किया जाता है। आईआरएस में प्रवेश के लिए संपार्श्विक की जरूरत नहीं है। पूंजीगत आवश्यकताओं का निर्धारण करने हेतु आईआरएस की नोशनल मूल राशि का गुणा प्रासंगिक परिवर्तन घटक एवं काउंटरपार्टी के संबंधित जोखिम भार से करके हिसाब में लिया जाता है।

#### प्रमानात्मक प्रकटीकरण:

##### काउंटरपार्टी ऋण जोखिम का एक्सपोजर:

₹ करोड़ में

विवरण	राशि
संविदाओं का कुल सकारात्मक मूल्य	159.59
नेटिंग लाभ	0.00
नेटड चालू ऋण एक्सपोजर	159.59
धारित संपार्श्विक	0.00
शुद्ध डेरिवेटिव ऋण एक्सपोजर	159.59

₹ करोड़ में

मद	नोशनल राशि	31.03.2023 की स्थिति के अनुसार चालू ऋण एक्सपोजर
क्रॉस सीसीवाई ब्याज दर स्वाप	0.00	0.00
अग्रगामी दर करार	36191.75	837.45
एकल सीसीवाई ब्याज दर स्वाप	6852.62	95.12
भविष्य ब्याज दर	0.00	0.00
ऋण डिफाल्ट स्वाप	0.00	0.00
कुल	43044.37	932.57



**Table DF-10**

**General Disclosure for Exposures Related to Counterparty Credit Risk**

**Qualitative Disclosures**

i) The Structure and organization for management of risk in derivatives trading:

The organization structure consists of Investment Wing at the Corporate level which report to the Executive Directors and Chairman & Managing Director and ultimately to the Board. Risk Management Department is informed of the transactions as and when they take place.

ii) The scope and nature of risk measurement, risk reporting and risk monitoring systems:

a) The Interest Rate Swap (IRS) transactions undertaken by the Bank are for hedging and trading purposes. Derivative as a product is also offered to the customer as per RBI norms. Such transactions are undertaken as per policies of the bank formulated based on RBI guidelines.

b) The risk is measured in the interest rate derivative transactions depending on the movement of benchmark interest rates for the remaining life of the interest rate swap contracts. All interest rate derivative transactions are included for the purpose of risk measurement. The risk is evaluated and reports are placed to the CMD / ED daily and Board periodically. Risk is monitored based on the mark to market position of the interest rate derivative transactions.

(iii) Policies for hedging and /or mitigating risk and strategies and processes for monitoring the continuing effectiveness of hedges/ mitigants:

IRS is undertaken on the actual interest bearing underlying assets or liabilities. The notional principal amount and maturity of the hedge does not exceed the value and maturity of underlying asset/liability. The risk is monitored on the mark to market basis of the outstanding interest rate swap contracts and accordingly the effectiveness of the hedge is determined. Collateral required upon entering into IRS is Nil. Notional principal amount of IRS multiplied by the relevant conversion factor and the respective risk weight of the counter party has been taken into account for determining the capital requirements.

**Quantitative Disclosure:**

**Exposure of Counterparty Credit Risk:**

Particulars	₹ in Cr	
	Amount	
Gross positive value of contracts	159.59	
Netting Benefits	0.00	
Netted current credit exposure	159.59	
Collateral held	0.00	
Net derivative credit exposure	159.59	

Item	₹ in Cr	
	Notional Amount	Current Credit Exposure As on 31.03.2023
Cross CCY Interest Rate Swaps	0.00	0.00
Forward Exchange Contracts	36191.75	837.45
Single CCY Interest Rate Swaps	6852.62	95.12
Interest Rate Futures	0.00	0.00
Credit Default Swaps	0.00	0.00
Total	43044.37	932.57

तालिका डीएफ - 11

पूँजी की संरचना

(₹ मिलियन में)

बासेल III सामान्य प्रकटीकरण तालिका		राशियां	संदर्भ
<b>सामान्य इक्विटी टियर 1 पूँजी : लिखत एवं आरक्षित निधियाँ</b>			
1	सीधे जारी विशेषक साधारण शेयर पूँजी और संबंधित स्टॉक आधिक्य (शेयर प्रीमियम)	155816.7	
2	प्रतिधारित उपार्जन	16185.7	
3	संचित अन्य व्यापक आय (एवं अन्य आरक्षित निधियाँ)	64169.9	
4	सीईटी1 से चरणबद्ध समाप्ति के अधीन सीधे जारी की गई पूँजी (केवल गैर संयुक्त स्टॉक कंपनियों पर प्रयोज्य)		
5	सहायकों द्वारा जारी एवं अन्य पार्टियों द्वारा धारित सामान्य शेयर पूँजी (समूह सीईटी1 में अनुमत राशि)		
6	<b>सामान्य इक्विटी टियर 1 पूँजी विनियमनकारी समायोजनों से पूर्व</b>	<b>236172.3</b>	
<b>सामान्य इक्विटी टियर 1 पूँजी : विनियमनकारी समायोजन</b>			
7	विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन	12713.8	
8	सुनाम (संबंधित कर देयता को छोड़कर)		
9	अमूर्त वस्तुएँ (संबंधित कर देयता का निवल)		
10	आस्थगित कर आस्तियाँ	74114.4	
11	नकद प्रवाह बचाव आरक्षित निधि		
12	अपेक्षित हानियों के प्रावधानों में कमी		
13	बिक्री पर प्रतिभूतिकरण लाभ		
14	उचित मूल्यांकित देयताओं पर स्वयं के ऋण जोखिम में परिवर्तन के कारण लाभ एवं हानियाँ		
15	निर्धारित-लाभ पेंशन निधि निवल आस्तियाँ		
16	स्वयं के शेयरों में निवेश (यदि रिपोर्ट किए गए तुलन पत्र पर पहले ही प्रदत्त पूँजी से अलग न किया गया हो)		
17	सामान्य इक्विटी में पारस्परिक प्रतिधारिता		
18	बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा निकायों की पूँजी में निवेश जो नियमनकारी समेकन के क्षेत्र से बाहर हैं, पात्र कमी की स्थितियों को छोड़कर हैं, जहाँ बैंक जारी की गई शेयर पूँजी के 10% से ज्यादा का स्वामी नहीं है (राशि 10% प्रारंभिक से ज्यादा)		
19	बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा निकायों के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश जो नियमनकारी समेकन के क्षेत्र से बाहर हैं, पात्र कमी की स्थितियों को छोड़कर हैं (राशि 10% प्रारंभिक से ज्यादा)		
20	बंधक चुकौती अधिकार (राशि 10% प्रारंभिक से ज्यादा)		
21	अस्थायी अंतरों से उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियाँ (राशि 10% प्रारंभिक से ज्यादा, संबंधित कर देयता को छोड़कर)		

22	15% प्रारंभिक से अधिक राशि		
23	जिसमें से: वित्तीय निकायों के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश		
24	जिसमें से: बंधक चुकौती अधिकार		
25	जिसमें से: अस्थायी अंतरों से उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियाँ		
26	राष्ट्रीय विशिष्ट नियमनकारी समायोजन (26क+26ख + 26ग + 26घ)		
	26क जिसमें से: असमेकित बीमा सहायकों की ईक्विटी पूँजी में निवेश		
	26ख जिसमें से: असमेकित गैर-वित्तीय सहायकों की ईक्विटी पूँजी में निवेश		
	26ग जिसमें से: प्रधान रूप से स्वाधिकृत वित्तीय निकायों की ईक्विटी पूँजी में कमी जिसे बैंक के साथ समेकित नहीं किया गया है।		
	26घ जिसमें से: अपरिशोधित पेंशन निधि व्यय		
27	कटौतियों को पूरा करने में अपर्याप्त अतिरिक्त टियर 1 एवं टियर 2 के कारण सामान्य ईक्विटी टियर 1 पर लागू नियमनकारी समायोजन		
28	सामान्य ईक्विटी टियर 1 को कुल नियमनकारी समायोजन	86828.2	
29	<b>सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूँजी (सीईटीआई)</b> <b>अतिरिक्त टियर 1 पूँजी: लिखत</b>	149344.1	
30	सीधे जारी विशेषक अतिरिक्त टियर 1 लिखत के साथ संबंधित स्टॉक आधिक्य (31+32)	-	
31	जिसमें से: प्रयोज्य लेखांकन मानकों के तहत ईक्विटी के रूप में वर्गीकृत (स्थायी असंचयी अधिमानी शेयर)	-	
32	जिसमें से: प्रयोज्य लेखांकन मानकों के तहत देयताओं के रूप में वर्गीकृत (स्थायी ऋण लिखत)		
33	अतिरिक्त टियर 1 से चरणबद्ध समाप्ति के अधीन सीधे जारी पूँजी लिखत		
34	सहायकों द्वारा जारी एवं अन्य पार्टी द्वारा धारित अतिरिक्त टियर 1 लिखत (एवं सीआईटी 1 लिखत जो पंक्ति 5 में शामिल नहीं है) समूह एटी1 में अनुमत राशि	5000.0	
35	<i>जिसमें से: चरणबद्ध समाप्ति के अधीन सहायकों द्वारा जारी लिखत</i>		
36	<b>अतिरिक्त टियर 1 पूँजी नियमनकारी समायोजन से पूर्व</b> <b>अतिरिक्त टियर 1 पूँजी: नियमनकारी समायोजन</b>	5000.0	
37	स्वयं के अतिरिक्त टियर 1 लिखत में निवेश		
38	अतिरिक्त टियर 1 लिखत में पारस्परिक प्रतिधारिता		
39	बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा निकायों की पूँजी में निवेश जो नियमनकारी समेकन के क्षेत्र से बाहर हैं, पात्र कमी की स्थितियों को छोड़कर हैं, जहाँ बैंक जारी की गई शेयर पूँजी के 10% से ज्यादा का स्वामी नहीं है (राशि 10% प्रारंभिक से ज्यादा)		
40	बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा निकायों की पूँजी में महत्वपूर्ण निवेश जो नियमनकारी समेकन के क्षेत्र से बाहर हैं, पात्र कमी की स्थितियों को छोड़कर हैं (राशि 10% प्रारंभिक से ज्यादा)		
41	राष्ट्रीय विशिष्ट नियमनकारी समायोजन (41क+41ख)		
	41क जिसमें से असमेकित बीमा सहायकों की अतिरिक्त टियर 1 पूँजी में निवेश		
	41ख जिसमें से प्रधान रूप से स्वाधिकृत, वित्तीय निकायों की अतिरिक्त टियर 1 पूँजी में कमी जिसे बैंक के साथ समेकित नहीं किया गया है।		
42	कटौतियों को पूरा करने में अपर्याप्त टियर 2 के कारण अतिरिक्त टियर 1 पर लागू नियमनकारी समायोजन		
43	<b>अतिरिक्त टियर 1 पूँजी को कुल नियमनकारी समायोजन</b>	-	
44	<b>अतिरिक्त टियर 1 पूँजी (एटी1)</b>	5000.0	
45	<b>टियर 1 पूँजी (टी1 =सीईटी 4 एटी 1) (29 - 44)</b>	154344.1	
	<b>टियर 2 पूँजी: लिखत एवं प्रावधान</b>		
46	सीधे जारी विशेषक अतिरिक्त टियर 2 लिखत के साथ संबंधित स्टॉक आधिक्य		
47	टियर 2 से चरणबद्ध समाप्ति के अधीन सीधे जारी पूँजी लिखत	15000.0	
48	सहायकों द्वारा जारी एवं अन्य पार्टी द्वारा धारित टियर 2 लिखत(एवं सीईटीआई एवं एटी1 लिखत जो पंक्ति 5 या 34 में शामिल नहीं है) समूह टियर 2 में अनुमत राशि		
49	<i>जिसमें से: चरणबद्ध समाप्ति के अधीन सहायकों द्वारा जारी लिखत</i>		
50	प्रावधान	13251.8	
51	<b>टियर 2 पूँजी नियमनकारी समायोजन से पूर्व</b> <b>टियर 2 पूँजी: नियमनकारी समायोजन</b>	28251.8	

52	स्वयं के टियर 2 लिखत में निवेश	72.1	
53	टियर 2 लिखत में पारस्परिक प्रतिधारिता		
54	बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा निकायों की पूँजी में निवेश जो नियमनकारी समेकन के क्षेत्र से बाहर हैं, पात्र कमी की स्थितियों को छोड़कर हैं, जहाँ बैंक जारी की गई शेयर पूँजी के 10% से ज्यादा का स्वामी नहीं है (राशि 10% प्रारंभिक से ज्यादा)		
55	बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा निकायों की पूँजी में महत्वपूर्ण निवेश जो नियमनकारी समेकन के क्षेत्र से बाहर हैं (पात्र कमी की स्थितियों को छोड़कर)		
56	राष्ट्रीय विशिष्ट नियमनकारी समायोजन (56क+56ख) 56क जिसमें से कमी जिसे बैंक के साथ समेकित नहीं किया गया है। 56ख जिसमें से: प्रधान रूप से स्वाधिकृत, वित्तीय निकायों की टियर 2		
57	<b>टियर 2 पूँजी को कुल नियमनकारी समायोजन</b>	72.1	
58	<b>टियर 2 पूँजी (टी2)</b>	28179.7	
59	<b>कुल पूँजी (टीसी=टी1 + टी2) (45 + 58)</b>	<b>182523.8</b>	
60	<b>कुल जोखिम भारत आस्तियाँ (60क+ 60ख + 60ग)</b>	<b>1105577.3</b>	
	60क जिसमें से: कुल ऋण जोखिम भारत आस्तियाँ	858829.7	
	60ख जिसमें से: कुल बाजार जोखिम भारत आस्तियाँ	82143.3	
	60ग जिसमें से: कुल परिचालन जोखिम भारत आस्तियाँ	164604.3	
	<b>पूँजी अनुपात एवं वफर</b>		
61	सामान्य ईक्विटी टियर 1 (जोखिम भारत आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	13.51%	
62	टियर1 (जोखिम भारत आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	13.96%	
63	कुल पूँजी (जोखिम भारत आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	16.51%	
64	संस्था विशिष्ट अतिरिक्त आवश्यकता (न्यूनतम सीईटी1 आवश्यकता के साथ पूँजी संरक्षण एवं प्रतिचक्रिय अतिरिक्त आवश्यकता, जोखिम भारत आस्तियों के प्रतिशत के रूप में व्यक्त)		
65	जिसमें से: पूँजी संरक्षण की अतिरिक्त आवश्यकता		
66	जिसमें से: बैंक विशिष्ट प्रतिचक्रिय अतिरिक्त आवश्यकता		
67	जिसमें से: जी-एसआईबी अतिरिक्त आवश्यकता		
68	बफर को पुरक करने के लिए उपलब्ध सामान्य ईक्विटी टियर-1 पूँजी की उपलब्धता (जोखिम भार आस्तियों के प्रतिशत के रूप में) <b>राष्ट्रीय न्यूनतम (यदि बासेल III से भिन्न हो)</b>		
69	राष्ट्रीय सामान्य ईक्विटी टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बासेल III के न्यूनतम से भिन्न हो)		
70	राष्ट्रीय टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बासेल III के न्यूनतम से भिन्न हो)		
71	राष्ट्रीय कुल पूँजी न्यूनतम अनुपात (यदि बासेल III के न्यूनतम से भिन्न हो) <b>कटौती के लिए प्रारंभिक से कम राशि (जोखिम भार-निर्धारण से पूर्व)</b>		
72	अन्य वित्तीय निकायों की पूँजी में गैर-महत्वपूर्ण निवेश		
73	वित्तीय निकायों के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश		
74	बंधक चुकौती अधिकार (संबंधित कर देयता को छोड़कर)		
75	अस्थायी अंतरों से उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियाँ (संबंधित कर देयता को छोड़कर)		
	<b>टियर 2 के प्रावधानों के शामिल होने पर प्रयोज्य अधिकतम सीमाएँ</b>		
76	मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन ऋण जोखिम के संबंध में टियर 2 में शामिल करने के योग्य प्रावधान (अधिकतम सीमा लागू होने से पूर्व)		
77	मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत टियर 2 के प्रावधानों को शामिल करने पर लागू अधिकतम सीमा		
78	आंतरिक श्रेणी-निर्धारण आधारित दृष्टिकोण के अधीन ऋण जोखिम के संबंध में टियर 2 में शामिल करने योग्य प्रावधान (अधिकतम सीमा लागू होने से पूर्व)		
79	आंतरिक श्रेणी-निर्धारण आधारित दृष्टिकोण के तहत टियर 2 के प्रावधानों को शामिल करने पर लागू अधिकतम सीमा		

**Table DF - 11**  
**Composition of Capital**

(₹ in million)

Basel III common disclosure template		Amounts	Ref No.
<b>Common Equity Tier 1 capital: Instruments and reserves</b>			
1	Directly issued qualifying common share capital plus related stock surplus (share premium)	155816.7	
2	Retained earnings	16185.7	
3	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	64169.9	
4	<i>Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies<sup>1</sup>)</i>		
5	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)		
6	<b>Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments</b>	<b>236172.3</b>	
<b>Common Equity Tier 1 capital: regulatory adjustments</b>			
7	Prudential valuation adjustments	12713.8	
8	Goodwill (net of related tax liability)		
9	Intangibles (net of related tax liability)		
10	Deferred tax assets	74114.4	
11	Cash-flow hedge reserve		
12	Shortfall of provisions to expected losses		
13	Securitisation gain on sale		
14	Gains and losses due to changes in own credit risk on fair valued liabilities		
15	Defined-benefit pension fund net assets		
16	Investments in own shares (if not already netted off paid-in capital on reported balance sheet)		
17	Reciprocal cross-holdings in common equity		
18	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued share capital (amount above 10% threshold)		
19	Significant investments in the common stock of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions (amount above 10% threshold)		
20	Mortgage servicing rights (amount above 10% threshold)		
21	Deferred tax assets arising from temporary differences (amount above 10% threshold, net of related tax liability)		
22	Amount exceeding the 15% threshold		
23	of which: significant investments in the common stock of financial entities		

24	of which: mortgage servicing rights		
25	of which: deferred tax assets arising from temporary differences		
26	National specific regulatory adjustments (26a+26b+26c+26d)		
	26a <i>of which</i> : Investments in the equity capital of the unconsolidated insurance subsidiaries		
	26b <i>of which</i> : Investments in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries		
	26c <i>of which</i> : Shortfall in the equity capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank		
	26d <i>of which</i> : Unamortised pension funds expenditures		
27	Regulatory adjustments applied to Common Equity Tier 1 due to insufficient Additional Tier 1 and Tier 2 to cover deductions		
28	Total regulatory adjustments to Common equity Tier 1	86828.2	
29	<b>Common Equity Tier 1 capital (CET1)</b>	<b>149344.1</b>	
	<b>Additional Tier 1 capital: instruments</b>		
30	Directly issued qualifying Additional Tier 1 instruments plus related stock surplus (Share Premium) (31+32)	-	
31	of which: classified as equity under applicable accounting standards (Perpetual Non-Cumulative Preference Shares)	-	
32	of which: classified as liabilities under applicable accounting standards (Perpetual debt Instruments)		
33	<i>Directly issued capital instruments subject to phase out from Additional Tier 1</i>		
34	Additional Tier 1 instruments (and CET1 instruments not included in row 5) issued by subsidiaries and held by third parties amount allowed in group AT1	5000.0	
35	<i>of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out</i>		
36	<b>Additional Tier 1 capital before regulatory adjustments</b>	5000.0	
	<b>Additional Tier 1 capital: regulatory adjustments</b>		
37	Investments in own Additional Tier 1 instruments		
38	Reciprocal cross-holdings in Additional Tier 1 instruments		
39	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above 10% threshold)		
40	Significant investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)		
41	National specific regulatory adjustments (41a+41b)		
	41a Of which : Investments in the Additional Tier 1 capital of unconsolidated insurance subsidiaries		
	41b Of which : Shortfall in the additional Tier 1 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank		
42	Regulatory adjustments applied to Additional Tier 1 due to insufficient Tier 2 to cover deductions		
43	<b>Total regulatory adjustments to Additional Tier 1 capital</b>	-	
44	<b>Additional Tier 1 capital (AT1)</b>	5000.0	
45	<b>Tier 1 capital (T1 = CET1 + AT1) (29 + 44)</b>	<b>154344.1</b>	
	<b>Tier 2 capital: instruments and provisions</b>		
46	Directly issued qualifying Tier 2 instruments plus related stock surplus		
47	Directly issued capital instruments subject to phase out from Tier 2	15000.0	
48	Tier 2 instruments (and CET1 and AT1 instruments not included in rows 5 or 34) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group Tier 2)		
49	<i>of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out</i>		
50	Provisions	13251.8	
51	<b>Tier 2 capital before regulatory adjustments</b>	<b>28251.8</b>	

	<b>Tier 2 capital: regulatory adjustments</b>		
52	Investments in own Tier 2 instruments	72.1	
53	Reciprocal cross-holdings in Tier 2 instruments		
54	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above the 10% threshold)		
55	Significant investments in the capital banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)		
56	National specific regulatory adjustments (56a+56b)		
	56a of which: Investments in the Tier 2 capital of unconsolidated insurance subsidiaries		
	56b of which: Shortfall in the Tier 2 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank		
57	<b>Total regulatory adjustments to Tier 2 capital</b>	72.1	
58	<b>Tier 2 capital (T2)</b>	28179.7	
59	<b>Total capital (TC = T1 + T2) (45 + 58)</b>	<b>182523.8</b>	
60	<b>Total Risk weighted assets (60a + 60b + 60c)</b>	<b>1105577.3</b>	
	60a of which: total credit risk weighted assets	858829.7	
	60b of which: total market risk weighted assets	82143.3	
	60c of which: total operational risk weighted assets	164604.3	
	<b>Capital Ratios &amp; Buffers</b>		
61	Common Equity Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	13.51%	
62	Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	13.96%	
63	Total capital (as a percentage of risk weighted assets)	16.51%	
64	Institution specific buffer requirement (minimum CET1 requirement plus capital conservation and countercyclical buffer requirements, plus G-SIB buffer requirement, expressed as a percentage of risk weighted assets)		
65	of which: capital conservation buffer requirement		
66	of which: bank specific countercyclical buffer requirement		
67	of which: G-SIB buffer requirement		
68	Common Equity Tier 1 available to meet buffers (as a percentage of risk weighted assets)		
	<b>National minima (if different from Basel III)</b>		
69	National Common Equity Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)		
70	National Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)		
71	National total capital minimum ratio (if different from Basel III minimum)		
	<b>Amounts below the thresholds for deduction (before risk weighting)</b>		
72	Non-significant investments in the capital of other financial entities		
73	Significant investments in the common stock of financial entities		
74	Mortgage servicing rights (net of related tax liability)		
75	Deferred tax assets arising from temporary differences (net of related tax liability)		
	<b>Applicable caps on the inclusion of provisions in Tier 2</b>		
76	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to standardised approach (prior to application of cap)		
77	Cap on inclusion of provisions in Tier 2 under standardised approach		
78	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to internal ratings-based approach (prior to application of cap)		
79	Cap for inclusion of provisions in Tier 2 under internal ratings-based approach		

तालिका डीएफ - 12

पूँजी की संरचना - समाधान की अपेक्षाएं

चरण - 1

		(₹ मिलियन में)	
		रिपोर्टिंग तारीख की स्थिति के अनुसार वित्तीय विवरणों में यथारूप तुलन-पत्र	रिपोर्टिंग तारीख की स्थिति के अनुसार समेकन के विनियामक विस्तार के अंतर्गत तुलन-पत्र
<b>क</b>	<b>पूँजी एवं देयताएं</b>		
i	प्रदत्त पूँजी आरक्षित एवं अधिक निधि अल्प संख्य ब्याज शेयर एप्लीकेशन राशी कुल पूँजी	119559.6 138085.5   257645.1	
ii	जमाराशि जिसमें से : बैंक जमाराशि जिसमें से : ग्राहक जमाराशि जिसमें से : अन्य जमाराशि (कृपया उल्लेख करें)	2493377.4 60078.8 2433298.6	
iii	उधार जिसमें से: भा.रि. बैंक से जिसमें से: बैंकों से जिसमें से: अन्य एजेंसियों एवं संस्थाओं से जिसमें से: अन्य (भारत से बाहर) जिसमें से: पूँजीगत लिखत	205010.8 00.000 142318.4 44830.2 2862.2 15000.0	
iv	अन्य देयताएं एवं प्रावधान	52596.6	
<b>कुल</b>		<b>3008629.9</b>	
<b>ख</b>	<b>आस्तियां</b>		
i	भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी एवं शेष अल्प सूचना और मांग पर और बैंक के पास शेष	103000.1 184280.9	
ii	निवेश : जिसमें से : सरकारी प्रतिभूति जिसमें से : अन्य अनुमोदित प्रतिभूति जिसमें से : शेयर जिसमें से : ऋणपत्र एवं बांड जिसमें से : सहायक कंपनी / संयुक्त उद्यम / सहायक जिसमें से : अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्युच्युल फंड आदि)	951693.5 700543.3 00.0 3373.6 236228.1 1985.6 9592.9	
iii	ऋण एवं अग्रिम जिसमें से : बैंकों को ऋण एवं अग्रिम जिसमें से : ग्राहकों को ऋण एवं अग्रिम	1558701.8 32568.4 1526133.4	
iv	अचल आस्ति	35095.1	
v	अन्य आस्तियां जिसमें से : साख एवं अमूर्त आस्तियां जिसमें से : आस्थगित कर आस्तियां जिसमें से : अन्य	175858.5  82091.1 93767.4	
vi	समेकन पर साख		
vii	आय एवं व्यय खाते में नामे शेष		
<b>कुल आस्तियां</b>		<b>3008629.9</b>	



		(₹ मिलियन में)	
		रिपोर्टिंग तारीख की स्थिति के अनुसार वित्तीय विवरणों में यथारूप तुलन-पत्र	रिपोर्टिंग तारीख की स्थिति के अनुसार समेकन के विनियामक विस्तार के अंतर्गत तुलन-पत्र
<b>क</b>	<b>पूंजी एवं देयताएं</b>		
i	प्रदत्त पूंजी जिसमें से : सीईटी 1 के लिए पात्र राशि जिसमें से : एटी 1 के लिए पात्र राशि आरक्षित एवं अधिक निधि शेयर एप्लीकेशन राशि अल्पसंख्य ब्याज कुल पूंजी	119559.6 119559.6 0.00 138085.5 0.00 257645.1	
ii	जमाराशि जिसमें से : बैंकों से जमाराशि जिसमें से : ग्राहक जमाराशि जिसमें से : अन्य जमाराशियां (कृपया उल्लेख करें)	2493377.4 60078.8 2433298.6	
iii	उधार जिसमें से : भा.रि. बैंक से जिसमें से : बैंकों से जिसमें से : अन्य संस्थाओं एवं एजेंसियों से जिसमें से : अन्य (कृपया उल्लेख करें) जिसमें से : पूंजीगत लिखत	205010.8 00.000 142318.4 44830.2 2862.2 15000.0	
iv	अन्य देयताएं एवं प्रावधान जिसमें से : साख से संबद्ध डीएलटी जिसमें से : अमूर्त आस्तियों से संबद्ध डीएलटी <b>कुल</b>	52596.6 <b>3008629.9</b>	
<b>ख</b>	<b>आस्तियां</b>		
i	भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी और शेष अल्प सूचना और मांग पर और बैंक के पास शेष और बैंक के पास शेष	103000.1 184280.9	
ii	निवेश जिसमें से : सरकारी प्रतिभूतियां जिसमें से : अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां जिसमें से : शेयर जिसमें से : ऋण-पत्र एवं बांड जिसमें से : सहायक कंपनियों/ संयुक्त उद्यम / सहायक जिसमें से : अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्युचुअल फंड आदि)	951693.5 700543.3 00.0 3373.6 236228.1 1985.6 9592.9	
iii	ऋण एवं अग्रिम जिसमें से : बैंकों को ऋण एवं अग्रिम जिसमें से : ग्राहकों को ऋण एवं अग्रिम	1558701.8 32568.4 1526133.4	
iv	अचल आस्तियां	35095.1	
v	अन्य आस्तियां	175858.5	
	जिसमें से : साख और अमूर्त आस्तियां जिसमें से : साख अन्य अमूर्त आस्तियां (एमएसआर छोड़कर) आस्थगिक कर आस्तियां अन्य	82091.1 93767.4	
vi	समेकन पर साख		
vii	आय व व्यय खाते में नामे शेष		
	<b>कुल आस्तियां</b>	<b>3008629.9</b>	

**सामान्य ईक्विटी टीयर 1 पूंजी : लिखत एवं आरक्षित निधियां**

		(₹ मिलियन में)	
		बैंक द्वारा रिपोर्ट की गई विनियामक पूंजी के घटक	चरण 2 में से विनियामक विस्तार के अंतर्गत तुलन-पत्र के पत्रों/संदर्भों पर आधारित स्रोत
1	सीधे निर्गत विशेषक सामान्य शेयर(और गैर संयुक्त पूंजी कंपनियों के लिए समकक्ष) पूंजी प्लस संबद्ध शेयर आधिक्य	155816.7	
2	प्रतिधारित आमदनी	16185.7	
3	संचित अन्य व्यापक आय (एवं अन्य आरक्षित निधियां)	64169.9	
4	सीईटी 1 से चरणबद्ध रूप से (केवल गैर संयुक्त उद्यम कंपनियों पर लागू) बाहर किए जाने के विषयाधीन प्रत्यक्ष निर्गत पूंजी		
5	सहायक कंपनियों द्वारा जारी एवं अन्य पक्षकारों (ग्रुप सीईटी 1 में अनुमत राशि) द्वारा धारित सामान्य शेयर पूंजी		
6	विनियामक समायोजनों के पूर्व सामान्य ईक्विटी टीयर 1 पूंजी	236172.3	
7	विवेकसम्मत मूल्यांकन समायोजन	12713.8	
8	साख (संबद्ध कर दायित्व को घटाकर)		
9	आस्थगित कर आस्तियां	74114.4	

Table DF – 12

**Composition of Capital – Reconciliation Requirements****Step - 1**

		(₹ in million)	
		Balance sheet as in financial statements As on reporting date	Balance sheet under regulatory scope of consolidation As on reporting date
<b>A</b>	<b>Capital &amp; Liabilities</b>		
i	Paid-up Capital	119559.6	
	Reserves & Surplus	138085.5	
	Minority Interest		
	Share Application Money		
	<b>Total Capital</b>	<b>257645.1</b>	
ii	Deposits	2493377.4	
	<i>of which:</i> Deposits from banks	60078.8	
	<i>of which:</i> Customer deposits	2433298.6	
	<i>of which:</i> Other deposits (pl. specify)		
iii	Borrowings	205010.8	
	<i>of which:</i> From RBI	00.000	
	<i>of which:</i> From banks	142318.4	
	<i>of which:</i> From other institutions & agencies	44830.2	
	<i>of which:</i> Others (Outside India)	2862.2	
	<i>of which:</i> Capital instruments	15000.0	
iv	Other liabilities & provisions	52596.6	
	<b>Total</b>	<b>3008629.9</b>	
<b>B</b>	<b>Assets</b>		
i	Cash and balances with Reserve Bank of India	103000.1	
	Balance with banks and money at call and short notice	184280.9	
ii	Investments:	951693.5	
	<i>of which:</i> Government securities	700543.3	
	<i>of which:</i> Other approved securities	00.0	
	<i>of which:</i> Shares	3373.6	
	<i>of which:</i> Debentures & Bonds	236228.1	
	<i>of which:</i> Subsidiaries / Joint Ventures / Associates	1985.6	
	<i>of which:</i> Others (Commercial Papers, Mutual Funds etc.)	9592.9	
iii	Loans and advances	1558701.8	
	<i>of which:</i> Loans and advances to banks	32568.4	
	<i>of which:</i> Loans and advances to customers	1526133.4	
iv	Fixed assets	35095.1	
v	Other assets	175858.5	
	<i>of which:</i> Goodwill and intangible assets		
	<i>of which:</i> Deferred tax assets	82091.1	
	<i>of which:</i> Others	93767.4	
vi	Goodwill on consolidation		
vii	Debit balance in Profit & Loss account		
	<b>Total Assets</b>	<b>3008629.9</b>	

		(₹ in million)	
		Balance sheet as in financial statements As on reporting date	Balance sheet under regulatory scope of consolidation As on reporting date
<b>A</b>	<b>Capital &amp; Liabilities</b>		
i	Paid-up Capital <i>of which:</i> Amount eligible for CET1 <i>of which:</i> Amount eligible for AT1 Reserves & Surplus Share Application Money Minority Interest Total Capital	119559.6 119559.6 0.00 138085.5 0.00 <b>257645.1</b>	
ii	Deposits <i>of which:</i> Deposits from banks <i>of which:</i> Customer deposits <i>of which:</i> Other deposits (pl. specify)	2493377.4 60078.8 2433298.6	
iii	Borrowings <i>of which:</i> From RBI <i>of which:</i> From banks <i>of which:</i> From other institutions & & agencies <i>of which:</i> Others (Outside India) <i>of which:</i> Capital instruments	205010.8 00.000 142318.4 44830.2 2862.2 15000.0	
iv	Other liabilities & provisions <i>of which:</i> DTLs related to goodwill <i>of which:</i> DTLs related to intangible assets <b>Total</b>	52596.6 <b>3008629.9</b>	
<b>B</b>	<b>Assets</b>		
i	Cash and balances with Reserve Bank of India	103000.1	
	Balance with banks and money at call and short notice	184280.9	
ii	Investments <i>of which:</i> Government securities <i>of which:</i> Other approved securities <i>of which:</i> Shares <i>of which:</i> Debentures & Bonds <i>of which:</i> Subsidiaries / Joint Ventures / Associates <i>of which:</i> Others (Commercial Papers, Mutual Funds etc.)	951693.5 700543.3 00.000 3373.6 236228.1 1985.6 9592.9	
iii	Loans and advances <i>of which:</i> Loans and advances to banks <i>of which:</i> Loans and advances to customers	1558701.8 32568.4 1526133.4	
iv	Fixed assets	35095.1	
v	Other assets <i>of which:</i> Goodwill and intangible assets <i>Out of which:</i> Goodwill Other intangibles (excluding MSRs) Deferred tax assets Others	175858.5  82091.1 93767.4	
vi	Goodwill on consolidation		
vii	Debit balance in Profit & Loss account		
	<b>Total Assets</b>	<b>3008629.9</b>	

### Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves

		(₹in million)	
		Component of regulatory capital reported by bank	Source based on reference numbers/ letters of the balance sheet under the regulatory scope of consolidation from step 2
1	Directly issued qualifying common share (and equivalent for non-joint stock companies) capital plus related stock surplus	155816.7	
2	Retained earnings	16185.7	
3	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	64169.9	
4	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies)		
5	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)		
6	Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments	236172.3	
7	Prudential valuation adjustments	12713.8	
8	Goodwill (net of related tax liability)		
9	Deferred tax assets	74114.4	

तालिका डीएफ - 13

नियमनकारी पूँजी लिखत की प्रमुख विशेषताएँ

लिखत : ईक्विटी शेयर		
1	जारीकर्ता	यूको बैंक
2	यूनीक पहचानकर्ता (उदा. निजी प्लेसमेंट के लिए सीयूएसआईपी. आईसीआईएन या ब्लूमबर्ग)	आईएनई691ए01018
3	लिखत को शासित करनेवाले नियम	प्रयोज्य भारतीय संविधि एवं
	विनियमनकारी उपचार	विनियमनकारी आवश्यकताएँ
4	संक्रामी बासेल III नियम	कॉमन ईक्विटी टियर 1
5	पश्च-संक्रामी बासेल III नियम	कॉमन ईक्विटी टियर 1
6	एकल/समूह/समूह एवं एकल का पात्र	एकल
7	लिखत का प्रकार	ईक्विटी — कॉमन शेयर
8	नियमनकारी पूँजी के लिए निर्धारित राशि (सबसे निकट की रिपोर्टिंग तारीख को, रु. मिलियन में)	119559.58
9	लिखत का सममूल्य	₹10/- प्रति कॉमन शेयर
10	लेखांकन वर्गीकरण	ईक्विटी पूँजी
11	जारी करने की मूल तारीख	दिसंबर 1969 एवं उसके बाद
		की विविध तारीखें
12	स्थायी रूप से या तारीख पर	स्थायी
13	मूलभूत परिपक्वता तिथि	लागू नहीं
14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा मांग	लागू नहीं
15	वैकल्पिक मांग तिथि, आकरिमक मांग तिथियाँ एवं प्रतिदान राशि	लागू नहीं
16	परवर्ती मांग तिथियाँ, यदि लागू हो	लागू नहीं
	कूपन/डिविडेंड	डिविडेंड
17	नियत या चल डिविडेंड/कूपन	चल डिविडेंड
18	कूपन की दर या कोई भी संबंधित सूचकांक	लागू नहीं
19	डिविडेंड रोधक का अस्तित्व	लागू नहीं
20	पूर्णतया विवेकानुसार, अंशतः विवेकानुसार या अनिवार्य	पूर्णतया विवेकानुसार
21	प्रतिदान हेतु वृद्धिशील या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	लागू नहीं
22	असंचयी या संचयी	असंचयी
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	लागू नहीं
24	यदि परिवर्तनीय तो परिवर्तन का/के उत्प्रेरक	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय तो परिवर्तन की दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय तो लिखत का वह प्रकार बताएँ जिसमें परिवर्तनीय	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय तो जिस लिखत में परिवर्तित हो उसका जारीकर्ता	लागू नहीं
30	मूल्य-घटाव की उपलब्धता	नहीं
31	यदि मूल्य-घटाव है तो उसका उत्प्रेरक	लागू नहीं
32	यदि मूल्य-घटाव है तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
33	यदि मूल्य-घटाव है तो स्थायी या अस्थायी	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी मूल्य-घटाव है तो मूल्य बढ़ाने की प्रणाली का विवरण	लागू नहीं
35	परिसमापन में अधीनस्थता श्रेणी में स्थिति (अगले क्रमिक वरिष्ठ लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	सभी अन्य देनदारों के अधीनस्थ
36	गैर-अनुपालक संक्रामित लक्षण	लागू नहीं
37	यदि हाँ तो गैर-अनुपालक लक्षणों का उल्लेख करें	लागू नहीं

**लिखत : अप्रतिभूत प्रतिदेय अपरिवर्तनीय गौण बासेल III अनुपालित टियर -II बांड 9.644% शृंखला II**

1	जारीकर्ता	यूको बैंक
2	यूनीक पहचानकर्ता (जैसे सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या निजी प्लेसमेंट के लिए ब्लूमबर्गपहचान कर्ता)	आईएनई 691 ए 08054 <b>INE691A08054</b>
3	लिखत को शासित करनेवाले नियम <i>विनियमनकारी उपचार</i>	भारतीय विधि
4	संक्रामी बासेल III नियम	टियर-II
5	(घनु कोष्टक खुला) बासेल III नियम	पात्र
6	एकल/ समूह/ समूह और एकल का पात्र	एकल
7	लिखत प्रकार	अधीनस्थ टियर-II
8	विनियमनकारी पूंजी के लिए निर्धारित राशि (सबसे निकट की रिपोर्टिंग तारीख को, रु मिलियन में)	5000
9	लिखत का सममूल्य	5000 मिलियन (प्रति बांड एक मिलियन)
10	लेखांकन वर्गीकरण	उधार
11	जारी करने की मूल तारीख	28.06.2019
12	स्थायी रूप से या तारीख पर	दिनांकित
13	मूल परिपक्वता की तिथि	28.06.2029
14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा मांग	हाँ
15	वैकल्पिक मांग तिथि, आकस्मिक मांग तिथियाँ एवं प्रतिदान राशि	कॉल विकल्प नहीं
16	परिवर्ती मांग तिथियाँ, यदि लागू हो <i>कूपन/ डिविडेंड</i>	लागू नहीं
17	नियत या चल <i>डिविडेंड/ कूपन</i>	निश्चित
18	कूपन की दर या कोई भी संबंधित सूचकांक	बांड की परिपक्वता तक प्रतिवर्ष 9.644% देय
19	डिविडेंड रोधक का अस्तित्व	नहीं
20	पूर्णतया विवेकानुसार, अंशतः विवेकानुसार या अनिवार्य	अंशतः विवेकाधीन
21	प्रतिदान हेतु वृद्धिशील या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	नहीं
22	असंचयी या संचयी	असंचयी
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन का/ के उत्प्रेरक	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय है तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन की दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय है तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय है तो लिखत का वह प्रकार बताएँ जिसमें परिवर्तनीय	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय है तो जिस लिखत में परिवर्तित हो उसका जारीकर्ता	लागू नहीं
30	मूल्य-घटाव की उपलब्धता	हाँ
31	यदि मूल्य- घटाव है तो उसका उत्प्रेरक	भारतीय रिजर्व बैंक के विकल्प पर "प्वाईट ऑफ नॉन वायबिलिटी ट्रिगर" नामक ट्रिगर का समय आने पर बॉण्डों को स्थायी रूप से बट्टे खाते डाला जा सकता है। पी ओ एन वी ट्रिगर का समय निम्नांकित से पहले आएगी: क) निर्णय कि स्थायी रूप से बट्टे खाते डालना, जिसके बिना बैंक गैर अर्थक्षम हो जाएगा, आरबीआई के निर्धारण के अनुसार आवश्यक है; और ख) पूंजी की सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश या उसके समतुल्य का निर्णय, प्रासंगिक प्राधिकारी के निर्धारण के अनुसार जिसके बिना बैंक गैर अर्थक्षम हो जाएगा। ऐसे निर्णय का सीधा सा अर्थ यह होगा कि ट्रिगर की घड़ी के पश्चात बट्टे खाते डालने की घटना किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के पूंजी निवेश से पहले ही होगी ताकि सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा प्रदत्त पूंजी का तनूकरण न हो।

32	यदि मूल्य-घटाव है तो पूर्णतः या अंशतः	पूर्ण
33	यदि मूल्य-घटाव है तो स्थायी या अस्थायी	स्थायी
34	यदि अस्थायी मूल्य- घटाव है तो मूल्य बढ़ाने की प्रणाली का विवरण	लागू नहीं
35	परिसमापन में अधीनस्थता श्रेणी में स्थिति (अगले क्रमिक वरिष्ठ लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	बाँड धारकों के दावे (क) बैंक के टियर 1 कैपिटल में शामिल किए जाने के पात्र लिखतों पर निवेशकर्ताओं के दावे पर वरियता प्राप्त करेंगे, (ख) बैंक के सभी जमाकर्ताओं और सामान्य ऋणकर्ताओं के अधीन होंगे; (ग) कोई बैंक या संबंधित संस्था या अन्य व्यवस्था जो विधिक रूप से अथवा आर्थिक रूप से दावे के बरअक्स बैंक के देनदारों की वरियता को बढ़ाती है उसके द्वारा न तो तो प्रतिभूत होंगे और न ही कवर किए जाएंगे। बाँड धारकों को, दिवालियापन और परिसमापन की स्थिति को छोड़कर सूचीकृत भावी चुकौतियों (कूपन अथवा मूलधन) को आगे बढ़ाने का अधिकार नहीं होगा।
36	गैर-अनुपालक संक्रामित लक्षण	नहीं
37	यदि हाँ तो गैर-अनुपालक लक्षणों का उल्लेख करें	लागू नहीं



**लिखत : अप्रतिभूत प्रतिदेय अपरिवर्तनीय गौण बासेल III अनुपालित टियर -II बांड 9.71% शृंखला III**

1	जारीकर्ता	यूको बैंक
2	यूनीक पहचानकर्ता (जैसे सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या निजी प्लेसमेंट के लिए ब्लूमबर्गपहचान कर्ता)	आईएनई 691ए 08062 INE691A08062
3	लिखत को शासित करनेवाले नियम <i>विनियमनकारी उपचार</i>	भारतीय विधि
4	संक्रामी बासेल III नियम	टियर-II
5	(घनु कोषक खुला) बासेल III नियम	पात्र
6	एकल/ समूह/ समूह और एकल का पात्र	एकल
7	लिखत प्रकार	अधीनस्थ टियर-II
8	विनियमनकारी पूंजी के लिए निर्धारित राशि (सबसे निकट की रिपोर्टिंग तारीख को, रु मिलियन में)	5000
9	लिखत का सममूल्य	5000 मिलियन (प्रति बांड एक मिलियन)
10	लेखांकन वर्गीकरण	उधार
11	जारी करने की मूल तारीख	16.12.2019
12	स्थायी रूप से या तारीख पर	दिनांकित
13	मूल परिपक्वता की तिथि	16.12.2029
14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा मांग	हाँ
15	वैकल्पिक मांग तिथि, आकस्मिक मांग तिथियाँ एवं प्रतिदान राशि	कॉल विकल्प नहीं
16	परिवर्ती मांग तिथियाँ, यदि लागू हो <i>कूपन/ डिविडेंड</i>	लागू नहीं
17	नियत या चल <i>डिविडेंड/ कूपन</i>	निश्चित
18	कूपन की दर या कोई भी संबंधित सूचकांक	बांड की परिपक्वता तक प्रतिवर्ष 9.71% देय
19	डिविडेंड रोधक का अस्तित्व	नहीं
20	पूर्णतया विवेकानुसार, अंशतः विवेकानुसार या अनिवार्य	अंशतः विवेकाधीन
21	प्रतिदान हेतु वृद्धिशील या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	नहीं
22	असंचयी या संचयी	असंचयी
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन का/ के उत्प्रेरक	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय है तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन की दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय है तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय है तो लिखत का वह प्रकार बताएँ जिसमें परिवर्तनीय	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय है तो जिस लिखत में परिवर्तित हो उसका जारीकर्ता	लागू नहीं
30	मूल्य-घटाव की उपलब्धता	हाँ
31	यदि मूल्य- घटाव है तो उसका उत्प्रेरक	<p>भारतीय रिजर्व बैंक के विकल्प पर "प्वाईट ऑफ नॉन वायबिलिटी ट्रिगर" नामक ट्रिगर का समय आने पर बांडों को स्थायी रूप से बड़े खाते डाला जा सकता है। पी ओ एन वी ट्रिगर का समय निम्नांकित से पहले आएगी:</p> <p>क) निर्णय कि स्थायी रूप से बड़े खाते डालना, जिसके बिना बैंक गैर अर्थक्षम हो जाएगा, आरबीआई के निर्धारण के अनुसार आवश्यक है; और</p> <p>ख) पूंजी की सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश या उसके समतुल्य का निर्णय, प्रासंगिक प्राधिकारी के निर्धारण के अनुसार जिसके बिना बैंक गैर अर्थक्षम हो जाएगा। ऐसे निर्णय का सीधा सा अर्थ यह होगा कि ट्रिगर की घड़ी के पश्चात बड़े खाते डालने की घटना किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के पूंजी निवेश से पहले ही होगी ताकि सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा प्रदत्त पूंजी का तनूकरण न हो।</p>

32	यदि मूल्य-घटाव है तो पूर्णतः या अंशतः	पूर्ण
33	यदि मूल्य-घटाव है तो स्थायी या अस्थायी	स्थायी
34	यदि अस्थायी मूल्य- घटाव है तो मूल्य बढ़ाने की प्रणाली का विवरण	लागू नहीं
35	परिसमापन में अधीनस्थता श्रेणी में स्थिति (अगले क्रमिक वरिष्ठ लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	बाँड धारकों के दावे (क) बैंक के टियर 1 कैपिटल में शामिल किए जाने के पात्र लिखतों पर निवेशकर्ताओं के दावे पर वरियता प्राप्त करेंगे, (ख) बैंक के सभी जमाकर्ताओं और सामान्य ऋणकर्ताओं के अधीन होंगे; (ग) कोई बैंक या संबंधित संस्था या अन्य व्यवस्था जो विधिक रूप से अथवा आर्थिक रूप से दावे के बरअक्स बैंक के देनदारों की वरियता को बढ़ाती है उसके द्वारा न तो तो प्रतिभूत होंगे और न ही कवर किए जाएंगे। बाँड धारकों को, दिवालियापन और परिसमापन की स्थिति को छोड़कर सूचीकृत भावी चुकौतियों (कूपन अथवा मूलधन) को आगे बढ़ाने का अधिकार नहीं होगा।
36	गैर-अनुपालक संक्रामित लक्षण	नहीं
37	यदि हाँ तो गैर-अनुपालक लक्षणों का उल्लेख करें	लागू नहीं

**लिखत : अप्रतिभूत प्रतिदेय अपरिवर्तनीय गौण बासेल III अनुपालित टियर -II बांड 8.51% शृंखला IV**

1	जारीकर्ता	यूको बैंक
2	यूनीक पहचानकर्ता (जैसे सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या निजी प्लेसमेंट के लिए ब्लूमबर्गपहचान कर्ता)	आईएनई 691 ए 08070 <b>INE691A08070</b>
3	लिखत को शासित करनेवाले नियम <i>विनियमनकारी उपचार</i>	भारतीय विधि
4	संक्रामी बासेल III नियम	टियर-II
5	(घनु कोष्टक खुला) बासेल III नियम	पात्र
6	एकल/ समूह/ समूह और एकल का पात्र	एकल
7	लिखत प्रकार	अधीनस्थ टियर-II
8	विनियमनकारी पूंजी के लिए निर्धारित राशि (सबसे निकट की रिपोर्टिंग तारीख को, रु मिलियन में)	4000
9	लिखत का सममूल्य	10 मिलियन
10	लेखांकन वर्गीकरण	उधार
11	जारी करने की मूल तारीख	22.03.2022
12	स्थायी रूप से या तारीख पर	दिनांकित
13	मूल परिपक्वता की तिथि	22.03.2032
14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा मांग	हाँ
15	वैकल्पिक मांग तिथि, आकस्मिक मांग तिथियाँ एवं प्रतिदान राशि	22.03.2027
16	परिवर्ती मांग तिथियाँ, यदि लागू हो <i>कूपन/ डिविडेंड</i>	प्रत्येक वर्ष
17	नियत या चल डिविडेंड/ कूपन	निश्चित
18	कूपन की दर या कोई भी संबंधित सूचकांक	बांड की परिपक्वता तक प्रतिवर्ष 8.51% देय
19	डिविडेंड रोधक का अस्तित्व	नहीं
20	पूर्णतया विवेकानुसार, अंशतः विवेकानुसार या अनिवार्य	अंशतः विवेकाधीन
21	प्रतिदान हेतु वृद्धिशील या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	नहीं
22	असंचयी या संचयी	असंचयी
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन का/ के उत्प्रेरक	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय है तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन की दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय है तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय है तो लिखत का वह प्रकार बताएँ जिसमें परिवर्तनीय	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय है तो जिस लिखत में परिवर्तित हो उसका जारीकर्ता	लागू नहीं
30	मूल्य-घटाव की उपलब्धता	हाँ
31	यदि मूल्य- घटाव है तो उसका उत्प्रेरक	<p>भारतीय रिजर्व बैंक के विकल्प पर "प्वाईट ऑफ नॉन वायबिलिटी ट्रिगर" नामक ट्रिगर का समय आने पर बॉण्डों को स्थायी रूप से बड़े खाते डाला जा सकता है। पी ओ एन वी ट्रिगर का समय निम्नांकित से पहले आएगी:</p> <p>क) निर्णय कि स्थायी रूप से बड़े खाते डालना, जिसके बिना बैंक गैर अर्थक्षम हो जाएगा, आरबीआई के निर्धारण के अनुसार आवश्यक है; और</p> <p>ख) पूंजी की सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश या उसके समतुल्य का निर्णय, प्रासंगिक प्राधिकारी के निर्धारण के अनुसार जिसके बिना बैंक गैर अर्थक्षम हो जाएगा। ऐसे निर्णय का सीधा सा अर्थ यह होगा कि ट्रिगर की घड़ी के पश्चात बड़े खाते डालने की घटना किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के पूंजी निवेश से पहले ही होगी ताकि सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा प्रदत्तपूंजी का तनूकरण न हो।</p>

32	यदि मूल्य-घटाव है तो पूर्णतः या अंशतः	पूर्ण
33	यदि मूल्य-घटाव है तो स्थायी या अस्थायी	स्थायी
34	यदि अस्थायी मूल्य- घटाव है तो मूल्य बढ़ाने की प्रणाली का विवरण	लागू नहीं
35	परिसमापन में अधीनस्थता श्रेणी में स्थिति (अगले क्रमिक वरिष्ठ लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	बॉण्ड धारकों के दावे (क) बैंक के टियर 1 कैपिटल में शामिल किए जाने के पात्र लिखतों पर निवेशकर्ताओं के दावे पर वरियता प्राप्त करेंगे, (ख) बैंक के सभी जमाकर्ताओं और सामान्य ऋणकर्ताओं के अधीन होंगे; (ग) कोई बैंक या संबंधित संस्था या अन्य व्यवस्था जो विधिक रूप से अथवा आर्थिक रूप से दावे के बरअक्स बैंक के देनदारों की वरियता को बढ़ाती है उसके द्वारा न तो तो प्रतिभूत होंगे और न ही कवर किए जाएंगे। बॉण्ड धारकों को, दिवालियापन और परिसमापन की स्थिति को छोड़कर सूचीकृत भावी चुकौतियों (कूपन अथवा मूलधन) को आगे बढ़ाने का अधिकार नहीं होगा।
36	गैर-अनुपालक संक्रामित लक्षण	नहीं
37	यदि हाँ तो गैर-अनुपालक लक्षणों का उल्लेख करें	लागू नहीं

**लिखत : अप्रतिभूत प्रतिदेय अपरिवर्तनीय गौण बासेल III अनुपालित टियर -II बांड 8.51% शृंखला V**

1	जारीकर्ता	यूको बैंक
2	यूनीक पहचानकर्ता (जैसे सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या निजी प्लेसमेंट के लिए ब्लूमबर्गपहचान कर्ता)	आईएनई 691 ए 08088 <b>INE691A08088</b>
3	लिखत को शासित करनेवाले नियम <i>विनियमनकारी उपचार</i>	भारतीय विधि
4	संक्रामी बासेल III नियम	टियर-II
5	(घनु कोष्टक खुला) बासेल III नियम	पात्र
6	एकल/ समूह/ समूह और एकल का पात्र	एकल
7	लिखत प्रकार	अधीनस्थ टियर-II
8	विनियमनकारी पूंजी के लिए निर्धारित राशि (सबसे निकट की रिपोर्टिंग तारीख को, रु मिलियन में)	1000
9	लिखत का सममूल्य	10 मिलियन (प्रति बांड एक मिलियन)
10	लेखांकन वर्गीकरण	उधार
11	जारी करने की मूल तारीख	31.03.2022
12	स्थायी रूप से या तारीख पर	दिनांकित
13	मूल परिपक्वता की तिथि	31.03.2032
14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा मांग	हाँ
15	वैकल्पिक मांग तिथि, आकस्मिक मांग तिथियाँ एवं प्रतिदान राशि	31.03.2027
16	परिवर्ती मांग तिथियाँ, यदि लागू हो <i>कूपन/ डिविडेंड</i>	प्रत्येक वर्ष
17	नियत या चल <i>डिविडेंड/ कूपन</i>	निश्चित
18	कूपन की दर या कोई भी संबंधित सूचकांक	बांड की परिपक्वता तक प्रतिवर्ष 8.51% देय
19	डिविडेंड रोधक का अस्तित्व	नहीं
20	पूर्णतया विवेकानुसार, अंशतः विवेकानुसार या अनिवार्य	अंशतः विवेकाधीन
21	प्रतिदान हेतु वृद्धिशील या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	नहीं
22	असंचयी या संचयी	असंचयी
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन का/ के उत्प्रेरक	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय है तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन की दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय है तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय है तो लिखत का वह प्रकार बताएँ जिसमें परिवर्तनीय	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय है तो जिस लिखत में परिवर्तित हो उसका जारीकर्ता	लागू नहीं
30	मूल्य-घटाव की उपलब्धता	हाँ
31	यदि मूल्य- घटाव है तो उसका उत्प्रेरक	<p>भारतीय रिजर्व बैंक के विकल्प पर "प्वाईट ऑफ नॉन वायबिलिटी ट्रिगर" नामक ट्रिगर का समय आने पर बांडों को स्थायी रूप से बड़े खाते डाला जा सकता है। पी ओ एन वी ट्रिगर का समय निम्नांकित से पहले आएगी:</p> <p>क) निर्णय कि स्थायी रूप से बड़े खाते डालना, जिसके बिना बैंक गैर अर्थक्षम हो जाएगा, आरबीआई के निर्धारण के अनुसार आवश्यक है; और</p> <p>ख) पूंजी की सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश या उसके समतुल्य का निर्णय, प्रासंगिक प्राधिकारी के निर्धारण के अनुसार जिसके बिना बैंक गैर अर्थक्षम हो जाएगा। ऐसे निर्णय का सीधा सा अर्थ यह होगा कि ट्रिगर की घड़ी के पश्चात बड़े खाते डालने की घटना किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के पूंजी निवेश से पहले ही होगी ताकि सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा प्रदत्तपूंजी का तनुकरण न हो।</p>

32	यदि मूल्य-घटाव है तो पूर्णतः या अंशतः	पूर्ण
33	यदि मूल्य-घटाव है तो स्थायी या अस्थायी	स्थायी
34	यदि अस्थायी मूल्य- घटाव है तो मूल्य बढ़ाने की प्रणाली का विवरण	लागू नहीं
35	परिसमापन में अधीनस्थता श्रेणी में स्थिति (अगले क्रमिक वरिष्ठ लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	बाँड धारकों के दावे (क) बैंक के टियर 1 कैपिटल में शामिल किए जाने के पात्र लिखतों पर निवेशकर्ताओं के दावे पर वरियता प्राप्त करेंगे, (ख) बैंक के सभी जमाकर्ताओं और सामान्य ऋणकर्ताओं के अधीन होंगे; (ग) कोई बैंक या संबंधित संस्था या अन्य व्यवस्था जो विधिक रूप से अथवा आर्थिक रूप से दावे के बरअक्स बैंक के देनदारों की वरियता को बढ़ाती है उसके द्वारा न तो तो प्रतिभूत होंगे और न ही कवर किए जाएंगे। बाँड धारकों को, दिवालियापन और परिसमापन की स्थिति को छोड़कर सूचीकृत भावी चुकौतियों (कूपन अथवा मूलधन) को आगे बढ़ाने का अधिकार नहीं होगा।
36	गैर-अनुपालक संक्रामित लक्षण	नहीं
37	यदि हाँ तो गैर-अनुपालक लक्षणों का उल्लेख करें	लागू नहीं

**लिखत : अप्रतिभूत अनन्त अपरिवर्तनीय अधीनस्थ बासेल III अनुपालित एडिशनल टियर I बांड 9.50% शृंखला I**

1	जारीकर्ता	यूको बैंक
2	यूनीक पहचानकर्ता (जैसे सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या निजी प्लेसमेंट के लिए ब्लूमबर्गपहचान कर्ता)	आईएनई 691 ए 08096 INE691A08096
3	लिखत को शासित करनेवाले नियम विनियमनकारी उपचार	भारतीय विधि
4	संक्रामी बासेल III नियम	टियर-I
5	(घनु कोष्टक खुला) बासेल III नियम	पात्र
6	एकल/ समूह/ समूह और एकल का पात्र	एकल
7	लिखत प्रकार	अधीनस्थ टियर-I
8	विनियमनकारी पूंजी के लिए निर्धारित राशि (सबसे निकट की रिपोर्टिंग तारीख को, रु मिलियन में)	5000
9	लिखत का सममूल्य	10 मिलियन (प्रति बांड एक मिलियन)
10	लेखांकन वर्गीकरण	उधार
11	जारी करने की मूल तारीख	17_03_2023
12	स्थायी रूप से या तारीख पर	स्थायी
13	मूल परिपक्वता की तिथि	नहीं
14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता द्वारा मांग	हाँ
15	वैकल्पिक मांग तिथि, आकस्मिक मांग तिथियाँ एवं प्रतिदान राशि	17_03_2028
16	परिवर्ती मांग तिथियाँ, यदि लागू हो कूपन/ डिविडेंड	प्रत्येक वर्ष
17	नियत या चल डिविडेंड/ कूपन	निश्चित
18	कूपन की दर या कोई भी संबंधित सूचकांक	बांड की परिपक्वता तक प्रतिवर्ष 9.50% देय
19	डिविडेंड रोधक का अस्तित्व	नहीं
20	पूर्णतया विवेकानुसार, अंशतः विवेकानुसार या अनिवार्य	अंशतः विवेकाधीन
21	प्रतिदान हेतु वृद्धिशील या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	नहीं
22	असंचयी या संचयी	असंचयी
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन का/ के उत्प्रेरक	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय है तो पूर्णतः या अंशतः	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन की दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय है तो अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय है तो लिखत का वह प्रकार बताएँ जिसमें परिवर्तनीय	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय है तो जिस लिखत में परिवर्तित हो उसका जारीकर्ता	लागू नहीं
30	मूल्य-घटाव की उपलब्धता	हाँ
31	यदि मूल्य- घटाव है तो उसका उत्प्रेरक	भारतीय रिजर्व बैंक के विकल्प पर "प्वाईट ऑफ नॉन वायबिलिटी ट्रिगर" नामक ट्रिगर का समय आने पर बॉण्डों को स्थायी रूप से बट्टे खाते डाला जा सकता है। पी ओ एन वी ट्रिगर का समय निम्नांकित से पहले आएगी: क) निर्णय कि स्थायी रूप से बट्टे खाते डालना, जिसके बिना बैंक गैर अर्थक्षम हो जाएगा, आरबीआई के निर्धारण के अनुसार आवश्यक है; और ख) पूंजी की सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश या उसके समतुल्य का निर्णय, प्रासंगिक प्राधिकारी के निर्धारण के अनुसार जिसके बिना बैंक गैर अर्थक्षम हो जाएगा। ऐसे निर्णय का सीधा सा अर्थ यह होगा कि ट्रिगर की घड़ी के पश्चात बट्टे खाते डालने की घटना किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के पूंजी निवेश से पहले ही होगी ताकि सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा प्रदत्तपूंजी का तनूकरण न हो।

32	यदि मूल्य-घटाव है तो पूर्णतः या अंशतः	पूर्ण
33	यदि मूल्य-घटाव है तो स्थायी या अस्थायी	स्थायी
34	यदि अस्थायी मूल्य- घटाव है तो मूल्य बढ़ाने की प्रणाली का विवरण	लागू नहीं
35	परिसमापन में अधीनस्थता श्रेणी में स्थिति (अगले क्रमिक वरिष्ठ लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	बांड धारकों के दावे (क) बैंक द्वारा जारी किए गए ईक्विटी शेयरों और स्थायी वरियता शेयरों में निवेशको के दावों से वरियता प्राप्त करेंगे। (ख) बैंक के सभी जमाकर्ताओं, सामान्य ऋणकर्ताओं और बैंक के अधीनस्थ ऋण के दावों के अधीन होंगे, अतिरिक्त टीयर। पूंजी के रूप में योग्य किसी भी अधीनस्थ ऋण के अलावा (जैसे की बेसल III दिशानिर्देशों में परिभाषित किया गया है) (ग) कोई बैंक या संबंधित संस्था या अन्य व्यवस्था जो विधिक रूप से अथवा आर्थिक रूप से दावों के बरअक्स बैंक के देनदारों की वरियता को बढ़ाती है उसके द्वारा न तो तो प्रतिभूत होंगे और न ही कवर किए जाएंगे। बांड धारकों को, दिवालियापन और परिसमापन की स्थिति को छोड़कर सूचीकृत भावी चुकौतियों (कूपन अथवा मूलधन) को आगे बढ़ाने का अधिकार नहीं होगा।
36	गैर-अनुपालक संक्रामित लक्षण	नहीं
37	यदि हाँ तो गैर-अनुपालक लक्षणों का उल्लेख करें	लागू नहीं



Table DF-13

### Main Features of Regulatory Capital Instruments

<b>INSTRUMENT: Equity Shares</b>		
1	Issuer	UCO Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE691A01018
3	Governing law(s) of the instrument	Applicable Indian statutes and
	<i>Regulatory treatment</i>	Regulatory requirements
4	Transitional Basel III rules	Common Equity Tier 1
5	Post-transitional Basel III rules	Common Equity Tier 1
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo
7	Instrument type	Equity - common share
8	Amount recognised in regulatory capital (₹in million, as of most recent reporting date)	119559.58
9	Par value of instrument	₹10/- per common share
10	Accounting classification	Equity Capital
11	Original date of issuance	December 1969 and various dates thereafter
12	Perpetual or dated	Perpetual
13	Original maturity date	Not Applicable
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Not Applicable
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	Not Applicable
16	Subsequent call dates, if applicable	Not Applicable
	Coupons / dividends	Dividends
17	Fixed or floating dividend/coupon	Floating Dividend
18	Coupon rate and any related index	Not Applicable
19	Existence of a dividend stopper	Not Applicable
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Fully Discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Not Applicable
22	Noncumulative or cumulative	Noncumulative
23	Convertible or non-convertible	Not Applicable
24	If convertible, conversion trigger(s)	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	No.
31	If write-down, write-down trigger(s)	Not Applicable
32	If write-down, full or partial	Not Applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Subordinate to all other creditors.
36	Non-compliant transitioned features	Not Applicable
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

**INSTRUMENT: Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Basel III Compliant Tier-II Bonds 9.644% Series II**

1	Issuer	UCO Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE691A08054
3	Governing law(s) of the instrument Regulatory treatment	Indian Law
4	Transitional Basel III rules	Tier - II
5	Post-transitional Basel III rules	Eligible
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo
7	Instrument type	Subordinate Tier II
8	Amount recognised in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	5000 .00
9	Par value of instrument	5000 million (1 million per Bond)
10	Accounting classification	Borrowings
11	Original date of issuance	28.06.2019
12	Perpetual or dated	Dated
13	Original maturity date	28.06.2029
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	No Call option
16	Subsequent call dates, if applicable Coupons / dividends	NA
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	9.644% p.a. payable annually till maturity of Bonds
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Partially discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No
22	Noncumulative or cumulative	Non-cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	Yes
31	If write-down, write-down trigger(s)	<p>The Bonds may, at the option of the RBI, be permanently written off upon occurrence of the trigger event called the "point of Non Viability Trigger". The PONV Trigger event shall be the earlier of:</p> <p>a) A decision that the permanent write off, without which the Bank would become non-viable, is necessary, as determined by the RBI; and</p>

		b) The decision to make a public sector injection of capital, or equivalent support, without which the Bank would have become non-viable, as determined by the relevant authority. Such a decision would invariably imply that the write-off consequent upon the trigger event must occur prior to any public sector injection of capital so that the capital provided by the public sector is not diluted.
32	If write-down, full or partial	Full
33	If write-down, permanent or temporary	Permanent
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	NA
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claims of the Bondholders shall be (a) senior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier 1 capital of the Bank; (b) subordinate to the claims of all depositors and general creditors of the Bank; and (c) neither secured nor covered by a guarantee of the Bank or related entity or other arrangement that legally or economically enhances the seniority of the claims vis-à-vis creditors of the Bank. The Bondholders shall have no rights to accelerate the repayment of future scheduled payments (coupon or principal) except in bankruptcy and liquidation.
36	Non-compliant transitioned features	No
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

**INSTRUMENT: Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Basel III Compliant Tier-II Bonds 9.71% Series III**

1	Issuer	UCO Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE691A08062
3	Governing law(s) of the instrument Regulatory treatment	Indian Law
4	Transitional Basel III rules	Tier - II
5	Post-transitional Basel III rules	Eligible
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo
7	Instrument type	Subordinate Tier II
8	Amount recognised in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	5000 .00
9	Par value of instrument	5000 million (1 million per Bond)
10	Accounting classification	Borrowings
11	Original date of issuance	17.12.2019
12	Perpetual or dated	Dated
13	Original maturity date	17.12.2029
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	No Call option
16	Subsequent call dates, if applicable	NA
	Coupons / dividends	
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	9.71% p.a. payable annually till maturity of Bonds
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Partially discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No
22	Noncumulative or cumulative	Non-cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non-Convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	Yes
31	If write-down, write-down trigger(s)	The Bonds may, at the option of the RBI, be permanently written off upon occurrence of the trigger event called the "point of Non Viability Trigger". The PONV Trigger event shall be the earlier of:

		<p>a) A decision that the permanent write off, without which the Bank would become non-viable, is necessary, as determined by the RBI; and</p> <p>b) The decision to make a public sector injection of capital, or equivalent support, without which the Bank would have become non-viable, as determined by the relevant authority. Such a decision would invariably imply that the write-off consequent upon the trigger event must occur prior to any public sector injection of capital so that the capital provided by the public sector is not diluted.</p>
32	If write-down, full or partial	Full
33	If write-down, permanent or temporary	Permanent
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	NA
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claims of the Bondholders shall be (a) senior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier 1 capital of the Bank; (b) subordinate to the claims of all depositors and general creditors of the Bank; and (c) neither secured nor covered by a guarantee of the Bank or related entity or other arrangement that legally or economically enhances the seniority of the claims vis-à-vis creditors of the Bank. The Bondholders shall have no rights to accelerate the repayment of future scheduled payments (coupon or principal) except in bankruptcy and liquidation.
36	Non-compliant transitioned features	No
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

**INSTRUMENT: Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Basel III Compliant Tier-II Bonds 8.51% Series IV**

1	Issuer	UCO Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE691A08070
3	Governing law(s) of the instrument Regulatory treatment	Indian Law
4	Transitional Basel III rules	Tier - II
5	Post-transitional Basel III rules	Eligible
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo
7	Instrument type	Subordinate Tier II
8	Amount recognised in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	4000 .00
9	Par value of instrument	10 million per Bond
10	Accounting classification	Liability
11	Original date of issuance	22.03.2022
12	Perpetual or dated	Dated
13	Original maturity date	22.03.2032
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	22.03.2027
16	Subsequent call dates, if applicable Coupons / dividends	Every Year
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	8.51% p.a. payable annually till maturity of Bonds
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Partially discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No
22	Noncumulative or cumulative	Non-cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	Yes
31	If write-down, write-down trigger(s)	<p>The Bonds may, at the option of the RBI, be permanently written off upon occurrence of the trigger event called the "point of Non Viability Trigger". The PONV Trigger event shall be the earlier of:</p> <p>a) A decision that the permanent write off, without which the Bank would become non-viable, is necessary, as determined by the RBI; and</p>

		b) The decision to make a public sector injection of capital, or equivalent support, without which the Bank would have become non-viable, as determined by the relevant authority. Such a decision would invariably imply that the write-off consequent upon the trigger event must occur prior to any public sector injection of capital so that the capital provided by the public sector is not diluted.
32	If write-down, full or partial	Full
33	If write-down, permanent or temporary	Permanent
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	NA
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claims of the Bondholders shall be (a) senior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier 1 capital of the Bank; (b) subordinate to the claims of all depositors and general creditors of the Bank; and (c) neither secured nor covered by a guarantee of the Bank or related entity or other arrangement that legally or economically enhances the seniority of the claims vis-à-vis creditors of the Bank. The Bondholders shall have no rights to accelerate the repayment of future scheduled payments (coupon or principal) except in bankruptcy and liquidation.
36	Non-compliant transitioned features	No
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

**INSTRUMENT: Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Basel III Compliant Tier-II Bonds 8.51% Series V**

1	Issuer	UCO Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE691A08088
3	Governing law(s) of the instrument Regulatory treatment	Indian Law
4	Transitional Basel III rules	Tier - II
5	Post-transitional Basel III rules	Eligible
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo
7	Instrument type	Subordinate Tier II
8	Amount recognised in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	1000 .00
9	Par value of instrument	10 million per Bond
10	Accounting classification	Liability
11	Original date of issuance	31.03.2022
12	Perpetual or dated	Dated
13	Original maturity date	31.03.2032
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	31.03.2027
16	Subsequent call dates, if applicable	Every Year
	Coupons / dividends	
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	8.51% p.a. payable annually till maturity of Bonds
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Partially discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No
22	Noncumulative or cumulative	Non-cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	Yes
31	If write-down, write-down trigger(s)	<p>The Bonds may, at the option of the RBI, be permanently written off upon occurrence of the trigger event called the "point of Non Viability Trigger". The PONV Trigger event shall be the earlier of:</p> <p>a) A decision that the permanent write off, without which the Bank would become non-viable, is necessary, as determined by the RBI; and</p>



		b) The decision to make a public sector injection of capital, or equivalent support, without which the Bank would have become non-viable, as determined by the relevant authority. Such a decision would invariably imply that the write-off consequent upon the trigger event must occur prior to any public sector injection of capital so that the capital provided by the public sector is not diluted.
32	If write-down, full or partial	Full
33	If write-down, permanent or temporary	Permanent
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	NA
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	The claims of the Bondholders shall be (a) senior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier 1 capital of the Bank; (b) subordinate to the claims of all depositors and general creditors of the Bank; and (c) neither secured nor covered by a guarantee of the Bank or related entity or other arrangement that legally or economically enhances the seniority of the claims vis-à-vis creditors of the Bank. The Bondholders shall have no rights to accelerate the repayment of future scheduled payments (coupon or principal) except in bankruptcy and liquidation.
36	Non-compliant transitioned features	No
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

**INSTRUMENT: Unsecured Perpetual Non-Convertible Basel III Compliant Additional Tier-I Bonds 9.50% Series I**

1	Issuer	UCO Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE691A08096
3	Governing law(s) of the instrument Regulatory treatment	Indian Law
4	Transitional Basel III rules	Tier - I
5	Post-transitional Basel III rules	Eligible
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo
7	Instrument type	Additional Tier I
8	Amount recognised in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)	5000 .00
9	Par value of instrument	10 million per Bond
10	Accounting classification	Liability
11	Original date of issuance	17.03.2023
12	Perpetual or dated	Perpetual
13	Original maturity date	NA
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	17.03.2028
16	Subsequent call dates, if applicable Coupons / dividends	Every Year
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	9.50% p.a. payable annually till maturity of Bonds
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Partially discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No
22	Noncumulative or cumulative	Non-cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	Yes
31	If write-down, write-down trigger(s)	<p>The Bonds may, at the option of the RBI, be permanently written off upon occurrence of the trigger event called the "point of Non Viability Trigger". The PONV Trigger event shall be the earlier of:</p> <p>a) A decision that the permanent write off, without which the Bank would become non-viable, is necessary, as determined by the RBI; and</p>

		b) The decision to make a public sector injection of capital, or equivalent support, without which the Bank would have become non-viable, as determined by the relevant authority. Such a decision would invariably imply that the write-off consequent upon the trigger event must occur prior to any public sector injection of capital so that the capital provided by the public sector is not diluted.
32	If write-down, full or partial	Full
33	If write-down, permanent or temporary	Permanent
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	NA
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	<p>The claims of the Bondholders shall be</p> <p>a) superior to the claims of investors in equity shares and perpetual non-cumulative preference shares if any, issued by the Bank;</p> <p>b) subordinated to the claims of all depositors, general creditors &amp; subordinated debt of the Bank, other than any subordinated debt qualifying as Additional Tier 1 Capital (as defined in the BASEL III guidelines)</p> <p>(c) neither be secured nor covered by a guarantee of the Bank or related entity or other arrangement that legally or economically enhances the seniority of the claims vis-à-vis creditors of the Bank.</p> <p>The Bondholders shall have no rights to accelerate the repayment of future scheduled payments (coupon or principal) except in bankruptcy and liquidation.</p>
36	Non-compliant transitioned features	No
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

**तालिका डीएफ - 14**  
**नियमनकारी पूँजी आवश्यकताओं के पूर्ण नियम एवं शर्तें**

क्र.सं.	लिखत	संपूर्ण नियम एवं शर्तें
1	ईक्विटी शेयर (आईएनई691ए01018)	साधारण शेयर: असंचयी
2	अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय अधीनस्थ बासेल III अनुपालित टियर -II बांड 9.644% शृंखला II (आईएनई691ए08054)	जारी प्रमात्रा: ₹500 करोड़, आबंटन की तारीख: 28.06.2019, प्रतिदान की तारीख: 28.06.2029, सम मूल्य: ₹10 लाख, पुट एंड कॉल विकल्प: कॉल विकल्प की तारीख: लागू नहीं. ब्याज दर और आवृत्ति: 9.644% और प्रतिवर्ष 28 जुन. सूचीकरण: एनएसई के पास सूचीबद्ध, सभी अभौतिक रूप में।
3	अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय अधीनस्थ बासेल III अनुपालित टियर II बांड 9.71% शृंखला III (आई एन ई 691ए 08062)	जारी प्रमात्रा: ₹500 करोड़, आबंटन की तारीख: 16.12.2019, प्रतिदान की तारीख: 16.12.2029, सम मूल्य: ₹10 लाख, पुट एंड कॉल विकल्प: कॉल विकल्प की तारीख: लागू नहीं. ब्याज दर और आवृत्ति: 9.71% और प्रतिवर्ष 16 दिसंबर. सूचीकरण: एनएसई के पास सूचीबद्ध, सभी अभौतिक रूप में।
4	अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय अधीनस्थ बासेल III अनुपालित टियर II बांड 8.51% शृंखला IV (आई एन ई 691ए 08070)	जारी प्रमात्रा: ₹400 करोड़, आबंटन की तारीख: 22.03.2022, प्रतिदान की तारीख: 22.03.2032, सम मूल्य: ₹1 करोड़, पुट एंड कॉल विकल्प: कॉल विकल्प की तारीख: 22.03.2027 ब्याज दर और आवृत्ति: 8.51% और प्रतिवर्ष 22 मार्च. सूचीकरण: एनएसई के पास सूचीबद्ध, सभी अभौतिक रूप में।
5	अप्रतिभूत प्रतिदान योग्य अपरिवर्तनीय अधीनस्थ बासेल III अनुपालित टियर II बांड 8.51% शृंखला V (आई एन ई 691ए 08088)	जारी प्रमात्रा: ₹100 करोड़, आबंटन की तारीख: 31.03.2022, प्रतिदान की तारीख: 31.03.2032, सम मूल्य: ₹1 करोड़, पुट एंड कॉल विकल्प: कॉल विकल्प की तारीख: 31.03.2027 ब्याज दर और आवृत्ति: 8.51% और प्रतिवर्ष 31 मार्च. सूचीकरण: एनएसई के पास सूचीबद्ध, सभी अभौतिक रूप में।
6	अप्रतिभूत अनन्त अपरिवर्तनीय अधीनस्थ बासेल III अनुपालित एडिशनल टियर I बांड 9.50% शृंखला I (आईएनई 691ए 08096)	जारी प्रमात्रा: ₹500 करोड़, आबंटन की तारीख: 17.03.2023, प्रतिदान की तारीख: 17.03.2028, सम मूल्य: ₹1 करोड़, पुट एंड कॉल विकल्प: कॉल विकल्प की तारीख: लागू नहीं. ब्याज दर और आवृत्ति: 9.50% और प्रतिवर्ष 17 मार्च. सूचीकरण: एनएसई के पास सूचीबद्ध, सभी अभौतिक रूप में।

**तालिका डीएफ - 15**  
**पारिश्रमिक की प्रकटीकरण आवश्यकताएँ**

राष्ट्रीयकृत बैंकों पर लागू नहीं हैं।

**Table DF - 14**  
**Full Terms and Conditions of Regulatory Capital Instruments**

Sl. No.	Instruments	Full Terms and Conditions
1.	Equity Shares (INE691A01018)	Ordinary Shares, non-cumulative.
2.	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Basel III Compliant Tier-II Bonds 9.644% Series II(INE691A08054)	Issue Size: Rs. 500 Crore, Date of Allotment: 28.06.2019, Date of Redemption: 28.06.2029, Par Value: 10 Lakhs Put and Call Option: Call option date Not Applicable. Rate of Interest and frequency: 9.644%, Yearly on 28th June. Listing: Listed with NSE, All in Dematerialised form
3.	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Basel III Compliant Tier-II Bonds 9.71% Series III(INE691A08062)	Issue Size: Rs. 500 Crore, Date of Allotment: 16.12.2019, Date of Redemption: 16.12.2029, Par Value: 10 Lakhs Put and Call Option: Call option date Not Applicable. Rate of Interest and frequency: 9.71%, Yearly on 16th Dec. Listing: Listed with NSE, All in Dematerialised form
4.	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Basel III Compliant Tier-II Bonds 8.51% Series IV(INE691A08070)	Issue Size: 400 Crore, Date of Allotment: 22.03.2022, Date of Redemption: 22.03.2032, Par Value: 1 crore Put and Call Option: Call option date: 22.03.2027. Rate of Interest and frequency: 8.51%, Yearly on 22nd March. Listing: Listed with NSE, All in Dematerialised form
5.	Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Basel III Compliant Tier-II Bonds 8.51% Series V(INE691A08088)	Issue Size: 100 Crore, Date of Allotment: 31.03.2022, Date of Redemption: 31.03.2032, Par Value: 1 crore Put and Call Option: Call option date: 31.03.2027. Rate of Interest and frequency: 8.51%, Yearly on 31st March. Listing: Listed with NSE, All in Dematerialised form
6.	Unsecured Perpetual Non-Convertible Subordinated Basel III Compliant Additional Tier I Bonds 9.50% Series I (INE691A08096)	Issue Size: 500 Crore, Date of Allotment: 17.03.2023, Date of Redemption: NA, Par Value: 1 crore Put and Call Option: Call option date: 17.03.2028. Rate of Interest and frequency: 9.50%, Yearly on 17th March. Listing: Listed with NSE, All in Dematerialised form

**Table DF - 15**  
**Disclosure Requirements for Remuneration**

Not applicable to Nationalised Banks.

## तालिका डीएफ-16:

### गुणात्मक प्रकटीकरण

### बैंकिंग बही स्थितियों का प्रकटीकरण

- निवेश वर्गीकरण और मूल्यांकन पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशों को खरीद की तारीख को कारोबार के लिए धारित (एचएफटी), बिक्री हेतु उपलब्ध (एएफएस) और परिपक्वता के लिए धारित(एचटीएम) की श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। जिन निवेशों को बैंक परिपक्वता तक धारित करना चाहता है उन्हें एचटीएम प्रतिभूतियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत धारित इक्विटी निवेशों को पूँजी पर्याप्तता के उद्देश्य से बैंकिंग बही के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार सहायकों एवं संयुक्त उद्यमों की इक्विटी में निवेशों को एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत करने की जरूरत होती है। इनको कारोबार उद्देश्य से संबंध कायम करने के नीतिगत उद्देश्य से धारित किया जाता है।
- एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत धारित निवेशों का मार्केट-टू-मार्केट नहीं परंतु उनकी अधिग्रहण लागत पर निर्वाह किया जाता है। अस्थायी के अलावा इक्विटी निवेशों के मूल्य में आनेवाली किसी भी न्यूनता के लिए प्रावधान किया जाता है। एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत निवेश बिक्री से हुई किसी भी हानि को लाभ-हानि विवरण में व्यक्त किया जाता है। एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत निवेश बिक्री से हुए लाभ को लाभ-हानि विवरण में व्यक्त करके, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, कर एवं सांविधिक आरक्षित निधि को छोड़कर "पूँजी आरक्षित निधि" में विनियोजित किया जाता है।

### गुणात्मक प्रकटीकरण

#### क) निवेशों का मूल्य

(राशि ₹ करोड़ में)

निवेश	तुलन पत्र के अनुसार मूल्य	उचित मूल्य	खुले में प्रस्तावित शेयर मूल्य (उचित मूल्य से तत्त्व भिन्न हो तो)
अनुद्धृत	198.56	198.56	लागू नहीं
उद्धृत	शून्य/NIL	शून्य/NIL	लागू नहीं

(राशि ₹ करोड़ में)

#### ख. निवेशों का प्रकार और प्रकृति

निवेश	आम कारोबार	निजी रूप से धारित
सहायक, सहभागी एवं संयुक्त उद्यम (आरआरबी के लिए) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/कारपोरेट के अन्य शेयर, जो 2 सितंबर, 2004 की स्थिति में बैंक की बहियों में मौजूद थे और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार उन्हें उस रूप में धारित किया जा सकता है।		198.56 0.00

(राशि ₹ करोड़ में)

#### ग. लाभ/हानि विवरण

विवरण	राशि
समीक्षाधीन अवधि के दौरान बिक्रियों और परिसमापनों से उत्पन्न संचयी रूप से प्राप्त लाभ (हानियाँ)	-
कुल अप्राप्त लाभ (हानियाँ)	-
कुल अव्यक्त पुनर्मूल्यांकन लाभ (हानियाँ)	-
पूँजी में निहित अप्राप्त लाभ (हानियाँ)	-
पूँजी में निहित अव्यक्त पुनर्मूल्यांकन लाभ (हानियाँ)	-

(राशि ₹ करोड़ में)

#### घ. बैंकिंग बही के लिए पूँजी आवश्यकता

इक्विटी समूहन	बासेल III के तहत व्यवहार	पूँजी आवश्यकता
सहायक	नियमनकारी पूँजी से कटौती	
सहभागी एवं संयुक्त उद्यम	भारत जोखिम दर /@ 250%	44.68
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/कारपोरेट के अन्य शेयर, जो 2 सितंबर, 2004 की स्थिति में बैंक की बहियों में मौजूद थे और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार उन्हें उस रूप में धारित किया जा सकता है।	भारत जोखिम दर /@ 150%	0.00

**Table DF - 16**

**Disclosure for Banking Book Positions**

**QUALITATIVE DISCLOSURES**

- In accordance with the RBI guidelines on investment classification and valuation, Investments are classified on the date of purchase into Held for Trading (HFT), Available for Sale (AFS) and Held to Maturity (HTM) categories. Investments which the Bank intends to hold till maturity are classified as HTM securities. In accordance with the RBI guidelines, equity investments held under the HTM category are classified as banking book for capital adequacy purpose.
- Investments in equity of subsidiaries and joint ventures are required to be classified under HTM category in accordance with the RBI guidelines. These are held with a strategic Objective to maintain relationships for business purposes.
- Investments classified under HTM category are carried at their acquisition cost and not marked to market. Any diminution, other than temporary, in the value of equity investments is provided for. Any loss on sale of investments in HTM category is recognized in the Statement of Profit and Loss. Any gain from sale of investments under HTM category is recognized in the Statement of Profit and Loss and is appropriated, net of taxes and statutory reserve, to "Capital Reserve" in accordance with the RBI Guidelines.

**QUANTITATIVE DISCLOSURES**

**A. Value of Investments**

(₹ in crore)

Investments	Value as per Balance Sheet	Fair Value	Publicly Quoted Share Values (if materially different from fair value)
Unquoted	198.56	198.56	NA
Quoted	NIL	NIL	NA

**B. Types and Nature of Investments**

(₹ in crore)

Investments	Publicly traded	Privately held
Subsidiary, Associate and Joint Ventures (for RRBs)		198.56
Other shares of PSU/Corporate, which were in the books of the Bank under HTM category as on 2nd September 2004 and as per RBI guidelines, can be retained as such.		0.00

**C. Gain/ Loss Statement**

(₹ in crore)

Particulars	Amount
Cumulative realized gains (losses) arising from sales and liquidations in the reporting period	-
Total unrealized gains (losses)	-
Total latent revaluation gains (losses)	-
Unrealized gains (losses) included in Capital	-
Latent revaluation gains (losses) included in Capital	-

**D. Capital Requirement for Banking Book**

(₹ in crore)

Equity grouping	Treatment under Basel III	Capital Requirement
Subsidiary	Deducted from Regulatory capital	
Associate and Joint Ventures	Risk weighted @ 250%	44.68
Other shares of PSU/Corporate, which were in the books of the Bank under HTM category as on 2nd September 2004 and as per RBI guidelines, can be retained as such.	Risk weighted @ 150%	0.00

**तालिका डीएफ- 17:**  
**लेखांकन परिसंपत्तियों और लीवरेज अनुपात एक्सपोजर की सारांश तुलना**

क्र.सं.	निवेश	राशि (₹ मिलियन में)
1	प्रकाशित वित्तीय विवरणी के अनुसार कुल समेकित आस्तियां	3008629.90
2	बैंकिंग, वित्तीय, बीमा या वाणिज्यिक उद्यमों में निवेश हेतु समायोजन जिन्हें लेखांकन के उद्देश्य से समेकित किया गया है परंतु जो नियमनकारी समेकन के दायरे से बाहर हैं	-
3	परिचालन लेखांकन ढांचे के अनुसरण में तुलन-पत्र में व्यक्त न्यासिक परिसंपत्तियों हेतु समायोजन परंतु लीवरेज अनुपात एक्सपोजर कार्रवाई से रहित	-
4	व्युत्पन्न वित्तीय साधनों हेतु समायोजन	9325.80
5	प्रतिभूतियों के वित्तपोषण लेनदेनों हेतु समायोजन (अर्थात् रेपो और इसी तरह के सुरक्षित ऋण)	-
6	तुलनपत्र से इतर मदों के लिए समायोजन (अर्थात्, तुलन-पत्र से इतर एक्सपोजरों की ऋण समतुल्य राशियों में रूपांतरण)।	77093.27
7	अन्य समायोजन	(74114.40)
8	लीवरेज अनुपात एक्सपोजर	<b>3020934.51</b>

**तालिका डीएफ-18**  
**लीवरेज अनुपात सामान्य प्रकटीकरण नमूना**

क्र.सं.	मद	राशि ₹ मिलियन में
	<b>तुलन पत्र में व्यक्त एक्सपोजर</b>	
1.	तुलन पत्र में व्यक्त मदें (व्युत्पन्नों और एसएफटी रहित, लेकिन संपार्श्विक सहित)	3008629.90
2.	(बासेल III टियर 1 पूँजी के निर्धारण में कटौती की गई परिसंपत्ति राशियाँ)	(74114.40)
3.	तुलन-पत्र में व्यक्त कुल एक्सपोजर (व्युत्पन्नों और एसएफटी रहित) (पंक्ति 1 एवं 2 का कुल योग)	2934515.50
	<b>व्युत्पन्न एक्सपोजर</b>	
4.	सभी व्युत्पन्न लेनदेन के साथ जुड़ी प्रतिस्थापन लागत(यानी योग्य नकद विचलन मार्जिन को छोड़कर)	1595.89
5.	सभी व्युत्पन्न लेनदेन के साथ जुड़े पीएफई के लिए एड-ऑन राशियाँ	7729.88
6.	परिचालन लेखांकन फ्रेमवर्क के अनुसरण में प्रावधानकृत संपार्श्विक व्युत्पन्नों के लिए ग्राँस-अप, जहाँ तुलन-पत्र परिसंपत्तियों से कटौती की गई	
7.	(व्युत्पन्न लेन-देन में प्रावधानकृत नकद भिन्नता मार्जिन के लिए प्राप्य परिसंपत्तियों की कटौती)	



क्र.सं.	मद	राशि ₹ मिलियन में
8.	ग्राहक द्वारा मंजूर व्यापार एक्सपोज़रों से छूट प्राप्त सीसीपी लेग	0.00
9.	लिखित ऋण व्युत्पन्नों की समायोजित प्रभावी नोशनल राशि	0.00
10.	समायोजित प्रभावी नोशनल ऑफसेट लिखित ऋण व्युत्पन्नों के लिए एड-ऑन कटौतियाँ	0.00
11.	कुल व्युत्पन्न एक्सपोज़र (पंक्ति 4 से लेकर 10 का कुल योग)	9325.77
<b>प्रतिभूति वित्तीयन लेनदेन एक्सपोज़र</b>		
12.	बिक्री लेखांकन लेनदेन के समायोजन के बाद सकल एसएफटी परिसंपत्तियाँ (नेटिंग पर ध्यान न देते हुए)	0.00
13.	सकल एसएफटी परिसंपत्तियों की छोड़ी गई नकद भुगतान योग्य और नकद प्राप्य राशियाँ	0.00
14.	एसएफटी परिसंपत्तियों के लिए सीसीआर एक्सपोज़र	0.00
15.	एजेंट लेनदेन एक्सपोज़र	0.00
16.	कुल प्रतिभूति वित्तीयन लेनदेन एक्सपोज़र (पंक्ति 12 से लेकर 15 का कुल योग)	0.00
<b>तुलन पत्र से इतर अन्य एक्सपोज़र</b>		
17.	सकल नोशनल राशि पर तुलन-पत्र से इतर एक्सपोज़र	183863.90
18.	ऋण समतुल्य राशियों के परिवर्तन के लिए समायोजन	(106770.63)
19.	तुलन पत्र से इतर मदें (पंक्ति 17 एवं 18 का कुल योग)	77093.27
<b>पूँजी एवं कुल एक्सपोज़र</b>		
20.	टियर 1 पूँजी	154344.10
21.	कुल एक्सपोज़र (पंक्ति 3, 11, 16 एवं 19 का कुल योग)	3020934.54
<b>लीवरेज अनुपात</b>		
22.	बासेल III लीवरेज अनुपात	5.11%

**Table DF - 17**

**Summary Comparison of accounting assets and leverage ratio exposure**

<b>Sr No</b>	<b>Particulars</b>	<b>Amount (₹ in Millions)</b>
1	Total consolidated assets as per published financial Statements	3008629.90
2	Adjustment for investments in banking, financial, insurance or commercial entities that are consolidated for accounting purposes but outside the scope of regulatory consolidation	-
3	Adjustment for fiduciary assets recognised on the balance sheet pursuant to the operative accounting framework but excluded from the leverage ratio exposure measure	-
4	Adjustments for derivative financial instruments	9325.80
5	Adjustment for securities financing transactions (i.e. repos and similar secured lending)	-
6	Adjustment for off-balance sheet items (i.e. conversion to credit equivalent amounts of off- balance sheet exposures)	77093.27
7	Other adjustments	(74114.40)
8	Leverage ratio exposure	<b>3020934.51</b>

**Table DF - 18**

**Leverage ratio common disclosure template**

<b>Sr No</b>	<b>Item</b>	<b>Amount (₹ in Millions)</b>
	<b>On-Balance sheet exposure</b>	
1	On-balance sheet items (excluding derivatives and SFTs, but including collateral)	3008629.90
2	(Asset amounts deducted in determining Basel III Tier 1 capital)	(74114.40)
3	Total on-balance sheet exposures (excluding derivatives and SFTs) (sum of lines 1 and 2)	2934515.50
	<b>Derivative exposure</b>	
4	Replacement cost associated with all derivatives transactions (i.e. net of eligible cash variation margin)	1595.89
5	Add-on amounts for PFE associated with all derivatives Transactions	7729.88
6	Gross-up for derivatives collateral provided where deducted from the balance sheet assets pursuant to the operative accounting framework	-
7	(Deductions of receivables assets for cash variation margin provided in derivatives transactions)	-

<b>Sr No</b>	<b>Item</b>	<b>Amount (₹ in Millions)</b>
8	(Exempted CCP leg of client-cleared trade exposures	-
9	Adjusted effective notional amount of written credit Derivatives	-
10	(Adjusted effective notional offsets and add-on deductions for written credit derivatives)	-
11	Total derivative exposures (sum of lines 4 to 10)	9325.77
<b>Securities financing transaction exposures</b>		
12	Gross SFT assets (with no recognition of netting), after adjusting for sale accounting transactions	-
13	(Netted amounts of cash payables and cash receivables of gross SFT assets	-
14	CCR exposure for SFT assets	-
15	Agent transaction exposures	-
16	Total securities financing transaction exposures (sum of lines 12 to 15)	-
<b>Other off-balance sheet exposures</b>		
17	Off-balance sheet exposure at gross notional amount	183863.90
18	(Adjustments for conversion to credit equivalent amounts)	(106770.63)
19	Off-balance sheet items (sum of lines 17 and 18) 177093.27	
<b>Capital and total exposures</b>		
20	Tier 1 capital	154344.10
21	Total exposures (sum of lines 3, 11, 16 and 19)	3020934.54
<b>Leverage ratio</b>		
22	Basel III leverage ratio	5.11%



# Celebrating Glorious Relationship



**Thank you**  
Customers, stakeholders & well-wishers  
for their unflinching trust throughout our journey

www.ucobank.com

Toll Free Help Line No: 1800 103 0123

**यूको बैंक**  **UCO BANK**  
(भारत सरकार का उपक्रम) (A Govt. of India Undertaking)  
सम्मान आपके विश्वास का Honours Your Trust



# Azadi ka अमृत महोत्सव

75 Years of India's Independence



Website: www.ucobank.com | Toll Free No.: 1800 103 0123

**यूको बैंक**  **UCO BANK**  
(भारत सरकार का उपक्रम) (A Govt. of India Undertaking)  
सम्मान आपके विश्वास का Honours Your Trust